मंगलवार, 23 फ़रवरी 1982

---

4 फाल्गुन, 1903 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

आठवाँ सत्र

सत्यमेव जयते

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

मंगलवार, 23 फरवरी, 1982/4 फाल्गुन 1903 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—22
*तारांकित प्रश्न संख्या 21 से 26	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	22—242
तारांकित प्रश्न संख्या 27 से 40	
अतारांकित प्रश्न संख्या 231 से 379, 381 से 419 और 421 से 460	
स्थगन प्रस्तावों आदि के बारे में	242—246
बजट (रेल) 1982-83, प्रस्तुत किया गया	246—267
श्री प्रकाश चन्द सेठी	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	267—269
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	269—279
पीपल्स लिबरेशन आर्मी के उग्रवादियों द्वारा इम्फाल के निकट घात लगाकर किये गये हमले में से 21 सैनिकों के मारे जाने का समाचार	
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	269
श्री निहार रंजन लास्कर	270
श्री गदाधर शाहा	274
श्रीमती मोहसिना किदवई	275
श्री बी० वी० देसाई	277
श्री जैल सिंह	278
नियम 377 के अधीन मामले	279—284
(एक) राजस्थान में कोटा स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र के एककों के कार्यकरण को प्रभावी बनाने के उपाय	279

* किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	
(दो) उत्तर प्रदेश में डाकुओं के साथ फर्जी मुठभेड़ों में निर्दोष व्यक्तियों के मारे जाने की घटनाओं की जांच करने की आवश्यकता	280
श्री चन्द्रजीत यादव	
(तीन) उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में मिट्टी के तेल की कमी	280
श्री जैनुल बशर	
(चार) देश के उत्तरी क्षेत्र की सूती कपड़ा मिलों में संकट	281
श्रीमती जयन्ती पटनायक	
(पांच) पाराद्वीप पत्तन पर मछली पकड़ने के लिये बन्दरगाह स्थापित करने की आवश्यकता	282
श्री लक्ष्मण मलिक	
(छः) कोयम्बटूर में 50 मेगावाट का ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता	282
श्री ईरा मोहन	
(सात) 19 जनवरी की औद्योगिक हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों को तंग करने के कारण उत्पन्न गंभीर स्थिति	283
श्री समर मुखर्जी	
औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव	284—303
श्री प्रणव मुखर्जी	284
श्री सुनील मैत्रा	286
श्री गिरधारी लाल व्यास	288
श्री सी० टी० दण्डापाणि	290
श्री रामसिंह यादव	294
श्री के० एल० राजम	297
खण्ड 2 से 19 और 1	301—303
पास करने का प्रस्ताव	302
श्री प्रणव मुखर्जी	
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	303—400
प्रो० एन० जी० रंगा	303
श्री एच० के० एल० भगत	317
श्री राम जेठमलानी	325
कार्य मंत्रणा समिति	400
पच्चीसवां प्रतिवेदन	

लोक-सभा

मंगलवार, 23 फरवरी, 1982/4 फाल्गुन, 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

———

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

फर्टिलाइजर्स (प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लि०) का पुनर्गठन

*21. श्री ए० के० राय : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टिलाइजर्स (प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट) इंडिया लि० को, विशेषकर इसके अनुसंधान और विकास को पुनर्गठित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या प्रस्तावित पुनर्गठन से किसी न किसी रूप में फर्टिलाइजर्स (प्लानिंग एण्ड डवलपमेंट) इंडिया लि० का महत्व कम होगा और उर्वरक टेकनालाजी में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में बाधा पहुँचेगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) फर्टिलाइजर्स (प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट) इंडिया लि० को पुनर्गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, उर्वरक प्रौद्योगिकी से संबंधित अनुसंधान और विकास कार्यकलापों को सुदृढ़ करने की दृष्टि से उर्वरक प्रौद्योगिकी के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना करने का प्रस्ताव है। इस संबंध में, एक सुझाव दिया गया है कि एफ० पी० डी० आई० एल० के सिन्दरी में चल रहे आर० एण्ड डी० कार्यकलाप उर्वरक प्रौद्योगिकी के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय संस्थान के अधीन आ सकते हैं। सरकार ने इस सुझाव पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। एफ० पी० डी० आई० एल० का महत्व कम होने या उर्वरक प्रौद्योगिक में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में बाधा होने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री ए० के० राय : महोदय, उत्तर में गड़बड़ है। भारतीय उर्वरक निगम का योजना तथा विकास प्रभाग, जिसको अब एफ० पी० डी० आई० एल० नाम दिया गया है, देश की सर्वाधिक प्रतिष्ठित तथा सर्वप्रथम उर्वरक संस्था हुआ करता था इसके दो प्रभाग हैं—एक डिजाइन प्रभाग तथा दूसरा अनुसंधान प्रभाग। मंत्री ने कहा है कि इस महत्वपूर्ण उर्वरक प्रौद्योगिक संस्थान के महत्व को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वे इसके डिजाइन प्रभाग को बड़ौदा तथा अनुसंधान प्रभाग को दिल्ली के आसपास स्थानान्तरित करने जा रहे हैं। इससे निश्चित रूप से एफ० पी० डी० आई० एल० का महत्व कम होगा। इसको ध्यान में रखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि एफ० पी० डी० आई० एल० ही एक राष्ट्रीय महत्व का उर्वरक प्रौद्योगिकी संस्थान है। एक दूसरी संस्था खोलने तथा उस पर दोहरी लागत लगाने के स्थान पर इसी का और विकास करने में सरकार को क्या बाधा आ रही है ? इसी प्रकार डिजाइन प्रभाग को बड़ौदा ले जाने और उसकी स्थापना पर खर्च बढ़ाने का क्या औचित्य है ?

श्री पी० शिवशंकर : जहां तक एफ० पी० डी० आई० एल० का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य की बात में सुधार कर सकता हूं। इसके तीन प्रभाग हैं दो प्रभाग नहीं। एक डिजाइन, इंजीनियरिंग तथा मंत्रणा कार्य; दूसरा उत्प्रेरण योजना कार्यशाला; तथा तीसरा अनुसंधान विकास जिसमें प्रयोगशालायें तथा प्रायोगिक संयंत्र सम्मिलित है। ये एफ० पी० डी० आई० एल० के तीन प्रभाग हैं। (व्यवधान)

जहां तक डिजाइन प्रभाग को बड़ौदा स्थानान्तरित करने का सम्बन्ध है मुझे खेद है कि यह ठीक नहीं है। स्थिति यह है कि थाल तथा हाजिर मंत्रणा इंजीनियरिंग वर्क्स को भी एफ० पी० डी० आई० एल० ने अपने अधिकार में ले लिया है तथा एफ० पी० डी० आई० एल० के लिए सिन्दरी से थाल और हाजिय के इंजीनियरिंग वर्क्स की देखभाल करना सम्भव नहीं था थोड़े से इंजीनियर तथा 100 के लगभग ड्राफ्ट्समैन थाल और हाजिय में हो रहे इंजीनियरिंग कार्य को चलाने में सुगमता हेतु बड़ौदा में नियुक्त किये गये हैं। सभा की सूचना के लिए मैं कह सकता हूं कि सिन्दरी में लगभग 3,300 कर्मचारी कार्यरत हैं और उनमें से 100 इंजीनियर तथा 100 ड्राफ्ट्समैन बहुत ही कम संख्या होगी और वह भी कार्य को चलाने में सुगमता के लिए है। यदि इन भागों को स्थानान्तरित न किया जाता तो एफ० पी० डी० आई० एल० के पास कोई कार्य न होता। इंजीनियरिंग इन्डिया लिमिटेड की भांति ही जैसे कि उनके अधिकारी देश-भर में तथा देश से बाहर भी कार्य प्राप्ति के उद्देश्य से फैले हुए हैं, आवश्यक रूप से कार्य को चलाने में सुगमता के लिए कुछ इंजीनीयर बड़ौदा भेजे गये हैं।

अब जैसा कि मैंने अपने उत्तर के मुख्य भाग में कहा है जहां तक अनुसंधान प्रभाग का सम्बन्ध है, ऐसा महसूस किया गया कि अनुसंधान तथा विकास प्रभाग के लिए एक प्रमुख संगठन की व्यवस्था की जानी चाहिये। यह योजना आयोग के एक सुझाव के आधार पर ही किया गया था। अध्ययन दल ने इसका अध्ययन कर लिया है तथा हाल ही में 6 फरवरी, 1982 को अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी है। इस मामले पर विचार किया जा रहा है। अभी तक हम अनुसंधान एवं विकास प्रभाग को सिंधरी से हटाने या उसे स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे हैं। जैसा कि मैंने अपने मुख्य उत्तर में कहा है, प्रमुख संगठन की दिल्ली में स्थापना होने के बाद भी सिन्धरी में अनुसंधान एवं विकास संगठन कार्य करता रहेगा।

श्री ए० के० राय : सभा की सूचनार्थ मैं यह उद्देश्य बता दूं कि थाल और हाजिय परियोजनाओं के लिए एफ० आई० डी० ओ० द्वारा ऐसा काम किया जाना है जिसका कार्यालय कोचीन में है।

माननीय मंत्री ने यह भी कहा है कि उर्वरक प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की प्रक्रिया में कोई विलम्ब करने का प्रस्ताव नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से विश्वास करता हूं कि उर्वरक प्रौद्योगिकी में भारत अपने उर्वरक संपन्न स्थापित करने की स्थिति में है परन्तु इस मामले में भी हम पीछे हैं। हम वास्तव में पीछे जा रहे हैं। पहले एफ० पी० डी० आई० एल० उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए मुख्य ठेकेदार था जैसा कि रामागुन्डम, तालेचर, सिन्धरी आधुनिकीकरण संयंत्र कोचीन तथा दुर्गापुर के मामले में हुआ। परन्तु अब यह उप ठेकेदार बन गया है। हम विदेशी विमर्श तथा विदेशी सहयोग के पीछे दौड़ रहे हैं। हम आत्मनिर्भरता के अपने सिद्धान्त को छोड़ रहे हैं। इसके संदर्भ में मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या वह इस सम्बन्ध में सभा को आश्वासन देंगे कि भविष्य में सभी उर्वरक संयंत्रों की स्थापना में विदेशी सहयोग के लिए दौड़ने से पहले एफ० डी० पी० आई० एल० तथा राष्ट्रीय उर्वरक संस्थान से विमर्श किया जायेगा तथा उन्ही को यह कार्य सौंपा जायेगा ताकि हम देश में शत प्रतिशत भारतीय जानकारी के आधार पर पूर्ण रूप से स्वदेशी उर्वरक संयंत्र स्थापित कर सकें।

श्री पी० शिवशंकर : मेरे लिए जिस ढंग से माननीय सदस्य ने कहा है वैसा आश्वासन देना सम्भव नहीं होगा। परन्तु वास्वविकता यह है कि सरकार की देश के राष्ट्रीय संगठनों को सर्वाधिक उत्साहित करने की नीति रही है परन्तु मध्यम स्तर पर मानकर भी हमें प्रौद्योगिकी बाहर से ही मंगानी पड़ती है जिससे अधिक अच्छे उपकरण प्राप्त किये जा सकें। जहां तक इस पहलू का सम्बन्ध है सरकार इसमें कभी पीछे नहीं रही। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है परन्तु मैं निश्चित रूप से इस बात का तथा माननीय सदस्यों की भावनाओं का ध्यान रखूंगा कि हमें विमर्श कार्य पहले अपने राष्ट्रीय संगठनों को देना चाहिए। और यह हमारी नीति भी रही है।

श्री गुलाम रसूल कोचक : सरकार ने उर्वरकों के अधिकतम उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयत्न किये हैं। अब इस क्षण की मांग यह है कि उर्वरकों के मूल्य नीचे लाये जायें ताकि इससे गरीब जनता तथा गरीब किसानों को आर्थिक राहत मिल सके। गरीब जनता तथा गरीब किसानों को राहत पहुंचाने के सम्बन्ध में सरकार क्या करने का विचार रखती है ?

श्री पी० शिवशंकर : यद्यपि यह पूरक प्रश्न पूछे गये प्रश्न से नहीं उठता, परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि सरकार अधिक उत्पादन के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है ताकि अन्ततः उर्वरकों के मूल्य कम हो सके।

श्री नारायण चौबे : हल्दिया में एक सरकारी उर्वरक संयंत्र है। इसका निर्माण चार वर्ष पहले हुआ था। वहां पर हजारों कर्मचारी कार्यरत हैं तथा वहां से अपनी तनख्वाह आदि ले रहे हैं। परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि यह संयंत्र उत्पादन कब तक शुरू करेगा ?

श्री पी० शिवशंकर : हम एफ० पी० डी० एल० से सम्बन्धित प्रश्न से बहुत आगे बढ़ गये हैं। परन्तु मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि हम उत्पादन बढ़ाते जायेंगे।

कुतुब दुर्घटना संबंधी चन्द्रा जांच आयोग की रिपोर्ट

*22. **श्री के० ए० राजन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के प्राधिकारियों ने कुतुब दुर्घटना (दिल्ली) संबंधी चन्द्रा आयोग को रिपोर्ट के उस अंश का अध्ययन कर लिया है जिसमें बिजली के फेल होने का उल्लेख है ताकि उसमें दिए गए सुझावों को लागू किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने में उसे कितना समय लगेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिल्ली के प्रशासक को प्रस्तुत कर दी है तथा दिल्ली प्रशासन द्वारा इस रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

श्री के० ए० राजन् : मुझे खेद है कि इस मामले में केवल सामान्य से भी उत्तर ही दिया गया है।

यह दुर्घटना जैसा कि आपको पता है दिसम्बर में हुई थी जिसमें लगभग 45 व्यक्ति मारे गये थे जिनमें बच्चे भी शामिल थे तथा संसद व देश भर में काफी शोर उठा था। इस दुर्घटना से देश भर में लोगों के दिलों में गहरी चिन्ता उत्पन्न हुई थी। अत: घटना के कारणों तथा घटना की जांच के लिए एक आयोग बिठाया गया था। यदि मैं ठीक हूं तो आयोग ने अपनी रिपोर्ट काफी पहले 6 जनवरी को प्रस्तुत कर दी थी।

अत: मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि इस प्रकार के गम्भीर मामले में कार्यवाही करने में भी इतनी देर क्यों हुई जिसने देश भर के लोगों में इतनी चिन्ता पैदा कर दी।

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : जांच आयोग की रिपोर्ट प्रकाश में नहीं लाई गई है। जब तक रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में सभा पटल पर नहीं रखा जाता तब तक रिपोर्ट प्रकाश में नहीं आयेगी।

हमें न तो रिपोर्ट के विषय वस्तु का और न ही उसमें की गई सिफारिशों का पता है।

दिल्ली प्रशासन के मुख्य सचिव ने जिसके साथ ऊर्जा मंत्रालय के सचिव ने बातचीत की इस बात की पुष्टि की है कि जांच आयोग की रिपोर्ट तभी प्रकाश में लायी जा सकती है जब उसकी प्रतियां संसद के दोनों सदनों के सभा पटलों पर रख दी गई हों।

(व्यवधान)

मैं इससे अधिक सूचना देने में असमर्थ हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : रिपोर्ट को सभा पटल पर क्यों नहीं रखा जाता ?

श्री विक्रम महाजन : मैं इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं । नहीं ।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने में क्या रुकावट है ?

श्री विक्रम महाजन : मैं पहले केवल प्रश्न के इस भाग का उत्तर दे रहा था लेकिन माननीय सदस्यों ने इसे बाद का विषय बना लिया और इसमें बाधा डाली ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न गृह मन्त्रालय से पूछा जाना चाहिए था ।

अत: मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह यह प्रश्न गृह मंत्रालय से पूछें ।

तभी रिपोर्ट को सभा पटल पर रखना संभव होगा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या रिपोर्ट को सभा पटल पर रखना आपकी जिम्मेदारी नहीं है ? क्या ऊर्जा मंत्रालय रिपोर्ट को सभा पटल पर नही रख सकता ?

श्री विक्रम महाजन : आप यह अच्छी तरह से जानते हैं कि दिल्ली प्रशासन गृह मंत्रालय के अधीन है ।

अत: यह प्रश्न गृह मंत्रालय से पूछा जाना चाहिए था ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति ।

श्री नारायण चौबे : ऐसी बात है तो मुझे आश्चर्य ही रहा है कि आपने प्रश्न की अनुमति कैसे दी है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, यह कमेटी या कमीशन बनाने का ऐलान सदन में होता है । अगर इस कमीशन की रिपोर्ट आ गई है, तो वह टेबल पर क्यों नहीं रखी जा रही है ? मिनिस्ट्रियों के झगड़े से सदन को कोई मतलब नहीं है । आप लड़ाई करते रहिए, लेकिन रिपोर्ट सदन के सामने आनी चाहिए ।

श्री विक्रम महाजन : श्री वाजपेयी सभा के एक वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं । श्री वाजपेयी जी अच्छी तरह जानते हैं कि गृह मंत्रालय दिल्ली प्रशासन के कार्यों से संबंध रखता है । मुझे इस तथ्य का विशेष रूप से उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है । यह ऐसी जानकारी नहीं है जो मुझे आपके ध्यान में लानी चाहिये ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : आप पहले से ही इस प्रश्न के लिए तैयार क्यों नहीं थे । और आरम्भ में ही आपने यह स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जब प्रश्न गृह मंत्रालय से ही पूछा गया है तो गृह मंत्रालय का यह कर्त्तव्य है कि वह आपको स्पष्ट रूप से बताता कि गृह मंत्रालय स्वयं इस प्रश्न पर कार्यवाही करेगा तथा इस प्रश्न का उत्तर देगा ।

इसके विपरीत, यदि प्रश्न उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता तो गृह मंत्रालय को यह स्पष्ट करना चाहिए था कि प्रश्न उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है।

स्थिति को स्पष्ट रूप से जाने बिना, आपने इस प्रश्न की अनुमति कैसे दी ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न ऊर्जा मन्त्री से पूछा गया था। यह प्रश्न विशेषरूप से बिजली फेल होने के बारे में समिति के निष्कर्षों के संदर्भ में ऊर्जा मन्त्री से पूछा गया है।

मेरे विचार में यह प्रश्न गृह मंत्रालय से पूछा गया होता तो अधिक अच्छा होता।

श्री जगदीश टाइटलर : चन्द्रा जांच आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं किया गया है। मंत्री महोदय ने ऐसा ही कहा है, लेकिन उस आयोग ने कोई सिफारिश भी की है। आयोग की इस सिफारिश को अमल में लाना होगा। सिफारिश को क्रियान्वित करना किसकी जिम्मेदारी है ? मान लीजिए, इस सुझाव को क्रियान्वित नहीं किया जाता। यदि देश के किसी दूसरे भाग में इस तरह की घटना होती है तो अपराधियों को खोज निकालना कैसे संभव होगा ?

मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय कृपया इस प्रश्न का उत्तर दें।

इस घटना के कारण बहुत से मासूम बच्चों की जान चली गयी। देश का हर व्यक्ति इससे चिन्तित है।

अतः मंत्री महोदय का यह कर्त्तव्य है कि वह देखें कि कम से कम जांच आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाता है। यही मेरा सुझाव है।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मैं सिफारिशों के बारे में नहीं जानता। सदन को विश्वास दिलाता हूं कि यदि सिफारिशों को अमल में लाना संभव होगा तो उन्हें अमल में लाया जायेगा।

कुछ माननीय सदस्य : कैसे ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को अभी तक सिफारिश की कोई जानकारी नहीं है।

श्री सतीश अग्रवाल : मुझे आश्चर्य है कि सिफारिशों को जाने बिना मन्त्री महोदय ने सभा को यह आश्वासन कैसे दे दिया है कि सिफारिश को अमल में लाया जायेगा।

प्रो० मधु दंडवते : मन्त्री महोदय को सिफारिश के बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर मन्त्री महोदय ने यह आश्वासन कैसे दे दिया कि सिफारिश को अमल में लाया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय ने यह कहा है कि जब उनको सिफारिश का पता चल जायेगा तब वह उसे अमल में लायेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : जो भी सिफारिश हो।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मैंने कहा है कि यदि ऐसा संभव होगा ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या चन्द्र आयोग द्वारा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया गया था और यदि हां तो क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाये हैं कि भविष्य में इस तरह से बिजली नहीं जायेगी। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आयोग के समक्ष दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया।

प्रो० मधु दंडवते : वह सिर्फ यही जानते हैं कि यह घटना हुई है।

श्री विक्रम महाजन : जहां तक दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की जिम्मेदारी का सवाल है, हमने स्वयं भी एक समिति बनाई थी जिसका आयोग से कोई सम्बन्ध नहीं था। हमें जो उनकी रिपोर्ट मिली है उससे पता चला है कि इस दुर्घटना के दौरान, एक दुखात:.....

अध्यक्ष महोदय : आप उनके प्रश्न का उत्तर दीजिए।

श्री विक्रम महाजन : महोदय, मैं इसी का उत्तर दे रहा हूं। जहां तक हमारे द्वारा नियुक्त की गई जांच समिति से प्राप्त रिपोर्ट का संबंध है, उसमें कहा गया है कि उस समय बिजली गुल नहीं हुई थी। जहां तक इस प्रश्न का संबंध है कि आयोग के समक्ष दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया इसके लिए मुझे नोटिस दिया जाये तो मैं इसकी पूरी जानकारी दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : वह सदन में यह सूचना देंगे कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जब सभा पटल पर रिपोर्ट रखने का प्रश्न उठाया गया था तो मन्त्री महोदय ने कहा कि गृह मन्त्रालय का ही दिल्ली प्रशासन से सम्बन्ध है। लेकिन दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान सीधे ऊर्जा मन्त्रालय के अधीन आता है।

श्री विक्रम महाजन : यह गृह मन्त्रालय के अधीन है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : ऊर्जा भी गृह मन्त्रालय के अधीन है।

श्री विक्रम महाजन : दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान गृह मन्त्रालय के अधीन है। मैं यही कह रहा हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या हम यह समझें कि ऊर्जा मन्त्रालय के पास कुतुब की दुर्घटना के समय बिजली फेल होने के बारे में कोई सूचना नहीं है।

श्री विक्रम महाजन : उस भाग का उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं। हमने एक अपनी जांच समिति नियुक्त की थी और रिपोर्ट में कहा गया है कि दुर्घटना के समय बिजली फेल नहीं हुई थी (व्यवधान)। हमने दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को एक पृथक जांच करने के लिये कहा था...(व्यवधान)। कृपया सुनिये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कृपया मन्त्री को उस रिपोर्ट की प्रति सभा पटल पर रखने के लिये कहें।

श्री विक्रम महाजन : कौन-सी रिपोर्ट ? वाजपेयी जी, उत्तेजित होने से पहले मेरी बात सुनिये। यह एक बहुत बड़ी और गम्भीर दुर्घटना थी और मृत व्यक्तियों के परिवारों से हमें सहानुभूति है। यह एक प्रश्न है, जहां तक जिम्मेदारी का सम्बन्ध है, जैसे कि मैंने पहले कहा, इसके बारे में दो भिन्न भिन्न प्रतिवेदन हैं, एक दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का और दूसरा दिल्ली प्रशासन का, जिस रिपोर्ट का हवाला मन्त्री महोदय दे रहे हैं अथवा जिसका जिक्र प्रश्न में है, वह दिल्ली प्रशासन की है। जो कुछ मैं कह रहा हूं, वह यह है कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने भी एक स्वतंत्र जांच समिति नियुक्त की थी और जांच समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि दुर्घटना के दौरान बिजली फेल नहीं हुई, यह एक पहलू है। जहां तक दिल्ली प्रशासन के प्रतिवेदन का सम्बन्ध है—दिल्ली प्रशासन द्वारा नियुक्त जांच आयोग की रिपोर्ट—जैसे कि मन्त्री ने कहा है, वह रिपोर्ट दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है और उस रिपोर्ट को गृह मन्त्रालय द्वारा सभा पटल पर रखा जाना है।

अध्यक्ष महोदय : आप इनके प्रश्न का उत्तर भी दीजिये, भविष्य में बिजली फेल न हो इसके लिए क्या-क्या कदम उठाये जायेंगे···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की रिपोर्ट देखना चाहेगी। गृह मन्त्री ने दुर्घटना के समय जो बातें कही हैं, वे परस्पर विरोधी हैं·····

अध्यक्ष महोदय : वह समिति की रिपोर्ट में आयेगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाये—मैं दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की रिपोर्ट चाहता हूं।

श्री विक्रम महाजन : उसे सभा पटल पर रखा जायेगा; ऊर्जा मन्त्रालय रखे अथवा गृह मन्त्रालय, इसे सभा पटल पर रखा जायेगा।

श्री बापूसाहेब परुलेकर : हमें आपका संरक्षण चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात पर आ रहा हूं।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : क्या रिपोर्टें दो किस्म की होंगी ?

अध्यक्ष महोदय : एक विभागीय जांच है और दूसरी न्यायिक जांच है। **श्री भगत**।

श्री एच० के० एल० भगत : चन्द्र आयोग का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जाना चाहिये। हम सभी ऐसा अनुभव करते हैं।

मैं मन्त्री महोदय से पूर्णतः सहमत हूं कि यह गृह मन्त्री की जिम्मेवारी थी। मैं उनसे एक बात जानना चाहता हूं। मुझे खेद है कि मुझे यह प्रश्न उठाना पड़ रहा है। इनके पास ऊर्जा मन्त्रालय का प्रभार है। 1½ वर्षों से दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के महाप्रबन्धक की नियुक्ति नहीं हुई है। क्या मैं उनसे पूछ सकता हूं कि नियुक्ति कब तक होगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न कैसे उठता है ?

श्री एच० के० एल० भगत : यदि आप मुझे यह प्रश्न उठाने दें।

अध्यक्ष महोदय : श्री परुलेकर।

श्री बापूसाहेब परुलेकर : हमें मन्त्री ने बताया है कि रिपोर्ट को सभा पटल पर रखना गृह मन्त्रालय का काम है। क्या मैं उनके मन्त्रालय से सम्बन्धित प्रश्न की ओर उनका ध्यान दिला सकता हूं ? प्रश्न से भाग (क) में कहा गया है :

"क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के प्राधिकारियों ने कुतुब दुर्घटना (दिल्ली) सम्बन्धी चन्द्रा आयोग की रिपोर्ट के उस अंश का अध्ययन कर लिया है जिसमें बिजली के फेल होने का उल्लेख है..."

अध्यक्ष महोदय : वह पहले ही कह चुके हैं कि यह बात इनके नोटिस में नहीं आयी है। उन्हें अभी तक उस बात की जानकारी नहीं है।

राष्ट्रीय कृत बैंकों द्वारा छोटे समाचारपत्रों को सामग्री खरीदने के लिए ओवरड्राफ्ट दिया जाना

*23. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय-लघु समाचारपत्र सम्पादक सम्मेलन ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटे समाचार पत्रों को सामग्री खरीदने के लिए 25,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट दिए जाने की व्यवस्था की जाये;

(ख) क्या सरकार से यह भी अनुरोध किया गया है कि जिला डी० ए० वी० पी० केन्द्रों द्वारा सरकारी समाचार दिए जायें, समूचे देश में जिला सूचना केन्द्र स्थापित किये जायें और संवाददाताओं को निःशुल्क जोनल पास दिये जायें; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त मांगों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री संतोष मोहन देव : हम बिजली के विषय से प्रचार के विषय पर आये हैं। हमारे जैसे बड़े देश में, लोगों को कष्टों और परेशानियों को सरकार जनता के प्रतिनिधियों और राष्ट्र के सामने रखने में छोटे समाचार पत्र बहुत बड़ा योगदान देते हैं।

दुर्भाग्यवश मन्त्री महोदय को इस बात की पूरी जानकारी नहीं है कि अखिल भारतीय छोटे समाचार पत्र सम्पादकों ने जनवरी के मास में दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन किया था

और मन्त्रालय को एक ज्ञापन दिया है जिसमें अनुरोध किया गया है कि प्रत्येक छोटे समाचार पत्र को 25,000 रुपये का ऋण दिया जाये और दृश्य-श्रव्य प्रचार निदेशालय को उन समाचार पत्रों को जिला स्तर पर विज्ञापन जारी करने के लिए अधिकृत किया जाये। छोटे समाचार पत्रों के लिये दिल्ली आकर दृश्य-श्रव्य निदेशालय को खुश करके विज्ञापन प्राप्त करना बहुत कठिन है। मन्त्री महोदय ने भी पूर्वोत्तर क्षेत्र के पत्रकारों के साथ भेंट के समय कहा था कि उन्हें छोटे समाचार पत्रों की कठिनाईयों की पूरी जानकारी है और यह कि वह छोटे समाचार पत्रों को अखबारी कागज उपलब्ध करने के लिए सहकारी समितियों के गठन हेतु प्रोत्साहन देने जा रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या मैं मन्त्री महोदय से यह कहने का अनुरोध कर सकता हूँ कि सरकार का उन समाचार पत्रों को सहायता देने के बारे में क्या विचार है जो जन भावनाओं को सरकार तथा प्रतिनिधियों तक पहुँचाने के लिए एक बडी भूमिका निभा रहे हैं। यह मेरा पहला प्रश्न है।

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसंत साठे) : दुर्भाग्यवश मेरे माननीय मित्र द्वारा प्रकट विचार तथा पूछे गए प्रश्न के बीच काफी अन्तर है। उनका विशेष प्रश्न था :

"क्या यह सत्य है कि अखिल भारतीय लघु समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटे समाचार पत्रों को सामग्री खरीदने के लिये 25 000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट दिये जाने की व्यवस्था की जाये।"

महोदय, उनकी ओर से ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को सूचित करता हूं कि अन्य संगठनों ने इस बारे में वित्त मन्त्री को एक अभ्यावेदन दिया था। उन्हें बताया गया कि छोटे समाचार पत्रों को बैंकों से वित्त प्राप्त करने तथा अन्य बातों के लिए छोटे उद्योगों की तरह ही माना जायेगा उन्हें यह सुविधा प्रदान की गई लेकिन ओवरड्राफ्ट की सुविधाएं देने के बारे में कोई भी विशेष अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। अतः प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। इसी कारण मैंने वह उत्तर दिया है। छोटे समाचार पत्रों को सहायता देने के सम्बन्ध में, हमने कई कदम उठाये हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में मैंने छोटे समाचार पत्रों को विशेष तौर पर यह आश्वासन दिया है कि हम गोहाटी में एक डिपो खोलेंगे, जिसे हम खोल भी चुके हैं, जहां से वे थोड़ी मात्रा में अपनी जरूरत के अनुसार अखबारी कागज प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि वे हमें बतायें कि उन्हें कितनी जरूरत है और वे सम्बन्धित सरकार से तत्सम्बन्धी व्यवस्था कर सकें। अतः हम ये कदम उठा रहे हैं और छोटे समाचार पत्रों को सहायता न देने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री संतोष मोहन देव : पुडिंग की परीक्षा खाने से ही होती है। उस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मैं मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूं कि पिछले वर्ष छोटे समाचार पत्रों को बड़े समाचार पत्रों की तुलना में कितने प्रतिशत विज्ञापन दिये गये।

श्री वसंत साठे : इसके लिये मुझे एक पृथक नोटिस चाहिए क्योंकि प्रतिशत का प्रश्न वर्तमान प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। लेकिन हम छोटे तथा मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों को दिये जाने वाले विज्ञापनों की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं लेकिन दृश्य-श्रव्य निदेशालय को परिचालन के मापदंड को बनाये रखना पड़ता है। आप विज्ञापन किसलिए देते हैं ? इसे दान के रूप में नहीं किया जा सकता। हमें परिचालन मापदंड को बनाये रखना होता है लेकिन हमारा प्रयास छोटे समाचार पत्रों की सहायता करने का है।

श्री जेवियर अराकल : मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र की ओर जा रहा हूं। केरल समाचार पत्र संघ ने सरकार को एक अभ्यावेदन दिया है और निम्नलिखित प्रश्नों पर एक अभ्यावेदन दिया है :

(1) छोटे तथा मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों के बुनियादी ठेका दरों में, एकक उत्पादन लागत के अनुरूप नये मापदंड लागू करके वृद्धि करना—

(2) छोटे तथा मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों को अधिक मात्रा में दृश्य-श्रव्य प्रचार निदेशालय के विज्ञापन दिया जाना—

(3) सरकारी उक्रमों तथा निगमों को छोटे तथा मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों को अनिवार्य रूप से विज्ञापन देने के लिए बाध्य करना—

(4) छोटे तथा मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों को कम ब्याज दर पर कार्यचालन पूंजी उपलब्ध करना। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इन बातों पर क्या कार्यवाही कर रही है।

श्री वसंत साठे : बाद के प्रश्न के बारे में वित्त मंत्रालय तथा रिजर्व बैंक छोटे समाचार पत्रों को, छोटे उद्योगों की तरह ही वित्तीय सहायता देने के लिए सहमत हो गये हैं। जहां तक अखबारी कागज के आवंटन का सम्बन्ध है, हम पहले ही डिपो खोल चुके हैं। अभी तक छोटे समाचार पत्रों की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उन्हें खुले रूप में अखबारी कागज नहीं मिलता था। इसके अतिरिक्त उन्हें थोड़ी-थोड़ी मात्रा में अखबारी कागज लेने के लिए बम्बई, मद्रास अथवा अन्य बड़े-बड़े केन्द्रों को जाना पड़ता था। अतः हमने क्षेत्रीय डिपो खोले हैं। छोटे समाचार पत्रों की सहायता के लिए यह हमारा एक दूसरा बड़ा कदम है। जहां तक विज्ञापनों का सम्बन्ध है, मैं इसके लिए अपनाये जाने वाले मापदंड का जिक्र कर ही चुका हूं। उस मामले में भी हम ध्यान रखेंगे कि छोटे समाचार पत्रों को विज्ञापन मिलें। मेरी इच्छा है कि छोटे समाचार पत्रों को विज्ञापन मिलें।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : छोटे समाचार पत्रों, विशेषकर क्षेत्रीय दैनिक तथा साप्ताहिक समाचार पत्रों को दृश्य-श्रव्य प्रचार निदेशालय तथा अन्य संस्थाओं से पर्याप्त विज्ञापन नहीं मिलते। इस बात को ध्यान में रखते हुये मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उनका मंत्रालय रियायती दरों पर क्षेत्रीय दैनिक तथा साप्ताहिक समाचार पत्रों को अखबारी कागज सप्लायी करेगा ?

श्री वसंत साठे : रियायती दरों पर अखबारी कागज सप्लाई करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। जहां तक भाषायी समाचार पत्रों का सम्बन्ध है, हमने सबसे बड़ी सुविधा जो दी है, वह यह है कि हमने उन्हें विज्ञापन दर बढ़ाकर अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के बराबर करने की अनुमति दे दी है। क्षेत्रीय भाषा समाचार पत्रों को दी जाने वाली यह हमारी सबसे बड़ी सहायता है।

बंगल में भारी जल संयंत्र का बन्द होना

*24. **प्रो० अजित कुमार मेहता :**

श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नांगल में भारी जल संयंत्र के बन्द होने के कारण राष्ट्रीय उर्वरक लि० को भारी नुकसान हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और राष्ट्रीय उर्वरक लि० को आज तक वित्तीय तथा भारी जल के उत्पादन में कितना नुकसान उठाना पड़ा है और भारी जल का प्रयोग करने वाले परमाणु विद्युत संयंत्रों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नंगल संयत्र में भारी जल के उत्पादन में हानि, सितम्बर, 1981 के मध्य से संयंत्र में बिजली कटौती लागू करने के कारण हुई है। 6-9-81 से 3-1-1982 तक की अवधि के दौरान भारी जल के उत्पादन में 4528 कि० ग्रा० की अनुमानित हानि हुई है। जिसका मूल्य लगभग 72.45 लाख रु० है।

चूंकि इस समय देश में जो भारी जल का उत्पादन हो रहा है वह देश की वर्तमान और परिकल्पित परमाणु बिजली कार्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, अतः नंगल में भारी जल के उत्पादन में कमी होने से परमाणु बिजली कार्यक्रम पर प्रभाव पड़ेगा।

प्रो० अजित कुमार मेहता : अध्यक्ष जी, मैं समझ नहीं पाता हूं—जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसके सम्बन्ध में सारी सूचना सरकार क्यों नहीं देना चाहती है। आप देखें—मैंने प्रश्न पूछा—यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड को आज तक वित्तीय तथा भारी जल के उत्पादन में कितना नुकसान उठाना पड़ा है।

मैंने कुल आर्थिक हानि के बारे में पूछा था लेकिन जवाब में हैवी-वाटर के उत्पादन न होने के कारण जो हानि होगी केवल उसकी कीमत दी गई है। मेरी सूचना के अनुसार···

अध्यक्ष महोदय : आप सूचना मत दीजिये, पहले पूछिये कि कितना नुकसान हुआ है।

प्रो० अजित कुमार मेहता : 20 जनवरी तक 6 करोड़ रुपये की हानि हो चुकी है। अगर पूरी हानि को जोड़ें अर्थात फर्टिलाइजर के उत्पादन में जो कमी आई है उसको भी लें तो हानि करीब-करीब 11 करोड़ रुपये के लगभग होगी। आप हैवी-वाटर के लिए चारों तरफ हाथ पसार कर चलते हैं लेकिन हमारे यहां के उत्पादन में जो कमी हुई है उस पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं हमारे यहां जितने हैवी वाटर की जरूरत है उसमें कितना बाहर से इम्पोर्ट किया है या इम्पोर्ट करने का प्रयास किया है ? इसके साथ यह भी बतलायें कि इम्पोर्ट पर अब तक कितना खर्च आया है तथा···

अध्यक्ष महोदय : एक ही सवाल में सब पूछ रहे हैं, इस तरह से तो आपके सवाल का ठोसपन खत्म हो गया है। दूसरा सवाल बाद में पूछ लीजियेगा।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य यह अनुभव करते हैं कि मैंने उनके द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

प्रश्न यह पूछा गया था कि क्या भारी जल संयंत्र के बन्द हो जाने से उनको भारी हानि हो रही है। क्या भारी जल संयंत्र के बन्द होने के कारण कोई हानि हुई है ? यही प्रश्न पूछा गया था। और भाग (ख) में उन हानियों का विवरण दिया गया है। इसीलिए यह कहकर मैंने उसका उत्तर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : नांगल संयंत्र को हुई वित्तीय हानि।

प्रो० अजित कुमार मेहता : राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड को आज तक वित्तीय तथा भारी जल के उत्पादन में हुई हानि। कृपया मेरे प्रश्न को पढ़िये।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का अर्थ गलत लगाया गया है।

श्री पी० शिवशंकर : निस्संदेह आपने राष्ट्रीय उर्वरक लि० को हुई हानि के बारे में पूछा है। परन्तु आपने भाग (ख) में भी भारी जल के उत्पादन में हुई हानि के बारे में पूछा है। आप इसके उस भाग को भूल रहे हैं। इसीलिए मुझे वैसा उत्तर देना पड़ा। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रश्न के आयाम को समझा गया है।

प्रो० अजित कुमार मेहता : आप तकनीकी बातों का लाभ उठा रहे हैं।

श्री पी० शिवशंकर : नहीं, नहीं। मैं यह लाभ नहीं उठा रहा हूं। अब मैं विधि मन्त्रालय में नहीं हूं जो इन तकनीकी बातों का लाभ उठाऊं।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्होंने यह स्वीकार किया है कि वह विधि मन्त्रालय में ऐसा करते रहे हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : आपका यह मन्त्रालय भी बहुत तकनीकी मन्त्रालय है। आप बड़े आराम से यह सब कर सकते हैं।

श्री पी० शिवशंकर : अर्थ लगाने के मामले में विधि मन्त्रालय एक बड़ा ही तकनीकी मन्त्रालय है। मेरे माननीय मित्र, जो प्रसिद्ध अधिवक्ता यहां बैठे हैं, वे मुझसे सहमत होंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह इन्होंने लायर्स वाली बात तो नहीं कर दी ?

श्री पी० शिवशंकर : मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि वे मुझसे सहयोग करें। यदि मैं सहयोग मांगता हूं तो इसमें क्या बुराई है। मैंने यही कहकर बात शुरू की थी। मैंने संयन्त्र के बन्द रहने की हालत में हुई हानि के ही आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। अब मेरे माननीय मित्र ने भारी पानी के आयात और उसके वित्तीय प्रभाव के बारे में प्रश्न पूछा है। मुझे खेद है कि इसके लिए अलग से प्रश्न पूछने की आवश्यकता है, क्योंकि इस प्रश्न का सम्बन्ध परमाणु ऊर्जा मन्त्रालय से है और मुझे इससे कुछ लेना-देना नहीं है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह अलग से प्रश्न पूछें जिससे उन्हें उत्तर दिया जा सके।

प्रो० अजित कुमार मेहता : अध्यक्ष जी, इन्होंने जवाब में कहा है कि :

"नांगल में भारी जल के उत्पादन में कमी होने से परमाणु बिजली कार्यक्रम पर प्रभाव पड़ेगा।"

निश्चित रूप से, हमारे देश में एनर्जी के उत्पादन में कमी है और हेवी वाटर के उत्पादन में कमी होने के कारण एनर्जी के उत्पादन में कमी हो रही है। फिर काहे को ऐसा नहीं किया जाता है कि कम से कम हेवी वाटर के उत्पादन को जारी रखें जिससे हमारा एटोमिक पावर का प्रोग्राम सफर नहीं करे और एनर्जी का उत्पादन पूरा हो।

हमारे पास फिगर्स हैं जो 170 टन फर्टिलाइजर का प्लांट है उसके उत्पादन के लिए 20 किलोग्राम हैवी वाटर चाहिए और उसके उत्पादन के लिए 98 मेघावाट एनर्जी की आवश्यकता है जो कि अभी 40 मेगावाट सप्लाई हो रही है। अगर वहां 55 मेघावाट सप्लाई हो तो कम से कम 22 किलोग्राम हेवी वाटर का उत्पादन हो सकता है।

साथ ही साथ इसमें एक खतरा और निहित है। अगर हैवी वाटर का प्लांट बन्द हो जाता है तो उसको फिर से स्टार्ट करने में 10-12 दिन का समय लग जाता है। जबकि हैवी प्लांट रि स्टार्ट किया जाता है तो उसमें एक अस्थायी हानि और हो जाती है। हाइड्रोजन के खतरे की संभावना हो जाती है। तो हम यह जानना चाहते हैं कि उसको रि स्टार्ट करने में जो खतरा है, उसकी संभावना को कम करने के कौन-से स्टेप उठायेंगे। दूसरे अगर 18 मेगावाट पावर जेनरेशन और सप्लाई कर दे तो कम से कम 22 किलोग्राम और हैवी वाटर का उत्पादन हो सकता है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? उसकी कमी को आप कैसे पूरा करना चाहते हैं?

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब का सवाल तो हैवी वाटर के किलोग्राम के चक्कर में बह गया।

श्री पी० शिवशंकर : महोदय, मैं माननीय सदस्य के इस सुझाव से सहमत हूं कि भारी जल का उत्पादन बढ़ाना चाहिये। माननीय सदस्य भारी जल के लिए बिजली की वर्तमान सप्लाई स्थिति का उल्लेख कर रहे थे। मैं सदन को एक बात बता देना चाहता हूँ कि आज भी वहां बिजली की सप्लाई 45 मेगावाट और 60 मेगावाट के बीच में होती है और इसमें कोई शक नहीं है कि उत्पादन फिर भी थोड़ा है। यदि आंकड़े देने ही हैं तो मैं कहूंगा कि इससे पता चलता है कि उत्पादन कुछ कम हुआ बाज मर्तबा 26 तक गया है, बाज दफा 35 तक गया है। इस वक्त जो पोजिशन है वह 45 और 60 मेगावाट के बीच में मिलती है। जहां तक हैवी वाटर प्लांट का सवाल है।

जहां तक क्षमता का सम्बन्ध है, इस संयन्त्र को 14,110 किलोग्राम प्रति वर्ष की क्षमता का बनाया गया था। इसकी बिजली ऊर्जा की खपत 164 मेगावाट थी। मैं भी महसूस करता हूं कि बिजली की कटौती के कारण भारी जल के उत्पादन में कमी होना अवश्यंभावी है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें बहुत समय लग गया है।

(व्यवधान)

श्री पी० शिवशंकर : मेरे विचार से मैं जो कुछ पहले कह चुका हूं, उसमें और कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : हानि का जो आक्कलन प्रेस ने किया है और जो सरकार ने आंकड़े दिये हैं, उसमें भारी अन्तर है। प्रेस का कहना है कि यूरिया और 'केन' उर्वरक में, समेत हुई हानि को मिलाकर कुल हानि लगभग छ: करोड़ हुई है जबकि सरकार का कहना है कि हानि केवल 72·45 लाख रुपये की है जो केवल भारी जल की ही है। जो भी हो, तथ्य यह है कि संयन्त्र प्राय: बन्द होता रहता है और इसके परिणामस्वरूप मशीनरी खराब हो गई है और प्रेस का यह कहना है कि स्थिति बहुत ही खराब है। अत: मैं यह जानना चाहती हूँ कि कब तक फिर से बिजली की सप्लाई सामान्य हो जायेगी और क्या सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि इस संयन्त्र को बिजली की सप्लाई अन्य उपभोक्ताओं पर निर्भर नहीं करेगी। दूसरी बात यह है कि क्या वास्तव में ही मशीनों को नुकसान पहुँचा है और यदि हां तो किस सीमा तक और उसकी मरम्मत के लिए क्या किया जा रहा है ?

श्री पी० शिवशंकर : समाचार-पत्रों में जो भी प्रकाशित हुआ हो, मेरा उत्तर तो केवल भारी जल संयन्त्र के बन्द होने से हुई हानि के बारे में था। ऐसे ही प्रश्न का मैंने यह उत्तर दिया था। उर्वरक संयन्त्र और उसको हुई हानि से प्रश्न का कोई सम्बन्ध नहीं था।

बिजली की अनवरत सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं, इस बारे में जो प्रश्न पूछा गया है, उसके लिए मैं बिजली विभाग से याचना ही कर सकता हूं। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं अपनी ओर से बिजली की अनवरत सप्लाई के लिए बिजली बोर्ड पर दबाव डालता रहा हूं।

देश में मानव चालित टेलीफोन केन्द्रों का बदला जाना

***25. डा० सरदीश राय :** क्या संचार मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1981 के अन्त में मानव चालित टेलीफोन केन्द्रों की राज्यवार संख्या कितनी थी;

(ख) क्या सरकार इन केन्द्रों को स्वचालित बनाने के किसी प्रस्ताव पर बिचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो कब तथा तत्संबंधी ब्योरे क्या हैं; और

(घ) इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

संचार मन्त्रालय में उप-मंत्र (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) देश में 31-3-81 को राज्य वार हस्तचल एक्सचेजों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण अनुबन्ध I में दिया गया है।

(ख) से (घ) सभी स्थानीय हस्तचल एक्सचेजों में बदलने की दिक्कतों पर विचार किया गया है। छठी योजना में इसको लागू करने के लिए स्वचालित टेलीफोन एक्सचेन्ज उपस्कर तथा वित्तीय साधन पर्याप्त नहीं हैं। छठी योजना में ऐसी प्रतिस्थापनाओं का कार्यक्रम उपलब्ध होने वाले साधनों पर आधारित है तथा इसमें राजस्व जिला मुख्यालयों तथा महत्वपूर्ण व्यापारिक

केन्द्रों के स्वचलीकरण को वरीयता दी जाएगी। उन हस्तचल प्रणालियों को भी वरीयता दी जाएगी जिनकी क्षमता 1500 लाइनों से अधिक होगी। 31-3-1981 तक देश में स्वचल लाइन एक्सचेजों का अनुपात बढ़कर कुल का 85% हो गया है। इस तारीख तक 391 जिला मुख्यालयों में से 240 का पहले ही स्वचलीकरण किया जा चुका है।

विवरण

देश में राज्यवार हस्तचल एक्सचेन्जों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण
(31-3-1981 तक)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	हस्तचल एक्सचेन्जों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	129
2.	असम	27
3.	बिहार	65
4.	गुजरात	149
5.	हरियाणा	34
6.	हिमाचल प्रदेश	23
7.	जम्मू और काश्मीर	16
8.	कर्नाटक	132
9.	केरल	35
10.	मध्य प्रदेश	86
11.	महाराष्ट्र	166
12.	मणिपुर	1
13.	मेघालय	3
14.	नागालैंड	2
15.	उड़ीसा	47
16.	पंजाब	57
17.	राजस्थान	119
18.	सिक्किम	2
19.	तमिलनाडु	73
20.	त्रिपुरा	5
21.	उत्तर प्रदेश	121
22.	पश्चिम बंगाल	49
23.	संघ शासित प्रदेश	7
	कुल :	1348

डा० सरदीश राय : विवरण में यह बताया गया है कि स्वचालित दूरभाष केन्द्र उपस्कर और वित्तीय स्रोत पर्याप्त नहीं है, जिससे कि छठी योजना के दौरान सभी हस्तचालित एक्सचेन्जों को स्वचालित स्वरूप दिया जा सके। और इसमें भी प्राथमिकता जिला मुख्यालयों और महत्वपूर्ण व्यवसाय-केन्द्रों को दी जायेगी। कुल 391 जिला मुख्यालयों में से, केवल 249 में ही स्वचालित दूरभाष-केन्द्र हैं। क्या छठी योजना की अवधि में शेष जिला मुख्यालयों में भी स्वचालित दूरभाष-केन्द्र हो जायेंगे ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : उत्तर में विशेष रूप से इस बात का उल्लेख किया गया है कि छठी योजना की अवधि में सबकुछ सम्भव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : हमें यह तो बताइये कि क्या-क्या सम्भव है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : जो कुछ भी सम्भव है वह सब उत्तर में दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ सम्भव है वह तो उत्तर में दिया गया है, परन्तु जो कुछ सम्भव नहीं है उसका इसमें कोई उल्लेख नहीं है।

डा० सरदीश राय : हस्तचालित दूरभाष-केन्द्र भी, फालतू कलपुर्जों की सप्लाई में कमी के कारण, ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इन हस्त-चालित दूरभाष-केन्द्रों को फालतू पुर्जों की सप्लाई के बारे में क्या प्रबन्ध किए गए हैं ? क्या विदेशों से कुछ पुर्जे आयात करने का डाक-तार विभाग का कोई कार्यक्रम है ? यदि हां, तो कितने मूल्य के फालतू पुर्जे विदेशों से आयातित करने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : महोदय, यह बिल्कुल भिन्न प्रश्न है। जहां तक हस्त-चालित दूरभाष-केन्द्रों के फालतू पुर्जों का सम्बन्ध है, आयात का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि हस्तचालित दूरभाष-केन्द्रों का निर्माण हम स्वयं कर रहे हैं और फालतू पुर्जे भी हमीं सप्लाई करेंगे। कार्यवाही की जा रही है और हस्तचालित दूरभाष-केन्द्रों के लिए फालतू पुर्जों की समस्या का वास्तव में समाधान हो गया है तथा फालतू पुर्जों की सप्लाई में कोई कठिनाई नहीं है।

मैं उनके पहले प्रश्न के उत्तर को भी पूरा करना चाहता हूं।

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जैसाकि उत्तर में बताया गया है, हमारे देश में कुल 4,000 दूरभाष-केन्द्र हैं जिनमें से 1340 हस्त-चालित हैं। जिला मुख्यालयों में, 151 अभी भी हस्त-चालित दूरभाष-केन्द्र हैं। हमारी योजना यह है कि छठी योजना के अन्त तक, हम सभी जिला मुख्यालय दूरभाष-केन्द्रों को और उसके साथ-साथ 1500 लाइनों से अधिक के सभी दूरभाष-केन्द्रों को जो जिला मुख्यालयों में नहीं हैं और जिनकी संख्या लगभग 20 है, स्वचालित बना सकेंगे। इस प्रकार लगभग सभी जिला मुख्यालयों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों के दूरभाष केन्द्र स्वचालित बन जायेंगे। जहां इस समय हस्त-चालित दूरभाष-केन्द्र कार्य कर रहे हैं। यह सब कार्य 1985 से पूर्व पूरा हो जायेगा।

डा० सरदीश राय : महोदय, उत्तर इस प्रकार दिया गया है, "छठी योजना में ऐसी आवश्यकताओं का कार्यक्रम उपलब्ध होने वाले साधनों पर आधारित है···तथा इसमें राजस्व जिला मुख्यालयों के स्वचलीकरण को वरीयता दी जायेगी···।"

श्री सी० एम० स्टीफन : मैंने यही कहा है। मैंने तनिक अधिक स्पष्ट रूप से कह दिया था। जिला मुख्यालय के स्तर पर सभी दूरभाष केन्द्रों को स्वचालित कर दिया जायेगा और अन्य स्थानों पर समेट लिए जायेंगे और 1500 से अधिक कनेक्शनों वाले दूरभाष केन्द्रों को स्वचालित बना दिया जायेगा। यही मैंने कहा है।

श्री पी० नामग्याल : महोदय, उत्तर में बताया गया है कि जम्मू और कश्मीर राज्य में 17 हस्तचल दूरभाष केन्द्र कार्यरत हैं। मेरे विचार से इनमें से केवल दो लद्दाख क्षेत्र में अर्थात लेह और कारगिल में ये दोनों जिले समस्त देश में सर्वाधिक संवेदनशील सीमावर्ती जिले हैं और वहां सर्दियों में तापमान शून्य से नीचे 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और आपरेटरों के लिए 24 घन्टे कार्य करना कठिन हो जाता है। व्यावहार्यतः यह सम्भव नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए और जिले की संवेदनशील प्रकृति को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इन दोनों दूरभाष केन्द्रों को प्राथमिकता के आधार पर स्वचालित बनाने पर विचार करेगी ? और यदि हां तो कब तक ?

श्री सी० एम० स्टीफन : महोदय हम न केवल इन दोनों को बदल रहे हैं, परन्तु हम तो शीघ्रातिशीघ्र उस क्षेत्र में कान्टेनराइल्ड इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज लगाने पर विचार कर रहे हैं।

श्री एम० एम० लारेंस : महोदय केरल का इदुक्की चुनाव क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है। क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए सम्बद्ध मन्त्री महोदय इदुक्की मुख्यालय के इस्तचल दूरभाष-केन्द्र को स्वचालित दूरभाष केन्द्र में बदलने का प्रयास करेंगे ?

श्री विजय एन० पाटिल : केरल में स्वचालन 91 प्रतिशत है और इस जिले में भी हो जायेगा।

श्री एम० एम० लारेंस : महोदय इदुक्की एक पिछड़ा जिला है और मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय इस बात का उत्तर दें।

श्री सी० एम० स्टीफन : माननीय सदस्य ने मेरे क्षेत्रके बारे में प्रश्न उठाया है, और जहां तक इस चुनाव क्षेत्र का सम्बन्ध है मैं अभी भी इसमें रुचि लेता हूं। इदुक्की में कुल 34 दूरभाष-केन्द्र हैं, जिसमें से 80 प्रतिशत पहले ही स्वचाचित हैं।

प्रशिक्षित विधायी प्रारूपकारों का अभाव

*26. **श्री बापूसाहिब परुलेकर** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में प्रशिक्षित विधायी प्रारूपकारों का अत्यंत अभाव है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) प्रत्येक वर्ष राज्यों के औसतन 3 से 5 अधिकारियों को विधायी विभाग में विधायी प्रारूपण प्रशिक्षण (2 या 3 को अंग्रेजी में और 1 या 2 को हिंदी में) दिया जाता है। केन्द्र और राज्यों से अधिकारी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए विदेश भी भेजे जा रहे हैं। प्रत्येक वर्ष औसतन लगभग 2 अधिकारी भेजे जाते हैं। विधायी प्रारूपण में प्रशिक्षण दिए जाने के लिए एक संस्थान स्थापित किए जाने के एक प्रस्ताव पर राज्य सरकारों से परामर्श किया जा रहा है।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : यह प्रश्न इसलिए उठता है कि विधेयकों और अधिनियमों के निकृष्ट और अस्पष्ट प्रारूपण पर उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने टिप्पणियां की हैं। इस प्रकार के प्रारूपण का ही यह परिणाम है—गैर-सरकारी विधेयकों के नहीं यह बात मैं निस्संदेह स्वीकार करता हूं—कि हमें असंगत। परस्पर विरोधी निर्णय प्राप्त होते हैं और सरकार यह अनुभव करती है कि न्यायाधीश लोग सरकार की नीति का पालन नहीं कर रहे हैं।

उत्तर में यह बात कही गई है कि हम इस विशिष्ट-क्षेत्र में एक वर्ष में समस्त देश में केवल तीन ही अधिकारियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। अतः अपने प्रश्न के भाग (क) में मैंने मन्त्री महोदय से यह पूछा था कि क्या यह सच है कि उन वरिष्ठ और अनुभवी प्रारूपणकारों की संख्या जो नौसीखिया या कनिष्ठकों को प्रशिक्षित कर सकते हैं, बड़ी तेजी से घट रही है और जो कुछ थोड़े से वरिष्ठ प्रारूपणकार उपलब्ध हैं वे नियमित कार्य में इस प्रकार फंसे हुए हैं कि वे कनिष्ठकों या सहचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए पर्याप्त समय निकालने में असमर्थ हैं, जिसके परिणामस्वरूपप्रारूपण पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है।

मेरे प्रश्न का भाग (ख) इस प्रकार है : क्या जुलाई, 1981 में, गुजरात सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव भेजा है, जिसमें भारत सरकार से यह निवेदन किया गया है कि इस विधिक प्रारूपण के लिए कोई कार्यक्रम या विद्यालय आरंभ किया जाए।

श्री जगन्नाथ कौशल : मेरे माननीय मित्र का कहना है कि कभी-कभी निकृष्ट कोटि के प्रारूपण के कारण न्यायाधीशों को कठिनाई का अनुभव होता है। मेरा अपना अनुभव यह है कि यह होता तो है परन्तु होता बहुत ही कम अवसरों पर है। अन्यथा विधेयक को सही ढंग से प्रारूपित करने में प्रत्येक सावधानी बरती जाती है, परन्तु कमी के कारण अनेकानेक हैं और अच्छे प्रारूपकारों की कमी केवल इस देश में ही अनुभव नहीं की जाती है, इसका प्रभाव तो अन्य देशों में भी अनुभव किया जाता है। (व्यवधान)

मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि ब्रिटेन में एक समिति नियुक्त की गई थी और इस समिति ने निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं ? ये बहुत ही निदेशात्मक हैं। समिति ने अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है :

"विधान के स्वरूप और स्पष्टता में सुधार के मार्ग में प्रारूपकारों की कमी एक मुख्य बाधा है और हम यह सिफारिश करते हैं कि उच्च प्राथमिकता के रूप में अधिकाधिक प्रारूपकारों के चयन और प्रशिक्षण में सभी उपलब्ध तरीकों को उपयोग में लाया जाना चाहिए।"

और उन्होंने इसके लिए जो कारण गिनाये वे बड़े ही मनोरंजक हैं। वे निम्न प्रकार हैं :

"(1) विधायी प्रारूपण में वास्तविक विशेषज्ञता केवल उस क्षेत्र में अनेक वर्षों तक कार्य करने से प्राप्त की जा सकती है।

(2) विधायी प्रारूपण एक श्रम-साध्य व्यवसाय है और इसके लिए उच्च-कोटि की बौद्धिक योग्यता विधि का अच्छा ज्ञान, अच्छी अंग्रेजी लिखने या जैसी भी स्थिति हो, अच्छी हिन्दी लिखने की योग्यता और सतत कठोर परिश्रम करने की असीमित क्षमता की आवश्यकता होती है। जिन लोगों में ये गुण होते हैं वे विधायी प्रारूपण को व्यवसाय के रूप में चुनना आकर्षक नहीं पाते क्योंकि उनके लिए अन्य क्षेत्रों में कहीं अच्छे अवसर होते हैं। जिन लोगों में कुछ सीमा तक ये गुण नहीं होते हैं वे कभी भी अच्छे प्रारूपकार नहीं बन सकते हैं। और इसीलिए अब ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने सदन में बताया है गुजरात सरकार ने एक प्रास्ताव भेजा था। उस प्रस्ताव पर सलाहकार समिति में भी विचार किया गया था और सिद्धान्तरूप में हमने उस संस्थान की स्थापना करना स्वीकार कर लिया था और हमें आशा है कि इस संस्थान से हमें अच्छे प्रारूपकार मिल जायेंगे।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि इस संस्थान की स्थापना कब तक कर दी जायेगी और क्या यह सत्य है कि विधायी-विभाग के एक अधिकारी ने कैनबरा संस्थान के अनुरूप विधायी कार्यक्रम पर एक टिप्पणी तैयार की है और क्या सरकार ने इस पर कोई विचार किया है; यदि हां तो इस विधायी अधिकारी द्वारा तैयार किये गये टिप्पणी पर सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है।

श्री जगन्नाथ कौशल : मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम अब इस दिशा में कार्यरत हैं।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : कैनबरा संस्थान के अनुरूप विधायी अधिकारी ने एक प्रतिवेदन तैयार करके विधि-मन्त्रालय को प्रस्तुत किया है।

सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है, यदि नहीं की है तो, आपका इस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री जगन्नाथ कौशल : मैं पहले ही कह चुका हूं कि इन सभी बातों पर विचार किया गया है और हम एक संस्थान स्थापित करने का प्रयास करेंगे।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : कब ?

श्री जगन्नाथ कौशल : यथाशीघ्र। हम उस मामले में कोई आश्वासन नहीं देंगे। जैसा कि मेरा कहना है, इस मामले पर विभिन्न राज्यों में विचार किया जायेगा और हम एक उपयुक्त संस्थान स्थापित करने का प्रयास करेंगे। अन्यथा, बहुत सारा प्रारम्भिक कार्य भी तो करना है।

श्री एन० के० शेजवलकर : मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मन्त्री महोदय अब विधि विभाग के प्रभारी हैं। इससे पहले वह, विधि मन्त्रालय से सम्बद्ध सलाहकार समिति के सदस्य थे। इस समय, विधायी प्रारूपकारों के प्रशिक्षिणार्थ इस संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन था। समिति की ओर से एक सिफारिश भी की गई थी। अब मन्त्री महोदय क्या हमें यह बता सकेंगे कि वह सिफारिश किस अवस्था में है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने स्वयं सदन में यह बात कही है कि वह इसे एक तकनीकी मामला मानते हैं। इस व्यवसाय में लोग आने का इसलिए प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि सम्भवतया इसमें परिश्रमिक बहुत कम मिलता है। सरकार इस विषय को तकनीकी प्रशिक्षण के रूप में क्यों नहीं लेती है और ऐसे प्रशिक्षित लोग उपलब्ध क्यों नहीं कराती है क्योंकि प्रशिक्षित प्रारूपकारों का बड़ा ही अभाव है, जैसा कि आपका कहना है यहां पर भी अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भी आप उचित पारिश्रमिक क्यों नहीं देते हैं जिससे कि प्रशिक्षित लोग इसकी ओर आकर्षित हों और समस्या का भी समाधान हो जाए ? उसके प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री जगन्नाथ कौशल : मेरी प्रतिक्रिया यह है कि सभी उपाय किए जा रहे हैं और किए जाते रहेंगे जिससे कि हम उपयुक्त लोगों को इस बहुत ही कौशलपूर्ण और कठिन कार्य की ओर आकर्षित कर सकें।

श्री भेरावदन के० गधावी : हमें वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों की कमी का तो पहले ही सामना करना पड़ रहा है। यह बड़ी ही आश्चर्यजनक बात है कि अब हमें प्रशिक्षित विधायी प्रारूपकारों के अभाव का भी सामना करना पड़ रहा है। परन्तु इस सम्बन्ध में, जैसा कि कहा गया है, वह सरकार सर्वश्रेष्ठ होती है जो कम से कम अंकुश रखती है। यदि हमारे यहां प्रशिक्षित विधायी प्रारूपकारों की कमी है तो क्या सरकार विधान को कम से कम करने की दिशा में सोचती है जिससे कि हमारे पास जो भी कार्मिक हैं उनसे हम अच्छे विनियमन और विधेयक तैयार करवा सकते हैं।

श्री जगन्नाथ कौशल : मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय सदस्य कोई इस प्रकार का सुझाव नहीं दे रहे हैं कि जिस विधान को अनिवार्यता लाया जाना है, उसको केवल इसलिए ही आगे नहीं लाया जाना चाहिए कि हमारे पास योग्य प्रारूपकार नहीं हैं।

श्री रामविलास पासवान : कांस्टीट्यूशन के मुताबिक हिन्दी इस देश की आफिशियल लैंगुएज है और अंग्रेजी एसोशियेट लैंगुएज है। ऐसी परिस्थिति में आपने ड्राफ्ट्समैन के लिए 2 या 3 अंग्रेजी के लिए रखे हैं और एक या दो हिन्दी के लिए रखे हैं। जब अभी से ही पूरे ड्राफ्ट्समैन हिन्दी के नहीं दिए जायेंगे, यही कारण है कि हिन्दी में संविधान नहीं निकल सका है, तो क्या यह हिन्दी के प्रति उपेक्षा नहीं है ? इस उपेक्षा को दूर करने के लिए न्याय विभाग में हिन्दी को समान स्टेटस मिले, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं ?

श्री जगन्नाथ कौशल : आनरेबल मेम्बर ने मेरा जवाब गौर से नहीं पढ़ा। जो हमारा लैजिस्लेटिव डिपार्टमेंट सैंटर में है, यहां पर हम उनको ट्रेनिंग देते हैं जिनको स्टेट्स यहां भेजती हैं, वरना स्टेट्स का अपना लैजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, उनके अपने ड्राफ्ट्समैन हैं लेकिन उनको इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। मैं दोबारा पढ़कर सुनाता हूं कि :

"विधायी विभाग में प्रतिवर्ष राज्यों के औसतन 3 से 5 तक अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है (दो या तीन अंग्रेजी में और 1 या 2 हिन्दी में)।"

विधायी विभाग का अर्थ है कि केन्द्र में कार्यरत विभाग।

श्री रामविलास पासवान : क्या यह डिसक्रिमिनेशन नहीं है ?

श्री जगन्नाथ कौशल : यह डिसक्रिमिनेशन नहीं है।

श्री रामविलास पासवान : अंग्रेजी के लिए दो या तीन और हिन्दी के लिए एक या दो, क्या यह डिसक्रिमिनेशन नहीं है ?

श्री जगन्नाथ कौशल : कोई फिक्स्ड फार्मूला नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कुकिंग गैस वितरकों द्वारा कदाचार

*27. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुकिंग गैस के वितरक ग्राहकों को उनके द्वारा बेचे जाने वाले सबसे अधिक मंहगे बर्नर खरीदने के लिए बाध्य कर रहे हैं, जिसके न लेने पर गैस कनेक्शन देने में असमान्य विलम्ब किया जाता है;

(ख) क्या वितरक गैस सिलेंडरों का कृत्रिम अभाव उत्पन्न करने के लिए उन्हें वे भारी मुनाफे पर होटल वालों को दे देते हैं;

(ग) क्या वितरक गैस सिलेंडरों की सील के साथ हेरा-फेरी कर ग्राहकों को आधे भरे सिलेन्डरों की भी सप्लाई कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन कदाचारों को समाप्त करने के लिए उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) अभी तक तेल कंपनियों द्वारा ऐसा कोई उदाहरण रिपोर्ट नहीं किया गया है।

(ग) मन्त्रालय और तेल कम्पनियों द्वारा उपभोक्ताओं से कम वजन के कुकिंग गैस सिलेन्डरों की प्राप्ति के बारे में कभी-कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं। इनकी तेल कम्पनियों द्वारा तत्काल जांच की जाती है।

(घ) तेल कम्पनियों ने अपने वितरकों को कड़े अनुदेश जारी किए हैं कि वे प्रत्याशित ग्राहकों को एल० पी० जी० स्टोव केवल अपने स्टाक से खरीदने के लिए बाध्य न करें और ग्राहक

अपनी मनपसंद से खुले बाजार अथवा किसी भी डीलर से खरीद सकते हैं। तेल कम्पनियों को परामर्श दी गई है कि वे इस सम्बन्ध में व्यापक प्रचार करें। तथापि उपभोक्ताओं को क्वालिटी और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एल० पी० जी० कनेक्शन केवल उन उपभोक्ताओं को दिये जाते हैं जिनके पास आई० एस० आई० (भारती मानक संस्थान) मार्क वाली हाट प्लेटें हैं। तेल कम्पनियों द्वारा वितरकों के अहातों/गोदामों में समय-समय पर निरीक्षण किये जाते हैं ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके। इसके अलावा एल० पी० जी० वितरकों के विरुद्ध जनता से प्राप्त सभी शिकायतों की तेल कम्पनियों द्वारा अपनी-अपनी उपभोक्ता सेवा कक्षों के जरिए विधिवत जांच की जाती है और उपचारिक कार्रवाई तत्काल की जाती है।

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन

*28. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शनों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इसके विस्तार सम्बन्धी प्रस्ताव क्या हैं तथा तत्सम्बन्धी समय सारणी क्या है; और

(ग) जमुना पार क्षेत्र की वर्तमान स्थिति तथा तत्सम्बन्धी भावी कार्यक्रम क्या हैं ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) 1-2-82 को चालू टेलीफोन लाइनों की संख्या 1,98,342 थी।

(ख) वर्ष 1982-83, 83-84 और 84-85 के दौरान दिल्ली की टेलीफोन प्रणाली में क्रमशः 47,300, 16,800 और 65,600 लाइनों का विस्तार करने का प्रस्ताव है।

(ग) 1-2-82 को दिल्ली टेलीफोन जिले के यमुना पार क्षेत्र स्थित एक्सचेंजों में चालू लाइनों की संख्या 7,829 थी। यदि उपस्कर की आपूर्ति हो गई तो वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान इन एक्सचेंजों की क्षमता में क्रमश. 4200 तथा 1000 लाइनों का विस्तार करने का प्रस्ताव है।

बन्द के बारे में समाचार बुलेटिन तैयार करने के संबंध में परिपत्र

*29. **श्री सोमनाथ चटर्जी** :

श्री सुनील मैत्रा :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 19 जनवरी, 1982 के बंद के बारे में समाचार बुलेटिन तैयार करने के संबंध में एक परिपत्र के द्वारा देश भर के आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों को कहा था कि उनके समाचार बुलेटिनों में बन्द की सफलता परिलक्षित नहीं होनी चाहिए और उनमें बंद विरोधी प्रदर्शनों को उजागर किया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रकार के अनुदेश इन दोनों समाचार माध्यमों द्वारा समाचारों के बारे में स्वतन्त्रता के संबंध में हस्तक्षेप नहीं है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मैथिली भाषा में समाचार बुलेटिन

*30. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** बिहार के दरभंगा तथा अन्य रेडियो स्टेशनों से मैथिली समाचार बुलेटिनों के प्रसारण के बारे में 8-12-82 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2579 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के विभिन्न स्टेशनों से किन-किन भाषाओं में समाचार बुलेटिन प्रसारित होते हैं;

(ख) उनमें कितनी भाषाएं हैं जिन्हें स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में पढ़ाने वाले कालेजों तथा विश्वावद्यालयों की संख्या कम है तथा जिनका लिखित साहित्य में ऐतिहासिक अभिलेख थोड़ी अवधि का है; और

(ग) मैथिली को शामिल न किए जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) घरेलू सेवा में, आकाशवाणी के केन्द्र 62 विभिन्न भाषाओं तथा बोलियों में समाचार बुलेटिनों का प्रसारण करते हैं जिनमें आदिवासी बोलियां भी शामिल हैं। एक विवरण, जिसमें इन भाषाओं तथा बोलियों के नाम दिए गए हैं, सभा की मेज पर रख दिया गया है।

(ख) इन ब्यौरों के बारे में आकाशवाणी के पास कोई सूचना नहीं है।

(ग) अपनी नीति के अनुसार, आकाशवाणी किसी भाषा-विशेष में समाचार बुलेटिनों का प्रसारण तभी करता है जब संबंधित सेवा क्षेत्र में उस भाषा को बोलने वाले लोग उस सेवा क्षेत्र के लिए पहले से ही प्रसारित हो रहे समाचार बुलेटिनों की भाषा को समझ न पाते हों। इस आधार पर सरकार का यह सुविचारित मत है कि मैथिली भाषा में समाचार बुलेटिन प्रसारित करने की आवश्यकता सिद्ध नहीं होती; क्योंकि बिहार के केन्द्रों के सेवा क्षेत्रों में हिन्दी के बुलेटिनों को व्यापक रूप से सुना जाता है।

विवरण

आकाशवाणी केन्द्र जिन भाषाओं और बोलियों, आदिवासी बोलियों सहित, में समाचार-बुलेटिन प्रसारित करते हैं, उनके नामों को दर्शाने वाला विवरण।

भाषाएं

1. अंग्रेजी

संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाएं

2. असमिया
3. बंगला
4. गुजराती
5. हिन्दी
6. कन्नड़
7. कश्मीरी
8. मलयालम
9. मराठी
10. उड़ीसा
11. पंजाबी
12. संस्कृत
13. सिंधी
14. तमिल
15. तेलुगु
16. उर्दू

अन्य भाषाएं और बोलियां, आदिवासी बोलियों सहित

17. अरुणाचल
18. डोगरी
19. नेपाली
20. मणिपुरी
21. कोंकड़ी
22. नगामियां
23. महल
24. राजस्थानी
25. त्रिपुरी
26. बोडो
27. घिमसा
28. मिजो
29. संथाली
30. इडु
31. टांगसा
32. नोक्टे
33. वांचू
34. आडी
35. निशि
36. अपातानी
37. कार्बी
38. घाडू
39. थांगकुल
40. माओ
41. कबाऊई
42. संगतम
43. यिमचुंगर
44. कोन्याक
45. फोम
46. चांग
47. जेलियांग
48. कुकी
49. ओ
50. रोमा
51. लोथा
52. रेंगमा
53. चाकेसांग
54. अंगामी
55. गारो
56. खासी
57. जेन्तिया
58. निकोबारी
59. गुजरी
60. तदाड़ी
61. हयार
62. पैते

देश में विद्युत उत्पादन की प्रभावी व्यवस्था

*31. **श्री जंनुल बशर :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्याध्यक्ष समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों के बारे में राज्य सरकारों की रचनात्मक प्रतिक्रिया की दृष्टि से सरकार ने देश में विद्युत उत्पादन की प्रभावी व्यवस्था के लिए कोई तरीका निकाला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) राज्यसक्ष समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों पर राज्य सरकारों की प्रतिक्रियाओं की अभी भी प्रतीक्षा है। राज्य सरकारों के विचार प्राप्त होने के पश्चात ही, इन सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय लिए जा सकते हैं।

इसी बीच, विद्युत सप्लाई उद्योग के कार्य-निष्पादन को भली-भांति मानीटरिंग भारत सरकार द्वारा की जा रही है और देश में कुल विद्युत उत्पादन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

एसियाई खेलों के रंगीन प्रसारण के लिए ब्रिटिश फर्म के साथ समझौता

*32. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**

श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एसियाई खेलों का टेलीविजन पर रंगीन प्रसारण करने के लिए एक ब्रिटिश फर्म के साथ कोई समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो किए गए समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली टेलीफोन सेवा के बारे में नागरिक परिषद्, दिल्ली का अभ्यावेदन

*33. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली टेलीफोन के बारे में नागरिक परिषद्, दिल्ली से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि नागरिक परिषद् ने दिल्ली टेलीफोन सेवाओं के बारे में एक सर्वेक्षण किया है; और

(घ) यदि हां, तो सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले और उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी हां। दिल्ली टेलीफोन सेवा के बारे में नगरिक परिषद् की ओर से दिनांक 7-10-81 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

(ख) अभ्यावेदन में निम्न बातें शामिल थीं :

(i) टेलीफोन सेवा के बारे में दिल्ली में किए गए सर्वेक्षण से संबंधित कागजात; और

(ii) दिल्ली में टेलीफोन सेवा को सुधारने हेतु कुछ सुझाव।

प्रश्न के भाग (घ) में वर्णित विवरण के अनुसार टेलीफोन सेवा को सुधारने के लिए निरंतर आधार पर कार्रवाई की जाती है।

(ग) जी हां।

(घ) सर्वेक्षण के परिणामों, जैसे कि अभ्यावेदन में प्राप्त हुए थे, से संबंधित स्थिति विवरण पत्र में दी गई है। हालांकि दिल्ली टेलीफोन प्रणाली के लगभग 2 लाख उपभोक्ताओं में से नमूने के तौर पर चुने गए लगभग 1000 उपभोक्ता वास्तविक मूल्यांकन हेतु अपेक्षाकृत कम प्रतीत होते हैं सर्वेक्षण पर कोई विशेष कार्यवाई नहीं की गई। तथापि दिल्ली विभाग टेलीफोन विभाग द्वारा दी गई सेवाओं के संबंध में विशेष ध्यान देता रहा है।

इस संबंध में एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार दिल्ली टेलीफोन बाह्य जालकार्य का दर्जा बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय तेजी से लागू करने हेतु एक कार्यबल का गठन किया गया है

दूरसंचार समिति ने देश में टेलीफोन प्रणालियों की दुर्बलताओं का गंभीरता से अध्ययन किया है। समिति की प्रथम अन्तरिम रिपोर्ट महानगरों में टेलीफोन प्रणालियों के सुधार के संबंध में है। दिल्ली की नागरिक परिषद् के सुझावों में समाहित विषय-वस्तु भी दूरसंचार समिति की रिपोर्ट में शामिल की गई है।

समिति द्वारा प्रथम अन्तरिम रिपोर्ट में की गई लगभग सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है कार्यान्वयन आरम्भ कर दिया गया है तथा की गई कार्रवाई की प्रगति डाक तार निदेशालय निगरानी रख रहा है।

विवरण

दिल्ली नागरिक परिषद् से प्राप्त दिनांक 7-10-81 के ज्ञापन से उद्धरण-सर्वेक्षण का विवरण।

नागरिक परिषद् ने दिल्ली टेलीफोन सेवा का एक नमूना सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण में सभी टेलीफोन एक्सचेंजों को लिया गया था। प्रश्नावली के उत्तर संसद सदस्यों, उच्च न्यायालयों के

न्यायाधीशों, वकीलों, डाक्टरों, पत्रकारों, उद्योगपतियों, व्यापारियों तथा समाज के अन्य विभिन्न वर्गों से प्राप्त हुए थे। उपभोक्ताओं को लगभग 2200 फार्म भेजे गये थे। जिनमें से कुल 1045 उत्तर प्राप्त हुए। इस सर्वेक्षण से यह स्पष्ट पता चलता हैकि उपभोक्ता टेलीफोन की कार्य-प्रणाली से एकदम असन्तुष्ट हैं । 1045 में से 983 उपभोक्ताओं दिल्ली टेलीफोन सेवा से सन्तुष्ट नहीं हैं। इसका प्रतिशत 94 है। 840 उपभोक्ता का ट्रंक बुकिंग और एस० टी० डी० के संबंध में कटु अनुभव है जो कि 80 प्रतिशत है। निर्देशकों के संबंध में 732 व्यक्ति जो लगभग 70 प्रतिशत है; सहमत नहीं हैं। टेलीफोन प्राय: खराब रहता है और 2 घन्टे से लेकर 15 दिन तक खराब पड़ा रहता है। 7890 उपभोक्ता इस कारण दुःखी हैं। क्योंकि उनकी शिकायतों पर समय पर ध्यान नही दिया जाता। 930 उपभोक्ताओं को 199, 197, 198, 180, 181 और 182 मिलाने में कठिनाई होती है। गलत नम्बर मिलने की आम शिकायत है। इनकी संख्या 90 प्रतिशत है। एक काल मिलाने के लिए एक आदमी को कई मामलों में चार से भी अधिक कालें करनी पड़ती हैं । इस तरह एक काल का मूल्य 2.50 रुपये पड़ता है। टेलीफोन बिल बहुत अनियमित रूप से मिलते हैं। कभी-कभी दो साल पुराने बिल भी प्राप्त होते हैं। 95 प्रतिशत शिकायतें बिलों की अनियमित प्राप्ति के बारे में है। कई मामलों में बिल अधिक रकम के होते हैं। उनकी संख्या 1045 से 359 है। जो कि लगभग 32 प्रतिशत है। बहुत से व्यक्तियों ने टेलीफोन लगाने, अन्तरण करने और यहां तक कि मरम्मत के लिये भी टेलीफोन विभाग के भ्रष्टाचार के बारे में अपना व्यक्तिगत अनुभव व्यक्त किया है। ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या 25 प्रतिशत है। अन्यों का कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं है। टेलीफोन दरों में वृद्धि के कारण 96 प्रतिशत व्यक्ति नाराज हैं उनका कहना है कि अकुशल सेवा के लिये हम अधिक पैसा क्यों दें। टेलीफोन विभाग पहले ही 200 करोड़ रुपये हर वर्ष वसूल कर रहा है। इसकी कार्य प्रणाली में सुधार होना चाहिए।

89 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने अपने आवासों पर उनकी अपनी लागत पर मीटर लगाने का अनुमोदन किया है। लगभग 32 प्रतिशत उपभोक्ता स्टाफ बर्ताव के विरुद्ध शिकायत करते हैं। वर्षाकाल में हर टेलीफोन वास्तव में खराब हो जाता है। इसका कोई स्थायी हल निकाला जाना चाहिए। 29 प्रतिशत उपभोक्ताओं को टेलीफोन गलतढंग से काटे जाने का सामना करना पड़ा। 95 प्रतिशत उपभोक्ताओं को दिल्ली टेलीफोन सेवाओं के कार्यकरण में कोई सुधार दिखाई नहीं दिया है

विद्युत क्षेत्र के लिए विश्व बैंक को सहायता

*34. **श्री नारायण चौबे** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के अध्यक्ष को भारत की यात्रा के दौरान सरकार ने उनकी भारतीय विद्युत क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के बारे में कोई बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष रहे ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) जी हां, विश्व बैंक के अध्यक्ष के साथ हुए विचार विमर्श के दौरान विद्युत क्षेत्र में हुई प्रगति की सामान्य समीक्षा की गई थी। विशिष्ट परियोजनाओं के लिए सहायता के बारे में विचार-विमर्श नहीं किया गया था

परन्तु विश्व बैंक के अध्यक्ष ने आश्वासन दिया था कि बैंक ऊर्जा क्षेत्र को प्राथमिकता देता रहेगा।

ऊर्जा की नई उत्पादन क्षमता

*35. **श्री कमला मिश्र मधुकर :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वित्तीय वर्ष में ऊर्जा की नई उत्पादन क्षमता की अधिष्ठापना लक्ष्य से कम होगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और कारण क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी): (क) चालू वित्त वर्ष के लिए 3212 मेगावाट की क्षमता का लक्ष्य रखा गया था। इसकी तुलना में हम 2300 मेगावाट की क्षमता प्राप्त कर लेने की आशा रखते हैं। शेष 912 मेगावाट के सम्बन्ध में निर्माण कार्य उन्नत अवस्था में है और अगले वित्त वर्ष के प्रथम छः महीनों के दौरान यह क्षमता चालू किये जाने की आशा है।

(ख) उपस्करों की सप्लाई में तथा विभिन्न एजेन्सियों द्वारा कार्य को पूरा करने में हुई देरी तथा स्थलों पर निवेशों की उपलब्धता में आई बाधाओं के कारण कार्य पिछड़ गया है।

गोदावरी बेसिन में खुदाई

*36. **श्री सूर नारायण सिंह :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदावरी बेसिन में गहरे जल में (आफ-शोर) खुदाई आरंभ हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में खुदाई के लिए कोई विदेशी सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी हां।

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किराये पर लिए गए एस० ई० डी० ओ-445 नामक व्यधन जहाज ने गतिशील स्थिति में स्थापित गोदावरी अपतट में दिनांक 31.1.1982 को व्यधन कार्य पुनः आरम्भ कर दिया है। दिनांक 12.2.1982 की यथास्थिति को कूप 1500 मीटर की गहराई तक पहुँच गया था। इस कूप को 400 मीटर की प्रायोजित गहराई तक खोदा जाना है।

(ग) और (घ) इस क्षेत्र में व्यधन में पहले सामना की गई तकनीकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए तथा प्रयोग में लायी जा रही रिग के परिस्कर पर विचार करते हुए, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने इस क्षेत्र में व्यधन संचालन के लिए फ्रांस की मैसर्स सी० एफ० पी० की परामर्शी सेवाएं प्राप्त करने का निर्णय लिया है।

टेलीफोन स्विचिंग उपकरण का आयात

*37. **डा० कृपासिंधु भोई :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू दशाब्दी के दौरान 600 करोड़ रुपये के मूल्य के टेलीफोन स्विचिंग उपकरण का आयात किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो मांग और सप्लाई के बीच कितना अन्तर है; और

(ग) यह अन्तर पूरा करने और मूल्यवान विदेशी मुद्रा बचाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) छठी योजना अवधि 1980-85 के दौरान टेलीफोन स्विचिंग उपस्कर के आयात के लिए सीधा विदेश विनिमय व्यय 257.29 करोड़ रुपये प्राक्कलित किया गया है। सातवीं योजना तैयार करते समय तथा विनिर्माण क्षमता की वृद्धि में हुई प्रगति के आधार पर देशीय उत्पादन की उपलब्धता और आवश्यकता पर विचार करने के बाद मौजूदा दशक की शेष अवधि के दौरान ऐसे आयातों का आकलन किया जाएगा।

(ख) चालू योजना तैयार करते समय 1980-85 के दौरान स्थानीय टेलीफोन स्विचिंग उपस्कर की सप्लाई की आवश्यकता 23.66 लाख लाइनें प्राक्कलित की गई थीं जबकि देशीय उपलब्धता 10.18 लाख लाइनों की थी। इस प्रकार 13.48 लाख लाइनों का अन्तर रह गया था। 1986-90 की आवश्यकता उक्त अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित दूर संचार योजना के आधार पर निर्भर करेगी।

(ग) टेलीफोन स्विचिंग उपस्कर के देशी उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्न उपाय किए गए हैं :

(1) भारतीय क्रासबार स्विचिंग प्रणाली की प्रति वर्ष 2 लाख लाइनों का उत्पादन करने के लिए भारतीय टेलीफोन उद्योग, रायबरेली के कारखाने का विस्तार। इस प्रायोजना को मंजूरी दे दी गई है और यह विचाराधीन है।

(2) 10,000 लाइन प्रति वर्ष से 1.5 लाख (तुल्य) लाइन प्रति वर्ष तक भारतीय टेलीफोन उद्योग, पालघाट (केरल) के कारखानों का विस्तार। इस प्रायोजना के लिए प्राप्त हुए निविदा प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

(3) दो बड़े इलेक्ट्रिक प्रणाली के कारखानों की स्थापना जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 5,00,000 लाइनें प्रति वर्ष होगी। पहले कारखाने की स्थापना के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं

*38. **श्री रामबिहारी बहेरा :** क्या ऊर्जा मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं;

(ख) किन स्थानों पर योजनाएं निर्माणाधीन हैं और ये योजनाएं कब तक चालू होंगी; और

(ग) इस बारे में सरकार को अब तक कितनी सफलता मिली है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) देश में निर्माणाधीन विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं के नाम, जिन राज्यों में स्थित हैं, उनके नाम, इन परियोजनाओं के चालू होने की सम्भावित तारीख तथा निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं

क्र० सं०	परियोजना	पहली/अन्तिम यूनिट को चालू करने की तारीख, इस समय यथा परिकल्पित	निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
	उत्तरी क्षेत्र		
	हरियाणा		
1.	पश्चिमी यमुना नहर (6×8 मे० वा०)	84-85	सिविल निर्माण कार्य प्रगति पर है
	हिमाचल प्रदेश		
1.	बिन्वा (2×3 मे. वा.)	83-84	—वही—
2.	आंध्रा (3×5 मे. वा.)	84-85	—वही—
3.	सेंगटोंग (4×0.5)	84-85	—वही—
4.	माभा (संजय) (3×40 मे. वा.)	85-86	अवसंरचनात्मक कार्य प्रगति पर है

1	2	3	4
पंजाब			
1. शानन विस्तार (1×50 मे. वा.)	81-82	यूनिट उत्थापित की जा रही है	
2. मुकेरियां (6×15 मे. वा.)+ (6×19.5 मे. वा.)	82-83 85-86	सिविल निर्माण कार्य प्रगति पर है	
3. आनन्दपुर साहेब (4×33.5 मे. वा.)	82-83 83-84	—वही—	
राजस्थान			
1. माही बजाज सागर (2×25 मेगा (+) (2×45 मेगा)	84-85 85-86	सिविल निर्माण कार्य प्रगति पर है	
2. अनूपगढ़ (6×1.5 मेगा)	84-85	प्रारम्भिक अवस्था में है	
उत्तर प्रदेश			
1. यमुना चरण-2 (खोदरी) (4×30 मेगा)	82-83 83-84	हैड रेस सुरंग के अलावा सभी कार्य पूरे हो गए हैं।	
2. मानेरी भाली चरण-I (3×30 मेगा)	83-84	परियोजना प्रोन्नत अवस्था में है	
3. लखबार व्यासी (3×100 मेगा) + (2×60 मेगा)	91-92	व्यपवर्तन कार्य प्रगति पर है।	
4. मानेरी भाली चरण-2 (3×52 मेगा)	87-88	अवसंरचनात्मक कार्य प्रोन्नत अवस्था में है।	
5. टिहरी (4×250 मेगा)	91-92	अवसंरचनात्मक कार्य प्रगति पर है	
6. विष्णु प्रयाग (4×65.5 मेगा)	93-94	अवसंरचनात्मक कार्य प्रगति पर है	

1	2	3
सांझा		
1. पोंग विस्तार (2×60 मेगा)	82-83	यूनिटें उत्थापित की जा रही हैं
2. देहर विस्तार (2×165 मेगा)	83-84	यूनिटें उत्थापित की जा रही हैं
केन्द्रीय		
1. सलाल (3×115 मेगा)	87-88	सिविल निर्माण कार्य प्रगति पर है
पश्चिमी क्षेत्र		
गुजरात		
1. उकई बांया तट नहर (2×2.5 मेगा)	84-85	नहर का व्यपवर्तन कार्य हाथ में लिया जाना है
2. कंडाना (2×60 मेगा)	84-85	बिजलीघर का सिविल कार्य प्रगति पर है
महाराष्ट्र		
1. पैथन (1×12 मे. वा.)	84-85	यूनिट का उत्थापन कार्य शुरू कर दिया गया है
2. भीरा टेल रेस (2×40 मे. वा.)	85-86	सिविल निर्माण कार्य प्रगति पर है
3. टिल्लरी (1×60 मे. वा.)	84-85	सिविल निर्माण कार्य प्रगति पर है
4. बन्दरधारा (1×10 मे. वा.) + (1×33.5 मे. वा.)	85-86 + 86-87	अवसंरचनात्मक कार्य प्रगति पर है
5. पगना (1×10 मे. वा.)	85-86	प्रारम्भिक अवस्था में है
मध्य प्रदेश		
1. पंच (2×80 मे. वा.) (मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सांझा परियोजना)	84-85	सिविल निर्माण कार्य प्रगति पर है

1	2	3
2. बांधघाट (4×25 मे. वा.)	87-88 88-89	अवसंरचनात्मक कार्य प्रगति पर है
दक्षिणी क्षेत्र		
आन्ध्र प्रदेश		
1. नागर्जुनसागर पम्प जलाशय स्कीम चरण-1 (4×100 मे. वा.)	82-83	दो यूनिटें चालू की जा चुकी हैं
2. श्रीसैलम चरण-1 (4×100 मे. वा.)	82-83 83-84	परियोजना प्रोन्नत अवस्था में है
3. होंकाराई (1×25 मे. वा.)	83-84	यूनिट उत्थापित किया जा रहा है
4. बलिमेला बांध बिजली घर (2×30 मे. वा.)	85-86	बिजलीघर के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है
5. नागार्जुनसागर दांया तट नहर (2×30 मे. वा.)	82-83 83-84	सिविल निर्माण कार्य प्रगति पर है
6. अपर सिलेरू चरण-2 (2×60 मे. वा.)	85-86	बिजलीघर का सिविल निर्माण कार्य प्रगति पर है
7. नागार्जुनसागर पम्प जलाशय स्कीम चरण-2 (3×100 मे. वा.)	84-85	यूनिटों के लिए आर्डर दे दिया गया है
8. श्रीसैलम चरण-2 (3×100 मे. वा.)	84-85 85-86	—वही—
कर्नाटक		
1. कालीनदी चरण-1 (6×135 मे. वा.) +(2×50 मे. वा.)	84-85	चालू कर दी गई है परियोजना प्रोन्नत अवस्था में है

1	2	3
2. वाराही (2×115 मे. वा.)+ (2×4.5)	85-86	सिविल कार्य आरम्भ कर दिए गए हैं
3. गंगावली (2×105 मे. वा.)	उपलब्ध नहीं	अवसंरचनात्मक कार्य प्रगति पर है
4. कालीनदी चरण-2 (4×32 मे. वा.)+ (4×25 मे. वा.)+ (2×25 मे. वा.)	90-91	अवसंरचनात्मक कार्य प्रगति पर है
केरल		
1. इदामलयार (2×37.5 मे. वा.)	83-84	सिविल कार्य प्रगति पर है
2. कक्कड (2×25 मे. वा.)	85-86	सिविल कार्य शुरू कर दिया गया है
3. इदुक्की चरण-2 (3×130 मे. वा.)	85-86	यूनिटें प्राप्त की जा रही हैं
तमिलनाडु		
1. कदमपराई पम्प जलाशय स्कीम (4×100 मे. वा.)	83-84 84-85	सिविल कार्य प्रगति पर है
2. सर्वालार (1×120 मे. वा.)	83-84	—वही—
3. लोअर मैत्तूर (8×15 मे. वा.)	84-85 86-87	सिविल कार्य प्रगति पर है
4. कुन्डाह बिजलीघर-5 (1×20 मे. वा.)	85-86	यूनिट प्राप्त की जा रही है
पूर्वी क्षेत्र		
उड़ीसा		
1. रेंगाली (2×50 मे. वा.)	84-85	सिविल कार्य प्रगति पर है

1	2	3
2. अपर कोलाब (3×80 मे. वा.)	84-85 85-86	—वही—
3. अपर इन्द्रावती (4×150 मे. वा.)	86-87 85-86	अवसंरचनात्मक कार्य प्रोन्नत अवस्था में है।
केन्द्रीय		
1. कोइल-कारो (6×115 मे. वा.) +(1×20 मे. वा.)	उपलब्ध नहीं	प्रारम्भिक अवस्था में है
पश्चिम बंगाल		
1. जलढाका (2×4 मे. वा.)	82-83	यूनिट का उत्थापन कार्य शुरू किया जा रहा है
2. राम चरण-2 (4×12.5 मे. वा.)	85-86	अवसंरचनात्मक कार्य प्रोन्नत अवस्था में है
दामोदर घाटी निगम		
1. पंचेत हिल (1×40 मे. वा.)	85-86	भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है
उत्तर पूर्वी क्षेत्र		
असम		
1. लोअर बोरपानी (2×50 मे. वा.)	85-86	अवसंरचनात्मक कार्य प्रगति पर है
नागालैंड		
1. दिखू (1×0.75 मे. वा.) +(1×0.25 मे.वा.)	83-84	सिविल डिजाइनों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है
त्रिपुरा		
1. गुमटी (1×5 मे. वा.)	82-83	यूनिट उत्थापित की जा रही है
नीपको		
1. कोपिली (2×25 मे. वा.) +(2×50 मे.वा.)	83-84 84-85	सिविल निर्माण कार्य प्रगति पर है

1	2	3
केन्द्रीय		
1. लोकतक (3×35 मे. वा.)	82-83	हैड रेस सुरंग को पक्का करने का कार्य प्रगति पर है। अन्य कार्य पूरे हो गए हैं।

दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कानपुर में टेलीफोन सेवाओं की गिर रही स्थिति

*19. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री सूरज भान :

क्या **संचार मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कानपुर में टेलीफोन सेवाओं की गिर रही स्थिति के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो शिकायतें कैसी हैं और उनके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) इन शहरों में टेलीफोन सेवाओं के बारे में समय-समय पर कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है।

(ख) ये शिकायतें मुख्यत: कभी-कभी स्थानीय कॉल न मिलने, ट्रंक कॉल मिलने में विलंब होने, विशेष सेवायें मिलने में विलंब होने तथा अधिक बिल आने के बारे में होती हैं।

भारी परियात के कारण एक्सचेन्जों में संकुलन होने के कारण केबलों में होने वाली खराबी के परिणामस्वरूप स्थानीय कॉलें नहीं मिलती हैं। ट्रंक कॉलों में विलंब लम्बी दूरी के माध्यम एवं सहायक उपस्करों में अवरोध होने तथा प्रचालन स्टाफ की अनुपस्थिति के कारण हो सकता है। विशेष सेवा मिलने में विलंब, टेलीफोन प्रणाली के कुछ स्तरों पर स्विचिंग उपस्कर की कमी तथा किसी समय पर प्रचालन स्टाफ की अनुपस्थिति के कारण हो सकता है। अधिक बिल का कारण स्वयं उपभोक्ता द्वारा अपने टेलीफोन के प्रयोग के बारे में पूरी जानकारी न रखना हो सकता है। तथापि अधिक बिल आने की शिकायतों की संख्या जारी किए गए कुल बिलों का एक प्रतिशत है।

कोचीन में दूरदर्शन प्रसारणों के लिए माइक्रोवेव प्रणाली

*40. **श्री जेवियर अराकल** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने केन्द्रों में डाक और तार विभाग की माइक्रोवेव प्रणाली का दूरदर्शन प्रसारण हेतु प्रयोग किये जाने की व्यवस्था है;

(ख) दूरदर्शन ट्रांसमीशनों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली डाक और तार विभाग की क्या सुविधाएं हैं;

(ग) क्या यह सच है कि कोचीन को भी माइक्रोवेव प्रणाली के अन्तर्गत लाया जा सकता है: और

(घ) क्या इसके लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) निम्नलिखित दूरदर्शन केन्द्र माइक्रोवेव लिंक जुड़े हुए हैं—

1. दिल्ली-बम्बई-बंगलोर-मद्रास

2. दिल्ली-मंसूरी ।

(ख) दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रेषण के लिए डाक-तार विभाग वाइड बैंड माइक्रोवेव लिंक को और एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र को टी० वी० सिगनल पहुंचाने के लिए उपकरणों को भी उपलब्ध करता है ।

(ग) कोचीन (एर्नाकुलम) तक वाइड बैंड माइक्रोवेव लिंक उपलब्ध है । अपेक्षित उपकरणों की व्यवस्था करके इसमें टी० वी० वियरर चैनल उपलब्ध किया जा सकता है । अपेक्षित उपकरणों के लिए परियोजना के स्वीकृत हो जाने के बाद डाक-तार विभाग को पक्की माँग दी जानी है ।

(घ) कोचीन (एर्नाकुलम) डाक-तार के नेटवर्क के साथ दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने की भावी योजना में शामिल है और यह चरण-2 (1985-90) में शामिल है । तथापि, इसका कार्यान्वयन संसाधनों की उपलब्धता और देश में दूरदर्शन के विस्तार के लिए दी जाने वाली प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा ।

रुग्ण तेल-कुएं

231. **श्री पीयूष तिरकी : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने रुग्ण तेल-कुएं हैं;

(ख) यदि उनमें से तेल निकालना शुरू कर दिया जाए तो इस प्रकार तेल की कितनी मात्रा उपलब्ध होने लगेगी;

(ग) इन रुग्ण तेल-कुओं से तेल प्राप्त करने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्योरा क्या है; और

(घ) किन-किन क्षेत्रों में तेल की खोज का काम जारी है ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) 1-1-1982 की यथा स्थिति के अनुसार रुग्ण कुओं की कुल संख्या 527 है।

(ख) इन कुओं से उपलब्ध होने वाली तेल की वास्तविक मात्रा को पहले से ही बताना बहुत कठिन है। मरम्मत कार्य पूरा हो जाने के पश्चात् ही इसका पता चल सकता है।

(ग) निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

1. वर्क-ओवर रिगों की संख्या बढ़ायी गयी है।

2. 8 अथवा 16 घंटे कार्य करने के स्थान पर इनको रात-दिन चलाया जा रहा है।

3. संचालनों को गति देने के लिए आधुनिक उपकरण जोड़े जा रहे हैं।

4. कुओं के प्रदीप्त करने की योजना बनायी गयी है।

5. देशीय उपकरणों को विकसित किया जा रहा है।

6. वर्क ओवर सेवाओं के ठेके दिये जा रहे हैं।

(घ) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग गुजरात, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश तथा बम्बई हाई, पाक जलडमरू मध्य, रत्नागिरि और गोदावरी के उपरीय क्षेत्रों में सात स्थानों में तेल की खोज के लिए व्यधन/परीक्षण कार्य कर रहा है।

इनके अतिरिक्त असम, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान-निकोबार, आन्ध्र प्रदेश और गुजरात में विभिन्न तटीय क्षेत्रों में और रत्नगिरी-मंगलूर के संभावित अपतटीय क्षेत्रों में भू-अन्वेषी सर्वेक्षण किये जा रहे हैं।

आयल इंडिया लिमि० असम, अरुणाचल प्रदेश महानदी तटीय तथा अपतटीय क्षेत्रों में तेल की खोज कर रही है। निकट भविष्य में ओ० आई० एल० राजस्थान में कार्य आरम्भ करेगी।

बिजली की दरें बढ़ाने के लिए विश्व बैंक का दबाव

2312. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक भारत सरकार पर यह पूर्व-शर्त लगाकर दबाव डाल रहा है कि वह इस देश की विद्युत उत्पादन योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता संबंधी अपने वचनों की तभी पूरा करेगा जबकि भारत सरकार कृषि-प्रयोजनों के लिए भी बिजली की दरों को बढ़ायेगी; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

न्यायिक नियुक्तियों के लिए आयोग

233. **श्री बी० वी० देसाई :**

श्री चित्त बसु :

श्री अमर राय प्रधान :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों से न्यायाधीशों के स्थानान्तरण या उनकी नियुक्तियों के मामले के सम्बन्ध में निर्णय देते हुए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने न्यायिक नियुक्तियों के लिए एक आयोग के गठन का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में अन्य कई मुद्दों का भी उल्लेख था;

(ग) क्या सरकार निर्णय की जांच कर रही है और भविष्य में न्यायिक नियुक्तियों के लिए किसी आयोग का गठन करने के बारे में विचार कर रही है;

(घ) क्या इसके लिए संविधान में और संशोधन करने की आवश्यकता होगी;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में विधान बनाने के लिए राजी हो गई है; और

(च) यदि हां, तो कब तक

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) उच्चतम न्यायालय ने तारीख 30-12-1981 को दिए गए अपने निर्णय में न्यायिक नियुक्तियों के लिए आयोग के गठन का कोई सुझाव नहीं दिया है। किन्तु एक न्यायाधीश (न्यायमूर्ति भगवती) ने यह सुझाव दिया था कि अधिशासी समिति को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश करनी चाहिए। उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई ब्यौरे नहीं दिए।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) न्यायिक नियुक्तियों के लिए एक आयोग के गठन का भी प्रस्ताव है।

(ङ) और (च) उसके लिए प्रथमदृष्टया संविधान में संशोधन करना आवश्यक है। किन्तु सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

मिट्टी के तेल की खपत

234. श्री डी० पी० जदेजा :

श्री मोहन लाल पटेल :

क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) देश में मिट्टी के तेल की कुल वार्षिक खपत कितनी है,

(ख) देश में मिट्टी के तेल का कुल उत्पादन कितना है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए मिट्टी के तेल की कुल कितनी मात्रा का आयात किया गया;

(घ) क्या यह सच है कि मिट्टी के तेल की खरीद के लिए हाल ही में टेन्डर आमन्त्रित किए गए है; और

(ड़) यदि हां, तो कितनी मात्रा की खरीद की जाएगी और इस समय टेन्डर आमन्त्रित करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) वर्ष 981-82 के दौरान देश में लगभग 4.० मिलियन मी० टन मिट्टी के तेल कुल वार्षिक खपत का अनुमान लगाया गया है।

(ख) वर्ष 1981-82 के दौरान 2.7 मिलियन मी० टन मिट्टी के तेल के कुल उत्पादन का अनुमान लगाया गया है।

(ग) वर्ष 1981-82 के दौरान 1.9 मिलियन मी०टन मिट्टी के तेल का आयात करने का अनुमान लगाया गया है।

(घ) जी, हां।

(ड़) मांग को पूरा करने के लिए लगभग 50,000 मी० टन मिट्टी के तेल को आयात करने के लिए टेन्डर मांगा गया है।

विद्युत संकट से निपटने के लिए विदेशी सहयोग की सहायता

235. श्री दयाराम शाक्य : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विद्युत-संकट से निपटने के लिए विदेशी सहयोग प्राप्त करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों से यह सहयोग प्राप्त किए जाने का विचार है; और

(ग) इस संबंध में विदेशों के साथ हुई अब तक की बातचीत के क्या परिणाम रहे ?

उर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) विद्युत परियोजनाओं के लिए विद्युत उपस्करों की सप्लाई के लिए यू० के०, पश्चिम जर्मनी, स्विटजरलैण्ड, इटली, जापान फ्रांस, जापान और पोलैण्ड से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। कुछ मामलों में परियोजनाको वित्त व्यवस्था के लिए सरकारी ऋण, सप्लाईकर्त्ताओं के ऋण और वाणिज्यक ऋणों की संभावनाओं का उल्लेख किया गया है।

(ग) सरकार ने इन प्रस्तावों पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

नेवेली लिग्नाइट निगम का जर्मनी की फर्म के साथ करार

236. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवेली लिग्नाइट निगम ने दूसरी लिग्नाइट खान के संबंध में परामर्श सेवा के लिए पश्चिम जर्मनी की किसी फर्म के साथ कोई करार किया है; और

(ख) यदि हां, तो करार का ब्योरा क्या है ?

उर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) पश्चिम जर्मनी के मैसर्स रहाईनब्राउन कन्सल्टिंग जी० एम० बी० एच० को विश्वव्यापी निविदाओं के आधार पर नेलेवी लिग्नाइट कार्पोरेशन की दूसरी खान परियोजना के लिए परामर्शदाता की हैसियत में दो ठेके प्रदान किए गए हैं जिनके लिए उन्हें क्रमश : डी० एम० 386,000 (लगभग 15.81 लाख रुपए) डी० एम० 26, 65, 588 (लगभग 1.10 करोड़ रुपए) का भुगतान किया जाएगा। पहले समझौते के अधीन परामर्शदाताओं ने ने० लि० कार्पोरेशन को इन कार्यों में सहायता दी—विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, निविदा कागजात, उपकरणों के लिए विनिर्देश एवं निविदाओं का मूल्यांकन और विशिष्ट खनन उपकरण की सप्लाई के लिए करार-पत्र बनाना आदि। दूसरे समझौते के अधीन कामों में यह बातें शामिल हैं। सप्लाई और संस्थापन के लिए समय सारणियां तैयार करना, सप्लाई करने वालों के कारखानों में निर्माण की प्रगति का निरीक्षण, शाप-ड्राइगों की जांच, विदेशी सप्लायरों से प्राप्त बीजकों की जांच और ने० लि० कार्पोरेशन को प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाने में सहायता देना आदि।

डाक जीवन बीमा के कार्यालय का विस्तार

237. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कर्मचारियों की अन्य ऐसी श्रेणियों के लिए डाक जीवन बीमा का विस्तार करने के बारे में विचार कर रही है, जो कर्मचारी आजकल इसके लिए पात्र नहीं हैं;

(ख) डाक जीवन बीमा का विस्तार करने से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त कार्य-भार के लिए अपेक्षित कितने विकास अधिकारियों के पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है; और

(ग) एक पृथक संवर्ग बनाने के लिए विकास अधिकारियों के कम से कम कितने पद अपेक्षित होंगे ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) विकास अधिकारियों (डाक जीवन बीमा) के पद कार्यकाल आधार पर चयन पद होते हैं। अलग से एक संवर्ग के सृजन का प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्ष 1981 के दौरान कर्मी दल द्वारा स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्डों को प्रदत्त सहायता

238. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 के दौरान केन्द्र द्वारा नियुक्त कर्मी दल ने कितने स्टेट इलेक्ट्रीसिटी एककों को सहायता दी; और

(ख) इससे संयंत्र-वार उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) 110/120 मेगावाट के यूनिटों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए दिसम्बर 1981 में एक कृतिक बल का गठन किया गया था और कृतिक बल ने जनवरी, 1982 में कार्य करना शुरू किया था। यह बल पतरातु और हरदुआगंज विद्युत केन्द्रों का दौरा कर चुका है। 200/210 मेगावाट के यूनिटों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए एक कृतिक बल था। इस कृतिक बल ने 200/210 मेगावाट की 19 यूनिटों की सहायता की थी, जिनमें से 14 यूनिटों ने अप्रैल से दिसम्बर, 1981 तक की अवधि के दौरान, वर्ष 1980 की इसी अवधि की तुलना में, संयंत्र भार अनुपात में सुधार दिखाया है।

एक कृतिक बल ने वर्ष 1980-81 के दौरान पंजाब में भटिण्डा ताप विद्युत केन्द्र की और हरियाणा में पानीपत और फरीदाबाद ताप विद्युत केन्द्रों की सहायता भी इनके कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए की थी। यह कार्य मार्च, 1981 में हाथ में लिया गया था और कुछ अभिज्ञात समस्याओं का समाधान वर्ष 1981 के दौरान कर दिया गया था। उपर्युक्त विद्युत केन्द्रों के क्षमता समुपयोजन में कुछ सुधार हुआ है, जो नीचे दिया गया है :

संयंत्र भार अनुपात (%)

	1980-81	अप्रैल-दिसम्बर, 1981
भटिण्डा	38	41
पानीपत	34	37
फरीदाबाद	27	28

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के भ्रमणशील मानीटरिंग दलों ने 21 विद्युत केन्द्रों का दौरा इस वर्ष के दौरान किया था। इनमें से 16 विद्युत केन्द्रों ने अप्रैल से दिसम्बर, 1981 तक की अवधि के दौरान क्षमता समुपयोजन में 4% से 20% तक सुधार दिखाया है। इन विद्युत केन्द्रों के नाम तथा वर्ष 1980 तथा 1981 की अप्रैल से दिसम्बर तक की अवधि के दौरान इनका संयंत्र भार अनुपात विवरण में दिया गया है।

विवरण

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के भ्रमणशील मानीटरिंग दलों ने वर्ष, 1981 के दौरान जिन केन्द्रों का दौरा किया था, उनके नाम तथा वर्ष 1980 और 1981 की अप्रैल से दिसम्बर तक की अवधि के दौरान इन केन्द्रों के सयंत्र भार अनुपात नीचे दिये गए हैं :

केन्द्र का नाम	क्षमता (मेगावाट)		संयंत्र भार अनुपात	
	1980	1981	1980-81 (दिसम्बर, 1980 तक)	1981-82 (दिसम्बर, 1981 तक)
1	2	3	4	5
बदरपुर	510	510	44	46.76
इन्द्रप्रस्थ स्टेशन	282.5	282.5	62	50.04
भटिण्डा	440	440	37.6	41.39
पनकी विस्तार	220	220	41	43.25
फरीदाबाद	120	180	30	32.32
हरदुआगंज "बी"	220	220	29	34.92
हरदुआगंज "सी"	170	170	32	48.22
पानीपत	220	220	33	36.50
ओबरा विस्तार-1	300	300	37	31.82
ओबरा विस्तार-2	600	800	37	32.75
चन्द्रपुर	780	780	38	50.33
दुर्गापुर	250	250	20	54 24
पतरातू	620	620	32	27.56
बोकारो	227.5	227.5	41	56.14
संथालेडीह	360	480	37	31.47

1	2	3	4	5
अमरकंटक	300	300	58.2	61.46
कोरबा	420	540	55.8	53.00
सतपुड़ा	512.5	722.5	53	43.75
नासिक	700	910	39.5	45.55
गांधीनगर	240	240	48	47.29
एन्नोर	450	450	36	37.31
बेसिन ब्रिज	90	90	42	31.14
विजयवाड़ा	420	420	32	68.72
कोठागुन्डम	680	680	30	32.15

यह देखा जा सकता है कि जिन केन्द्रों का दौरा किया गया था उनमें से 16 केन्द्रों के संयंत्र भार अनुपात में वृद्धि हुई। शेष 8 यूनिटों के मामले में संयंत्र भार अनुपात में कमी का कारण था लम्बी अवधि की अप्रत्याशित जबरन बन्दियां तथा नए यूनिटों के स्थिरीकरण की मात्रा और लम्बी अवधि।

दिल्ली और नई दिल्ली में सार्वजनिक टेलीफोन बूथों की संख्या

239. **श्री भीकूराम जैन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली में आम जनता की सुविधा के लिए कितने सार्वजनिक टेलीफोन बूथ स्थापित हैं; और

(ख) इनमें से कितने टेलीफोन बूथों के टेलीफोन खराब हैं और उनकी मरम्मत तथा रख-रखाव के लिए क्या प्रबंध किए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली में 2623 सार्वजनिक टेलीफोन बूथ हैं।

(ख) मोटे तौर पर एक दिन में सार्वजनिक टेलीफोनों में से 3 प्रतिशत खराब रहते हैं। सार्वजनिक टेलीफोनों की कार्यप्रणाली पर निरंतर निगरानी रखी जाती है। जब कभी भी कोई सार्वजनिक टेलीफोन खराब पाया जाता है अथवा उसके खराब होने का पता चलता है उस पर तत्काल ध्यान दिया जाता है।

सौराष्ट्र में तेल की खोज के लिए अमरीकी फर्म से करार

240. श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सौराष्ट्र क्षेत्र में तेल की खोज और उत्पादन के लिए अमरीकी-फर्म के साथ करार करने का है; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी हां ।

(ख) समझौते के विस्तृत ब्यौरे कम्पनी के साथ बातचीत के अन्तिम चरणो में हैं ।

राजस्थान में नलकूपों के लिए बिजली के कनेक्शन

241. श्री चतुर्भुज : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत छः महीनों से राजस्थान के उन गांवों में, जिनके लिए बिजली की मंजूरी दी जा चुकी है, नलकूपों के लिए बिजली का एक भी कनेक्शन नहीं दिया गया है; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ख) वर्ष 1982-83 के दौरान कुल कितने गांवों को बिजली दिए जाने का विचार है और झालावाड़ तथा कोटा जिलों के किन-किन गांवों में बिजली के नये कनेक्शनों की मंजूरी दी जा रही है और कितने-कितने नए कनेक्शन दिए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं । राजस्थान में स्वीकृत की गई ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के अन्तर्गत, पिछले छः महीने (जुलाई-दिसम्बर, 1981) के दौरान 5944 पम्पसेट अर्जित किए गए हैं ।

(ख) ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें राज्य बिजली बोर्डों द्वारा तैयार की जाती हैं और उन्हीं के द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं । वर्ष 1982-83 के दौरान झालावाड़ और कोटा जिलो में विद्युतीकरण के लिए हाथ में लिए जाने वाले गांवों का निर्धारण राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड द्वारा किया जाएगा । आशा की जाती है कि वर्ष 1982-83 के दौरान राजस्थान में 1500 गांव विद्युतीकृत किए जाएंगे ।

महत्वपूर्ण शहरों में स्थानीय टेलीफोन सेवा में सुधार के उपाय

242. श्री मुकुन्द मण्डल : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के महत्वपूर्ण शहरों में स्थानीय टेलीफोन सेवा में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : देश के महत्वपूर्ण शहरों में स्थानीय टेलीफोन प्रणाली को सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

(1) दोषों का शीघ्रता से पता लगाने की प्रक्रिया को सुसाध्य बनाने के लिए भूमिगत मुख्य गोंण और जंकशन केबलों का गैसदाबीकरण,

(2) महत्वपूर्ण मार्गों पर नलियों में केबल बिछाना,

(3) आर्द्रता के प्रवेश को रोकने के लिए वितरण जालकार्य में जेली भरे केबलों का प्रयोग,

(4) उपभोक्ता कनेक्शनों के लिए इन्सुलेट ड्राप-वायर का प्रयोग,

(5) उपभोक्ता के परिसर फिटिंग में अल्यूमिनियम की तार का तांबे की तार द्वारा प्रतिस्थापन,

(6) अनुपस्थिति का सामना करने के लिए टेलीफोन आपरेटरों और अंशकालिक टेलीफोन आपरेटरों का प्राशिक्षित आरक्षित पूल रखना,

(7) शिकायतों केबल का रिकार्ड डायरेक्टरी पूछताछ आदि के उचित रिकार्ड हेतु इन हाउस कम्प्यूटर सेंटर की संस्थापना,

(8) इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों को आरम्भ करके जालकार्य को आधुनिक बनाना,

(9) समयबद्ध कार्यक्रम पर कलकत्ता और दिल्ली टेलीफोन प्रणालियों के बाह्य संयंत्र जालकार्य का दर्जा बढ़ाने हेतु कार्य दलों का गठन भी किया गया है ।

राज्य विद्युत बोर्डों का कामकाज

243. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार देश में राज्य विद्युत बोर्डों के विशेष रुप से विद्युत उत्पादन के क्षेत्र म कामकाज के तरीके स संतुष्ट नहीं ह ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रायय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार को राज्य बिजली बोर्डों की समस्याओं की जानकारी है । यद्यपि राज्य बिजली बोर्डों के कार्य निष्पादन में सुधार करने की प्रमुख जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, तथापि राज्य बिजली बोर्डों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने समय-समय पर मार्ग दर्शी सिद्धान्त जारी किए है । इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के लिये राज्य बिजली बोर्डों के वित्तीय कार्य-निष्पादन में सुधार किया जाना शामिल है, संयत्र और उपस्कर में सुधार करना तथा क्षमता का अधिकाधिक समुपयोजन करना, टैरिफ ढांचे को युक्तिसंगत बनाना, श्रमशक्ति और सामग्री सूची पर नियन्त्रण करार और समुन्नत परियोजना प्रबन्ध शामिल है ।

उत्पादन; पारेषण और वितरण पर सन्तुलित निवेश और प्रणाली सुधार स्कीमों के कार्यन्वयन के जरिये पारेषण और वितरण हानियों को कम किए जाने पर जोर दिया गया है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार राज्य बिजली बोर्डों के प्रचालन संबन्धी कार्य-निष्पादन की गहन मानीटरिंग भी कर रही है। इन उपायों के परिणामस्वरूप देश में समग्र विद्युत उत्पादन में कुछ सुधार हुआ है।

स्थानीय टेलीफोन सेवा में सुधार करने के लिए माइक्रोवेव-सम्पर्क

244. **श्री समर मुखर्जी : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्थानीय टेलीफोन सेवा सुधार कमने हेतु माइक्रोवेव सम्पर्क की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर माइक्रोवेव सम्पर्क की व्यवस्था करने का विचार है; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा किए गए उपायों का विस्तृत ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) एवं (ग) कलकत्ता में स्थानीय जालकार्य हेतु पहले ही सूक्ष्मतरंग सम्पर्क है। कुछ और सम्पर्कों की स्थापना की जा रही है। बम्बई मे स्थानीय जालकार्य हेतु भी सूक्ष्म तरंग सम्पर्क की योजना बनाई गई है। नई दिल्ली, हैदराबाद तथा एर्नाकुलम हेतु भी ऐसे ही प्रस्ताव हैं। कलकत्ता तथा बम्बई हेतु उपस्कर आयात किए जा रहे है।

उपग्रह रिले-केन्द्र

245. **श्री आर० एस० माने** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में (राज्यवार) विशेषरूप से महाराष्ट्र और कोल्हापुर में कितने-कितने उपग्रह केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : "इनसैट" स्कीम के अन्तर्गत छठी योजना अवधि के दौरान उपग्रह के माध्यम से दूरदर्शन कार्यक्रमों को रिले करने के लिये निम्नलिखित स्थानों पर चार ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है :

बिहार—रांची

गुजरात — राजकोट

महाराष्ट्र—नागपुर

उत्तर प्रदेश — गोरखपुर

हैदराबाद तथा सम्बलपुर के मौजूदा ट्रांसमीटरों को भी उपग्रह के जरिए दूरदर्शन कार्यक्रमों को रिले करने के लिए जोड़ा जाएगा। महाराष्ट्र में केवल नागपुर में ही ट्रांसमीटर लगाने का प्रस्ताव है। कोल्हापुर स्कीम में शामिल नहीं है।

देश के सभी मौजूदा और प्रस्तावित दूरदर्शन केन्द्र भी "इनसैट" के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम रिले करेंगे ।

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन केन्द्रों की मंजूरी देने सम्बन्धी नीति

246. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में हानि के आधार पर टेलीफोन केन्द्रों की मंजूरी देने सम्बन्धी नीति को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ठीक-ठीक क्या निर्णय लिया गया है और यह किस तारीख को लिया गया है;

(ग) इस सम्बन्ध में लिए गए निर्णय की तारीख से लेकर अब तक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा जम्मू और काश्मीर राज्यों में किन-किन स्थानों पर हानि के आधार पर ऐसे केन्द्रों की स्थापना के लिए मंजूरी दी गई है; और

(घ) उनमें से कौन-कौन से केन्द्रों की स्थापना इस बीच की जा चुकी है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां । कुछ सीमाओं में घाटे के आधार पर 100 लाइनों तक के छोटे स्वचल एक्सचेन्ज मंजूर किए जा सकते हैं ।

(ख) इस सम्बन्ध में निर्णय मार्च, 1980 में लिया गया था । इसकी एक प्रति विवरण एक में दी गई है ।

(ग) और (घ) अपेक्षित सूचना विवरण दो में दी गई है । राज्यवार स्थिति इस प्रकार है :

राज्य	स्वीकृत संख्या	संस्थापित संख्या
1. पंजाब	27	4
2. हरियाणा	27	19
3. हिमाचल प्रदेश	13	6
4. जम्मू व काश्मीर	1	शून्य

विवरण-एक

ग्रामीण क्षेत्रों में नए टेलीफोन एक्सचेन्ज खोलने के सम्बन्ध में नीति

डाक-तार विभाग के सामान्य नियमों के अन्तर्गत, टेलीफोन एक्सचेन्जों को खोलने हेतु परियोजनाएं केवल परियोजना के वित्तीय मूल्य निर्धारण को कार्यान्वित करने के पश्चात् ही स्वीकार की जाती हैं और यह सुनिश्चित किया जाता है कि वार्षिक आवर्ती व्यय अनुमानित वार्षिक राजस्व से अधिक न हो । हालांकि उपस्कर, भण्डार और श्रम की बढ़ती हुई लागत के

कारण यह पाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे एक्सचेन्जों हेतु अत्यधिक संख्या में योजनाएं केवल प्रारंभिक अवस्था में ही नहीं अपितु पूर्णतया सज्जित क्षमता के पश्चात भी अलाभकारी सिद्ध हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाओं को बढ़ाने की अनुमति देने के लिए 100 लाइनों तक की क्षमता के टेलीफोन एक्सचेन्जों को खोलने/विस्तार करने के लिए निम्नलिखित उदारीकृत नीति 1-4-1980 से अपनाई गई है।

(1) प्रत्येक पृथक-पृथक परियोजना पर, यह दबाव डाले बिना कि वह लाभप्रद हो, ग्रामीण क्षेत्रों में 100 लाइनों की क्षमता तक के छोटे स्वचल एक्सचेन्ज खोले जा सकते हैं और उनका विस्तार किया जा सकता है। ऐसे एक्सचेन्जों को खोलने और उनका विस्तार निजी तथा सार्वजनिक (सेवा कनेक्शनों के अतिरिक्त) टेलीफोन कनेक्शनों हेतु मांग द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

2. 10 लाइनों का एक एक्सचेन्ज खोला जा सकता है बशर्ते कि केन्द्रीय ग्राम की 5 किलोमीटर की अरीय दूरी के भीतर एक ग्राम अथवा ग्राम समूह में ऐसे कनेक्शनों हेतु कम से कम 5 (पांच) टेलीफोनों की मांग हो परन्तु अनुमानित राजस्व अनुमानित वार्षिक आवर्ती व्यय का कम से कम 35 प्रतिशत होना चाहिए। (फिलहाल इस समय यह लागू नहीं है क्योंकि 10 लाइनों के छोटे स्वचल एक्सचेन्ज को अभी विकसित किया जा रहा है। इसको कृपया नीचे पैरा (5) के सन्दर्भ में भी देखा जाए।

3. 10 लाइनों के एक्सचेन्ज को बदला जा सकता है अथवा 25 लाइनों का एक नया एक्सचेन्ज स्थापित किया जा सकता है यदि केन्द्रीय ग्राम की 5 किलोमीटर की अरीय दूरी के भीतर एक ग्राम में अथवा ग्राम समूह में ऐसे 10 कनेक्शनों हेतु मांग हो बशर्ते कि अनुमानित राजस्व अनुमानित वार्षिक राजस्व व्यय का कम से कम 40 प्रतिशत हो।

(4) 25 लाइनों का एक्सचेन्ज 50 लाइनों के एक्सचेन्ज में बदला जा सकता है जब मांग 23 तक पहुंच जाए और 50 लाइनों के एक्सचेन्ज का 100 लाइनों तक बिस्तार किया जा सकता है जब मांग 46 तक पहुंच जाए बशर्ते कि अनुमानित राजस्व अनुमानित वार्षिक आवर्ती का क्रमशः 60 और 70 प्रतिशत हो।

(5) सामान्य रूप में, नए स्टेशन में छोटे स्वचल एक्सचेन्ज की प्रारंभिक क्षमता 10 लाइनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर भी, इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए कि 10 लाइनों के इलेक्ट्रोनिक एस० ए० एक्स० का विकास कार्य अभी चल रहा है तथा इस तारीख तक उपलब्ध सबसे छोटा एक्सचेन्ज 25 लाइनों की नाममात्र की क्षमता है। 25 लाइनों के एक्सचेन्ज को तब तक खोलने में कोई आपत्ति नहीं है जब तक कि 10 लाइनों का एक्सचेन्ज आसानी से उपलब्ध नहीं होता, बशर्ते कि कम से कम 10 नियमित निजी और सार्वजनिक कनेक्शनों (सेवा कनेक्शनों के अतिरिक्त) की मांग हो।

उपरोक्त उदारीकृत नीति स्वचल एक्सचेन्जों का खोलने/विस्तार करने हेतु लागू है।

1. छोटे हस्तचल एक्सचेन्जों को खोलने के लिए कम से कम 5 आपरेटरों को नियुक्त करना पड़ेगा ताकि सप्ताह भर दिन-रात सेवा प्रदान करेंगे। क्योंकि ऐसे छोटे हस्तचल एक्स-

चेन्जों को खोलने में काफी घाटा होता है अत: सामान्यत: 100 लाइनों से कम के हस्तचल एक्सचेन्जों को खोलने पर विचार नहीं किया जाता ।

2. इस समय दूरसंचार सर्किलों के अध्यक्ष 25 लाइनों के उन छोटे स्वचल एक्सचेन्जों को खोलने की योजनाओं को मंजूरी दे रहे हैं जहां कम से कम 10 प्रत्याशित उपभोक्ताओं ने 100 रु० की निर्धारित अग्रिम जमा के साथ अपनी मांग पंजीकृत करा ली हो । इस उद्देश्य हेतु प्रत्याशित उपभोक्ता क्षेत्र के उप मंडल अधिकारी फोन्स/तार से संपर्क करें ।

3. ऐसे एक्सचेजों को खोलने में किराए पर उचित भवन और एक्सचेन्ज उपस्कर, पावर संयंत्र, बैटरी, केबल, लाइन सामग्री आदि को प्राप्त करना सम्मिलित है । अत: एक बार योजना को मंजूरी दे देने के पश्चात् एक्सचेन्ज को चालू करने में लगभग 24 महीने लग जाते हैं ।

विवरण-दो

छोटे स्वचल एक्सचेन्ज

उदारीकृत नीति के अन्तर्गत स्वीकृत खोले गए

हिमाचल प्रदेश (*अब तक खोले गए-6)	पंजाब (*अब तक खोले गए-4)	हरियाणा (*अब तक खोले गए-19)	जम्मू तथा कश्मीर
1	2	3	4
*1. चिरगांव	1. सांगोल	**1. दादियाली	1. रोहुआ
*2. जगजीत नगर	*2. कुनकाकलां	*2. खरक	
*3. निरमाड	3. मेंगाला	*3. मदीना	
*4. सैरी	4. कलाअफगाना	*4. ऊजना	
*5. गमैरा	5. नागर	*5. बजाना	
6. जगा	6. पचात	*6. डोगड़	
7. चेण्डी	7. बिरत	*7. जुन्जूकलां	
*8. गजता	8. धईपाई	*8. बादली	
9. रैवालशेर	9. कलाबकरा	*9. बोदकलां	

1	2	3	4
10. लहनी सारेन	10. कुटली	*10. मालनहेल	
11. कंदोर	11. नोयानी	*11. जमालपुर	
12. कुठेरा	12. वडालाभंगेर	*12. कथरा	
13. जुखाला	*13. भागसर	*13. कुजेपुरा	
	*14. बांदाशिवाला	*14. बबरपुर	
	*15. हाजीपुर	*15. बमोली	
	16. खजली	16. लिगद	
	17. शाहबादपुर	17. अमोने	
	18. शथियाला	18. बरसाथ	
	19. जैतुन सरजाता	*19. खीजराबाद	
	20. कहीनुमान	*20. नालवी	
	21. दत्तारपुर	21. मयाना	
	22. तारागढ़	22. माथरी	
	23. तालवाले	23. मंढल	
	24. छाना	24. अलेवा	
	25. घोला	25. सिकन्दरपुर	
	26. मधीर	*26. हसनपुर	
	27. कच्चा-पक्का	*27. बामनीखेड़ा	

डाकघर बचत बैंक खातों में गबन/हेराफेरी के मामले

247. **श्री निहाल सिंह** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में डाकघरों के बचत बैंक खातों में गबन/हेराफेरी के ऐसे कितने मामले हैं, जिनके बारे में दिनांक 1 जनवरी, 1981 से 31 दिसम्बर, 1981 तक की अवधि के दौरान सरकार को पता चला है और इस कारण से सरकार को कितनी धनराशि का नुकसान हुआ है; और

(ख) क्या गत एक वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में बागस मनीआर्डरो और बचत बैंक से धनराशि निकालने के मामलों का भी पता चला है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1-1-1981 से 31-12-1981 की अवधि के दौरान डाकघर बचत बैंक खातों में क्षति और गबन के 1094 मामलों का पता लगाया गया जिनमें कुल 35,485.59,79 रुपये की क्षति और गबन शामिल है। विभागीय कार्रवाई और पुलिस जांच, रकम की वसूली, दावों का निपटान तथा कानूनी कार्रवाई के पूरा हो जाने के बाद ही क्षति की कुल रकम का अनुमान लगाया जा सकता है।

(ख) जी हां। पिछले एक वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में बचत बैंक खातों से जाली निकासी और जाली मनिआर्डरों के कुछ मामलों का पता लगाया गया।

हिमाचल प्रदेश में डाकघरों का खोला जाना

248. श्री वीरभद्र सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश में कितने डाकघर खोले जायेंगे; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आवंटित किए जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) छठी योजना अवधि के दौरान प्रत्येक सर्कल/क्षेत्र में खोले जाने वाले डाकघरों की संख्या हर वर्ष नियत की जाती है। वर्ष 1980-81 के दौरान हिमाचल प्रदेश में 79 शाखा डाकघर खोले गए। चालू वर्ष के दौरान 40 और डाकघर खोलने की योजना है। चालू वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य 40 में से 32 डाकघर पहले ही खोले जा चुके हैं।

(ख) निर्धारित वास्तविक लक्ष्यों के अनुरूप निधि का आवंटन हर वर्ष किया जाता है।

दूरसंचार फैक्ट्रियों का आधुनिकीकरण और विस्तार

*249. श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कलकत्ता, बम्बई, जबलपुर और भिलाई में स्थित दूरसंचार फैक्ट्रियों की उत्पादन प्रौद्योगिकी और उसके उत्पाद पुराने पड़ गये हैं;

(ख) यदि हां, तो कब तथा इन फैक्ट्रियों के आधुनिकीकरण और विस्तार का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो कब तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) उत्पादन प्रौद्योगिकी कुछ मामलों में आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है। तथापि उत्पाद पुराने नहीं पड़े हैं।

(ख) जी हां।

(ग) विभागीय दूरसंचार फैक्ट्रियों के आधुनिकीकरण तथा विस्तार हेतु छठी पंचवर्षीय योजना में 30 करोड़ रुपये का प्रावधान है। लागू की जाने वाली मुख्य योजनाएं इस प्रकार हैं :

(i) कलकत्ता और जबलपुर दूरसंचार फैक्ट्रियों में पुराने अप्रचलित जस्तेयुक्त संयंत्रों का नए आधुनिक जस्ते युक्त संयन्त्रों द्वारा प्रतिस्थापन।

(ii) दूरसंचार फैक्टरी, कलकत्ता में पुराने पड़े मौजूदा ढलाईघरों का खड़गपुर स्थित नए आधुनिक ढलाईघर द्वारा प्रतिस्थापन।

(iii) दूरसंचार फैक्टरी जबलपुर हेतु नया आधुनिक ट्यूब बनाने वाला संयंत्र।

(iv) कलकत्ता और जबलपुर स्थित दूरसंचार फैक्टरियों हेतु 4-स्पिडल ड्रिलिंग मशीनें प्राप्त करना।

(v) दूरसंचार फैक्टरी, बम्बई में कार्डेज शाप का आधुनिकीकरण और विस्तार।

(vi) दूर संचार फैक्टरी, जबलपुर में माइक्रोवेव टावर उत्पादन यूनिट का विस्तार।

(vii) जबलपुर और कलकत्ता स्थित दूरसंचार फैक्टरियों में पुरानी पड़ चुकी बोल्ट-फोरजिंग मेशीनों का नई आधुनिक हॉट आफसेट मल्टी फोर्ज मशीनों द्वारा प्रतिस्थापन।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली और कलकत्ता में स्थानीय टेलीफोन प्रणाली में सुधार लाने के उपाय

250. **श्री अजित बाग : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और कलकत्ता में स्थानीय टेलीफोन प्रणाली के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) समयबद्ध कार्यक्रम पर बाह्य संयंत्र के सुधार के लिए विभिन्न कार्यक्रम लागू करने के लिए कलकत्ता तथा दिल्ली प्रत्येक हेतु "कार्य बलों" का गठन किया गया है। उठाये गए विभिन्न कदम निम्नानुसार हैं :

(i) भूमिगत केबुल डक्टों का निर्माण;

(ii) जंक्शन, प्राथमिक तथा गौण केबुलों का दाबीकरण;

(iii) वितरण जालकार्य में जेलीभरे केबुलों का प्रयोग;

(iv) उपभोक्ता कनेक्शन के लिए रोधी ड्राप तारों का प्रयोग;

(v) वितरण स्थलों तथा केबिनेटों का पुन: स्थापन;

(vi) अल्युमिनियम फिटिंग को बदलकर तांबे के तार लगाना;

(vii) अत्यधिक क्षतिग्रस्त केबुलों को बदलना।

उपर्युक्त उपायों के अलावा दिल्ली तथा कलकत्ता की टेलीफोन प्रणालियों में सुधार करके के लिए निम्न उपाय भी किये गए हैं :

(i) अनुपस्थिति की समस्या से निपटने के लिए पूर्ण प्रशिक्षित आपरेटरों का आरक्षित पूल बनाना;

(ii) निकट भविष्य में इलेक्ट्रोनिक स्थानीय टैलेक्स तथा ट्रंक स्वचल एक्सचेंज लगाया जाना;

(iii) बिल बनाने के लिए लाइन निर्देशिका पूछताछ पर, कैबिल रिकार्ड रखने के लिए तथा निदेशिका की कमाई के लिए निकट भविष्य में महानगरों में इनहाउस कम्प्यूमटर चालू करना।

पोस्टकार्ड का पुन: उपयोग में लाया जाना

251. **श्री आर० के० महालगी** : क्या संचार मन्त्री मितव्यता के रूप में पोस्टकार्ड को पुन: उपयोग में लाये लाने के बारे में 15 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4340 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पोस्टकार्ड को पुन: उपयोग में लाये जाने के सुझाव पर कोई निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय का ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या विशिष्ट कारण हैं और निर्णय के कब तक लिये जाने की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) पोस्टकार्ड का पुन: प्रयोग करने से संबंधित सुझाव पर मितव्ययिता उपाय के बतौर निर्णय लिया गया है, परन्तु सुझाव स्वीकार्य नहीं हो सका।

नागपुर में दूरदर्शन केन्द्र

252. **श्री मधुसूदन बैरागे** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर को देश के दूरदर्शन नक्से में शामिल किये जाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और नागपुर का दूरदर्शन केन्द्र कब काम करना शुरू कर देगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां ।

(ख) "कम्सेट" के माध्यम से नागपुर में दूरदर्शन सेवा 15 अगस्त, 1982 से शुरू हो जाने की उम्मीद है । नागपुर में स्थापित किये जाने वाले कार्यक्रम निर्माण केन्द्र के लिए स्थान का चयन 31-1-82 को कर लिया गया है ।

कोयला क्षेत्र पुनर्निर्माण योजना

253. **श्री हरिहर सोरन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला क्षेत्र पुनर्निर्माण योजना आरम्भ कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उन कोयला क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिनका पुनर्निर्माण के लिए चयन किया गया है;

(ग) प्रत्येक कोयला क्षेत्र पुनर्निर्माण कार्यक्रम पर अनुमानत: कितनी लागत आयेगी;

(घ) पुनर्निर्माण कार्यक्रम कब तक क्रियान्वित किया जायेगा; और

(ङ) तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) सरकार ने कोयला क्षेत्र-वार मास्टर प्लान तैयार करने का निश्चय किया है ताकि योजना के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संबद्ध क्षेत्र में खनन कार्य पुनर्निर्माण पुनर्गठन किया जा सके ।

(ख) झरिया कोयला क्षेत्र के बारे में मास्टर प्लान पहले ही बना ली गई है । उत्तरी करणपुरा, तालचेर आदि अन्य कोयला क्षेत्रों के लिए मास्टर प्लान अभी बनाए जाने हैं ।

(ग) झरिया कोयला क्षेत्र के पुनर्गठन कार्यक्रम की लागत 5372 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है ।

(घ) और (ङ) झरिया कोयला क्षेत्र पुनर्गठन कार्यक्रम की सन् 2000 ईस्वी तक पूरी तरह कार्यान्वित हो जाने की आशा है और इसमें 9 बड़ी ओपेनकास्ट खानों और 21 भूमिगत खानों के निर्माण की व्यवस्था है ।

मूलभूत अधिकारों में प्रेस की स्वतन्त्रता का शामिल किया जाना

254. **श्री गुलाम मोहम्मद खां** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "एडिटर्स गिल्ड आफ इण्डिया" ने एक संकल्प में मूलभूत अधिकारियों में प्रेस की स्वतन्त्रता को शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन करने की मांग की है;

(ख) क्या गिल्ड ने सरकार से शासकीय गुप्त बात अधिनियम में संशोधन करने का भी अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) एडिटर्स गिल्ड आफ इण्डिया से इस प्रकार के कोई प्रस्ताव औपचारिक रूप से प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अतितापीय बिजली घर स्थापित करने की ब्रिटिश सरकार की पेशकश

255. **श्री बालासाहिब बिखे पाटिल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1000 मेगावाट का एक नया अतितापीय बिजली घर स्थापित करने के लिए सहयोग और वित्तीय सहायता देने के बारे में ब्रिटिश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित तापीय बिजली घर कब, किस स्थान पर व कितनी लागत पर स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) 100 प्रतिशत यू० के० सहायता से भारत में 1000 मेगावाट क्षमता का एक सुपर ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने के लिए यूनाइटेट किंगडम सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा है । यह एक एकमुश्त वित्तीय प्रस्ताव है जिसमें अनुदान, निर्यात ऋण और वाणिज्यक ऋण शामिल हैं । प्रस्ताव में ब्रिटिश उपकारों का आयात किया जाना शामिल है ।

(ग) इस प्रस्ताव पर सरकार ने कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है ।

राजस्थान में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए स्थान का चयन

256. **श्री अशोक गहलोत** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस कारखाने के लिए उपर्युक्त स्थान का चयन करने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो इस कारखाने को स्थापित करने के लिए सरकार ने किस स्थान का अन्तिम रूप से चयन किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) राजस्थान में स्थापित किये जाने वाले एक संयंत्र सहित गैस पर आधारित प्रस्तावित 6 अतिरिक्त उर्वरक संयंत्रों के लिए अनुकूलतम स्थानों का सुझाव देने हेतु सरकार द्वारा एक स्थल चयन समिति नियुक्त की गई थी। समिति ने राज्य सरकार द्वारा सुझाये गये संभावित स्थलों का विस्तृत सर्वेक्षण और तकनीकी-आर्थिक परीक्षण किया है। सरकार को समिति की रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है और उसका मूल्यांकन प्रारम्भ कर दिया है। राजस्थान में स्थापित किये जाने वाले संयंत्र सहित गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्रों के सही स्थानों पर रिपोर्ट का मूल्यांकन पूरा होने के शीघ्र बाद ही निर्णय लिये जाने की आशा है।

तारों का वितरण न किये जाने के बारे में शिकायतें

257. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 में तारों का वितरण न किये जाने के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) क्या 'उच्च प्राथमिकता' तार वितरण किये जाने के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; यदि हां, तो ऐसी शिकायतों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 9455।

(ख) जी, नहीं।

सिंदरी उर्वरक संयंत्र का आधुनिकीकरण

258. **श्री मोहनलाल पटेल :**

श्री नवीन रवाणी :

क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंदरी स्थित उर्वरक संयंत्र का आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके आधुनिकीकरण पर कितनी धनराशि खर्च की जायेगी; और

(घ) उसका उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) (क) : जी, नहीं। ईंधन तेल पर आधारित एक आधुनिकीकरण संयंत्र, जो एक नया अमोनिया-यूरिया संयंत्र है, 1979 में प्रारम्भ हो गया था और उत्पादन कर रहा है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

आदिवासी जीवन पर फीचर फिल्मों का बनाया जाना

259. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी जीवन पर फीचर फिल्में बनाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1982-83 में आदिवासी जीवन पर ऐसी कुल कितनी-कितनी फीचर फिल्में बनाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या ऐसी फिल्में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी बनाई जायेंगी;

(घ) क्या सरकार का विचार हरिजनों के जीवन पर भी फीचर फिल्में बनाने का है जिनमें उनके साथ उचित मेल-मिलाप दिखाया जाये; और

(ङ) इस संबंध में सरकार का ब्यौरे-वार कार्यक्रम क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) ग्रामोन्मुखी लघु फीचर-टाइप की फिल्मों के निर्माण के लिए फिल्म प्रभाग के क्षेत्रीय केन्द्र कलकत्ता और बंगलौर में स्थापित किए गए हैं।

(ख) सात।

(ग) कलकत्ता और बंगलौर केन्द्र देश के क्रमशः पूर्वी क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र की भाषाओं/बोलियों में फिल्में बनायेंगे।

(घ) और (ङ.) ये दो क्षेत्रीय केन्द्र ग्रामीण विकास, मद्य निषेध, साम्प्रदायिक मेल-मिलाप, अस्पृश्यता, आदि, आदि के विषयों के अतिरिक्त हरिजनों क जीवन स सम्बन्धित विषय पर भी फीचर-टाइप की फिल्में बना सकते हैं।

दिल्ली में टेलीफोन व्यवस्था

260. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में टेलीफोन खराब होने के बारे में संसद सदस्यों सहित जनता से उत्तरोत्तर अधिक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं; और

(ख) दिल्ली के टेलीफोन व्यवस्था में सुधार करने के लिए क्या ठोस कदम उठाये गये हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं। प्रति 100 टेलीफोनों पर औसत 67 है।

(ख) दिल्ली टेलीफोन प्रणाली के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) मौजूदा भूमिगत केबलों का गैस दाबीकरण;

(2) दाबीकृत नए केबल बिछाना;

(3) अर्द्ध नलिकाओं के रूप में, केबल की गहराई को देखते हुए, जहां आवश्यक पाया जाता है भूमिगत केबलों को सुरक्षा प्रदान करना;

(4) कुछ मार्गों पर नए केबलों को बिछाने के लिए नलिकाओं का निर्माण;

(5) केबल दोषों का पता लगाने के लिए केबल खाइयों को बन्द करने से पहले दबाया जाना;

(6) किए गए सभी केबल संयोजनों का फ्लैश प्रेशर परीक्षण;

(7) उपभोक्ता आहाते के निरीक्षण के लिए विशेष अभियान;

(8) अल्युमिनियम तार फिटिंग को बदलकर उत्तरोतर तांबे के तार लगाना;

(9) एक्सचेंज उपस्कर, विशेषकर अन्तर एक्सचेंज जंक्शनों का विशेष परीक्षण;

(10) दोष सुधार सेवा आटो-मैनुअल और ट्रंक सेवाओं की कार्यप्रणाली पर निरंतर निगरानी रखना;

बोध घाट पनबिजली परियोजना की स्वीकृति

261. **श्री लक्ष्मण कर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने बस्तर जिले में बोधघाट पनबिजली परियोजना के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ हो जाएगा;

(ग) क्या चालू वित्तीय वर्ष में इस पनबिजली परियोजना पर निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा; और

(घ) इसके पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) इन्द्रवती नदी पर बोधघाट जल विद्युत परियोजना (4 × 125 मेगा० 209.30 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर फरवरी, 197- में स्वीकृत की गई थी। इस परियोजना का कार्य हाथ में ले लिया गया है और बांध स्थल, हैड रेस सुरंग, विद्युत घर क्षेत्र तथा टेलरेस सुरंग के सम्बन्ध में संपुष्टिकारों अन्वेषण कार्य चल रहे हैं। विशिष्टयों की ड्राइगें भी तैयार की जा रही हैं।

(घ) अक्तूबर-नवम्बर, 1981 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में हुए वार्षिक योजना संबन्धी विचार-विमर्श के दौरान राज्य प्राधिकारियों ने यह बताया था कि परियोजना के निर्माण में छः वर्ष लगेंगे तथा पहले यूनिट के 1988 में किसी समय चालू किये जाने की आशा है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के अधीन कार्य करने वाली सहकारी समितियां

262. **श्री कुम्भा राम आर्य** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के अधीन कार्य करने वाली सहकारी समितियों के राज्य-वार नाम क्या हैं और वे किन-किन स्थानों पर हैं;

(ख) ऐसी सरकारी विद्युतीकरण समितियों द्वारा की गई प्रगति का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या ये समितियां घाटे में चल रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने अभी तक विभिन्न राज्यों में गठित 23 ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों की परियोजना रिपोर्टों को वित्तीय सहायता संबंधी स्वीकृति दी है। प्रत्येक राज्य में गठित समितियों के नाम तथा उनके स्थान संलग्न विवरण एक में दिखाये गये हैं।

(ख) इन 23 ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों में से 18 समितियां कार्य कर रही हैं और शेष 5 समितियां, जो कि हाल ही में स्वीकृत की गई हैं, प्रचालन आरंभ करने के लिए विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करने में लगी हुई हैं। कार्य कर रही समितियों की दिसम्बर, 1981 के अन्त तक प्राप्त की गई प्रगति के बारे में ब्योरा निम्नलिखित हैं :

क्रम संख्या	विवरण	की गई प्रगति
1	2	3
1.	बनाए गए सदस्यों की संख्या	1,67,122
2.	शेयर पूंजी की राशि	939.03 लाख रुपये

1	2	3
3.	विद्युतीकृत किए गए गांव	1,354
4.	ऊर्जित किए गए पम्पसेट	50,946
5.	लघु उद्योगों की संख्या जिनके लिए कनेक्शन दिए गए हैं	3787

(ग) कार्य कर रहीं 18 ग्रामीण सहकारी समितियों में से 2 समितियों ने अर्थात् मध्य प्रदेश के बेतुल जिले की मुलताई ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति ने तथा छतरपुर जिले की नवगांव ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति ने अगस्त, 1981 में कार्य करना आरंभ किया है। कार्य कर रहीं शेष 16 समितियों में से 12 समितियों के कार्य-परिणामों में लाभ दिखाया गया है जबकि 4 समितियों, क्रमशः गुजरात में कोडीनार, महाराष्ट्र में मुला प्रवाड़ा, उड़ीसा में अथागढ़ तथा आन्ध्र प्रदेश में रायाचोटी, के कार्य-परिणामों में हानि दिखाई गई है।

(घ) प्राप्त सूचना के अनुसार इन चार समितियों की हुई हानियों के मुख्य कारण और इन हानियों को निम्नतम करने के लिए किए गए उपाय निम्नानुसार हैं :

कोठीनार तथा मूला प्रवाड़ा समितियां

सम्बन्धित राज्य बिजली बोर्डों द्वारा अलाभकर टैरिफ ली जाना कृषि भारों की प्रमुखता होना तथा कृषि उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ता टैरिफ कम होना। सम्बन्धित राज्य सरकारें/राज्य बिजली बोर्ड जीवन क्षम टैरिफों के लिए सहमत हो गए हैं और आशा है कि जीवन क्षम टैरिफ लागू हो जाने पर इन दोनों समितियों को हानियां नहीं होंगी तथा वे लाभ-अलाभ की स्थिति प्राप्त कर लेंगी।

अथागढ़ समिति

उड़ीसा राज्य-बिजली बोर्ड ने पिछले चार वर्षों में टैरिफ में 4 बार एकतरफा वृद्धि करके टैरिफ बढ़ा दी है जिसके परिणामस्वरूप समिति को वित्तीय हानि हुई है। लाइन में हुई अधिक हानियों के प्रभाव क्षेत्र का पता समिति द्वारा लगाया गया है तथा लाइन हानियों को कम करने के लिए कदम उठाए गए और टैरिफ के सम्बन्ध में मामला राज्य बिजली बोर्ड के साथ उठाया गया और उनके निर्णय की प्रतीक्षा है।

रायचोटी ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति

लाइन में अधिक हानियां होने तथा प्रबन्ध व्यवस्था में उपरी स्तर पर बार-बार परिवर्तन होने से प्रतिकूल वित्तीय परिणाम रहे हैं। समिति के कार्य-निष्पादन में सुधार करने हेतु उचित कार्रवाई आरम्भ करने के लिए मामला राज्य सरकार के साथ उठाया गया है।

विवरण-एक

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की वित्तीय सहायता से गठित की गई ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों के नाम और स्थान दिखाने वाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य	नाम तथा स्थान
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1. सहकारी विद्युत सप्लाई समिति लिमिटेड सरसिला, जिला करीमनगर, (आन्ध्र प्रदेश)
		2. अंकापल्ली ग्रामीण विद्युत सप्लाई समिति लिमिटेड, अंकापल्ली जिला विशाखापट्टनम् (आंध्र प्रदेश
		3. रायचोटी ग्रामीण विद्युत सप्लाई सहकारी समिति लिमिटेड, रायचोटी, ज़िला गुडप्पा (आन्ध्र प्रदेश)
		4. *चोपरापल्ली ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति लिमिटेड, चीपयुरापल्ली, जिला विजयानरंम (आन्ध्र प्रदेश)
		5. *कुप्पम ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति, कुप्पम, जिला चित्तूर (आन्ध्र प्रदेश)
		6. *संजय (अन्दोले) ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति लिमिटेड, जोगीपेट, जिला मेडक (आन्ध्र प्रदेश)
2.	बिहार	1. फतवा फुलवाड़ी शरीफ ग्राम्य विद्युत सहकारी समिति लिमिटेड, पटना (बिहार)
3.	गुजरात	1. कोडीनार ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति लिमिटेड, गोडीनार, जिला अमेरली (गुजरात)
4.	जम्मू और कश्मीर	1. साम्बा ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति लिमिटेड, विजयपुर, जिला जम्मू (जम्मू और कश्मीर)

1	2	3
5.	कर्नाटक	1. हुकेरी तालुका सहकारी ग्रामीण विद्युत समिति लिमिटेड, हुकेरी, जिला बेलगांव (कर्नाटक)
6.	मध्य प्रदेश	1. ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति मर्यादित, मनासा, जिला मंदसौर (मध्य प्रदेश)
		2. ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति लिमिटेड, पनठाना, जिला पूर्वी-निमाड़ (मध्य प्रदेश)
		3. ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति लिमिटेड, मानावाड, जिला-धाड़ (मध्य प्रदेश)
		4. ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति, मर्यादित, मुलताई, जिला-बेतूल (मध्य प्रदेश)
		5. ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति लिमिटेड, नवगांव, जिला-छतरपुर (मध्य प्रदेश)
7.	महाराष्ट्र	1. मूला-प्रवाड़ा विद्युत सहकारी समिति लिमिटेड, श्रीरामपुर, जिला-अहमदनगर (महाराष्ट्र)
8.	उड़ीसा	1. अथागढ़ ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति लिमिटेड, अथागढ़, जिला-कटक (उड़ीसा)
		2. प्रस्तावित असका ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति लिमिटेड, असका, जिला-गंजाम (उड़ीसा)
9.	राजस्थान	1. कोटपुतली ग्रामीण विद्युत समिति लिमिटेड, कोटपुतली, जिला-जयपुर (राजस्थान)
10.	तमिलनाडु	1. कुमकोमण ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति लिमिटेड कुमकोणम, जिला-तंजावर (तमिलनाडु)
		2. *थीरुमावम ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति थीरुमाय जिला-पुड़कोट्टई (तमिलनाडु)
11.	उत्तर प्रदेश	1. सहकारी विद्युत सप्लाई समिति लिमिटेड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
12	पश्चिम बंगाल	1. सिंगुर-हरिपाल ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति लिमिटेड, सिंगुर-हरिपाल, जिला-हुगली (पश्चिम बंगाल)

*ये समितियां प्रचालन आरम्भ करने के लिए प्रक्रिया सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा करने में लगी हैं।

दिल्ली दूरदर्शन द्वारा बंगला फिल्में खरीदे जाने के संबंध में एक फिल्म वितरक को अधिमान

263. **श्री डूंगर सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे विभिन्न फिल्म वितरकों के नाम क्या हैं जिन्होंने गत पांच वर्षों में प्रादेशिक चित्रहार के लिए दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र को बंगला गीत श्रृंखला सप्लाई की उपर्युक्त अवधि में वर्षवार उनमें से प्रत्येक को कुल कितनी धनराशि दी गई है और उपरोक्त अवधि में उनमें से प्रत्येक से कुल कितने सप्ताहों के लिए कार्यक्रम स्वीकार किये गये;

(ख) दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र द्वारा गत पांच वर्षों में कितनी बंगला फीचर फिल्में दिखाई गईं और उनकी सप्लाई करने वाले फिल्म वितरकों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र जहां तक बंगला फीचर फिल्मों के चयन का सम्बन्ध है दिल्ली के किसी विशेष फिल्म वितरक को अधिमान देते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं यदि नहीं, तो दिल्ली के फिल्म निर्माताओं का ब्यौरा क्या है और गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष उनके द्वारा कौन-कौन सी बंगला फीचर फिल्मों की पेशकश की गई ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) सूचना विवरण में दी गई है।

(ख) सूचना विवरण में दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सूचना विवरण में दी गई है।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 3355/82]

मथुरा तेल शोधक कारखाने में पदों के लिए चयन

264. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनके नाम मथुरा तेल शोधक कारखाने में पदों के लिए मथुरा रोजगार कार्यालय से आमंत्रित किये गये थे और जो 1 दिसम्बर, 1981 के बाद तेल शोधक कारखाने में भरे जाने थे;

(ख) क्या उनमें से कुछ व्यक्तियों का चयन कर लिया गया है और उनमें से मथुरा जिले के व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनके नाम मथुरा रोजगार कार्यालय द्वारा भेजे गए हैं;

(ग) उनमें से ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्होंने अपनी शिक्षा मथुरा जिले में प्राप्त की है और जो इस जिले के निवासी हैं; और

(घ) क्या इन व्यक्तियों से कहा गया है कि वे इस आशय के प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें कि उनको 2 वर्ष या अधिक समय तक सरकारी ठेकेदारी के अधीन काम करने का अनुभव प्राप्त है और अब तक प्राप्ति प्रमाणपत्रों में से कितने प्रमाणपत्र मथुरा तेल शोधक कारखाने के ठेकेदारों द्वारा जारी किए गए हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) और (ख) 1 दिसम्बर, 1981 के पश्चात मथुरा तेल शोधक कारखाने के प्राधिकारियों ने जिला रोजगार कार्यालय, मथुरा को लगभग 8 पदों की भर्ती के संबंध में सूचित किया था। रोजगार कार्यालय ने इनमें से चारपदों के लिए अभी तक 2-0 नाम भेजे हैं। अन्तिम रूप से चयन अभी किया जाना है।

(ग) और (घ) प्रश्न नही उठता।

क्लोरमफनीकोल का निर्माण और बिक्री

265. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरणीकरण एजेंसी के पास क्लोरमफेनीकोल पामीटेट भारी मात्रा में जमा है और उसको नहीं उठाया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनेक लघु एकक इसका निर्माण क्लोरमफेनीकोल आई० पी० से कर रहे हैं और सरकार द्वारा बड़े कारखानों के लिए स्वीकृत दरों से सस्ती दरों पर बेच रहे हैं;

(ग) क्या बड़े कारखानों और लघु एककों द्वारा निर्मित उत्पाद की किस्म में कोई अन्तर हैं; और

(घ) यदि हां तो क्या अन्तर है और यदि नहीं, तो बड़े कारखानों के सम्बन्ध में ऊंची दरों की स्वीकृति दिये जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) स्टेट केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के पास इस समय क्लोरमफेनीकोल पामीटेट का 38 टन का स्टाक है। इस मद का उठान धीमा है।

(ख) 16 नवम्बर, 1981 को सरकार ने मै० पार्के डैविस (इण्डिया) लि० द्वारा मूल स्तर अर्थात एक्स बैन्जलडिहाइड से क्लोरमफेनीकोल चूर्ण के अपने ही उत्पादन से निर्मित क्लोरमफेनीकोल पामीटेट के लिए 707.42 रु० प्रति कि० ग्रा० का मूल्य निर्धारित किया है। कुछ छोटे पैमाने के यूनिट भी क्लोरमफेनीकोल पामीटेट का निर्माण कर रहे हैं लेकिन वे मूल स्तर के बजाय एल-बेस नामक एक आयातित मध्यवर्ती से निर्मित क्लोरमफेनीकोल चूर्ण से उसका निर्माण कर रहे हैं। इनमें से किसी भी यूनिट ने अपने मूल्य निर्धारित कराने के लिए अभी तक सरकार से नहीं कहा है। यद्यपि, उनकी लागतों और मूल्यों का कोई अध्ययन नहीं किया गया है, लेकिन यह

पता लगा है कि इनमें से कुछ यूनिट इस औषधि को आयातित मध्यवर्ती से निर्माण के परिणाम-स्वरूप प्राप्त होने वाले लागत लाभ के कारण मूल स्तर से स्वदेशी उत्पादन के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मूल्यों से सस्ते मूल्य पर बेच रहे हैं।

(ग) सरकार ने बड़े पैमाने के और छोटे पैमाने के यूनिटों द्वारा निर्मित उत्पादों की किस्म की तुलनात्मक जांच नहीं की है, किन्तु देश में बेची जाने वाली समस्त औषधों के लिए कम से कम आई० पी० मानक का होना आवश्यक है।

(घ) चूंकि, क्लोरमफेनीकोल पामीटेट के लिए छोटे पैमाने के यूनिटों के मूल्यों का अध्ययन अभी किया जाना है। अतः सही मूल्य तुलना उपलब्ध नहीं है। तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि मूल स्तर से निर्मित क्लोरमफेनीकोल चूर्ण से इस औषध का देश में ही निर्माण करना आयातित मध्यवर्ती से निर्मित क्लोरमफेनीकोल चूर्ण से इसके उत्पादन की तुलना में मंहगा है। जहां तक बड़े पैमाने के यूनिटों के लिए निर्धारित किए गए मूल्य का सम्बन्ध है यह कहा जा सकता है कि यह बी० आई० सी० पी० द्वारा निर्माताओं की वास्तविक लागत की जांच पर आधारित है और सरकार की नीति के अनुसार निर्माताओं को एक निर्दिष्ट दर से लाभ की अनुमति है।

त्रिलोकपुरी और मयूर बिहार में तार, टेलीफोन और डाक सुविधाओं की व्यवस्था

266. **श्री ईरा अनबारासु :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिलोकपुरी-मयूर बिहार हाल ही में विकसित बस्तियां हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि मयूर बिहार में रहने वाले लोगों के लिए तार, टेलीफोन व डाक की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या और कब कार्यवाही करने का प्रस्ताव है; और

(घ) इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) यह सच है कि यमुना पार क्षेत्र में मयूर बिहार एक हाल ही में विकसित की गई एक डी० डी० ए० कालोनी है। परन्तु त्रिलोकपुरी पुनर्वास कालोनी वर्ष 1975-76 में अस्तित्व में आई थी।

(ख) मयूर बिहार का समीपवर्ती डाकघर हिम्मतपुरी है जो ½ कि० मी० की दूरी पर है। यद्यपि खास मयूर बिहार में सार्वजनिक टेलीफोन घर तथा तारघर, उपलब्ध नहीं है तथापि ये सुविधाएं पटपड़गंज डाकघर तथा खिचड़ीपुर डाकघर जो कि क्रमशः 1.5 और तीन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, में उपलब्ध है। त्रिलोकपुरी पुनर्वास कालोनी में पहले से ही एक डाकघर है।

(ग) और (घ) विकलांग द्वारा सेवित सार्वजनिक टेलीफोन की व्यवस्था करने की दृष्टि से मामले की जांच की जा रही है। बशर्ते कि उपयुक्त स्थान उपलब्ध हो जाए।

मौजूदा मानदण्डों के अनुसार मुख्य शहरी क्षेत्रों में दो डाकघरों के बीच की दूरी सामान्यत: एक किलोमीटर होनी चाहिए। मयूर बिहार कालोनी, हिम्मतपुरी डाकघर से केवल 0.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अतएव मौजूदा नियमों के अंतर्गत मयूर बिहार में डाकघर खोलने का कोई औचित्य नहीं है।

आगरा में दूरदर्शन रिले केन्द्र खोला जाना

267. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई खेलों से पूर्व आगरे और उसके आसपास के क्षेत्रों की जनता के लाभ के लिए दिल्ली दूरदर्शन के प्रसारणों को रिले करने हेतु आगरे में एक दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो ट्रांसमीटर का रेंज कितना होगा और यह कब से काम करने लगेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पैट्रोल के आयात और उपयोग पर रोक

268. **श्री रेणुपद दास :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुगतान शेष की स्थिति में अन्तर को दूर करने के लिए सरकार पैट्रोल के आयात और प्राइवेट कार मालिकों द्वारा पैट्रोल के उपयोग पर रोक लगाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि उपर्युक्त निर्णय लिया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो तत्सम्बन्धी कारणों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) मीटर स्पिरिट का कोई आयात देश में नहीं किया जा रहा है और इसलिए पेट्रोल के आयात पर प्रतिबंध लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

बिड़ला, टाटा, डालमिया और साहू जैन, बन्धुओं की आस्तियां और उच्च कार्यकारी अधिकारियों द्वारा व्यय

269. **श्री रामविलास पासवान :**
श्री रेशमा मोतीराम भोये :
श्री राजेश कुमार सिंह :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बिड़ला, टाटा, डालमिया और साहू जैन बन्धुओं की 31 दिसम्बर, 1981 को चल और अचल सम्पत्ति कितनी थी;

(ख) क्या यह सच है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी संयुक्त कार्यकारी/अधिकारी देश व विदेश में अपने दौरों पर पानी की तरह धन खर्च करते हैं और मनोरंजन व्यय भी बहुत अधिक करते हैं;

(ग) गत पांच वर्षों में, वर्षवार, उपयुक्त व्यापार गृहों में से प्रत्येक का भारत और विदेशो में यात्रा व्यय कितना रहा है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस प्रकार के व्यय पर रोक लगाने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) :(क) कम्पनी कार्य विभाग में, औद्योगिक घरानों से सम्बन्धित कम्पनियों की चल तथा अचल सम्पतियों पर अलग से आकड़े संकलित करना तथा संधारित करना, अपेक्षित नहीं है । तथापि, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अन्तर्गत 31-1-1980 तक के पंजीकरणों के अनुसार, बिड़ला, टाटा तथा साहू जैन समूहों की 1980 में कुल परिसम्पतियां नीचे दी जाती हैं। उपरोक्त घरानों के 1981 की परिसम्पतियों के आंकड़े नहीं हैं, क्योंकि इन घरानों से सम्बन्धित सभी कम्पनियों के तुलन पत्र अभी देय नहीं हैं ।

औद्योगिक घराने का नाम	1980 में परिसम्पतियां (करोड़ रु० में)
1. बिड़ला	1431.99
2. टाटा	1538.97
3. साहू-जैन	58.39

डालमिया की बाबत, यह वर्णनीय है कि कम्पनी विधि बोर्ड ने अपने दिनांक 8-2-1980 के आदेश द्वारा धारित किया कि 23 उपक्रम, ऐसे व्यक्तियों के एक समूह के नियंत्रणाधीन थे जो श्री जयदयाल डालमिया के परिवार के सदस्य हैं, परन्तु इस आदेश पर, दिल्ली उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालयों, दोनों के समक्ष आपत्ति उठाई गई है, जिनमें अन्तरिम रोकादेश प्रदान कर दिया गया है तथा दोनों न्यायालयों के समक्ष कार्यवाहियां अनिर्णीत हैं। तथापि, डालमिया समूह के सदस्यों द्वारा नियत्रित होना स्वीकार करने वाली किसी कम्पनी का एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारी व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकरण नहीं हुआ है । अतः इस बाबत अपेक्षित सूचना देना संभव नही है ।

(ख) तथा (ग) कम्पनी कानून के विद्यमान उपबन्धों, में कम्पनी के अन्तिम लेखाओं में इनके कार्यकारियों द्वारा दौरों, मनोरंजन आदि पर किए गए व्ययों को अलग से दिखाने का कोई प्रावधान नहीं है ।

(घ) सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, सच्चर समिति की सिफारिशें, जिनमें, साथ-साथ प्रबन्धकीय परिश्रमिक के समान सम्बन्धित निर्गमनों पर कुछ सुझाव सम्मिलित हैं, सरकार के विचारधीन हैं ।

फिल्म निर्माण और थियेटर निर्माण को उद्योग के रूप में मान्यता दिया जाना

270. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म निर्माण और थियेटर निर्माण को उद्योग के रूप में मान्यता दिये जाने सम्बन्धी मामले का अध्ययन करने के लिये विशेषज्ञों की कोई समिति बनाई गई है जिससे वे संस्थागत ऋण प्राप्त कर सकेंगे; और

(ख) यदि हां, तो उसके निर्देशपद क्या हैं और सम्बन्धित ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) सरकार ने इस प्रकार की कोई समिति गठित नहीं की है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

"महात्मा" नामक फिल्म

271. **माधव राव सिंधिया** :

रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महात्मा गान्धी के जीवन से सम्बन्धित "महात्मा फिल्म" जो एक विदेशी फिल्म निर्माता को दी गई है, तैयार हो गई है;

(ख) सरकार ने उसकी लागत के अपने हिस्से के रूप में अब तक कितनी धनराशि खर्च की है; और

(ग) क्या सरकार ने उस पर विचार कर लिया है और अपनी स्वीकृति दे दी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) सर रिचर्ड एटनबोरो द्वारा "गांधी" फिल्म की शूटिंग मुकम्मल की जा चुकी है और संपादन, संगीत की रिकार्डिंग, आदि से संबंधित कार्य चल रहा है ।

(ख) भारत सरकार ने इस फिल्म के वित्तपोषण में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, जो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, के माध्यम से भाग लिया है । अब तक निगम ने इस फिल्म के निर्माण की बाबत 5.87 करोड़ रु० का योगदान दिया है ।

(ग) जी, नहीं । फिल्म की अंतिम प्रिंट अभी तैयार नहीं है ।

दिल्ली छावनी में बिजली के अनाधिकृत उपभोक्ता

272. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली छावनी में बिजली के उपभोक्ता स्वीकृत भार से अधिक भार का उपयोग कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप भार बढ़ जाता है और बार-बार बिजली बन्द हो जाती है और नये उपभोक्ताओं को बिजली नहीं दी जाती;

(ख) यदि हां, तो क्या सही स्थिति का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है और नियमों की क्रियान्वित सुनिश्चित करने के लिये इस मामले में क्या उपयुक्त कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) दिल्ली छावनी के प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि कई उपभोक्ता विशेष तौर पर दुकानें, अपने पूरे सम्बद्ध भार का उपयोग कर रहे हैं तथा शाम के समय किनारे/पटरी की दुकानों को अतिरिक्त अस्थायी कनेक्शन भी दे रहे हैं। इससे यह माना जा सकता है कि स्वीकृत भार से अधिक भार का उपयोग किया जाता है। प्रणाली को सुदृढ़ करने के बाद ही नए कनेक्शनों को मंजूरी दे सकना संभव होगा। इस हेतु दो निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी गई थी।

(ख) इस सम्बन्ध में स्थिति का मूल्यांकन करने तथा उपयुक्त कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए सर्वेक्षण पूरा करने के लिए स्टेशन हैडक्वाटर्स ने एक बोर्ड आफ आफीसर्स का आयोजन किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

फालतू पुर्जों की कमी के कारण टेलीफोन की खराबियां ठीक करने में विलम्ब

273. **श्री गदाधर साहा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि स्विच बोर्ड प्लग, कार्ड जैक, स्ट्रिपस लेम्पस और हैड-गियर सेट जैसे फालतू पुर्जों की कम सप्लाई के कारण टेलीफोन की खराबियां ठीक नहीं हो सकीं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन फालतू पुर्जों को उपलब्ध कराने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) स्विच बोर्ड प्लगों तथा स्विच बोर्ड लैम्पों की उपलब्धता मांग की तुलना में कम है। जैक स्ट्रिप तथा स्विच बोर्ड कार्ड की सप्लाई पर्याप्त है। हैड गियर सैटों की उत्पादन क्षमता सीमित है। यद्यपि इन मदों में से कुछ की सप्लाई अपर्याप्त है परन्तु इसके कारण टेलीफोन से सम्बन्धित दोषों को दूर करने में

बाधा नहीं आई है । इन मदों की उपलब्धता में सुधार करने के उद्देश्य से उत्पादन क्षमता तथा उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाये गए हैं ।

मिजोरम में धोबस्वरी पनबिजली परियोजना

274. **श्री चित्त बसु :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मिरोजम में धोबस्वरी पनबिजली परियोजना का जांच कार्य करना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या राष्ट्रीय पन-बिजली विद्युत निगम इस समय उसके पास उपलब्ध जांच सामग्री से परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की स्थिति में हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने का यह कार्य कब तक आरम्भ किया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) इस परियोजना का अन्वेषण कार्य राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ने हाथ में लिया है । आशा की जाती है कि काम करने की 2 या ३ ऋतुओं में यह कार्य पूरा हो जाएगा जिसकी समाप्ति के बाद एक सम्पूर्ण परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी ।

काली नदी परियोजना (कर्नाटक) में बिजली का उत्पादन बन्द हो जाना

275. **श्री टी० आर० शमन्ना :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि काली नदी परियोजना (कर्नाटक) में बिजली का उत्पादन बन्द हो गया है;

(ख) वहां पर बिजली उत्पादन बन्द होने के क्या कारण हैं; और

(ग) बिजली का उत्पादन तत्काल आरम्भ करने और उचित उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) काली नदी में प्रवाह बहुत कम होने के कारण, नागझरी बिजली घर में, जो एक रन-आफ-दा-रिवर केन्द्र है, 7-1-1982 से लगभग 2 महीने के लिए उत्पादन बन्द कर दिया गया है । बोप्पनाहाल्ली, तत्तीहाल्ली जलाशयों में निर्मित जल संचय क्षमता का उपयोग करते हुए जल प्रवाहों का संरक्षण बन्दी को इस अवधि के दौरान करने का प्रस्ताव है। मार्च, 1982 से प्रणाली की व्यस्ततमकालीन सहायता प्रदान करने के लिए इसका उपयोग ग्रीष्म ऋतु के दौरान किया जाएगा ।

सेंसर बोर्ड द्वारा पास की गई फिल्मों के प्रदर्शन पर सरकार द्वारा रोक लगाया जाना

276. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेंसर बोर्ड द्वारा एक फिल्म को पास किये जाने के बाद यह पता चला था कि उससे अलगाव की भावना पनपेगी और सरकार को उसके प्रदर्शन पर रोक लगानी पड़ी थी;

(ख) यदि हां, तो पिछले छः महीनों के दौरान सेंसर बोर्ड ने ऐसी कितनी फिल्में पास की हैं जिनके प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है;

(ग) क्या सरकार इस बात को समझती है कि मूल आलेख लिखे जाने अथवा उसके फिल्माये जाने के समय ही यदि उसकी अच्छी प्रकार जांच कर ली जाये तो निर्माताओं को इससे बड़ी सहायता मिलेगी और वे उसमें स्वयं ही संशोधन करके काफी पैसा बचा सकेंगे और सरकार भी अनावश्यक रूप से कठोर होने के आरोप से बच सकेगी; और

(घ) यदि हां, तो क्या सेंसर प्रक्रिया में ऐसा संशोधन लागू करने का कोई प्रस्ताव है; और यदि हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) "मेरी आवाज सुनो" नामक हिन्दी फीचर फिल्म, जिसे फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा कुछ कांट-छांट के बाद नवम्बर, 1981 में "ए" प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था, का प्रदर्शन केन्द्रीय सरकार द्वारा 19-12-81 को निलम्बित कर दिया था, क्योंकि यह पाया गया था कि फिल्म में यातना, नृशंस हिंसा और क्रूरता के दृश्य थे जिनका दर्शकों पर भयंकर और डरावना प्रभाव पड़ता था, तथा इसमें महिलाओं के अर्ध-नग्न दृश्य थे, जो मानविक संवेदनशीलता को क्षुब्ध करते थे तथा इसमें एक भवन को आग लगाने की कार्य प्रणाली दिखाई गई थी। तथापि, न्यायालयों ने निलम्बन आदेश को स्थगित कर दिया है। बोर्ड द्वारा प्रमाणीकृत की गई किसी भी अन्य फिल्म के प्रदर्शन को सरकार द्वारा बाद में छः महीनों के दौरान अर्थात् 1-8-81 से 31-1-82 तक रोका नहीं गया था।

(ग) और (घ) चलचित्र अधिनियम या चलचित्र (सेंसरशिप) नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि बोर्ड स्क्रिप्ट अवस्था पर या फिल्म के फिल्माए जाने (शूटिंग, इत्यादि) के समय पूर्व-सेंसरशिप सलाह दे। जिस प्रकार की औपचारिक सलाह दिए जाने का सुझाव दिया गया है उससे निर्माताओं और बोर्ड दोनों के लिए उस समय पेचीदगियां उत्पन्न हो सकती हैं जब फिल्मों को प्रमाणीकरण के लिए अन्तिम रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तथापि, यदि कोई निर्माता अनौपचारिक पूर्व-सेंसरशिप सलाह मांगता है तो वह उसे अन्तिम फिल्म पर उसके गुण-दोषों के आधार पर बोर्ड के फैसले पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अवचेनीय ढंग से मौखिक रूप से दे दी जाती है। यह अनौपचारिक सलाह उस अवस्था पर न तो निर्माता को और न ही बोर्ड को बाध्य करती है। कुछेक ही निर्माताओं ने इस प्रकार की सलाह मांगी है। कानून में इस व्यवस्था का प्रावधान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दैनिक डाक वितरण योजना के अन्तर्गत समाहित गांव

277. **श्री चित्त महाटा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के सभी गांवों में दैनिक डाक वितरण योजना प्रभावी है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत कितने गांव हैं तथा ऐसे कितने गांव हैं जो इस योजना के अन्तर्गत नहीं आते हैं और उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं ।

(ख) देश में कुल 575936 ग्रामों में से 574714 ग्रामों में दैनिक डाक वितरण सेवा सुलभ है । शेष 1222 ग्राम इस समय इस योजना के अन्तर्गत नहीं हैं । जो ग्राम इस योजना के अन्तर्गत नहीं आए हैं वे हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा जम्मू एवं काश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र हैं तथा उन क्षेत्रों तक कठिन भूभाग और उग्र मौसम की स्थितियों के कारण दैनिक विवरण सेवा की सुविधा प्रदान करना संभव नहीं है ।

राष्ट्रीय फिल्म पुरालेख संग्रहालय द्वारा सिने क्षेत्र के अनुभवी और संभ्रांत व्यक्तियों के साक्षात्कार की योजना

278. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरालेख संग्रहालय का विचार सिने क्षेत्र के अनुभवी और संभ्रांत व्यक्तियों के साक्षात्कार की एक योजना तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्योरा क्या है और उस पर कितनी राशि व्यय की जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय को "फिल्म प्रलेख पोषण और अनुसंधान केन्द्र" नामक योजनागत स्कीम के अन्तर्गत प्रख्यात फिल्म निर्माताओं, कलाकारों, तकनीशियनों और देश में फिल्म उद्योग से संबंधित अन्य व्यक्तियों से इंटरव्यू करने तथा स्थाई रिकार्ड और भविष्य में संदर्भ के लिए उनके विचारों और संस्मरणों को रिकार्ड करने का प्रस्ताव है । ब्योरा अभी तैयार किया जाना है ।

सभी प्रकार के रेडियो सेटों को लायसेंस शुल्क से मुक्त करना

279. **श्री सज्जन कुमार** :

श्री जितेन्द्र प्रसाद :

श्री निहाल सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी प्रकार के रेडियों सेटों को लायसेंस शुल्क से मुक्त करने का है और यदि हां, तो कब तक; और उसके संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसके कारण होने वाले नुकसान को सरकार किस प्रकार पूरा करेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) सरकार ने 2 बैंड वाले रेडियो/ट्रांजिस्टर सैटों पर लाइसेंस शुल्क पहले ही समाप्त कर दिया गया है। दो से अधिक बैंड वाले किन्तु 150 रुपए से कम की लागत वाले सैटों पर इस समय भी 7.50 रुपए प्रति वर्ष का रियायती लाइसेंस शुल्क लिया जाता है। रेडियो/टेलीविजन राष्ट्रीय एकीकरण प्राप्त करने तथा आर्थिक विकास और राष्ट्र निर्माण का संदेश दूरस्थ क्षेत्रों सहित देश के सभी भागों के लोगों को पहुंचाने के शक्तिशाली और प्रभावी माध्यम हैं।

अत: दो से अधिक बैंड वाले रेडियो सैटों पर भी लाइसेंस शुल्क समाप्त करने/कम करने जैसी और रियायतों का सैटों की अधिक बिक्री और इस माध्यम की विस्तृत पहुंच के माध्यम से अवश्यमेव लाभकारी प्रभाव पड़ता है।

(ख) जब भी सरकार द्वारा 2 से अधिक बैंड वाले रेडियो/ट्रांजिस्टर सैटों पर लाइसेंस शुल्क समाप्त करने/कम करने के प्रश्न पर निर्णय लिया जाएगा, इस पहलू को ध्यान में रखा जाएगा।

थाल-वैसेट परियोजना में निधि लगाने सम्बन्धी कठिनाइयां दूर करना

280. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थाल-वैसेट परियोजना में विश्व बैंक द्वारा निधि लगाये जाने सम्बन्धी कठिनाइयां दूर कर दी गई हैं और परियोजना का कार्य चालू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) थाल परियोजना के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा संसाधन उपलब्ध है। यू० के०, डेनमार्क और जापान से विदेशी मुद्रा सहायता प्राप्त करने के लिए प्रबन्ध कर लिये गये हैं। राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० ने भी कुवैत के बाजार में चल-ऋणपत्रों के द्वारा विदेशी मुद्रा प्राप्त कर ली है। फ्रांस भी विदेशी मुद्रा सहायता देने के लिए सहमत हो गया है। जहां सम्भव है उपकरणों की विशिष्ट मदों के लिए खरीदार के ऋण का भी प्रबन्ध किया जा रहा है। आवश्यकतानुसार युक्त विदेशी मुद्रा भी उपलब्ध की गई है।

कारखाने के लिए अपेक्षित भूमि का अर्जन कर लिया गया है। पानी, बिजली रेलवे साइडिंग आदि जैसी इन्फ्रास्ट्रक्चरल सुविधाओं की व्यवस्था के लिए प्रबन्ध कर लिए गए हैं। निर्माण कार्य प्रगति पर है। अमोनिया, यूरिया और स्टीम प्रजनन जैसे मुख्य संयंत्रों के लिए ठेकों पर हस्ताक्षर हो गए हैं और वे लागू हो गए हैं। स्थल दूर से सम्बन्धित कार्य और इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्य सन्तोषप्रद रूप से चल रहे हैं। उपकरणों की विभिन्न मदों के लिए अधिप्राप्ति कार्य प्रारम्भ हो गया है और स्टीम प्रजनन संयंत्रों, टर्बो प्रजनन सैट, कोयला नियंत्रण आदि से सम्बन्धित यह कार्य अधिकतर पूरा हो चुका है। कुछ संयंत्रों के सम्बन्ध में संरचना कार्य भी प्रारम्भ हो चुका है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

"कंडीशन आफ प्रेस अलार्मिंग" शीर्षक समाचार

281. **श्री जीतेन्द्र प्रसाद :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनका ध्यान 8 जनवरी, 1982 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "कंडीशन आफ प्रेस अलार्मिंग" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) समाचार पत्रों की चिन्ताजनक (अलार्मिंग) स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि अखबारी कागज के मूल्य में अधिक वृद्धि और मजूरी बिल में वृद्धि से समाचारपत्र उद्योग के लिए कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं।

(ग) छपाई की बढ़ी हुई लागत को पूरा करने हेतु अधिकांश समाचारपत्रों ने अपने बिक्री मूल्य को और विज्ञापन दरों को बढ़ा दिया है। जहां तक अखबारी कागज पर आयात शुल्क का सम्बन्ध है, लघु और मझोले समाचारपत्रों को राहत पहले ही दी गई है।

संस्थापित विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता और उसका प्रयोग

282. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता के कुल कितने प्रतिशत भाग का उपयोग किया जा रहा है और उसके कम उपयोग किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) इस अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग बढ़ाने के लिए सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान क्या कदम उठाये हैं तथा इसका कितने प्रतिशत उपयोग किया जा रहा है और इसके कारण कितने राजस्व की हानि हो रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जल विद्युत केन्द्रों की दक्षता का मूल्यांकन करने में उनकी क्षमता समुपयोजन की मानदण्ड नहीं माना जाता क्योंकि इनकी दक्षता अभिकल्प सम्बन्धी क्षमता और जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। ताप विद्युत केन्द्रों के मामले में दक्षता का निर्धारण करने के लिए संयंत्र भार अनुपात, एक महत्वपूर्ण मानदण्ड होता है यद्यपि यह ईंधन की दक्षता आदि जैसी बातों पर निर्भर करता है। निम्न संयंत्र भार अनुपात के कुछ कारण ये हैं :

(1) ले आउट, संयंत्र एवं उपस्कर, प्रणाली इन्जीनियरिंग आदि में कमियां;

(2) नियोजित अनुरक्षण में तथा उपस्करों को जबरन बंदियों में अनावश्यक रूप से अधिक समय लगना;

(3) फालतू पुर्जे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होना;

(4) चालू की गई नई यूनिटों के स्थिरीकरण में अपेक्षाकृत अधिक समय लगना;

(5) प्रचालन और मानीटरिंग के लिए प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध न होना;

(6) घटिया किस्म के कोयले की सप्लाई, आदि।

(ख) ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करने हेतु अनेक उपाय किए गए हैं और किए जा रहे हैं। इन उपायों में ये शामिल हैं :

(1) संयंत्र और उपस्कर, आदि में कमियों का पता लगाने और समयबद्ध रूप से संयंत्र सुधार कार्यक्रम तैयार करने और इस कार्यक्रम को साथ में लेने के लिए राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत केन्द्र के प्राधिकारियों की सहायता करना;

(2) बंदी की अवधियों को कम करने के लिए, सुरक्षात्मक अनुरक्षण तकनीकें अपनाना;

(3) सप्लाईकर्त्ताओं से फुटकर पुर्जों की सप्लाई समय पर किए जाने की व्यवस्था करना तथा फुटकर पुर्जों के लिए समय पर आर्डर देने के लिए विद्युत केन्द्रों को सलाह देना;

(4) कोयले की अपेक्षित गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रबन्ध करना;

(5) विशेषरूप से 200 मेगावाट के यूनिटों के लिए, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज लिमिटेड, इन्स्ट्रूमेंन्टेशन लिमिटेड कोटा और राज्य बिजली बोर्डों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए क्रतिक बलों को गठन करना। ताकि 200 मेगावाट के यूनिटों की कमियों का पता लगाया जाय और इनका शीघ्र स्थिरीकरण करने और इनके कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाय;

(6) प्रचालन की पद्धतियों की मानीटरिंग करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रचालन विशेषज्ञों के भ्रमणशील दलों के दौरे तथा सलाह;

(7) विद्युत केन्द्रों के इन्जीनियरों को और प्रचालन व अनुरक्षण कार्मिकों को प्रशिक्षण देना।

इन उपायों से अप्रैल-दिसम्बर, 1981 में संयंत्र भार अनुपात बढ़कर 45.2 प्रतिशत हो गया था जबकि अप्रैल-दिसम्बर, 1980 में संयंत्र भार अनुपात 42.7 प्रतिशत ही था। क्षमता के कम समुपयोपन के कारण हुई वित्तीय हानि का अलग से हिसाब नहीं लगाया जाता है।

बांदा उत्तर-प्रदेश में एक तार घर खोलना

283. **श्री रामनाथ दुबे** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के बांदा में एक विभागीय तारघर खोलने का आदेश जारी किया है; और

(ख) यदि हां, तो कब और इसे अब तक न खोलने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) विभागीय तारघर खोलने की मंजूरी 18-4-81 को दे दी गई थी। किराये के उचित स्थान के अभाव में विभागीय तारघर अभी खोला जाना है। महाप्रबन्धक दूरसचार, उ० प्र० उचित स्थान के लिए तीव्र प्रयास कर रहे हैं। उचित स्थान मिलते ही बांदा में विभागीय तारघर खोल दिया जाएगा।

उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े आपराधिक सिविल और राजस्व सम्बन्धी मामले

284. **श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपराधिक, सिविल और राजस्व सम्बन्धी ऐसे कितने मामले हैं जो पिछले पांच वर्षों से देश के विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में निपटारे के लिए अनिर्णीत पड़े हैं और ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जिनमें ये मामले अनिर्णीत पड़े हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है और इस सम्बन्ध में हुई देरी के क्या कारण हैं तथा क्या तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा सभा पटल पर रखा जाएगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) देश के विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में गत पांच वर्ष से लम्बित दांडिक सिविल और राजस्व संबंधी मामलों की संख्या विवरण-एक में दी गई है।

(ख) लम्बित मामलों की संख्या कम करने के लिए उठाए गए कदम विवरण-दो में उपदर्शित है।

मामलों के निपटाने में लंबित की समस्या पर सरकार का बराबर ध्यान जाता रहा है। अनेक जटिल कारणों से मामलों के निपटाए जाने में विलंब हो रहा है और उनकी संख्या बढ़ती

जा रही है। इस विषय पर पहले भी अनेक निकायों ने खोजबीन की है। उच्च न्यायालयों में विलंब होने के संबंध में विधि आयोग (नवां विधि आयोग) की 79 वीं रिपोर्ट अन्तिम रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को भेज दी गई है।

सरकार ने देश में न्यायिक प्रशासन प्रणाली का पुनरीक्षण करते रहने के लिए विधि आयोग (10वें विधि आयोग) की भी नियुक्ति कर दी है। आयोग को निर्विष्ट विषयों में से कुछ विषय विलंब कम करने और बकाया मामलों को तेजी से निपटाने के संबंध में हैं।

विवरण-एक

वर्ष 1977 से जून, 1981 के दौरान उच्च न्यायालयों में लंबित सिविल, दांडिक और राजस्व संबंधी मामलों का विवरण

उच्च न्यायालय का नाम	1977			1978		
	सिविल **	दांडिक	राजस्व @	सिविल **	दांडिक	राजस्व @
इलाहाबाद	107875	21788	3086	102914	21354	1584
आंध्र प्रदेश	14466	1142	279	18195	1375	480
बम्बई	44419	4596	3577	46202	4437	4183
कलकत्ता*	61890	5408	2755	67837	3105	2011
दिल्ली	22769	1536	2282	25624	1685	2821
गोहाटी	5020	1391	137	5427	1553	145
गुजरात	9508	1458	756	9993	2044	953
हिमाचल प्रदेश	4486	503	30	4702	548	31
जम्मू कश्मीर	3790	856	31	5153	1146	41
कर्नाटक*	34604	588	907	42187	542	930
केरल	41134	1179	426	32920	1296	336
मध्य प्रदेश	20760	10626	1504	20517	9456	1137
मद्रास	42903	5283	3577	40715	5631	3610
उड़ीसा	4419	1119	504	5942	1409	557
पटना*	21105	7622	708	26096	8923	795
पंजाब और हरियाणा	36198	9099	772	30865	6549	866
राजस्थान*	11640	4626	361	12233	4870	494
सिक्किम	14	7	कुछ नहीं	11	1	कुछ नहीं
योग	487000	78827	21492	497831	75924	20974

*केवल मूल मामले।

@ इसके अन्तर्गत आय-कर निर्देश, विक्रय कर निर्देश और अन्य अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर निर्देश और आवेदन भी हैं।

** राजस्व संबंधी मामले अपवर्जित।

उच्च न्यायालय का नाम	1979 सिविल **	दांडिक	राजस्व @	1980 सिविल **	दांडिक	राजस्व @
इलाहाबाद	83070	19271	997	88990	20001	1255
आन्ध्र प्रदेश	22861	1662	530	34758	2089	755
बम्बई	48773	4864	4361	56924	5078	5904
कलकत्ता*	69853	3193	2230	76341	4648	2837
दिल्ली	25384	1616	3421	25644	1841	3502
गोहाटी	5610	1393	132	6732	1524	129
गुजरात	12600	2142	1129	15267	2771	1435
हिमाचल प्रदेश	5530	576	23	5522	446	27
जम्मू कश्मीर	5526	1165	62	7281	1472	73
कर्नाटक*	53520	1088	1009	64777	1049	1094
केरल	29560	1643	509	27476	1929	759
मध्य प्रदेश	18719	7889	1078	18365	6714	797
मद्रास	47140	7582	3908	49350	608	4548
उड़ीसा	7166	1596	571	8544	1748	585
पटना*	24178	9452	812	25615	10684	1155
पंजाब और हरियाणा	29658	3546	911	29417	3515	983
राजस्थान*	14214	5012	538	15848	5989	693
सिक्किम	24	5	कुछ नहीं	31	6	कुछ नहीं
योग	503386	3705	22261	556882	77589	25531

*केवल मूल मामले ।

@ इसके अन्तर्गत आय-कर निर्देश, विक्रय कर निर्देश और अन्य अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर निर्देश और आवेदन भी हैं ।

**राजस्व संबंधी मामले अपवर्जित ।

उच्च न्यायालय का नाम	1981 (जून तक) सिविल **	दांडिक	राजस्व @
इलाहाबाद	122765	21668	1460
आंध्र प्रदेश	46452	2508	801
बम्बई	59725	4994	4839
कलकत्ता*	77539	5510	2754
दिल्ली	31395	2392	3343
गोहाटी	7646	1631	156
गुजरात	17181	3152	1384
हिमाचल प्रदेश	5447	473	27
जम्मू कश्मीर	8874	1769	79
कर्नाटक*	76697	1380	1140
केरल	28995	2589	842
मध्य प्रदेश	19071	6558	721
मद्रास	58645	7487	4664
उड़ीसा	9617	1997	596
पटना*	28046	11564	1341
पंजाब और हरियाणा	30643	3191	1003
राजस्थान*	17509	6474	778
सिक्किम	37	5	कुछ नहीं
योग	646284	85252	25928

*केवल मूल मामले

@ इसके अन्तर्गत आय-कर निर्देश, विक्रय कर निर्देश और अन्य अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर निर्देश और आवेदन भी हैं।

**राजस्व संबंधी मामले अपवर्जित।

विवरण दो

उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए उठाए गए कदम

(1) उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील करने के उपबंध की समाप्त करने के लिए सिविल-प्रक्रिया संहिता का 1976 में संशोधन किया गया (देखिए धारा 100क)।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता विधि आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1973 में अधिनियमित की गई तथा 1978 और 1980 में उसका संशोधन किया गया।

(3) राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपतियों से अनुरोध किया गया है कि वे न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के अपने प्रस्ताव विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर भेजें।

(4) उपर्युक्त के अतिरिक्त, कुछ उच्च न्यायालय मामलों के बेहतर निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई कर रहे हैं :

(क) सूचना तामील के लिए थोड़ा समय देकर सुनवाई के लिए मामले नियत करना।

(ख) अभिलेख के मुद्रण की आवश्यकता को समाप्त करना।

(ग) कुछ अधिनियमों के अधीन वाले मामलों में शीघ्र कार्रवाई करना और उन्हें पूर्विकता देना।

(घ) भूमि अर्जन आदि के मामलों से उत्पन्न होने वाले विषयों को एक समूह में रखना।

(5) उच्च न्यायालयों के कार्यभार को कम करने के लिए सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क अधिकरण जैसे प्रशासनिक अधिकरण गठित किए गए हैं।

(6) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या, जो 1970 में 308 थी, वह जनवरी, 1982 में बढ़ाकर 470 कर दी गई है। कुछ उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं।

(7) सरकार ने देश में न्यायिक प्रशासन प्रणाली का पुनरीक्षण करते रहने के लिए विधि आयोग (10वें विधि आयोग) की भी नियुक्ति कर दी है। विधि आयोग को निर्दिष्ट विषयों में से कुछ निम्नलिखित हैं :

(क) यह सुनिश्चिन करने के लिए कि न्यायिक प्रशासन प्रणाली समयोचित मांगों के अनुकूल हो और विशेष रूप से—

(i) इस आधारभूत सिद्धांत पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कि विनिश्चय न्यायोचित और निष्पक्ष होने चाहिए, मामलों के शीघ्र और कम खर्च पर निपटारे को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विलंब समाप्त करने, बकाया मामलों को शीघ्र निपटाने और खर्चों में कमी करने के लिए,

(ii) तकनीकी बारीकियों और विलंबकारी युक्तियों को कम करने और उन्हें समाप्त करने के उद्देश्य से प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, जिससे कि यह साध्य के रूप में नहीं बल्कि न्याय प्राप्त करने के साधक के रूप में कार्य करे,

(iii) न्याय प्रशासन से सम्बद्ध सभी व्यक्तियों के स्तरों में सुधार करने के लिए, न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहना ।

(ख) सार्वजनिक महत्व के केन्द्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण करना जिससे कि उन्हें सरल बनाया जा सके और उनकी विषमताओं, संदिग्धताओं और अनुचित बातों को दूर किया जा सके ।

(ग) अप्रचलित विधियों और अधिनियमों या उनके ऐसे भागों को जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, निरसित करके कानून पुस्तक को अद्यतन बनाने के उपायों की सरकार को सिफारिश करना ।

जयपुर में सूक्ष्म तरंग मानीटर की स्थापना के लिए राजस्थान सरकार का प्रस्ताव

28 . **श्री जयनारायण रौट** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार को जयपुर में सूक्ष्म तरंग मानीटर की स्थापना करने के बारे में राजस्थान सरकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिससे कि वहां के लोग दिल्ली दूरदर्शन के कार्यक्रमों को देख सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) जी ,हां । जयपुर को माइक्रोवेव लिंक के साथ जोड़ने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

दूर-संचार प्रणाली का आधुनिकीकरण

286. **श्री सत्यगोपाल मिश्रा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की दूरसंचार व्यवस्था का आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो वे प्रस्ताव क्या हैं और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) किस समय तक दूरसंचार प्रणाणी अद्यतन बन सकेगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां ।

(ख) देश में दूरसंचार जालकार्य के आधुनिकीकरण में निम्न बातों पर बल दिया गया है :

(i) स्थानीय एक्सचेन्जों, ट्रंक स्वचल एक्सचेन्जों तथा टेलेक्स हेतु इलेक्ट्रानिक स्विचिंग प्रणाली प्रारम्भ करना ।

(ii) पारेषण हेतु अंकीय लाइन एवं रेडियो प्रसारण प्रणालियां ।

(iii) उपग्रह संचार, तथा

(iv) जंक्शन जालकार्य हेतु स्पंद कोड नियंत्रण (पी० सी० एम०) तकनीकी ।

(ग) साधनों की उपलब्धता के आधार पर जालकार्य में उपरोक्त नवीनताएं शुरू की जाएंगी । छठी योजना में महानगरीय केन्द्रों पर इलेक्ट्रानिक स्थानीय एक्सचेन्ज, ट्रंक एक्सचेन्ज तथा टेलेक्स स्थापित करने का प्रस्ताव है अंकीय पारेषण प्रणालियां तथा उपग्रह संचार पहले ही सीमित स्तर पर शुरू किए गए हैं । 1982-83 में भारतीय उपग्रह परियोजना, इनसैट, शुरू होने पर उपग्रह संचार में वृद्धि कर दी जाएगी । कुछ प्रमुख शहरों में स्थानीय एक्सचेन्जों के बीच जंक्शन हेतु पी० सी० एम० पहले ही शुरू किया गया है तथा अन्य बहु-एक्सचेंज प्रणालियों में उत्तरोत्तर विस्तार किया जा रहा है ।

टेलीफोन सुविधाओं में सुधार और उनका विस्तार

287. **श्री मगनभाई बरोट** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सुधरी हुई तथा मरोसेमंद टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ख) क्या टेलीफोन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण करने और खराब हो गई केबलों को बदलने का कोई कार्यक्रम है;

(ग) इस कार्यक्रम पर क्या लागत आएगी और कार्यक्रम के पूरे होने में कितने वर्ष लग जाएंगे; और

(घ) देश में टेलीफोन सुविधाएं बढ़ाने के कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) साधनों तथा सामग्री की उपलब्धता पर निर्भरता के आधार पर मौजूदा जालकार्य की पुनः प्रतिष्ठा, पुराने पड़ गए उपस्कर का प्रतिस्थापन तथा आधुनिक तकनीक का उत्तरोत्तर प्रयोग किया जाएगा ।

(ख) जी हां, उपरोक्त (क) के अनुसार ।

(ग) यह एक निरंतर प्रक्रिया है । इस कार्यक्रम के लिए अलग से निधि आवंटित नहीं की जाती । छठी योजना में पुराने पड़ गए उपस्कर की 72,000 लाइनें तथा कलरचल एक्सचेंजों के स्वचलीकरण हेतु 1·25 लाख लाइनों के प्रतिस्थापन पर बल दिया गया है ।

(घ) छठी पंचवर्षीय योजना में लगभग 13·31 लाख स्थानीय टेलीफोन प्रदान करने के लिए 1242 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है । प्रस्ताव किया गया है कि सभी जिला मुख्यालयों

को स्वचालित बनाया जाए तथा सम्बन्धित राज्यों को राजधानियों को सीधे डायलिंग की व्यवस्था की जाए । इस दशाब्दी के अन्त तक व्यवहार्यतः मांग पर टेलीफोन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

न्यायिक सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कोटा

288. **श्री रामस्वरूप राव :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए अनुदेशों के बावजूद न्यायिक सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों को पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार नहीं भरा गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) न्यायिक सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों का भरा जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) राज्य सरकारों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) सरकार न्यायिक सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के प्रतिनिधित्व के प्रश्न के सम्बन्ध में कार्रवाई कर रही है ।

दक्षिण भारत में उच्चतम न्यायालय को एक न्यायपीठ की स्थापना

289. **श्री इब्राहीम सुलेमान सेट :**
श्री वी० एस० विजयराघवन :
श्री जी० एम० बनातवाला :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण भारत में उच्चतम न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित किए जाने के बारे में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो दक्षिण में उस नगर का नाम क्या है जहां यह न्यायपीठ स्थापित की जाएगी; और

(ग) यह न्यायपीठ कब तक काम करना प्रारम्भ कर देगी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ग) संविधान के अनुच्छेद 130 में यह उपबन्ध है कि "उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या

स्थानों में बैठेगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधिपति, राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर नियत करेगा।" इस सम्बन्ध में भारत के मुख्य न्यायाधिपति से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

फजल समिति की रिपोर्ट के क्रियान्वयन में विलम्ब

290. **श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इन्डिया लिमिटेड के पुनर्गठन के बारे में फजल समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या इसकी रिपोर्ट की सिफारिशों के अध्ययन के लिए गठित किए गए मंत्रियों के दल ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है और यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) कोल इन्डिया लि० के पुनर्गठन से सम्बन्धित फजल समिति की सिफारिशों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में आशुलिपिकों की नियुक्ति

291. **श्री जगपाल सिंह**

श्री राजेश कुमार सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने नवम्बर, 1981 में एक आशुलिपि परीक्षा ली थी, जिसके आधार पर एक वरीयता सूची तैयार की गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि बाद में शीर्षस्थ स्थान प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को छोड़ दिया गया और उनके स्थान पर अन्य लोगों की नियुक्ति कर ली गई; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के (वरीयता सूची में स्थान सहित) नाम क्या हैं; जिन्हें छोड़ दिया गया है और उसके क्या कारण हैं तथा उनके स्थान पर अन्य लोगों को किस आधार पर नियुक्त किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) लिखित परीक्षा और इन्टरव्यू के बाद, 7 व्यक्तियों की योग्यता सूची तैयार की गई थी और नियुक्तियां सर्वथा योग्यता सूची में वरीयता के अनुसार की गई थी।

विरोधी दलों के सदस्यों को आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर समय दिए जाने संबन्धी नीति

292. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले कुछ महीनों के दौरान आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर विरोधी दलों के सदस्यों को कितना समय दिया गया है; और उसका ब्योरा क्या है;

(ख) यदि कोई समय नहीं दिया गया है तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या नीति है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) आकाशवाणी या दूरदर्शन में विभिन्न राजनैतिक दलों के सदस्यों को दिए जाने वाले वास्तविक समय का रिकार्ड रखने की कोई पद्धति नहीं है । वास्तव में ऐसा करना संभव नहीं है । अत: पूछी गई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) और (ग) तथापि, यह उल्लेखनीय है कि विपक्षी दलों के बड़ी सख्या में सदस्यों को परिचर्चाओं, संसद की कार्यवाहियों के कवरेजों, दूरदर्शन से भी नारों आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों में नियमित रूप से कवर किया गया है ।

श्रीनगर दूरदर्शन केन्द्र में आग के बारे में जांच

293. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर दूरदर्शन केन्द्र में दिसम्बर, 1981 में आग लग जाने के कारण इसे भारी क्षति हुई है;

(ख) क्या श्रीनगर दूरदर्शन केन्द्र में आग लगने की यह तीसरी घटना है;

(ग) यदि हां, तो आग लगने की प्रत्येक घटना पर इस दूरदर्शन केन्द्र को अनुमानित क्षति पहुंची : और

(घ) आग लगने के कारणों की जांच के क्या परिणाम निकले और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं । क्षति बहुत ही कम थी, क्योंकि इससे पहले कि आग कीमती उपकरणों को अपनी लपेट में लेती उस पर काबू पा लिया गया था ।

(ख) जी हां ।

(ग) अप्रैल, 1978 में आग लगने की पहली घटना में 83.5 लाख रुपये । फरवरी, 1980 में आग लगने की घटना में 1.9 लाख रुपये दिसम्बर, 1981 में आग लगने की घटना में 2.3 लाख रूपये (अनुमानित) ।

(घ) स्थानीय पुलिस आग लगने के कारण की जांच पड़ताल कर रही है और जांच पड़ताल प्राधिकारी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है । लकड़ी की छत होने से आग लग जाने के खतरे को कम करने के लिए जली बैरकों को ईंटो के ढांचे में बदलकर निवारक कार्यवाही की जा रही है ।

ग्वालियर को भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, रायपुर नागपुर, और बम्बई के साथ एस० टी० डी० से जोड़ा जाना

294. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्वालियर को भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, रायपुर, नागपुर और बम्बई के साथ एस० टी० डी० से कब तक जोड़ दिया जाएगा; और

(ख) पिछले छः महीनों अर्थात जुलाई, 1981 से दोष अथवा अन्य कारणों से ग्वालियर-दिल्ली के बीच एस० टी० डी० सेवा कितनी बार तथा कितने समय तक के लिए खराब पड़ी रही और उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) ग्वालियर को भोपाल से एस० टी० डी० द्वारा चालू वर्ष के दौरान जोड़ दिए जाने की आशा है जबकि इसे इन्दौर, जबलपुर, रायपुर, नागपुर तथा बम्बई से चालू योजना अवधि के दौरान उत्तरोत्तर जोड़ा जाएगा; तथा

(ख) ब्यौरा निम्नानुसार है :

(1) 1 जुलाई, 1981 से 17 फरवरी, 1982 के दौरान ग्वालियर-दिल्ली एस० टी० डी० सेवा में 92 बार बाधा आई।

(2) जुलाई, 1981 से 17 फरवरी, 1982 के दौरान एस० टी० डी० सेवा में कुल 56 घंटे 5 मिनट तक बाधा रही।

(3) उपस्कर में दोष की अवधि 42 घंटे 39 मिनट रही।

(4) ऐसे दोषों की अवधि 13 घंटे 26 मिनट रही जिनके कारण विशेष ज्ञात नहीं किए जा सके।

छठी योजना के दौरान रेडियो स्टेशनों का विस्तार

295. **श्री के० प्रधानी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के कुछ रेडियो स्टेशनों का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में ऐसे रेडियो स्टेशनों के नाम क्या हैं जिन्हें उपर्युक्त अवधि के दौरान विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने हेतु चुना गया है;

(ग) क्या उड़ीसा के जैपुर रेडियो स्टेशन के विस्तार का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त रेडियो स्टेशन को छठी योजनानधि के दौरान विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां ।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

विवरण

(क) सहायक केन्द्रों का दर्जा बढ़ाकर मूल रूप से कार्यक्रम प्रसारित करने वाले पूर्ण रूपेण केन्द्र करना

	स्थान	राज्य का नाम
1.	भागलपुर	बिहार
2.	कुडप्पा	आन्ध्र प्रदेश
3.	जबलपुर	मध्य प्रदेश
4.	सांगली	महाराट्र
5.	त्रिरूनेलवेली	तमिलनाडु
6.	भद्रावली	कर्नाटक
7.	गुलबर्गा	कर्नाटक

(ख) ट्रांसमीटरों की शक्ति बढ़ाना

	स्थान	वर्तमान शक्ति	प्रस्तावित शक्ति	राज्य का नाम
1.	डिब्रूगढ़	100 किलोवाट	300 किलोवाट	असम
2.	लखनऊ	50 किलोवाट	500 किलोवाट	उत्तर प्रदेश
3.	राजकोट	20 किलोवाट	300 किलोवाट	गुजरात
4.	रांची	10 किलोवाट	100 किलोवाट	बिहार
5.	धारवाड़	10 किलोवाट	200 किलोवाट	कर्नाटक
6.	मद्रास	20 किलोवाट	200 किलोवाट	तमिलनाडु
7.	सिलीगुड़ी	20 किलोवाट	200 किलोवाट	पश्चिम बंगाल
8.	अजमेर	20 किलोवाट	200 किलोवाट	राजस्थान
9.	पूणे	20 किलोवाट	100 किलोवाट	महाराष्ट्र
10.	रायपुर	20 किलोवाट	100 किलोवाट	मध्य प्रदेश
11.	कुड्डपा	20 किलोवाट	100 किलोवाट	आन्ध्र प्रदेश
12.	पटना	20 किलोवाट	100 किलोवाट	बिहार

राजस्थान में बिजली का संकट

296. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन :**

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर :

श्री ई० बालानन्दन :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कृषि उद्योग तथा सामान्य उपभोक्ताओं की बिजली की वास्तविक मांग क्या है;

(ख) इस समय वहां कितनी बिजली उपलब्ध है ?

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार राज्य के विद्युत संकट को दूर करने तथा पड़ोसी राज्यों और केन्द्रीय पूल से इस ओर बिजली की सप्लाई करके राज्य में बिजली की स्थिति में सुधार करने के लिए तैयार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) राजस्थान की ऊर्जा संबंधी प्रतिबन्धित दैनिक आवश्यकता 190 से 220 ताप यूनिट तक अलग-अलग है । इसकी तुलना में इस समय उपलब्धता राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र 1 तथा 2 में बंदी हो जाने के कारण 90 लाख यूनिट प्रतिदिन है । कृषि की अनुमानित आवश्यकता लगभग 100 लाख यूनिट, औद्योगिक उपभोक्ताओं की अनुमानित आवश्यकता 97 लाख यूनिट तथा अन्य उपभोक्ताओं की अनुमानित आवश्यकता 23 लाख यूनिट प्रतिदिन है ।

(ग) और (घ) चूंकि सभी पड़ोसी राज्य विद्युत की कमी का सामना कर रहे हैं, अतः पड़ोसी राज्यों में राजस्थान को कोई सहायता दे सकना समव नहीं हुआ है । तथापि राजस्थान में विद्युत की कमी को कम करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र से उक्त राज्य को सहायता दी गई है । फरवरी, 1982 के प्रथम पखवाड़े के दौरान बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र से राजस्थान को 51 लाख यूनिट तक की सहायता दी गई थी ।

सीरा तथा अल्कोहल का उत्पादन

297. **श्री जायनाल अबदन :**

श्री मुकुन्द मण्डल :

क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीरा तथा अल्कोहल के उत्पादन में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है, जिससे कि अल्कोहल पर आधारित उद्योगों को हानि न हो; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) हमारे देश में अल्कोहल का उत्पादन शीरे का सन्धान करके किया जाता है, जो चीनी के निर्माण से बचा हुआ उप-उत्पाद है। अतः देश में पर्याप्त आसवन क्षमता होने के बावजूद किसी भी वर्ष में अल्कोहल का कुल उत्पादन चीनी के उत्पादन द्वारा निर्धारित किया जाता है।

अल्कोहल की उपलब्धता में सुधार करने की दृष्टि से राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने के लिये अनुरोध किया गया है कि (i) समस्त उपलब्ध शीरे का लाभदायक प्रयोग किया जाय, (ii) अल्कोहल के उत्पादन के लिये खाण्डसारी शीरे के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जाय, और (iii) चीनी कारखानों द्वारा शीरे के लिये पर्याप्त और उचित भण्डारण सुविधाएं सूचित की जाएं।

सरकार ने अल्कोहल उत्पादन की दक्षता की जांच करने, संधान के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार करने, ईंधन संरक्षण और अल्कोहल के विकास पर आधारित उद्योग के लिये डा० एस० पी० भाट्टचार्य की अध्यक्षता में एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति भी नियुक्त की है। इस समिति की रिपोर्ट राज्यों और आसवनी उद्योग को सौंप दी गई थी। आसवनी उद्योग से आधुनिकीकरण के लिये कार्यवाही योजना बनाने के लिये अनुरोध किया गया है। सरकार सभी आवश्यक और व्यवहार्य सहायता प्रदान करेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य डाकघर तथा सार्वजनिक टेलीफोन घरों का खोला जाना

298. **श्री ए० टी० पाटिल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों मे मुख्य डाकघर तथा सार्वजनिक टेलीफोन घरों के खोले जाने के संबंध में सरकार की नीति क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मुख्य डाकघर तथा सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने हेतु नीति क्रमशः विवरण-एक और दो में दी गई है।

विवरण-एक

एक मुख्य डाकघर मौजूदा मुख्य डाकघर का द्विशाखन करके तथा किसी उप डाकघर का दर्जा बढ़ाकर खोला जाता है। इस उद्देश्य हेतु प्रस्तावित द्विशाखन वाले मुख्य डाकघर के अधीन उप डाकघरों की संख्या 60 से अधिक होनी चाहिए। परन्तु यह इस शर्त पर ही हो सकता है कि नव सृजित मुख्य डाकघर के अधिकार क्षेत्र में उप डाकघरों की संख्या तथा उसके साथ-साथ अवशिष्ट मूल मुख्य डाकघर के अधीन उप डाकघरों की संख्या किसी भी स्थिति में 20 से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि किसी जिले में मुख्य डाकघर न हो तो वहां मुख्य डाकघर खोला जा सकता है बशर्ते कि कम से कम 20 उप डाकघर इसके साथ जोड़े जा सकें। जब तक कि मात्र सार्वजनिक टेलीफोन घर के प्रावधान के आधार पर विभागेत्तर शाखा डाकघरों की विभागेत्तर उप डाकघरों में परिवर्तन के सम्बन्ध में विभाग नीति की, इस उद्देश्य के लिए गठित समिति

की सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षा नहीं की जाती, फिलहाल नए डाकघर खोलने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ।

विवरण-दो

हानि पर सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने की नीति स्थानों की श्रेणियां

(1) जिला मुख्यालय

(2) उप मंडलीय मुख्यालय

(3) तहसील मुख्यालय

(4) उप तहसील मुख्यालय

(5) ब्लाक मुख्यालय

(6) ऐसे स्थान जिनकी जनसंख्या साधारण क्षेत्रों में 5000 या अधिक तथा पिछड़े एवं पर्वतीय क्षेत्री में 2500 या अधिक हो ।

सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने हेतु शर्तें

घाटे का ध्यान न देकर भी न्यूनतम राजस्व की शर्त के बगैर उत्तरोत्तर व्यवस्था की जाएगी ।

(7) वे स्थान जहां पर ऐसे पुलिस स्टेशन स्थित हों जिनका इंचार्ज उप निरीक्षक या इससे ऊपर के पद का पुलिस अधिकारी हो ।

सार्वजनिक टेलीफोन घर की व्यवस्था के लिए शर्तें

साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्क 25 प्रतिशत, पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों 10 प्रतिशत होना चाहिए ।

(8) आम रास्ते से दूर के स्थान सार्वजनिक टेलीफोन घर की व्यवस्था के लिए शर्तें

(क) मौजूदा एक्सचेंज से 40 कि० मी० से अधिक (अरीय दूरी) होनी चाहिए;

(ख) साधारण इलाकों में वार्षित आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत, पिछड़ इलाकों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय इलाकों में 10 प्रतिशत होना चाहिए ।

(9) पर्यटन, तीर्थ केन्द्र, कृषि/सिंचाई परियोजना स्थल/ नगर

सार्वजनिक टेलीफोन घर की व्यवस्था के लिए शर्तें

(क) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए ।

(10) सभी अन्य स्थान

सार्वजनिक टेलीफोन घर की व्यवस्था के लिए शर्तें

वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर या हानि की दिशा में किराए और गारन्टी के आधार पर।

नोट :1 (क) जनसंख्या संबंधी आंकड़ों पर विचार करते समय केवल अकेले नगर या ग्राम की जनसंख्या पर ही विचार करना चाहिए न कि नगरों या ग्रामों के समूह की जनसंख्या पर। आदिवासी क्षेत्रों में किसी केन्द्रीय स्थान से 10 कि० मी० अर्द्धव्यास के वृत में आए हुए सभी स्थानों में सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने हेतु विचार किया जा सकता है। इस छूट के अन्तर्गत कोई भी दो सार्वजनिक टेलीफोन 10 कि० मी० से कम दूरी पर नहीं खोले जा सकते।

(ख) सार्वजनिक टेलीफोनों की व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण केन्द्रीय ग्राम निर्धारित करने के लिए निम्न क्रम में वरीयता दी जाएगी :

(i) जनजातीय विकास खंड मुख्यालय;

(ii) जिन स्थानों पर लैम्पस (बड़े आकार की बहुद्देशीय सहकारी समितियां) स्थापित हैं; और

(iii) ग्रामीण उद्योगों/और अथवा व्यापक कृषि विभाग हेतु सिंचाई परियोजनाओं के लिए स्थानीय जनजाति विकास विभागों द्वारा निर्धारित केन्द्र।

गैस एजेंसियों के आवंटन के लिए नीति में परिवर्तन

299. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मन्त्रालय द्वारा कुकिंग गैस एजेंसियों का आवंटन करने की नीति बदल दी है और सबद्ध कम्पनियों को आदेश दिए हैं कि वे स्वयं एजेंसियों का आवंटन करें; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरे ब्यौरे क्या हैं;

(ख) क्या गैस एजेंसियों के आवंटन के लिए सरकार ने इन कम्पनियों को कोई मार्गदर्शी निर्देश जारी किए हैं, यदि हां तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है और क्या सरकार इन मार्गदर्शी निर्देशनों की एक प्रति समा पटल पर रखेगी;

(ग) मन्त्रालय द्वारा 1980 और 1981 के दौरान प्रत्येक राज्य में (प्रति मास) कितनी गैस एजेंसियां दीं; और

(घ) 1982, 1983 तथा 1984 के दौरान प्रतिवर्ष तथा प्रत्येक राज्य में कितनी एजेंसियां दी जाएंगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर):(क) सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए मार्ग-दर्शी शिद्धांतों के अनुसार सम्बन्धित तेल कम्पनियों द्वारा समस्त पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिपें/डिस्ट्रीब्यूटर शिपें आवंटित की जाती हैं ।

(ख) समस्त तेल कम्पनियों को जारी किए गए मार्ग-दर्शी सिद्धांतों की एक प्रति विवरण एक के रूप में संलग्न है ।

(ग) ऐसा सूचित किया गया था कि दिनांक 6-1-1982 तक तेल कम्पनियों द्वारा लगभग 127 एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें आवंटित की गयीं जिनमें से 83 वर्ष 1980-81 की योजना के अनुसार और 44 वर्ष 1 8:-82 की योजना के अनुसार थी । राज्य-वार और माह-वार ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) संलग्न विवरण दो में दिए गए ब्यौरों के अनुसार वर्ष 1982-83 के दौरान देश में 400 से अधिक एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटर शिपें स्थापित करने की तेल कम्पनियों की योजना है । बाद के वर्षों के लिए योजनाएं विचारधीन हैं ।

विवरण — एक

डीलर/एजेन्टों आदि के चयन के लिए नीति/कार्य-पद्धतियां

वर्ष 1980-81 में विभिन्न श्रेणियों में पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिपों के आवंटन के लिए मंत्रालय ने मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए थे जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित आरक्षण दिए गए थे :

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए	25%
बेरोजगार स्नातकों के लिए	25%
शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों के लिए	10%
युद्ध में अयोग्य हुए रक्षा कार्मिकों एवं युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं के लिए	10%
वाणिज्यिक विचार पर	30%

वर्ष 1981-82 में आवंटित की जाने वाली इन डीलरशिपों का आरक्षण पेटर्न निम्नलिखित रूप में है :

अनुसूचित/जातियों-अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण	25%	उत्कृष्ट खिलाड़ियों के अर्थात वे जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में देश प्रतिनिधित्व किया है, वरीयता दी जाएगी ।
बेरोजगार : इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए	10%	
बेरोजगार स्नातकों के लिए	10%	
शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति/युद्ध में अयोग्य हुए रक्षा कार्मिक और युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं के लिए	15%	

उत्कृष्ट सामाजिक कार्यकर्ताओं/स्वतंत्रता सैनानियों, तथा शेष के लिए	10%
व्यापारिक विचारधाराओं पर आवंटित किए जाने के लिए	30%

उचित रूप से उम्मीदवारों के चयन को सुनिश्चित करने के लिए, आरक्षित श्रेणियों के लिए निम्नलिखित कार्य पद्धति निर्धारित की गयी है :

(क) डीलरशिप के स्थान को दोनों भाषाओं के अर्थात अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्रों में विज्ञापित करना पड़ता है जिसमें सम्बन्धित स्थान में डीलर के रूप में नियुक्त के लिए राज्य के उन निवासियों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं जिसमें वह स्थान स्थित होता है।

(ख) जांच करने वाली समिति का गठन किसी स्थान की डीलरशिप के लिए उम्मीदवारों का साक्षात्कार करने और उन्हें पैनले में रखने हेतु किया गया है। इसमें तीन सदस्य होते हैं एक तेल कम्पनी का प्रतिनिधि होता है और अन्य दो सदस्य सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों के प्रतिनिधि होते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों का चयन करने के लिए जांच समितियों (स्क्रीनिंग कमेटियों) में उनके अतिरिक्त सम्बन्धित राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि होगा जिसका दर्जा उप सचिव के पद से नीचा नहीं होगा।

(ग) उम्मीदवारों की विभिन्न श्रेणियों के सम्बन्ध में ऊपर दर्शाए गए आरक्षण प्रतिशतता को प्रत्येक राज्य-संघ शासित प्रदेश के लिए कायम रखा जायेगा।

(घ) ऐसे किसी व्यक्ति को नई डीलर शिप प्रदान नहीं की जायेगी यदि वह अथवा उसके उसकी निकट सम्बन्धी जैसे पति/पत्नि, माता/पिता, भाई/अविवाहित बहन, पुत्र/अविवाहित पुत्री, पुत्री/अविवाहित पुत्र (समाज की मातृक प्रणाली से आए हुए उम्मीदवारों के मामले में) के पास पहले से ही किसी तेल की कम्पनी की डीलरशिप/ डिस्टीब्यूटरशिप हो।

(ड़) बेरोजगार स्नातकों और बेरोजगार इन्जीनियरिंग स्नातकों के मामले में, कम से कम योग्यता स्नातक डिग्री होगी और उनसे किसी विश्वविद्यालय/संस्थान की स्नातक अथवा स्नातकोतर परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हों उनके माता पिता/पति की वार्षिक आय भी 15000 रु० से कम होनी चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ताओं/स्वतंत्रता सैनानियों की श्रेणियों के लिए किसी प्रकार की शैक्षणिक अर्हता की आवश्यकता नही होती है। समस्त श्रेणियों के लिए कम से कम शैक्षणिक अर्हता मैट्रिक होती है।

(च) बेरोजगार स्नातकों तथा बेरोजगार इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 30 वर्ष है। सामाजिक कार्यकताओं/स्वतंत्रता सैनानियों के लिए बिना अधिकतम आयु सीमा सहित कम से कम आयु सीमा 18 वर्ष होगी। अन्य समस्त श्रेणियों के लिए आवेदन-पत्र की तारीख पर आयु सीमा 18 वर्ष से कम नहीं और 50 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बेरोजगार स्नातक, बेरोजगार इन्जीनियरिंग स्नातक, शारिरिक रूप से अपंग व्यक्ति/अयोग्य रक्षा कार्मिकों और सामाजिक कार्यकर्ता, स्वतन्त्रता सेनानी जैसी आरक्षित श्रेणियों के मामले में सभी योग्य उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है अन्य श्रेणी के लिए साक्षात्कार से पहले के सामान 40 उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। जांच करने वाली समिति (स्क्रीनिंग कमेटी) साक्षात्कार किए गए उम्मीदवारों को "उपयुक्त" और "अनुपयुक्त" उम्मीदवारों के रूप में निम्नलिखित बातों के आधार पर वर्गीकृत करेगी :

(क) व्यापार करने की वित्तीय योग्यता;

(ख) गोदामों एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने की योग्यता;

(ग) व्यापार के लिए कुशाग्र बुद्धि ।

पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा नियुक्त की गई जांच करने वाली समिति (स्क्रीनिंग कमेटी) में तेल कम्पनियों के वरिष्ठ अधिकारी और सरकार का एक प्रतिनिधि होगा ।

क्योंकि प्रत्येक डीलरशिप किसी निश्चित श्रेणी के लिए आरक्षित की गयी होती है; अत: उपयुक्त उम्मीदवार का चयन "उपयुक्त" उम्मीदवारों की सूची में से ऐसे सभी "उपयुक्त" उम्मीदवारों को चयन समिति के सामने व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाकर किया जाता है ।

उपयुक्त उम्मीदवारों की डीलरों के रूप में नियुक्त करने हेतु मूल्यांकन करने के लिए चयन समिति निम्नलिखित अंक देने की प्रणाली को अपनाएगी :

	अधिकतम अंक
व्यक्तित्व, व्यापार योग्यता/विक्रयकला	30
वित्त व्यवस्था करने की क्षमता तथा सुविधाएं उपलब्ध करने की योग्यता	25
पूरे-समय काम करने वाला विक्रेता (डीलर)	25
आम मूल्यांकन तथा अतिरिक्त गतिविधियां	20
कुल	100

समस्त "उपयुक्त" उम्मीदवारों का साक्षात्कार करके और उपयुक्त आधार पर अंक देने के पश्चात चयन समिति डीलरशिप आवंटन करने हेतु गुणावगुणों के क्रम में चार नामों के एक पैनल का चयन करेगी ।

इसके बाद एक पखवारे के अन्दर सम्बन्धित तेल कम्पनी द्वारा पैनल में रखे गए उम्मीदवारों के क्षेत्रीय निरीक्षण आयोजित किए जाएंगे। क्षेत्रीय निरीक्षण का उद्देश्य है कि पैनल में रखे गए उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए गए वास्तविक आंकड़ों की यथार्थता की जांच करना। विक्रेता (डीलर) की नियुक्ति का आधार पैनल में गुणावगुणों के आधार पर रखे गए उम्मीदवारों का क्रम क्षेत्रीय निरीक्षणों के परिणामों की शर्त पर होगा।

चुने गए उम्मीदवार को जारी किये गए आशय-पत्र की प्रतियां सरकार को सूचनार्थ भेज दी जायेंगी।

"सर्वसाधारण" श्रेणी के अन्तर्गत एजेंसियों-डीलरशिपों पर वर्तमान नीति-कार्यपद्धति के अनुसार निर्णय तेल कम्पनियों द्वारा लिया जाएगा तथापि 1-10-2980 से विज्ञापित की जाने वाली समान डीलरशिप-डिस्टीब्यूटरशिप, "सर्वसाधारण" श्रेणी को छोड़कर के लिए। आवेदन पत्र जांच करने वाली समिति को छोड़कर सीधे चयन समिति द्वारा विचार किया जायेगा। अनुसूचित जति -अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के चयन समिति में भारत सरकार के प्रतिनिधि के अतिरिक्त राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि होगा जिसका दर्जा राज्य सरकार के उप-सचिव के पद से कम नहीं होगा।

विवरण-2

क्रम संख्या	राज्य	एल० पी० जी० डीलरशिपें/डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोलने के लिए प्राजस्वों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	40
2.	बिहार	20
3.	गुजरात	30
4.	हरियाणा	17
5.	हिमाचल प्रदेश	8
6.	जम्मू और काश्मीर	8
7.	कर्नाटक	21
8.	केरल	22
9.	मध्य प्रदेश	17

1	2	3
10.	महाराष्ट्र	28
11.	उड़ीसा	10
12.	पंजाब	19
13.	राजस्थान	14
14.	तमिलनाडु	46
15.	उत्तर प्रदेश	47
16.	पश्चिम बंगाल	26
17.	दिल्ली	13
18.	चंड़ीगढ़	3
19.	गोवा दमन, और द्वीप	3
20.	पांडिचेरी	22
21.	दक्षिण पूर्व राज्य	18
		412

आगरा और दिल्ली के बीच हुई रेल दुर्घटना में आहत होने वाले डाक-तार कर्मचारियों को राहत

300. **श्री भीखाभाई :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगरा और दिल्ली के बीच 27 जनवरी, 1982 को हुई रेल दुर्घटना में कुल कितने डाक-तार कर्मचारियों की मृत्यु हुई;

(ख) कुल कितने डाक-तार अधिकारी आहत हुए;

(ग) क्या किसी डाक-तार अधिकारी ने दुर्घटनास्थल का दौरा किया था;

(घ) मरने वालों के परिवारों को क्या कोई तात्कालिक राहत दी गई; यदि हां, तो उनके पतों सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं;

(ड.) क्या डाक-तार विभाग ने रेलवे प्राधिकारियों से अनुरोध किया था कि मृतकों के परिवारों को तत्काल नकद राहत प्रदान की जाए;

(च) आहत हुए डाक-तार कर्मचारियों को क्या तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान की गई; और

(छ) क्या आहत हुए डाक-तार कर्मचारियों को चिकित्सा सहायता देने के लिए डाक-तार विभाग के डाक्टर भेजे गए थे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) आगरा के समीप तारीख 27-1-82 को हुई रेल दुर्घटना में झांसी के अधीक्षक, रेल डाक सेवा सहित 5 कर्मचारियों की मृत्यु हुई थी।

(ख) शून्य ।

(ग) जी, हां ।

(घ) प्रत्येक मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को केन्द्रीय डाक-तार कल्याण कोष से 6000 रु० की राशि मंजूर की गइ थी । इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश डाक सर्किल कल्याण कोष से भी प्रत्येक के लिए 1100 रु० की राशि मंजूर की गई । उत्तर पश्चिम डाक सर्किल कल्याण निधि से प्रत्येक के परिवार हेतु 1000 रु० भी मंजूर किए गये थे । मृतकों के परिवार के सदस्यों के नाम एवं पते निम्नलिखित हैं :

(1) श्रीमती सुषमा दुबे,
पत्नी स्व० श्री आर० सी० दुबे,
अधीक्षक रेल डाक सेवा,
"एक्स" डिवीजन,
50 ए, पंडारिवा, इलाहाबाद-211003

(2) श्रीमती बासमती देवी,
पत्नी स्व० श्री बिहारी लाल, मेलगार्ड,
4/26 नगना पृथ्वीनाथ,
सहाबगंज, आगरा-282002,

(3) श्रीमती रामप्यारी,
पत्नी स्व० श्री रामचरण काछी, मेलमैन,
मकान नं० 287, आजादगंज,
राम मन्दिर, सिपरी बाजार,
झांसी-284003,

(4) श्रीमती फूल कुवर,
पत्नी स्व० श्री हरनाथ सिंह चौहान,
एल० एस० जी० सार्टिंग सहायक,
136, मोहनी बम्ब,
बाह्य सैन्यार गेट, झांसी ।

इस प्रश्न पर कि क्या स्व० श्री मथुरा प्रसाद, डाक मैन के पीछे कोई आश्रित है अथवा नहीं, स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा इसकी जांच की जा रही है ।

(ङ.) जी, हां । प्रत्येक मृतक के परिवारों को रेलवे द्वारा 1,500 रु० की तुरन्त नकद राहत दी गई थी ।

(च) एवं (छ) उपरोक्त (ख) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

मलाबार क्षेत्र को माइक्रोवेव प्रणाली से जोड़ना

301. **श्री बी० एस० विजय राघवन :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के मलाबार क्षेत्र को माइक्रोवेव प्रणाली से जोड़ने का कोई प्रस्ताव सरकार के सामने है जिससे कि यह क्षेत्र दूरदर्शन प्रसारण सुविधाओं का लाभ उठा सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : जी नहीं । केरल के मालाबार क्षेत्र में किसी स्थान के लिए दूरदर्शन पारेषण हेतु रेडियो बेयरर सारणी के प्रावधान हेतु दूरदर्शन विभाग से कोई तीव्र मांग प्राप्त नहीं हुई है । तथापि त्रिवेन्द्रम, एर्नाकुलम तथा कोजीकोड चौड़ी पट्टी सूक्ष्मतरंग संपर्क के जरिए पहले से ही राष्ट्रीय टेलीफोन जालकार्य से जुड़े हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अन्तरिक्ष में नये उपग्रह छोड़ने का प्रस्ताव

302. **श्री चिंग वांग कोन्याक :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग ने तार संचार और अन्य कामों के लिए भविष्य में उपग्रहों को उपभोग करने के बारे में कोई कार्यक्रम बनाया है;

(ख) क्या अन्तरिक्ष में नये उपग्रह छोड़ने का भी विचार है;

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) "इनसार" परियोजनाओं के लिए भूमि पर स्थापित किए जाने वाले स्टेशनों की संख्या क्या है;

(ङ.) भूमि पर स्टेशनों को लगातार बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है;

(च) देश में दूरसंचार पर "इन सार" का क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(छ) इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) दूरसंचार हेतु उपग्रह के निरंतर प्रयोग के लिए दीर्घकालीन योजना बनाई जा रही है।

(ख) इस समय इनसैट के सिवाय, जिसको अप्रैल 1982 में छोड़े जाने की संभावना है, दूरसंचार उपग्रहों का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) इनसैट परियोजना के लिए 28 स्थिर और 3 चलते-फिरते भू-केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

(ड.) राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा प्रदान की गई व्यापारिक पावर सप्लाई और अतिरिक्त व्यवस्था के बतौर इंजन आल्टरनेटन सैट।

(च) इनसैट द्वारा दूरस्थ और दूरदराज के क्षेत्रों में जहां कठिन भू-भाग के कारण पारस्परिक स्थलीय प्रणाली खर्चीली है, विश्वसनीय दूरसंचार सेवा प्रदान किए जाने की सम्भावना है।

(छ) भूमि खंड की स्वीकृत लागत 6318 करोड़ रुपये है।

हैडगियर सैटों का आयात

303. श्री अजित कुमार साहा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक-तार विभाग ने हैडगियरों का आयात करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या है;

(ग) क्या हैडगियर देश में उपलब्ध हैं;

(घ) यदि हां, तो इसका आयात किये जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) हैडगेयर सैट के आयात करने के लिए प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

(ख) आयात किए जाने वाले हैडगेयर सैटों की मात्रा के ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ग) पुराने डिजाइन के हैडगेयर सैट देश में उपलब्ध हैं परन्तु उत्पादन की क्षमता पूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है।

(घ) (1) देश में उत्पादन यूनिटों में अपर्याप्त क्षमता; और

(2) देश में उपलब्ध हैडगेयर सैटों की किस्म पुराने डिजाइन की है जिनकी पारेषण विशिष्टताएं सीमित हैं तथा इन्हें अधिक भार के कारण लम्बे समय तक निरन्तर चलाना अनुपयोगी पाया गया है ।

कलकत्ता टेलीफोन केन्द्रों को इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदला जाना

304. **श्री सुधीर कुमार गिरि :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) कलकत्ता में सभी मौजूदा इलैक्ट्रामैकनिकल टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने का कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है ।

(ख) एवं (ग) कोड '23' पर कार्य कर रहे एक एक्सचेंज 10,000 लाइनों का इलेक्ट्रामैकनिकल किस्म का एक्सचेंज है, की समान क्षमता वाले एस०पी०सी० इलैक्ट्रानिक स्थानीय एक्सचेंज में बदला जाना है । इस इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज उपस्कर की खरीद हेतु आर्डर दे दिए गए हैं और यह एक्सचेंज 1984-85 के दौरान चालू किए जाने की आशा है । कलकत्ता में साल्ट लेक क्षेत्र हेतु 5000 लाइनों के एक अन्य इक्लेट्रानिक एक्सचेंज का आर्डर निकट भविष्य में दिए जाने की आशा है ।

'मेरी आवाज सुनो" फिल्म का सेंसरशिप

305. **डा० वसन्त कुमार पंडित :**
श्री भीकू राम जैन :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म "मेरी आवाज सुनो" को सरकार द्वारा नियुक्त सेन्सर बोर्ड द्वारा सभी स्तरों पर पास किया गया था;

(ख) क्या सेंसर ने फिल्म के प्रदर्शन के लिए प्रमाण पत्र देने हेतु निर्धारित सभी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार काम किया था;

(ग) क्या सरकार सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्म को पास किए जाने के बाद व्यर्थ की मुकदमेबाजी पर रोक लगाने के लिए वर्तमान कानून में संशोधन कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो देश भर में फिल्म सेंसरशिप में एकरूपता लाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) (क) से (घ) "मेरी आवाज सुनो" (हिन्दी) नामक फिल्म को फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा कुछ कांट-छांट के बाद 23-11-81 को मद्रास में "ए" प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया था। फिल्म का प्रिव्यू करने पर केन्द्रीय सरकार ने यह महसूस किया कि केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड, मद्रास के भाग पर निर्णय भ्रान्ति थी, क्योंकि इस फिल्म में यातना, नृशंस हिंसा और क्रूरता के दृश्य थे, जिनका दर्शकों पर भयंकर और डरावना प्रभाव पड़ता था, और इसमें महिलाओं के अर्ध-नग्न दृश्य थे, जो मानविक संवेदन-शीलता को क्षुब्ध करते थे तथा इसमें एक भवन को आग लगाने की कार्य प्रणाली भी दिखाई गई थी जो चलचित्र अधिनियम, 1952 और उसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के प्रतिकूल थे। जो फिल्में बोर्ड को प्रस्तुत की जाती हैं वे सभी इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार जांची और प्रमाणीकृत की जाती हैं। तथापि, इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों का निर्वचन करना और लागू करना बहुत हद तक फिल्म की विषय वस्तु, प्रतिपादन और प्रस्तुतीकरण पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक फिल्म की जांच मार्गदर्शी सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए उसके अपने गुण दोषों के आधार पर की जाती है और इसलिए, यह सुनिश्चित करना असंभव है कि ऐसा अवसर न हो जब किसी फिल्म विशेष के सम्बन्ध में मतभेद न हो।

जहां तक एकरूपता का सम्बन्ध है, यह सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया जाता है कि फिल्म के समग्र प्रभाव के रूप में सभी फिल्मों पर सेंसरशिप संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के लागू करने में एकरूपता और संगति हो। तथापि, वैयक्तिक दृश्यों के रूप में गणितीय एकरूपता सुनिश्चित करना असंभव है, क्योंकि एक ऐसा दृश्य जो किसी फिल्म विशेष के संदर्भ में सेंसरशिप सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों का उल्लंघन करने वाला न हो, किसी अन्य फिल्म में विभिन्न सन्दर्भ में उक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पूर्णतया उल्लंघन करने वाला हो सकता है।

फार्वड सीमेन्स यूनियन आफ इन्डिया, कलकत्ता के टेलीफोन का कनेक्शन काटा जाना

306. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फार्वड सीमेन्स यूनियन आफ इन्डिया, कलकत्ता के टेलीफोन के कनेक्शन को बिना किसी कारण काटे जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कलकत्ता स्थित प्राधिकारियों को आदेश दिए हैं कि उक्त कनेक्शन को बिना विलम्ब के बहाल किया जाए;

(ग) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार कलकत्ता टेलीफोन प्राधिकारियों को ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) फार्वड सीमेन्स यूनियन हेतु कार्य कर रहे टेलीफोन नम्बर 454150 को 6-11-81 को काट दिया गया था क्योंकि 387 रु० 30 पैसे के दिनांक 14-9-81 के बिल का भुगतान नहीं किया था। भुगतान करने पर 17-12-81 को टेलीफोन पुन: चालू कर दिया गया था। 200 रु० के दिनांक 14-12-81 के बिल का भुगतान न किए जाने पर 4-2-82 को टेलीफोन पुन: काट दिया गया तथा भुगतान प्राप्त होने पर 9-2-82 को चालू कर दिया गया।

आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के लिए सूचना के श्रोत

307. **श्री सुबोध जैन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के लिए सूचना के स्त्रोतों के ब्यौरे क्या हैं और विस्तृत आंकड़े एकत्र करने एवं उनका संकलन करने तथा आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के सभी बुलेटिनों में उक्त जानकारी के प्रसारण की व्यवस्था क्या है; और

(ख) दैनिक समाचार प्रसारणों में उक्त दक्षता प्रतिलक्षित न होने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) सूचना के मुख्य श्रोत निम्नलिखित हैं :—

आकाशवाणी :

(1) आकाशवाणी के अपने पूर्णकालिक और अंशकालिक संवाददाता।

(2) समाचार एजेंसियां

(3) विभिन्न प्रसारणों की मोनीटरिंग।

दूर दर्शन :

(1) समाचार एजेंसियां

(2) आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की पूल-प्रतियां।

(3) विभिन्न विकासीय और समाचारिक महत्व के बिषयों पर केन्द्रों के कर्मचारियों द्वारा भेजे गए दृश्य।

(ख) यह बात कि समाचारों का प्रसारण-टेलीकास्ट दक्षतापूर्ण ढ़ंग से नहीं हो रहा है, सही नहीं है।

समाचारिक महत्व की सभी मुख्य घटनाओं को प्रसारित-टेलोकास्ट किए जाने वाले समाचार बुलेटिनों में विधिवत् शामिल किया जाता है।

बांगला देश से आए शरणार्थियों की सहायता और पुनर्वास के लिए नियतन

308. **श्री अनादिचरण दास :**
श्री के० प्रधानी :

क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1982-83 में सरकार ने भूतपूर्व पूर्वी-पाकिस्तान और बांगला देश से पहले से ही आए हुए शरणार्थियों को राहत और पुनर्वास के लिए कुल कितनी धनराशि नियत की है;

(ख) उन पुनर्वास कालोनियों का नाम क्या है जहां वे ठहरे हुए हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि क्षेत्र के सीमावर्ती देशों से आदिवासी शरणार्थी बड़ी संख्या में हमारे देश त्रिपुरा क्षेत्रों में आ रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो शरणार्थियों का और आगे आगमन रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं तथा क्या उपाय करने का विचार है; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री गिरधर गोमांगो) : (क) 1982-83 के बजट अनुमानों में प्रस्तावित की गयी व्यवस्था का अभी संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना है।

(ख) नए प्रवासियों के अब केवल 422 परिवारों को पुनर्वास प्रदान करना शेष है। उनका ब्योरा निम्न प्रकार है :

	परिवार
1. उत्तर प्रदेश	
(क) चांदिया हजारा	118
(ख) भोतीप्रतापपुर	30
(ग) रुद्रपुर (डोल न पाने वाले)	113
(घ) चांदिया हजारा (डोल न पाने वाले)	34
2. बिहार (बेतिया तथा मरंगा)	111
3. दण्डकारण्य परियोजना	16
योग	422

(ग) से (ङ) जून सितम्बर, 1981 के दौरान बांगलादेश के चिटागोंग हिल ट्रक्ट्स से लगभग 17,000 आदिवासी शरणार्थी त्रिपुरा आ गए थे। उन सभी को नवम्बर-दिसम्बर, 1981 के दौरान बांगला देश भेज दिया गया है।

औद्योगिक इकाइयों द्वारा धातु पिघलाने के लिए खाना पकाने की गैस का उपयोग

309. **श्री आर० आर० भोले :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक इकाइयां और भारतीय तेल निगम इत्यादि द्वारा खाना पकाने के लिए प्रदान किए गए एल०पी०जी० कनैक्शनों का उपयोग धातु पिघलाने और अन्य वाणिज्यक प्रयोजनों के लिए भी कर रही है;

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश में एल०पी०जी०कनैक्शन पाने की प्रतीक्षा सूची में लाखों व्यक्ति हैं ; कारखानों द्वारा खाना पकाने की गैस का अनधिकृत उपयोग रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) 31 दिसम्बर, 1981 को देश भर में कितने एल० पी० जी० कनैक्शन पाने की प्रतीक्षा सूची में थे ।'

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री गो० शिवशंकर) (क) (कुकिंग गैस) (एल० पी० जी०) घरेलू ईंधन के अतिरिक्त औद्योगिक वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए भी रीलीज की जाती है। तथापि, वर्तमान नीति के अनुसार, औद्योगिक प्रयोग के लिए एल० पी० जी० खास-तौर पर औद्योगिकीय आवश्यकता के आधार पर रीलीज की जाती है।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को एल० पी० जी० प्राथमिकता के आधार पर रीलीज की जाती है। देश में एल० पी० जी० की वर्तमान खपत की 80 प्रतिशत खपत घरेलू क्षेत्र में होती है। गैर घरेलू प्रयोजनों के लिए एल० पी० जी० की रीलीज केवल औद्योगिकीय आवश्यकताओं के आधार पर हो रही है। रीलीज की गई एल० पी० जी० के अधिकृत प्रयोग को रोकने के लिए तेल कम्पनियां अपने घरेलू औद्योगिक वितरकों का समय-समय पर निरीक्षण करती है।

(घ) देश में 31-12-81 को कुकिंग गैस कनैक्शनों की प्रतीक्षा सूची पर करीब 40 करोड़ आवेदक हैं ।

मथुरा तेल शोधक कारखाने का चालू होना

310. **श्री कमल नाथ :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मथुरा तेल शोधक कारखाने के चालू होने संबंधी अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) इसकी प्रारम्भिक क्षमता और अधिष्ठापित क्षमता क्या होगी;

(ग) इस तेल शोधक कारखाने के निर्माण पर कुल कितना खर्च आयेगा;

(घ) उस पाइप लाइन की क्या लागत थी जिसके द्वारा कच्चा तेल इस तेल शोधक कारखाने में पहुंचेगा; और

(ङ) इस तेल शोधक कारखाने में कितने कर्मचारी काम कर सकेंगे और अब तक कितने कर्मचारी भर्ती किये जा चुके हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) मथुरा शोधनशाला के खनिज तेल के आसुन यूनिट को परीक्षण के लिए 18 जनवरी, 1982 से आरम्भ किया गया।

(ख) जब तक गौठा प्रोसेसिंग सुविधाएं आरम्भ नहीं हो जातीं तब तक 6 मिलियन मी० टन की स्थापित क्षमता की तुलना में शोधनशाला की प्रारम्भिक क्षमता लगभग 4 से 4.5 मिलियन मी० टन होने की आशा की जाती है। ऐसी आशा है कि ये सुविधाएं अप्रैल, 1982 तक आरम्भ हो जायेंगी।

(ग) वर्तमान संकेतों के अनुसार, ऐसी आशा की जाती है कि शोधनशाला की कुल लागत 253.92 करोड़ रुपये होगी।

(घ) सलाया बीरम-गाम-कोयाली-मथुरा खनिज तेल पाइप लाइन की संशोधित स्वीकृत लागत अनुमान 231 करोड़ रुपये का है।

(ङ) मथुरा शोधनशाला प्रयोजना की वर्तमान स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या 1555 है और जिसकी तुलना में 1250 व्यक्तियों को भर्ती किया जा चुका है।

राज्यों में कोयले की कमी

311. श्री नवीन रवाणी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग सभी राज्यों को कोयले की कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो कोयले की कमी के क्या कारण हैं और चालू वर्ष के दौरान हमारे कोयले का उत्पादन कब बढ़ा था; और

(ग) उद्योगों को बचाने हेतु सरकार इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) इस समय देश में कोयले की उपलब्धि को लेकर कोई संकट नहीं है। अप्रैल, 1981 से जनवरी, 1982 तक की अवधि में कोयले का उत्पादन बढ़कर 99.८ मिलियन टन हो गया है जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 89.5 मिलियन टन था अर्थात 11.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उपभोक्ताओं को कोयले की सप्लाई भी इस अवधि में बढ़कर 96.5 मिलियन टन हो गई जबकि पिछले वर्ष इसी

अवधि में सप्लाई 85.6 मिलियन टन थी अर्थात् 12.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कोयला कंपनियां रेलवे के साथ विभिन्न परिचालन स्तरों पर लगातार सम्पर्क बनाए हुए हैं ताकि औद्योगिक और अन्य उपभोक्ताओं की मांग पूरी करने के लिए रेल द्वारा कोयले की ढुलाई बढ़ाई जा सके। कोल इंडिया लि० और सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी से रेल वैगनों द्वारा कोयले का लदान 1981-82 में अब तक का सर्वाधिक रिकार्ड लदान होने की आशा है।

इसके अलावा कोयले के उत्पादन और रेल वैगनों द्वारा इसकी ढुलाई पर औद्योगिक आधारभूत सुविधाओं संबंधी मंत्रिमण्डलीय समिति भी उच्चतम स्तर पर लगातार निगरानी रख रही है।

डाक-तार बोर्ड के विभाजन का प्रस्ताव

312. **श्री सुनील भट्टाचार्य** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार बोर्ड के विभाजन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) श्री एच० सी० सरीन की अध्यक्षता में बनी दूरसंचार सेवा पुनरीक्षण समिति ने सिफारिश की है कि डाकतार बोर्ड की दूरसंचार शाखा को स्वतन्त्र दूरसंचार विभाग के रूप में पुनर्गठित किया जाए और इसका बोर्ड भी अपना हो।

(ख) समिति ने इस विषय पर और विभाजन से संबंधित अन्य मामलों "सम्पूर्ण सिफारिशों का सार" के रूप में उपलब्ध हैं।

उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिलों में विभागेतर डाकघर

313. **श्री मनीराम बागड़ी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर में विभिन्न स्थानों पर विभागेतर डाकघर खोलने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है फिर भी अभी तक कोई डाकघर खोला नहीं गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके विस्तृत कारण क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी नहीं। वर्ष 1981-82 के दौरान सीतापुर जिले में तवाला और सनेसा ग्रामों में विभागेतर शाखा डाकघर खोले गए हैं।

पश्चिम बंगाल के हल्दिया तेल शोधक कारखाने की क्षमता

314. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल में हल्दिया तेल शोधन कारखाने की वर्तमान क्षमता क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार द्वारा यह कहा गया था कि उक्त तेलशोधक कारखाने की क्षमता को 55 लाख टन तक बढ़ाया जायेगा;

(ग) यदि हां, तो उक्त विस्तार के बारे में स्थिति क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) हल्दिया शोधन शाला की वर्तमान क्षमता 2.5 एम० एम० टी० ए० है।

(ख) से (घ) पश्चिम बंगाल सरकार ने हल्दिया शोधनशाला के विस्तार का प्रश्न उठाया था। यह बताया गया था कि शोधन शाला की क्षमता को 2.5 मिलियन मी० टन प्रतिवर्ष से 5.5 मिलियन मी० टन प्रति वर्ष तक बढ़ाने की प्रायोजना की छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है।

विस्तार प्रायोजना के सम्बन्ध में सम्भाव्यता रिपोर्ट इंडियन आयल कारपोरेशन से प्राप्त हो गई है और उसकी जांच की जा रही है।

इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज, बगलौर की क्षमता

315. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज, बंगलौर की कुल क्षमता का ब्यौरा क्या है और उसके विस्तार की संभावना क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष उक्त एकक की क्षमता के उपयोग के ब्यौरे क्या है ;

(ग) क्या इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज, बंगलौर इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेन्जों का निर्माण करने में सक्षम है, क्या सरकार द्वारा भविष्य में इस प्रकार का निर्णय लिये जाने की स्थिति में उक्त एकक में उक्त प्रौद्योगिकी लागू की जा सकती है ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर की स्थापित क्षमता तथा इस कारखाने के विस्तार की सम्भावनाओं से संबंधित जानकारी विवरण एक में दी गई है।

(ख) पिछले पांच वर्षों में इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर की उत्पादन क्षमता के उपयोग का विस्तृत ब्यौरा विवरण दो में दिया गया है।

(ग) और (घ) इण्डियन टेलीविजन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के बंगलौर के कारखाने में उपलब्ध अनुसंधान और विकास की सुविधाओं सहित इसकी विशाल आधारभूत संरचना को देखते हुए यह लगता है कि यदि निर्णय लिया जाता है तो बंगलौर में इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज के लिए उपस्करों का उत्पादन संभव हो सकता है।

विवरण-एक

इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के बंगलौर के कारखाने की स्थापित क्षमता तथा उसके विस्तार की संभावनाओं से संबंधित विवरण :—

उत्पाद लाइन	स्थापित क्षमता	विस्तार की सम्भावनाएं
1	2	3
एक. स्विचिंग उपस्कर		
(i) स्ट्रोजर एक्सचेंज उपस्कर	150,000 लाइन प्रतिवर्ष	क्योंकि तकनालाजी पुरानी है। अत: विस्तार संभव नहीं है।
(ii) क्रासवर एक्सचेंज उपस्कर	60,000 लाइनें प्रतिशत	वर्तमान उत्पादन क्षमता की 60,000 एक्सचेंज लाइनों से बढ़ाकर 75,000 एक्सचेंज लाइनों तक ले जाने का प्रस्ताव है
दो. टेलीफोन उपस्कर		
टेलीफोन तथा संभव मदें	275,000 नम्बर	बंगलौर कारखाने का यह टेलीफोन प्रभाग वर्तमान तकनालाजी के 3 लाख टेलीफोन उपकरण तैयार कर रहा है। इसका नई तकनालाजी के 5 लाख टेलीफोन उपकरणों का सहयोग से उत्पादन करने के लिए, विस्तार करने का प्रस्ताव है। इसके साथ-साथ डायल, ट्रांसमीटर, रिसीटर, जैसे 15 लाख महत्वपूर्ण पुर्जों का उत्पादन भी होना है।

1	2	3
तीत. **पारेषण उपस्कर**		
लम्बी दूरी के पारेषठा उपस्कर और उपकरण	वर्ष 1976-77 के मूल्यों पर 1,700 लाख रूपए	उपग्रह संचार सम्पर्क के लिए भूमि पर प्रयोग किए जाने वाले उपस्करों का उत्पादन शुरू किया जा रहा है। इससे विस्तार का भी प्रस्ताव है जहां सहयोग से पतस् कोड माडयूलेशन तकनीक का प्रयोग कर आधुनिक डिजिटल मल्टी-प्लेक्सिंग उपस्कर की 500 प्रणालियां प्रतिवर्ष बनाई जायेगी।

विवरण दो

वर्ष 1976-77 से 1980-81 के दौरान क्षमता के उपयोग का विवरण :

उत्पाद	क्षमता के उपयोग का प्रतिशत				
	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81
एक. **उपस्कर स्विचिंग**					
(1) स्ट्रोजर एक्सचेंज उपस्कर	98%	88%	89%	87%	42%
(2) क्रासबार एक्सचेंज उपस्कर	110%	100%	101%	101%	54%
दो. **टेलीफोन उपकरण**					
टेलीफोन्स	110%	110%	109%	109%	60%

तीन. **पारेषण उपस्कर** उत्पादन क्षमता के उपयोग का प्रतिशत नहीं दिया गया क्योंकि प्रति-वर्ष कीमतें बदलती रहती हैं।

*टिप्पणी : वर्ष 1980-81 में कारखाने की उत्पादन क्षमता की उपयोग नीचे लिखे कारणों से कम रहा :

(i) बोनस के मामले पर 30-9-80 को गैर कानूनी हड़ताल जिसके परिणामस्वरुप बंगलोर कारखाने में 1 से 8 अक्तूबर, 1980 तक तालाबन्दी रही; और

(ii) दिनांक 26-12-1980 से 13/16-3-1981 तक श्रमिकों की हड़ताल।

कुकिंग गैस एजेन्सियों का आवंटन

316. **श्री नरसिंह मकवाना :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न नगरों में कुकिंग गैस एजेन्सियों के आवंटन के काम में ढील आ जाने के क्या कारण हैं;

(ख) एक ही स्थान पर एजेन्सी के आवंटन के बारे में अखबारों में बार-बार विज्ञापन दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) दो बार अथवा तीन बार साक्षात्कार के बावजूद इस बात का निर्णय न किये जाने के क्या कारण हैं कि किस व्यक्ति को एजेन्सी का आवंटन किया जाये ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों को अन्तिम रूप दिये जाने तक आरक्षित वर्ग के अधीन डीलरों के चयन को स्थगित किया गया था। अब यह हो गया है और तेल कम्पनियों द्वारा डीलरशिप को अन्तिम रूप शीघ्र दिया जा रहा है।

(ख) विशेष स्थल पर एक एजेन्सी के लिए अगर कोई उम्मीदवार प्रथम विज्ञापन से नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो, उसी वर्ग अथवा नये वर्ग में पुन: विज्ञापन दिया जा सकता है।

(ग) संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, उम्मीदवार जिनका साक्षात्कार पहले लिया गया था और जिन्हें जांच समिति द्वारा उपयुक्त पाया गया था, का चयन समिति द्वारा चयन किए जाने के लिए पुन: साक्षात्कार लिया जाना आवश्यक है।

आवश्यक औषधियों की कमी

317. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**
श्री वीरभद्र सिंह :

क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजार में आवश्यक औषधियों की कमी जारी है क्योंकि उत्पादकों एवं स्टाकिस्टों दोनों के लिए इनमें लाभ की मात्रा बहुत कम है और इसके परिणामस्वरूप रोगियों को दिक्कतें हो रही हैं;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे औषध निर्माताओं की संख्या का कोई निर्धारण किया है, जिन्होंने पिछले एक साल में विशेष रूप से जीवन रक्षक औषधियों का उत्पादन बन्द कर दिया है;

(ग) क्या बहुराष्ट्रीय औषध निर्माता कम्पनियां भारतीय कम्पनियों की कीमत पर लाभ कमा रही हैं और ऐसी बड़ी कम्पनियां भी ऐसी औषधियों का उत्पादन कर रही हैं जिनसे उनको अधिक लाभ प्राप्त होता है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि आवश्यक औषधियों का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त कम्पनियों को केवल इस आधार पर उत्पादन घटाने अथवा निलम्बित करने की अनुमति न दी जाये कि उन औषधियों में लाभ की मात्रा कम है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (घ) जी, नहीं। बाजार में आवश्यक औषधों की कमी नहीं है। मेरा मंत्रालय राज्य औषध नियंत्रकों, केन्द्रीय औषध मानक संस्थान के क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्टों और जनता से प्राप्त शिकायतों के आधार पर बाजार में औषधों और दवाईयों की उपलब्धता की निरन्तर देखरेख करता है। कुछ विशिष्ठ ब्रांड वाले उत्पादों की शिकायत मिली है। इनमें से कुछ मामलों में इनके समान ही दूर उत्पाद उपबंध हैं।

मेरा मंत्रालय महत्वपूर्ण और आवश्यक औषधों के उत्पादन की भी देखरेख करता है। इस प्रकार देखरेख की गई अनेक औषधों के उत्पादन में अप्रैल-दिसम्बर, 1981 के दौरान, गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में, विभिन्न अनुपातों में वृद्धि हुई है। कुछ मामलों में उत्पादन में कमी भी हुई है। यह विश्वास किया जाना है कि यह कमी अपर्याप्त मूल्यों को छोड़कर अन्य कारणों से हुई है। इन कारणों में औद्योगिक असन्तोष, पारियों अथवा मांग की बाधाएं, और आयातित सस्ती औषधों की उपलब्धता आदि शामिल है। उन मामलों में, जहां निर्माता मूल्यों को अपर्याप्त समझते हैं, वे सरकार को प्रत्यावेदन देते हैं और उनके प्रत्यावेदन के आधार पर मेरा मंत्रालय मूल्यों की समीक्षा करता है।

"एड फार पावर सैक्टर-आई० बी० आर० डी० वान्ट्स 25 परसेन्ट एस० ई० बी० ज० को-फाइनेन्सिंग" शीर्षक समाचार

318. श्री हरिनाथ मिश्र :
श्रीमती जयंती पटनायक :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "इकोनामिक टाइम्स" दिनांक 25 जनवरी, 1982 में प्रकाशित "एड फार पावर सैक्टर-आई० बी० आर० डी० वान्ट्स 25 परसेंट एस० ई० बी० ज० को-फाइनेन्सिंग" (बिजली क्षेत्र के लिए सहायता—आई० बी० आर० डी० चाहता है कि राज्य विद्युत बोर्ड 25 प्रतिशत वित्त लगाएं) शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक के प्रेसिडेन्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विश्व बैंक भारतीय विद्युत क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता देता रहेगा बशर्ते कि राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा साथ में वित्त पोषण करने की विभिन्न शर्तें पूरी की जाएं और बोर्डों की लेखा प्रणाली को बदल कर वाणिज्यिक लेखा प्रणाली बनाया जाए;

(ग) यदि हां, तो राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा साथ में वित्त पोषण के बारे में विभिन्न शर्तें क्या हैं; और

(घ) इन शर्तों को पूरा करने के बारे में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) भारतीय नेताओं के साथ हुए अपने विचार-विमर्श के दौरान विश्व बैंक के अध्यक्ष ने यह विचार व्यक्त किया कि विश्व बैंक, भारत के विद्युत सैक्टर की उच्च प्राथमिकता देना जारी रहेगा ।

कहलगांव में सुपर ताप बिजली घर

319. श्री डी० पी० यादव : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में कहलगांव स्थान पर सुपर ताप बिजली घर को सार्वजनिक उपक्रम ब्यौरों से स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो ऊर्जा विभाग ने इसको तेजी से कार्यान्वित करने के लिए क्या आरंभिक कदम उठाए हैं;

(ग) कहलगांव बिजली घर के स्थापना स्थल पर अब तक कितना व्यय किया गया है; और

(घ) आरम्भिक कार्य करने के लिए क्या प्रशासकीय तंत्र स्थापित किया गया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) 800 मेगावाट (4 × 200 मेगावाट के यूनिटों) के कहलगांव सुपर ताप विद्युत केन्द्र प्रथम चरण की स्थापना के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के प्रस्ताव को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी है । तथापि, प्रस्ताव पर निवेश संबंधी निर्णय सरकार द्वारा अभी लिया जाना है ।

"डेसू" द्वारा उपभोक्ताओं को भेजे गए बिजली के बल्क बिल

320. श्री राजेश कुमार सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि डेसू द्वारा उपभोक्ताओं को "बल्क" में बिजली के बिल भेजकर उनसे एक सप्ताह के भीतर अदायगी की मांग करता है और यह चेतावनी दी जाती हैं कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर अदायगी न की गई तो कनैक्शन काट दिया जायेगा जिससे उपभोक्ता के सामने दिक्कत पैदा हो जाती है; और

(ख) यदि हां, तो उपभोक्ताओं को अल्पावधि के भीतर भारी राशि के बिलों की अदायगी के कारण होने वाली परेशानी को दूरे करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बिक्रम महाजन) : (क) और (ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि उनको बिल बनाने की प्रणाली में कुछ अव्यवस्था आई है ।

मुख्य रुप से इसका कारण है मनुष्य द्वारा बिल बनाने जाने की प्रणाली के स्थान पर कम्प्यूटर से बिल बनाये जाने की प्रणाली अपनाने में निहित प्रारम्भिक कठिनाइयां हैं। बिल बनाए जाने के इस अन्तर को दूर करने के लिए, दो महीने के बिल बनाने के स्थान पर चार महीने के बिल जारी किए जाते हैं और भुगतान करने के लिए 7 से 10 दिन का समय दिया जाता है। विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर, उपभोक्ताओं को दो बराबर-2 मासिक किस्तों में भुगतान करने की मंजूरी दे दी जाती है। उपभोक्ताओं को विद्युत की सप्लाई काटने का व नोटिस दिए जाने के बावजूद बिलों का भुगतान न किए जाने पर ही विद्युत की सप्लाई काटी जाती है। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को बिल बनाने की प्रणाली सामान्य दशा में आ रही है।

नेशनल फिल्म आर्काइव्स के कार्यों का विस्तार

321. **श्रीमती संयोगिता राणे :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार नेशनल फिल्म आर्काइव्स के कार्यों का विस्तार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हा, तो इस विस्तार के उद्देश्य क्या है ?

(ग) क्या विदेशों से फिल्मों को आयात करने का भी प्रभाव हैं;

(घ) क्या नेशनल फिल्म आर्काइव्स का भारतीय सिनेमा के अनुभवी और रहनुमाओं पर पुस्तकें प्रकाशित करने का विचार है ; और

(ड़) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठें) (क) और (ख) जी हां, भारत सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय के चार स्थानों पर अर्थात-बंगलौर, कलत्ता, मद्रास और दिल्ली में प्रादेशिक कार्यालय स्थापित करने की योजना तैयार की है। बंगलौर में प्रादेशिक केन्द्र पहले ही शुरू हो चुका है और कलकत्ता में प्रादेशिक केन्द्र के निकट भविष्य में शुरू हो जाने की उम्मीद है। विस्तार करने का उद्देश्य प्रादेशिक फिल्म निर्माण केन्द्रों से प्रादेशिक फिल्मों को एकत्रित करने का काम सुविधाजनक बनाना और देश के विभिन्न भागों में फिल्म सोसाइटियों के लिए फिल्म वितरण पुस्तकालयों की सेवाओं का विस्तार करना है। इनसे लोगों के लिए वास्तविक फिल्मों का प्रदर्शन भी अधिक हो सकेगा।

(ग) जी, हां। राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय में विदेशों की वास्तविक फिल्में पहले से ही हैं।

(घ) और (ड़) जी, हां। राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय भारतीय सिनेमा के अनुभवी व्यक्तियों और रहनुमाओं अर्थात श्री पी० वी० पथी और गुरूदत्त पर दो मोनोग्राफ पहले ही प्रकाशित कर चुका है।

भड़ोच जिले (गुजरात) में तेल और गैस का मिलना

322. **श्री आर० पी० यादव :**

श्री आर० पी० गायकवाड़ :

क्या पेट्रोलियम, रसायन और ऊर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में भचड़ो जिले के कठोद्रा पारदी गांव में तेल और गैस मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार इन श्रोतों से इन्हे निकालने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है । करने पर विचार कर रही है; और

(ग) इस श्रोत से कितना तेल और गैस प्राप्त होगी :'

पेट्रोलियम, रसायन और ऊर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) एक विशेष गांव के संदर्भ में तेल, गैस की खोज की पुष्टि करना बहुत कठिन है । तथापि भड़ोच जिले में सिसोदरा भूवैज्ञानिक संरचना में कूप नं० 8 में तेल मिला है ।

(ख) क्योंकि यह क्षेत्र भूगोलिक रूप से उन संरचनाओं का एक भाग है जिनसे उत्पादन प्राप्त हो रहा है, इसलिए इस कूप को तेल गैस उत्पादन करने के ग्रुप गेदरिंग स्टेशनों के साथ जोड़ दिया गया है ।

(ग) इस संरचना में तेल भण्डार की उचित रुप से मात्रा का मूल्यांकन करने के लिए और अधिक अन्वेषी कूपों को खोदने की आवश्यकता होगी ।

इटली की एक फर्म के साथ सहयोग के विरुद्ध इलेक्ट्रोनिक ट्रेड एण्ड टेक्नोलोजी डेवलपमेन्ट कारपोरेशन द्वारा उठाई गई आपत्तियां

323. **प्रो० रूपचन्द पाल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रोनिक ट्रेड एण्ड टेक्नोलोजी डेवपलमेंट कारपोरेशन और कुछ स्टेट इलेक्ट्रोनिक कारपोरेशन्स और इलेक्ट्रोनिक विभाग भारतीय टेलीफोन उद्योग और एफ० ए० सी० ई० नामक एक इटालियन फर्म के बीच होने वाले सहयोग के विरुद्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो इलेक्ट्रोनिक ट्रेड एण्ड टेक्नोलोजो डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा उठाई गई आपत्ति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त आपत्ति पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) मैसर्स फर्म आफ इटली तथा मैसर्स सीमेन्स आफ फैडरल रिपब्लिक आफ जर्मन की दो फर्मों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के अनुसार आधुनिक डिजाइन के 10 लाख टेलीफोन उपकरण और 15 लाख डालर तथा

कैपसूल्स बनाने के लिए आई० टी० आई० के साथ सहयोग के प्रस्ताव के बारे में इलेक्ट्रानिक विभाग ने, जो सार्वजनिक निवेश बोर्ड के विचारार्थ रखे जाने वाले इलेक्ट्रानिक उपस्कर सम्बन्धी मामलों के मूल्यांकन में सहायक एक एजेन्सी है, अपनी टिप्पणी दी है। ई० टी० टी० डी० सी० अथवा राज्य के किसी अन्य इलेक्ट्रानिक निगम ने इस प्रस्ताव पर अपनी आपत्ति के बारे में इस मंत्रालय को नहीं लिखा है। इलेक्ट्रानिक विभाग की मुख्य आपत्ति यह है कि हमें विदेशी सहयोग के लिए तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक सम्पूर्ण-इलेक्ट्रानिक-टेलीफोन-उपकरण के लिए तकनालाजी उपलब्ध नहीं हो जाती।

(ग) इस मामले पर चर्चा कर इसे तय करने के लिए अन्तर-मंत्रालय बैठकें हो रही हैं।

डाकतार विभाग के लिए उपकरणों की मांग

324. **श्री वासेदेव आचार्य** : क्या संचार मंत्री यह दताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1982 से प्रारम्भ होने वाले आगामी पांच वर्षों में डाकतार विभाग की कुल उपकरणों की कुल मांग सहित उपकरण योजना का ब्योरा क्या है। 1982 से प्रारम्भ होने वाले आगामी पांच वर्षों में उपकरणवार इन उपकरणों की उपलब्धता का ब्योरा क्या है; और

(ख) डाकतार विभाग की आगामी पांच वर्षों में उपकरणों की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या योजना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :

दूरसंचार

(क) 1982 से आरंभ होने वाले 5 वर्षों के लिए उपस्कर योजना का विवरण तैयार किया जा रहा है। तथापित 1980 से 1985 की छठी पंचवर्षीय योजना की आवश्यकताओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है।

(ख) दूरसंचार विनिर्माण यूनिटें स्थापित करने के लिए लम्बी विलारण अवधि को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित की स्थापना करने के लिए कदम उठाए गए हैं :

(I) 5,00,000 लाइनों का अंकीय एक्सचेंज उपस्कर अलग-अलग प्रतिवर्ष विनिर्माण करने के लिए दो इलेक्ट्रोनिक स्विचिंग फैक्टरियां स्थापित करना जिसके लिए विश्वजनीन निविदाएं पहले ही आमन्त्रित की गई हैं। (II) 2,00,000 लाइनों का क्रासबार उपस्कर प्रति वर्ष विनिर्माण करने के लिए रायबरेली में एक नई यूनिट स्थापित करना जिसके लिए कार्य पहले ही आरंभ कर दिया गया है। (III) पालघाट (केरल) स्थित भारतीय टेलीफोन उद्योग की फैक्टरी का 10,000 लाइनों से 1·5 लाख (समतुल्य) लाइन प्रतिवर्ष विस्तार करना, जिसके लिए निविदाएं प्राप्त हो गई हैं तथा उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। (IV) हैदराबाद में 30 लाख सी० के० एम० भूमिगत के बल के विनिर्माण हेतु एक अतिरिक्त यूनिट की स्थापना (V) इलैक्ट्रोनिक टेलीप्रिंटरों के विनिर्माण हेतु होसुर में इलेक्ट्रोनिक टेलीप्रिंटर फैक्ट्री की स्थापना।

डाक

(क) और (ख) 982-85 की योजना के दौरान कुछ विशेषीकृत मैकेनिक उपकरण डाक शाखा को सप्लाई किए जाने की योजना है। 198?-85 के दौरान ऐसे उपस्कर का ब्योरा विवरण में दिया गया है। समुचित समय पर 1985 के बाद की अवधि के लिए योजना बनाई जाएगी।

विवरण

1. डाक शाखा में सामान्य प्रयोग में आने वाले उपस्कर जैसे कार्यालय फर्नीचर तराजू, फाइल कैबिनेट, पत्र पेटियां और पोस्टबाक्स कैबिनेट, थैले, सीलें और मोहरें, फार्म और लेखन सामग्री विभिन्न यूनिटों की आवश्यकतानुसार नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाती हैं। तत्काल आवश्यक मदों और वार्षिक पूर्वानुमान के अनुसार मांग का आक्कलन किया जाता है और अधिकांशतः महानिदेशक आपूर्ति और निपटान के माध्यम से उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाती है। इस टिप्पणी में ऐसे कुछ उपस्कर की चर्चा नहीं की गई है।

2. निम्नलिखित विशेषीकृत मैकेनिकल उपकरणों और उपस्कर की 1982-85 वर्षों के लिए योजना बनाई गई है :

1. नकदी रजिस्टर	390
2. टिकट विरूपण मशीन	20 (आयातित)
3. थैला धुलाई संयंत्र	11
4. थैला झाड़न मशीनें	99
5. कन्वेयर्स	2

2.1. उपर्युक्त के अलावा 1982 के दौरान 100 रोबोट्रान इलैक्ट्रॉनिक एडिंग एवं सूची तैयार करने की मशीनें आयातित की जा रही हैं। इसी प्रकार की 10 मशीनों के लिए मैसर्स इलेक्ट्रानिक लि० को शैक्षिक आदेश दे दिए गए हैं तथा एक अन्य फर्म को और 10 मशीनों के लिए आदेश दिए जाने की संभावना है। जो उपस्कर पहले आयातित किए जाते रहे हैं उनका देश में उत्पादन करने के लिए विभाग योजना बना रहा है। अब उनके प्रोटोटाइप का विकास किया जा रहा है।

2.2 1985-87 की अवधि के लिए योजना अभी नहीं बनाई गई है। यह कार्य यथेष्ट समय पर किया जाएगा।

3. मोहरों और सीलों की वार्षिक मांग (लगभग 6,0000 अदद) पूरा करने के लिए सील और मोहर सहकारी समिति, अलीगढ़, जो सील और मोहर सप्लाई करती है, को अपने हाथ में लेने और सीलों और मोहरों की बेहतर किस्म सुनिश्चित करने के लिए उससे आधुनिकीकरण की योजना है।

4. फार्म, जो कि इस समय भारत सरकार के विभिन्न प्रेसों तथा डाक महाध्यक्षों द्वारा स्थानीय रूप से भी छपवाए जा रहे हैं, की सप्लाई की पूर्ति के लिए 1980-85 की योजना के दौरान एक परिष्कृत प्रिंटिंग प्रेस भी लगाए जाने का प्रस्ताव है। यह प्रेस भुवनेश्वर में लगाई जाएगी।

मध्य प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण

325. श्री प्रताप भानु शर्मा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना के अन्तर्गत अब तक मध्य प्रदेश में कुल कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने चालू वर्ष में राज्य के लिए कितनी योजनाएं और उनके लिए कितनी धनराशि मंजूर की; और

(ग) मध्य प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 के दौरान कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा मध्य प्रदेश में स्वीकृत स्कीमों के अन्तर्गत जनवरी, 1982 के अन्त तक 14,533 गांव विद्युतीकृत किए गए हैं।

(ख) वर्ष 1981-82 के दौरान, जनवरी, 1982 के अन्त तक ग्राम विद्युतीकरण निगम ने मध्य प्रदेश के लिए 25.22 करोड़ रुपए की ऋण सहायता को 64 स्कीमें स्वीकृत की हैं।

(ग) ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्वीकृत स्कीमों के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 के दौरान दिसम्बर, 1981 के अन्त तक मध्य प्रदेश में 2003 गांव विद्युतीकरण किए गए हैं।

यू० के० टेलीफोन एक्सचेंज टेकनोलाजी का आयात

326. श्री एम० एम० लारेंस :

श्रीमती सुशीला गोपालन :

श्री ई० के० इम्बीचीबावा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशों से विशेष रूप से यू० के० से टेलीफोन एक्सचेंज टेकनोलोजी का आयात करने की योजना बना रही है;

(ख) क्या इस आयात में लगभग 2,00,000 और 5,00,000 एक्सचेंज लाइनें अन्तग्रस्त होंगी; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा सहित वित्तीय खर्च का ब्योरा क्या है और इससे देश की बेरोजगारी की समस्या कितनी हल होगी ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां। सरकार विदेशों से इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज तकनोलाजी आयात करने की सोच रही है। परन्तु इस तकनोलाजी को विशेष रूप से यू० के० से आयात करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

(ख) तकनोलाजी का आयात प्रतिवर्ष 5,00,000 एक्सचेंज लाइनों की क्षमता वाली देशी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए किया जाना है। मांग की मौजूदा प्रतीक्षा सूची को पूरा करने के लिए 2,00,000 लाइनों का तैयार उपस्कर आयात करने का प्रस्ताव भी है।

(ग) तकनोलाजी आयात करने के लिए आमंत्रित किए गए विश्वजनीन निविदाएं प्राप्त करने हेतु अन्तिम तारीख 31-3-82 है। विश्वजनीन निविदाएं प्राप्त होने के पश्चात् ही आवेदनों का ब्योरा उपलब्ध हो सकेगा।

वर्ष 1982-83 के दौरान कोयले की मांग और सप्लाई की तुलना में योजना परिव्यय

327. **श्री नीरेन घोष** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की मांग और सप्लाई की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 1982-83 के लिए कोयले के लिए किया गया वार्षिक योजनागत परिव्यय पर्याप्त होगा;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1982-83 में कोयले कुल कितनी मांग है और कुल सप्लाई अनुमान क्या है जिसके लिए वर्ष 1982-83 में धन का नियतन किया गया है;

(ग) क्या वर्ष 1982-83 के लिए कोयले हेतु वार्षिक परिव्यय नियत करते सभय चालू वर्ष के दौरान मंजूर की गई परियोजनाओं की आवश्यकाओं पर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्योरा क्या है जिनके लिए वर्ष 1982-83 की वार्षिक योजना में धन का नियतन किया गया; और

(ङ) यदि कोई ध्यान नहीं दिया गया है तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) योजना आयोग द्वारा वर्ष 1982-83 में कोयले की कुल मांग का अनुमान 137 मिलियन टन (3 मिलियन टन वाशरी मिडलिंग को निकाल कर) लगाया गया है और कुल सप्लाई का अनुमान भी इतना ही है।

(ग) जी, हां।

(घ) चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं के सम्बन्ध में 1982-83 के लिए प्रस्तावित प्रावधान संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1981-82 (22-2-1982 तक) के दौरान स्वीकृत कोयला खनन परियोजनाओं की सूची।

क्रम सं०	वर्ष 1981-82 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं के नाम	बजट अनुमान 1982-83 में सुझाया गया प्रावधान
		(रु० करोड़ों में)
	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि०	
1.	चुनिन्दा धोरी ओपेनकास्ट	9.00
2.	धोरी वेस्ट पुनर्गठन	5.00
3.	रे-बचरा पुनर्गठन	0.82
4.	भरतपुर ओपेनकास्ट के लिए अग्रिम कार्रवाई	3.63
5.	निधाई ओपेनकास्ट के लिए अग्रिम कार्रवाई	0.40
6.	चुरी भूमिगत	0.70
7.	लायो भूमिगत	अन्तिम रूप दिया जा रहा है
	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	
8.	शिवपुरी विस्तार ओपेनकास्ट	1.00
9.	सस्ती ओपेनकास्ट	1.25
10.	पाली (बिरसिंहपुर पूर्व) भूमिगत	0.50
11.	सिलेवाड़ा विस्तार ओपेनकास्ट	अन्तिम रूप दिया जा रहा है
	सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि०	
12.	गोलेटी नं० 2 इन्क्लाइन	0.49
13.	श्रीरामपुर नं० 2 ए इन्क्लाइन	1.13
14.	गोदावरी खानी नं० 7 इन्क्लाइन	8.00
15.	गोदावरी खानी नं० 9 इन्क्लाइन	

कुछ मार्गों में माइक्रोवेव चैनल को अधिष्ठापित करना

328. **श्री सैयद मसूदल हुसैन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ मार्गों में माइक्रोवेव चैनलों को अधिष्ठापित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन मार्गों के नाम क्या हैं;

(ग) ये चैनल कब तक चालू किए जाएंगे; और

(घ) उन मुख्य शहरों के नाम क्या हैं जहां से ये माइक्रोवेव मार्ग गुजरेंगे, तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) विस्तृत ब्योरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान इन मार्गों के चालू हो जाने की संभावना है।

(घ) ब्योरे विवरण में दिए गए हैं।

निर्माणाधीन विभिन्न सूक्ष्मतरंग योजनाओं के नाम दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	मार्ग का नाम	प्रणाली की किस्म
1	2	3
1.	भोपाल-सागर-झांसी	चौड़ी पट्टी
2.	सेलम-कोयम्बतुर-एर्नाकुलम	,,
3.	ऊधमपुर-श्रीनगर	,,
4.	मद्रास-विजयवाडा-विशाखापट्टनम-कटक-खड़कपुर	,,
5.	बंगलूर-गुण्टाकल-सिकन्दराबाद-निजामाबाद-नागपुर	,,
6.	बम्बई-पूना	,,
7.	कटक-सम्बलपुर	,,
8.	गौहाटी-जोरहाट	,,
9.	आसनसोल-धनबाद	,,
10.	अमृतसर-जालंधर-लुधियाना-अम्बाला-चण्डीगढ़-शिमला	,,

1	2	3
11.	जयपुर-बीकानेर	"
12.	इलाहाबाद-वाराणसी-पटना	"
13.	पटना-गया-हजारीबाग	"
14.	जयपुर-अजमेर-जोधपुर	"
15.	राजकोट-जामनगर	"
16.	जोरहाट-डिब्रूगढ़-तिनसुखिया	"
17.	जमशेदपुर-रांची	"
18.	रांची-हजारीबाग	"
19.	अहमदाबाद-भावनगर-राजकोट-सूरत	"
20.	कोयम्बतूर-मत्तूपलायम	तंग पट्टी
21.	लखनऊ-रायबरेली	"
22.	रांची-डाल्टनगंज	"
23.	इलाहाबाद-सतना	"
24.	इंदौर-मऊ	"
25.	कलकत्ता-राणाघाट	"
26.	कूचबिहार-हाशिमारा	"
27.	भोपाल-विदिशा	"
28.	इंदौर-देवास	"
29.	कटिहार-भागलपुर-मंधीर	"
30.	नागपुर-छिंदवाड़ा	"
31.	गोहाटी-गोलपाड़ा-बांगेगांव	"
32.	एर्नाकुलम-इरिजलकुडा	"
33.	मालदा-धुलिया	"
34.	शोलापुर-उस्मानाबाद-लतूर	"
35.	कूचबिहार-अलीपुर द्वार	"

1	2	3
36.	आगरा-टूंडला	तंग पट्टी
37.	आगरा-फिरोजाबाद	,,
38.	सिकन्दराबाद-होमनाबाद-गुलबर्ना	,,
39.	रायपुर-जबलपुर	,,
40.	सिलीगुड़ी-जलपाईगुड़ी	,,
41.	मदुरै-केराकुडी	,,
42.	एर्नाकुलम-एलवाई	,,
43.	बीकानेर-श्रीगंगानगर	,,
44.	अम्बिकापुर-बिलासपुर	,,
45.	मैसूर-मरकारा	,,
46.	पंजिम-कारवार	,,
47.	आसनसोल-रानीगंज-दुर्गापुर	,,
48.	घुलिया-बरहामपुर-कृष्णानगर	,,
49.	कटक-धेनकनाल	,,
50.	बेलगाम-भागलकोट-बीजापुर	,,
51.	विशाखापट्टनम-कोरापुट	,,
52.	जोरहाट-उत्तरी लखीमपुर	,,
53.	बंगलूर-कोलार	,,
54.	मंजलौर-उडीप्पी-कुन्डापुर	,,
55.	सोपोर-बारामुला	,,
56.	जामनगर-खम्वालिया	,,
57.	अहमदाबाद-कैरा-कैम्बे	,,
58.	इलाहाबाद-मिर्जापुर	,,
59.	जबलपुर-नरसिंहपुर	,,
60.	जयपुर-सिकार-झुन्झुनु	,,
61.	पूना-रत्नागिरी	,,
62.	हुबली-गडग	,,
63.	सुरेन्द्रनगर-धरमंधर	,,
64.	जूनागढ़-मान वडार	,,
65.	जयपुर-कोरापट	,,

कोल इण्डिया द्वारा सरकार की भूमि अधिग्रहण नीति का उल्लंघन करना

329. **श्री डी० एस० पुत्ते गौडा :**

श्री के० लक्कप्पा :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोल इण्डिया ने झरिया कोयला क्षेत्र के पुनर्निर्माण के लिए अपनी 20 वर्षीय योजना की सफलता के लिए सरकार की भूमि अधिग्रहण नीति और विस्थापितों के पुनर्वास की नीति का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) अन्य परियोजनाओं के चालू होने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या कोल इण्डिया के मनमाने ढंग से आदिवासियों को कठिनाइयां हुई हैं जिनका विश्वास है कि उन्हें ठगा गया है; और

(ड.) यदि हां, तो उपर्युक्त मामलों को हल करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) झरिया में विभिन्न परियोजनाओं को शुरू करने में जिन कारणों से विलम्ब हुआ वे हैं—भूमि अधिग्रहण में विलम्ब, कठिन भू-खनन स्थिति और संयंत्र एवं उपकरणों की उपलब्धता में विलम्ब।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अल्मोड़ा में आकाशवाणी प्रसारण केन्द्र के निर्माण में धीमी प्रगति

330. **श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्मोड़ा में निर्माणाधीन आकाशवाणी प्रसारण केन्द्र के निर्माण में धीमी प्रगति के क्या कारण हैं; और

(ख) इस आकाशवाणी प्रसारण केन्द्र का निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) सीमेंट की भारी कमी के कारण निर्माण कार्य अधिक प्रगति नहीं कर सका। तथापि, स्थिति में अब सुधार हो गया है और निर्माण कार्य के 1983 के मध्य तक मुकम्मल हो जाने की उम्मीद है।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों को स्वचालित एक्सचेंजों में बदलना

?31. **श्री रामलाल राही** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष 1981-82 के दौरान उत्तर प्रदेश में छः टेलीफोन एक्सचेंजों को स्वचालित एक्सचेंजों में बदला जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो डिवीजनवार इन एक्सचेंजों के नाम और स्थान क्या हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) 1981-82 में उत्तर प्रदेश में निम्न 4 करचल एक्सचेंजों को स्वचल एक्सचेंजों में बदलने की योजना है :

1. नैनीताल
2. अल्मोड़ा
3. उझानी (बदायूं जिला)
4. मथुरा

मानव चालित टेलीफोन ऐक्सचेंजों के लिए हैडगेयर सैटों का आयात करना

332. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मानव चालित टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए 30,000 हैडगेयर सैटों का आयात करने वाली है;

(ख) यदि हां, तो इस आवश्यक उपकरण का अपने यहां उत्पादन न करके कैसे आयात किया जाएगा;

(ग) अब तक की स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रस्तावित आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) हस्तचल स्थानीय तथा ट्रंक टेलीफोन एक्सचेंजों में प्रयोग के लिए हैडगेयर सैटों के आयात करने के एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) पुराने डिजाइन के हैडगेयर सैटों का विनिर्माण देश में ही किया जाता है परन्तु उत्पादन की क्षमता सम्पूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए अर्याप्त है ।

(ग) देशी हैडगेयर सैटों की अधिकांश सप्लाई भारतीय टेलीफोन उद्योग द्वारा की जाती है । इस समय उत्पादन किए जा रहे हैडगेयर सैटों की किस्म पुराने डिजाइन की हैं जिनकी पारेषण विशिष्टताएं सीमित हैं तथा इन्हें अधिक भार के कारण लम्बे समय तक निरन्तर चलाना अनुपयोगी पाया गया है ।

(घ) हैडगेयर सैटों की सही मांग तथा आयात की मात्रा को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

राजस्थान में उर्वरक संयन्त्र लगाने के लिए स्थान का चयन

333. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में अमोनिया और यूरिया पर आधारित उर्वरक संयंत्र लगाने के लिए राजस्थान में उपयुक्त स्थानों के चयन के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(ख) यदि हां, तो क्या स्थानों के चयन के लिए एक समिति का गठन किया गया है;

(ग) उर्वरक संयंत्र के स्थान का चयन करने के लिए क्या मानदण्ड है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) गैस पर आधारित 6 अतिरिक्त उर्वरक संयंत्रों, की स्थापना के लिए जिनमें से एक मध्य प्रदेश में, एक राजस्थान में और 4 उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाने है अनुकुलतम स्थानों का सुझाव देने हेतु सरकार द्वारा एक स्थल चयन समिति नियुक्त की गई थी। समिति ने राज्य सरकारों द्वारा सुझाए गए विभिन्न स्थलों का विस्तृत सर्वेक्षण और तकनीकी आर्थिक परीक्षण किया है। समिति ने हाल ही में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

(ग) उर्वरक संयंत्र के लिए स्थल का निर्णय, फीडस्टाक की उपलब्धता, बाजार की निकटता, मांग ढांचा, कच्चे मालों और तैयार उर्वरकों के परिवहन की लागत तथा व्यवहारिकता और अन्य तकनीकी आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

माइक्रोवेव चैनलों की अधिष्ठापना के अन्तर्गत आने वाले मार्गों के नाम

334. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ भागों में माइक्रोवेव चैनलों की अधिष्ठापना की जा रही है;

(क) यदि हां, तो उन भागों के नाम क्या हैं;

(ग) ये कब तक चालू हो जायेंगे; और

(घ) उन मुख्य शहरों के नाम क्या हैं जहां से ये माइक्रोवेव चैनल गुजरेंगे, तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां ।

(ख) विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) मार्गों के चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है ।

(घ) विवरण में दिए गए है ।

विवरण

कार्यान्वित हो रही विभिन्न माइक्रोवेव योजनाओं के मार्गों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	मार्ग का नाम	पद्धति की किस्म
1	2	3
1.	भोपाल-सागर-झांसी	वाइड बैंड
2.	सलेम-कोयम्बतूर-एर्नाकुलम	वाइड बैंड
3.	उधमपुर-श्रीनगर	वाइड बैंड
4.	मद्रास-विजयवाड़ा-विशाखापट्टनम्-कटक-खड़गपुर	वाइड बैंड
5.	बंगलोर-मुंटाकल-सिकन्दराबाद-निजामाबाद-नागपुर	वाइड बैंड
6.	बम्बई-पूणे	वाइड बैंड
7.	कटक-सम्बलपुर	वाइड बैंड
8.	गोहाटी-जोरहट	वाइड बैंड
9.	आसनसोल-धनबाद	वाइड बैंड
10.	अमृतसर-जलंधर-लुधियाना-अम्बाला-चंडीगढ़-शिमला	वाइड बैंड
11.	जयपुर-बीकानेर	वाइड बैंड
12.	इलाहाबाद-वाराणसी-पटना	वाइड बैंड
13.	पटना-गया-हजारीबाग	वाइड बैंड
14	जयपुर-अजमेर-जोधपुर	वाइड बैंड
15.	राजकोट-जामनगर	वाइड बैंड
16.	जोरहट-डिब्रूगढ़-तिनसुकिया	वाइड बैंड
17.	जमशेदपुर-रांची	वाइड बैंड
18.	रांची-हजारीबाग	वाइड बैंड

1	2	3
19.	अहमदाबाद-भावनगर-राजकोट-सूरत	वाइड बैंड
20.	कोयम्बतूर-मेट्टूपलायम	नैरो बैंड
21.	लखनऊ-रायबरेली	नैरो बैंड
22.	रांची-डाल्टेनगंज	नैरो बैंड
23.	इलाहाबाद-सतना	नैरो बैंड
24.	इन्दौर-म्हो	नैरो बैंड
25.	कलकत्ता-रानाघाट	नैरो बैंड
26.	कूच बिहार-हाशिमारा	नैरो बैंड
27.	भोपाल-विदिशा	नैरो बैंड
28.	इन्दौर-देवास	नैरो बैंड
29.	कटिहार-भागलपुर-मुंगेर	नैरो बैंड
30.	नागपुर-छिन्दवाड़ा	नैरो बैंड
31.	गौहाटी-गोलपारा-बंगईगांव	नैरो बैंड
32.	एर्नाकुलम-इरिंजल कुडा	नैरो बैंड
33.	मालदा-धुलियन	नैरो बैंड
34.	शोलापुर-उस्मानाबाद-लातूर	नैरो बैंड
35.	कूच बिहार-अलीपुर द्वार	नैरो बैंड
36.	आगरा-टूंडला	नैरो बैंड
37.	आगरा-फिरोजाबाद	नैरो बैंड
38.	सिकन्दराबाद-होमनाबाद-गुलबर्गा	तथैव
39.	रायपुर-जगदलपुर	तथैव
40.	सिलिगुड़ी-जलपाईगुड़ी	तथैव
41.	मदुरै-करईकुड्डी	तथैव
42.	एर्नाकुलम-अल्वे	तथैव
43.	बीकानेर-श्रीगंगानगर	तथैव

1	2	3
44.	अम्बिकापुर-बिलासपुर	तथैव
45.	मैसूर-मरकारा	तथैव
46.	पलिम-करलार	तथैव
47.	आसनसोल-रानीगंज-दुर्गापुर	तथैव
48.	धुरिया-बरहमपुर-कृष्णनगर	तथैव
49.	कटक-ढेंकानल	तथैव
50.	बेलगांव-भागलकोट-बिजापुर	तथैव
51.	विशाखापट्टनम्-कोरापुट	तथैव
52.	जोरहट-उत्तरी लखीमपुर	तथैव
53.	बंगलोर-कोलार	तथैव
54.	मंगलौर-उदिपी-कून्डापुर	तथैव
55.	सेमारे-बारामूला	तथैव
56.	जामनगर-खामबलिया	तथैव
57.	अहमदाबाद-कैरा-कैम्बे	तथैव
58.	इलाहाबाद-मिर्जापुर	तथैव
59.	जबलपुर-नरसिंहपुर	तथैव
60.	जयपुर-सोकर-झुनझुनू	तथैव
61.	पूणे-रत्नागिरि	तथैव
62.	हुबली-गडग	तथैव
63.	सुरेन्द्रनगर-धारगंधरा	तथैव
64.	जूनागढ़-मनवडेर	तथैव
65.	जेपोर-कोरापुट	तथैव

छोटे समाचार पत्रों को टेप रिकार्डर सप्लाई करना

335. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार छोटे समाचार पत्रों को टेप रिकार्डर देगी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या मानदण्ड होंगे; और

(ग) इन समाचार पत्रों को कब तक टेप-रिकार्डर उपलब्ध कराये जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ख) एक यह सुझाव प्राप्त हुआ है कि यदि लघु समाचार पत्रों को टेप-रिकार्ड उपलब्ध कर दिए जाए तो वे आकाशवाणी के सामान्य समाचार बुलेटिनों को रिकार्ड कर उनका उपयोग कर सकते हैं। इससे आकाशवाणी अपना धीमी गति वाला समाचार बुलेटिन बन्द कर सकेगी जिससे समय और पैसे की बचत होगी। सुझाव में अन्तर्निहित बातों की जांच की जा रही है।

निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन

336. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास इस समय संविधान में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है जिससे प्रत्येक दसवर्षीय जनगणना के बाद विभिन्न राज्यों को आवंटित स्थानों की वर्तमान संख्या को बढ़ाए बिना संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ग) निर्वाचन आयोग ने यह सिफारिश की है कि संविधान अनुच्छेद 82 और 170(3) का इस प्रकार संशोधन किया जाए कि लोक सभा में विभिन्न राज्यों के स्थानों और विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं में स्थानों की कुल संख्या में कोई परिवर्तन न करते हुए प्रत्येक दस वर्षीय जनगणना के पश्चात् प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के नए परिसीमन की मूल स्थिति वापस लाई जा सके। इस विषय पर भारत के महान्यायवादी की राय ली गई थी। इस विषय पर अब काफी विचार हो चुका है।

डालमियां समूह को कम्पनियों का ब्यौरा

337. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डालमिया समूह के परिवार के सदस्यों के नियंत्रण में और अधिकार में कितनी कम्पनियां हैं और उनके नाम क्या हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक कंपनी के व्यवसाय क्या हैं;

(ग) वित्तीय वर्ष 1980-81 से पहले पांच वर्षों में और इसके सहित प्रत्येक कम्पनी की परिसम्पत्तियां क्या हैं;

(घ) क्या किन्हीं वित्तीय संस्थानों ने इन्हें ऋण दिया या इनमें से प्रत्येक कंपनी में धन लगाया, यदि हां, तो कितना;

(ङ) इनमें से प्रत्येक कंपनी में डालमियां समूह के आदमियों को शेयर पूंजी का मूल्य कितना है और प्रत्येक को प्रपत्र पूंजी कितनी है; और

(च) क्या ये सभी कंपनियां सरकार को समय पर तुलनपत्र पेश करती हैं; यदि नहीं, तो इन कंपनियों के नाम क्या हैं और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) कंपनी विधि बोर्ड ने अपने दिनांक 8-2-80 के आदेश द्वारा धारित किया कि 23 उपक्रम श्री जयदयाल डालमियां के परिवार से सम्बन्धित व्यक्तियों के समूह के नियंत्रणाधीन थे। इस आदेश पर दिल्ली उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय, दोनों के समक्ष आपत्ति उठाई गई है, जिनमें रोकादेश प्रदान कर दिया गया था, एवं दोनों कथित न्यायालयों के समक्ष कार्यवाहियां अभी तक अनिर्णीत हैं। तथापि, डालमियां समूह के सदस्यों द्वारा नियंत्रित होना, स्वीकार करने वाली कोई कंपनी, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं हुई है। अतः इस बाबत अपेक्षित सूचना देना संभव नहीं है।

(ख) से (च) उत्पन्न नहीं होते।

वार्षिक योजना में छोड़ी गई कोल माईनिंग परियोजनाएं

338. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 की वार्षिक योजना में सुपर तापीय विद्युत परियोजना और विशाल इस्पात संयंत्र से जुड़ी कोल माइनिंग परियोजनाओं को छोड़ने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इससे देश में वार्षिक विद्युत उत्पादन और वार्षिक इस्पात उत्पादन प्रभावित नहीं होगा;

(ग) क्या इससे हमें अन्य देशों से ऊंचे दामों में इस्पात का आवश्यक आयात करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो वार्षिक योजना परिव्यय में उपर्युक्त कटौती करने के क्या कारण हैं और उनका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) सुपर ताप बिजली घर परियोजनाओं और इस्पात संयंत्रों से सम्बन्धित कोयला परियोजनाओं को 1982-83 की वार्षिक योजना से बाहर निकाला गया है।

(ख) से (घ) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

मतदाताओं को पहचान-पत्र जारी करना

330. श्री चिरंजीलाल शर्मा : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मतदाताओं को पहचान-पत्र जारी करने के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या देश के किसी भाग में पहचान-पत्र जारी किए गए हैं; और

(ग) इस स्कीम को कब तक सम्पूर्ण देश में लागू कर दिया जायेगा।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) मतदाताओं को फोटो लगे पहचान-पत्र जारी करने की स्कीम का प्रायोगिक आधार पर परीक्षण सिक्किम में अक्तूबर, 1979 में हुए वहां की विधान सभा के निर्वाचनों के दौरान किया गया था। उसके बाद इस स्कीम को पूर्वोत्तर क्षेत्र में जिसके अन्तर्गत असम और मेघालय भी हैं, क्रमिक रूप से लागू करने का विनिश्चय किया गया था। निर्वाचन आयोग ने सर्वप्रथम मेघालय और नागालैंड में इस स्कीम को लागू करने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी किए थे। फोटो लगे पहचान-पत्र जारी करने की प्रणाली असम में तब लागू की जाएगी जब वहां स्थिति सामान्य हो जाएगी और निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण हो जायेगा। जहां तक अन्य राज्यों में इस स्कीम को लागू करने का सम्बन्ध है निर्वाचन आयोग के परामर्श से कार्यविधि तैयार की जा रही है।

(ग) मतदाताओं को फोटो लगे पहचान-पत्र जारी करने की स्कीम को क्रियान्वित करने में न केवल बहुत अधिक व्यय होगा अपितु समय भी बहुत लगेगा। सम्पूर्ण देश में इस स्कीम को 5 से 6 वर्ष के भीतर लागू करने का विचार है। स्कीम के कार्यकरण की कार्यविधि तैयार करने में व्यय के हिस्से के लिए राज्य सरकारों से परामर्श करने, पहचान पत्र तैयार करने के लिए अभिकरण स्थापित करते, भ्रष्टाचार आदि के विरुद्ध रक्षोपायों की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। इसलिए इस सम्बन्ध में यह कह पाना संभव नहीं है कि इसमें ठीक-ठीक समय कितना लगेगा।

जनवरी, 1982 में राजधानी में बिजली रुक-रुककर देना

340. डा० ए० यू० आज़मी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1982 के माह में राजधानी में प्रायः तथा लगातार रुक-रुककर बिजली सप्लाई करने के मुख्य कारण क्या हैं जबकि एक तरफ आवश्यकता से अधिक बिजली के उत्पादन का दावा किया जाता है और दूसरी तरफ बिजली रुक-रुककर दी जाती है; और

(ख) राजधानी में लोड शैडिंग को पूरी तरह रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जनवरी, 1982 के दौरान में ऊर्जा की समग्र उपलब्धता पिछले वर्ष की इसी अवधि की उपलब्धता से 6.2% अधिक थी। दिल्ली पड़ोसी राज्यों को भी कुछ सहायता देती रही है जनवरी, 1982 के दौरान दिल्ली में बार-बार और लगातार लोड शैडिंग नहीं की गई है। वर्ष 1981 और 1980 के जनवरी महीनों के दौरान क्रमश: 5 दिन और 12 दिन लोड शैडिंग की गई थी। इसकी तुलना में जनवरी, 1982 में 3 दिन लोड शैडिंग की गई है। लोड शैडिंग के मुख्य कारण ये थे; दिल्ली में ग्रिड संबंधी गड़बड़ी तथा उत्तरी क्षेत्र में बाधाएं।

(ख) दिल्ली के आस-पास स्थित विद्युत उत्पादन केन्द्रों के कार्य-निष्पादन की समुचित और लगातार मानीटरिंग की जाती है; विद्युत के उत्पादन और वितरण, दोनों ही में सुधार लाने के लिए विशिष्ट कृतिक बलों का गठन किया गया है। इन उपायों के परिणामस्वरूप विद्युत सप्लाई की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है तथा आगे और सुधार होने की सम्भावना है।

राष्ट्रीय जल विद्युत निगम से लाभान्वित राज्य

341. **श्री के० अर्जुन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय जल विद्युत निगम से लाभान्वित राज्यों के नाम क्या हैं;

(ख) क्रियान्वित की जाने वाली नयी योजनाओं के नाम क्या हैं और किन-किन राज्यों में क्रियान्वित किया जायेगा;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तमिलनाडु विद्युत ऊर्जा-जल विद्युत तथा तापीय विद्युत दोनों ही क्षेत्र में अत्यन्त पिछड़ा हुआ है जिससे कृषि और उद्योग दोनों को हानि हो रही है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का प्रस्ताव राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा बिजली की गई कटौती को पूरा करने के लिए तापीय विद्युत घर शुरू करने का है क्योंकि जल विद्युत के जरिये बिजली की संभावनायें बहुत कम हैं;

(ङ) तमिलनाडु सरकार के पास लंबित ऐसी जल विद्युत योजनाएं कौन-कौन सी हैं जिन्हें शुरू किया जाना शेष है और इन्हें शुरू किए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय जल विद्युत के अन्तर्गत होगेनक्कल जल विद्युत योजना को तत्काल शुरू करने का है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर तथा बिहार में परियोजनाओं का निर्माण किया है।

इन परियोजनाओं के पूरा होने पर जो बिजली प्राप्त होगी, वह उत्तरी, उत्तर-पूर्वी तथा पूर्वी क्षेत्रों के राज्यों को उपलब्ध होगी ।

उत्तरी क्षेत्र में निम्नलिखित राज्यों को लाभ प्राप्त होगा :

उत्तर प्रदेश

हिमाचल प्रदेश

जम्मू और कश्मीर

पंजाब

हरियाणा

राजस्थान

संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़,

दिल्ली

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में निम्नलिखित राज्यों को लाभ प्राप्त होगा :

पश्चिम बंगाल

बिहार

उड़ीसा

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में निम्नलिखित राज्यों को लाभ प्राप्त होगा :

मिजोरम

मेघालय

अरुणाचल प्रदेश

मणिपुर

सिक्किम

नागालैण्ड

असम

राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ने महाराष्ट्र राज्य के कोकण क्षेत्र में भी कुछ परियोजनाओं के पूर्व-व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन पूरे किए हैं । यह उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा मिजोरम में परियोजनाओं के अन्वेषण कार्य में लगा हुआ है ।

देश के सभी राज्यों से अलग-अलग तौर पर ऐसी परियोजनाओं के प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है जो कि केन्द्रीय क्षेत्र से राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा हाथ में ली जा सकती हों ।

(ख) निर्माण कार्य

कोइल-कारो 710 मे० वा०—बिहार

दुल हस्ती 390 मे०वा०—जम्मू और कश्मीर

अन्वेषण स्कीमें

चमेरा चरण 1 और 2—हिमाचल प्रदेश

धौलीगंज—उत्तर प्रदेश

धालेश्वरी—मिजोरम

(ग) तमिलनाडु में विद्युत सप्लाई की स्थिति इस समय संतोषजनक है। राज्य में कोई विद्युत कटौतियां/प्रतिबन्ध लागू नहीं है। कृषि उपभोक्ताओं को कम से कम 10 घंटे प्रतिदिन विद्युत सप्लाई की जाती है। चालू वर्ष के दौरान सामान्य वर्षा होने से तमिलनाडु में विद्युत सप्लाई की स्थिति सन्तोषजनक बनी रहने की आशा है।

(घ) राष्ट्रीय जल विद्युत निगम केवल जल विद्युत के क्षेत्र में ही कार्य करता है, ताप विद्युत के क्षेत्र में नहीं।

(ङ) तमिलनाडु सरकार निम्नलिलित स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है :

कार्यान्वयनाधीन स्कीमें	देरी के कारण	वर्तमान स्थिति
1. कदमपराई पम्पड स्टोरेज स्कीम 4×100 मे०वा०	राज्य सरकार ने इसे कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया है। कुछ श्रम संबन्धी समस्याएं थीं।	इस परियोजना को अब 1984-85 के दौरान चालू किए जाने की आशा है।
2. सेरवालार 1×20 मे०वा०	पेड़ काटने आदि के लिए बन विभाग की स्वीकृति में देरी	स्वीकृति अब प्राप्त हो गई है और परियोजना के 1983-84 तक चालू किए जाने की आशा है।
3. लोअर मत्तूर 8×15 मे०वा०	उपस्करों की प्राप्ति के लिए निर्णय लेने में समय लगा	परियोजना को निम्नानुसार चालू किये जाने की आशा है। 2 यूनिटें—1983-84 4 यूनिटें—1984-85 2 यूनिटें—1985-86
4. कुन्डाह बिजली घर-5 1×20 मे०वा०	—	कनाडा की सहायता प्राप्त करने का निर्णय अभी हाल में ही लिया गया है। परियोजना को 1984-85 तक चालू किए जाने की आशा है।

(च) संबन्धित राज्य को चाहिए कि पहले इस परियोजना को केन्द्र को सौंपने के लिए सहमत हो ।

मध्य प्रदेश में मुरेना और ग्वालियर टेलीविजन केन्द्रों की स्थापना करना

342. **श्री बाबूलाल सोलंकी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में मुरेना और ग्वालियर में टेलीविजन केन्द्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इन टेलीविजन केन्द्रों की स्थापना पर कितना खर्च होगा; और

(ग) इस क्षेत्र के लोगों को कब तक टेलीविजन की सुविधा मिल जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश में मुरेना और ग्वालियर में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, भावी योजना में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने के लिए चुने गए स्थानों में से एक स्थान ग्वालियर है । मोरेना ग्वालियर दूरदर्शन रिले केन्द्र की सेवा परिधि के अन्दर आयेगा । इस योजना का कार्यान्वयन संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

(ग) इस परियोजना पर लगभग 2 करोड़ रुपए व्यय होंगे ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिट्टी के तेल की कमी

343. **श्री शिवशरण वर्मा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिट्टी के तेल की कृत्रिम कमी और उससे होने वाली परेशानी की तरफ आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी हां ।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार की मांग पर उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों की मांग स्थिति को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को 1000 मी० टन मिट्टी के तेल का अतिरिक्त आवंटन किया गया था । राज्य सरकार को यह भी सलाह दी गई है कि प्रणाली को कारगर बनाया जाये ताकि राज्य आदि के विभिन्न क्षेत्रों के बीच इस उत्पादन का समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात में उटरान बिजली घर के पुराने और छोटे एककों का बदला जाना

344. **श्री छोटू भाई गामित** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से उटरान बिजली घर के पुराने और छोटे एककों को बदलने के प्रस्ताव का अनुमोदन करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का अनुमोदन करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने अथवा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने क्या कदम उठाये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) उलत्राण में पुराने और छोटे यूनिटों के स्थान पर 1 × 120 मेगावाट का विद्युत संयंत्र स्थापित करने की स्कीम तकनीकी-आर्थिक अनुमोदन के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास लम्बित पड़ी है क्योंकि गुजरात बिजली बोर्ड को राज्य सिंचाई विभाग से तथा राख के निपटान के लिए राज्य के जल प्रदूषण बोर्ड से और चिमनी के निर्माण के लिए नगर विमानन विभाग से स्वीकृति प्राप्त करानी है। जब सभी आवश्यक निवेश जुटा लिए जाएंगे, तब केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इस स्कीम पर तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के लिए विचार किया जाएगा।

फ्रांस से इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज की तकनीकी जानकारी प्राप्त करने का प्रस्ताव

345. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैकेज समझौते में फ्रांस से इलैक्ट्रानिक्स टेलीफोन एक्सचेंज के लिए तकनीकी जानकारी प्राप्त करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हमारी सरकार द्वारा जारी किए गए विश्वव्यापी निविदा के उत्तर में अन्य किन देशों ने उस टेक्नालाजी को देने की पेशकश की है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) फ्रांस सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों की जानकारी देने की पेशकश की गई है।

(ख) इस प्रस्ताव में प्रतिवर्ष 5,00,000 लाइनों की क्षमता वाली देशी फैक्ट्री स्थापित करने तथा 2,00,000 लाइनों के तैयार उपस्कर की सप्लाई मुख्य रूप से शामिल है।

(ग) भारत सरकार द्वारा जारी की गई विश्वजनीन निविदाओं की अन्तिम तारीख 31-3-82 है। इस विश्वजनीन निविदा के सन्दर्भ में अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

इलाहाबाद में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

346. **श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश को राजनीति, इतिहास और संस्कृतिक परम्परा में इलाहाबाद का महत्वपूर्ण स्थान है;

(ख) क्या इलाहाबाद को देश के दूरदर्शन मानचित्र में अभी कोई स्थान नहीं मिला है;

(ग) क्या इलाहाबाद को देश के दूरदर्शन मानचित्र में लाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) दूरदर्शन के विस्तार की भावी योजना के अन्तर्गत डाक-तार माइक्रोवेव लिंक की सहायता से दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने के लिए 49 स्थानों में से एक स्थान इलाहाबाद चुना गया है। जो दूसरे चरण (1985-90) में से इस योजना का कार्यान्वयन संसाधनों का उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

डेसू में ठेकेदारों को दिया गया सफाई का कार्य

347. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेसू में कई स्थानों पर सफाई का कार्य ठेकेदारों को दिया गया है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या उक्त ठेकों को 30 अप्रैल, 1981 तक समाप्त करने का निर्णय लिया गया था यदि हां, तो इसके अभी तक जारी रहने के क्या कारण हैं;

(ग) सफाई कर्मचारियों के पेनल की बजाय नैमित्तिक आधार पर कर्मचारियों की भर्ती करने के क्या कारण हैं और पेनल के बन जाने के बाद इस प्रकार के कितने व्यक्तियों की भर्ती की गई है;

(घ) पेनल में से भर्ती कब तक की जाएगी; और

(ङ) डेसू में अटैन्डेंटों के कुल कितने पद हैं और क्या सभी आरक्षित पद भर लिए गए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और आरक्षित कोटा को पूरा करने के लिए कितने पद भरे जाने शेष हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में सफाई के कार्य के लिए ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने का निर्णय अप्रैल, 1981 में लिया गया था। यह निर्णय आर्थिक रूप से क्रियान्वित किया जा सका क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था

करने के प्रयास सभी स्थानों पर सफल नहीं हुए। 23 सफाई कर्मचारियों का एक पेनल मार्च, 1980 में तैयार किया गया था। 17 उम्मीदवारों को काम पर लगाया जा चुका है। यह पैनल 14 मार्च, 1982 तक मान्य है और जब भी रिक्त स्थान उपलब्ध होंगे, नियुक्तियां की जाएंगी। कार्य जब आकस्मिक प्रकार का होता हैं और कम अवधि का होता हैं तब कार्मिकों को दैनिक मजदूरी पर काम पर लगाया जाता है यथा दूरस्थ क्षेत्रों में छुट्टी के कारण रिक्त हुए स्थानों पर तथा अंशकालिक कार्य के लिए। दैनिक मजदूरी सफाई कर्मचारियों की संख्या इस समय 46 है।

(ङ) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में अटेन्डेंटों के कोई पद नहीं है तथा इस कारण यह प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० पिम्परी के उत्पादवार प्रति लाभ

348. **श्री रामकृष्ण मोरे :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री निम्नलिखित जानकारी और उसके कारण दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे;

(क) हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० पिम्परी में 1980-81 और 1981-82 के उत्पादवार क्या-क्या लाभ; और

(ख) क्या इन प्रतिलाभों को लेखों में दर्ज किया गया है और उनका निपटान दर्शाया गया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) वे उत्पाद, जिन्हें बिना बिक्री किए गए लौटा दिया गया था।

उत्पाद	लौटाई गई मात्रा लाखों में (1980-81)	कारण	निपटान कार्यवाही
1	2	3	4
पेन वी. 250 मि. ग्रा. (गोलियां)	3.67	किस्म के आधार पर	पुनः प्रोसेस किया गया है
टेट्रासाइक्लीन 250 मि. ग्रा. (गोलियां)	11.81	—वही—	नष्ट किया जाना है
स्ट्रेप्टो पेन 0.5 मि. ग्रा. (शीशियां)	0.54	—वही—	पुनः प्रोसेस किया जाना है
स्ट्रेप्टो पेन 1 मि. ग्रा. (शीशियां)	0.17	अवधि समाप्त हो गई	—वही—
पेन. सोडि. 5 लाख (शीशियां)	0.01	किस्म के आधार पर	—वही—

1	2	3	4
बेन. पेन 6 लाख (शीशियां)	0.01	—वही—	—वही—
बेन. पेन 24 लाख (शीशियां)	0.002	किस्म के आधार पर	पुन: प्रोसेस किया जाना है
	1981-82 (अप्रैल-जनवरी)		
विटामिन सी 500 मि. ग्रा. (गोलियां)	42.22	किस्म के आधार पर	नष्ट किया जाना है
पेन. वी. 250 मि. ग्रा. (गोलियां)	22.60 57.68	पैकिंग बुक्स पन्नी बुक्स	पुन: पैक किया जा रहा है
एरिथ्रोमाइसीन एसटी 250 मि. ग्रा. (गोलियां)	1.98	किस्म के आधार पर	पुन: प्रोसेस किया जाना है
टेट्रासाइक्लीन विटामिन सी 350 मि. ग्रा. (कैप्सयूल)	0.35	—वही—	नष्ट किया जाना है
स्ट्रेप्टोमाइसीन 0.75 मि. ग्रा. (शीशियां)	0.03	—वही—	पुन: प्रोसेस किया जाना है
पेन. सोडि. 10 लाख (शीशियां)	0.42	—वही—	—वही—
बेन. पेन 6 लाख (शीशियां)	0.29	—वही—	—वही—
बेन. पेन 12 लाख (शीशियां)	0.001	किस्म के आधार पर	पुन: प्रोसेस किया जाना है
फोर्ट प्रोस. पेन (शीशियां) 20 लाख	0.08	अवधि समाप्त हो गई	—वही—
स्ट्रेप्टोपेन 0.5 मि. ग्र. (शीशियां)	0.07	किस्म के आधार पर	पुन: प्रोसेस किया जाना है

उपरोक्त, प्रेषण नमूनों पर आवधिक जांच के परिणामस्वरूप कंपनी द्वारा वापस मंगाये गए उत्पादों सहित है। लौटाये गये उत्पादों का भार वर्ष 1980-81 और 1981-82 में कुल उत्पादन का क्रमशः 0.14 प्रतिशत और 0.35 प्रतिशत है।

न्यायिक प्रणाली पर विधि आयोग द्वारा परिचालित प्रश्नावली

349. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में गठित विधि आयोग द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया है जिसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका देश की न्यायिक प्रणाली के मूलभूत ढांचे पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं, वह मूल उद्देश्य क्या हैं जिसके लिए विभिन्न प्रश्नों पर लोगों के विचार आमंत्रित किए गए हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) विधि आयोग ने कोई परिपत्र नहीं भेजा है। किन्तु विधि आयोग ने न्यायिक प्रशासन के कतिपय पहलुओं के विषय में एक प्रश्नावली जारी की है। प्रश्नावली की एक प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है जो स्वत: स्पष्ट है। इस प्रश्नावली में उठाए गए प्रश्नों पर लोगों के विचार जानने का आयोग का उद्देश्य यह है कि वह सरकार के किसी अनुरोध पर अपनी सिफारिश करते समय उक्त विचारों पर विचार करें। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3356/82]

न्यायालय फीस के रूप में राज्यों द्वारा राजस्व अर्जित किया जाना

350. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री विभिन्न राज्यों द्वारा न्यायालयों में मुकदमा दायर करने वालों से न्यायालय फीस के रूप में एकत्र की गई राशि के राज्य-वार आंकड़े बताने की कृपा करेंगे ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : राज्य सरकारों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को गैस एजेंसियों का आवंटन

351. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आवंटित गैस एजेंसियों की कुल संख्या कितनी है और अब तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आवंटित एजेंसियों के राज्य-वार आंकड़े क्या हैं;

(ख) सामान्य श्रेणी और अनुसूचित जातियों के एजेंसी प्राप्त करने वालों द्वारा शैक्षिक योग्यता, प्रतिभूति जमा राशि, बैंक गारंटी आदि पूरी की जाने वाली शर्तें क्या हैं; और

(ग) अनूसूचित जातियों और अनूसूचित जनजातियों की सहकारी समितियों को कितनी गैस एजेंसियां आवंटित की गई हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) उपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) उम्मीदवारों को कम से कम मैट्रिक पास अथवा उसके समकक्ष होना चाहिए, उनकी आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और उन्हें सम्बन्धित राज्य का निवासी होना चाहिए। किसी प्रकार की बैंक गारंटी नहीं मांगी गई है जबकि प्रति मू जमा राशि सामान्य श्रेणी के वितरकों से वसूल की जाती है, परन्तु इस प्रकार की प्रतिभू जमा राशि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी से नहीं वसूल की जाती है।

(ग) कोई नहीं।

विवरण

31-7-1981 की यथा स्थिति को तेल कम्पनियों द्वारा आवंटित और चालू की गई एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटर शिप/सब-डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की संख्या दर्शाने वाला विवरण पत्र

क्रम संख्या	राज्य	योग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4	
1.	आन्ध्र प्रदेश	92	1	—
2.	आसाम	10	2	—
3.	बिहार	34	2	1
4.	गुजरात	118	5	1
5.	हरियाणा	17	—	—
6.	हिमाचल प्रदेश	3	2	—
7.	जम्मू और कश्मीर	19	—	—
8.	कर्नाटक	66	3	—
9	केरल	22	1	—
10.	मध्य प्रदेश	55	1	—
11.	महाराष्ट्र	302	8	1
12.	मणिपुर	1	—	—
13.	मेघालय	2	—	—
14.	नागालैंड	2	—	1

1	2	3	4
15. उड़ीसा	20	1	1
16. पंजाब	13	—	—
17. राजस्थान	11	—	—
18. सिक्किम	1	—	—
19. तमिलनाडु	73	2	—
20. त्रिपुरा	1	—	1
21. उत्तर प्रदेश	71	3	—
22. पश्चिम बंगाल	92	5	—
23. चंडीगढ़	6	2	—
24. दिल्ली	83	3	—
25. मिजोरम	1	—	1
26. पांडिचेरी	2	—	—
27. गोवा, दमन और द्वीप	14	—	—
योग :	1131	41	8

बिहार शरीफ में बिजली का नया सर्कल बनाने का प्रस्ताव

352. **श्री विजय कुमार यादव** : : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार विद्युत बोर्ड ने बिहार राज्य में नालन्दा के जिला मुख्यालय बिहार शरीफ में बिजली का एक नया सर्कल बनाए जाने का एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजा था;

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रकार के सर्कल के लिए बिहार शरीफ में सारी अपेक्षाएं पूरी होती हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

छठी योजनावधि के दौरान बिजली उत्पादन और कोयला उत्पादन बढ़ाया जाना

353. श्री बी० वी० देसाई : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक केन्द्र की योजना बिजली के उत्पादन में 19.966 मेगावाट वृद्धि करने की है और कोयले का वार्षिक उत्पादन 160.5 मिलियन टन से अधिक करने का है;

(ख) क्या यह सच है कि 1980-81 के दौरान कोयले के उत्पादन के उसके पहले के लक्ष्यों की तुलना में उत्पादन लक्ष्य पूरे कर लिए गए थे; और

(ग) वर्ष 1982 के दौरान किस सीमा तक कोयला उत्पादन लक्ष्य पूरे कर लिए जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) छठी योजना के दौरान यूटीलिटीज अर्थात बिजलीघरों में अतिरिक्त स्थापित क्षमता का लक्ष्य 19.666 मे० वा० है और उसी अवधि वर्ष के लिए कोयले का उत्पादन लक्ष्य 165 मिलियन टन निश्चित किया गया है।

(ख) नीचे दी गई सारणी में 1980-81 और उसके पहले के दो वर्षों के उत्पादन लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन के आंकड़े दिए गए हैं :

(मिलियन टन)

वर्ष	लक्ष्य	उत्पादन
1978-79	106.40	101.95
1979-80	104.31	103.95
1980-81	113.50	113.50

(ग) यदि कोई आकस्मिक बाधाएं नहीं आई तो आशा है कि 1981-82 के लिए निश्चित कोयला उत्पादन लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त कर लिए जाएंगे।

जनवरी, 1982 में कर्नाटक राज्य में बिजली की भारी कमी

354. श्री बी० वी० देसाई : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1982 माह के दौरान कर्नाटक राज्य में बिजली की भारी कमी थी;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या थे;

(ग) क्या यह सच है कि शरावती पन बिजली परियोजना में पानी का स्तर कम हो रहा था जिसके परिणामस्वरूप बिजली का उत्पादन कम रहा;

(घ) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया था कि वह पड़ोसी राज्यों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए कहे परन्तु किसी भी राज्य ने उस राज्य को बिजली उपलब्ध नहीं कराई; और

(ड.) इसके लिए मुख्य कारण क्या थे और स्थिति में किस हद तक सुधार हुआ है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जनवरी, 1982 के दौरान 25 मिलियन यूनिट प्रतिदिन की आवश्यकता की तुलना में कर्नाटक में ऊर्जा की उपलब्धता 22 मिलियन यूनिट प्रतिदिन थी । परिणामस्वरूप लगभग 12 प्रतिशत की कमी थी । इसकी तुलना में जनवरी, 1979 के दौरान कमी 19 प्रतिशत थी ।

(ख) विद्युत सप्लाई में कमी का मुख्य कारण कालीनदी जल विद्युत परियोजना में विद्युत का उत्पादन कम होना है ।

(ग) जी, नहीं । इस वर्ष के दौरान शरावती जल विद्युत जलाशय में जल के स्तर की तुलना, पिछले वर्ष की इसी अवधि के जल स्तर से भली-भांति की जा सकती है । इस समय, शरावती में विद्युत उत्पादन औसतन 14.5 मिलियन यूनिट प्रतिदिन बनाए रखा जा रहा है ।

(घ) और (ड़) आंध्र प्रदेश से लगभग 1.5 मिलियन यूनिट प्रतिदिन तक की सहायता के लिए आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच द्विपक्षीय बातचीत सम्पन्न हो गई है । यह सहायता आंध्र प्रदेश में ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन पर निर्भर होगी । इस समय, कर्नाटक को केरल और आंध्र प्रदेश से क्रमश: लगभग एक मिलियन यूनिट प्रतिदिन तथा 0.7 मिलियन यूनिट प्रतिदिन बिजली मिल रही है । समय-समय पर कर्नाटक को रात्री में अव्यस्ततम समय में महाराष्ट्र से भी सहायता मिल रही है ।

तेल की सम्भावनाएं

355. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल विशेषज्ञों का यह विचार है कि 1982 में तेल मिलने की अच्छी सम्भावनाएं हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि गत वर्षों में पहली बार तेल की खोज का कार्य राजस्थान में जैसलमेर में और गोदावरी बेसिन और महानदी में किया जाएगा;

(ग) क्या इस समय त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में छिद्रण कार्य पहले से ही किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या तेल निकालने की इन सम्भावनाओं से भारत अपनी 50 प्रतिशत से अधिक आवश्यकता की स्थानीय रूप से पूर्ति कर सकेगा; और

(ङ.) 1982 के दौरान भारत तेल का कितना आयात करेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी हां । ऐसी आशा है ।

(ख) जबकि गोदावरी और महानदी में पहले ही अन्वेषी कार्य किया जा रहा है, चालू वर्ष में राजस्थान में जेसलमेर के स्थान पर कार्य के शुरू किये जाने की संभावना है ।

(ग) जी हां ।

(घ) भारत पहले से ही क्रुड खनिज तेल की करीब 50 प्रतिशत अपनी मांग स्वदेशी खनिज तेल से पूरा कर रहा है । 1982 में अगर तेल निकाला तो यह भावी वर्षों में अन्तर को पूरा करने में सहायता प्रदान करेगा ।

(ङ.) 1982 के दौरान क्रुड आयात का अनुमान स्थायी रूप से 14.4 मि०मी० टन है ।

ऊर्जा पर भारत-जर्मन सेमीनार

356. **श्री डी० पी० जदेजा :**

श्री नवीन रवाणी :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में ऊर्जा पर भारत-जर्मन सेमीनार आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई चर्चा और दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) भारत-जर्मन विद्युत संयंत्र विचार गोष्ठी (द्वितीय) 27 से 29 जनवरी, 1982 तक नई दिल्ली में हुई थी ।

(ख) सेमिनार में हुए विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप निकाले निष्कर्ष और की गई सिफारिशें विवरण में दी गई हैं ।

(ग) अपनी विद्युत परियोजनाओं के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करते समय इन सिफारिशों को भी ध्यान में रखा जायेगा ।

विवरण

निष्कर्ष तथा सिफारिशें

दूसरी भारत-जर्मन विद्युत संयंत्र संगोष्ठी 27-29 जनवरी, 1982 को नई दिल्ली में हुई थी । जर्मनी से 38 विशेषज्ञों सहित लगभग 450 प्रतिनिधियों ने इस संगोष्ठी में भाग लिया था ।

संगोष्ठी में ताप विद्युत संयंत्रों के अभिकल्प, निर्माण, प्रचालन तथा अनुरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया था। इनके संयुक्त विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप निम्नलिखित सिफारिशें हुई तथा निष्कर्ष निकाले गये :

1. कोयला :

संगोष्ठी में इस बात पर जोर दिया गया कि कोयले की गुणवत्ता में उपयुक्त सामंजस्य की सुनिश्चितता के लिए घटिया ग्रेड के गैर कोकिंग कोयले का तत्काल आधार पर परिष्करण करने के उपाय किये जायें ताकि बायलरों की उपलब्धता में सुधार हो।

2. फ्लयूडाइज्ड बेड कमबस्सन :

परिष्करण के परिणामस्वरूप उपलब्ध होने वाली अवशिष्ट सामग्री की बड़ी मात्रा को उपयोग में लाने की दृष्टि से पिटहैड पर विद्युत उत्पादन के लिए फ्लयूडाइज बेड-कमर्बस्सन बायलर लगाने की सिफारिश संगोष्ठी ने की।

3. बायलर :

विद्युत केन्द्रों की बहुत मात्रा में सप्लाई किए जाने वाले विजातीय सामग्री से युक्त और अधिक राख और अधिक नमी वाले कम वोलटाइल वाले कोयले को जलाने में आने वाली कठिनाइयों को समझा गया। यह स्वीकार किया गया कि भारत में जिस प्रकार का कोयला खानों से निकाला जाता है और सप्लाई किया जाता है, उसको जलाना बहुत कठिन है। विद्युत केन्द्रों को 75 से 100 एम० एम० के आकार में तोड़े हुए लिक्ड कोयले की सप्लाई के लिए तत्काल कदम उठाये जाने की सिफारिश संगोष्ठी ने की। प्रचालन की गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता में सुधार लाने के लिए चुने हुए परिष्करण कार्य की सिफारिश की गई। इसके अतिरिक्त कोयले में लोहचुन, अपक्षयी और अपघर्षी गुणों के संदर्भ में कोयले के जलने की विभिन्न विशिष्टताओं को निर्धारण करने के लिए तथा उचित अभिकल्प और पैरामीटर तैयार करने के लिए तथा उपयुक्त सामग्री के चयन के लिए फोड बैंक प्रदान करने के लिए अनुसंधान और विकास संबंधी प्रयासों की जारी रखना आवश्यक है।

4. ईंधन तेल में मितव्ययता :

फलवाराइजड कोल-फायर बायलरो में स्टार्ट-अप तथा कम भार में स्थिरीकरण के लिए ईंधन तेल में किफायत करने की दृष्टि से अधिक ऊर्जा प्रज्वलकों के साथ फलवाराइजड कोयले के प्रयोग के लिए विकास कार्य में गति लाना वांछनीय है। चूंकि 30% से अधिक वी० एम० वाला और 10 से 15% से कम राख वाला कोयला उपलब्ध नहीं है, स्टार्ट-अप तथा लपटों के स्थिरीकरण के लिए ईंधन तेल के स्थान पर इस्तेमाल किये जाने के लिए कोयले का गैसीकरण करके एल० सी० वी० गैस का प्रयोग करना वांछनीय समझा गया। अतः एल० सी० वी० गैस उत्पादन करने वाले छोटे संयन्त्रों के विकास/आयात के बारे में विचार किया जाना चाहिए।

5. पंखे तथा चक्कियां :

विद्युत केन्द्रों में पंखों और चक्कियों के प्रयोग के क्षेत्रों में प्राप्त किए गए अनुभव का मूल्यांकन करना और सम्बन्धित क्षेत्रों में सेवा के लिए भारतीय कोयले के गुणों के अनुरूप हो इन उपस्करों को बहुतत अधिक उपयुक्त किस्म के बारे में निर्णय लेना आवश्यक समझा गया। इस सम्बन्ध में यह नोट किया गया कि फैडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी में इस समय काफी अधिक मात्रा में उपलब्धता प्राप्त कर ली गई है। भारत में पंखों की घटिया उपलब्धता के कारण अधिकांशत: उत्पादन संयंत्रों की उपलब्धता कम रहती है। इससे पता चलता है कि प्रयोग में लाए जा रहे पंखों के अभिकल्प और निर्माण में गहराई से अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है।

6. लोहचून, राख तथा मिल अवशिष्ट :

लोहचून, राख और मिल-अवशिष्ट में सुधार के लिए पर्याप्त गुंजाइश दिखाई देती है। मिल अवशिष्टों की जलीय निकासी पर विचार किया जाना चाहिए।

7. इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर :

पर्यावरण सुरक्षा के लिए प्रदूषण नियंत्रण संबंधी उपयुक्त उपाय आरम्भ किये जाने की तत्काल आवश्यकता की दृष्टि से और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय कोयले से उड़ने वाली फ्लाई-ऐश में राख की मात्रा अधिक होने, नमी तथा सल्फर की मात्रा कम होने के कारण इसे अधोमुख करना बहुत अधिक कठिन है नए प्रतिष्ठापनों के लिए उचित किस्म के प्रेसिपिटेटरों की प्राप्ति के लिए अभिकल्प सम्बन्धी विभिन्न मानदण्डों को निर्दिष्ट करना आवश्यक है तथा विद्यमान प्रतिष्ठापनों में पुन: फिटिंग किए जाने के लिए उपयुक्त आकार प्रकार के प्रसिपिटेटरों का चयन किया जाय तथा गैस-कन्डीशनिंग की जाए।

8. शीतलन प्रणाली :

प्रक्रिया शीतलन जल प्रणालियां तैयार करने, विशेषकर प्रणाली संबंधी अभिकल्प और इंजीनियरी के बारे में अधिक चिन्तन और विचार-विमर्श करना आवश्यक समझा गया। ऊर्जा संरक्षण और कार्य कुशलता की दृष्टि से डायरेक्ट शीतलन जल प्रणालियों को तरजीह दी जानी चाहिए। विभिन्न प्रकार की जलवायु की स्थितियों में अब अधिकाधिक स्वीकार किये जा रहे प्राकृतिक ड्राफ्ट् कूलिंग टावरों को, इंडयूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावरों के स्थान पर स्वीकार किया जाना चाहिए। यदि संभव हो तो इनमें पंखों की सहायता से शीतलन हो ताकि इनकी साइज और कीमतों को इष्टतम किया जाय।

9. कन्ट्रोल तथा इन्स्ट्रूमेंटेशन :

माइक्रो प्रोसेसर्ज प्रणालियों के चयनपूर्ण प्रयोग के साथ, नियन्त्रण और इन्स्ट्रूमेंटेशन के क्षेत्र में प्रोद्योगिकी को अद्यतन बनाने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया था। बड़ी यूनिटों के बारे में आवक सिगनलों को बहुत बड़ी संख्या तथा इनसे संबंधित डाटा-फीड से युक्त माइक्रो

प्रोसेसर्ज के आधार पर डेटा तैयार करने और मानीटरिंग करने की प्रचलित पद्धति अपनाने के लिए इनफार्मेशन मानीटरिंग तथा कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के लिच कम्प्यूटरीकृत डाटा एकत्रण प्रणाली की सिफारिश की गई थी ।

नियन्त्रण प्रणाली के सक्रिय व्यवहार की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है ताकि उपयुक्त नियन्त्रण प्रणालियों के बारे में निश्चय किया जा सके । अच्छा हो अभिकल्प की स्थिति में ऐसा न किया जा सके ।

10. धातु विज्ञान :

बायलर ट्यूबें फेल होने के कारण यूनिटों की जबरन बन्दियों की दर बहुत अधिक बढ़ती है । अत: उपयुक्त सामग्री का चयन करने और उचित प्रचालन प्रक्रियाओं को सुझाने की दृष्टि से इस बारे में विस्तृत वैज्ञानिक अन्वेषण की आवश्यकता पर बल दिया गया ।

11. वाटर केमिस्ट्री :

फीड-वाटर और स्टीम की शुद्धता के लिए उचित गुणवत्ता नियन्त्रण की आवश्यकता पर संगोष्ठी ने बल दिया । बायलर और डीएरियेटर के आफ-लोड संरक्षण तथा शीतल स्टार्ट-अप में बेहतर प्रचालन पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया । विश्वसनीय आन-लाइन इन्स्ट्रूमेंट्स उचित प्रयोगशाला व्यवस्था तथा रसायन तथा प्रचालन स्टाफ में समन्वय की आवश्यकता पर भी बल दिया गया ।

कच्चे पानी में ओरगैनिक मैटर और कोलाइडल सिलिसा के फ्लाक्यूलेशन के लिए फैरिक क्लोराइड के प्रयोग का अध्ययन करने की सलाह दी गई तथा डिमिनरलाइजेशन के फ्लयूडाइज्ड बैड तकनीकों के प्रयोग को भी सलाह दी गई ।

भारतीय परिस्थितियों में उत्पादन की अनुपलब्धता के कारण जो हानि होती है उसको देखते हुए 500 मेगावाट के आकार की यूनिटों के लिए पोलिशिंग यूनिटों की व्यवस्था किए जाने का औचित्य आर्थिक दृष्टि से सिद्ध होने की आशा है ।

12. वैज्ञानिक अन्वेषण :

वैज्ञानिक अन्वेषण करने, क्षति मूल्यांकन का विश्लेषण करने तथा सामग्री का विश्लेषण करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्रीय विद्युत संयंत्र प्रयोगशालाओं की स्थापना किये जाने की सिफारिश की गई थी ।

13- सुरक्षात्मक अनुरक्षण :

आधुनिक तकनीकों तथा प्रक्रियाओं से युक्त आधुनिक सुव्यवस्थित सुरक्षात्मक अनुरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया गया और उपस्कर की विभिन्न प्रकार की मदों पर विचार करने तथा सुरक्षात्मक अनुरक्षण की आधुनिक यांत्रिक काल-अप प्रणाली का प्रयोग करने की सिफारिश की गई ।

14. अनुरक्षण :

विद्युत केन्द्रों के समूह की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बायलरों, टर्बाइनों तथा विद्युत संयंत्रों के अन्य आनुषंगिकों की ओवरहालिंग के लिए विशेषज्ञतापूर्ण कर्मीदलों वाली केन्द्रीय अनुरक्षण और मरम्मतशालाओं की सिफारिश की गई।

15. प्रारम्भिक खराबियों का पता लगाने के लिए नैदानिक उपायों के रूप में कम्पन का विश्लेषण केवल विस्थापन तथा कम्पन की तेजी के आधार पर ही नहीं किया जाना चाहिए अपितु इसके गतिवर्द्धन के आधार पर भी किया जाना चाहिए।

16. स्थिरीकरण, नवीकरण और आधुनिकीकरण :

यांत्रिकृत क्षमता समुपयोजन में सुधार लाने तथा बेहतर कार्य-निष्पादन की दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन करने के लिए डिजाइनरों, निर्माताओं और प्रचालन तथा अनुरक्षण कार्मिकों में से विशेषज्ञों के कार्यकारी दलों का गठन किया जाना चाहिए।

17. चालू करना और कार्य-निष्पादन का परीक्षण :

यह आवश्यकता है कि संयंत्र का जटिल परीक्षण तथा इसे समकालित करने से पहले आग सुरक्षा, सुरक्षा तथा प्रमाणीकृत प्रचालन कार्मिकों सहित सभी उप-प्रणालियां तैयार हों। चालू करने के लिए कोई संक्षिप्त तरीके नहीं अपनाए जाएं तथा किसी भी प्रकार की सुरक्षा तथा इन्टर लाकिंग की आवश्यकता की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। नई यूनिटों का प्रचालन करने में शीघ्रता नहीं की जानी चाहिए और प्रारम्भ में चालू करते समय और वाणिज्यिक प्रचालन की अवधि के दौरान कार्य-निष्पादन संबंधी परीक्षण किए जाने चाहिए।

18. तार-जाल का प्रचालन :

विद्युत संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए यह आवश्यक है कि उत्पादन और पारेषण सुविधाओं का उचित समन्वय हो। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए।

19. प्रलेखन :

उपस्कर के परीक्षण करने और इसे चालू करने से कम से कम 18 महीने पहले पूर्ण प्रलेखन विवरणात्मक लेख तथा उपस्कर के उत्थापन संबंधी मैनुअल और अनुरक्षण मैनुअल तैयार होना आवश्यक है। परीक्षण किए जाने और चालू किये जाने से कम से कम 18 महीने पूर्व तैयार जाने चाहिये। परीक्षण और चालू करने के समय अधिक प्रलेखन किया जाये ताकि भविष्य में प्रचालन के दौरान यूनिटों की निरोग्यता की स्थिति जानने के लिए एक संदर्भ रूप में इसे रखा जा सके। प्रचालन तथा अनुरक्षण संगठन को चाहिए कि निर्माताओं के मैनुअलों का मार्गदर्शी सिद्धांतों के रूप में प्रयोग करें तथा अपने अनुभवों के आधार पर प्रचालन संबंधी हिदायतें तैयार करें।

20. मानकीकरण :

विद्युत परियोजनाओं की निर्माण अवधि को कम करने, उत्पादकता बढ़ाने तथा लागत कम करने की दृष्टि से अभिकल्प, ले-आउट तथा उपस्कर का संभव सीमा तक मानकीकरण करने के कार्य को तेज किया जाना चाहिए ।

21. गुणवत्ता संबंधी आश्वासन :

उपस्करों की प्राप्ति, उत्पादन, निर्माण कार्य तथा चालू करना आदि के जरिये अन्ततोगत्वा बिना किसी कठिनाई के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए आयोजना अवस्था में ही गुणवत्ता आश्वासन पर पर्याप्त जोर दिया जाना चाहिए ।

किसी विशिष्ट एजेन्सी द्वारा किसी अन्य दल द्वारा निरीक्षण कराये जाने की पद्धति आरंभ करने के बारे में विचार किया जाना चाहिए ।

22. विश्वसनीयता :

कार्य-निष्पादन का इष्टतम स्तर प्राप्त करने की दृष्टि से प्रणाली इन्जीनियरी के बारे में सेवाकालीन प्रमाणित कार्य-निष्पादन की दृष्टि से संयंत्र उपस्कर के आनुषंगिकों के चयन के बारे में बहुत अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया ।

23. प्रबन्ध तथा प्रशिक्षण :

बेहतर प्रचालन कार्य-निष्पादन के लिए, प्रचालन तथा अनुरक्षण कार्य उचित रूप से प्रशिक्षित तथा प्रमाणीकृत कार्मिकों को तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया था । पर्याप्त इन-हाउस प्रबन्ध क्षमता मुख्य निवेशों में से एक निवेश है । इस कार्य के लिए उपयुक्त प्रबन्ध प्रणालियों का विकास करना तथा जन-शक्ति विकास कार्यक्रम लागू करना आवश्यक समझा गया ।

1979 से 1981 के दौरान रजिस्टर्ड कराए गए नए न्यास

357. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979 से 1981 के दौरान लोक न्यास कार्यालय में नए न्यासों के रजिस्टर में कितने नए न्यास जुड़े; और

(ख) उपर्युक्त न्यासों के नाम क्या हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) यद्यपि प्रतिभूतियों के कुछ वर्गों की बाबत मताधिकार, पर प्रयोग करने के लिए, शासकीय न्यासी अधिनियम 1913 शासकीय न्यासी की नियुक्ति के लिए और कंपनी अधिनियम, 1956 लोक न्यासी की नियुक्ति के लिए उपबन्ध करता है तथापि न तो लोक न्यास कार्यालय का सृजन करने वाला

कोई केन्द्रीय अधिनियम है और न भारत सरकार का ऐसा कोई कार्यालय ही है। अतः उस कार्यालय में रखे गए रजिस्टर में नए न्यास जोड़े जाने की संख्या और ऐसे न्यासों के नाम का प्रश्न नहीं उठता।

न्यायालय अवमान अधिनियम, शासकीय गोपनीयता अधिनियम आदि में संशोधन के लिए अनुरोध

358. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रेस परिषद् ने सरकार से न्यायालय अवमान अधिनियम और शासकीय गोपनीयता अधिनियम में संशोधन करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस अनुरोध पर क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव भारतीय प्रेस परिषद् से अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कम्पनी कानून परामर्शदात्री समिति के समक्ष परामर्श के लिए मामले

359. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्पनी कानून परामर्शदात्री समिति ने अपनी अन्तिम बैठक किस तारीख को की;

(ख) इस समिति के पास परामर्श के लिए कौन से मामले भेजे गए थे; और

(ग) समिति द्वारा दिए गए परामर्श का ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) 8 फरवरी, 1982।

(ख) समिति को निम्नांकित दो मदें निर्दिष्ट की गई थीं;

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रबन्धकीय पारिश्रमिक एवं उस पर मार्गदर्शक नियम;

(2) उन पांच उद्योगों, जहां पहले ही एक मात्र विक्रेता अभिकरण का निषेध है, के अलावा अन्य उद्योगों में इसके निषेध पर विचार।

(ग) व्यापक होने पर भी प्रथम मद पर चर्चा अभी निर्णायक नहीं थी। दूसरी मद की बाबत, अन्य प्रशासनिक आर्थिक मंत्रालयों के विचार भी प्राप्त करने का निर्णय किया गया था।

बिचौलियों और व्यापारियों को हटाने के लिए कोल इण्डिया द्वारा उठाए गए कदम

360. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इण्डिया लि० ने उपमण्डलीय स्तर पर व्यपारियों और मुहानों के बीच कार्य करने वाले बिचौलियों को हटाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) कोल इण्डिया लि० सामान्यतया खरीदारों को कोयला कोलियरी साइडिंग पर "एफ० ओ० आर०" बेचता है। अतः वह खान मुहानों पर या सब-डिवीजन स्तर पर बिचौलियों के क्रिया-कलाप से संबन्धित नहीं है। परन्तु अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे बिचौलियों की मुनाफाखोरी को कम करने और उपभोक्ताओं को उचित कीमतों पर भलीभांति कोयला उपलब्ध कराने की दृष्टि से कोल इन्डिया लि० देश में विभिन्न उपभोक्ता केन्द्रों पर बड़ी संख्या में कोयले के टाल खोलने की योजना कार्यान्वित करता रहा है।

उत्तर प्रदेश में गाजीपुर टेलीफोन केन्द्र में नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा-सूची

361. **श्री जैनुल बशर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के गाजीपुर टेलीफोन केन्द्र में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने व्यक्तियों के नाम प्रतीक्षा-सूची में हैं;

(ख) क्या इस टेलीफोन केन्द्र में नए बोर्ड उपलब्ध कराने और भूमिगत तार बिछाने के लिए कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो कितने नए बोर्ड लगाने का विचार है और बोर्ड लगाने और भूमिगत तार बिछाने से सम्बन्धित कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) फरवरी, 1982 तक 54।

(ख) तथा (ग) जी हां, मार्च, 1982 तक तीन बोर्ड चालू हो जाने की संभावना है तथा भूमिगत केबुल बिछाने का कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाने की आशा है।

गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पम्प लगाया जाना

362. **श्री जैनुल बशर** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में कितने पेट्रोल पम्प लगाने का विचार है;

(ख) ये पेट्रोल पम्प जिन स्थानों पर लगाए जाएंगे उनके क्या नाम हैं; और

(ग) ये पम्प कब तक लगा दिए जाएंगे ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) गाजीपुर जिला मुख्यालय में वर्ष 1981-82 के लिए केवल एक पैट्रोल पम्प की योजना बनाई गई है।

(ग) ऐसी आशा है कि डीलरशिप को लगभग 3 महीनों के अन्तर्गत अन्तिम रूप दिया जाएगा और प्रथा के अनुसार चुने गए उम्मीदवार को 4 महीने का समय आरम्भ करने के लिए दिया जायेगा।

"गांधी" नामक फिल्म

363. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर रिचर्ड एटनबोरी की फिल्म "गांधी" को भारत और विदेशों में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए जारी किए जाने से पूर्व केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा देखा जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब किया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) सर रिचर्ड एटनबोरी की "गांधी" नामक फिल्म का सार्वजनिक प्रदर्शन चलचित्र अधिनियम, 1950 और उसके अन्तर्गत बने नियमों में शामिल सामान्य कानूनों के अधीन होगा। जहां तक इसके विदेशों में प्रदर्शन का सम्बन्ध है, यह फिल्म संबंधित देश में लागू सेंसरशिप विनियमों के अधीन होगी।

(ख) सेन्सरशिप की प्रक्रिया निर्यात द्वारा फिल्म के प्रमाणीकरण के लिए आवेदन किए जाने के बाद शुरू होगी।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि की योजना

364. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने इस शताब्दी के अन्त तक भारत में कच्चे तेल के उत्पादन में "10 करोड़ टन की वृद्धि करने के लिए 20 वर्ष की संभावित योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक कार्यकारी दल की स्थापना की है;

(ख) इस योजना की मुख्य बातें क्या क्या हैं, और पूरे करने के लिए यदि कोई लक्ष्य बनाए गए हैं, तो उन लक्ष्यों के वार्षिक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) क्या इस योजना में भारत में तेल उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए हाल ही में भारतीय और उसी विशेषज्ञों द्वारा देहरादून में तैयार की गई 10 वर्षीय योजना भी शामिल है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) जी, हां। भारत में अशोधित तेल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने 20

वर्ष की संभावित योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक कार्यकारी दल की स्थापना की है। क्योंकि योजना अभी तैयार की जा रही है, इसलिए इस स्थिति में लक्ष्यों के वार्षिक ब्यौरे अथवा उसकी मुख्य बातें बताना संभव नहीं हो सकेगा।

(ग) मुख्य रूप से तटीय क्षेत्रों के लिए भारत-सोवियत दल द्वारा एक 10 वर्ष की योजना तैयार की गई है। इस समय तैयार की जा रही 20 वर्ष की संभावित योजना में दोनों तटीय और अपतटीय क्षेत्रों को शामिल किया जायेगा।

रंगीन टी० वी०

365. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सभी दूरदर्शन केन्द्रों में जब रंगीन प्रदर्शन शुरू किया जाएगा तो वर्तमान सादी व्यवस्था को रंगीन व्यवस्था में परिवर्तित करने में होने वाली लागत का कोई मूल्यांकन किया है; और

(ख) यदि हां, तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) रंगीन दूरदर्शन चालू करने की नीति बनाने के लिए सरकार द्वारा गठित अन्तर विभागीय कार्य दल ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट में परिवर्तन की लागत का अनुमान 12.94 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा सहित 39.11 करोड़ रुपए लगाया है।

पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के अन्धाधुन्ध खर्च पर सरकार का नियन्त्रण

366. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री पब्लिक लि० कंपनियों के फिजूल खर्च पर सरकार के नियन्त्रण के बारे में 15 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3844 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन गैर-सरकारी और लि० कंपनियों, जो वर्तमान कंपनी अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती, में कार्यकारी निदेशकों को दिये जा रहे अत्याधिक वेतन पर अंकुश लगाने के लिए अब तक कोई निर्णय ले पाई है;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो शेयरधारिकों के धन को कार्यकारी निदेशकों के लाभ के लिए फिजूल खर्च करने से रोकने के लिए कठोर नियन्त्रण लागू करने के रास्ते में कौन-सी कठिनाइयां आती है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ग) कार्यकारियों की नियुक्तियों एवं उन्हें दिये जाने वाले पारिश्रमिक के लिए, कंपनी अधिनियम, 1965 की

धारा 269, 388, 310, 309 आदि के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन की अपेक्षा, केवल तभी होती है, जबकि वे प्रबन्धक निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक अथवा प्रबन्धक के पद अभिधारण करते हों। ऐसे कार्यकारियों के पारिश्रमिक के लिए भी केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन की अपेक्षा होती है, जो अधिनियम की धारा 314(ख) के सीमान्तर्गत आते हों।

धारा 217(2क) में पुनः प्रावधान है कि कंपनी के तुलन-पत्र से संलग्न निदेशकों की रिपोर्ट में कंपनी के ऐसे, कार्यकारियो, जो कुल 3000 रु० प्रतिमास या इससे अधिक का पारिश्रमिक (परिलब्धियों सहित) प्राप्त कर रहे हों, सहित प्रत्येक कर्मचारी का नाम प्रदर्शित करते हुये एक विवरण-पत्र सम्मिलित होगा। यह सांविधिक अपेक्षा प्रत्येक कंपनी द्वारा पालन करनी होती है। विद्यमान कानूनी-संरचना के अन्तर्गत कंपनियां अपने कार्यकारियों को उनकी अर्हतायें, अनुभव तथा अन्य गुणों को निर्दिष्ट करते हुये तथा साथ ही अपनी लभ्यता का समुचित ध्यान रखते हुये यथा आवश्यक वेतन दे सकती हैं। यह निगम लोकतन्त्र के सामान्य कार्य-कलापों का एक भाग है। तथापि, यह प्रश्न कि क्या अधिनियम के विद्यमान उपबन्धों के अन्तर्गत न आने वाले कार्यकारियों के पारिश्रमिक पर नियन्त्रण के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कोई आगे कदम उठाये जाने चाहिये, विशेषरूप से सच्चर समिति की शिफारिशों के प्रसंग में, विचाराधीन है।

कलकत्ता में हुआ फिल्म समारोह

367. श्री सनत कुमार मण्डल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में कलकत्ता में हुए फिल्म समारोह को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भविष्य में स्थिति में सुधार लाने के लिए इससे क्या शिक्षा ली है; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) समारोह के विभिन्न विभागों में दिखाई गई विदेशी और भारतीय फिल्मों तथा उसमें शामिल हुए भारतीय और विदेशी प्रतिनिधियों के रूप में फिल्मोत्सव 82 सामान्यतया सफल रहा। कलकत्ता में समारोह के प्रति लोगों की दिलचस्पी भी अत्यन्त संतोषजनक थी। प्रत्येक समारोह से अनुभव में वृद्धि होती है जिससे आयोजकों को सभी विभागों में सुधार लाने में मदद मिलती है।

मुख्य डाकघरों तथा सार्वजनिक टेलीफोन घरों के खोले जाने सम्बन्धी नीति

368. श्री आर० एस० माने : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुख्य डाकघरों तथा सार्वजनिक टेलीफोन घरों के खोले जाने के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है; और

(ख) क्या ईछल करन्जी मुख्य डाकघर पर लगाया गया प्रतिबन्ध हटा लिया गया है और यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) मुख्य डाकघर तथा सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने हेतु नीति क्रमशः विवरण एक और दो में दी गई है ।

(ख) ईछल करंजी उप-डाकघर में दर्जा बढ़ाने के प्रस्ताव पर सार्वजनिक टेलीफोन घर प्रावधान के आधार पर विभागेतर शाखा डाकघर में परिवर्तन करने की नीति पर निर्णय लेने के बाद विचार किया जायेगा ।

विवरण-एक

एक मुख्य डाकघर मौजूदा मुख्य डाकघर का द्विशाखन करके तथा किसी उप डाकघर के दर्जा बढ़ाकर खोला जाता है । इस उद्देश्य हेतु प्रस्तावित द्विशाखन वाले मुख्य डाकघर के अधीन उप डाकघरों की संख्या 60 से अधिक होनी चाहिए । परन्तु यह इस शर्त पर ही हो सकता है कि नव सृजित मुख्य डाकघर के अधिकार क्षेत्र में उप डाकघरों की संख्या तथा इसके साथ-साथ अवशिष्ट मूल मुख्य डाकघर के अधीन उप डाकघरों की संख्या किसी भी स्थिति में 20 से कम नहीं होनी चाहिये । इसके अतिरिक्त यदि किसी जिले में मुख्य डाकघर न हो तो वहां मुख्य डाकघर खोला जा सकता है बशर्ते कि कम से कम 20 उप डाकघर इसके साथ जोड़े जा सकें । जब तक कि मात्र सार्वजनिक टेलीफोन घर के प्रावधान के आधार पर विभागेतर शाखा डाकघरों को विभागेतर उप डाकघरों में परिवर्तन के सम्बन्ध में विभाग की नीति की, इस उद्देश्य के लिए गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षा नहीं की जाती, फिलहाल नये मुख्य-मुख्य डाकघर खोलने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ।

विवरण-दो

हानि पर सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने की नीति

स्थानों की श्रेणियां

(1) जिला मुख्यालय

(2) उप मंडलीय मुख्यालय

(3) तहसील मुख्यालय

(4) उप तहसील मुख्यालय

(5) ब्लाक मुख्यालय

(6) ऐसे स्थान जिनकी जनसंख्या साधारण क्षेत्रों में 5000 या अधिक तथा पिछड़े एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 2500 या अधिक हों ।

सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने हेतु शर्तें

घाटे का ध्यान न देकर भी न्यूनतम राजस्व की शर्त के बगैर उत्तरोत्तर व्यवस्था की जायेगी ।

(7) वे स्थान जहां पर ऐसे पुलिस स्टेशन स्थित हों जिनका इन्चार्ज उप निरीक्षक या इससे ऊपर के पद का पुलिस अधिकारी हो ।

सार्वजनिक टेलीफोन घर की व्यवस्था के लिए शर्त

साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत पिछड़े इलाकों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए ।

(8) आम रास्ते से दूर के स्थान सार्वजनिक टेलीफोन घर की व्यवस्था के लिए शर्त ।

सार्वजनिक टेलीफोन घर की व्यवस्था के लिए शर्त

(क) मौजूदा एक्सचेंज से 40 कि० मी० से अधिक (अरीय दूरी) होनी चाहिए ।

(ख) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत, पिछड़े इलाकों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय इलाकों में 10 प्रतिशत होना चाहिए ।

(9) पर्यटन, तीर्थ केन्द्र/कृषि/सिंचाई/परियोजना स्थल/नगर

सार्वजनिक टेलीफोन घर की व्यवस्था के लिए शर्त

(क) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत, पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए ।

(10) सभी अन्य स्थान

सार्वजनिक टेलीफोन घर की व्यवस्था के लिए शर्त

वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर या हानि की दशा में किराये और गारंटी के आधार पर ।

नोट : (क) जनसंख्या संबंधी आंकड़ों पर विचार करते समय केवल अकेले नगर या ग्राम की जनसंख्या पर ही विचार करना चाहिए न कि नगरों या ग्रामों के समूह की जनसंख्या पर । आदिवासी क्षेत्रों में किसी केन्द्रीय स्थान से 10 कि० मी० अर्द्धव्यास के वृत्त में आए हुए सभी स्थानों में सार्वजनिक टेलीफोन पर खोलने हेतु विचार किया जा सकता है । इस छूट के अन्तर्गत कोई भी दो सार्वजनिक टेलीफोन 10 कि० मी० से कम दूरी पर नहीं खोले जा सकते ।

(ख) सार्वजनिक टेलीफोनों की व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण केन्द्रीय ग्राम निर्धारित करने के लिए निम्न क्रम में वरीयता दी जायेगी :—

(i) जनजातीय विकास खंड मुख्यालय,

(ii) जिन स्थानों पर लैम्पस (बड़े आकार की बहुद्देशीय सहकारी समितियां) स्थापित हैं, और

(iii) ग्रामीण उद्योगों और अथवा व्यापक कृषि विकास हेतु सिंचाई परियोजनाओं के लिए स्थानीय जनजाति विकास विभागों द्वारा निर्धारित केन्द्र ।

हिमाचल प्रदेश में शाखा डाकघरों के खोलने दर्जा/बढ़ाने के लिए किराया तथा गारन्टी संबंधी शर्तें

369. **प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के जिलावार स्थानों के नाम क्या हैं जिनके लिए शाखा डाकघरों के खोलने/दर्जा बढ़ाने के लिये डाक व तार प्राधिकारियों द्वारा राज्य सरकार के लिए किराया और गारंटी सम्बन्धी शर्तें निर्धारित की गई हैं और उनके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है तथा प्रत्येक मामले में किस तारीख की धनराशि बताई गई है; और

(ख) उनमें से ऐसे स्थानों के नाम क्या हैं जिनके लिए राज्य सरकार किराया तथा गारन्टी सम्बन्धी शर्तें स्वीकार करने के लिए सहमत हो गई है और उन डाकघरों के नाम क्या हैं जिन्हें खोले जाने दर्जा बढ़ाए जाने के लिए मंजूरी दी गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए किराया तथा गारन्टी सम्बंधी शर्तें

370. **प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के जिलावार स्थानों के नाम क्या हैं जिनके लिए सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के प्रावधान हेतु डाक व तार प्राधिकारियों द्वारा राज्य सरकार के लिए किराया और गारंटी सम्बन्धी शर्तें निर्धारित की गई हैं और उनके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है तथा प्रत्येक मामले में किस तारीख को धनराशि बताई गई है; और

(ख) उनमें से ऐसे स्थानों के नाम क्या हैं जिनके लिए राज्य सरकार किराया तथा गारन्टी सम्बन्धी शर्तें स्वीकार करने के लिए सहमत हो गई है और उन सार्वजनिक टेलीफोन घरों के नाम क्या हैं जिन्हें खोले जाने के लिए मंजूरी दे दी गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) विवरण एक के अनुसार ।
(ख) विवरण दो के अनुसार ।

विवरण-एक

हिमाचल प्रदेश के उन स्थानों के नाम, जिनके लिए राज्य सरकार को किराया एवं गारंटी की शर्तों की बाबत बता दिया गया है ।

क्रम सं०	सार्वजनिक टेलीफोन घर का नाम	तारीख	राशि रुपये
1	2	3	4
	कांगड़ा जिला		
1.	बलधार	4-7-81	1400
2.	बरांडा	—वही—	3992

1	2	3	4
3.	बग्गा	—वही—	3892
4.	बंगोटा	9-12-81	500
5.	बाथरा	4-7-81	3892
6.	मूआना	—वही—	10614
7.	चोविन	—वही—	1700
8.	डिओल	27-1-81	1100
9.	डरीनी	1-7-81	3892
10.	हरचकीआन	—वही—	3992
11.	जलोथ	25-1-82	1800
12.	जलोग	5-9-81	1100
13.	कांडी	4-7-81	11560
14.	कूना	4-7-81	1100
15.	खैरीआं	4-7-81	500
16.	कलांन	4-7-81	1700
17.	कैलासपुर	24-9-81	2000
18.	लगरू	25-9-81	2946
19.	मल्काहार	4-7-81	1700
20.	मरेरा	4-7-81	1400
21.	मझरा	25-9-81	2000
22.	नन्दपुर माटोली	4-7-81	1400
23.	राजाल	4-7-81	1500
24.	सलोल	30-10-80	1700
25.	सपेरू	4-7-81	600
26.	शिवनाथ	4-7-81	500
27.	टीहरी	26-11-79	4554
28.	बरोट	4-7-81	1800

1	2	3	4
		हमीरपुर जिला	
29.	भावावानी	21-9-81	800
30.	बीर बगलेरा	4-7-81	500
31.	चबूतरा	4-7-81	2100
32.	चोबुले	4-7-81	2100
33.	कश्मीर	19-8-81	2000
34.	करूर	4-7-81	1700
35.	लरीकनी	4-7-81	1700
36.	माल्ती	4-7-81	2100
37.	सन्थेला	4-7-81	1700
38.	टिक्कर खतारियां	14-10-81	4939
39.	उहाल	29-9-81	4500
		शिमला जिला	
40.	टकलेश	17-6-81	13195
41.	माशनू	17-6-81	6755
42.	धान्सा	17-6-81	5270
43.	नरैन	17-6-81	14780
		मण्डी जिला	
44.	डारांग	4-7-81	2800
45.	गुम्मा	4-7-81	2900
46.	जमीनी	4-7-81	8085
47.	पधार	4-7-81	6800
48.	जरोल	4-7-81	1400
49.	सजाआं पिपली	4-7-81	1400
50.	टिहरा	4-7-81	2946
51.	उरला	4-7-81	4100

1	2	3	4
		चम्बा जिला	
52.	चिल्ली	4-7-81	500
53.	होबर	4-7-81	1100
54.	साल्गा	23-3-81	4018
55.	सिंगाभार	4-7-81	15376
56.	टिक्की	4-7-81	7676
		ऊना जिला	
57.	घानारी	1-9-81	1500
58.	जोह	1-7-81	500
		बिलासपुर जिला	
59.	भाजर	4-7-81	800
		कुल्लु जिला	
60.	गदजा	4-7-81	2000

विवरण-दो

हिमाचल प्रदेश के उन स्थानों के नाम जिनके लिए राज्य सरकार ने किराए एवं गारंटी की शर्तों को स्वीकार कर लिया है तथा डाकघर खोल दिए गए हैं।

क्रम सं०	नाम	जिला
1.	दिओल	कांगड़ा
2.	सलोल	—वही—
3.	चोबिन	—वही—
4.	टीहरी	—वही—
5.	साल्गा	चम्बा

हिमाचल प्रदेश में बंगाना तथा उना के बीच सीधी टेलीग्राफ लाइन

371. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में बंगाना और उना के बीच सीधी टेलीग्राफ लाइन के लिए मंजूरी दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो मंजूरी किस तारीख को दी गई है और इसके किस तारीख तक बन जाने की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकनाना) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

फ्रांस सरकार के सहयोग से विकसित की जाने वाली प्रस्तावित कोयला खानें

372. **श्री निहाल सिंह :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फ्रांस सरकार के सहयोग से विकसित की जाने वाली प्रस्तावित कोयला खानों के नाम क्या हैं; और

(ख) उन फ्रांसीसी फर्मों के नाम क्या हैं जिनके द्वारा देश में कोयला खानों के विकास कार्य किये जाने की संभावना है और यह कार्य कब किया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) फ्रांसीसी तकनीकी विशेषज्ञों के सहयोग से विकसित की जाने वाली कोयला खानें हैं—अनंत, मोयरा, चोरा, परासिया, मंदीर, पूर्वी कतरास, केन्डवाडीह, पीपरडीह सवांग और अम्लाबाद ।

(ख) दो फ्रांसीसी फर्में अर्थात् फ्रांस की मैं० सोफ्रेमाइन्स और मैं० शारबोनाजेस द फ्रांस (सी. डी. एफ. अन्तर्राष्ट्रीय) वर्ष 1982-84 के दौरान परियोजना कार्य करने में कोल इन्डिया लि० की सहायता करेंगी ।

पेट्रोलियम और रसायन सम्बन्धी उच्च अधिकार प्राप्त समिति के लिए फ्रांस के साथ करार

373. **श्री वीरभद्र सिंह :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और फ्रांस सरकारें पेट्रोलियम तथा रसायनों के सभी स्वरूपों, जिसमें तेल खोज भी शामिल है, के सम्बन्ध में एक दूसरे से परामर्श लेने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित करने के लिए सहमत हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि प्रधान मंत्री द्वारा नवम्बर, 1981 में फ्रांस में अपने सरकारी दौरे के समय भारत और फ्रांस के बीच ऊर्जा पर एक कार्यधारी दल की स्थापना के लिए तय की गई बातों पर हस्ताक्षर किये गये थे। अन्तर—सरकारी समीक्षाओं के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यहां दल हाईडल ऊर्जा, कोयला, हाईड्रोकार्बन्स तथा नयी ऊर्जाओं के क्षेत्रों में की गई प्रगति का एक दूसरे के सहयोग के साथ पुनरीक्षा करेगा। यदि आवश्यकता पड़ेगी, तो इसको विशेषज्ञ समितियों की स्थापना करने का अधिकार दिया गया है। आर्थिक सहयोग के लिए दल को संयुक्त आयोग को सौंपा गया है। इस दल की स्थापना ऊर्जा मंत्रालय द्वारा की गई है।

श्री समर्थ रामदास जी की तीसरी जन्मशती मनाए जाने के सम्मान में डाक-टिकट जारी किया जाना

374. **श्री आर० के० महालगी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निदेशक (फिलेटिक्स) डाक व तार महानिदेशालय, नई दिल्ली, को सचिव, श्री शिवणे-समर्थ त्रि-शताब्दी महोत्सव मध्यवर्ती, पुणे (महाराष्ट्र) की ओर से श्री समर्थ रामदास जी की तीसरी जन्म-शती मनाए जाने पर उनकी स्मृति में डाक-टिकट जारी करने के बारे में दिनांक 9 अक्तूबर, 1981 का एक पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है/कार्रवाई की है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके विशिष्ट कारण क्या हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) निदेशक फिलै० को संदर्भित पत्र सम्भवतः प्राप्त नहीं हुआ है परन्तु श्री आर० के० महालगी द्वारा संचार मंत्री को संबोधित ता० 7-11-81 के पत्र संख्या आर० के० एम० सी० 4.81 के अन्तर्गत उक्त पत्र की प्रति प्राप्त हुई है जिसमें उपयुक्त समय पर डाक टिकट जारी करने की बाबत लिया था।

(ख) और (ग) समर्थ रामदास पर डाक टिकट जारी करने के सम्बन्ध में दिनांक 2-4-79 को तत्कालीन संसद सदस्य श्री नाना जी देशमुख से भी एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। चूंकि प्रस्ताव विभाग द्वारा अपनाए गए निदेशक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं था अतः उसी वर्ष अथवा अनुवर्ती वर्षों में डाक टिकट जारी नहीं किया जा सका। प्राप्त सूचना के अनुसार संत की मृत्यु की त्रिशताब्दी 1981-82 में मनाई जानी थी। तदनुसार 30-10-81 को यह प्रस्ताव डाक टिकट सलाहकार समिति के समक्ष रखा गया, परन्तु यह स्वीकार नहीं किया गया। श्री महालगी एवं समर्थ रामदास संशोधन प्रबोधन संस्था के सचिव श्री ए० एल० गाडगिल को भी उत्तर भेज दिया गया था।

टेलीफोन खराब पड़ा रहने की स्थिति में धन का वापस किया जाना

375. **श्री आर० के० महालगी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभाग की गलती से टेलीफोन खराब पड़ा रहने की स्थिति में धन के वापस किए जाने का टेलीफोन अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि गुजरात उच्च न्यायालय की डिवीजन पीठ ने इसके सामने पेश की गई एक न्यायालय याचिका में सुझाव दिया है कि विभाग की गल्ती के कारण टेलीफोन खराब पडा रहने के मामले में महानिदेशालय डाक व तार की धन की वापसी करने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव करना चाहिए;

(ग) ऐसा सुझाव कब दिया गया था;

(घ) उनके मंत्रालय ने अब तक क्या कार्रवाई की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबन्धी ब्योरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारतीय तार अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रकार के कोई प्रावधान नहीं है परन्तु कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में छूट देने के लिए प्रशासनिक अनुदेश हैं।

(ख) तथा (ग) तारीख 27-12-1979 के अपने मौखिक आदेश में गुजरात के साम्मान्य उच्च न्यायालय ने वह सुझाव दिया था कि जहां टेलीफोन काफी लम्बी अवधि तक खराब रहता है उन मामलों में किराया प्रभारों में छूट देने के लिए उपभोक्ताओं के दावों को निपटाने के लिए टेलीफोन प्राधिकारियों को एक समुचित योजना तैयार करनी चाहिए।

(घ) केबुल दोष आदि के कारण सेवा में एक तिमाही में 45 दिन अथवा अधिक समय तक रुकावट रहने पर किराये में छूट देने की पद्धति का 12 महीने की अवधि के लिए अहमदाबाद टेलीफोन जिले में परीक्षण किया गया। परन्तु उक्त अबधि के दौरान इस प्रकार की छूट देने का कोई अवसर नहीं आया।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न हीं नहीं उठता।

ग्रामीण श्रोताओं के लिये रेडियो और दूरदर्शन कार्यक्रमों में सुधार

376. **श्री हरिहर सोरन** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण श्रोताओं के लिए निर्दिष्ट रेडियो और दूददर्शन कार्यक्रमों में सुधार लाने के लिए शौक्षिक टेक्नोक्रेटा से कोई मार्गदर्शी सिद्धांत आमंत्रित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त मामलों में शौक्षिक टेक्नोग्रेटों द्वारा दिए गए सुझाव क्या हैं;

(ग) उन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए मन्त्रालय द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं; और

(घ) तत्संबन्धी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि जहां तक आकाशवाणी केन्द्रों का सम्बन्ध है मूल रूप में ग्रामीण कार्यक्रम प्रसारित करने वाले केन्द्रों के लिए सरकारी और गैर-सरकारी व्यक्तियों से युक्त ग्रामीण कार्यक्रम सलाहकार समितियां गठित की गई हैं। सरकारी सदस्यों में कृषि, पशुपालन, सरकारिता, जन स्वास्थ्य, समाज कल्याण जैसे सम्बन्धित विभागों के व्यक्ति होते हैं और कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के विशेषज्ञ भी होते हैं। गैर-सरकारी सदस्यों में प्रगतिशील किसान होते हैं। इन समितियां की बैठकें 3 महीने में एक बार होती हैं और ये विभिन्न सुझावों पर विचार करती हैं और कार्यक्रम सूची स्वीकृत करती हैं।

दूरदर्शन केन्द्रों में भी, विभिन्न सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधियों से युक्त विषय समितियां होती हैं। दूरदर्शन के ग्रामीण कार्यक्रम को इन विषय समितियों में हुई चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है। टेलीकास्ट किए जाने वाले कार्यक्रमों में विभिन्न कृषि विकासीय गतिविधियों के विशेषज्ञों और प्रगतिशील किसानों को भाग लेने के लिए आमन्त्रित किया जाता है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

कोयले के निक्षेप

377. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इण्डिया ने देश में कोयले के कुछ निक्षेप स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो कोल इण्डिया द्वारा प्रस्तावित वर्ष 1982-83 में स्थापित किए जाने वाले ऐसे कोयला निक्षेपों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां उपर्युक्त वर्ष में ऐसे कोयला निक्षेपों को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है; और

(घ) तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) कोल इण्डिया लि० ने वर्ष 1982-83 के दौरान देश में कोयले की टालें खोलने के लिए अपनी योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया है। कोल इण्डिया ने पहले ही देश के विभिन्न भागों में 31 टालें खोल दी हैं और मार्च, 1982 तक 70 टालें और खोलने की योजना है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में वन-रोपण

378. **श्री ए० के० राय** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में वन-रोपण की कोई योजना है, यदि हां, तो पिछले एक वर्ष में की गई प्रगति का विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि भारत कोकिंग कोल के क्षेत्र में वनरोपण के लिए विदेशी मशीनों और विदेशी पेड़ों को लगाया जा रहा है, जिससे आसपास के लोगों में रोष उत्पन्न हो रहा है। और

(ग) यदि हां, तो विस्तृत ब्योरा क्या है और तत्संबन्धी कारण क्या हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां। परिस्थिति-वैज्ञानिक संतुलन बनाए रखने की दृष्टि से भा० को० को० लि० ने खान क्षेत्रों और नगरों में वनरोपण के लिए एक योजना तैयार की है। इस योजना के अधीन 1,70,000 पौधे 1982-83 तक लगाए जाने हैं। लगभग 53,000 पौधे 1981-82 की वर्षा ऋतु के दौरान लगाए जा चुके हैं।

(ख) इस क्षेत्र में लगाए जाने के लिए किसी भी प्रकार के वृक्ष भा० को० को० लि० में विदेशों से नहीं मंगाए जा रहे हैं, अतः लोगों में नाराजगी का प्रश्न नहीं उठता। विदेशी मशीनों भी वृक्षारोपण के लिए आयात नहीं की जा रही हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार

379. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री एस० बी० सिदनाल :

श्री वृद्धि चन्द्र जैन :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति की कुछ मुख्य सिफारिशों में तीन वर्ष के भीतर एक दिन में देशव्यापी साधारण निर्वाचन कराना और इलेक्ट्रानिक मतदान मशीन की शुरुआत करना है;

(ख) यदि हां, तो विशेषज्ञ समिति की अन्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्वा सरकार ने उन सभी की जांच कर ली है; और

(घ) इनके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) जी हां।

(ख) अन्य मुख्य सिफारिशें, साधारण निर्वाचन के ठीक पहले निर्वाचक नामावलियों के सघन पुनरीक्षण किए जाने, उन स्थानों का, जहां निर्वाचन सामग्री रखी जाती है, मुख्य निर्वाचन आफिसरों या उनके ठीक नीचे के अधिकारियों द्वारा सामयिक निरीक्षण किए जाने के और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में निर्वाचन तंत्र के प्रशासनिक तौर पर स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में हैं। जहां तक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में निर्वाचन तंत्र का सम्बन्ध है, यह सिफारिश की गई है कि यह बेहतर है कि मुख्य सचिव या राज्य के वरिष्ठ सचिवों में से कोई मुख्यतः जिसका

फील्ड अनुभव हो, मुख्य निर्वाचन आफिसर नियुक्त किया जाए और संघ राज्य क्षेत्रों में यह वांछनीय होगा कि मुख्य सचिव को ही मुख्य निर्वाचन आफिसर बनाया जाए। सिफारिशों में यह भी सुझाव दिया गया है कि निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण और निर्वाचन कराने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की संख्या कितनी होनी चाहिए तथा कितनी अवधि के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की मंजूरी दी जानी चाहिए।

(ग) और (घ) समिति की सिफारिशों पर अभी निर्वाचन आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है। सरकार के निर्णय लेने का प्रश्न तभी उत्पन्न होगा जब निर्वाचन आयोग इस विषय में अपने विचारों को अन्तिम रूप दे देगा।

एल० पी० जी० एजेन्सियों तथा पेट्रोल पम्पों की स्थापना

381. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव देश में नई एल० पी० जी० एजेन्सियों तथा पेट्रोल पम्पों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1982-83 में ऐसे कितने पेट्रोल पम्प केन्द्र तथा एल० पी० जी० एजेन्सियां खोले जाने का प्रस्ताव हैं;

(ग) क्या उड़ीसा के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से एल० पी० जी० एजेन्सियों तथा पेट्रोल पम्पों के लिए वर्ष 1981 में कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा के उन लोगों तथा हरिजन आवेदकों को लाइसेंस दिए जाने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है।

पेट्रोलियन, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) वर्ष 1982-83 के दौरान देश में 400 नई एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोलने के लिए तेल कम्पनियों के पास प्रस्ताव हैं। रिटेल आउटलेट डीलरशिप/पेट्रोल/डीजल पम्पों के लिए योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) जी हां।

(घ) साक्षात्कार आयोजित किये जा रहे हैं और ऐसी संभावना है कि मार्च/अप्रैल, 1982 तक एजेन्सियों को अन्तिम रूप दिया जायेगा।

दैनिक बसुमती का प्रबन्ध

382. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने दैनिक बसुमती के प्रबन्ध को वर्ष 1974 में केवल दो वर्ष के लिए अधिगृहीत किया था; और

(ख) उक्त दैनिक के प्रबन्ध कब तक पुराने प्रबन्धकों को लौटाया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार से पता किया गया है कि बसुमती प्रा० लि० (उपक्रम अधिग्रहण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत उस सरकार द्वारा दैनिक बसुमती का प्रबन्ध 1974 में अपने हाथ में ले लिया गया था। यह अधिग्रहण किसी विशिष्ट अवधि के लिए नहीं था। अधिनियम के अन्तर्गत इस समाचार पत्र को पुराने प्रबन्धकों को फिर से सौंपने का प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता, अगरतल्ला, भुवनेश्वर से प्रकाशित होने वाले समाचार दैनिक को परिचालन का ब्यौरा तथा अखबारी कागज की स्वीकृति तथा उठाई गई मात्रा

383. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता; अगरतल्ला तथा भुवनेश्वर से प्रकाशित समाचार दैनिकों के नाम क्या हैं तथा उनके द्वारा घोषित परिचालन तथा स्वीकृत परिचालन कितना है;

(ख) आर० एन० आई० द्वारा इन दैनिकों के प्रत्येक समाचार-वार, राज्य-वार तथा भाषा-वार परिचालन की पिछली जांच कब की गई थी; और

(ग) परिचालन का ब्यौरा क्या है तथा उनके लिए स्वीकृत अखबारी कागज की मात्रा कितनी है और इस दैनिकों द्वारा पिछले तीन वर्षों में वर्ष-वार अखबारी कागज की कितनी मात्रा उठाई गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) सूचना विवरण एक और दो में दी गई है।

(ग) अखबारी कागज की उठाई गई वास्तविक मात्रा के बारे में सूचना उसलब्ध नहीं है।

विवरण एक

कलकत्ता, अगरतल्ला और भुवनेश्वर से प्रकाशित होने वाले दैनिकों की सूची और उनके द्वारा क्लेम की गई प्रचालन संख्या और स्वीकार की गई परिचालन संख्या।

क्र० सं०	समाचार पत्र का विवरण	1980 में क्लेम की गई परिचालन संख्या	स्वीकार की गई परिचालन (जिस वर्ष के लिए निर्धारण किया गया)
1	2	3	4
	अंग्रेजी कलकत्ता (पश्चिम बंगाल) से प्रकाशित होने वाले दैनिक		
1.	अमृत बाजार पत्रिका	1,32,487	1,17,232 (1978)
2.	बुलोमेस स्टेन्डर्ड	18,787	15,893 (1978)

1	2	3	4
3.	कलकत्ता आबजर्वर	18,502	5,089 (1979)
4.	इकोनोमिक टाइम्स	12,530	10,862 (1978)
5.	हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड	2,998	—
6.	स्टैट्समैन	2,15,584	1,73,496 (1978)
	हिन्दी		
7.	आज का राजस्थान	आंकड़े नहीं दिये	अप्रमाणित (1979)
8.	छपते छपते	28,541	20,366 (1979)
9.	परीक्षित	18,382	11,815 (1979)
10.	दैनिक बड़ा बाजार	आंकड़े नहीं दिये	अप्रमाणित (1979)
11.	प्रकाश	15,111	9,581 (1979)
12.	रूपलेखा	31,492	26,336 (1979)
13.	सूत्रकार	14,447	1,000 (1979)
14.	सनमार्ग	54,532	—
15.	विश्वमित्र	61,652	—
	बंगाली		
16.	आजकल	1981 में आरम्भ हुआ	—
17.	आनन्द बाजार पत्रिका	4,27,997	3,76,646 (1978)
18.	बसुमती	32,583	—
19.	दैनिक आकर्षण	5,947	—
20.	दैनिक कृषि पत्रिका	355	—
21.	गणेशक्ति	9,272	9,272 (1979)
22.	जननी	7,841	6,543 (1979)
23.	जनता	आंकड़े नहीं दिये गए	अप्रमाणित (1979)
24.	जुगान्तर	3,29,477	2,86,202 (1978)
25.	कालान्तर	22,803	—
26.	लोक सेवक	आंकड़े नहीं दिये	3,846 (1978)
27.	नातुन पृथ्वी	670	—

1	2	3	4
28.	पैगाम	13,848	15,119 (1979)
29.	सत्यजुग	28,238	11,509 (1978)
	पंजाबी		
30.	देश दर्पण	3,302	—
31.	नवी प्रभात	13,191	2,200 (1979)
	उर्दू		
32.	आबशर	4,293	3,171 (1979)
33.	आकास	16,252	11,752 (1979)
34.	अखबार-ए-मशरिक	आंकड़े नहीं दिये	—
35.	आसरे जदीद	10,531	8,512 (1979)
36.	आजाद हिन्द	9,841	—
37.	गाजी	12,994	8,692 (1979)
38.	इमरोज	8,188	4,392 (1978)
39.	रोजाना हिन्द	6,770	5,328 (1978)
40.	शान-ए-मिल्लत	6,573	—
	चाइनीज		
41.	चाइनीज जर्नल आफ इण्डिया	811	—
42.	ओवरसीज चाइनीज कामर्स आफ इण्डिया	580	—
	बंगाल अगरतल्ला (त्रिपुरा) से प्रकाशित होने वाले दैनिक		
1.	भावी भारत	1,776	अप्रमाणित (1980)
2.	डेली देशर कीथा	3,116	—
3.	दैनिक गणदूत	2,359	अप्रमाणित (1980)
4.	दैनिक प्रमोद बार्ता	आंकड़े नहीं दिये	अप्रमाणित (1980)
5.	दैनिक संवाद	9,329	8,388 (1980)

1 2	3	4
6. गनराज	आंकड़े नहीं दिये	—
7. गन सम्वाद पत्रिका	आंकड़े नहीं दिये	—
8. जागरण	1,757	1,217 (1980)
9. जनपद	1,250	—
10. मनमानुष	3,125	अप्रमाणित (1979)
11. स्यानन्दन	2,492	500 (1980)
12. त्रिपुरा दर्पण	5,043	5,048 (1979)
13. विवेक	2,008	5,048 (1979)
उड़िया भुवनेश्वर (उड़ीसा) से प्रकाशित होने वाले दैनिक		
1. धारित्री	16,139	13,000 (1978)
2. स्वराज्य	16,357	9,452 (1978)

विवरण दो

कलकत्ता, अगरतल्ला और भुवनेश्वर से प्रकाशित दैनिकों के नामों तथा वर्ष 1978-80, 1980-81 तथा 1981-82 के लिए उनकी अखबारी कागज की हकदारी का विवरण।

क्र० सं०	समाचार पत्र का नाम	अखबारी कागज की हकदारी (टनों में)		
		1979-80	1980-81	1981-82
1	2	3	4	5
		कलकत्ता		
	अंग्रेजी			
1.	अमृत बाजार पत्रिका	3368·60	3503·52	3490·20
2.	बिजनिस स्टैन्डर्ड	135·84	412·04	365·59

1 2	3	4	5
3. कलकत्ता आबजर्वर	59·18	आवेदन नहीं किया	प्रक्रियाधीन
4. इकोनोमिक्स टाइम्स	257·54	174·76	321·90
5. हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड	11·57	13·70	9·56
6. स्टेट्समेन	8108·72	8134·23	8059·61
हिन्दी			
7. आज का राजस्थान	आवेदन नहीं किया	आवेदन नहीं किया	आवेदन नहीं किया
8. छपते-छपते	115·22	आवेदन नहीं किया	प्रक्रियाधीन
9. परिक्षित	71·39	85·90	120·00
10. दैनिक बड़ाबाजार	आवेदन नहीं किया	आवेदन नहीं किया	आवेदन नहीं किया
11. प्रकाश	64·18	132·35	प्रक्रियाधीन
12. रूपलेखा	250·00	315·56	287·12
13. सूत्रकार	53·63	180·05	149·60
14. सनमार्ग	769·04	895·36	889·70
15. विश्वमित्र	985·83	1201·97	1138·41
बंगाली			
16. आजकल	आवेदन नहीं किया	210·37	1427·98
17. आनन्द बाजार पत्रिका	7701·91	8072·38	8175·30
18. बसुमती	304·48	493·50	982·17
19. दैनिक आकर्षण	आवेदन नहीं किया	आवेदन नहीं किया	आवेदन नहीं किया

1	2	3	4	5
20.	दैनिक कृषि पत्रिका	आवेदन नहीं किया	आवेदन नहीं किया	आवेदन नहीं किया
21.	गनशक्ति	98·55	126·67	98·12
22.	जननी	38·31	35·00	प्रकियाधीन
23.	जनता	आवेदन नहीं किया	आवेदन नहीं किया	आवेदन नहीं किया
24.	जुगान्तर	5576·52	5721·55	5956.81
25.	कलान्तर	220·02	270·90	269·70
26.	लोक सेवा	41·47	66·67	प्रक्रियाधीन
27.	नातून पृथ्वी	आवेदन नहीं किया	आवेदन नहीं किया	आवेदन नहीं किया
28.	पैगाम	134·46	141·33	प्रक्रियाधीन
29.	सत्यजुग	269·95	426·27	आवेदन नहीं किया
	पंजाबी			
30.	देश दर्पण	24·15	27·81	27·11
31.	नवी प्रभात	153·30	आवेदन नहीं किया	प्राक्रियाधीन
	उर्दू			
32.	आबशार	आवेदन नहीं किया	41.39	प्रक्रियाधीन
33.	आकास	85·71	119·05	250·00
34.	अखबार-ए-मशरिक	आवेदन नहीं किया	145.32	प्रक्रियाधीन
35.	आसरे जदीद	68·66	89.56	103·90
36.	आजाद हिन्द	79·82	99·87	आवेदन नहीं किया
37.	गाजी	आवेदन नहीं किया	86·00	प्रक्रियाधीन

1 2	3	4	5
38. इमरोज	34·22	37·38	30·92
39. रोजाना हिन्द	46·09	59·75	प्रक्रियाधीन
40. शान-ए-मिल्लत	आवेदन नहीं किया	51·15	आवेदन नहीं किया
चाइनीज			
41. चाइनीज जर्नल आफ इण्डिया	7·22	7·30	5·67
42. ओवरसीज चाइनीज कामर्स आफ इण्डिया	आवेदन नहीं किया	आवेदन नहीं किया	आवेदन नही किया
बंगाली	**अगरतल्ला**		
1. भावी भारत	आवेदन नहीं किया	आवेदन नहीं किया	आवेदन नहीं किया
2. डेली देशर कथा	आवेदन नहीं किया	आवेदन नहीं किया	आवेदन नहीं किया
3. दैनिक गनदूत	आवेदन नहीं किया	आवेदन नहीं किया	आवेदन नहीं किया
4. दैनिक प्रमोद वार्ता	आवेदन नहीं किया	आवेदन नहीं किया	आवेदन नहीं किया
5. दैनिक सम्बाद	41·79	84·34	92·59
6. गनराज	आवेदन नहीं किया	आवेदन नहीं किया	आवेदन नहीं किया
7. गन सम्वाद पत्रिका	23·39	6·87	28·67
8. जागरण	5·32	आवेदन नहीं किया	आवेदन नहीं किया
9. जनपद	आवेदन नहीं किया	आवेदन नहीं किया	आवेदन नहीं किया
10. मनमानुष	आवेदन नहीं किया	आवेदन नहीं किया	आवेदन नहीं किया

1 2	3	4	5
11. स्यान्दन	आवेदन नहीं किया	आवेदन नहीं किया	आवेदन नहीं किया
12. त्रिपुरा दर्पण	37·48	आवेदन नहीं किया	आवेदन नहीं किया
13. विवेक	आवेदन नहीं किया	आवेदन नहीं किया	आवेदन नहीं किया
उड़िया	भुवनेश्वर		
1. धारित्री	आवेदन नहीं किया	आवेदन नहीं किया	आवेदन नहीं किया
2. स्वराज्य	आवेदन नहीं किया	आवेदन नहीं किया	आवेदन नहीं किया

प्रत्यायित संवाददाताओं के मामलों पर पुनर्विचार

384. **श्री रामबिहारी बहेरा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस सूचना ब्यूरो प्रेस प्रत्यान समिति को पुनर्विचार समिति के माध्यम से प्रत्यायित संवाददाताओं के मामलों पर पुनर्विचार करता है;

(ख) यदि हां, तो उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिन पर पिछले तीन वर्षों में पुनर्विचार किया गया है और उन संवाददाताओं के नामों सहित, जो समाचार पत्रवार समाचारों की कतरनें सफाई करते हैं, तत्सम्बन्धी संवाददाताओं के नाम क्या हैं; और

(ग) उन संवाददाताओं के नाम क्या हैं जिन्हें प्रेस कतरनें तथा सम्बन्धित समाचार पत्रों से वेतन प्रमाणपत्र सप्लाई न करने के लिए अप्रत्यापित कर दिया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना विवरण में दी गई है।

(ग) अब तक किसी भी संवाददाता को प्रेस कतरनें या वेतन प्रमाणपत्र में देने के कारण अप्रत्यायित नहीं किया गया है। तथापि, उन संवाददाताओं के मामलों की जांच पड़ताल की जा रही है जिन्होंने प्रेस करतनें या वेतन प्रमाण-पत्र नहीं दिए हैं तथा उनको केन्द्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति के विचारार्थ भेज दिया जाएगा।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान पुनरीक्षित किए गए मामलों का ब्योरा और संबंधित संवाददाताओं के नाम

क्रम सं०	संवाददाता का नाम	समाचार/एजेंसी जिसका प्रतिनिधित्व है	क्या उन्होंने अपनी समाचार कतरनें भेजीं
1	2	3	4
1.	श्री थामस मुलाकल	न्यूज ब्यूरो आफ इंडिया (एन. बी. आई. समाचार सेवा,	हां
2.	श्री सोमदेव	पब्लिकेशन सिंडीकेट	हां
3.	श्री आर. एस. शर्मा	पब्लिकेशन सिंडीकेट	नहीं
4.	श्री कृष्ण कुमार	विक्रांत न्यूज सर्विस	नहीं
5.	श्री सुरेश सिंह	अमृत प्रभात, इलाहाबाद	नहीं
6.	श्री मुकेश चन्द अलख	आवाज, हिन्दी दैनिक, धनबाद	नहीं
7.	श्री हरवंस लाल	क्लैरिटी, अंग्रेजी, बम्बई	हां
8.	श्री खगेन डे सरकार	बसुमती, कलकत्ता	नहीं
9.	श्री अलगोदय गुह	बसुमती, कलकत्ता	हां
10.	श्री देवव्रत सरकार	बसुमती, कलकत्ता	नहीं
11.	श्री जे. के. जैन	दूरन्देश, दिल्ली	कतरनें नहीं मांगी गई थीं
12.	श्री मनोहर पुरी	एक नजर, दिल्ली	हां
13.	श्रीमती अजीत कौर	जनतायुग, अलीगढ़	हां
14.	श्री एफ. सी. अहलूवालिया	काश्मीर टाइम्स, जम्मू	हां
15.	श्री एस. आर. वेंकटाचलम	मुरासोती, मद्रास	नहीं
16.	श्री दीपक बी. आर. चौधरी	प्रजातंत्र, कटक	नहीं
17.	श्री डी. एन. तारा	वीर प्रताप, जलंधर	नहीं

1	2	3	4
18.	श्री सी. पी. राधवन	फाइनांशियल एक्सप्रेस, बम्बई	कतरनें नहीं मांगी गई थीं
19.	श्री राजभाऊ कुलकर्णी	केसरी, पुणे	—तथैव —
20.	श्री वी. डी. चोपड़ा	पैट्रियाट, नई दिल्ली	—तथैव—
21.	श्री शीतांशु दास	ट्रिब्यून, चण्डीगढ़	कतरनें नहीं मांगी गई थीं।
22.	श्री छोटू कराडिया	डेली मेल, लंदन	—तथैव—
23.	श्री के. भास्कर पे	स्टर्न मैगजीन, हम्बर्ग, पश्चिमी जर्मनी	संपादक से कतरनें मांगी गई थीं। संपादक ने उत्तर दिया है कि श्री पै उनके नियमित संवाददाता है।
24.	श्री एस. एन. चोपड़ा	स्वेंस्का देबसादल, स्वीडन	कतरनें नहीं मांगी गई थीं।
25.	श्री आर. बालासुब्रमण्यम	कुमुदम, मद्रास	हां
26.	श्री एस. वेंकटनारायण	नई दिल्ली, मैगजीन	कतरनें नहीं मांगी गई थीं।

परिचालन निरीक्षण अधिकारी अथवा आर० एन० आई० के बारे में अभ्यावेदन

385. **श्री रामबिहारी बहेरा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगरतल्ला तथा निकोबार से प्रकाशित बंगाली समाचार दैनिकों के नाम क्या हैं और उनकी परिचालन संख्या कितनी है तथा इन दैनिकों को अखबारी कागज की कितनी मात्रा स्वीकृत की गई है; और

(ख) क्या परिचालन निरीक्षण अधिकारी अथवा आर० एन० आई० के बारे में आर० एन० आई० से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो मामले का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) सूचना विवरण में दी गई है।

(ख) जी, हां। अगरतल्ला के बंगला दैनिक "गणदूत" के प्रकाशक ने भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक द्वारा परिचालन संख्या के किए गए आकलन के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है। क्योंकि प्रकाशक ने 1980 के लिए 2,359 प्रतियों का दावा प्रमाणित करने के लिए कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया, अतः परिचालन संख्या "अप्रमाणित" घोषित कर दी गई थी।

विवरण

अगरतल्ला और सिल्चर से प्रकाशित होने वाले बंगला दैनिकों के नामों, उनकी परिचालन संख्या और उनको आवंटित अखबारी कागज को दर्शाने वाला विवरण।

क्रम संख्या समाचारपत्र का नाम	क्लेम की गई परिचालन संख्या (1980)	1981-82 में आवंटित अखबारी कागज (टनों में)
अगरतल्ला से प्रकाशित होने वाले		
1. भावी भारत	1,776	आवेदन नहीं किया।
2. दैनिक देशर कथा	3,116	तथैव
3. दैनिक गणदूत	2,359	तथैव
4. दैनिक प्रमोद वार्ता	सप्लाई नहीं की गई	तदैव
5. दैनिक संवाद	9,329	92.59
6. गणराज	सप्लाइं नहीं की गई	आवेदन नहीं किया।
7. गण संवाद पत्रिका	तथैव	तथैव
8. जागरण	1,757	तथैव
9. मनमानुष	3,125	तथैव
10. जनपद	1,250	तथैव
11. स्यंदन	2,492	तथैव
12. त्रिपुरा दर्पण	5,043	तथैव
13. विवेक	2,008	तथैव
सिल्चर से प्रकाशित होने वाले		
1. प्रांत ज्योति	1,970	आवेदन नहीं किया।
2. दैनिक युग शक्ति	2,200	14.70
3. नुगासंखा	3,843	8.71

सस्ते सिनेमा गृह बनाने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान

386. **श्री लक्ष्मण कर्मा :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते सिनेमा गृह बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें वर्ष 1981-82 में ऐसे गृहों का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता दी गई है;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव इस योजना को जनजाति क्षेत्रों में भी कार्यान्वित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो क्या यह योजना मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में भी कार्यान्वित की जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, जो सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, उपयुक्त स्थानों, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों के स्थान भी शामिल हैं, में सिनेमाघरों के निर्माण हेतु ऋण देता है। ऋण देने की योजना के अन्तर्गत कलेंडर वर्ष 1981 में 25 ऋण आवेदन-पत्र मंजूर किए गए थे।

(ग) और (घ) जनजाति क्षेत्रों में सिनेमाघरों के निर्माण की कोई विशेष योजना नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम मध्य प्रदेश के बस्तर जिले सहित जनजाति क्षेत्रों सिनेमाघर परियोजनाओं के लिए ऋण आवेदन-पत्रों पर गुण-दोष के आधार पर विचार कर सकता है।

बस्तर जिले को 'माइक्रोवेव" संचार प्रणाली से जोड़ना

387. **श्री लक्ष्मण कर्मा :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मध्य प्रदेश के बस्तर जिले को "माइक्रोवेव" दूर-संचार प्रणाली से जोड़ने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इस क्षेत्र के लिए धनराशि भी स्वीकृत कर दी है; और

(ग) क्या यह सच है कि उस क्षेत्र में कामगार न मिलने के कारण कार्य में प्रगति नहीं हो रही है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) निधि विशिष्ट कार्यों के लिए स्वीकृत की जाती है न कि किसी क्षेत्र विशेष के लिए।

(ग) जी नहीं।

केनिंग बन्दरगाह में तेल की खोज

388. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी बंगाल में केनिंग बन्दरगाह और इसके आसपास के अन्य क्षेत्रों में तेल की खोज में आगे क्या प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : बोदरा-पोर्ट केनिंग-डायमंड हार्बर क्षेत्र में आधुनिक उपकरण, परिष्कृत (सोफिस्टिकेटिड) क्षेत्रीय तकनीकियों तथा आंकड़े प्रोसेसिंग का प्रयोग करते हुए डिजिटल भूकम्पीय सर्वेक्षण किये जा रहे हैं। एक दूसरे अन्वेषी व्यधन स्थान को बोदरा के स्थान पर छोड़ दिया गया है और वहां नागरिक कार्य तथा प्रवेश मार्ग का निर्माण किया जा रहा है।

सम्पर्क अधिकारीयों का मंत्रालय में प्रवेश

389. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री सम्पर्क अधिकारियों के मंत्रालयों में दौरे के सम्बन्ध में दिनांक 22 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4901 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपर्युक्त उत्तर में बताई गई स्थिति के बावजूद क्या उनके मंत्रालय के सेवा-निवृत अधिकारी, जो अब गैर-सरकारी बड़े औद्योगिक गृहों में काम कर रहे हैं, उनके मंत्रालय की सम्बन्धित शाखाओं में बेरोकटोक प्रवेश करने में समर्थ हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय की विभिन्न शाखाओं के कमरों तथा बरामदों तथा अधिकारियों के वैयक्तिक सहायक निजी सचिवों तक उनके आने जाने पर आवश्यक निगरानी रखने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है; और

(ग) लाभ वाले अनुभागों में काम कर रहे डैस्क अधिकारियों/वितीय क्षेणी के अन्य कर्मचारियों के बीच विभिन्न कदाचारों को दूर करने के लिए जिसे इन सम्पर्क अधिकारियों ने शुरू किया है बारी बारी से बदलने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है।

पेट्रोलियम, रसायन और उवरंक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) अनुदेश जारी किये गये हैं कि कर्मचारी जिन्हें आगंतुकों का स्वागत करने के लिए कोई अधिकार नहीं है, उन्हें प्राइवेट कम्पनियों और फर्मों के प्रतिनिधियों से नहीं मिलना चाहिए, प्रतिनिधि पहले समय मुकर्रर करके सम्बन्धित अधिकारियों को (अवर सचिव के स्तर से कम के अधिकारी नहीं) मिल सकते हैं।

(ग) जहां तक सम्भव हो कर्मचारियों का चक्रीय स्थानान्तरण उपर्युक्त अन्तराल में किया जाता है।

टेलीफोन इंजीनियरों का स्थानांतरण

390. **श्री के० ए० राजन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग के दूरसंचार खंड ने कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली में काम कर रहे टेलीफोन इंजीनियरों आदि के बड़े पैमाने पर अन्तर्राज्जीय स्थानांतरण के आदेश दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक स्थान पर कितने स्थानांतरण किये गये हैं;

(ग) ऐसे स्थानांतरणों के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार को पता है कि बड़े शहरों में मकानों का किराया बहुत अधिक है जिसके परिणामस्वरूप उन स्थानांतरित कर्मचारियों की 50 प्रतिशत आय किराये के रूप में ही चली जाएगी जिससे उनको वित्तीय कठिनाईयां होंगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां; परन्तु स्थानांतरण पूर्णतया अंतर-राज्य आधार पर नहीं थे। जहां तक संभव हो सका है, अधिकारियों को उनके संबंधित राज्यों में ही रखा गया है

(ख)	कलकत्ता	बम्बई	दिल्ली
	107	159	126

(ग) अधिकारियों को उनकी 4 वर्ष की स्टेशन अवधि पूरी कर लेने के पश्चात् सामान्य रूप में बारी-बारी से स्थानांतरित किया गया है। अखिल भारतीय सेवा का दायित्व उनकी सेवा शर्तों में से एक है और जनहित में स्थानांतरण अपरिहार्य है।

(घ) हालांकि, ऐसा पता चला है कि बड़े शहरों में मकानों का किराया अधिक है, ऐसे शहरों में स्टाफ मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिपूर्ति भत्ते का पात्र है। इसके अतिरिक्त ऐसे स्थानों पर स्टाफ को निर्धारित वरीयता के अनुसार और जहां तक संभव हो सकता है सरकारी आवास दिए जाते हैं, जिसके वे पात्र होते हैं।

दूरसंचार सम्बन्धी सरीन समिति का प्रतिवेदन

391. **श्री के० ए० राजन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दूरसंचार सम्बन्धी सरीन समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं, और

(ग) इन सिफारिशों की जांच करने में कितना समय लगेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :(क) जी हां। सरकार को श्री एच० सी० सरीन की अध्यक्षता में बनी दूरसंचार सेवा पुनरीक्षण समिति से आठ रिपोर्टें मिली हैं। आठवीं रिपोर्ट उप-संहारात्मक रिपोर्ट है, जिसमें सभी सिफारिशों का पूर्ण सारांश दिया गया है।

(ख) सिफारिशों का सारांश संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ग) सभी सिफारिशों को पूरी तरह जांच लिया गया है और अधिकांश सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय ले लिया गया है। बाकी बची सिफारिशों पर उन प्रधिकारियों की सहमति आवशयक है, जो इस मंत्रालय के बाहर हैं ।

अतिरिक्त विद्युत उत्पादन में भारी कमी

392. **प्रो० अजित कुमार मेहता :**

श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1981-82 के लिए अतिरिक्त विद्युत उत्पादन लक्ष्य में 65 से 70 प्रतिशत तक की भारी कमी होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा योजना अवधि में कुल कितनी कमी होने का अनुमान है; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं। वर्ष 1981-82 के लिए ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य 122000 मिलियन यूनिट है। वर्ष 1981-82 के दौरान लक्ष्य से अधिक वास्तविक उत्पादन होने की आशा है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

निर्वाचन प्रणाली में सुधार

393. **श्री बापूसाहिब परुलेकर :**

श्री मूलचन्द डागा :

डा० वसंत कुमार पंडित :

श्री कमलनाथ :

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1951-52 में हुए पहले निर्वाचन के बाद के 30 वर्षों के दौरान हुए अनुभव को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार ऐसे आवश्यक सुधार करने का है, जिन्हें निर्वाचन प्रणाली में लागू किया जा सके; और

(ख) क्या निर्वाचन सुधारों के लिए सरकार के विचाराधीन कोई विशेष प्रस्ताव है, तो वे विचार की किस अवस्था में हैं और उन प्रस्तावों पर सरकार को अपना विचार बनाने में संभवतया कितना समय लगेगा ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) निर्वाचन संबंधी सुधारों के बारे में निर्वाचन आयोग से विभिन्न अवसरों पर प्राप्त हुई ऐसी सिफारिशों के ब्यौरे जिनका निर्वाचन विधि के प्रायः सभी पहलुओं पर प्रभाव पड़ता है, लोक सभा के तारीख 10 जून, 1980 के अतारांकित प्रश्न सं० 227 और तारीख 2 दिसम्बर, 1980 के तारांकित प्रश्न सं० 221 के सम्बन्ध में सदन के पटल पर रख दिए गए। आयोग की कुछ सिफारिशें, लोक सभा एवं विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन, 1979-80 तथा उप राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 1979 खंड I के विषय में उसकी रिपोर्ट में भी दी गई है। यह रिपोर्ट तारीख 23 दिसम्बर, 1980 को सदन के पटल पर रख दी गई। इस समय इन प्रस्तावों पर निर्वाचन सुधारों सम्बन्धी मंत्रिमडल समिति द्वारा विचार किया जा रहा है। समिति द्वारा इन प्रस्तावों पर अन्तिम निष्कर्ष पर पहुंचने के पश्चात इन पर राजनैतिक दलों के साथ और जहां आवश्यक होगा, राज्य सरकारों के साथ भी विचार-विमर्श किया जाएगा। अतः अन्तिम विनिश्चिय करने में अभी कुछ समय और लगेगा और इस प्रक्रम पर यह बताना संभव नहीं है कि इन प्रस्तावों को अन्तिम रूप कब दिया जा सकेगा।

तेल की खोज के लिए विदेशी तेल कम्पनियों के साथ करार

394. श्री के० टी० कोसलराम : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल की खोज का कार्य आरम्भ करने की इच्छुक विदेशी तेल कम्पनियों के साथ प्रस्ताविक करार के आवश्यक अंग के रूप में "उत्पादन में हिस्सा न होने" की शर्त को वापस ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो सौराष्ट्र और कावेरी बेसिन में तेल की खोज और विकास के लिए कौन-कौन सी विदेशी तेल कम्पनियों ने बोली दी है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सभी जिलों में सूचना केन्द्रों की स्थापना

395. श्री के० टी० कोसराराम : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी 411 जिलों में जिला सूचना केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियों पर विचार करने के लिए विभागीय समिति की बैठक किया जाना

396. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान नियमों के अनुसार सामान्य नियमों से छूट देकर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति को एक विभागीय समिति द्वारा मंजूरी दी जाती है;

(ख) क्या यह सच है कि यद्यपि पूरी तरह से प्रस्तुत किए गए ऐसे अनेक मामले हैं, जो औपचारिक मंजूरी के कारण रुके पड़े हैं और महालेखाकपाल, बिहार, पटना के कार्यालय में सभी संवर्गों में पर्याप्त रिक्तियों के उपलब्ध होने के बावजूद विभागीय समिति की कोई बैठक नहीं हुई है; और

(ग) यदि उपर्युक्त का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या उनका विचार उक्त चिरप्रतीक्षित बैठक को अविलम्ब बुलाने का है और भविष्य में ऐसे मामलों के समुचित तथा तत्काल निपटान के लिए ऐसी बैठकों की कोई आवधिकता निर्धारित करने का है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) सर्किल अध्यक्षों को लिपिक ग्रेड अथवा ग्रुप (ग) के समतुल्य रैंक के अन्य दरों पर अथवा ग्रुप (घ) पदों पर करुणामूलक आधार पर नियुक्तियां करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं जिनमें ऐसे डाकतार कर्मचारियों, जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तथा उनके परिवार गरीबी की स्थिति में आ जाते हैं, के पुत्रों/पुत्रियों/निकट संबंधियों को सीधे ही भर्ती किया जाता है बशर्ते कि कर्मचारी की मृत्यु एवं आवेदन की तारीख के बीच 5 वर्ष से अधिक का अन्तर न हो। इसके लिए सर्किल अध्यक्ष तथा 2 वरिष्ठ निदेशकों को लेकर एक समिति गठित की गई है। समिति की एक बैठक अप्रैल 81 में तथा दूसरी बैठक 16-2-82 को हुई थी। ऐसे मामलों का यथोचित एवं तुरन्त निपटान सुनिश्चित करने हेतु सभी यत्न किए गए हैं।

कोल इण्डिया को हुई हानि तथा कोयले में राख की मात्रा में वृद्धि

397. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इण्डिया को मार्च, 1980 तक 556 करोड़ रुपये की हानि हुई है;

(ख) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० ने शिकायत की है कि गत छः महीनों के दौरान कोयले में राख की मात्रा में भारी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या अप्रैल, सितम्बर, 1981 के दौरान उत्पादन में 10 प्रतिशत की वृद्धि तो हुई है परन्तु किस्म में गिरावट आई है; और

(घ) यदि हां, तो कोयले की किस्म तथा उत्पादन दोनों में ही साथ-साथ सुधार करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) कोल इण्डिया लि० को मार्च, 1980 तक हुए घाटे की राशि 736.63 करोड़ रुपए थी।

(ख) भारतीय इस्पात प्राधिकरण कोयला कम्पनियों की जानकार। में यह बात समय-समय पर लाता रहा है कि उसे सप्लाई किए जाने वाले कोककर कोयले में राख का प्रतिशत बढ़ रहा है। ऐसी शिकायतों की जांच की जाती है और जहां जरूरी होता है वहां सुधार की कार्रवाई की जाती है। पिछले छः महीनों में कोककर कोयले में राख के प्रतिशत में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) कोयले के उत्पादन और किस्म में सुधार के लिये उठाये गये कदम इस प्रकार हैं :

1—वर्तमान वाशरियों में संशोधन।

2—अधिक राख वाले कोयले का पता लगाना और उसे वाशरियों को न भेजना।

3—कोयले को वैगनों में भरने से पहले उसमें से बाहरी पदार्थों को निकालने के लिए मजदूरों द्वारा व्यापक छंटाई।

4—नई वाशरियों का निर्माण/उनमें काम चालू करना।

5—वर्तमान वाशरियों की परिचालन क्षमता में सुधार के लिए बेहतर बिजली सप्लाई, धुले कोयले के लदान के लिए अधिक वैगन सप्लाई करना, आदि कदम उठाना।

6—खानों में अधिक बिजली पहुंचाना, ग्रहीत बिजली उत्पादन क्षमता लगाना, कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार करना और राज्य सरकारों की सहायता से जमीन के अधिग्रहण में शीघ्रता करना।

7—नई खानों का निर्माण।

8—खानों में उपकरणों का बेहतर उपयोग।

सरकारी विज्ञापन के लिए समाचार पत्रों की बनाई गई श्रेणियां

398. **श्री जैनुल बशर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने सरकारी विज्ञापन देने के लिए समाचार पत्रों को कितनी श्रेणियों में विभाजित कर रखा है;

(ख) प्रत्येक श्रेणी में कितने समाचार पत्र हैं तथा उनकी विज्ञापन दरें क्या-क्या हैं;

(ग) प्रत्येक श्रेणी के समाचार पत्र की कुल बिक्री कितनी है; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक श्रेणी को कितने-कितने मूल्य के सरकारी विज्ञापन दिये गये ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) सरकारी विज्ञापन देने के प्रयोजन से समाचार पत्रों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में बांटा हुआ है :

छोटे—15,000 तक की परिचालन संख्या ।

मझौले—15,000 और 50,000 के बीच परिचालन संख्या ।

बड़े—50,000 से अधिक परिचालन संख्या ।

(ख) और (ग) 1-1-82 को विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की माध्यम सूची में शामिल समाचार पत्रों की संख्या और उनकी श्रेणीवार कुल परिचालन संख्या इस प्रकार थी :

श्रेणी	संख्या	कुल परिचालन संख्या
बड़े	111	1,40,22,245
मझौले	243	64,59,217
छोटे	1662	1,13,91,197

विज्ञापन दरों को प्रवृत दर ढांचे के अनुसार संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है ।

(घ) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक श्रेणी के समाचार पत्रों (एम्प्लायमेंट न्यूज/रोजगार समाचार को छोड़कर) को रिलीज किये गये विज्ञापनों का मूल्य इस प्रकार था :

श्रेणी	1979-80	1980-81
छोटे	57,76,239 रुपये	90,40,561 रुपये
मझौले	56,43,878 रुपये	82,46,891 रुपये
बड़े	1,69,11,291 रुपये	1,77,68,094 रुपये

विद्युत सप्लाई की स्थिति में सुधार

399. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत सप्लाई की स्थिति में कोई सुधार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1970-71 और 1981-82 में विद्युत की सप्लाई और मांग में कितना अन्तर था ।

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) पिछले दो वर्षों के दौरान विद्युत सप्लाई की स्थिति में काफी सुधार हुआ है । वर्ष 1981-82 के दौरान देश में ऊर्जा की कमी घटकर 10 प्रतिशत रह गई है । इसकी तुलना में यह कमी 1980-81 में 12.6% तथा 1979-80 में 16.1 % थी । देश में विद्युत सप्लाई की स्थिति की मानिटरिंग करने तथा इस विषय पर आंकड़े एकत्र करने का कार्य केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 8वें दशक के मध्य में आरम्भ किया गया था । अत: वर्ष 1970-71 की सप्लाई और मांग के बीच अन्तर के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

बरौनी में कैपोलैक्टम संयंत्र की स्थापना

400. **श्री सूर्य नारायण सिंह** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक जर्मन बहुराष्ट्रीय कम्पनी बी० ए० एस० एफ० ने बिहार में बरौनी में 50,000 टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाला कैप्रोलैक्टम संयंत्र स्थापित करने के लिए आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार का निर्णय क्या है;

(ग) इस समय देश में कैप्रोलैक्टम की वर्तमान मांग/पूर्ति की स्थिति क्या है; और

(घ) कैप्रोलैक्टम का उत्पादन करने वाली कौन-कौन सी प्रतियोजनाएं प्रचलित हैं तथा उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) बी० ए० एस० एफ० इंडिया लि० का बिहार में प्रतिवर्ष 50,000 मी० टन कैप्रोलेक्टम का उत्पादन करने के लिए एक संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ग) देश में इस समय केप्रोलेक्टम की मांग और स्वदेशी उत्पादन प्रतिवर्ष क्रमश: करीब 40,000 मीटर टन और 15,000 मी० टन है।

(घ) इस समय गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कम्पनी लि० ही केप्रोलेक्टन का उत्पादन कर रही है। इसके संयंत्र की लाइसेंसीकृत क्षमता प्रतिवर्ष 20,000 मीटर टन है।

आकाशवाणी में समाचार सेवा को सुदृढ़ बनाना

401. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आकाशवाणी में समाचार सेवा को सशक्त बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजना के लिए कोई योजना तैयार की गई है; और

(ग) अन्य समाचार एजेंसियों पर आकाशवाणी की निर्भरता को कम करने में इससे कहां तक सहायता मिलेगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) जी हां। समाचार सेवा प्रभाग, आदि जैसे माध्यम संगठनों की प्रचालन कार्यकुशलता को बढ़ाना अनवरत तथा चलती रहने वाली प्रक्रिया है। जिन जिलों/स्थानों को अभी तक कवर नहीं किया गया है उन्हें भी कवरेज उपलब्ध करके आकाशवाणी के नियमित संवाददाताओं से प्राप्त होने वाले समाचारों में गुणात्मक और मात्रात्मक वृद्धि करने के तौर तरीके विकसित किए जा रहे हैं।

(ग) आकाशवाणी अपनी आवश्यकतानुसार, समाचार एजेंसियों की सेवा प्राप्त करना जारी रखेगी, क्योंकि आकाशवाणी के अपने संवाददाताओं के जाल को उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर में बताई गई सीमा से अधिक बढ़ाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

आयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा राजस्थान में कुओं की खुदाई

402. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इण्डिया लिमिटेड का विचार छठी योजना के दौरान हाईड्रोकार्बन के लिए राजस्थान में पांच गहरे कुए खोदने का है;

(ख) यदि हां, तो उच्च प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं तथा परियोजना की अनुमानित लागत क्या है और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ग) क्या आयल इण्डिया लिमिटेड का विचार अरुणाचल प्रदेश में भी दस कम गहरे कुएं और दो गहरे कुए खोदने का है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन क्षेत्रों में तेल की क्या संभावनाएं हैं।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) आयल इण्डिया लिमिटेड ने छठी योजना के दौरान राजस्थान में 4 गहरे अन्वेषी कुओं के खोदने के लिए प्रस्ताव दिया है।

(ख) राजस्थान में आयल इण्डिया लि० के संचालन से 28,600 किलोमीटर के क्षेत्र को, जो जैसलमेर तथा बीकानेर के जिलों में पड़ता है, पूरा किये जाने की संभावना है। छठी योजना के दौरान भू वैज्ञानिक भू भौतिकीय सर्वेक्षणों व्यधन संबंधित गतिविधियां को चलाने के लिए प्रयोजना की अनुमानित लागत 50 करोड़ रुपये की है। वर्ष 1982-83 के लिए 10 करोड़ रुपये की धनराशि नियत की गई है।

(ग) छठी योजना अवधि के दौरान अरुणाचल प्रदेश में 24 छिछले कुएं और दो गहरे अन्वेषी कुओं को खोदने के लिए आयल इण्डिया का प्रस्ताव है।

(घ) अरुणाचल प्रदेश में खारसंग के स्थान पर तेल मिला है और ऐसी संभावना का मूल्यांकन करने के लिए और अधिक कूप खोदे जायेंगे। राजस्थान के सम्बन्ध में अभी से अनुमान लगाना असामयिक होगा क्योंकि ओ० आई० एल० द्वारा वहां अभी तक कोई व्यधन कार्य नहीं किया गया है।

केन्द्रीय खाद्य तथा प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान, मैसूर द्वारा टैपिओका से अल्कोहल का उत्पादन

403. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर स्थित केन्द्रीय खाद्य तथा औद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित प्रक्रिया के साथ पेपिओका से अल्कोहल का उत्पादन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय खाद्य तथा प्रोद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित प्रक्रिया की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसका ऊर्जा के नवीकरण करने योग्य साधन के रूप में उपयोग करने तथा आधुनिक प्रक्रियाओं से टेपिओका का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) (क) केन्द्रीय खाद्य तथा प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान मैसूर ने सरकार को सूचित किया है कि टैपिओका से अल्कोहल का निर्माण करने के लिए उन्होंने एक प्रक्रिया विकसित की है।

(ख) प्रक्रिया में एन्जाइन के साथ टैपिओका का शर्करीकरण निहित है जिसके बाद उसका खमीर संधान और आसवन किया जाता है।

(ग) चूंकि टैपिओका से उत्पादित अल्कोहल की लागत शीरे से उत्पादित अल्कोहल की लागत से लगभग तीन गुनी होने की आशा है, संस्थान का विचार है कि नवीन ऊर्जा स्रोत के रूप में टैपिओका से उत्पादित अल्कोहल का प्रयोग करना व्यवहार्य नहीं होगा।

कपड़ा मिलों द्वारा कोयले की कमी की शिकायत

404. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति श्री गुलाम रसूल कोचक :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में कपड़ा मिलें कोयले की समय पर उपलब्धत के अभाव में बन्द होने की स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह संकट इस अवस्था में पहुंच गया था कि जनवरी, 1982 में श्रमिकों की आजीविका खतरे में पड़ गई थी;

(ग) इन कपड़ा मिलों में कोयले के संकट के मुख्य कारण क्या थे;

(घ) क्या इन मिलों ने कोयले के आवंटन के बारे में शिकायत की थी जिसे उचित ढंग से आवंटित नहीं किया जा रहा था;

(ङ) क्या ऊर्जा विभाग ने पर्याप्त वैगनों की व्यवस्था करने के लिए रेल प्राधिकारियों के साथ इस मामले पर बातचीत की थी ताकि इन कपड़ा मिलों की मांगों के अनुसार कोयला सप्लाई किया जा सके; और

(च) यदि हां, तो फरवरी में और उसके बाद स्थिति में कितना सुधार हुआ ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (च) राजधानी की कपड़ा मिलों ने कोल इण्डिया लि० की जानकारी में कोयले की ऐसी कोई

कमी नहीं लाई है जिससे उनके काम में बाधा पड़ती हो। राजधानी की कपड़ा मिलों को कोयला सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० से मिलता है। इन दोनों कम्पनियों से कपड़ा क्षेत्र को कोयले की सप्लाई अप्रैल-दिसम्बर, 1980 के 2.43 लाख टन से बढ़कर अप्रैल-दिसम्बर, 1981 में 3.11 लाख टन हो गई है। कोयला कम्पनियां सभी औद्योगिकी उपभोक्ताओं को रेल द्वारा ढुलाई में होने वाली कमी का माल बिना किसी प्रतिबंध के सड़क द्वारा ले जाने के लिए भी देती रही हैं और वह सारी मांग पूरी कर सकती हैं।

फिल्मोत्सव-82 में दिखाई गई भारतीय फिल्में और उनके चयन का मानदंड

405. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष कलकत्ता में एक पखवाड़े का फिल्मोत्सव-82 आयोजित किया गया था;

(ख) फिल्मोत्सव में कौन-कौन सी भारतीय फिल्में दिखाई गई और उनके चयन का क्या मानदंड था; और

(ग) फिल्मोत्सव किस हद तक सफल रहा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) फिल्मोत्सव-82 के लिए भारतीय फिल्मों का चयन एक चयन पैनल, जिसमें प्रख्यात फिल्मी हस्तियां शामिल थीं, की शिफारिश पर किया गया था और चयन का मानदण्ड मुख्यतया फिल्मों का कलात्मक महत्व और सौन्दर्यात्मक श्रेष्ठता था। निम्नलिखित 20 फिल्में फिल्मोत्सव 82 के भारतीय पेनोरमा विभाग में दिखाई गई थीं :

1. आधारशिला
2. आज-कल-परांशुगल्प
3. अक्रीत
4. ऐन अगस्त सिक्विएम
5. वैशाखी मेघ
6. बोग
7. चलचित्र
8. दखल
9. इमागी निर्थैम
10. कलयुग
11. नंजथई किल्लाते
12. ओप्पोल

13. ओरिडातोरू फैलवान

14. पिकू और सद्गति

15. पोक्कुवेसियल

16. तन्नीर तन्नीर

17. उमराव जान

18. त्यागय्या

19. वलर्थु मृगंगल

20. 36 चोरंगी लेन

इसके अलावा भारतीय टाकियों की स्वर्ण जयन्तियां मनाने के लिए अनुदर्शी फिल्में दिखाई गई थीं। हिन्दी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं की 20 भारतीय फिल्में चुनी गई थीं जो न्यू थियेटर्स, ए वी एम और प्रभात टाकीज जैसे महत्वपूर्ण फिल्म स्टूडियों की प्रतिनिधि फिल्में थीं।

(ग) कलकत्ता का फिल्मोत्सव-82 सामान्यतया सफल रहा। भारतीय विभाग की फिल्में के अतिरिक्त गोडार्ड गुने और जंकंसों की अनुदर्शी फिल्मों सहित लगभग 100 विदेशी फिल्में भी दिखाई गई थीं। ब्रिटिश सिनेमा में नवीनतम रुझान दिखाने वाली 16 किलोमीटर की फिल्में तथा तीसरे विश्व की महत्वपूर्ण फिल्में भी दिखाई गई थीं। समारोह में विदेशों की लगभग 80 महत्वपूर्ण फिल्मी हस्तियों जिनमें फिल्म निर्माता कलाकार और फिल्म आलोचक शामिल थे, और फिल्म उद्योग के 900 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

अशोधित तेल का आयात

406. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1982 के लिए अशोधित तेल के सभी आयातों को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस वर्ष अशोधित तेल के उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री० पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) वर्ष 1982 के दौरान 10.51 मीट्रिक टन अशोधित तेल का आयात करने की व्यवस्थाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है। अशोधित तेल की 3.67 मीट्रिक टन और अधिक आयात करने की व्यवस्थाओं को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिए जाने की आशा है।

(ग) यह अनुमान है कि वर्ष 1982-83 के दौरान देशीय अशोधित तेल का उत्पादन लगभग 20 मिलियन मीट्रिक टन होगा।

अखबारी कागज के मूल्य में वृद्धि

407. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार अखबारी कागज के मूल्य बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्योरा क्या है और वृद्धि का क्या कारण है; और

(ग) औसतन आधार पर देश में अखबारी कागज की उत्पादन लागत क्या है और इसकी विदेशों से खरीद मूल्य क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं। इस प्रकार का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) देशी अखबारी कागज का मूल्य एक यूनिट का और समय-समय पर भिन्न-भिन्न होता है। इस समय नेपा मिल्स द्वारा तैयार किए जाने वाले अखबारी कागज का मूल्य लगभग 5,200 रुपए प्रति टन है। मानक आयातित अखबारी कागज की लागत बीमा भाड़ा सहित मूल्य 5,457 रुपए प्रति टन है।

फिल्मों में हिंसा और यौन के दृश्यों पर रोक लगाने के लिए कार्यवाही

408. **श्री माधव राय सिंधिया :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या नई दिल्ली में नारी रक्षा समिति का कोई प्रतिनिधि मंडल भारतीय फिल्मों में यौन और हिंसा के विरुद्ध विरोध प्रकट करने के लिए 27 दिसम्बर, 1981 को उनसे मिला था;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा उनके ध्यान में क्या-क्या विशेष मामले लाये गए और सुझाव दिये गए; और

(ग) फिल्मों में दिखाई जाने वाली यौन और हिंसा की वर्तमान प्रवृत्ति के भारतीय युवकों पर पड़ने वाले हानिकर प्रभावों पर रोक लगाने के लिए क्या विशेष कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) दिनांक 27-12-81 का एक ज्ञापन नारी रक्षा समिति से प्राप्त हुआ था जिसमें यह कहा गया है कि फिल्मों में सैक्स और हिंसा के दृश्य दिखाने के रुझान से भारतीय युवकों पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है और उसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं :

(i) फिल्म सेंसर बोर्ड तथा आकाशवाणी और दूरदर्शन की समितियों में ऐसे सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों के प्रतिनिधि होने चाहिएं जिनका भारतीय संस्कृति के मूल्यों और परम्परा में विश्वास हो;

(2) स्त्रियों के अश्लील पोस्टरों के प्रदर्शन, अश्लील साहित्य की बिक्री, ब्ल्यू फिल्मों के प्रदर्शन तथा लोगों में कैबरे नृत्यों के प्रदर्शन पर रोक लगाई जानी चाहिए;

(3) शिक्षण संस्थानों के निकट मदिरा की दुकानों और अश्लील साहित्य कार्नरों को जब्त कर लिया जाना चाहिए;

(4) आकाशवाणी और दूरदर्शन से परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रस्तुत करने का वर्तमान तरीका आपत्तिजनक है और इसलिए उसको बेहतर बनाने के लिए इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए;

(5) दूरदर्शन पर "हायर इज लूसी, आदि के बजाय भारतीय नाटक और फिल्में टेलीकास्ट की जानी चाहिए ताकि भारतीय संस्कृति और परम्परा के विस्तृत मूल्यों को ताजा किया जा सके; और

(6) शिक्षाप्रद फिल्मों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

2. ज्ञापन में निहित बातों को उपयुक्त कार्यवाही हेतु राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों, गृह मंत्रालय, केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड, आकाशवाणी महानिदेशालय और दूरदर्शन महानिदेशालय के ध्यान में ला दिया गया है।

3. सभी फिल्में चलचित्र अधिनियम, 1952 के उपबन्धों और उनके अन्तर्गत जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा जांची जाती हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार प्रमाणीकरण के लिए फिल्मों की जांच करते समय बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि हिंसा जैसी समाज विरोधी क्रियाएं उत्कृष्ट या न्यायोचित न ठहरायी जाएं, अपराधियों या अन्य दृश्यों या शब्दों की ऐसी कार्यप्रणाली, जिससे किसी अपराध का करना उद्दीप्त होने की संभावना हो, चित्रित न की जाए, हिंसा, क्रूरता और ओंतक के निरर्थक या वर्जनीय दृश्य न दिखाए जाएं ऐसे दृश्य न दिखाए जाएं, जो मदिरापन का औचित्य ठहराते हों या उसकी स्तुति करते हों, और अशिष्टता और अश्लीलता भ्रष्टता द्वारा मानविक संवेदनशीलता क्षुब्ध न की जाए। इसके अतिरिक्त, जिन फिल्मों कोउनको केवल अवयस्कों के लिए प्रदर्शन के लिए अनुपयुक्त समझा जाता है, वयस्कों के लिए सीमित प्रदर्शन के लिए प्रमाणीकृत किया जाता है।

विभिन्न राज्यों में न्यासों का रजिस्ट्रीकरण

409. **श्री चित्त बसु** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी रजिस्ट्रीकृत न्यास कितने हैं और उनका आज तक (राज्यवार) प्राधिकृत धन-संग्रह कितना है;

(ख) इन न्यासों की धनराशियों का प्रबन्ध और उन पर नियंत्रण किस प्रकार किया जाता है;

(ग) क्या सरकार का विचार है कि इन निधियों पर सरकार का नियंत्रण बढ़ा दिया जाए;

(घ) यदि हां, तो किस ढंग से; और

(ड.) इस बारे में क्या विशेष कार्रवाई की गई है ?

विधी, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) प्राइवेट न्यास एक ऐसा न्यास है जो लोक न्यास नहीं है अर्थात एक ऐसा और न्यास है जो पूर्त प्रयोजन के लिए या लोक उद्देश्य के लिए नहीं होता है। ऐसे न्यासों को तभी रजिस्टर कराना आवश्यक है जब वे स्थावर सम्पत्ति के बारे में होते हैं और उनको घोषणा निर्वसीयता लिखत द्वारा की जाती है।

ऐसे न्यासों की संख्या तभी अनिश्चत की जा सकती है जब स्थावर सम्पत्ति से संबंधित सभी रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों की जांच करके यह पता लगाया जाएं कि उनमें क्या लिखा है किंतु यह कार्य व्यवहार्य नहीं है।

इसके अतिरिक्त प्राइवेट न्यासों से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे धन एकत्र करने के परियोन के लिए केन्द्रीय सरकार से प्राधिकार प्राप्त करें।

प्राइवेट न्यासों की, चाहे वे रजिस्ट्रीकृत हों या अन्यथा, अर्थिक व्यवस्था का प्रबन्ध और उन पर नियंत्रण जिस प्रकार किया जाता है वह पूर्णतः न्यासकर्ता, न्यासियों और हिताधिकरियों की जिम्मेदारी का काम है। सरकार का न तो इससे कोई संबंध है और न वह उन पर कोइ नियंत्रण रखती है।

(ग) से (ड.) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्वदेशी साधनों से तेल की उपलब्धता

410. **श्री चित बसु** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1984-85 भारत को तेल की वार्षिक आवश्यकताओं का लगभग 70 प्रतिशत तक स्वदेशी साधनों से उपलब्ध हो जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो देश की बढ़ी हुई मांगों के अनुरूप उपलब्धता बढ़ाने के लिए "प्रोसेसिंग" क्षमता को बढ़ाने हेतु अब तक क्या विशेष कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) यह आशा की जाती है कि वर्ष 1984-85 तक देशीय खनिज तेल 30 मिलियन मी० टन की दर से उत्पादित किया जाएगा और जिससे प्रायोजित मांग का 70% तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(ख) देश में शोधनशालाओं की वर्तमान परिशोधन क्षमता 31.80 एम० टी० पी० ए० है। 6 एम० टी० पी० ए० वाली मथुरा शोधनशाला को चालू करने के साथ यह क्षमता बढ़कर 37.80 एम० टी० पी० ए० की हो जाएगी।

वर्ष 1984-85 तक निम्नलिखित प्रायोजनाओं के कार्यान्वित होने के साथ परिशोधन क्षमता खनिज तेल उत्पादन के रूप में और बढ़कर 7.75 एम० टी० पी० ए० की हो जाएगी :

(1) सम्बद्ध सुविधाओं सहित कोचीन शोधनशाला में 1.2 मिलियन मी० टन की तरल केटेलाइटिक क्रेकिंग संयंत्र के साथ 1.2 मिलियन मी० टन प्रतिवर्ष का विस्तार।

(2) भारत पेट्रोलियम शोधनशाला, बम्बई में 0·6 एम० टी० ए० की तरल केटेलाइटिक क्रेकिंग यूनिट और सम्बद्ध सुविधाओं सहित 70.75 मिलियन मी० टन प्रतिवर्ष से विस्तार (जिससे 6 एम० टी० ए० की परिशोधन क्षमता प्रदान की जा सकेगी)।

(3) मद्रास शोधनशाला में 0.6 एम० टी० ए० तरल केटेलाइटिक क्रेकिंग यूनिट के साथ 2.8 मिलियन मी० टन प्रतिवर्ष का विस्तार जिससे 5.8 एम० टी० ए० की परिशोधन क्षमता प्राप्त हो सकेगी।

(4) एच० पी० सी० एल० की विशाखापट्टनम शोधनशाला में 0.6 एम० टी० ए० की तरल केटेलाइटिक क्रेकिंग क्षमता और सम्बन्धित सुविधाओं के साथ 3.0 एम० टी० ए० का विस्तार। जिससे 4.5 एम० टी० पी० ए० एक स्थिर परिशोधन क्षमता प्राप्त हो सकेगी।

विद्युत कार्यक्रम के लिए 30 करोड़ डालर के ऋण के लिए विश्व बैंक की शर्तें

411. **श्री चित्त बसु** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने देश में विद्युत कार्यक्रम के लिए 30 करोड़ डालर के ऋण पर अन्तिम मंजूरी देने के लिए कुछ शर्तें लगाई हैं;

(ख) यदि हां, तो शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) ग्राम विद्युतीकरण के तीसरे ऋण के लिए 300 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण की स्वीकृति हेतु विश्व बैंक, भारत सरकार के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। समय-समय पर भारत का दौरा करने वाले विभिन्न मिशनों ने इस ऋण के बारे में आकलन किया है। इस ऋण को देने के लिए विश्व बैंक ने पात्रता सम्बन्धी मानदण्डों में निम्नानुसार संशोधन किया है :

(1) राज्य बिजली बोर्डों के लिए यह आवश्यक है कि इस ऋण के पात्र बनने के लिए वे उस वर्ष के विद्युत कार्यक्रम के 20-25% तक का भाग अपने आन्तरिक साधनों से जुटाएं।

(2) राज्य बिजली बोर्डों को ग्राम विद्युतीकरण से होने वाली हानियों की पूर्ण रूप से पूर्ति राज्य सरकारों द्वारा की जाए।

(3) राज्य बिजली बोर्डों को अपने राज्य बिजली बोर्डों में "वाणिज्यिक लेखा पद्धति" अपनानी चाहिए।

(ग) भारत सरकार, विभिन्न शर्तों की जांच राज्य सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों के साथ परामर्श करके कर रही है। इस मामले में अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

रंगीन टेलीविजन आरम्भ करना

412. **श्री डी० पी० जदेजा :**

श्री एस० एम० कृष्ण :

श्री मगनभाई बरोट :

क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रंगीन टेलीविजन आरम्भ करने के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) क्या कुछ विदेशों के साथ रंगीन टेलीविजन के प्रसारण के सम्बन्ध में भारतीय तकनीशियों के प्रशिक्षण हेतु कोई करार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) सरकार द्वारा गठित अन्तर विभागीय कार्य दल ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट की संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से जांच की जा रही है।

(ख) और (ग) भारतीय तकनीशियनों को विशिष्ट रूप से रंगीन टेलीविजन के प्रेषण के बारे में प्रशिक्षण देने के लिए किसी भी विदेश के साथ कोई करार नहीं किया गया है।

कावेरी बेसिन में तेल और गैस

413. **श्री एस० एम० कृष्ण : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कावेरी बेसिन में खोदे गये कुछ कुओं में तेल और गैस मिली है; और

(ख) यदि हां, तो इन कुओं की वाणिज्यिक लाभप्रदता क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी हां, पाक जलडमरूमध्य में।

(ख) दूसरे कूप की खुदाई की जा रही है। खोज की वाणिज्यिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए और अधिक कूपों की खुदाई की जानी होगी।

विभिन्न राज्यों की मतदाता सूचियों में नामों का न होना

414. **श्री एम० एम० कृष्ण** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान समाचार-पत्रों में प्रकाशित उन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि कुछ राज्यों की मतदाता सूचियों में हजारों नाम नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्य कौन से हैं और इस मामले में उनकी क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इन सूचियों को अद्यतन बनाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है

विधी, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) संविधान के अनुच्छेद 324 में यह उपबंध है कि निर्वाचक नामावली तैयार कराने के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग में निहित है। निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि वह निर्वाचन नामावलियों में त्रुटियों के बारे में समाचार-पत्रों की खबरों के आधार पर तब तक कोई कार्रवाई नहीं करता है जब तक कि निर्वाचन आयोग या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के पास निर्वादिष्ट शिकायतें दाखिल नहीं की जाती हैं। एक विवरण संग्लन है जिसमें शिकायत दाखिल करने और विभिन्न राज्यों और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण के बारे में की गई कार्रवाई की बावत निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई जानकारी का उल्लेख किया गया है।

विभिन्न राज्यों में दाखिल की गई शिकायतों और उनके संबंध में आयोग द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में विवरण

1 **केरल**—केवल एक शिकायत की गई थी जिसमें राज्य की निर्वाचक नामावलियों के व्यापक पुनरीक्षण की मांग की गई थी और यह अभिकथत किया गया था कि उसमें से बहुत बड़ी संख्या में नामों का लोप किया गया है। तथापि शिकायत निर्विदिष्ट नहीं थी।

2. **जम्मू-कश्मीर**—जम्मू क्षेत्र में दावे और आपेक्ष फाइल करने की अवधि को 16 फरवरी, से बढ़ाकर 28 फरवरी, 1982 कर दिया गया है। आयोग ने जम्मू क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों ग्रामों का विशेष सर्वेक्षण करने के लिए और तत्पश्चात निर्वाचक नामावलियों में त्रुटियों का सुधार करने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई के लिए विदेश जारी कर दिए हैं। कश्मीर क्षेत्र में 1982 में नामावलियों का पुनरीक्षण एक मार्च, 1982 से प्रारंभ होगा।

3. **हरियाणा**—मुख्य निर्वाचन आफिसर ने यह रिपोर्ट दी है कि बहुत बड़ी संख्या में दावे और आपेक्ष ऐसा करने के लिए अनुज्ञात अवधि के अन्त में फाइल किए गए थे। यह अवधि 16-1-82 थी। ऐसे दावों और आक्षेपों के निपटारे के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को समय देने की दृष्टि से आयोग ने अन्तिम प्रकाशन की तारीख 1-2-1982 से बढ़ाकर 1-3-1982 कर दी है।

4. **पश्चिमी बंगाल**—देश के शेष भाग के लिए अन्तिम निर्वाचक नामावलियों का प्रकाशन एक फरवरी, 1982 को होना था। व्यक्तियों द्वारा विहित प्ररूप में अनेक दावे और शिकायतें और ऐसी व्यापक शिकायतें जिनमें निर्वाचक नामावलियों में गंभीर अनियमितताओं के बारे में अभिकथन कियाथा, 16-1-1982 से पूर्व दाखिल कर दी गई थी जबकि ऐसी सभी शिकायतें दाखिल करने के लिए अन्तिम तारीख 16-1-82 थी। कलकत्ता में निर्वाचन अधिकारी के साथ 28-1-82 को हुए विचार विमर्श के पश्चात और पुनरीक्षण की प्रक्रिया संबंध में अभी तक हुई प्रगति को अभिनिश्चित करने के पश्चात, निर्वाचन आयोग के सचिव ने यह सिफारिश की कि सम्यक जांच के पश्चात दावों और आक्षेपों के निपटाए जाने की प्रक्रिया और उनके पुनरीक्षण के पश्चातवर्ती प्रक्रम 1-2-82 तक पूरे नहीं हो सकते। उनकी सिफारिश पर, आयोग ने अन्तिम प्रकाशन की तारीख बढ़ा दी है। राजनैतिक दलों के नेताओं द्वारा फाइल की गई व्यापक शिकायतों की जांच करने के लिए निर्वाचन आयोग के सचिव की अध्यक्षता में पश्चिमी बंगाल को भेजे गए अधिकारी दल की रिपोर्ट पर आयोग ने अब यह विनिश्चय किया है कि पुनरीक्षण की लंबित प्रक्रिया को पूरा करने के पश्चात निर्वाचन नामावलियों को एक मार्च, 1982 को प्रकाशित किया जाए।

5. **दिल्ली**-दिल्ली की बाबत लगभग 45 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। आयोग ने ऐसी सभी नई पुनर्वास बस्तियों का विशेष सर्वेक्षण करने के निदेश जारी किए हैं जिनके सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। आयोग ने 1 मार्च से लेकर 8 मार्च, 1982 तक दावे और आक्षेप फाइल करने की अवधि अनुज्ञात की है। अतः दिल्ली में निर्वाचन नामावलियों के अन्तिम प्रकाशन की तारीख 25-3-82 है।

अकाशवाणी (विशेषकर बंगलोर में) बच्चों के कार्यक्रम के लिए आवंटित समय

41. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी (विशेषकर बंगलोर में) बच्चों के कार्यक्रम के लिए कितना समय आवंटित किया गया है; और

(ख) क्या बच्चों के खेल-कूद कार्यक्रम के लिए अधिक समय देने और उन्हें अनुशासन सिखाने में सहायता देने के लिए कोई प्रबन्ध किया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) आकाशवाणी केन्द्रों में बच्चों के कार्यक्रम के लिए आवंटित कुल समय एक वर्ष में 45.1 घन्टे (लगभग) है।

अकाशवाणी, बंगलोर से बच्चों के कार्यक्रम सप्ताह में 30-30 मिनट की अवधि के लिए तीन बार निम्नानुसार प्रसारित किए जाते हैं :

(1) (क) तरुण वर्ग के बच्चों के लिए कन्नड़ में हर रविवार को प्रातः 10-05 बजे से प्रातः 10-35 बजे तक; और

(ख) अंग्रेजी में प्रातः 10-35 बजे से 11-05 बजे तक।

(2) बड़ी आयु के वर्ग के बच्चों के लिए कन्नड़ में हर शनिवार को दोपहर 1-30 बजे से दोपहर 2-00 बजे तक ।

आकाशवाणी बंगलौर में बच्चों के कार्यक्रम के लिए आवंटित कुल समय प्रति सप्ताह 90 मिनट है ।

(ख) जी हां, आकाशवाणी, केन्द्र बच्चों में खेल भावना भरने के लिए खेल-कूद पर कार्यक्रमों की श्रंखलाएं शामिल करते हैं और अनुशासन का मूल्य ग्रहण करने में उनकी सहायता भी करते हैं ।

रामागुंडम परियोजना के विस्तार के लिए विश्व बैंक ऋण

416. **श्री जी० नरसिंहा रेडी :**

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विश्व बैंक से आंध्र प्रदेश में रामागुंडम तापीय बिजलीघर को विस्तार योजना वित्त पोषित करने के लिए 30 करोड़ डालर का ऋण देने के लिए कहा था;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में विश्व बैंक की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि विस्तार योजना पर जिसमे 50 मेगावाट के तीन यूनिटों की अधिष्ठापना सम्बन्ध है, विश्व बैंक से प्रस्तावित सहायता की तुलना में अधिक लागत आएगी; और

(घ) यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत क्या होगी और बाकी धनराशि की व्यवस्था किस प्रकार की जाएगी और क्या इस बारे में सहायता देने के लिए कोई अन्य देश सहमत हो गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) रामागुण्डम सुपर ताप विद्युत केन्द्र में 3 × 500 मेगावाट की यूनिटों की प्रतिष्ठापना के लिए 300 मिलियन यू० एस० डालर की सहायता देने के लिए विश्व बैंक सहमत हो गया है ।

(ग) और (घ) विश्व बैंक की सहायता के अतिरिक्त, फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी तथा ओपेक में परियोजना के लिए अतिरिक्त, बाह्या सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है । बाह्या सहायता से परियोजना की समूची लागत के एक भाग की ही वित्त व्यवस्था होगी चूंकि यह परियोजना स्वीकृत योजना की ही एक परियोजना है और निर्माणाधीन है, इसको पूरा करने की समस्त लागत को पूरा करने के लिए योजना निधियां सुनिश्चित कर दी गई हैं ।

भारतीय फिल्मों में सैक्स और हिंसा

417. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :**

श्री वीरभद्र सिंह :

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :

क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा देखे जाने के बावजूद भारतीय फिल्मों में सैक्स और हिंसा में वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या यह सच है कि फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष (श्री एच० एन० मुखर्जी) द्वारा यह कहे जाने का समाचार है कि भारतीय फिल्मों के स्तर में गिरावट काफी अर्से पहले शुरू हो गई थी लेकिन बोर्ड को इसका हल करने के लिए उचित अधिकार नहीं दिये गये थे;

(ग) क्या उन्होंने यह भी कहा है कि प्रवर्तन अधिकारी "वयस्क" फिल्मों को देखने के लिये अवयस्कों को अनुमति देने के लिए पर्याप्त रोक नहीं लगाते हैं; और

(घ) भारतीय फिल्मों में दोनों सैक्स और हिंसा की बढ़ती हुई भूमिका की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए क्या ठोस कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (घ) फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष श्री हृषिकेश मुखर्जी ने फिल्मों में सैक्स और हिंसा के बारे में एक वक्तव्य दिया था। तथापि, उन्होंने यह नहीं कहा था कि भारतीय फिल्मों में सैक्स और हिंसा इस समय ही बढ़ रही है। वास्तव में सैक्स और हिंसा से युक्त फिल्मों में अचानक वृद्धि नहीं हुई है। फिल्म सेंसर बोर्ड चलचित्र अधिनियम, 1952 और इसके अन्तर्गत जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों की रोशनी में अपने कर्तव्यों का पालन करता रहा है। तथापि, पहले कभी बोर्ड फीचर फिल्मों के साथ कुछ नरम रहा था जिसके परिणामस्वरूप कुछ क्रमिक ह्रास हुआ। तथापि, सुधार करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। किन्तु यह सुधार रातों-रात नहीं हो सकता, क्योंकि भूतकाल में पास की गई कुछ फिल्मों का मिशाल के रूप में हवाला दिया जाता है। बोर्ड और सरकार इस बात के लिए बहुत उत्सुक हैं कि भारत में पर्दे पर सैक्स और हिंसा के आपत्तिजनक दृश्यों की अनुमति न हो। बोर्ड सैक्स और हिंसा का प्रदर्शन करने वाली फिल्मों या अनुक्रमों पर कड़ी सतर्कता बरतता है। वास्तव में 1981 के दौरान बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए 737 प्रमाण-पत्रों में से भारतीय फीचर फिल्मों को 202 "ए" प्रमाण पत्र प्रदान किए गए जो 27.4% है। इसकी तुलना में 1976 में प्रदान किये गये 507 प्रमाण पत्रों में से भारतीय फीचर फिल्मों को प्रदान किये गये 27 "ए" प्रमाण पत्रों से की जाती है (यह 5.3% है) श्री हृषिकेश मुखर्जी ने स्वयं कुछ ऐसे मामलों की जांच पड़ताल की ओर सैकड़ों बच्चों को "ए" प्रमाणपत्र वाली फिल्मों को देखते हुए पाया जिनको कानूनी तौर से इन फिल्मों को देखने की अनुमति नहीं है। उन्होंने इस कानून को सख्ती से प्रवत्त करने के लिए कहा। तथापि, इसका प्रवर्त्तन बोर्ड या केन्द्रीय सरकार के हाथ में नहीं है। प्रवर्त्तन प्राधिकारी राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन हैं।

मिट्टी के तेल के उत्पादन में कमी

418. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :**

श्री वीरभद्र सिंह :

श्री गुलाम रसूल कोचक :

क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1982 के दौरान देश में मिट्टी के तेल के उत्पादन और उसकी उपलब्धता में कमी होने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी होने की सम्भावना है;

(ग) उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) क्या मिट्टी के तेल का आयात करने के लिए भी साथ ही कदम उठाये जा रहे हैं ताकि इसकी कमी से खुदरा व्यापारियों द्वारा इसकी जमाखोरी न की जा सके ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (घ) 1982 के लिए मिट्टी के तेल की अनुमानित आवश्यकता 5.1 मि० मी० टन निश्चित की गई है जबकि अनुमानित उत्पादन 3.6 मि० मी० टन होने की सम्भावना है, इस प्रकार घाटा 1.5 मि० मी० टन का है। यह अन्तर मुख्यत: यू० एस० एस० आर० के साथ किये गये दीर्घावधिक करार के जरिए कुछ अन्यों स्रोतों से आयात करके भी पूरा किया जायेगा। कुछ विस्तार प्रस्ताव जो कि कुल 7.75 मि० मी० टन के हैं, कार्यान्वयनाधीन हैं। इनके पूरे हो जाने से भावी वर्षों में देश में मिट्टी के तेल की उपलब्धता काफी बढ़ जायेगी।

"इन्टरनेशनल ब्यूरो आफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन" द्वारा भारत को सहायता

419. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने जनवरी, 1981 में नई दिल्ली में "इन्टरनेशनल ब्यूरो आफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन" के महानिदेशक से बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की बातचीत हुई थी;

(ग) क्या इस वार्ता के परिणामस्वरूप "यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन" की भारत को दी जाने वाली सहायता में और वृद्धि की जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप किन क्षेत्रों की गतिविधियां लाभान्वित होंगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) विश्व डाक संघ के अन्तर्राष्ट्रीय ब्यूरो के महानिदेशक जनवरी, 1982 में भारत की एक सद्भावना यात्रा पर आए

थे। इस यात्रा के दौरान उन्होंने संचार मन्त्री से शिष्टाचार भेंट में डाक एवं दूरसंचार सेवाओं पर प्रौद्योगिकी प्रगति के प्रभाव तथा इन सेवाओं के परस्पर संबंधों के बारे में सामान्य रूप से विचार-विमर्श किया। विचार-विमर्श के दौरान किसी विशिष्ट भारतीय परियोजना पर चर्चा नहीं हुई।

दिल्ली में टेलीफोन के बारे में शिकायतें

421. **श्री मूलचद डागा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80 और 1980-81 में दिल्ली में जनता से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई थीं और प्रति 100 टेलीफोनों पर खराबी के कितने मामले थे; और

(ख) विभाग द्वारा क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं और क्या यह सच है कि दिल्ली में शिकायतों की संख्या और प्रति 100 टेलीफोनों की खराबी निर्धारित मानदंडों की तुलना में बहुत अधिक है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) दिल्ली टेलीफोन में प्रति 100 टेलीफोनों पर वर्ष 1979-80 के दौरान शिकायतों और दोषों की औसत संख्या प्रतिमास क्रमशः 66 और 38 थी। दिल्ली में प्रति 100 टेलीफोनों पर वर्ष 1980-81 के दौरान शिकायतों और दोषों की औसत संख्या क्रमशः 67.7 और 40.8 थी।

(ख) प्रति 100 टेलीफोनों के लिए 1979-80 के दौरान शिकायतों और दोषों का लक्ष्य क्रमशः 55 और 35 था। शिकायतों एवं दोषों के लिए वर्ष 1980-81 का लक्ष्य क्रमशः 50.0 और 32.0 था। विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संगठन द्वारा यथासंभव प्रयास किये गये। लक्ष्यों को प्राप्त करने में भूमिगत केबिलों, उपभोक्ता फिटिंगों एवं यंत्रों के दोषों के कारण बाधा उत्पन्न हुई। इन समस्याओं के समाधान के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

दिल्ली में आटोमैटिक इलैक्ट्रानिक ट्रंक टेलीफोन केन्द्र की स्थापना

422. **श्री भीकूराम जैन :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में एक आटोमैटिक इलैक्ट्रानिक ट्रंक टेलीफोन केन्द्र स्थापित किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो इसकी संभावित क्षमता कितनी है;

(ग) क्या इस केन्द्र के लिए अपेक्षित सभी मशीनरी और उपकरण स्वदेशी होंगे;

(घ) यदि नहीं, तो इसकी लागत और आयात किये जाने वाले उपकरणों का अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रस्तावित आटोमैटिक टेलीफोन केन्द्र में कब तक काम करना शुरू करने की संभावना है और इस बारे में अन्य ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) 8000 लाइनें।

(ग) जी नहीं।

(घ) 2.513 करोड़ रुपये की लागत का एक्सचेंज उपस्कर जापान के मं० एन० ई० सी० द्वारा सप्लाई किया जा रहा है।

(ङ) 1983।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद

423. श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मन्त्रालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित उन पदों की संख्या कितनी है जिन्हें अभी भरा जाना है; और

(ख) रेडियो स्टेशनों में पृथक-पृथक अभी भरे जाने वाले ऐसे पदों की संख्या कितनी है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

संचार मन्त्रालय द्वारा किराये पर ली गई इमारतें

424. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में समग्र रूप में उनके मंत्रालय द्वारा कितनी इमारतें किराये पर ली गईं और तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है और नई इमारतों का निर्माण करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) देश में ऐसी कितनी इमारतें हैं जिनके बारे में उनके मंत्रालय के खिलाफ न्यायालयों में बेदखली के मामले हैं और इन इमारतों के ऐसे मालिकों की संख्या कितनी है जिन्हें सरकार द्वारा अभी किराया दिया जाना है और इसकी कितनी राशि बकाया है और क्या इस बारे में पूरा ब्यौरा सभा पटल पर रखा जायेगा ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

हिमाचल प्रदेश में डाकघर खोलना

425. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में कितने डाकघर खोले गये;

(ख) राज्य सरकार ने और कितने डाकघर खोलने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है और उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ग) क्या सरकार इसका पूरा ब्योरा सदन के सभा पटल पर रखेगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान हिमाचल प्रदेश में एक मुख्य डाकघर, 3 उप डाकघर तथा 111 विभागेतर शाखा डाकघर खोले गये। इनके अतिरिक्त पिछले दो वर्षों के दौरान विभागेतर शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर इन्हें विभागेतर उप डाकघर बनाया गया तथा 19 विभागेतर शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर इन्हें विभागीय उप डाकघर बनाया गया।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश में डाकघर खोलने हेतु 20 प्रस्ताव भेजे हैं। इन प्रस्तावों को निम्नानुसार निपटाया गया है :

(1) औचित्य प्राप्त ऐसे प्रस्ताव जहां डाकघर खोल दिये गये	3
(2) औचित्य प्राप्त ऐसे प्रस्ताव जिन्हें मंजूरी दे दी गई है तथा जहां डाकघर शीघ्र ही खोल दिये जाने की आशा है	1
(3) ऐसे प्रस्ताव जिनका औचित्य नहीं सिद्ध हुआ	1
(4) ऐसे प्रस्ताव जो अभी विचाराधीन हैं	15

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान खोले गए डाकघरों के नाम विवरण-एक में दिए गए हैं। डाकघर खोलने हेतु राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्ताव तथा उन पर की गई कार्रवाई विवरण-दो में दी गई है।

विवरण एक

हिमाचल प्रदेश में पिछले दो वर्षों के दौरान खोले गए डाकघरों के ब्योरे :

1. हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में खोले गए मुख्य डाकघरों के नाम

1980-81 बरसार मुख्य डाकघर

2. खोले गए उप डाकघरों के नाम

1980-81
1. भाबानगर (किन्नौर जिला-शिमला डि०)

1981-82
1. नौनी (सोलन डिवीजन)
2. बाबेली (कुल्लू जिला-मंडी डिवीजन)

3. दर्जा बढ़ाकर विभागीय उप डाकघर बनाए गए डाकघरों के नाम

1980-81
1. जामनी (मंडी)
2. सातौन (सिरमुर)
3. ओचघाट (सोलन)

4. जुब्बर (सोलन)
5. मरही (मंडी)

1981-82

1. राजा का तालाब
2. बनखंडी
3. कटौला
4. दौब्बल
5. धामी
6. गरखल
7. फतेहपुर
8. दुहक
9. राजहून
10. लाडोरी
11. सवाना
12. लाहरू
13. नाभा एस्टेट
14. तकोली

4. दर्जा बढ़ाकर विभागेतर उप डाकघर बनाए गए विभागेतर शाखा डाकघरों के नाम

1980-81

1. राजोल (कांगड़ा)
2. रेहलू (वही)
3. द्रामन (वही)
4. धंदवाल (वही)
5. भाली (वही)
6. हरसार (वही)
7. खंदरौर (बिलासपुर)
8. चियोग (शिमला)
9. कुफरी (शिमला)
10. सारोल (चम्बा)
11. सुइनकली (ऊना)
12. कैथलीघाट (सोलन) शिमला डिवीजन

1981-82

शून्य

5. खोले गए विभागेतर शाखा डाकघरों के नाम

1980-81

1. थारू
2. घरशो
3. कान्ती मशुआ
4. राजैन
5. जोलाना
6. राजैना
7. तुन्नू हठ्ठी
8. ताइ सराल
9. सिधपुर सरकान
10. बौरागरली
11. कुनेरह
12. भोनका
13. कोट
14. धो
15. पिओकर
16. नेहरा
17. खुन्दैल
18. सुनेत
19. भिओल
20. ब्रेहन
21. खलवाहन
22. मंदास
23. बेरी
24. रिरकमार
25. दैन
26. अमरेरा धिराज
27. समदोड
28. खारोती
29. सुचिन
30. चरारा
31. शारी
32. उलानसा
33. टिकरी कुथीबाई
34. नागनी
35. जाजैली
36. कूंर
37. एल
38. धावास
39. देहरग्राम
40. धारन
41. दारू दरिआ
42. पड्डार
43. बिस्थलिज
44. देहरा
45. शुन-उदीन
46. कुमार
47. दारेकर
48. बारेही
49. मजहान
50. मल्लानु
51. माडेल्ला
52. गुरवार
53. साहली
54. राई

	55. कुथेरना	56. कान्देवारा
	57. भीनाद	58. गावास
	59. समौली	60. कौना
	61. उतीप	62. मानसिम्बल
	63. धानजी	64. कोठी
	65. मादोली	66. नकरोड
	67. कालोद	68. लाओजा
	69. माटला	70. पानार
	71. बालो कोठी	72. तंदोलखास
	73. जागोठी	74. संधानी
	75. रामेहद	76. धारली मानपुर
	77. कोथोग	78. जुंगास
	79. धारविव	
1981-82	1. कांडा बारनोह	2. जाहू
	3. गेहान	4. किआरवी
	5. जोखर	6. पाकन
	7. ककवैन	8. बालह-उलताप
	9. जखौल	10. दुंघेवनी
	11. बावेहर	12. कोथलू ब्राह्मण
	13. भारती	14. कोटरी-बियास
	15. क्नोकन	16. जाराग
	17. नाना	18. हरनोरा
	19. थेहार	20. बघोनी-घाट
	21. सूरजपुर	22. साइंज
	23. चारंग	24. शारिअन
	25. नहालना	26. लिल्ली
	27. धांखर	28. कुलेथ
	29. सियूरा	30. देमुल
	31. रतवारी	32. सुआइन सरहार

विवरण-दो

हिमाचल प्रदेश में नये डाकघर खोलने हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित मामले

प्रस्तावित डाकघरों के नाम	की गई कार्रवाई तथा मौजूदा स्थिति
1. नयाग्राम	प्रस्ताव विचाराधीन है।
2. प्रांघला	—वही—
3. टुंडाह	—वही—
4. ग्रीमा	डाकघर खोलने हेतु मंजूरी दे दी गई है तथा शीघ्र ही खोल दिया जाएगा।
5. सिवरा	दिनांक 21-11-81 को डाकघर खोल दिया गया।
6. कुलेठ	दिनांक 23-11-81 को डाकघर खोल दिया गया।
7. कन्ना	मंडी के डाकघर अधीक्षक से रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
8. खाडच	—वही—
9. मोनी	—वही—
10. कुईर	—वही—
11. शानी	—वही—
12. थाच	—वही—
13. दारनू	डाकघर अधीक्षक धर्मशाला से रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
14. हरनोरा	दिनांक 8-12-81 को डाकघर खोल दिया गया है।
15. हरलोग	प्रस्ताव विचाराधीन है।
16. प्वांटला/खड्डेच	विभागीय मानदंडों के अनुसार डाकघर खोलने का औचित्य नहीं बनता।
17. कांडा	डाकघर अधीक्षक मंडी से रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
18. रायमू	—वही—
19. मोइन	—वही—
20. परभाग	—वही—

हिमाचल प्रदेश में एक दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना करना

426. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में एक दूरदर्शन केन्द्र की स्थापता कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ख) इस बारे में अब तक की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) हिमाचल प्रदेश में कसौली में दूरदर्शन रिले केन्द्र के 1984-85 तक चालू हो जाने की उम्मीद है।

(ख) परियोजना मंजूर हो गई है। इसके लिये चुने गये तीन प्लाटों में से एक प्लाट कब्जे में ले लिया गया है।

टेलीफोन बिलों की बकाया धनराशि

427. **श्री के० राममूर्ति** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी बकाया राशि बट्टे खाते में डाली गई;

(ख) टेलीफोन बिलों की बढ़ती हुई बकाया राशि वसूल करने के लिए बनाए गए नये मार्गदर्शी सिद्धांतों का ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली में कार्य कर रहे टेलोफोन इंजीनियरों के बड़े पैमाने पर अन्तर्राज्जीय स्थानांतरण से, जिसे अब कार्यान्वित किया जा रहा है, टेलीफोन बिलों की बकाया राशि कम होगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) विभाग में कोई जोन नहीं है। पहली जुलाई को वित्तीय वर्ष 78-79, 79-80 और 80-81 के सम्बन्ध में प्रत्येक दूरसंचार सर्किल/टेलीफोन जिले के लिए टेलीफोन राजस्व की बकाया रकम के आंकड़े तथा उसी अवधि के दौरान बट्टे खाते डाली गई कुल रकम विवरण में दी जा रही है।

(ख) टेलीफोन की बकाया राशि की वसूली करने के लिए विभाग के पास जो उपलब्ध पद्धतियां हैं—भुगतान न करने पर टेलीफोन काट देना, बकाया का भुगतान करने के लिए उपभोक्ता को राजी करना, जिसमें भुगतान में विलम्ब करने या भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं से जमानत की रकम जमा कराने के लिए व्यक्तिगत सम्पर्क को शामिल है, तथा जहां सम्भव और आवश्यकता है कानूनी कार्रवाई करना, इन उपायों पर अपेक्षाकृत अधिक जोर दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो विभागीय कर्मचारी पुराने बकाया की रकम वसूल करने के लिए सहायता करते हैं उनके लिए एक प्रोत्साहन योजना भी मंजूर की गई है।

(ग) कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली में काम करने वाले टेलीफोन इन्जीनियरों का अन्तर्राज्जीय स्थानांतरण, जो प्रशासनिक कारणों से किया गया है, का टेलीफोन राजस्व की बकाया रकम वसूल करने से कोई सम्बन्ध नहीं है।

विवरण

गत 31 मार्च तक जारी किए गए बिलों के सम्बन्ध में 1 जुलाई को बकाया टेलीफोन राजस्व का विवरण

(हजार रुपयों में)

जिला	78-79 (1-7-79 को)	79-80 (1-7-80 को)	80-81 (1-7-81 को)	
दिल्ली	84,859	91,844	87,564	
कलकत्ता	20,987	26,469	28,578	
बम्बई	15,504	16,568	15,222	
मद्रास	3,811	3,758	4,041	
हैदराबाद	1,333	1,402	1,355	
बंगलौर	891	987	1,109	
अहमदाबाद	775	988	1,151	
पुणे	125	180	502	
कानपुर	1,538	1,957	1,324	
नागपुर	292	278	280	
पटना	601	944	1,126	
जयपुर	611	533	359	
कोयम्बतूर	173	147	178	
लखनऊ	1,408	1,574	2,830	
एर्नाकुलम	169	225	321	
इन्दौर	120	52	51	
अमृतसर	84	44	53	
सूरत	222	171	261	
लुधियाना	176	84	665	
चण्डीगढ़	352	373	559	
बड़ोदा	189	139	195	
त्रिवेन्द्रम	107	132	281	
राजकोट	22	42	61	
मदुरै	शून्य	143	132	इन यूनिटों का गठन 78-79 के बाद किया गया
जालंधर	—	337	177	
आगरा	—	584	1397	
गोहाटी	—	3450	2683	
विजयवाड़ा	—	—	186	

सर्किल	78-79 (1-1-79 को)	79-80 (1-7-80 को)	80-81 (1-7-81 को)
उत्तर पूर्वी	7857	3737	3655
आन्ध्र प्रदेश	505	676	728
बिहार	1328	1470	2789
मध्य प्रदेश	3058	2198	2287
महाराष्ट्र	954	772	652
गुजरात	377	409	544
जम्मू व कश्मीर	6979	7266	6824
केरल	215	230	210
तमिलनाडु	673	555	570
कर्नाटक	309	260	387
उड़ीसा	2149	1681	1982
उत्तर पश्चिमी	903	510	795
राजस्थान	149	165	197
उत्तर प्रदेश	3723	3356	4483
पश्चिम बंगाल	5696	5041	5417
कुल योग	169188	181733	184161

बट्टे खाते डाली गई टेलीफोन राजस्व बकाया की राशि को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	राशि (लाख रुपयों में)
78-79	17.05
79-80	19.29
80-81	23.90

दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रसारण में माइक्रोवेव सम्पर्क

428. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश में दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रसारण को माइक्रोवेव सम्पर्क से जोड़ने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) इसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) दिल्ली, बम्बई, बंगलोर, मद्रास और मसूरी के मौजूदा दूरदर्शन केन्द्र पहले ही माइक्रोवेव लिंक से जुड़े हुए हैं। लखनऊ, कानपुर, श्रीनगर, जलंधर, कलकत्ता और पुणे को वर्ष 1982 के दौरान जोड़ दिया जाएगा।

छठी योजना के अन्तर्गत दूरदर्शन रिले केन्द्रों अर्थात् वाराणसी, आसनसोल, मुर्शिदाबाद, मदुरै, जयपुर, पणजी तथा विजयवाड़ा को भी जोड़ने का प्रस्ताव है।

माइक्रोवेव मार्गों पर दूरदर्शन रिले केन्द्रों की स्थापना के लिए भावी योजना तैयार कर ली गई है। तथापि, इसका कार्यान्वयन संसाधनों की उपलब्धता और देश में दूरदर्शन के विस्तार के लिए दी जाने वाली प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। योजना में इस प्रकार के 49 केन्द्रों को चुना गया है।

ऊर्जा नीति पर प्रसाद समिति की सिफारिशों के बारे में निर्णय

429. **श्री मगन भाई बरोट** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऊर्जा नीति पर प्रसाद समिति की विभिन्न सिफारिशों पर कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) समिति की बाकी सिफारिशों पर सरकार द्वारा अपने निर्णय को कब तक अन्तिम रूप दिए जाने की संभावना है; और

(घ) परम्परागत स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन की बढ़ती हुई लागत को देखते हुए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का पता लगाने और इसका विकास करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) ऊर्जा नीति सम्बन्धी प्रसाद समिति ने वर्ष 2000 तक की अवधि के लिए ऊर्जा की सम्भावित मांग का अनुमान लगाया है। ऊर्जा साधनों के इष्टतम विकास और समुपयोजन के सम्बन्ध में कुछ नीति सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धांत उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में सुझाए हैं।

(ग) छठी योजना में ऊर्जा विकास की कार्यनीति को अन्तिम रूप देने में, प्रसाद समिति द्वारा सिफारिश किये गये नीति सम्बन्धी मुख्य मार्गदर्शी सिद्धान्तों को मद्देनजर रखा गया है और ऊर्जा के विभिन्न क्षेत्रों के विकास की योजनाएं इसके अनुसार ही बनाई गई हैं।

उक्त समिति की सिफारिशों के अनुरूप, सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही ऊर्जा नीति की मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :

(1) ऊर्जा के घरेलू परम्परागत साधनों को—तेल, कोयला, जल विद्युत और न्यूक्लीय विद्युत को तेजी से काम में लाना ;

(2) तेल की मांग का प्रबन्ध;

(3) ऊर्जा संरक्षण;

(4) विशेष रूप से ग्रामीण जनता की ऊर्जा सम्बन्धी मांग को पूरा करने के लिए ऊर्जा के नवीकरण योग्य साधनों को काम में लाना यथा जलाऊ लकड़ी के लिए वनरोपण और गोबर-गैस; तथा

(5) ऊर्जा की नवविकसित प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास कार्य में तेजी लाना।

(घ) छठी योजना में गोबर-गैस तथा सामाजिक तौर पर वनरोपण के कार्यक्रम को गहन करने का प्रस्ताव है। सौर ऊर्जा तथा वायु ऊर्जा जैसे ऊर्जा के अन्य नए स्रोतों के क्षेत्र में सरकार और अधिक व्यापक अनुसंधान और विकास कार्यक्रम चला रही है तथा व्यापक तौर पर क्षेत्रीय प्रदर्शन कर रही है। ज्वारीय विद्युत उत्पादन की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए भी अन्वेषण और अध्ययन का एक कार्यक्रम स्वीकृत किया गया है। ऊर्जा की अन्य नवविकसित प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास को सघन किया जा रहा है। इस क्षेत्र में कार्यक्रमों की ओर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए सरकार ने, ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के लिए एक आयोग का गठन किया है।

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स द्वारा की गई अनियमितताएं

430. **श्री रामस्वरूप राम** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में सेन्ट्रल कोलफील्ड्स के विपणन (मार्केटिंग) डिवीजन द्वारा की गई अनियमितताओं के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन शिकायतों की जांच-पड़ताल की गई है; और

(ग) जांच-पड़ताल का क्या परिणाम रहा ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

न्यायालय फीस समाप्त करना

431. **श्री विजय कुमार यादव :**

श्री वी० एस० विजयराघवन :

श्री पीयूष तिरकी :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विधि आयोग ने न्यायालय फीस समाप्त करने की सिफारिश की है;

(ख) क्या सरकार की सिविल और दांडिक दोनों मामलों में न्यायालय फीस समाप्त करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ग) 1975 में विधि आयोग ने अपनी 54वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि कम खर्च पर न्याय सुलभ करने के लिए न्यायालय फीस समाप्त कर दी जाए या उसे कम कर दिया जाए। कोई भी ऐसी राज्य सरकार, जिसके साथ यह मामला उठाया गया था, मुख्य रूप से वित्तीय कठिनाई के कारण न्यायालय फीस को कम करने के लिए सहमत नहीं थी।

जून, 1980 में विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति ने विचारण न्यायालयों में न्यायालय फीस के मामले का पुनर्विलोकन करने के लिए और इस निमित्त सिफारिश करने के लिए एक उपसमिति का गठन किया। उप समिति ने न्यायालय फीस समाप्त करने की सिफारिश की परामर्शदात्री समिति ने तारीख 20 जुलाई, 1981 को हुई अपनी बैठक में इस सिफारिश का समर्थन कर दिया। राज्यों में उदगृहीत न्यायालय फीस एक ऐसा विषय है जो राज्य सूची के अन्तर्गत आता है और अनन्य रूप से राज्य सरकारों की अधिकारिता के भीतर आता है। अत: यह सिफारिश, उपसमिति की रिपोर्ट के साथ सभी राज्य सरकारों को उनके विचार के लिए भेज दी गई है।

कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की तकनीकी-आर्थिक सक्षमता के बारे में अध्ययन

432. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की तकनीकी-आर्थिक सक्षमता के बारे में कोई नया अध्ययन किया है;

(ख) क्या कोयले पर आधारित नये उर्वरक संयंत्रों की स्थापना पर पूरा अध्ययन करने के लिए कोई समिति नियुक्त की गई है;

(ग) क्या समिति ने उर्वरकों में कोयले के गैसीकरण के बारे में कोई सुझाव दिया है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोयले पर आधारित दोनों तालचेर और रामगुंडम उर्वरक संयंत्रों को अप्रत्याशित उपकरणों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इन संयंत्रों में यह बाधा दूर करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) कुछ उपकरण और संघटक बदले गये हैं। कच्ची गैस के पाइप और कूलरों को जंग और रुकावट से बचाने के लिए कोरोजिव नाइट्रस आक्साइड गैस दूर करने हेतु सुविधाएं प्रारम्भ की गई हैं। गैसीकरण खण्ड में वेस्ट हीट बायलरों और वायु पृथक्कीकरण यूनिट में रिजेनरेटरों में रिसावों को समाप्त करने के लिए मरम्मत प्राप्त की गई है। संयंत्र का पूर्ण सर्वेक्षण करने, कमियों का पता लगाने और उनका उपचार सुझाने हेतु एक तकनीकी अध्ययन दल नियुक्त किया गया है। आगामी कार्यवाही इसकी रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही की जा सकती है।

नई दिल्ली में "एल० पी० जी०" कनेक्शन के लिए पंजीकरण

433. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम और भारत गैस कम्पनी से "एल०पी०जी०" कनेक्शन प्राप्त करने के लिए नई दिल्ली में कुल कितने व्यक्तियों ने अपने नाम का पंजीकरण कराया है और कितने व्यक्ति प्रतीक्षा-सूची में हैं;

(ख) इस प्रतीक्षा-सूची में रह रहे इन व्यक्तियों को "एल० पी० जी०" कनेक्शन की शीघ्र सप्लाई कराने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास करने का विचार है; और

(ग) वर्ष 1982-83 में नई दिल्ली में कुल कितने व्यक्तियों को "एल० पी० जी०" कनेक्शन दिये जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) इण्डियन आयल कारपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० की प्रतीक्षा सूची में कुकिंग गैस (एल० पी० जी०) कनेक्शनों के लिए इस समय करीब 3,65,000 आवेदक हैं।

(ख) और (ग) देश में एल० पी० जी० की उपलब्धता बढ़ जाने से 1981-82 (नवम्बर तक) करीब 8 लाख नये एल० पी० जी० कनेक्शन दिये गये हैं। 1982-83 के दौरान 14 लाख उपभोक्ताओं के पंजीकरण किये जाने की योजना है। राज्य-वार ब्यौरे अभी निश्चित किये जाने हैं।

रंगीन दूरदर्शन

434. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में रंगीन दूरदर्शन ट्रांसमिशन प्रारम्भ करने के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे रंगीन दूरदर्शन ट्रांसमिशन को नई दिल्ली में कब शुरू किये जाने का विचार हैं है;

(ग) ऐसे अन्य शहरों के नाम क्या हैं जहां एक समय में ही ऐसे रंगीन दूरदर्शन ट्रांसमिशन स्थापित किये जाने का विचार है;

(घ) इस बारे में सरकार द्वारा किये गये निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) से (घ) देश में रंगीन दूरदर्शन चालू करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। वर्तमान निर्णय विदेशी प्रसारण संगठनों के लिए एशियाई खेलों का रंगीन कवरेज प्रेषित करने का है।

संसद सदस्यों की सिफारिश पर "एल० पी० जी०" कनेक्शन दिया जाना

435. श्री इब्राहीम सुलेमान सेट :

श्री रेशमा मोतीराम भोपे :

श्री राजेश कुमार सिंह :

श्री जी० एम० बनतवाला :

श्री चिरन्जीलाल शर्मा :

श्री रामविलास पासवान :

क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980 से 1982 के वर्षों और 1-1-82 से 31-1-82 के दौरान डाक्टरी आधार पर प्रत्येक संसद सदस्य द्वारा 'एल० पी० जी०" कनेक्शन के लिए कुल कितने आवेदन-पत्र सिफारिश किए गये;

(ख) क्या ये सभी सिफारिशें सरकार द्वारा मान ली गई हैं;

(ग) यदि नहीं, तो प्रत्येक संसद सदस्य की कितनी सिफारिशें मानी गई;

(घ) भेदभाव के क्या कारण हैं; और

(ङ) ये सभी सिफारिशें किस तारीख तक मान ली जायेंगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) अक्तूबर 1980 से जनवरी, 1982 तक संसद सदस्यों द्वारा सिफारिश किये गये खाना पकाने की गैस (एल० पी० जी०) के 7500 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें 6410 मामलों में एल० पी० जी०

कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं। प्रत्येक संसद सदस्य द्वारा सिफारिश किये गये आवेदन-पत्रों के ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त मामलों में एल० पी० जी० कनेक्शनों को जारी करने में कोई विषमता नहीं है। बकाया लम्बित पड़े आवेदन-पत्रों का निपटारा गुणावगुण के आधार पर शीघ्र ही किया जाएगा।

तलचेर उर्वरक संयंत्र की क्षमता उपयोग में बाधा

436. **श्री एस० ए० दोराई** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की खराब किस्म के कारण तलचेर उर्वरक एकक की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है, और

(ख) अच्छे किस्म के कोयले की सप्लाई करके इस एकक में अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तालचर संयंत्र अनेक कारणों, कोयले की घाटिया किस्म जिनमें से एक है, से पूर्ण क्षमता उपयोग प्राप्त करने में समर्थ नहीं है।

(ख) कम्पनी द्वारा इस मामले को कोयले के सप्लाईकर्ता मै० सेंट्रल कोलरीज लि० के साथ उठाया गया है। उर्वरक संयंत्रों को सप्लाई किए जाने वाले कोयले की किस्म में सुधार करने के लिए एक लाभप्रदता संयंत्र की स्थापना करने की सम्भावना का पता लगाया जा रहा है।

रंगीन टेलीविजन में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु विदेशों को भेजे गए कार्मिक

437. **श्री जगपाल सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ कार्मिकों को, रंगीन टेलीविजन में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कुछ अन्य देशों को भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन देशों के नाम क्या है जहां इन व्यक्तियों को प्रशिक्षण हेतु भेजा गया है, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति पर अनुमानत: कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है और प्रशिक्षण हेतु इन व्यक्तियों का चयन किस तरीके से किया गया था ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें व्यक्तियों के नाम और उन देशों के नाम जिनकी उन्होंने यात्रा की तथा इस सम्बन्ध में हुआ व्यय दिया गया है। इन व्यक्तियों को विदेशों में रंगीन टेलीविजन सेमिनार और एशियाई खेल, 1982 के रंगीन टेलीविजन कवरेज सम्बन्धी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिये भेजा गया था। व्यक्तियों का चयन वरीयता व योग्यता, अर्हताओं, अनुभव और क्षेत्र में विशेषतया और

संगठन के लाभ के लाभ के लिये प्रशिक्षण के भावी उपयोग के आधार पर किया गया था। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3357/82]

कच्चे तेल की सप्लाई के लिए शिष्ट मण्डल की सोवियत रूस की यात्रा

438. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि एक शिष्टमण्डल ने वर्ष 1982 में कच्चे तेल की सप्लाई हेतु विचार-विमर्श करने के लिए सोवियत रूस की यात्रा हाल ही में की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस विचार-विमर्श के क्या परिणाम रहे।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) वर्ष 1982 के दौरान सोवियत रूस के मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पादों के आयात को अन्तिम रूप दिये जाने के लिए इण्डियन आयल कारपोरेशन के एक शिष्टमंडल ने सोवियत रूस का दिसम्बर, 1981 के दौरा किया था। जबकि सोवियत रूस से खनिज तेल के आयात के प्रश्न पर भी विचार-विमर्श किया गया था, खनिज तेल के ठेके को अन्तिम रूप देने के लिए एक दूसरा शिष्ट-मंडल सोवियत रूस शीघ्र ही जाने वाला है।

दिल्ली में टेलीफोन के बिल बढ़ाकर दिया जाना

439. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि टेलीफोन नियमों के अन्तर्गत उचित से अधिक राशि के बिलों (एक्सेस मीटर रीडिंग) के मामलों पर नवीनतम तीन बिलों के संदर्भ में पुनर्विचार किया जा सकता है, ताकि सही और उचित निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में खासतौर पर दिल्ली छावनी क्षेत्र के संदर्भ में टेलीफोन प्रयोक्ताओं के ऐसे कितने मामले सामने आए जहां बिल उचित राशि से अधिक के दिए गए थे; और

(ग) उनके बिलों का निपटान करने के लिए क्या कदम उठाए गए; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं। किसी उपभोक्ता, जो अपने बिलों के बारे में प्रतिवाद करता है, वे केवल पिछले 5 बिलों की तुलना द्वारा किसी निष्कर्ष पर पहुँच पाना सम्भव नहीं है। शिकायत पर उसके पूर्ववर्ती और परवर्ती कालिंग पैटर्न सहित विविध दृष्टिकोणों से विचार किया जाना होता है।

(ख) और (ग) 1980-81 के दौरान दिल्ली कैंट एक्सचेन्ज के उपभोक्ताओं से प्राप्त अधिक बिलिंग की शिकायतों का संख्या 173 थी और उसमें दिल्ली टेलीफोन जिले हेतु यह संख्या 12,627 थी। दिल्ली कैंट एक्सचेन्ज के 173 मामलों में से 157 मामलों की जांच की गई और

उनको अन्तिम रूप से निपटा दिया गया है । 31 मामलों में छूट दी गई और शेष मामलों में किसी भी प्रकार की छूट देने का औचित्य नहीं पाया गया । शेष 16 मामलों की जांच की जा रही है ।

डा० अम्बेडकर पर फिल्म

440. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का किसी फिल्म कम्पनी से डा० अम्बेडकर के जीवन के सम्बन्ध में एक फिल्म बनाने का कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस कम्पनी को वित्तीय तथा अन्य तरीके से सहायता करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि, फिल्म प्रभाग ने हाल ही में अपनी मर्जी से डा० अम्बेडकर पर एक डाकुमैंट्री फिल्म बनाई है । यह फिल्म 16-10-81 को रिलीज हो चुकी है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

'डेसू बोसेज ब्लेमड फार पुअर परफार्मेन्स' शीर्षक से समाचार

441. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 जनवरी, 1982 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में ("डेसू 'बोसेज' ब्लेमड फार पुअर परफार्मेन्स") शीर्षक से प्रकाशित उस समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है; जिनमें विशेष रूप से निम्न बातों का उल्लेख किया गया है;

(एक) एक उत्पादकता वर्ष में गैर तकनीकी अधिकारियों द्वारा 'डेसू' को ऋणात्मक विकास की राह पर ले जाना;

(दो) एक अतिरिक्त महाप्रबन्धक (ई) का पद बनाना और उस पद पर नियुक्त किए गए अधिकारी को प्रशासी और वित्तीय शक्तियां न दिया जाना;

(तीन) सीनियर इन्जीनियरिंग संवर्ग के नौ पदों में से पांच स्थानों को रिक्त रखना;

(चार) इन्जीनियरों को, उनकी लम्ब समय से लम्बित समस्याओं का निपटान न करके हतोत्साहित करना;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; खासतौर पर इस बात का संकेत दिया जाए कि पूर्णकालिक महाप्रबन्धक कब तक नियुक्त किए जाने की संभावना है और 'डेसू' के कार्यकरण में सुधार के लिए क्या कार्यवाही की गई है जिसने जनवरी मास में जबकि ठंड बहुत अधिक थी; बिजली की सप्लाई में कटौती की थी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अतिरिक्त महाप्रबन्धक (तकनीकी) को प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियां सौंपी गई है। जहां तक पदों को भरने का प्रश्न है, वरिष्ठ पद, भर्ती नियमों के अनुसार भरे जाते हैं। तथापि, एक कार्यकारी इन्जीनियर ने अपने से कनिष्ठ किसी भी व्यक्ति को कार्यकारी इन्जीनियर चयन ग्रेड के पद पर नियुक्त किए जाने के विरुद्ध, विधि न्यायालय से स्थगन आदेश ले लिया है। उससे वरिष्ठ जिन अधिकारियों का स्वीकृति विभागीय प्रोन्नति समिति ने दी थी उन सभी को चयन ग्रेड दिया गया था परन्तु उससे कनिष्ठ अधिकारियों के बारे में आगे कार्रवाई स्थगन आदेश हट जाने के पश्चात् ही की जा सकती है। अधिकारियों के वेतन-मानों में संशोधन किए जाने के बारे में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के प्रस्तावों पर भारत सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की सभी यूनिटों से विद्युत सप्लाई की विश्वसनीयता में तथा उनके समग्र कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए सभी प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं। इसके बावजूद कि दिल्ली में ऊर्जा की समग्र उपलब्धता में सुधार हुआ है, जनवरी, 1982 में 4 बार लोड शैडिंगकी गई। दो बार तो इन्द्रप्रस्थ तथा बदरपुर में कम उत्पादन होने के कारण लोड शैडिंग करना आवश्यक हो गया था। शेष दो अवसरों पर उत्तरी ग्रिड में प्रणाली सम्बन्धी बाधाओं के कारण लोड शैडिंग करना आवश्यक हो गया था।

दिल्ली नगर निगम के आयुक्त 6 जून, 1980 से अपनी ड्यूटी के साथ-साथ दिल्ली, विद्युत प्रदाय संस्थान के महाप्रबन्धक का कार्य भी देख रहे हैं। इस पद के लिए एक उपयुक्त अधिकारी का चयन करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

डा० अम्बेडकर के जीवन पर फिल्म

442. श्री हरीश कुमार गंगवार : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय नेताओं पर, डा० अम्बेडकर सहित, फिल्में बनायी गई हैं; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने डा० अम्बेडकर के जीवन पर फिल्म बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी हां। एक विवरण संलग्न है जिसमें राष्ट्रीय नेताओं (डा० अम्बेडकर सहित) पर बनाई गई डाकुमेंट्री फिल्मों का ब्यौरा दिया हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

फिल्म प्रभाग से अब तक निम्नलिखित राष्ट्रीय नेताओं (डा० बाबा साहेब अम्बेडकर सहित) पर डाकुमेंट्री फिल्में बनाई हैं :

1. महात्मा गांधी
2. पंडित जवाहरलाल नेहरू
3. देशबन्धु चितरंजन दास
4. डा० जाकिर हुसैन
5. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस
6. लाल बहादुर शास्त्री
7. लाला लाजपत राय
8. लोकमान्य तिलक
9. सरदार पटेल
10. सर्वपल्ली राधाकृष्णन
11. जयप्रकाश नारायण
12. सी० राजगोपालचारी
13. डा० राजेन्द्र प्रसाद
14. आचार्य कृपलानी
15. विनोबा भावे
16. डा० बाबासाहेब अम्बेडकर
17. डा० बी० सी० राय
18. सेनापति बापत
19. भगत सिंह
20. बागा जतिन
21. फखरूद्दीन अली अहमद
22. ईश्वरचन्द्र विद्यासागर
23. इंदिरा गांधी
24. सरोजनी नायडू
25. नबाब अली यावर जंग
26. संजय गांधी

जर्मन संघीय गणराज्य द्वारा "ड्रिलशिप" वित्त के लिए वित्त पोषण

443. **श्री रेणुपद दास :**
श्री अजय विश्वास :

क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जर्मन संघीय गणराज्य, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के लिए एक "ड्रिलशिप" हेतु वित्तपोषण करने के लिए सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी, नहीं । तथापि जर्मन संघीय गणराज्य की क्रेडिटेंस्टाल्ट फार विड्रोफ को (के० एफ० डब्ल्यू) नामक एक निर्यात क्रेडिट एजेन्सी ने ओ० एन० जी० सी० के साथ ओ० एन० जी० सी० के लिए एक ब्यधन पोत की निर्माण लागत के कुछ भाग को वित्तीय सहायता देने के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं ।

(ख) क्रेडिटेंस्टाल्ट फार विड्रोफ में (के० एल० डब्ल्यू०) इस प्रयोजन के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को 50 मिलियन डी० एम० का ऋण $5\frac{3}{8}\%$ की ब्याज की वार्षिक दर पर तैयार हो गये हैं । इस धन राशि का 3 वर्ष की माफी-अवधि को शामिल करके 15 वर्ष की अवधि में भुगतान किया जायेगा ।

ग्वालियर में टेलीफोन केन्द्रों का विकास

444. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्वालियर राजस्व मंडल (अर्थात् ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना और दतिया जिलों) के विभिन्न टेलीफोन केन्द्रों में किस प्रकार की मशीनें लगाई गई हैं;

(ख) क्या उनमें से अधिकांश मशीनें पुरानी किस्म की और अच्छा कार्य करने की स्थिति में नहीं हैं और सम्बद्ध स्थानों की मांगों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं;

(ग) मशीनों के ब्यौरे, गत एक वर्ष के दौरान उनके खराब होने, उनकी क्षमता कनेक्शन की मांग के सम्बन्ध में केन्द्रवार जानकारी क्या है; और

(घ) आगामी दो वर्षों के लिए विद्यमान तथा नये दोनों प्रकार टेलीफोन केन्द्रों के भावी विकास की योजना क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) ग्वालियर राजस्व मंडल के एक्सचेन्जों में कार्य कर रहे उपस्कर की किस्म विवरण एक, कालम 3 में दी गई है ।

(ख) जी, नहीं । इन एक्सचेन्जों में प्रदान किए गए उपस्कर की किस्म से ऐसी उम्मीद की जा सकती है, सेवा सन्तोषजनक है । जहां तक अपर्याप्त क्षमता का प्रश्न है, मांग को पूरा करने के लिए विस्तार की योजना बनाई गई है जैसा कि विवरण के कालम 7 में निर्दिष्ट है ।

(ग) इन एक्सचेन्जों में मांग एवं क्षमता की स्थिति अनुबन्ध-1 में दी गई है । उपस्कर के पूर्ण रूप से ठप्प हो जाने का कोई उदाहरण नहीं है । फिर भी लम्बी अवधि तक बिजली खराबी के कारण कभी-कभी सेवा कुछ समय तक सीमित कर दी जाती है ।

(घ) मौजूदा एक्सचेन्जों में 1984 तक विकास के प्रस्ताव अनुबन्ध-1 में दिए गए हैं । इसके अतिरिक्त ग्वालियर राजस्व मंडल में लगभग 10 नए छोटे स्वचल एक्सचेन्ज खोलने का प्रस्ताव है ।

विवरण

30-12-81 को ग्वालियर मंडल में टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थिति

क्रम सं०	एक्सचेंज का नाम	टाइम	क्षमता	चालू कनेक्शन	प्रतीक्षा सूची	विस्तार हेतु योजना
1	2	3	4	5	6	7
1.	**ग्वालियर जिला**					
1.	ग्वालियर	आटो	4000	3760	615	500 लाइनों के विस्तार हेतु कार्य प्रगति पर है । 1500 लाइनों का और आगे विस्तार करने के लिए उपस्कर आबंटित किए गए हैं।
2.	मोरार	ऑटो	500	463	67	100 लाइनों का विस्तार प्रगति पर है।
3.	दाबारा	मैनुअल	200	192	3	1982-83 हेतु 50 लाइनों के विस्तार की योजना है।
4.	भीतारवार	आटो	25	21	—	1982-83 हेतु 10 लाइनों के विस्तार की योजना है।
2.	मेंडर	आटो	25	25	—	1982-83 हेतु 10 लाइनों के विस्तार की योजना है।
6.	मोहना	आटो	25	9	—	नये कनेक्शनों हेतु क्षमता उपलब्ध है।
2.	**भिण्ड जिला**					
1.	भिण्ड	मैनुअल	360	320	—	1982-83 हेतु 120 लाइनों के विस्तार की योजना है

1	2	3	4	5	6	7
2.	गोहाड	मैनुअल	100	93	—	1982-83 हेतु 50 लाइनों के विस्तार की योजना है।
3.	आलमपुर	आटो	75	7	—	कोई मांग नहीं।
4.	दबोह	आटो	25	7	—	वही
5.	गोरमी	आटो	35	17	—	वही
6.	लहार	आटो	35	23	—	1982-83 हेतु 10 लाइनों के विस्तार की योजना है।
7.	मेहगांव	आटो	35	24	—	वही
8.	मऊ	आटो	25	16	—	1983-84 हेतु 10 लाइनों के विस्तार की योजना है।
9.	निहोना	आटो	25	11	—	कोई मांग नहीं।
२.	मुरैना जिला					
1.	मुरैना	आटो	500	470	41	1982-83 हेतु 100 लाइनों के विस्तार की योजना है।
2.	सावलगढ़	मैनुअल	100	66	—	कोई मांग नहीं।
3.	सिओपुर कलां	मैनुअल	150	103	—	वही
4.	अम्बाह	आटो	90	50	—	वही
5.	बम्बोर	आटो	45	44	—	1982-83 हेतु 15 लाइनों के विस्तार की योजना है
6.	बड़ोदा	आटो	25	14	—	कोई मांग नहीं।
7.	विजयपुर	आटो	35	26	—	1982-83 हेतु 10 लाइनों के विस्तार की योजना है।

1	2	3	4	5	6	7
8.	बीरपुर	आटो	25	7	—	कोई मांग नहीं।
9.	जोरा	आटो	45	44	—	1982-83 हेतु 45 लाइनों के विस्तार की योजना है।
10.	केलारस	आटो	45	31	11	क्षमता मौजूद है।
11.	पोरसा	आटो	90	64	—	कोई मांग नहीं।
4.	शिवपुरी जिला					
1.	शिवपुरी	मैनुअल	300	294	45	1982-83 हेतु 360 लाइनों वाला सी०बी०एम० एक्सचेंज की योजना है।
2.	बदारवस	आटो	35	25	—	कोई मांग नहीं।
3.	कोलारस	आटो	25	16	—	वही
4.	करेरा	आटो	35	26	—	वही
5.	नरवार	आटो	25	14	—	वही
6.	पिचोर	आटो	26	16	—	वही
7.	पोहरी	आटो	25	12	—	वही
5.	गूना जिला					
1.	गूना	मैनुअल	300	297	81	1982-83 हेतु 480 लाइनों के सी०बी०एम० एक्सचेंज की योजना है।
2.	अशोक नगर	मैनुअल	200	162	—	कोई मांग नहीं।
3.	अगरोना	आटो	25	14	—	वही
4.	चरचोरा	आटो	45	25	—	वही
5.	चन्देरी	आटो	25	29	—	वही

1	2	3	4	5	6	7
6.	ईसागढ़	आटो	25	14	—	वही
7.	कुम्भराज	आटो	35	25	—	वही
8.	मकसूदगढ़	आटो	25	12	—	वही
9.	मंगौली	आटो	45	28	—	वही
10.	राघांगढ़	आटो	25	15	—	वही
6.	दतिया जिला					
1.	दतिया	मैनुअल	200	180	—	1982-83 हेतु 50 लाइनों के विस्तार की योजना है ।
1.	इन्दरगढ़	आटो	25	11	—	कोई मांग नहीं ।
3.	सिओन्धा	आटो	35	34	—	1982-83 हेतु 10 लाइनों के विस्तार की योजना है ।

ग्वालियर के लिए दूरदर्शन केन्द्र

445. श्री एन० के० शेजवलकर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन केन्द्र बनाने हेतु नगरों के चयन की कसौटी क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि ग्वालियर में, पहले से निर्मित प्राइक्रो-वेव टावर पर आवश्यकता से अधिक चैनल उपलब्ध हैं;

(ग) क्या यह भी सच नहीं है कि ग्वालियर उच्च-न्यायालय की पीठ होने, शिवाजी राव विश्वविद्यालय की पीठ होने, कई सेना और वायु सेना एककों के मुख्यालय होने, बड़ा शैक्षिक केन्द्र होने, कई पुरातत्व स्मारकों सहित एक ऐतिहासिक स्थान होने के कारण मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण नगर है जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 पर तथा दिल्ली से बम्बई और मद्रास तक की मुख्य रेलमार्ग पर स्थित है; और

(घ) ग्वालियर में दूरदर्शन केन्द्र कब बनाया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के लिए किसी स्थान का चयन करने में विभिन्न बातों यथा शहरी और ग्रामीण जनसंख्या के कवरेज की मात्रा, सीमावर्ती क्षेत्रों, दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों तथा औद्योगिक जनसंख्या के लिए सेवा, कार्यक्रम तैयार करने एवं कार्यक्रम श्रृंखला सुविधा की उपलब्धता, अन्य अवस्थापन आदि को ध्यान में रखा जाता है।

(ख) ग्वालियर, आगरा-सागर माइक्रोवेव मार्ग पर है जो बाइड बैंड है, किन्तु अभी यह दूरदर्शन कार्यक्रमों के उपयोग के लिए नहीं है।

(ग) और (घ) संसाधनों की कमी के कारण, ग्वालियर को दूरदर्शन की योजनाओं में शामिल करना अभी तक सम्भव नहीं हुआ है। तथापि, भावी योजना में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने के लिए चुने गए स्थानों में से ग्वालियर एक है। इस परियोजना का कार्यान्वयन संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीन

446. श्री के० प्रधानी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीनों की शुरूआत करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) क्या आगामी उप-निर्वाचनों के दौरान इनके इस्तेमाल में लाए जाने की सम्भावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) सरकार ने आरम्भ में इलेक्ट्रोनिक मशीनों की आजमाइश स्थानीय निकायों के निर्वाचनों में करने के लिए 250 इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीनों को खरीदने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। निर्वाचन

आयोग ने मशीनों को खरीदने का आर्डर दे दिया है और आयोग का विचार है कि इन मशीनों की आजमाइश भविष्य में होने वाले किसी सुविधाजनक उप-निर्वाचन में की जाए। किन्तु आयोग को अभी तक मशीनें प्राप्त नहीं हुई हैं। इसके अतिरिक्त लोक सभा या विधान सभा निर्वाचनों में इन मशीनों के इस्तेमाल करने से पहले लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और उसके अधीन नियमों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

राजस्थान में तेल/गैस की खोज

447. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, नागौर और पाली जिलों में तेल और गैस की खोज में हुई प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी क्या है;

(ख) जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में तेल और गैस की खोज के लिए छिद्रण कार्य कब तक शुरू किये जाने की सम्भावना है और इन जिलों के किन-किन स्थानों पर यह कार्य शुरू किया जाएगा; और

(ग) इन कार्यों के लिए किन-किन देशों से तकनीकी जानकारी ली जा रही है और उसकी शर्तें क्या हैं ?

पट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के तेल अन्वेषण संचालन जिला-वार आयोजित नहीं किये गये हैं, अतः इस आधार पर प्रगति प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है राजस्थान में जैसलमेर, बीकानेर-नागौर तथा बाड़मेर नामक तीन मुख्य तलछटी बेसिन हैं। इनमें से जैसलमेर बेसिन सबसे बड़ा है और इसमें सन् 1956 से हाईड्रो-कार्बन्स का अन्वेषण किया जा रहा है।

राजस्थान में खुली तलछटी चट्टानों को भूवैज्ञानिक वितरण तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किया जा रहा है और कुछ विस्तृत सूचना प्राप्त करने के लिए इसको कुछ क्षेत्रों में चालू रखा गया है। ऐसे मेगनेटिक सर्वेक्षण 43500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में किया गया है। ग्रेविटी मेगनेटिक सर्वेक्षण लगभग 84000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में किया गया है। परावर्तन तथा अपवर्तन तरीकों से 9100 वर्ग किलो मीटर के क्षेत्र में आवश्यक रूप से राजस्थान के जैसलमेर बेसिन को शामिल करते हुए भूकम्पीय सर्वेक्षण किए गये हैं।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने अभी तक राजस्थान में 17 कुएं खोदे हैं। तथापि क्षेत्र में अभी तक हाईड्रोकार्बन के वाणिज्यिक भंडार प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) जैसलमेर जिले के दक्षिणी अर्द्ध में गोटारू के स्थान पर तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने ध्यधन कार्य आरम्भ करने के लिए प्रस्ताव दिया है। बाड़मेर क्षेत्र में ऐसा करने की कोई तत्काल योजनाएं नहीं हैं, जिसको कम सम्भावना वाले क्षेत्र का दर्जा दिया गया है।

जहां तक जैसलमेर बेसिन के उत्तरी-अर्द्ध का सम्बन्ध है, यह अभी हाल में ओ० आई० एल० को सौंपा गया है और जिसने क्षेत्र में भूकम्पीय सर्वेक्षण करने के लिए जांच-पड़ताल आरम्भ की है। व्यधन संचालन आरम्भ करना भूकम्पीय सर्वेक्षणों की पूरा करने के पश्चात संरचनाओं के पता लगने पर निर्भर करेगा।

(ग) गोटारू के स्थान पर व्यधन संचालन स्वयं ओ० एन० जी० सी० द्वारा किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है। इसी प्रकार, ओ० आई० एल० ने भी किसी बाहरी देश से तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव नहीं दिया है। तथापि यदि आवश्यक होगा, तो ओ० एन० जी० सी० और ओ० आई० एल० दोनों कुछ क्षेत्रों में ठेके पर सेवाएं प्राप्त करने के लिए किसी विदेशी ठेकेदार को लगा सकते हैं।

सेंसरशिप सम्बन्धी कानूनों में ढील

448. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में कलकत्ता में आयोजित राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की बैठक में, जिसमें प्रसि० फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों तथा अन्य व्यक्तियों ने भाग लिया था, सेंसरशिप सम्बन्धी कानूनों में ढील देने की मांग की गई थी;

(ख) विचार-विमर्श के दौरान इन लोगों ने इसके क्या कारण बताये और क्या सुझाव दिए; और

(ग) उन सुझावों पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने कलकत्ता में 4-1-82 को फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की थी। इस बैठक में फिल्म उद्योग के विभिन्न प्रतिनिधियों द्वारा फिल्मों की सेंसरशिप के बारे में व्यापक विचार व्यक्त किए गए थे। व्यक्त सुझावों में फिल्म सेंसरशिप को समाप्त करना, सेक्स और हिंसा के क्षेत्रों में फिल्म सेंसरशिप को अधिक उदार बनाना, सेंसर बोर्ड के विभिन्न प्रादेशिक कार्यालयों द्वारा सेंसरशिप के एक जैसे मानक अपनाया जाना तथा फिल्म उद्योग और सेंसर तन्त्र के बीच घनिष्ठ परामर्श स्थापित करने की आवश्यकता सम्बन्धी सुझाव शामिल थे। सेंसरशिप नियमों में ढील देने के बारे में फिल्म उद्योग द्वारा दिया गया मुख्य कारण फिल्मों के निर्माण में अधिक स्वतंत्रता प्राप्त करना था।

2. सेंसरशिप को समाज में प्रचलित मूल्यों के अनुरूप होना है। फिल्मों में सेक्स और हिंसा पर बल देने की प्रवृत्ति में वृद्धि रही है और इस प्रकार की प्रवृत्ति को रोकना सेंसर तन्त्र की जिम्मेदारी है।

3. बैठक सरकार और फिल्म उद्योग के बीच वार्तालाप के स्वरूप की थी ताकि दोनों पक्षों के दृष्टिकोणों को परस्पर समझा जा सके।

गुजरात में तेल की खोज

449. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 के दौरान गुजरात में तेल की खोज के लिए किए गए कार्यों पर ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसके क्या परिणाम रहे ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) कलैण्डर वर्ष 1981 के दौरान, गुजरात में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने 14 रिग काम के लिए लगाये थे, जिससे कुल 110829 मीटर की गहराई सहित 69 कूपों की खुदाई की गई थी। 21 पुरानी, संरचनाओं पर खुदाई निरन्तर किए जाने के अलावा, 6 नई संरचनाओं अर्थात कुद्रा, फलात तेंग्हनेज, जक्साना, नादसा और खेरबा को इस वर्ष खुदाई के लिए लिया गया है।

भू-अन्वेषी सर्वेक्षणों के क्षेत्र में वर्ष के दौरान कुल 7/8 भूकम्पीय पार्टियों द्वारा भूकम्पीय सर्वेक्षण किये गये जिसके अन्तर्गत 1814.76 मानक लाइन किलोमीटर क्षेत्र सम्मिलित है।

वर्ष के दौरान, लोहार और सिसोदरा में तेल का निकलना और कुद्रा में गैस का निकलना उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं।

"मेरी आवाज सुनो" फिल्म पर से प्रतिबन्ध उठाया जाना

450. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "मेरी आवाज सुनो" फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है; यदि हां, तो इसके बारे में पूर्ण तथ्य क्या हैं और उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय ने सरकारी आदेश के कार्यान्वयन पर स्थगन-आदेश दिया है; यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार जनहित में इस प्रतिबन्ध को हटाने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) "मेरी आवाज सुनो" (हिन्दी) फिल्म, जिसे फिल्म सेंसर बोर्ड, मद्रास द्वारा कुछ काट छांट के बाद "ए" प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था, का केन्द्रीय सरकार द्वारा 17.12.81 को प्रिव्यू किया गया था। केन्द्रीय सरकार ने महसूस किया था कि केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड, मद्रास के भाग पर निर्णय-भ्रांति थी, क्योंकि इस फिल्म में यातना, नृशंस हिंसा और क्रूरता के दृश्य थे, जिनका दर्शकों पर भयंकर और डरावना प्रभाव पड़ता था, और इसमें महिलाओं के अर्धनग्न दृश्य थे, जो मानविक संवेदन-शीलता को क्षुब्ध करते थे तथा इसमें एक भवन को आग लगाने की कार्य प्रणाली भी दिखाई गई थी।

इसलिए केन्द्रीय सरकार ने चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 6 के अन्तर्गत जांच होने तक इस फिल्म का प्रदर्शन 19-12-1981 से दो मास के लिए निलम्बित कर दिया। साथ ही आवेदक को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया जिसमें उससे यह कहा गया था कि वह इस बारे में अपने विचार प्रस्तुत करे कि फिल्म को क्यों न अप्रमाणीकृत कर दिया जाये।

2. इस फिल्म से सम्बन्धित वितरकों ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाएं दायर कीं और उन्होंने निलम्बन आदेश के बारे में स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये। केन्द्रीय सरकार ने 9-1-82 को संविधान के अनुच्छेद 139-क के अन्तर्गत बम्बई, कलकत्ता, जयपुर और जबलपुर के उच्च न्यायालयों में पेंडिंग रिट याचिकाओं को उच्चतम न्यायालय में अन्तरित करने के लिए एक याचिका दायर की। 15-2-82 को उच्चतम न्यायालय ने अन्तरण याचिका को खारिज कर दिया क्योंकि दो मास की निलम्बन अवधि 18-2-82 को पूरी हो जायेगी और उसके बाद रिट याचिकाएं निष्फल हो जायेंगी।

3. फिल्म से संबंधित आवेदक ने भी कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये कारण बताओ नोटिस की वैधता को चुनौती दी गई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि यद्यपि धारा 6 के अन्तर्गत जांच जारी रह सकती है, उच्च न्यायालय के आदेश प्राप्त किये बिना कोई अन्तिम निर्णय सूचित/लागू नहीं किया जाना चाहिए।

खाना बनाने की गैस के कनेक्शन आवंटित करने का प्रस्ताव

451. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आगामी महीनों के दौरान खाना बनाने की गैस के 10,000 कनेक्शन देने का सरकार का विचार है; और

(ख) इस समय दिल्ली में खाना बनाने की गैस के कनेक्शन की प्रतीक्षा कर रहे व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वी० शिवशंकर) : (क) और (ख) दिल्ली में खाना पकाने की गैस (एल० पी० जी०) कनेक्शनों की सूची में इस समय लगभग 4 लाख आवेदन कर्ता हैं। उद्योग की नाम दर्ज करने की योजना के अनुसार, वर्ष 1981-82 से दिल्ली में लगभग एक लाख एल० पी० जी० कनेक्शन जारी किये जायेंगे।

दिल्ली में टेलीफोन के नये कनेक्शन

452. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में भावी प्रयोक्ताओं को प्रति वर्ष कितने नये टेलीफोन कनेक्शन देने का लक्ष्य है ताकि अब तक दर्ज सभी आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन मिल जायें; और

(ख) दिल्ली में नये टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्ति दर्ज हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) दिल्ली में नए कनैक्शन प्रदान करने के लिए कार्यक्रम निम्नलिखित है बशर्ते कि एक्सचेंज उपस्कर समय पर प्राप्त हो जायें और संस्थापित हो जायें ।

वर्ष	दिये जाने वाले संभावित कनेक्शनों की संख्या
फरवरी-मार्च, 82	2,500
1982-83	15,300
1983-84	30,000
1984-85	30,130
छठी योजना के पश्चात	7,050
	कुल 84,980

(ख) दिनांक 1-2-82 को 84,980 ।

मौन घाटी परियोजना

453. **श्री बी० एस० विजयराघवन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल को मौन घाटी पनबिजली परियोजना के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन): (क) और (ख) पर्यावरण की दृष्टि से व्यक्त की गई गम्भीर आशंकाओं के कारण साइलेंट वैली जल विद्युत परियोजना का कार्यान्वयन रुका हुआ है । साइलेंट वैली जल विद्युत परियोजना के सम्बन्ध में इस प्रयोजन के लिए गठित की गई केन्द्र-राज्य की संयुक्त समिति की रिपोर्ट की अभी भी प्रतीक्षा है । साइलेंस वैली परियोजना के कार्यान्वयन के प्रश्न पर पुनर्विचार इस समिति की सिफारिशें प्राप्त हो जाने के बाद किया जाएगा

राष्ट्रीय दूरदर्शन व्यवस्था से नगरों को जोड़ा जाना

454. श्री अजित कुमार साहा :
श्री सुधीर कुमार गिरी :
श्री सेफुद्दीन चौधरी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या और अधिक शहरों को राष्ट्रीय दूरदर्शन व्यवस्था से जोड़े जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन शहरों को इससे जोड़ा जायेगा; और

(घ) परियोजनाओं को कब तक पूरा किया जाना है और इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) छठी योजना के दौरान निम्नलिखित शहरों को माइक्रोवेव लिंक के साथ जोड़ा जाना है :

1. दिल्ली-जलंधर-श्रीनगर
2. जलंधर-अमृतसर
3. दिल्ली-लखनऊ-कलकत्ता
4. लखनऊ-कानपुर
5. लखनऊ-वाराणसी
6. कलकत्ता-मुर्शीदाबाद
7. कलकत्ता-आसनसोल
8. बम्बई-पुणे
9. बम्बई-पणजी
10. मद्रास-मदुरै
11. हैदराबाद-विजयवाड़ा
12. दिल्ली-जयपुर

"इनसैट" स्कीम के अन्तर्गत दिल्ली में राष्ट्रीय लिंकेज को अपलिंक सुविधाओं सहित सभी केन्द्रों पर एस-बैंड रिले रिसीवर उपलब्ध करके देश के सभी दूरदर्शन केन्द्रों को "इनसैट" के माध्यम से जोड़ने का प्रस्ताव है। दिल्ली में अपलिंक के लिए डाक-तार विभाग को पक्की मांग भेज दी गई है और एस-बैंड रिले रिसीवरों के लिए आशय पत्र भी भारत इलोक्ट्रोनिक लि० को भेज दिया गया है। "इनसैट" के माध्यम से राष्ट्रीय लिंकेज क्रमिक रूप से 1982 और 1983 के दौरान प्राप्त किया जाएगा।

(घ) माइक्रोवेव लिंकों के माध्यम से लिंकेज के मुकम्मल होने की निर्धारित तारीखें और वर्तमान स्थिति विस्तार से विवरण में दी गई है ?

विवरण

चालू योजना के दौरान निम्नलिखित दूरदर्शन केन्द्रों को माइक्रोवेव द्वारा जोड़ने का प्रस्ताव है :

जोड़े जाने वाले शहर	नवीनतम स्थिति	चालू होने की अनुमानित तारीख
1. दिल्ली-लखनऊ-कलकत्ता	डाक-तार विभाग की पक्की मांग भेज दी गई है।	जून, 1982
2. लखनऊ-कानपुर	तथैव	जून, 1982
3. लखनऊ-वाराणसी	किराया पूछा गया है।	1984-85
4. कलकत्ता-आसनसोल	पक्की मांग भेज दी गई है।	1983-84
5. कलकत्ता-मुर्शिदाबाद	स्थान का चयन किया जा रहा है।	1983-84
6. दिल्ली-जयपुर (एंड लिंक)	डाक-तार विभाग से किराया पूछा गया है।	1984-85
7. बम्बई-पुणे	डाक-तार विभाग को पक्की मांग भेज दी गई है।	मई, 1982
8. बम्बई-पणजी (एंड लिंक)	तथैव	जून, 1982
9. मद्रास-कोडैकनाल	तथैव	1984
10. दिल्ली-श्रीनगर	तथैव	जून, 1982
11. दिल्ली-जलंधर	तथैव	परीक्षण हो रहा है।
12. जलंधर-अमृतसर	तथैव	1983 के मध्य में।
13. हैदराबाद (विजयवाड़ा)	किराया पूछा गया है।	1984-85

बम्बई में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन द्वारा गैस वितरण

455. **डा० बसन्त कुमार पण्डित** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन की खाना बनाने की गैस वितरण करने वाला तंत्र अनुभवहीनता और अकार्यकुशलता के कारण खराब तरीके से कार्य कर रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि बम्बई में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन की गैस का प्रयोग कर रहे लाखों परिवारों को, खाली सिलेन्डर स्थान पर भरा सिलेन्डर प्राप्त करने के लिए 8 से 30 दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ग) क्या मूल वितरक नेचुरल गैस कम्पनी के साथ किया गया ठेका, बिना नया एजेन्ड नियुक्त किये, समाप्त कर दिया गया था;

(घ) क्या इसके सुरक्षित भंडार में भारी कमी है और गोदामों की कोई व्यवस्था नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो बम्बई और उसके उपनगरों में रह रहे दो लाख उपभोक्ताओं की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या ठोस कदम उठाये हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी नहीं।

(ख) परिवहन समस्याओं के कारण कुछ पाकेट क्षेत्रों के अलावा, ग्रेटर बम्बई में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन (एच० पी० सी० एल०) द्वारा कुकिंग गैस (एल० पी० जी०) की सप्लाई स्थिति इस समय आमतौर पर सामान्य है।

(ग) एच० पी० सी० एल० ने अपने मौलिक वितरकों मैसर्स नेचुरल गैस कम्पनी के साथ 1 दिसम्बर, 1981 से अपना करार समाप्त कर दिया है। इसके साथ-साथ उनके अधीन उप-एजेन्ट/डिलिवरी एजन्टों को एच० पी० सी० एल० के सीधे डीलर बनने के लिए विशिष्ट रूप से पदोन्नत किया गया था। जहां कहीं पिछले उप-ऐजन्ट/डिलिवरी एजन्ट पदोन्नत के लिए उपयुक्त नहीं पाये गये थे, प्रभावित स्थलों पर पदोन्नत डीलरों के माध्यम से एल० पी० जी० सप्लाईज के लिए वैकल्पिक प्रबन्ध किये गये थे।

(घ) जी नहीं।

(ङ) जैसा कि ऊपर बताया गया है, एच० पी० सी० एल० ने अपने डीलरों की व्यवस्था को पुनः गठित किया है। बम्बई में वितरण-प्रणाली में सुधार लाने के लिए, एच० पी० सी० एल० द्वारा 1981-82 के दौरान, 17 और नये एल० पी० जी० डीलरों की नियुक्ति के लिए कदम उठाये गये हैं जिनमें से 4 पहले से ही चालू हो गये हैं।

भारत में प्रेस की स्वतन्त्रता

456. डा० बसन्त कुमार पण्डित : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने, इन्टरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट के चेयरमैन श्री कुशरोव ईरोनी द्वारा 21 दिसम्बर, 1981 को लन्दन में "इन्टरनेशनल प्रेस रिव्यू" (अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस समीक्षा) के सम्बन्ध में बोलते हुए भारत में प्रेस की स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में की गई नई आलोचना और निंदा की ओर ध्यान दिया है;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय प्रेस के कार्यकरण से सम्बन्धित समीक्षा में चेयरमैन ने सेंसरशिप लगाने, प्रेस के वित्तीय स्थायित्व पर आक्रमण करने, पत्रकारों के कार्यों पर रोक लगाने, प्रेस की स्वतन्त्रता में कमी करने, अखबारी कागज पर शुल्क बढ़ाने, उद्देश्य प्रेरित (मोटीवेटेड) विज्ञापन देने, गोपनीयता के अधिकार जैसे असमय तरीकों का उल्लेख किया है जो राजनीतिक सत्ता के उपयोग करने के लिए अपनाये जाते हैं; और

(ग) आलोचना के उपयुक्त मुद्दों पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और विदेशों में भारतीय प्रेस की उच्च प्रतिष्ठा और स्वरूप को बनाये रखने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) 1981 में विश्व बैंक प्रेस स्वतन्त्रता के बारे में इन्टरनेशनल प्रेस इन्स्टीयूट की रिपोर्ट के बारे में समाचार-पत्रों में छपे समाचार से यह पता चलता है कि इसमें देश में प्रेस की स्वतन्त्रता के बारे में कतिपय आलोचनात्मक विचार शामिल हैं ।

(ग) लगाए गए आरोप पूर्णतया निराधार हैं । सरकार देश में प्रेस की स्वतन्त्रता के लिए प्रतिबद्ध है और प्रेस को तीव्र और संतुलित विकास प्राप्त करने में सहायता देने के उद्देश्य से अनेक रचनात्मक उपाय किए हैं ।

बिजली संयंत्रों की समस्याओं का अध्ययन

457. **श्री अनाविचरण दास** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के बिजली संयंत्रों की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) जी, हां । जल विद्युत केन्द्रों से उत्पादन उनकी अभिकल्प सम्बन्धी क्षमता और जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है । सामान्यत: जल विद्युत केन्द्रों को किसी प्रकार की प्रचालनात्मक समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है । ताप विद्युत केन्द्रों से इष्टतम उत्पादन प्राप्त करने में कुछेक बाधाएं होती हैं । मुख्य बाधाएं ये हैं :

(1) ले आउट, संयंत्र एवं उपस्कर, प्रणाली इन्जीनियरिंग आदि में कमियां;

(2) नियोजित अनुरक्षण में तथा उपस्करों की जबरन बंदियों में अनावश्यक रूप से अधिक समय लगना;

(3) फालतू पुर्जे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होना;

(4) चालू की गई नई यूनिटों के स्थिरीकरण में अपेक्षाकृत अधिक समय लगना;

(5) प्रचालन और मानीटरिंग के लिए प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध न होना;

(6) घटिया किस्म के कोयले की सप्लाई, आदि ।

(ग) ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करने हेतु कई उपाय किए गए हैं । इन उपायों में ये शामिल हैं :

(1) संयंत्र और उपस्कर, आदि में कमियों का पता लगाने और समयबद्ध रूप में संयंत्र सुधार कार्यक्रम तैयार करने और इस कार्यक्रम को हाथ में लेने के लिए राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत केन्द्रों के प्राधिकारियों की सहायता करना;

(2) बंदी की अवधियों को कम करने के लिए, सुरक्षात्मक अनुरक्षण तकनीकें अपनाना;

(3) सप्लाईकर्त्ताओं से फुटकर पुर्जों की सप्लाई समय पर किए जाने की व्यवस्था करना तथा फुटकर पुर्जों के लिए समय पर आर्डर देने के लिए विद्युत केन्द्रों को सलाह देना;

(4) कोयले की अपेक्षित गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रबंध करना;

(5) 200 मेगावाट के यूनिटों में कमियों का पता लगाने के लिए तथा इनका शीघ्र स्थिरीकरण करने के लिए और इनके कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए तथा समयबद्ध कार्यक्रम बनाने हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा और राज्य बिजली बोर्डों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए कृतिक बलों का गठन करना;

(6) प्रचालन का पद्धतियों की मानीटरिंग करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रचालन विशेषज्ञों के भ्रमणशील दलों के दौरे तथा सलाह;

(7) विद्युत केन्द्रों के इन्जीनियरों को और प्रचालन व अनुरक्षण कार्मिकों को प्रशिक्षण देना ।

फिल्मोत्सव-82 में कथित अव्यवस्था

458. **श्री आर० आर० भोले** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1982 में कलकत्ता में आयोजित फिल्मोत्सव-1982 के दौरान लाखों सिनेमा-दर्शकों को कुप्रबन्ध, कार्यक्रमों में बार-बार परिवर्तन, फिल्म प्रदर्शनों को रद्द किए जाने और टिकटों की बिक्री में भारी पैमाने पर हेराफेरी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) निश्चित कार्यक्रमों को अचानक रद्द किए जाने के क्या कारण थे; और

(घ) इस मामले में सरकार की क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) यह सही नहीं है कि, जैसा कि आरोप लगाया गया है, लाखों सिनेमा दर्शकों को अत्यधिक कुप्रबन्ध, कार्यक्रमों में बार-बार

परिवर्तन फिल्म-प्रदर्शनों को रद्द किए जाने तथा टिकटों की बिक्री में भारी पैमाने पर हेराफेरी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था।

वस्तु स्थिति यह है कि एक पखवाड़े तक चलने वाला फिल्मोत्सव 82 में सफल रहा है तथा पश्चिम बंगाल सरकार जिसने इसके आयोजन में पूरा सहयोग दिया था, द्वारा भी ऐसा ही दावा किया गया है। केवल दो फिल्मों "तन्नीर तन्नीर" (तमिल फिल्म) तथा "बारा" (कन्नड़ फिल्म) का प्रदर्शन न किए जाने की एक मात्र घटना हुई थी, क्योंकि इन फिल्मों के उपशीर्षक युक्त रूपान्तर इनके प्रदर्शन की निश्चित तिथियों पर ब्रुसेल्स से कलकत्ता नहीं पहुँच सके थे। इससे दर्शकों में कुछ क्षोभ अवश्य हुआ। इस प्रकार के समारोहों में आम लोगों के लिए टिकटों की संख्या उन थियेटरों में, जिनमें फिल्में दिखाई जाती हैं, उपलब्ध सीटों के अनुसार सीमित होती हैं। यह बात कि बहुत बड़ी संख्या में फिल्म दर्शक इन फिल्मों को देखना चाहते थे, इस समारोह की लोकप्रियता और सफलता का परिचायक है। प्रबन्धकों ने इस बात को सुनिश्चित करने का पर्याप्त ध्यान रखा था कि पास और टिकट दोनों ही मुख्य रूप से फिल्म उद्योग से सम्बन्धित लोगों और आम लोगों को व्यवस्थित ढंग से उपलब्ध हों।

अपने स्वरूप के अनुसार ही समारोह में फिल्मों का प्रदर्शन अन्तर्राष्ट्रीय विनियमों के अनुसार प्रतिबंधित होता है अर्थात किसी विशिष्ट फिल्म का प्रेस और प्रतिनिधियों के लिए केवल एक शो तथा अन्य लोगों के लिए 3 शो। इससे बड़ी संख्या में आम लोगों को इन फिल्मों को देख पाना कठिन हो जाता है।

टिकटों की बिक्री में कोई हेरा फेरी नहीं थी, क्योंकि सीजन टिकट और रोजाना बिक्री वाले टिकट दोनों ही सीटों के अनुसार उपलब्ध कराए जाते थे।

(घ) प्रबन्ध समिति ने जिसमें फिल्म संस्थाओं तथा केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल थे, सभी सावधानियां बरती थीं तथा प्रबन्ध कुल मिलाकर संतोषजनक रहा था इस प्रकार के बड़े समारोह में कुछ अप्रिय घटनाएं हो ही सकती हैं। तथा सरकार इस बात को सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास करेगी कि इस प्रकार की छोटी मोटी घटनाएं भी फिर न हों। हमने निर्देश दे दिए हैं कि भविष्य में जब तक किसी भाषायी फिल्म का उपशीर्षक युक्त रूपान्तर पहले ही हाथ में न जाए इस प्रकार की फिल्मों के प्रदर्शन की घोषणा नहीं की जानी चाहिए ताकि दर्शकों को कोई निराशा न हो।

दिल्ली दूरसंचार का आधुनिकीकरण

459. **श्री कमल नाथ** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवीनतम प्रौद्योगिकी विकास उपयोग करके दिल्ली दूरसंचार के आधुनिकीकरण की कोई योजना इस वर्ष शुरू की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उसकी परियोजना-वार लागत क्या है और इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न-परियोजनाओं को कब शुरू किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, आधुनिकीकरण दूरसंचार जाल कार्य के लिए एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

(ख) और (ग) दिल्ली के आधुनिकीकरण कार्यक्रम की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्न हैं :

1. इलैक्ट्रानिक स्विचिंग प्रणालियों का आरम्भ किया जाना।

(ii) 83-86 के लिए 104.49 करोड़ रुपए की लागत पर 10,000 लाइनों के 11 एस० पी० सी० इलैक्ट्रानिक स्थानीय एक्सचेंज उत्तरोतर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ii) 1982-83 में 12.3 करोड रुपए की लागत पर 8000 लाइनों का एस० पी० सी० इलैक्ट्रानिक ट्रंक स्वचल एक्सचेंज दो चरणों में स्थापित किया जाएगा।

(iii) 81-83 के दौरान 4.2 करोड़ रुपए की लागत पर 4000 लाइनों का एस० पी० सी० इलैक्ट्रानिक टेलेक्स दो चरणों में चालू किया जाएगा।

2. केबुल जाल कार्य में सहधुरीय प्रणालियों में तथा पी० सी० एम० प्रणालियों का चालू किया जाना।

(i) कुछ जंकशन मार्गों पर 2.76 करोड़ रुपए की लागत पर स्थिर पारेषण माध्यम जैसे सहधुरीय केबुल चालू किया जाएगा।

(ii) मौजूदा जंकशन जाल कार्य में वृद्धि करने के लिए 2.28 करोड़ रुपए की लागत पर 100 से अधिक पी० सी० एम० प्रणालियां उपलब्ध कराई जाएंगी।

3. छठी योजना में केबुल की सुरक्षा के लिए 4 करोड़ रुपए की लागत पर लगभग 25 कि० मी० मार्ग उपलब्ध कराया जाएगा।

4. केबुल रिकार्ड, वेतन बिल, निर्देशिका सूचना, तालिका नियंत्रण तथा अन्य प्रबन्धकीय सूचनाओं के लिए एक इन-बेस कम्प्यूटर लगाया जाएगा।

भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन के तेल शोधन कारखाने का बन्द होना

460. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री गुलाम रसूल कोचक :
श्री मगन भाई बरोट :

क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन के तेल शोधन कारखाने के बन्द हो जाने के कारण पेट्रोलियम उत्पादों में हुई कमी को पूरा करने के लिए कोई आनुषंगिक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० का तेल शोधन कारखाना, जो कि देश के बड़े कारखानों में से एक था, जनवरी, 1982 माह के दौरान कई दिनों तक बन्द पड़ा रहा;

(ग) तेल शोधन कारखाने के बन्द होने के क्या कारण हैं; और

(घ) तेल शोधन कारखाना कितनी अवधि तक के लिए बन्द रहा और उसके कारण कुल कितनी हानि हुई ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) बम्बई में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन की शोधनशाला श्रमिकों जिसमें सुरक्षा और अग्निशामक कर्मचारी शामिल हैं, द्वारा काम बन्द करने के निर्णय के पश्चात 15-1-1982 को बंद करना पड़ा था। तथापि, शोधनशाला की मुख्य क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट 17-1-1982 को पुनः चालू की गई है और यह कम्पनियों के अधिकारियों द्वारा अन्य सरकारी संगठनों नगर निगम के कार्मिकों की सहायता से चलाई जा रही है। तब से शोधनशाला करीब 70% क्षमता के ग्रूपुट स्तर पर चल रही है। इस समय इसके फलस्वरूप हुई हनियों का अनुमान लगाना कठिन होगा।

———

स्थगन प्रस्तावों आदि के बारे में

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : केरल में अल्पसंख्यक सरकार का प्रश्न···(व्यवधान) स्थगन प्रस्ताव दिए गए थे।

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए गए हैं।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्तावों की अनुमति नहीं दी गई है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : हमारे स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, नहीं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आपको हमारे स्थगन प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए था। आपने संक्षेप में उसे अस्वीकार कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप हर विषय पर चर्चा कर सकते हैं। आप प्रेजिडेंटस एड्रेस पर बहस में सब कुछ डिसकस कर सकते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह राष्ट्रपति के अभिभाषण का मामला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : नियमों के अनुसार, मैं ऐसा नहीं कर सकता।

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपको बता देना चाहता हूं··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सब एक-साथ क्यों बोल रहे हैं ? आप एक-एक करके बोलिए। मैं सुन लेता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : हम आपको बताना चाहते हैं कि न केवल अल्पसंख्यक सरकार ही थोपी गई है वरन्··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप डिसकस कर लें। यह स्थगन प्रस्ताव का प्रश्न नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : हमारे कुछ कहने से पूर्व ही आपका निर्णय तैयार है ?

अध्यक्ष महोदय : निवेदन का कोई प्रश्न नहीं उठता।

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपको वहां के अध्यक्ष के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। यही कारण है कि मैं इसका हवाला दे रहा हूं। केरल और आसाम में अल्पसंख्यक सरकारें ही नहीं थोपी गई हैं बल्कि वहां पर अध्यक्ष का शासन चल रहा है। वहां पर सरकार शासन नहीं कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : कभी तो स्पीकर को भी रूल करने दें।

प्रो० मधु दंडवते : जब बजट प्रस्तुत किया जायेगा तो केरल विधान सभा में सैकड़ों संशोधन प्रस्तुत किये जायेंगे और अध्यक्ष को सैकड़ों बार अपना वोट देना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : संवैधानिक प्राधिकार राज्यपाल तथा विधान मंडल के पास उनकी बैठक हो रही है। वे इसका निर्णय कर सकते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : आसाम में क्या हो रहा है। आसाम में लेजिस्लेचर मीट नहीं कर रही है। वहां पर मिनारिटी गवर्नमेंट बना दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : आप इसको डिसकस करें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कैसे डिसकस करें ?

अध्यक्ष महोदय : आप प्रेजिडेंटस एड्रेस पर डिसकशन में इसको रेफर कर सकते हैं। जितना मर्जी डिसकस कीजिए।

उस समय आप सभी बातों पर चर्चा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसको देख लिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम नियमों के अनुसार जिस विषय पर भी चाहें चर्चा कर सकते हैं। इसकी आपको छूट है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : केरल में स्पीकर के वोट से सरकार चल रही है। आसाम में सरकार असेंबली का सामना करने को तैयार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आपको पूरा अख्तियार है। आप इसको पूरी तरह डिसकस कीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप मौका दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : अभी प्रेजिडेंट एड्रेस पर डिसकशन हो रहा है। उसमें आप यह भी डिसकस कर सकते हैं। आपको किसने रोका है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : इसके साथ मौलिक संवैधानिक मामले जुड़े हुए हैं। हम इस पर विस्तृत चर्चा करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री ई० बालानन्दन (मुकुन्दपुरम) : आप इसे समझ सकते हैं। वहां पर सरकार को विधान सभा का बहुमत प्राप्त नहीं है। अध्यक्ष को विधान सभा में सैंकड़ों बार वोट देना पड़ेगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : क्या आप कृपया हमें इस पर चर्चा करने देंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रेजिडेंटस ऐड्रस पर चार दिन तक डिसक्शन होगा। उसमें जितना मर्जी डिसकस कीजिए। पूरा डिसक्शन कीजिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हम इन संवैधानिक मामलों पर विचार करना चाहते हैं कि केरल में सरकार को किस तरह समर्थन दिया जाता है, आसाम में किस तरह से प्रशासन चलाया जाता है, ये सब इसके साथ जुड़े हुए मौलिक संवैधानिक मामले हैं। (व्यवधान) मैं सिर्फ एक ही बात कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, नहीं।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि प्रेजिडेंट्स एड्रेस पर बहस में तो सब बातें कही जाएंगी। लेकिन सरकार उनका जवाब देने के लिए बाउन्ड नहीं है। आप इसको एजार्नमेंट मोशन या दूसरी मोशन के रूप में क्यों नहीं लेते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी धारणाएं और अपनी विचार-धारा उस डिसकशन में रेज कर सकते हैं।

श्री रामविलास पासवान : लेकिन गवर्नमेंट तो बाउन्ड नहीं है जवाब देने के लिए।

अध्यक्ष महोदय : गवर्नमेंट जवाब देगी। आप बहस करेंगे और गवर्नमेंट जवाब नहीं देगी, तो क्या फायदा होगा ? अगर जवाब नहीं दिया जाएगा, तब देखेंगे।

श्री रामविलास पासवान : हमने एजर्नमेंट मोशन और दूसरे मोशन्ज दिए हैं। आप उन्हें क्यों नहीं लेते हैं ? आप उन्हें मन्जूर कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप रूल पढ़िए। रूल्ज के मुताबिक यह नहीं हो सकता।

श्री रामविलास पासवान : हमने रूल्ज के मुताबिक नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रेजिडेंट्स एड्रेस पर बहस में कहिए।

श्री रतनसिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि आप रेल मन्त्री को बजट पेश करने के लिए बुलायें (व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : हां, श्री राजदा ?

श्री रतनसिंह राजदा : इससे पहले कि आप रेल मन्त्री को बजट पेश करने के लिए बुलायें मैं उनका ध्यान हिन्दुस्तान टाइम्स के प्रथम पृष्ठ पर छपे इस समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं कि रेलों के किराये और भाड़े में वृद्धि की आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह किसी का कनजेकचर होगा। हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं। श्री वाजपेयी ने दिया है, जार्ज साहब ने दिया है, सबने दिया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैंने औपचारिक रूप से नोटिस दे दिया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सूक्ष्म-दृष्टि वाला नहीं हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : इस सरकार ने बजट के महत्व को पिछले दो वर्षों से कम कर दिया है। हम ऐसा नहीं होने देंगे।

अध्यक्ष महोदय : हम कैसे जानते हैं ? हर बार समाचार पत्र ऐसा करते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हर बार नहीं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : ऐसे समाचार हैं कि आपने काफी वृद्धि कर दी थी लेकिन प्रधान मन्त्री ने हस्तक्षेप किया··· (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप प्रेस रिपोर्ट देखें। उन्होंने कुछ आंकड़े दिए हैं। यह अनुमान नहीं है। बजट का पता पेश करने से पहले ही लग गया था।

अध्यक्ष महोदय : बजट आने पर ही तो पता लगेगा कि लीकेज है भी कि नहीं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : पता लग जाएगा तो आपको एन्क्वायरी करनी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको नियम दिखाऊंगा। मैं आपको विनियम दिखाऊंगा। मैं आपको विशेषाधिकार के मामले भी दिखाऊंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आपने प्रश्न पिछले वर्ष भी उठाया था। यह पहला अवसर नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुश्किल यह है कि बजट ऐसे लोगों के··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सब मेरे सामने है। मैंने इन सब बातों का अध्ययन किया है। चूंकि आपने इसे हमारे नोटिस में लाया था, इसलिए मैंने इसका गहराई से अध्ययन किया। उन्हें कहने दीजिए और फिर हम पता करेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हां, तो आप हमारा मोशन पेंडिंग रखिये। बजट आने के बाद देखेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे फिर डिस्कशन करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप डिस्कशन करिये प्रेजिडेंट के ऐड्रेस पर। राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। आप इन सब प्रश्नों को उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : क्या आप इसके भागीदारी होना चाहते हैं···

अध्यक्ष महोदय : किसलिए ?

श्री हरिकेश बहादुर : यह सरकार ऐसे ही संकट का सामना कर रही है जैसे कि केरल सरकार कर रही है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : तो आप करिये न डिस्कशन। आप करिये।

श्री हरिकेश बहादुर : यह संवैधानिक संकट है (व्यवधान)। कल इस प्रकार की स्थिति यहां भी पैदा हो सकती है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप करिये तभी बात बनेगी। श्री सेठी।

———

रेल बजट, 1982-83

रेल मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : श्रीमन्, मैं रेलों के 1931-82 के संशोधित अनुमान और 1982-83 के बजट अनुमान पेश करने के लिए प्रस्तुत हूं।

माल परिवहन में सुधार

सर्वप्रथम मैं चालू बजट वर्ष में रेलों द्वारा अर्जित परिणामों के बारे में सदन को वस्तु-स्थिति से अवगत कराना चाहूंगा। रेलों ने पिछले वर्ष जो प्रभावकारी और दूरदर्शितापूर्ण कदम उठाये थे वे इस वर्ष भी जारी रहे, जिनके फलस्वरूप माल यातायात की ढुलाई में उल्लेखनीय प्रगति हुई। 1981-82 के बजट में इस बात का उल्लेख किया गया था कि रेलें 2150 लाख टन राजस्व अर्जक यातायात यानी विगत वर्ष की अपेक्षा 200 लाख टन अधिक यातायात का लदान कर सकेंगी। यह लक्ष्य दिसम्बर, 1981 के अन्त तक प्राप्त कर लिया गया और यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस वर्ष के अन्त तक लगभग 2200 लाख टन राजस्व अर्जक यातायात

का लदान किया जायेगा। यह लदान भारतीय रेलों पर हुए अब तक के लदान में सर्वाधिक होगा। यातायात थ्रू-पुट के हिसाब से भी, जिसे शुद्ध टन किलोमीटर के रूप में प्रेकंट किया जाता है, 165 अरब का कीर्तिमान स्थापित होने की आशा है जबकि पिछले वर्ष यह 147.65 अरब था और 150.25 अरब के आंकड़े अब तक के सर्वाधिक आंकड़े थे। बड़ी लाइन पर माल डिब्बों के लदान-फेरों में, अर्थात् दो आनुक्रमिक लदानों के बीच की अवधि में, लगने वाला समय 1980-81 के 15.2 दिन की तुलना में घटकर 13.6 दिन हो गया है।

एक स्थान से दूसरे स्थान तक, गाड़ी-भारों में; माल यातायात के संचलन तथा मध्यवर्ती विन्यास यार्डों को छोड़ते हुए माल यातायात के तीव्र प्रवाह पर अधिक ध्यान देने के कारण भी बेहतर परिचालन में काफी मदद मिली है जिसका देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा है। बेहतर परिचालन के कारण महत्वपूर्ण क्षेत्र की आवश्यकताएं विशेष रूप से पूरी की जा सकी हैं। इस्पात कारखानों, सीमेंट और पेट्रोल उद्योग, ताप बिजली घरों, खाद्यान्नों, उर्वरकों तथा अन्य अनिवार्य वस्तुओं की परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताएं प्रायः पूरी की गयीं। इसके फलस्वरूप उत्पादन में सर्वतोमुखी वृद्धि हुई और अनिवार्य वस्तुओं की कमी का समय प्रायः समाप्त हो गया है।

अनुरक्षण सम्बन्धी बकाया कार्य पूरा करना

उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर उत्पादकता बढ़ाकर चल-स्टाक के अनुरक्षण के बकाया काम को पूरा करने के लिए जोरदार प्रयास होते रहे। सवारी डिब्बों के आवधिक ओवरहाल के लिए कारखानों की क्षमता के उपयोग को धीरे-धीरे 1980-81 के 94 प्रतिशत से बढ़ाकर 1981-82 में 98.5 प्रतिशत पर लाया गया। इसी प्रकार माल डिब्बों का ओवरहाल करने वाले कारखानों की क्षमता का उपयोग 1980-81 के 77.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 1981-82 में 90 प्रतिशत पर लाया गया। जंग लगे बी० ओ० एक्स० माल डिब्बों की मरम्मत के लिए एक निर्धारित कार्यक्रम शुरू करके प्रति माह लगभग 1000 माल डिब्बों की मरम्मत करने के लिए अतिरिक्त क्षमता पैदा की गयी है। इसी तरह बी० ओ० एक्स० माल डिब्बों की नेमी ओवरहालिंग करने वाले डिपुओं में इस वर्ष ओवरहालिंग की क्षमता 1600 माल डिब्बों से बढ़ाकर 2500 माल डिब्बे प्रति माह कर दी गयी है। रोलर बेयरिंगों तथा अन्य पुर्जों, जिनकी खराबी से दुर्घटनाएं हो सकती हैं, का निरीक्षण करने के लिए भी एक त्वरित कार्यक्रम शुरू किया गया।

चल-स्टाक को नकारा घोषित करना

जीर्ण-शीर्ण परिसम्पत्तियों को अधिक तेजी से समाप्त करना, एक दूसरा पहलू था, जिसकी ओर वर्ष के दौरान निरन्तर ध्यान दिया जाता रहा। यह अनुमान लगाया गया है कि चालू योजना अवधि के अन्त तक दोनों आमानों के 17 प्रतिशत सवारी डिब्बे तथा बड़ी लाइन के 10.58 प्रतिशत माल डिब्बे, 1-4-1981 की स्थिति के अनुसार, मतायु हो जायेंगे। इस प्रकार के स्टाक, उपलब्ध क्षमता को अस्त-व्यस्त करके तथा परिचालन को धीमा करके उत्पादकता में काफी गिरावट ला सकते हैं। अतः यह विनिश्चय किया गया है कि निष्क्रिय चल-स्टाक को नाकारा घोषित करने का काम तेज किया जाय तथा इन्हें काट-छांट कर रद्दी के रूप में बेच दिया जाये।

इस नीति के अनुसार वर्ष के दौरान 600 सवारी डिब्बों, 18,250 माल डिब्बों तथा 550 रेल इंजनों को नाकारा घोषित किये जाने की सम्भावना है ।

यात्री सेवाएं

रेलों की इस बात के लिए जो आलोचना की जा रही है कि माल यातायात के संचलन की ओर अधिक ध्यान देकर यात्री सेवाओं की उपेक्षा की गयी है, उससे मैं परिचित हूं । मैं यह स्वीकार करता हूँ कि यात्री सेवाओं के सम्बन्ध में जो परिणाम प्राप्त हुए हैं, वे उतने उत्साहवर्धक नहीं रहे हैं जितने कि माल यातायात के परिणाम, हालांकि अनुपनगरीय यात्री यातायात में 3 प्रतिशत तथा उपनगरीय यात्री यातायात में 6 प्रतिशत की बजटीय वृद्धि प्राप्त कर ली जायेगी ।

सीमाएं तथा समस्याएं

गाड़ियों में भीड़-भाड़ को दूर करने के लिए उठाए गये कदम

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि यात्री यातायात में जितनी वृद्धि हुई, उसके अनुरूप यात्री गाड़ियों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है । वित्तीय संसाधनों की अपर्याप्तता, सवारी डिब्बों की कमी, विभिन्न मार्गों पर लाइन-क्षमता तथा गन्तव्य स्थलों पर टर्मिनल सुविधाओं के अभाव के कारण किसी महत्वपूर्ण राहत की व्यवस्था करना सम्भव नहीं हो सका है । फिर भी, उपलब्ध संसाधनों के भीतर दो इन्जनों से गाड़ियां कर्षित करके, भाप इन्जनों के बदले कर्षण के बेहतर साधन यानी डीजल और बिजली इन्जनों का उपयोग करके, वर्तमान सवारी डिब्बों के बदले अधिक क्षमता वाले सवारी डिब्बे चलाकर, गाड़ियों की रफ्तार में भी थोड़ी-सी कमी करके गाड़ियों में सवारी डिब्बों की संख्या बढ़ाकर अधिक यात्री ढोने की क्षमता सृजित करने के लिए योजनाएं बनायी जा रही हैं । सीमाओं के बावजूद, 1981-82 के दौरान (दिसम्बर, 1981 तक) 43 अतिरिक्त अनुपनगरीय और 12 उपनगरीय गाड़ियां चलायी गयी । नई दिल्ली और सिकन्दराबाद के बीच चल रही आन्ध्र प्रदेश एक्सप्रेस तथा जयपुर के बीच चल रही पिंक सिटी एक्सप्रेस गाड़ियों में दो इन्जन लगाये गये हैं । नयी दिल्ली-बम्बई जनता एक्सप्रेस तथा मद्रास-हावड़ा जनता एक्सप्रेस गाड़ियों में डीजल इन्जन लगाये गये हैं ।

अन्तरिम समाधान

नई दिल्ली-लखनऊ गोमती एक्सप्रेस में सवारी डिब्बों की संख्या बढ़ाकर 18 कर दी गई है । दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस के अनुसूचित समय में एक घण्टे की वृद्धि कर दी गयी है ताकि इसे 9 सवारी डिब्बों की बजाय 12 सवारी डिब्बे लगाकर कर्षित किया जा सके । इसी प्रकार नयी दिल्ली-बम्बई राजधानी एक्सप्रेस के यात्रा समय में लगभग 45 मिनट की वृद्धि कर दी गई है ताकि इसमें और 73 सीटों की वहन क्षमता बढ़ायी जा सके । हवड़ा-बम्बई गीतांजलि तथा हावड़ा-जम्मू तवी हिमगिरि एक्सप्रेस गाड़ियां क्रमश: सप्ताह में 4 दिन की बजाय 5 दिन तथा 2 दिन की बजाय 3 दिन चलायी जाने लगी हैं ।

मुझे विश्वास है कि सदन हमारी उन मजबूरियों को समझेगा जिनकी वजह से हमें 1982-83 के दौरान भी अतिरिक्त सवारी गाड़ियां चलाने के लिए धीमी गति की नीति को जारी

रखना पड़ेगा । फिर भी, मेरा जयपुर और आगरा फोर्ट के बीच भाप इन्जन द्वारा कर्षित एक जोड़ी सुपर-फास्ट गाड़ी चलाने का प्रस्ताव है । यह भी प्रस्ताव है कि मद्रास-अहमदाबाद नवजीवन एक्सप्रेस के फेरों में प्रति सप्ताह एक और फेरे की वृद्धि की जाये ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस में दो इन्जन लगाये जायेंगे ताकि यह 21 सवारी डिब्बों को खींच सके । इस समय इस गाड़ी में 16 सवारी डिब्बे लगाये जाते हैं । नई दिल्ली-बम्बई राजधानी एक्सप्रेस में भी दो इन्जन लगाये जायेंगे ताकि यह 18 सवारी डिब्बे खींच सके । इस समय इस गाड़ी में 10 सवारी डिब्बे लगाये जाते हैं । गाड़ियों में अनारक्षित स्थान बढ़ाने के उद्देश्य से 80 यात्रियों की क्षमता वाले साधारण सवारी डिब्बों के बदले 140 यात्रियों की क्षमता वाले दुमंजिले सवारी डिब्बे भी चलाये जा रहे हैं ।

इस समय सवारी डिब्बों की कमी के कारण बहुत-सी गाड़ियां कम डिब्बों के साथ चल रही हैं । इस कठिनाई को दूर करने के लिए एक तात्कालिक उपाय के रूप में, टर्मिनलों पर पड़ी रहने वाली गाड़ियों में कमी करके, बेहतर फेरों के लिए गाड़ी सम्पर्कों की रचना में विकास करके और सवारी डिब्बों की मरम्मत को परिष्कृत कर जोरदार अभियान चलाया जा रहा है ताकि उनकी उपलब्धता में सुधार किया जा सके ।

मैंने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्य, यांत्रिक से प्रमुख कारखानों में उपलब्ध मरम्मत और अनुरक्षण सुविधाओं का जायजा लेने हेतु तथा उपलब्ध क्षमता के उपयोग में सुधार लाने के लिए ठोस और व्यावहारिक उपायों का सुझाव देने के लिए उन कारखानों का निरीक्षण करने के लिए कहा है । मैंने महाप्रबन्धकों को भी इस आशय के अनुदेश दिये हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि चालू कैलेंडर वर्ष के अन्त तक कारखानों तथा शेडों की क्षमता के उपयोग में कम से कम 10 प्रतिशत की वृद्धि अवश्य की जाये ।

यह भी प्रस्ताव है कि उन कर्मचारियों के लाभ के लिए, जिन्हें अल्प सूचना पर यात्रा करनी पड़ती है, राजधानी एक्सप्रैस को छोड़कर प्रत्येक मेल/एक्सप्रेस गाड़ी में उत्तरोत्तर दूसरे दर्जे का एक और अनारक्षित सवारी डिब्बा लगाया जाये । इससे अनैतिक ट्रैवल एजेंटों का शिकार होने से भी वे बच जायेंगे ।

दुर्घटनाएं

गाड़ी दुर्घटनाओं के बारे में जिस प्रकार सदन तथा जनता चिन्तित है, उसी प्रकार मैं स्वयं भी चिन्चित हूं । यह अत्यन्त खेद की बात है कि हाल की दुर्घटनाओं से रेलों की छवि बहुत धूमिल हुई है । इन दुर्घटनाओं का शिकार होने वाले असहाय लोगों के प्रति मेरी हार्दिक सहानुभूति है । हाल ही में आयोजित क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबन्धकों के साथ हुई बैठक में, जिसे मैंने रेलों का कार्य-भार सम्हालने के तत्काल बाद, विशेष रूप से संरक्षा के पहलू पर विचार करने के लिए ही आयोजित की थी, मैंने संरक्षा प्रबन्ध के पक्ष की पुनरीक्षा की है । इन दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए व्यापक प्रयास शुरू किये जा रहे हैं और किये जाते रहेंगे । विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर दलों का गटन किया गया है जो गाड़ी परिचालन के संरक्षा पक्षों पर नजर रखेंगे ।

रेलों पर दुर्घटनाओं का एक कारण यह भी है कि रेलपथ, रेल इन्जन, सवारी और माल डिब्बों के बदलाव का काम बहुत जमा हो गया है। मरम्मत और अनुरक्षण का काम बकाया रह जाने के कारण स्थिति और भी खराब हो गयी है। यह प्रस्ताव है कि इन समस्याओं को त्वरित आधार पर हल किया जाये। अन्य उपायों के साथ-साथ कुछ महत्वपूर्ण उपाय, जिन्हें मैं उद्देश्यपूर्ण ढंग से लागू करना चाहूंगा, इस प्रकार हैं : कारखानों और शेडों की क्षमता के उपयोग में तेजी से सुधार, गतायु चल-स्टाक को नाकारा करने के काम में और तेजी लाना तथा गतायु रेलपथ के नवीकरण में तेजी लाना। इसके अलावा, निम्नलिखित उपायों को, जो पहले से ही किये जा रहे हैं और प्रभावकारी बनाया जायेगा, तथा उन्हें प्रभावी ढंग से लागू किया जायेगा :

(1) नियमित अन्तरालों पर गतायु रेलपथ की पराध्वनिक जांच;

(2) आदान लाइनों के रेलपथ परिपथन और धुरा काउंटरों जैसे तकनीकी उपकरणों का प्रभावी उपयोग;

(3) ड्राइवरों की अनिवार्य श्वास विश्लेषण परीक्षा को लागू करना ताकि वे नशे की हालत में काम पर न आ सकें;

(4) सभी डीजल और बिजली रेल इन्जनों में शक्तिशाली फ्लैश लाइट लगाना ताकि निकटवर्ती लाइनों पर ड्राइवरों को गाड़ी के पटरी से उतर जाने आदि के कारण उत्पन्न किसी सम्भावित बाधा के बारे में सचेत किया जा सके;

(5) परिचालनिक कोटियों में 'समस्या-कर्मचारियों' का पता लगाने, तथा उन्हें परामर्श देने के लिए संरक्षा परामर्शदाताओं का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करके कर्मचारियों में संरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना; और

(6) महाप्रबन्धकों द्वारा संरक्षा पर अधिक बल देते हुए, ट्रंक मार्गों पर सर्वांगपूर्ण निरीक्षण को जारी रखना।

गाड़ियों का समय-पालन

रेल परिचालन का दूसरा पहलू, जिसके कारण कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ता है, सवारी गाड़ी सेवाओं के समय-पालन से सम्बन्धित है। मैं इसको लेकर काफी चिन्तित हूं। यह एक ऐसा पक्ष है जिसमें अवश्य सुधार होना चाहिए। यद्यपि, समय-पालन में गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कई उपाय किये गये हैं, तथापि इस दिशा में सन्तोषजनक सुधार नहीं हो पाया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान अप्रैल से दिसम्बर, 1981 तक डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों का समग्र समय-पालन बड़ी लाइन पर 85.5 प्रतिशत तथा मीटर लाइन पर 87.8 प्रतिशत रहा है जबकि 1980-81 में यह प्रतिशत क्रमशः 84.2 तथा 85.9 था। हाल ही में क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबंधकों के साथ आयोजित बैठक में भी इस विषय पर मैंने चर्चा की थी। मुझे विश्वास है कि उनके दृढ़ प्रयासों से, गाड़ियों, विशेषकर डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों के समय-पालन में उल्लेखनीय सुधार परिलक्षित होगा।

खतरे की जंजीर खींचकर अनधिकृत रूप से गाड़ियों को रोकने, खराब हालत या घटिया अनुरक्षण की वजह से चल-स्टाक तथा अन्य उपस्करों की खराबी और दुर्घटनाएं, कुछ ऐसे प्रमुख

कारण हैं जिनका सवारी गाड़ियों के समय-पालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन सभी समस्याओं का एक-साथ समाधान किया जा रहा है। बहरहाल, इन समस्याओं का एक-साथ समाधान किया जा रहा है लेकिन, इन समस्याओं को हल करने के लिए दीर्घकालिक व्यवस्था करने की जरूरत है। स्थिति में शीघ्र सुधार लाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों के समय-पालन कर रेलवे बोर्ड में निगरानी जारी रखी जायेगी और मैं भी हफ्ते में एक बार व्यक्तिगत रूप से स्थिति की जांच करता रहूँगा। "ओन योर ट्रेन" नामक योजना के अन्तर्गत इनमें से प्रत्येक गाड़ी रेलों पर एक जिम्मेदार अधिकारी को नियत की जायेगी और यह देखना उस अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि उसकी गाड़ी का समय-पालन हो रहा है।

रेलवे योजना

रेलें अब छठी पंचवर्षीय योजना के तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रही हैं। जैसा कि सदन को पता है, रेलों की छठी पंचवर्षीय योजना को 'पुनः स्थापना योजना" का नाम दिया गया है। इसी के अनुरूप 1982-83 के लिये वार्षिक योजना में जीर्ण-शीर्ण परिसम्पत्तियों के नवीकरण और बदलाव पर भी बल दिया जायेगा।

दुर्भाग्यवश, योजना-अवधि के लिये कुल परिव्यय केवल 5100 करोड़ रुपये है। लागतों, विशेषकर, रेलों पर प्रयुक्त होने वाले सामानों की लागतों में वृद्धि हो जाने से, योजना के वास्तविक स्वरूप में वस्तुतः कमी आ गयी है। इस महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखते हुए कि भंडार की विशिष्ट मदों की खरीद, चल-स्टाक के रख-रखाव और परियोजनाओं के निष्पादन में काफी समय लगता है, 1982-83 के लिये योजना आवंटन 1137 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। आशा की जाती है कि देश के आर्थिक विकास में रेलों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इस वर्ष रेलों को कुछ आवंटन प्राप्त हो सकेगा।

नयी लाइनें और सर्वेक्षण

संसद के वर्षाकालीन सत्र के दौरान मेरे पूर्ववर्ती रेल मंत्री ने अनेक नयी रेल लाइनों जैसे बजबज-नामखाना, नंगलडैम-तलवाड़ा, जम्मू तवी-ऊधमपुर-कटुर-डिंडीगुल, चित्रदुर्ग-रायदुर्ग, कोरापुट-रायगुडा लाइनों का निर्माण कार्य तथा कुछ मीटर लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने का काम प्रारम्भ करने के लिये पूरक अनुदानों का प्रस्ताव किया था जिनकी अनुमानित लागत लगभग 297.22 करोड़ रुपये थी। योजना के दौरान सीमित धन उपलब्ध होने के कारण, अनेक नये निर्माण-कार्यों को अगले वर्ष के बजट में शामिल करना संभव नहीं हो पाया है।

यातायात के लिए खोली गयी नयी लाइनें और आमान परिवर्तन

1981-82 का बजट प्रस्तुत करने के बाद 155 कि० मी० लम्बी लाइनें यातायात के लिये खोली जा चुकी हैं। नयी लाइनों में तिरुनेलवेलि-नागरकोइल, सुखिन्दा-दैतारी और बीबीनगर-नलगोंडा खंड शामिल हैं। अन्य 90 कि० मी० लम्बी लाइनों को यातायात के लिये शीघ्र ही खोल दिये जाने की संभावना है। आमान परिवर्तन परियोजनाओं में से 421 कि० मी०

लम्बे बाराबंकी-समस्तीपुर मुख्य मीटर आमान ट्रंक मार्ग को बड़े अमान में परिवर्तित किया गया और उस वर्ष के दौरान उसे यातायात के लिये खोला गया। इससे उत्तर प्रदेश और बिहार के अनेक स्थानों का देश के शेष भाग के साथ बड़ी लाइन द्वारा सम्पर्क सुलभ हो गया है। वीरमगांव से ओखा और पोरबन्दर तक किया जा रहा आमान परिवर्तन का काम एक दूसरी महत्वपूर्ण आमान परिवर्तन परियोजना है जिस पर काम की गति तेज की जा रही है।

यद्यपि संसाधनों का अभाव एक वास्तविक बाधा है, फिर भी, विकासात्मक पहलुओं को देखते हुए, मैं 77.60 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से निम्नलिखित कुछ नयी लाइनों के निर्माण और आमान परिवर्तन परियोजनाओं को प्रारम्भ करने के बारे में विचार कर रहा हूं :

(1) सूरतगढ़ से सरुपसर तक मिली-जुली (बड़ी और मीटर लाइन) लाइन सहित मिली-जुली लाइन का निर्माण और सरुपसर से अनूपगढ़ तक मीटर लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन (78 मि० मी०) 16.34 करोड़ रुपये।

(2) सूरतगढ़-बीकानेर मीटर लाइन खंड का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन (182 कि० मी०) 3600 करोड़ रुपये।

(3) (क) राजपुरा भटिंडा लाइन को दिल्ली-भटिंडा लाइन से मिलाते हुए फूलमंडी को कटार सिंह वाले के साथ जोड़ते हुए एक बाई-पास लाइन और (ख) भटिंडा का परिहार करते हुए दिल्ली-भटिंडा लाइन को भटिंडा-सूरतगढ़ लाइन के साथ जोड़ते हुए एक बाई-पास लाइन का निर्माण 2.96 करोड़ रुपये।

(4) बड़ी लाइन की उप-संरचना सहित भुज से नालिया तक मीटर लाइन का निर्माण (110 कि० मी०) 22.00 करोड़ रुपये।

1137 करोड़ रुपये की आवंटित राशि में से, लगभग 50 प्रतिशत बदलाव-नवीकरण लेखे में खर्च किया जायेगा। आज स्थिति यह है कि लगभग 13000 कि० मी० लम्बे रेलपथ के नवीकरण की तत्काल आवश्यकता है, और 40,700 माल डिब्बे तथा 3,150 सवारी डिब्बे गतायु हो चुके हैं। इसी प्रकार, भाप रेल इंजनों को डीजल-बिजली रेल इंजनों से बदलने की आवश्यकता है। यही स्थिति कारखानों में मशीन और संयंत्रों की है। इसके लिये मूल्यह्रास आरक्षित निधि, जो पहले ही अत्यन्त निम्न स्तर पर पहुँच गयी है, में वृद्धि लाने के लिये अतिरिक्त आन्तरिक संसाधन जुटाने की आवश्यकता पड़ेगी।

संसाधनों की कमी के कारण, कुछ नये सर्वेक्षणों को ही शामिल करना संभव हो सका है, जो अनुदान की मांगें (भाग-II) नामक पुस्तक की मांग सं० 2 के अनुबन्ध 'क' में दिये गये हैं।

चूंकि ऐसी चालू और स्वीकृत परियोजनाओं तथा सर्वेक्षणों की संख्या बहुत अधिक है, जिन्हें उपलब्ध संसाधनों के भीतर पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिये मैं अनेक परियोजनाओं पर थोड़ा-थोड़ा धन लगाने की बजाय अपर्याप्त संसाधनों के विवेकपूर्वक उपयोग की युक्तिमूलक नीति

अपनाने और कुछ परियोजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिये बाध्य हूं ताकि राष्ट्र को निवेशों का लाभ मिल सके । यह इस नीति के अनुरूप है कि अनेक स्वीकृत निर्माण-कार्यों के लिये 1982-83 में परिव्यय के रूप में केवल सांकेतिक राशियां दिखायी गयी हैं । मूल रूप में, यह नीति सर्वेक्षणों पर भी लागू होगी ।

विद्युतीकरण

रेलों ने तेज गति से विद्युतीकरण करने का कार्यक्रम बनाया है । मुख्य ट्रंक मार्गों पर 2250 कि० मी० से अधिक दूरी में यह कार्य पहले शुरू हो चुका है । लगभग 3 से 4 वर्ष तक की अवधि में इन मार्गों को विद्युतीकृत करने के लिये हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं । निम्न-लिखित खंडों के मुख्य मार्गों पर और 1138 कि० मी० में अतिरिक्त विद्युतीकरण योजनाओं को स्वीकृति देने के प्रस्तावों पर भी विचार किया जा रहा है :

इटरसी-मुसावल	301 कि० मी०
इटारसी-नागपुर	298 कि० मी०
बल्हारशाह-वर्धा	133 कि० मी०
काजीपेट-सनतनगर	167 कि० मी०
भोपाल-नागदा	239 कि० मी०

इनसे, दिल्ली और मद्रास के बीच का सम्पूर्ण ट्रंक मार्ग, मध्य रेलवे का दिल्ली-बम्बई तथा दिल्ली-सिकन्दराबाद का मार्ग पूर्ण रूप से विद्युतीकृत हो जायेगा ।

1981-82 के दौरान, वाल्तेरु-किरांदुल खंड (387 कि० मी०) को ऊर्जित कर दिया गया है ।

मेट्रो रेलवे

चालू वर्ष के दौरान महानगर परिवहन परियोजनाओं पर 55 करोड़ रुपये के परिव्यय की संभावना है जबकि पिछले वर्ष 33.76 करोड़ रुपये खर्च हुए थे । अगले वर्ष के लिये 50 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं । कलकत्ता मेट्रो रेलवे पर दमदम और बेलगछिया के बीच परीक्षण-चालन हो रहे हैं । अन्य खंडों पर भी निर्माण कार्य संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रहा है । दिल्ली रिंग रेलवे पर निर्माण-कार्य की प्रगति निर्धारित समय से आगे है और यह प्रणाली, एशियाड-82 के लिये, समय से पूर्व ही अर्थात् इस वर्ष जून तक चालू कर दी जायेगी ।

अनुसंधान और विकास गतिविधियां

लखनऊ स्थित रेलवे अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन, रेलों की बढ़ती हुई और विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नवीनतम प्रौद्योगिकी के अनुरूप बिजली और डीजल रेल इंजनों, माल डिब्बों और सवारी डिब्बों के नये अभिकल्पों का विकास करने में सक्रिय रूप से संलग्न हैं । इस शृंखला में नवीनतम अभिकल्प है राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों को खींचने

के लिये प्रोटोटाइप बिजली रेल इंजन का विकास। एक वातानुकूल डबल-डेकर सवारी डिब्बे के अभिकल्प को अन्तिम रूप दिया गया है; इससे वर्तमान अभिकल्प के इन डिब्बों में अपर्याप्त वायु-संचार की जो समस्या है उसे दूर किया जा सकेगा। 7500 टन भार वाली और लम्बी गाड़ियों के लिये उपयुक्त माल डब्बों के अभिकल्प का भी विकास किया गया है। विभिन्न अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों की प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए, इस संगठन के लिये एक समवेत योजना बनायी गयी है।

खान-पान

रेलों में खान-पान सेवायें एक दूसरा ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसके सम्बन्ध में जनता से लगातार शिकायत मिलती हैं। सेवा की कुशलता और भोजन की किस्म दोनों में सुधार किया जाना आवश्यक है। जिन कुछ पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वे इस प्रकार हैं : आधुनिक पाक तकनीक अपनाना, रसोईघरों में आधुनिक जुगत और उपस्कर का उपयोग, रसोईघरों की स्थापनाओं में सफाई सुनिश्चित करना, खान-पान कर्मचारियों का प्रशिक्षण, भोजन में मिलावट का पता लगाने के लिये आकस्मिक निरीक्षण और सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिये जनता की शिकायतों की तुरन्त जांच।

कंटेनर सेवा

मुझे सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि अगस्त, 1981 में बेंगलूरु स्थित एक इनलैंड कंटेनर डिपो की पायलट परियोजना प्रारम्भ करने से वर्ष के दौरान आई० एस० ओ० कंटेनरों में आयात और निर्यात किये जाने वाले यातायात की ढुलाई सुलभ होने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। बेंगलुरु सिटी और मद्रास के बीच दोनों ओर से आई० एस० ओ० कंटनरों में यातायात की ढुलाई में तेजी से प्रगति हो रही है। प्रगति मैदान, नयी दिल्ली में दूसरे पायलट इनलैंड कंटेनर डिपो के शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिये जाने की संभावना है, जिनके लिये आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था पहले ही पूरी की जा चुकी है। अन्तर्राष्ट्रीय यातायात की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, देश में अन्य केन्द्रों पर अनेक इनलैंड कंटेनर डिपो बनाने की योजना है और तुगलकाबाद तथा अहमदाबाद में इन सुविधाओं का विकास करने के लिये तकनीकी एवं आर्थिक सर्वेक्षण पहले ही शुरू किये जा चुके हैं।

पर्यटन

सदन को स्मरण होगा कि मेरे पूर्ववर्ती रेल मंत्री ने पिछले वर्ष बजट भाषण में उल्लेख किया था कि रेलें पर्यटन का विकास करने के लिये विशेष कार्यक्रम बनायेंगी। इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये, विदेशी पर्यटकों के लिये सुविधाजनक, आरामदेह और आकर्षक रेल यात्रा की सुविधायें प्रदान करने के सम्बन्ध में उपाय सुझाने के लिये मई, 1981 से रेलवे बोर्ड में एक अलग पर्यटन निदेशालय स्थापित किया गया है। राजस्थान सरकार के सहयोग से इस वर्ष अक्तूबर से पैलेस आन व्हील्स नामक एक पायलट परियोजना प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। मुझे 26 जनवरी, 1982 को इस गाड़ी की प्रोत्साहनात्मक यात्रा का उद्घाटन करने का

सौभाग्य प्राप्त हुआ था। यह आशा है कि प्राप्त अनुभव के आधार पर, संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से योजनाबद्ध तरीके से देश के अन्य भागों में भी इसी प्रकार की विशेष पर्यटक गाड़ियां चलायी जायेंगी।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिन अन्य उपायों पर विचार किया जा रहा है वे इस प्रकार हैं : विदेशों में इन्डरेल टिकटों की बिक्री की योजना जिसमें रेल द्वारा असीमित यात्रायों की व्यवस्था होगी, विदेशों में विभिन्न केन्द्रों पर रेल यात्रा के लिए अग्रिम आरक्षण की व्यवस्था, विशेष पर्यटक समय सारिणी तैयार करना जिसमें अलग-अलग समयावधियों के भ्रमण कार्यक्रम का चुनाव किया जा सकता है। ये उपाय, भारत में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने और देश के विदेशी मुद्रा के स्रोत, जिनकी पहले ही अत्याधिक कमी है, की वृद्धि के लिए पर्यटन एवं सिविल विमानन मन्त्रालय की पर्यटन को बढ़ावा देने की समग्र योजनाओं के अनूपूरक के रूप में होंगे।

अन्तर्राष्ट्रीय रेल सहयोग

भारतीय रेलों के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण घटना थी, जब उनकी उत्प्रेरणा पर गत अक्तूबर में टाप रेलवे एक्जीक्यूटिव आफ एशिया एण्ड दी मिडिल ईस्ट (ट्रीम), सम्मेलन का छठा सत्र आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में इस क्षेत्र के 18 देशों ने भाग लिया था। इससे वरिष्ठ रेल अधिकारियों को रचनात्मक विचार-विनिमय, अपने अनुभवों के आदान-प्रदान, और सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय रेलों के मध्य अधिक सहयोग हेतु रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। पर्यटन को बढ़ावा देने, इन्टर-माडल यातायात विकसित करने तथा रेल परिवहन के अन्य संबंधित क्षेत्रों में समान कार्रवाई के लिए एक एशियाई रेलवे दशक प्रारम्भ करने का भी प्रस्ताव है।

ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय विचार-विनिमय से भारतीय रेलों को विविध क्षेत्रों में काफी सहायता मिलेगी।

रेल यात्रियों की संरक्षा को प्रभावित करने वाले अपराध

रेल यात्रियों और उनके सामान की संरक्षा और सुरक्षा को प्रभावित करने वाले अपराधों की समस्या अत्यधिक चिन्ता का विषय रही है। मैं यथा-संभव कम से कम समय में इस समस्या को प्रभावकारी ढंग से सुलझाना चाहता हूं। हम पहले से ही राजकीय रेलवे पुलिस की संख्या में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकारों की सहायता कर रहे हैं जिसमें लागत का 50 प्रतिशत रेलों का हिस्सा होता है। गाड़ियों में लूट-पाट/डकैती की घटनाओं की रोकथाम के लिए जो उपाय किये गये हैं उनमें से कुछ इस प्रकार हैं : रात में महत्वपूर्ण यात्री गाड़ियों में पुलिस के सशस्त्र रक्षकों द्वारा मार्ग रक्षा करना, स्टेशनों, प्लेटफार्मों, प्रतीक्षालयों की गश्त लगाना, अपराधियों और कुख्यात गुंडों पर नजर रखना, कुछ राज्य सरकारों द्वारा अपराध की महत्वपूर्ण घटनाओं की प्रभावकारी ढंग से छानबीन करने के लिए खुफिया विभाग के विशेष दस्तों का गठन करना आदि। सवारी डिब्बों के कक्षों में संरक्षा की दृष्टि से, ताले लगाने की व्यवस्थाओं में सुधार लाने और महिला कक्षों के बाहर फ्लैशर रोशनी की व्यवस्था करने और अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए गलियारों

में सुधार करने के लिए भी जांच-पड़ताल जारी है। इस महत्वपूर्ण समस्या पर विचार-विमर्श करने और अपराध की घटनाओं को यथा-सम्भव न्यूनतम करने के लिए युक्तियां सुझाने के लिए राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों के साथ एक बैठक बुलाने के बारे में भी मैं विचार कर रहा हूं।

शायिकाओं का आरक्षण

शायिकाओं और सीटों के आरक्षण में बुकिंग कार्यालय में कुछ अनैतिक ट्रेवल एजेंसियों द्वारा रेल कर्मचारियों की सांठ-गांठ से जो कदाचार हो रहे हैं, मैं उनके बारे में पूर्ण रूप से सजग हूं। सतर्कता जांच के कार्य में और तेजी लाने तथा खामियों को यथासम्भव समाप्त करने की दिशा में उपाय सुझाने के बारे में भी मैं विचार कर रहा हूं। एक बड़ा कारण, जिससे आरक्षण कार्यालयों में कदाचार को बढ़ावा मिलता है, वह है गाड़ियों में स्थान की उपलब्धता से अधिक शायिकाओं की मांग।

औद्योगिक सम्बन्ध

यह मानना होगा कि आदमी ही गाड़ी को चलाता है। आज, उत्पादकता के क्षेत्र में रेलें जिस उच्च स्तर पर पहुंच चुकी हैं, वह सम्भव नहीं हुआ होता यदि सभी कोटियों के रेल कर्मचारियों ने पर्याप्त सहयोग न दिया होता और समर्पित सेवा न की होती। वास्तव में 1981-82, रेल क्षेत्र में औद्योगिक शांति की दृष्टि से एक बेजोड़ वर्ष रहा।

इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में, प्रबुद्ध प्रबंधकों को मुख्य भूमिका निभानी है। यह उसका प्रमुख कर्तव्य हो जाता है कि वे अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मचारियों की लगातार देखभाल करें और बातचीत द्वारा उनकी शिकायतें दूर करने का प्रयास करें ताकि वे आन्दोलन का रास्ता न अपनाएं। मैं चाहता हूं कि रेलवे मैनेजमेंट श्रमिक सम्बन्धों में इस मैत्री नीति को सार्थकता से लागू रखे।

पहली अगस्त, 1981 से, रनिंग भत्ते की दरों में काफी हद तक सुधार किया गया और रनिंग कर्मचारियों के संवर्गों की पुनर्संरचना की गयी। इसके फलस्वरूप लगभग एक लाख रनिंग कर्मचारियों को परिलब्धियों में सुधार हुआ जिसकी प्रतिवर्ष अनुमानित लागत 10 करोड़ रुपये से अधिक है। यह पहली बार हुआ है कि गाड़ियों को अपेक्षाकृत शीघ्रता से चलाने और परिणामतः अधिक राजस्व कमाने के लिए रेल कर्मचारियों के लिए एक अन्तः निर्मित प्रोत्साहन योजना लागू की गयी।

हमने सांविधिक कैंटीन कर्मचारियों को अक्तूबर, 1980 से रेल कर्मचारियों के रूप में वर्गीकृत करके उनकी भी समस्याएं हल कर दी हैं। इसमें उन्हें पर्याप्त लाभ होगा।

वर्ष के दौरान रेल सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की भर्तियों में सुधार लाने के लिए भी विशेष प्रयास किये गये। मार्च, 1981 के अन्त तक, रेलों में अनुसूचित

जाति और अनुसूचित जनजाति के 3.3 लाख नियमित कर्मचारी सेवा में थे। प्रतिशत के रूप में, यह संख्या रेल कर्मचारियों की कुल संख्या का 20.9 प्रतिशत बैठती है।

1980-81 के अन्त में भारतीय रेलों में 2.6 लाख नैमित्तिक श्रमिक थे जिन्हें नियमित सेवा में समाहित किया जाना था। रेलों को इस आशय के अनुदेश जारी किए गए हैं कि वर्ग 'घ' के पदों को अनिवार्यत: इस कोटि के कर्मचारियों से भरा जाये। इस प्रयोजन के लिए अनेक पदों का सृजन भी किया गया है। नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित सेवा में समाहित करने की यह योजना अब चरणबद्ध रूप में प्रारम्भ की जा रही है।

कर्मचारियों के लिए योजनाबद्ध आधार पर क्वार्टरों की व्यवस्था करने की रेलों की नीति के अनुसार 1981-82 के दौरान 8,263 यूनिट क्वार्टरों का निर्माण पूरा हो जाने की सम्भावना है। इन यूनिटों को मिलाकर, वर्ष के अन्त में रेलों पर क्वार्टरों की कुल संख्या लगभग 5.76 लाख हो जाएगी। 1982-83 के दौरान 7.144 अतिरिक्त यूनिटों का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

बम्बई, जमालपुर, सियालदह, इलाहाबाद, जोधपुर, मुरादाबाद, लमडिंग, चक्रधरपुर, बोंडामंडा, अजमेर, सोनपुर, विजयवाड़ा और बेंगलूर के रेलवे अस्पतालों का 1.30 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिकीकरण करके स्वास्थ्य का स्तर सुधारने और रेल कर्मचारियों की बीमारी की परिचर्या करने पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। विभिन्न अस्पतालों में 204 अतिरिक्त पलंगों की भी व्यवस्था की जायेगी। वाराणसी में एक रेलवे कैंसर संस्थान स्थापित करने से सम्बन्धित निर्माण कार्य 1982-83 के अन्त तक पूरा हो जाने की सम्भावना है। इससे कैंसर से पीड़ित रेल कर्मचारियों को पर्याप्त चिकित्सा राहत सुलभ हो जायेगी।

सरकारी उपक्रम

रेल मन्त्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन दो सरकारी उपक्रमों अर्थात राइट्स और इरकान ने 1981-82 के दौरान तेजी से प्रगति की है। 1981-82 के दौरान राइट्स द्वारा 14 करोड़ रुपये का करोबार करने की सम्भावना है जबकि 1980-81 में 10.6 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ था। इस कम्पनी को लगातार मुनाफा हो रहा है और इसने 1980-81 के दौरान 25 प्रतिशत लाभांश की घोषणा की थी। यह इस समय नाइजीरिया, इराक, जोर्डन, फिलीपीन्स और घाना में कई परियोजनाओं का निर्माण कार्य कर रही है। हाल ही में इस कम्पनी को जिम्बाब्वे में एक बहुत बड़ा ठेका मिला है और मोजाम्बीक तथा जाम्बिया में मैनेजमैंट सपोर्ट के लिए प्राप्त ठेकों का काम प्रारम्भ कर दिया गया है। अल्जीरिया और इराक में नयी लाइनों के सर्वेक्षण के लिए भी ठेके मिले हैं। संक्षेप में, इस कम्पनी ने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अग्रणी परामर्श फर्म के रूप में अपने आपको सफलतापूर्वक स्थापित कर लिया है।

1981-82 के दौरान इरकान को 310 करोड़ रुपये से अधिक के निर्माण कार्य का कारोबार मिलने की सम्भावना है जबकि 1980-81 में 69.3 करोड़ रुपये का कारोबार मिला था।

आशा है, इस कम्पनी को 1981-82 के दौरान 140 लाख रुपये का लाभ होगा। हाल ही में कड़ी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के बावजूद इस कम्पनी ने इराक में लगभग 225 करोड़ रुपये की लागत पर एक रेलवे लाइन का निर्माण करने का अति प्रतिष्ठापूर्ण कार्य प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। इसे नाइजीरियन रेलवे कारपोरेशन के लिए सिगनल के फालतू पुर्जों की आपूर्ति के लिए भी एक ठेका मिला है।

उत्पादकता वर्ष

जैसा कि सदन को ज्ञात है, 1982 को उत्पादकता वर्ष घोषित किया गया है। 1981 के दौरान रेलवे संचालन के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और इसमें अभी भी सुधार होता रहेगा। यह उत्साहवर्धक रुख 1982 में कायम रखा जायेगा और उसमें सुधार भी लाया जायेगा।

गाड़ियों के निरापद संचलन को मैं सर्वाधिक प्राथमिकता दूंगा क्योंकि यह न केवल जनता के विश्वास को पुन: प्राप्त करने, बल्कि और भी ज्यादा उत्पादकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। संरक्षा के प्रति सभी स्तरों पर जागरुकता उत्पन्न करने और कार्य-विधि के कार्यान्वयन में रहने वाली त्रुटियों तथा क्षेत्र स्तर पर कार्य सचालन के लिए अपनायी जाने वाली लाघव पद्धतियों का, मौके पर जाकर पता लगाने और उन्हें दूर करने के लिए मेरे सहयोगी और मैं तथा बोर्ड के अध्यक्ष और तकनीकी सदस्य, जिनका संरक्षा पहलू के साथ गहरा सम्बन्ध है, चरणबद्ध कार्यक्रम के आधार पर रेलों के सभी मंडलों का निरीक्षण करेंगे। इन निरीक्षणों से पहले मंडलों का निरीक्षण सीधे रेलवे बोर्ड के अधीन कार्यरत उच्च स्तरीय अनुश्रवण दलों द्वारा किया जाएगा।

माल गाड़ियों के परिचालन को और अधिक सुचारू और कारगर बनाया जायेगा। डीजल अथवा बिजली रेल इंजनों से गाड़ियों का कर्षण शुरू हो जाने के फलस्वरूप, भाप रेल इंजन मरम्मत शेडों को बन्द करने की नीति का अनुसरण तेजी से किया जायेगा। परिचालन के परिवर्तित स्वरूप के अनुसार जहां मध्यवर्ती विन्यास यार्ड बेकार हो गये हैं, वहां उन्हें बन्द करके अथवा उन्हें छोड़ते हुए मार्ग में लगने वाले समय को कम किया जायेगा। माल डिब्बे अनावश्यक रूप से रुके न रह जाएं तथा माल की चोरी और उठाईगीरी की घटनाएं न होने पाएं, इस उद्देश्य से, जहां सम्भव है यानान्तरण और रीपैकिंग स्थलों को बन्द करने की दिशा में भी प्रयास किये जा रहे हैं।

पार्सलों की ढुलाई की प्रणाली को परिष्कृत करने पर नये रूप में जोर दिया जायेगा। सप्ताह में निर्धारित दिनों को महत्वपूर्ण मार्गों पर पूरे "जम्बो" रेकों में गारंटी शुदा परिवहन समय सीमा के आधार पर पार्सलों की ढुलाई के लिए पार्सल 'लाइनरों' की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। महत्वपूर्ण सवारी गाड़ियों में पार्सलों की ढुलाई के लिए अपने लिए स्थान सुरक्षित करने की योजना शुरू करने का भी प्रस्ताव है। इस योजना के अन्तर्गत, किसी बड़े ग्राहक के अनुरोध पर उससे उच्चतर पार्सल दरें वसूल करके उसके लिए विशेष रूप से स्थान निर्धारित कर दिया जायेगा।

बिना टिकट यात्रा की रोकथाम के लिये चलाये जाने वाले अभियान में तेजी लायी जायेगी और चोरी तथा उठाईगीरी के कारण उत्पन्न होने वाले मुआवजे के दावों में कमी करने के प्रयास में भी तेजी लायी जायेगी।

राजस्व अर्जक माल यातायात को बढ़ाकर 2300 लाख टन तथा शुद्ध टन किलोमीटर को बढ़ाकर 168 अरब तक पहुंचाने के लिए उच्चतर लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। प्रत्येक कुशलता सूचकांक पर बारीकी से और सोद्देश्यपूर्ण निगरानी रखी जायेगी ताकि वर्ष के दौरान सर्वत्र उच्चतर उत्पादकता सुनिश्चत की जा सके। निर्धारित कुशलता सूचकांकों के आधार पर, उस क्षेत्रीय रेलवे को राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में उत्पादकता शील्ड देना शुरू करने का प्रस्ताव है, जो वर्ष के दौरान समग्र कुशलता में अधिकतम सुधार दिखाये।

मैंने क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन कारखानों के महाप्रबंधकों को पहले ही निदेश दे दिये हैं कि वे सर्वत्र उत्पादकता में 10 प्रतिशत सुधार लाने के लिये उपाय करें।

मैंने रेलवे बोर्ड को निदेश दिया है कि वे एक ऐसी विशेषज्ञ इंजीनियरी समिति गठित करने की व्यवहारिकता की जांच करें जो रेलवे कारखानों के विन्यास, प्रचलित प्रोत्साहन योजना और कई दशकों से प्रचलित कार्यविधियों का बारीकी से अध्ययन करें ताकि यह पता लगाया जा सके कि उत्पादकता में चिरपेक्षित सुधार लाने तथा पर्याप्त गुण नियंत्रण के लिए प्रक्रियाओं और कार्यविधियों को पुन: तैयार करने और उन्हें परिस्थिति के अनुकूल बनाने के लिए क्या कुछ करना अपेक्षित है।

मेरा यह भी प्रस्ताव है कि रेल परिसरों में वृक्षारोपण के लिए व्यापक अभियान चलाया जाये और आवश्यक पुन: समायोजन द्वारा यथोचित उच्चतर स्तर पर किसी उपयुक्त तंत्र का सृजन किया जाये ताकि यह एक सोद्देश्य प्रयास हो सके। रेलों के पास भूमि और जन शक्ति के अगाध साधन हैं, इसलिए वे इस दिशा में काफी सफलता प्राप्त कर सकती हैं।

संक्षेप में, मेरा उद्देश्य यह होगा कि सभी रेल कर्मचारियों के अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ और सद्प्रयासों से सर्वत्र उत्पादकता बढ़े। इसके लिए हम माननीय प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा सुझाये गये नारे 'श्रमेव जयते' को आदर्श-वाक्य के रूप में अपनायेंगे।

वित्तीय समीक्षा

1980-81 के वास्तविक

चालू वर्ष के संशोधित वित्तीय परिणाम और आगामी वर्ष के अनुमान प्रस्तुत करने से पहले मैं, जैसा कि आमतौर पर किया जाता रहा है, समाप्त हो चुके पिछले वर्ष के वित्तीय परिणामों की समीक्षा करना चाहूंगा। 1980-81 के दौरान, यातायात से सकल प्राप्ति और कुल व्यय का संशोधित अनुमान क्रमश: 2707.22 करोड़ रुपये और 2435.13 करोड़ रुपये था। जब

वर्ष के वित्तीय लेखे अन्तिम रूप से बन्द किये गये, तब संशोधित अनुमान की तुलना में यातायात से सकल प्राप्ति 83.30 करोड़ रुपये कम रही और कुल व्यय 61.40 करोड़ रुपये बढ़ गया।

यातायात से सकल प्राप्तियों में जो कमी रही, उसमें से अकेले माल यातायात से प्राप्तियों में 70.59 करोड़ रुपये की कमी रही। यातायात से सकल प्राप्तियों में कमी के लिए जिम्मेदार अन्य कारण यह था कि वसूल न की गई आमदनी में 11.26 करोड़ रुपये की वृद्धि हो गयी। वस्तु-स्थिति यह थी कि संशोधित अनुमानों में की गई प्रत्याशा की अपेक्षा वास्तव में 9.4 लाख टन माल यातायात की अधिक ढुलाई हुई लेकिन माल यातायात से आमदनी में कमी का कारण मिश्रित उत्पाद में मामूली परिवर्तन का होना और ढोये गये प्रति दस लाख टन माल के लिए राजस्व प्राप्ति के अनुमान का अधिक लगाया जाना था। वसूल न की गई आमदनी, अर्थात यातायात उचन्त के अन्तर्गत शेष में भी वृद्धि हुई, क्योंकि कुछ राज्य बिजली बोर्ड और अन्य सरकारी उपक्रम रेलवे को देय राशि का वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले भुगतान न कर सके।

यातायात बढ़ाने संबंधी प्रयासों को तेज करने के साथ-साथ संचालन व्यय में भी वृद्धि हुई, क्योंकि इसके लिये खराब चल स्टाक को पुनः काम लायक बनाने के लिए मरम्मत का काम बड़े पैमाने पर करना आवश्यक हो गया, जिससे मरम्मत के लिए आपेक्षित सामानों की खपत अधिक हुई। चल स्टाक के फालतू पुर्जों, अवयवों और विविध भंडारों की कीमतें बढ़ जाने के कारण भी संचालन व्यय में वृद्धि हुई।

संशोधित अनुमान, 1981-82

1981-82 के बजट अनुमानों में यातायात से 3276.75 करोड़ रुपए की सकल प्राप्ति होने का अनुमान लगाया गया था। आम बहस को समाप्त करते समय 3.40 करोड़ रुपए मूल्य की रियायतों की जो घोषणा की गई थी, उसे उक्त राशि में से घटाने के बाद यातायात से सकल प्राप्ति की राशि घटकर 3273.35 करोड़ रुपए रह गयी। नवीनतम प्रत्याशा यह है कि यातायात से सकल प्राप्ति अब लगभग 3541.80 करोड़ रुपए अर्थात् मूल बजट अनुमान की अपेक्षा 265.05 करोड़ रुपए अधिक होगी। ऐसा अनुमान लगाते समय, वर्ष के दौरान किराए-भाड़े की दरों में किए गए समायोजनों और ढोये गये यातायात में वृद्धि इन दोनों कारणों से होने वाली अतिरिक्त आमदनी को ध्यान में रखा गया है।

बजट में दिखायी गयी 2464.64 करोड़ रुपए की राशि की अपेक्षा संचालन व्यय में 250 करोड़ रुपए की वृद्धि होने की आशा है। संचालन व्यय में यह वृद्धि, अनिवार्यतः बजट के बाद के कुछ कारणों, जैसे डीजल तेल सहित पेट्रोल जन्य पदार्थों, इस्पात और अन्य साधन-सामग्रियों की कीमतों में तेज वृद्धि के साथ-साथ कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तें स्वीकृत करने से हुई। संसद ने कुल मिलाकर 186.79 करोड़ रुपए (शुद्ध) की अनुदान की पूरक मांगों को पहले ही अनुमोदित कर दिया है। शेष 63.21 करोड़ रुपए की राशि संशोधित अनुमानों के माध्यम से समायोजित करने का प्रस्ताव है।

वर्ष के लिए अधिशेष, जिसके संबंध में पहले 49.89 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया था, के अब 51.84 करोड़ रुपए होने की आशा है। विकास निधि को प्रभार्य व्यय में 46.13

करोड़ रुपए के विनियोजन के पश्चात 5.71 करोड़ रुपए का शुद्ध अधिशेष रह जाएगा, जिसे आस्थगित लाभांश के बकायों में दायिता समायोजित कर दिया जाएगा ।

बजट अनुमान 1982-83

यातायात के उच्चत्तर लक्ष्य

आशा है, रेलें 1982-83 में 2300 लाख टन प्रारंभिक राजस्व अर्जक माल यातायात की ढुलाई करके एक ओर मील पत्थर पार करेंगी । यह भी आशा है कि वर्ष के दौरान उपनगरीय यात्री यातायात में 5 प्रतिशत और अनुपनगरीय यात्रा में 3 प्रतिशत की वृद्धि होगी ।

इन महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों के अनुसार, किराए और भाड़े की वर्तमान दरों के आधार पर बजट वर्ष 1982-83 में यातायात 3914.34 करोड़ रुपए की सकल प्राप्ति अर्थात 1981-82 के संशोधित अनुमानों की अपेक्षा 372.54 करोड़ रुपए अधिक होने की आशा है ।

साधारण संचालन व्यय 3052.90 करोड़ रुपए, अर्थात वर्ष 1981-82 के संशोधित अनुमानों की अपेक्षा 338.26 करोड़ अधिक होने का अनुमान है । यह आंकड़ा वर्ष 1981-82 के दौरान अलग-अलग तिथियों को डीजल तेल और बिजली की कीमतों में हुई वृद्धि, अतिरिक्त महंगाई भत्ते की किस्तों, रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों को दी गई राशन सहायता, आदि का पूरे वर्ष पड़ने वाले प्रभाव को परिलक्षित करता है । अन्य उपभोज्य भंडारों की कीमतों में होने वाली वृद्धि को पूरा करने के लिए कुछ व्यवस्था भी इन अनुमानों में रखी गई है । इसके अलावा, अनुरक्षण, जो निरापद परिचालनों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, के भारी बकाया काम को आंशिक रूप से पूरा करने के हेतु चल स्टाक की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए कारखानों और शेडों की क्षमता का अधिकाधिक उपयोग करने के कारण होने वाले अतिरिक्त खर्च के लिए भी व्यवस्था की गई है । बढ़ रहे माल तथा यात्री यातायात की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी अतिरिक्त खर्च की व्यवस्था की गई है । रेलों द्वारा अपनाये गये मितव्ययिता के उपायों को ध्यान में रखकर अतिरिक्त खर्च का अनुमान लगाया गया है ।

व्यय में मितव्ययिता

मितव्ययिता की ओर हम सर्वाधिक ध्यान देते रहे हैं । प्रत्येक रेलवे पर एक अपर महाप्रबंधक और प्रत्येक मंडल में एक अपर मंडल रेल प्रबंधक को मुख्यतः खर्च पर कारगर नियंत्रण सुनिश्चित करने का ही काम सौंपा गया है । रेलवे बोर्ड द्वारा महाप्रबंधकों को विस्तृत अनुदेश दिये जाते रहते हैं, कि किन क्षेत्रों में खर्च में कटौती की जा सकती है, ताकि अपव्यय को यथासंभव समाप्त किया जा सके । इन अनुदेशों के कार्यान्वयन पर भी रेलवे बोर्ड बराबर दृष्टि रखता है । मितव्ययिता के इन संगठित प्रयासों के फलस्वरूप, दिसम्बर, 1981 के अन्त तक आवर्ती और अनावर्ती खर्च के रूप में 43 करोड़ रुपए की बचत की गयी है ।

मूल्यह्रास आरक्षित निधि में अंशदान की राशि को 1981-82 के 350 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1982-83 में 500 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है । महत्वपूर्ण परिचालनिक परिसम्पत्तियों के पुनःस्थापन की गति तेज करने के लिए ऐसा करना नितांत आवश्यक हो गया है । इससे योजना में निर्धारित सीमित राशि के भीतर रेलपथ, सिगनल और दूरसंचार उपस्कर, गतायु

सवारी डिब्बों, माल डिब्बों, और रेल इंजनों के नवीकरण के बकाया कामों को जरा तेजी से निबटाया जा सकेगा और गाड़ियों के निरापद चालन तथा यातायात की गति पर लगाये गये प्रतिबंधों को हटाने में मदद मिलेगी। मैं इससे कहीं अधिक धनराशि की व्यवस्था करना चाहता था, लेकिन धन की अत्यन्त कठिनाई इसमें बाधक बनी हुई है।

पेंशन निधि में विनियोग की राशि भी 1981-82 के 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1982-83 के बजट में 150 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है, ताकि कर्मचारियों की परिलब्धियों में वृद्धि और पेंशनभोगियों आदि को महंगाई भत्ते की किस्तों के भुगतान के कारण पेंशन के अधिक भुगतान की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

इस प्रकार, यातायात से 3914.34 करोड़ रुपये की सकल प्राप्तियों की तुलना में कुल संचालन व्यय 3666.64 करोड़ रुपये बनता है जिससे 247.70 करोड़ रुपये का शुद्ध राजस्व शेष रह जाता है। निम्नलिखित दायिताओं को पूरा करने के लिए यह पर्याप्त नहीं होगा। प्रत्याशित लाभांश दायिता 405.12 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, विकास निधि में प्रभार्य खर्च और सामान्य राजस्व के प्रति कर्जदारी को आंशिक रूप से चुकता करने के लिए 109.79 करोड़ रुपये की आवश्तकता पड़ेगी। विकास निधि और आस्थगित लाभांश दायिता दोनों के अन्तर्गत सामान्य राजस्व के प्रति कर्जदारी की कुल राशि 1981-82 के अन्त तक 597.74 करोड़ रुपये होगी। इस भारी कर्ज की देनदारी को वर्षानुवर्ष आगे बढ़ाते जाने से रेलवे की समग्र वित्तीय साधन श्रोतों की स्थिति पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक है कि लम्बे समय से पड़ी इस बकाया कर्जदारी को चुकता करना शुरू किया जाय। इसके अलावा, सुदृढ़ वित्तीय प्रबन्ध की यह एक अनिवार्य आवश्यकता है। यदि इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाय, तो साधन श्रोतों के बीच 261.45 करोड़ रुपये का अन्तर पड़ेगा।

मैं सदन का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि बाद में, आवश्यक समझे गए किन्हीं समायोजनों के रहते हुए, 1982-83 के बजट प्रस्ताव सामान्यत: वर्ष 1981-82 तक लागू रेल अभिसमय समिति की सिफारिशों पर आधारित हैं। लेकिन इसमें मूल्यह्रास आरक्षित निधि और पेंशन निधि में अंशदान को, आवश्यकता के आधार पर, बढ़ाने से सम्बन्धित प्रस्ताव शामिल नहीं हैं। जब तक कि समिति की सिफारिशों को अन्तिम रूप नहीं दे दिया जाता, तब तक के लिए इन वृद्धियों तथा वर्तमान प्रबन्धों को जारी रखने के लिए अभिसमय समिति का अनुमोदन मांगा गया है।

ऊपर बतायी गयी समस्याओं की व्यापकता को देखते हुए मुझे देश और रेलों के समग्र वित्तीय हित में कुछ कठोर निर्णय लेने के लिए बाध्य होना पड़ा है।

प्रस्ताव

मूलाधार

प्रस्तावों की रूपरेखा प्रस्तुत करने से पहले यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उन मूलभूत कारणों को स्पष्ट किया जाये जिनके परिणामस्वरूप परिवहन की लागत और वर्तमान किराया

संरचना के जरिए होने वाली वसूलियों के बीच अन्तर अधिक बढ़ गया है। रेलें जिन परिवहन सेवाओं की व्यवस्था करती हैं, उनमें यात्री और कोचिंग सेवायें, विशेष रूप से उपनगरीय और साधारण दूसरे दर्जे की सेवाओं को भारी आर्थिक-सहायता दी जाती है। इस समय इन सेवाओं पर वार्षिक आर्थिक-सहायता के रूप में जो राशि खर्च की जा रही है, वह 416 करोड़ रुपये है। यद्यपि जुलाई 1980 और अप्रैल 1981 में किरायों में कुछ संशोधन किये गये थे, तथापि ये संशोधन अभी भी आर्थिक स्तरों से बहुत कम हैं। 15-7-1980 से 100 कि० मी० तक की यात्रा के लिए 10 प्रतिशत के अधिप्रभार और 1-4-1981 से साधारण दूसरे दर्जे में 200 कि० मी० तक की यात्रा के लिए 5 प्रतिशत के अधिप्रभार से दी गयी निरन्तर छूट के कारण सेवा की लागत और वसूली के बीच अन्तर और भी बढ़ गया है। चूंकि दर-सूची में दरें कृत्रिम रूप से कम रखी जा रही हैं, इसलिए रेलें उस स्तर की सेवा सुलभ कराने में कठिनाई महसूस कर रही हैं जैसी कि उनसे अपेक्षा की जाती है।

राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति और रेल दर-सूची जांच समिति, दोनों ने किराया संरचना को युक्तियुक्त बनाकर उसे लागत के अनुरूप कर देने की आवश्यकता पर बल दिया है। राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने तो यहां तक कहा है कि कम दूरी के यात्रियों की ढुलाई पर सड़क यातायात की अपेक्षा रेलों को कहीं अधिक खर्च करना पड़ता है, इसलिए रेल दर-सूची की पुनर्संरचना करने की जरूरत है ताकि रेलों की ओर आने वाले कम दूरी के यातायात को निरुत्साहित किया जा सके। इसके अलावा, सड़क परिवहन सेवाओं द्वारा लिए जा रहे किरायों की तुलना में रेलों के किराये बहुत ही कम हैं। इसलिए राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के समग्र हित में यह बुद्धिमत्तापूर्ण समझा जाता है कि इस असंतुलन को उत्तरोत्तर ठीक किया जाये।

औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में उत्पादकता में हो रही भारी वृद्धि के कारण, रेल परिवहन पर अत्यधिक दबाव पड़ने वाला है। अत: यह स्वाभाविक है कि माल यातायात की मांग को यात्री यातायात से वरीयता अवश्य दी जाये। यात्रा तभी की जानी चाहिए जब यह अत्यावश्यक हो। भीड़-भाड़ कम करने की दिशा में भी यह एक सराहनीय कदम होगा।

मेरा यह भी निश्चित मत है कि किराये और भाड़े की दरों में किसी वृद्धि से आम आदमी पर नाजायज बोझ न पड़े। इसलिए, मैंने मासिक सीजन टिकटों—पहले दर्जे और दूसरे दर्जे, उपनगरीय और अनुपनगरीय—को किराये में प्रस्तावित वृद्धि से पूरी तरह छूट दे देने का फैसला किया है, हालांकि आर्थिक और वित्तीय दोनों दृष्टियों से छूट न देने के संकेत मिलते हैं। मुझे विश्वास है कि सदन हमारे इस कार्य की सराहना करेगा हालांकि रेलों को भारी त्याग करना पड़ेगा। अतिरिक्त संसाधन जुटाने के बारे में मेरे प्रस्ताव नीचे दिए गए हैं :

दूसरा दर्जा (साधारण) (मासिक टिकटों को छोड़कर उपनगरीय और अनुपनगरीय)

(क) 15-7-80 से (100 कि० मी० तक की यात्रा के लिए 10 प्रतिशत के अधिप्रभार से) और 1-4-1981 से (200 कि० मी० तक की यात्रा के लिए 5 प्रतिशत के अधिप्रभार से) दी गई छूटों को वापस ले लेने और किरायों को 10 पैसे के अगले उच्चतर गुणज तक पूर्णांकित करने का प्रस्ताव है।

(ख) इस दर्जे के किरायों में 1-4-1982 से नीचे लिखे अनुसार संशोधन करने का प्रस्ताव है :

(i) 400 कि० मी० तक की दूरी के वास्ते, 5 कि० मी० के प्रत्येक भाग के लिए किराये में 4 पैसे की वृद्धि की जाएगी;

(ii) 410 से 800 कि० मी० तक की दूरी के वास्ते, 5 कि० मी० के प्रत्येक भाग के लिए किराये में 3 पैसे की वृद्धि की जाएगी; और

(iii) 800 कि० मी० से अधिक दूरी के वास्ते हर 5 कि० मी० के लिए किराये में 2.5 पैसे की वृद्धि की जायेगी ।

(ग) न्यूनतम किराया 50 पैसे से बढ़ाकर 70 पैसे कर दिया जाएगा ।

दूसरे दर्जे के मेल/एक्सप्रेस के किराये (सीज़न टिकटों को छोड़कर)

इस दर्जे के किरायों में भी उसी आधार पर वृद्धि करने का प्रस्ताव है जिस आधार पर दूसरे दर्जे (साधारण) के किरायों में वृद्धि की गई है ।

न्यूनतम किराया भी 1 रुपये से बढ़ाकर 1.50 रुपये कर दिया जायेगा ।

वातानुकूल कुर्सी यान

इस दर्जे के किराये में नीचे लिखे अनुसार वृद्धि करने का प्रस्ताव है :

(क) 250 कि० मी० तक	कोई परिवर्तन नहीं ।
(ख) 251 कि० मी० और इससे अधिक	2 पैसे प्रति कि० मी० की वृद्धि ।

पहले दर्जे और वातानुकूल 2-टियर शयन-यान के किरायों में समायोजन

पहले दर्जे के और वातानुकूल 2-टियर शयन-यान के किरायों में नीचे लिखे अनुसार वृद्धि करने का प्रस्ताव है :

(क) 250 कि० मी० तक	कोई परिवर्तन नहीं ।
(ख) 251 कि० मी० और इससे अधिक	2 पैसे प्रति कि० मी० की वृद्धि ।

वातानुकूल 2-टियर शयन-यान पर अधिप्रभार

इस समय 1000 कि० मी० तक की दूरी के लिए 15 रुपए और इससे अधिक दूरी की यात्राओं के लिए 25 रुपए अधिप्रभार लिया जा रहा है । अधिप्रभार की उगाही में नीचे लिखे अनुसार पुनःसमायोजन करने का प्रस्ताव है :

500 कि० मी० तक	15 रुपए प्रति टिकट
501 से 1000 कि० मी० तक	25 रुपए प्रति टिकट
1001 से 1500 कि० मी० तक	40 रुपए प्रति टिकट
1501 कि० मी० और इससे अधिक	50 रुपए प्रति टिकट

वातानुकूल दर्जा

इस दर्जे में 80 कि० मी० से अधिक दूरी की यात्रा के लिए किराये में 10 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि करने का प्रस्ताव है, लेकिन अधिकतम वृद्धि 40 रुपए प्रति टिकट होगी।

शयन-यान अधिप्रभार

इस समय पहली दो रातों के लिए शयन-यान अधिप्रभार 5 रुपए प्रति रात है और बाद की रातों के लिए कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं लिया जाता। पहली दो रातों के लिए इस अधिप्रभार को बढ़ाकर 8 रुपए प्रति रात कर देने का प्रस्ताव है और बाद की रातों को अधिप्रभार से मुक्त रखने की शर्त में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

सुपर-फास्ट गाड़ियों पर अधिप्रभार

इन गाड़ियों में अपेक्षाकृत अधिक आराम मिलता है और ये यात्रियों के समय की बचत को यथेष्ट महत्व देती हैं। इनके अधिप्रभार को नीचे लिखे अनुसार बढ़ाने का प्रस्ताव है :

वातानुकूल दर्जा	20 रुपए से 25 रुपए।
पहला दर्जा और वातानुकूल 2-टियर शयनयान	10 रुपए से 12 रुपए।
वातानुकूल कुर्सी-यान	6 रुपए से 12 रुपए।
दूसरे दर्जे का शयन-यान	2 रुपए से 6 रुपए।

इन सुपर-फास्ट गाड़ियों में दूसरे दर्जे के बैठने के स्थान के लिए अधिप्रभार में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

राजधानी एक्सप्रेस के किरायों में समायोजन

वातानुकूल दर्जे और 2-टियर वातानुकूल शयनयान के किराये में 20 प्रतिशत तथा वातानुकूल कुर्सी-यान के किराये में 25 प्रतिशत वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

मुफ्त यात्रा के लिए बच्चों की पात्रता

इस सुविधा के दुरुपयोग को रोकने और विवादों से बचने के उद्देश्य से मैं मुफ्त यात्रा के लिए बच्चों की वर्तमान आयु-सीमा 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर देने का प्रस्ताव करता हूं।

वास्तव में यह आयु-सीमा पहले वाली ही है, जिसे अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के दौरान बढ़ाया गया था।

पार्सल भाड़ा संरचना में परिवर्तन

पार्सल भाड़ा संरचना के सम्बन्ध में रेल दर-सूची जांच समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। इस समिति ने उल्लेख किया था कि 1976-77 में रेलों को पार्सल यातायात की ढुलाई से 25 करोड़ रुपये की हानि हुई थी और कहा था कि माल गाड़ियों को घाटे पर चलाने के लिए कोई बाध्यकारी सामाजिक आधार नहीं है। पार्सल यातायात को वर्तमान 14 वर्गों की बजाय 6 वर्गों में रखने का प्रस्ताव है जिनके लिए भाड़ा वसूली का स्केल या मानदण्ड अलग-अलग होगा। मूलभूत स्केलों के संगत ब्यौरे और प्रति क्विंटल प्रभार सभा-पटल पर रखे गये 'माल भाड़े की दरों और यात्री किरायों में समायोजन के प्रस्तावों का व्याख्यात्मक ज्ञापन' में दिये गये हैं।

भाड़ा प्रभार

1-4-1979, 15-7-1980 और 1-4-1981 से कुछ वस्तुओं पर लगाये गये पूरक प्रभारों की उगाही से जो छूट दी गयी है, उसे वापस ले लेने का प्रस्ताव है ताकि भाड़ा दरों को युक्तियुक्त बनाया जा सके। इन छूटों को वापस लेते समय, इस बात का ध्यान रखा गया है कि जलाने की लकड़ी, दवाइयों, चारे (खली को छोड़कर), मिट्टी के तेल और माचिसों को मिली छूट बरकरार रखी जाये।

केले और संतरे के परिवहन के लिए कुछ विशेष रियायती भाड़ा दरें लागू हैं। वर्तमान रियायतें 30-6-1982 तक बनी रहने दी जायेंगी, तत्पश्चात् वे वापस ले ली जायेंगी।

प्रस्तावित संशोधनों से मौजूदा किराया-भाड़ा संरचनाओं और रेल दर-सूची जांच समिति द्वारा संस्तुत किराया-भाड़ा संरचनाओं के बीच अन्तर और कम हो जायेगा। ये सिफारिशें, विशेष रूप से किराये और भाड़े के सम्बन्ध में, कुछ समयावधि के भीतर ही कार्यान्वित की जा सकती हैं। कुछ मामलों में यह समयावधि काफी बढ़ायी गयी है जैसे कि सीजन टिकट के किराये के मामले में। इसलिए अब उठाये गये कुछ कदम इस समयावधि को कम करने में सहायक सिद्ध होंगे।

वित्तीय परिणाम

इन संशोधनों के परिणामस्वरूप वार्षिक राजस्व में यात्री यातायात से 172.60 करोड़ रुपये, सामान और पार्सल यातायात से 12 करोड़ रुपये और माल यातायात से 76.85 करोड़ रुपये, अर्थात् कुल 261.45 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति होने की प्रत्याशा है, जो यातायात से प्राप्तियों और राजस्व व्यय, सामान्य राजस्व को लाभांश की अदायगी, विकास निधि खर्च तथा सामान्य राजस्व को ऋण के अत्यन्त सीमित परिसमापन के बीच की खाई को ही मुश्किल से पाट

सकेगी । माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि मैंने केवल उतने ही अतिरिक्त संसाधन जुटाने की व्यवस्था की है जितने कि पहले दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार राजस्व बजट को सन्तुलित करने के लिए अपेक्षित हैं, उससे अधिक नहीं ।

निष्कर्ष

माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूं कि उन्होंने मेरी बातें धैर्यपूर्वक सुनी । मैं आप सबको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अपने इस सबसे बड़े परिवहन उपक्रम की कार्य प्रणाली में सभी स्तरों पर सुधार लाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा । मुझे विश्वास है कि सभी स्तरों पर रेल कर्मचारी समय की मांग के अनुसार अपनी कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देंगे और उनके सामने जो चुनौतियां हैं उनका सफलतापूर्वक मुकाबला करेंगे, जैसा कि वे अतीत में अनेक अवसरों पर कर चुके हैं ।

— — —

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारतीय तार यंत्र (पांचवा संशोधन) नियम, 1981

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : मैं भारतीय तार-यंत्र अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तार-यंत्र (पांचवां संशोधन) नियम 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जो दिनांक 12 दिसम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1106 में प्रकाशित हुए थे । [ग्रंथालय में रखी गई : देखिये संख्या एल० टी० 3322/82]

हिन्दुस्तान इनसैक्टिसाइड्ज लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन तथा विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तथा हाईड्रोकार्बन इण्डिया के वर्ष 1980-81 के कार्यकनण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन, बोंगाईगांव तेल शोधनशाला तथा केमिकल्स लिमिटेड के वर्ष 1980-81 का प्रतिवेदन सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाला एक विवरण

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) हिन्दुस्तान इनसैक्टिसाइडस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान इनसैक्टिसाइडस लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3323/82]

(3) (एक) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 की धारा 22 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 23 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के वर्ष 1980-81 और इसकी सपायक कम्पनी हाइड्रोकारबन्ज इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1980 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के वर्ष 1980-81 और इसकी सहायक कम्पनी हाइड्रोकारर्बज इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1980 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3324/82]

(4) बोंगाईगांव तेल शोधनशाला तथा पेट्रो-रसायन लिमिटेड का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद 9 महीनों की निर्धारित अवधि के अन्दर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखा गला। देखिये संख्या एल० टी० 3328/82]

कम्पनी (निक्षेप-स्वीकृति) संशोधन नियम, 1982

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : श्री ए० ए० रहीम की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कम्पनी (निक्षेप-स्वीकृति) संशोधन नियम, 1982 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जो दिनांक 16 जनवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 44 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3325/82]

माडर्न बेकरीज (इण्डिया) लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालमों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं :

(1) (एक) माडर्न बेकरीज (इण्डिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) मार्डन बेकरीज (इण्डिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखा तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षण की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3326/82]

(i) भारतीय रूई निगम लिमिटेड (ii) मिश्रित इस्पात संयंत्र दुर्गापुर (iii) केन्द्रीय कोयला ढुलाई कारखाने संगठन (iv) भारत पर्यटन विकास निगम के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वर्ष 1081 के प्रतिवेदन संघ सरकार (वाणिज्यिक)

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 1981 का प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक) भाग पांच—भारतीय रूई निगम लिमिटेड।

(2) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 1981 का प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक) भाग छः—मिश्रित इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर।

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 1981 का प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक) भाग सात—केन्द्रीय कोयला ढुलाई कारखाने संगठन।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 1981 का प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक) भाग आठ—भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3327/82]

———

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजकर 5 मिनट म० प० तक के लिये स्थगित हुई

———

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2 बजकर 6 मिनट पर पुनः समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

पीपल्स लिबरेशन आर्मी के उग्रवादियों द्वारा इम्फाल के निकट घात लगाकर किये गये हमले में 21 सैनिकों के मारे जाने का समाचार

श्री चिंतामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं गृह मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :

"पीपल्स लिबरेशन आर्मी के उग्रवादियों द्वारा 19 फरवरी, 1982 को इम्फाल के निकट घात लगाकर सेना की मोटर गाड़ियों पर किये गये हमले में 21 सैनिकों के मारे जाने का समाचार ।"

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : 19 फरवरी, 1982 को प्रात: लगभग 10-30 बजे आर्मी रेजीमेंट की तीन वाहनों की एक कानवाई, जिसमें एक अधिकारी, तीन जूनियर कमीशन्ड आफिसर, 36 अन्य रैंक के सैनिक और एक सिविलियन था, पर घात लगाकर हमला किया गया, जब वह कानवाई मणिपुर के पूर्वी जिले में इम्फाल-उखरूल सड़क पर यांगगोक्पो और लिटल गांव के बीच से गुजर रही थी । कानवाई के अग्रिम वाहन छिपे हुए व्यक्तियों द्वारा रखे गये विस्फोटक यंत्र से टकराये । विस्फोटक यंत्र के चलने से वाहन क्षतिग्रस्त हुआ और बेकाबू हो गया । इसी समय छिपे हुए व्यक्तियों ने स्वचालित हथियारों से गोली चलाना शुरू कर दिया जिसके फलस्वरूप एक अधिकारी और एक सिविलियन समेत सेना के 20 कार्मिक मारे गये । 12 व्यक्ति घायल हुए जिनमें से दो की हालत गम्भीर है । छिपे हुए व्यक्ति एक लाइट मशीन गन, 5 सेल्फ-लोडिंग राइफल्स और एक स्टेन कारबाइन को लेकर चले गए ।

2. अपराधियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा खोज कार्य शुरू कर दिये गये हैं । कानून की सम्बद्ध धाराओं के अधीन लिटन के थाने में एक मामला दर्ज किया गया है और जांच-पड़ताल जारी है ।

3. मणिपुर के मुख्य मन्त्री ने 20 फरवरी, 1982 को घटनास्थल का दौरा किया था ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मणिपुर में प्रतिवादियों द्वारा हमारे 20 सैनिकों की हत्या कर दिये जाने और दो के गम्भीर रूप से जख्मी किये जाने पर हमें गहरा दु:ख है । श्रीमान, स्टेट्समैन ने आज इस घटना पर अपने सम्पादकीय लेख में लिखा है कि मणिपुर में अब तक हुई घटनाओं में यह सबसे अधिक भयंकर घटना है ।

यदि हम वहां के घटनाक्रम पर दृष्टि डालें—मैं नहीं जानता कि मेरे यह आंकड़े सही हैं परन्तु मंत्री महोदय इसे अपने उत्तर में स्पष्ट करेंगे—1978 में अतिवादियों ने हमारे दो जवान मार डाले, 1979 में 14 मार डाले, 1980 में 36 मार डाले, 1981 में 50 मार डाले और 1982 के पहले तीन महीनों में 20 सैनिक मारे गये हैं । इस प्रकार पिछले दो-तीन वर्षों में मणिपुर में अतिवादियों द्वारा कुल 123 जवानों की हत्या की गई है ।

एक अन्य जेल तोड़े जाने की घटना में 44 अतिवादी बंदी इम्फाल जेल से भाग गये । एक अन्य घटना में हजारों औरतों ने प्रदर्शन एवं घेराव किया जिसके परिणामस्वरूप दो अतिवादियों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका और वे बचकर भाग गये ।

मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं को देखते हुए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? विद्रोह का मुकाबला करने में सेना के जवानों तथा सुरक्षा बलों द्वारा किये जा रहे उद्‌भुत कार्य के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं परन्तु आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सैनिक अधिकारियों ने स्वयं कहा है कि प्रशासकों, सिविल कर्मचारियों, पुलिस तथा जेल

कर्मचारियों द्वारा विद्रोहियों को माफ करने तथा उनकी चश्ममोशी के कारण तथा राज्य में विद्यमान राजनीतिक तंत्र के कारण उनका कार्य कठिन होता जा रहा है। वे उल्टे प्रतिवादियों को उत्तेजित कर रहे हैं तथा कई प्रकार से उनकी मदद कर रहे हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार वहां की स्थिति से पूरी तरह अवगत है ? क्या गृह मंत्रालय ने मणिपुर की घटनाओं के मूल कारणों का पता लगाने के लिए कोई प्रयत्न किया है, क्योंकि वहां की स्थिति अत्यन्त गम्भीर बनती जा रही है ? हमें बताया गया है कि मणिपुर में प्रतिवादियों की संख्या केवल 123 है। कुछ सैनिकों मुख्य सेनापति के एक प्रवक्ता ने बताया है कि कोई परवाह नहीं उनकी संख्या केवल 123 है। श्रीमान, हमने गुरिल्ला युद्ध का इतिहास पढ़ा है ? किस प्रकार चीनी गणतन्त्र चीनी छापामारों के नेतृत्व से निकला और किस प्रकार कोमिंगटांग शासन को ताश के पत्तों के घरके समान पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। अतः हमें यह कहकर वहां की स्थिति का महत्त्व नहीं करना चाहिए कि उनकी संख्या केवल 123 है। फिर इन 123 व्यक्तियों ने कैसे आपके 123 जवानों को मार दिया तथा आपके अस्त्र-शस्त्र भी लूट लिये ? जब तक उन्हें वहां के लोगों का कुछ समर्थन प्राप्त न हो वे इस प्रकार निरन्तर विजयी नहीं हो सकते। इसलिए मेरा प्रश्न है कि क्या गृह मंत्रालय तथा भारत सरकार ने इसके मूल कारणों का अध्ययन किया है ? जहां तक मैंने इस समस्या का अध्ययन किया है मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि मणिपुर जैसे छोटे से क्षेत्र में एक लाख व्यक्ति बेरोजगारों के रजिस्टर में दर्ज हैं। यदि मणिपुर जैसे छोटे से क्षेत्र में एक लाख लोग बेरोजगार हैं तो कल्पना कीजिए कि उन लोगों में कितनी निराशा होगी, विशेषतः शिक्षित बेरोजगारों में ? यदि आप इम्फाल जाना चाहते हैं तो दिल्ली से वहां तक सड़क से सम्बन्ध नहीं है। उसे मुख्य केन्द्र से पूरी तरह काट दिया गया है। क्या सरकार ने उनके दिल जीतकर उन्हें भारतीय संस्कृति के मुख्य भाग के साथ पूरी तरह मिलाने की बात पर विचार किया है ? दूसरे, वहां पर कृषि में सुधार के लिए क्या कार्यवाही की गई है ? वहां के ढांचे में सुधार लाने के लिए क्या यत्न किया गया है ? वहां एक वर्ष से कम से कम 10 हजार लोगों को रोजगार देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ? उनके जीवन-यापन की स्थिति को सुधारने के लिए कौन से आर्थिक उपाय किये गये हैं ? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वहां बेचे जाने के लिए जो 2000 टन रेपसीड आयल भेजा गया था वह पूरा का पूरा कलकत्ता के काले बाजार में बिक गया। जब उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता तब आप उन्हें संतुष्ट कैसे कर सकते हैं। हम अपने सुरक्षा प्रहरियों द्वारा किये गये अद्भुत कार्य के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं, परन्तु यदि लोग असंतुष्ट रहें तो सैनिक समाधान समस्या का कोई समाधान नहीं है। अतः इस बारे में मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मणिपुर के लोगों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से हमारी समन्वित भारतीय संस्कृति की मूलधारा में लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं।

एक समाचार था कि मणिपुर के अतिवादियों—पी० एल० ए० के अतिवादियों तथा नागा अतिवादियों में एक समन्वय स्थापित होने जा रहा है। और मणिपुर के मुख्य मन्त्री ने भी स्वयं कहा है कि इस आन्दोलन में कुछ विदेशी हाथ हैं। अतः क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने की चेष्टा की है कि क्या वास्तव में यह आन्दोलन प्रयत्नवादी आन्दोलन है अथवा वास्तव में यह आन्दोलन वहां के लोगों की निराशा का द्योतक है ?

क्या सरकार ने इस समस्या का कोई राजनीतिक अध्ययन करने की चेष्टा की है ?

पिछले वर्ष शायद सरकार ने एक उच्चस्तरीय दल मणिपुर की स्थिति का अध्ययन करने के लिए भेजा था और श्री बर्नी उस अध्ययन दल में थे। मैं समझता हूं अब वह उप-राज्यपाल हैं। परन्तु अध्ययन दल की रिपोर्ट क्या है ? इसे संसद के समक्ष रख दिया गया होगा और इसमें यह बता दिया गया होगा कि इस दल ने क्या अध्ययन किया है और मणिपुर के लोगों की क्या समस्याएं हैं ?

अन्त में, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि इन अतिवादियों में से कुछ का आधार बर्मा में है और इस मामले में बर्मा की सरकार और भारत सरकार के बीच कोई समन्वय नहीं है ? उनके आधार शिविर को, जहां से वे अपना कार्य करते हैं, नष्ट करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ? शायद इस मामले में भारत और बर्मा की सरकारों के बीच कोई समन्वय नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस समस्या के अध्ययन के लिए बर्मा की सरकार और हमारी सरकार के बीच कोई बातचीत आरम्भ हुई है ? ये मुख्य बातें हैं जिनके बारे में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं।

श्री निहार रंजन लास्कर : आरम्भ में अपने माननीय मित्र श्री पाणिग्रही द्वारा उस क्षेत्र में विशेष रूप से पंगनगोकपी तथ टिमटन गांवों के बीच में उग्रवादी तत्वों द्वारा की गयी हिंसा की घटनाओं के बारे में व्यक्त की गयी चिन्ता तथा आकांक्षा में शामिल होता हूँ।

इस बीच हमने मणिपुर में इन उग्रवादियों की गतिविधियों को दबाने के लिए कुछ उपाय किए हैं। इन उपायों के फलस्वरूप मणिपुर में इस समय आमतौर पर कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है। जिन क्षेत्रों में उग्रवादी कार्य कर रहे हैं, वहां पर ऐसी छुट-पुट घटनायें, जैसी कि इस महीने की 19 तारीख को हुई, होती रहती हैं। परन्तु मैं इस सभा में माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं। कि सुरक्षा उपायों को मजबूत कर दिया गया है तथा मणिपुर में इन उग्रवादियों तथा कुछ गुमराह तत्वों द्वारा पैदा की गयी स्थिति के प्रति पूरी तरह जागरूक है।

मणिपुर में उग्रवादियों के विरुद्ध कार्यवाही में सेना प्राधिकारियों को सरकार से तथा वहां की जनता से पूरी सहायता मिल रही है।

मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि कुछ स्त्रियों ने सैनिकों के रास्ते में उग्रवादियों को गिरफ्तार करने में रुकावट डाली। मैं जानता हूं कि कुछ घटनाएं हुई हैं। परन्तु मुझे कहना चाहिए कि कुल मिलाकर जनता उग्रवादियों को पकड़ने में सेना को सहयोग दे रही है।

माननीय सदस्य भी इस बात की सराहना करेंगे कि राष्ट्र विरोधी तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि सामान्य अवस्था बनी रहे तथा उस क्षेत्र के लोग उस क्षेत्र में विकास की ओर ध्यान दे सकें।

मैं उन जवानों की भी सराहना करता हूँ जो उन कठिन क्षेत्रों में देश की बड़ी सेवा कर रहे हैं।

मेरे मित्र ने एक-दो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं जैसे हम उन क्षेत्रों के विकास के लिए क्या कर रहे हैं तथा जेल तोड़ने वाली घटनाओं के विषय में हमारी क्या प्रतिक्रिया है ?

पहले में उन क्षेत्रों में जेल तोड़ने की घटनाओं को रोकने के लिए किये गए उपायों के विषय में बतलाऊंगा। निस्संदेह पिछले दो वर्षों में तीन या चार बार जेल तोड़ने की घटनाओं की सूचना मिली है तथा नवीनतम घटना 11 जनवरी, 1982 को हुई, जिसमें 22 व्यक्ति जेल से निकल गये। इन जेल तोड़ने की घटनाओं पर भारत सरकार तथा गृह मंत्रालय की चिन्ता राज्य सरकार को व्यक्त कर दी गयी है। राज्य सरकारों ने जेल प्रशासन को मजबूत करने तथा सुरक्षा उपायों को सख्त करने के लिए कई एक कदम उठाये हैं उदाहरणार्थ 75 स्थायी कैदियों को राज्य से बाहर की जेलों में स्थानांतरित कर दिया गया है। दूसरे जेल कर्मचारियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि की गयी है तथा जिन पर कैदियों के साथ सांठगांठ होने का संदेह था उनको निलम्बित कर दिया गया है। अतः हमने ये कदम भी उठाये हैं।

उग्रवादियों को सामान्य कैदियों से अलग कर दिया है। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा दूसरी एजेन्सियों द्वारा जेलों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दिए गए विभिन्न सुझावों पर भी कार्यवाही कर दी गई है। इस सबके अलावा, मुख्यमंत्री भी इस संबंध में उचित कदम उठा रहे हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : विदेशी हाथ के बारे में आपका क्या कहना है ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह आन्तरिक स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। वह उस पर भी आयेंगे।

श्री निहार रंजन लास्कर : ऐसे कुछ कदम हम उठा रहे हैं ताकि आगे जेल तोड़ने की घटनायें न हो सकें।

उनका अगला प्रश्न था : मणिपुर में विकासकारी गतिविधियां सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

मैं उनको बतला सकता सकता हूं कि मणिपुर के त्वरित विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मैं एक उदाहरण दे सकता हूं : छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान मणिपुर के लिए 2,243 रु० प्रति व्यक्ति का प्रावधान किया गया है जबकि पूरे देश के लिए औसत 872 रु० है। इससे वह कल्पना कर सकते हैं कि इस क्षेत्र का विकास करने के लिए हम कितना ध्यान दे रहे हैं।

इसके अतिरिक्त विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को हटाने तथा उन्नति को गति देने के लिए मंत्रियों की एक समिति भी बनायी गई है जिससे संयोजन गृह मंत्री हैं। इस समिति की समय-समय पर बैठक होती है। दो या तीन बैठक हो चुकी हैं। सरकार ने रोजगार उत्पादन की योजनाएं भी स्वीकृत की हैं जैसे कि कृषि विकास; कुकुरमुत्ते की खेती, मुर्गी पालन, बीज विकास, सहकारी समितियां, ग्रामीण तथा लघु उद्योग आदि जिनमें हथकरघा भी सम्मलित हैं।

चालू वर्ष के दौरान मणिपुर को रोजगार उत्पत्ति योजना कार्यान्वित करने के लिए अनुमति दे दी गई है जिसके लिए 57 लाख रु० का प्रावधान किया गया है। मणिपुर सरकार

स्व रोजगार को बढ़ावा देने की विभिन्न विशेष योजनाओं में 700 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दे चुकी है। एन० ई० सी० ने भी पूर्वोत्तर क्षेत्र में बेरोजगार की समस्या का समाधान करने हेतु एक समिति का गठन किया है। अतः विभिन्न कदम उठाये जा चुके हैं और बहुत से और उठाये जायेंगे। परन्तु मौलिक आवश्यकता क्षेत्र में शान्ति बनाये रखने की है। यदि शान्ति की स्थापना हो जाती तो सारी विकास गतिविधियां जारी हो जायेंगी अन्यथा इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना बहुत कठिन होगा।

अगला प्रश्न उग्रवादियों से सम्बन्धों के बारे में पूछा गया है। क्या वे आपस में मिलने की चेष्टा कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में, मैं माननीय सदस्यों को सूचित कर सकता हूं कि सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन उग्रवादियों को उत्साहित करने में कुछ विदेशी तत्व अनधिकार चेष्टा कर रहे हैं। हमें जानकारी है कि कुछ उग्रवादी एकत्र हो गए हैं। इस सम्बन्ध में हम उचित कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री गदाधर साहा (बीरभूम) : महोदय, ये घटनायें क्या हैं और उनका क्या मतलब है? जो कुछ हुआ है, वह एक छल बम का विस्फोट नहीं है दोनों ओर से काफी गोलियां चलीं जिसमें सेना के 29 आदमी तथा एक नागरिक मारे गये। 12 गम्भीर रूप से घायल हुए।

सुरक्षा कर्मचारियों से भारी मात्रा में हथियार भी छीन लिए गए और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इसका क्या अर्थ है?

इसका अर्थ यह है कि उपद्रवी लोगों के पास काफी हथियार हैं और मुख्य सड़कों पर घात लगाकर हमला करने की घटनायें प्रायः होती रहती हैं। इससे दो बातें जाहिर होती हैं : गुप्तचर जाल में कमजोरी तथा सुरक्षा में तंत्र कमी। 22 फरवरी के "हिन्दू" में एक रिपोर्ट छपी है। यह समाचार छपा है कि मणिपुर की स्त्रियों ने सेना, पुलिस तथा सुरक्षा कर्मचारियों के सहज ही गोली चलाने के व्यवहार के विरुद्ध प्रदर्शन किया। यह भी समाचार है और सेना के सूत्र इसे स्वीकार करते हैं कि उपद्रवियों या आतंकवादियों को जो भी इनको कहा जाए, आम जनता के एक बड़े भाग का व्यापक समर्थन प्राप्त है क्योंकि जनता असन्तुष्ट तथा निराश है क्योंकि वे क्षेत्रीय असंतुलन, क्षेत्रीय पिछड़ेपन तथा सभी प्रकार के अर्थात, सामाजिक आर्थिक तथा संचार सम्बन्धी पिछड़ेपन से ग्रसित हैं तथा एक तरफ तो असमानता, गरीबी तथा बेरोजगारी बनी हुई है तथा बढ़ती जा रही है और दूसरी ओर कुछ हाथों में धन जमा होता जा रहा है।

राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार लोगों की समस्या की उपेक्षा कर रही है तथा वहां पर सामाजिक आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए बहुत कम या कुछ नहीं कर रही है क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या इससे राज्य में उपद्रवियों तथा विद्रोहियों की गतिविधियां को बढ़ावा मिल रहा है? दूसरे, क्या मणिपुर जैसे सीमावर्ती संवेदनशील राज्य में राजनैतिक घटनायें तथा गतिविधियां चल रही हैं उनसे जो विद्रोहियों तथा उपद्रवियों को तथा उनकी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है? सूचना मिली है कि वहां की राज्य सरकार जो राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के बाद दलबलुओं की सहायता और कांग्रेस (एस) तथा कांग्रेस (आई) के विलय से सत्ता में आई जिसमें रिसांग किशोग मुख्य मंत्री हैं और जिसका विधान सभा में पर्याप्त बहुमत है, उसपर विरोधी लोग दबाव डाल रहे हैं। कुछ विधायकों ने नेतृत्व बदलने की भी मांग की है।

क्या यह सत्य है कि वहां विद्रोह-विरोधी कार्यों को रोकने के लिए राजनैतिक हस्तक्षेप की भी शिकायतें मिली हैं ? क्या यह सत्य है अथवा नहीं कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री विद्रोहियों अथवा आतंकवादियों से मिले हुए हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप कुछ आरोप लगा रहे हैं और चाहते हैं कि मंत्री उनको स्वीकार कर लें। आप उन्हें बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं ।

एक माननीय सदस्य : वह कुछ स्पष्टीकरण मांग रहे हैं ।

श्री गदाधर साहा : क्या मैं मंत्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि क्या वहां गतिविधियां ठीक हैं या नहीं और क्या इनसे विद्रोहियो तथा आतंकवादियों की गतिविधियों को सहायता मिलती है ?

श्री निहार रंजन लास्कर : प्रश्न पूछते हुए माननीय मित्र ने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों तथा राजनीतिक क्षेत्र के लोगों पर यह आरोप लगाए हैं कि वे उग्रवादी तत्वों के साथ मिले हुए हैं, मैं कह सकता हूं कि सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है तथा ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी आरोप लगाए गए हैं, वे बिल्कुल गलत हैं। उस क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया के सम्बन्ध में मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं और मैंने कहा है कि हमने मणिपुर क्षेत्र का आर्थिक तथा सामाजिक रूप से विकास करने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। हमने जो कदम उठाए हैं उनका उल्लेख भी मैंने अपने पहले उत्तर में दिया है मेरे मित्र ने राजनैतिक ढांचे की बात प्रश्न का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है परन्तु मैं इतना कह सकता हूं कि सरकार इस क्षेत्र में उग्रवादी गतिविधियों पर नियन्त्रण करने के लिए हरसंभव कदम उठा रही है।

श्रीमती मोहसिना किदवई (मेरठ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस वाके का तस्किरा यहां हो रहा है और जो हादसा हुआ है, जिसमें 20 जवान आर्मी के मारे गए हैं और उस नार्थ ईस्टर्न रीजन में जहां कि सी-काल्ड पीपल्स लिब्रेशन आर्मी के लोग वहां से सूकन और वहां की आम जिन्दगी को दरहम-बरहम किए हुए हैं, वहां के आवाम की परेशानियां बढ़ाए हुए हैं, उस सिलसिले में मैं मिनिस्टर साहब से दो तीन सवाल करना चाहूंगी । बाकी लोगों ने काफी कह दिया है।

सबसे पहली बात यह है कि जो कमिंग जैनरेशन उस हिस्से की है, जिसकी अपनी ग्रीवान्सेज हैं, सबसे पहले हमें इस पर दो किस्म के ख्यालों को बनाना होगा, एक लांग टर्म पालिसी और एक शार्ट टर्म पालिसी कि उसके तहत हम क्या कर सकते हैं जिससे जल्दी-जल्दी सिचुएशन पर काबू पाया जा सके। मिलेट्री के आर्मी मैन जो कर रहे हैं, उनका एक जाब है, जिसके लिए उनको लगाया गया है और यह भी मैं कह सकती हूं कि उसमें उनको कामयाबी हासिल हो रही है। बहुत से एक्सट्रीमिस्ट मारे गए हैं और पकड़े भी गए हैं। एक तो मैं यह जानना चाहती हूं कि कितने एक्सट्रीमिस्टरा मारे गए और कितने पकड़े गए या कितनों ने सरेन्डर किया है और अब उनकी कितनी तादाद है ?

आपने जो कहा कि 178 पकड़े गए अब 133 रह गए हैं, यह मानने को तबियत कबूल नहीं करती है कि वह तादाद इतना तहलका मचाए हुए है।

दूसरी बात जो वहां का सोशियो इकनामिक डैवलपमैंट है, उसकी तरफ सरकार ने क्या तवज्जह दी है। मुझे याद है कि पिछली दफा जब मणिपुर का बजट पेश हुआ था 43 करोड़ का 1981-82 का तो उस वक्त के मिनिस्टर ने, जो कि बजट पेश कर रहे थे, आश्वासन दिया था कि 100% एसिस्टैंस देंगे, लेकिन जो बताया जाता है, अभी तक जो सैंट्रल गवर्नमैंट ने एलोकेशन किया था, उसका 10% भी खर्च नहीं हुआ खास तौर से हिल एरिया में सड़कों की कितनी दिक्कत है, एग्रीकल्चरल डैवलपमैंट जो होना चाहिए था वह नहीं है इंडस्ट्रियल डैवलपमैंट नहीं है। वहां की जो खास प्रोडक्टस है, क्या उसके लिए कोई एन्सिलरी इंडस्ट्रीज कायम करने के कोई स्पेसिफिक प्लान्ज हैं। एक तो पंचवर्षीय योजना होती है और एक सालाना योजना होती है। सरकार ने उस रीजन की जबर्दस्त दिक्कतों को हल करने के लिए क्या शार्ट टर्म पालिसी बनाई है जिसके तहत हम उस इलाके के इकानोमिक डैवलपमैंट में जल्द से जल्द तेजी लाएं ? क्या वहां के लोगों के फायदे के लिए कोई जाब ओरियेंटेड प्रोग्राम शुरू किए गए हैं जिससे वहां के नौजवानों को तसल्ली हो ?

पी० एल० ए० के फाउंडर-मेम्बर, विश्वेश्वर सिंह को अभी तक नहीं पकड़ा जा सका है। उसके कुछ लेफ्टिनैंस भी पैदा हो गए हैं, जो और मजबूती से काम कर रहे हैं। क्या सरकार को मालूम है कि जो नागा नैशनल सोशलिस्ट कौंसिल बर्मा से ओपेरेट कर रही है वह नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर के एक्सट्रीमिस्टस, डेस्ट्रक्टिव फोर्सिज, जो उस हिस्से को मुल्क से अलग करने की बात करते हैं, के साथ मिलकर बार्डर पर खतरनाक हरकतें कर रही हैं जिससे पूरे मुल्क को खतरा पैदा हो रहा है ? कहा गया है कि बहुत से एक्सट्रीमिस्टस बर्मा के जंगलात में भाग जाते हैं और जो आर्मी के पर्सोनेल मारे जाते हैं उनका असलहा अपने साथ ले जाते हैं। उससे उनको और मजबूती मिलती है। क्या सरकार ने इस बारे में बर्मा सरकार और दूसरे पड़ोसी देशों से बात-चीत की है, ताकि उनकी मदद से इन लोगों को पकड़ने में आसानी हो सके ?

यह भी बहुत दुख की बात है कि वहां पर कई औरतें भी इन कार्रवाइयों में शामिल हैं। मैंने एक खबर में पढ़ा है कि 21 वुमैन-एक्सट्रीमिस्टरा ने चीफ मिनिस्टर के सामने सरेंडर दिया है। एक तरफ आर्मी अपना काम करती रहे और दूसरी तरफ डैवलपमैंट स्कीम्ज के तहत वार-फुटिंग काम होना चाहिए। हमें सिर्फ यह नहीं देखना चाहिए कि वहां के लिए जो पैसा दिया गया है, वह खर्च हो गया है। हमें यह भी देखना चाहिए कि वह पैसा सही तौर पर खर्च हुआ है या नहीं और क्या वहां पर रोड्ज, पुलों, शूगर और स्पिनिंग मिलों और हाइडल प्रोजेक्ट का काम पूरा हुआ या नहीं। वहां के लिए योजनाएं भी बहुत-सी हैं, लेकिन यह देखना पड़ेगा कि उनके लिए काम कितनी तेजी से हो रहा है। जब तक वहां के लोगों में सेल्फ-कान्फिडैंस और सेल्फ-रेलायंस पैदा नहीं होगी, तब तक हम आर्मी के जरिये हालात पर वक्ती तौर पर काबू पा लें, लेकिन मुस्तकिल तौर पर काबू पाना मुश्किल होगा। मैं जानना चाहती हूं कि सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है।

श्री निहार रंजन लास्कर : मैं माननीय सदस्य का अच्छे सुझाव देने के लिए आभारी हूं। उन्होंने उन उपायों की पुनः चर्चा की है जिन्हें हम क्षेत्र के विकास के लिए अपना रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं। माननीय सदस्या के लाभ के लिए मैं एक बार फिर

कहता हूं कि छठी योजना के दौरान मणिपुर में हम प्रति व्यक्ति 2243 रुपए व्यय कर रहे हैं जबकि उसकी अखिल भारतीय औसत 872 है। इससे आप समझ सकते हैं कि उन क्षेत्रों में हम और प्रोत्साहन दे रहे हैं। मैं अपने उत्तर में बता चुका हूं कि इन क्षेत्रों में विकास की बहुत-सी योजनाएं हैं तथा हम रोजगार की नयी क्षमताएं पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा मणिपुर में पर्वतीय क्षेत्र समिति है जिसमें अन्य व्यक्तियों के अलावा पर्वतीय क्षेत्र के सभी विधायक सम्मिलित हैं। यह समिति अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करती है कि पर्वतीय क्षेत्रों को धन उपलब्ध हो। वहां इन क्रियाकलापों को समन्वित करने के लिए यह समिति कार्य कर रही है। फिर उन अतिवादियों और देशद्रोहियों का प्रश्न है जो इस अभियान में पकड़े गये अथवा मारे गये। सितम्बर, 1980 में मणिपुर घाटी को सशस्त्र सेना (विशेष शक्तियां) अधिनियम के अन्तर्गत उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया था और उसके बाद अब तक 337 अतिवादी गिरफ्तार किये गये हैं, 130 ने आत्म-समर्पण किया है तथा 40 मुठभेड़ों में मारे गये हैं। हमारे सुरक्षा सैनिक इस बात का यत्न कर रहे हैं कि ये अतिवादी इन क्षेत्रों में कार्य न कर पायें।

उन्होंने यह प्रश्न भी पूछा कि क्या इस अतिवादी ग्रुप के नेता श्री विश्वेश्वर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है अथवा नहीं। विश्वेश्वर सिंह को 6 जुलाई, 1981 को गिरफ्तार किया गया था तथा इस समय वह हिरासत में हैं।

उन्होंने भी पूछा कि इन अतिवादियों को पड़ोसी देशों में शरण न मिले इसके लिए क्या कार्यवाही की जा रही है। हम बर्मा के अधिकारियों के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाये हुए हैं तथा वे यथासंभव सहायता दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बी० वी० देसाई। उन्होंने आपका कार्य काफी सरल कर दिया है।

श्री बी० वी० देसाई (रायचूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों द्वारा मणिपुर की घटना के बारे में व्यक्त भावनाओं एवं चिन्ताओं के साथ सहमति व्यक्त करता हूं। परन्तु यह घटना अपने आप में अकेली नहीं है; न केवल मणिपुर में अपितु लगभग पूरे उत्तरी भारत में बहुत-सी घटनाएं हुई हैं। अत्यन्त चिन्ता की बात है कि हमारे व्यक्तियों पर इस क्षेत्र में हमले किये जाते हैं। यह मात्र कानून और व्यवस्था का ही मामला नहीं है और न ही इसका इस रूप में समाधान किया जा सकता है। यदि आवश्यक हो तो राजनीतिक आधार पर सोच-विचार कर कार्यवाही की जानी चाहिए। मैं गृह मन्त्री ज्ञानी जैल सिंह से निवेदन करता हूं कि यह समस्या दो वर्ष पुरानी हो चुकी है तथा 1982 में वह समस्या का समाधान निकालें। मिजोरम हम पहले ही खो चुके हैं—श्री लालडेंगा पहले ही अपने पथ पर तुले हुए हैं। इससे पूर्व कि ये सभी विद्रोही एक साथ मिल जाते हैं इन समस्याओं का अलग-अलग राजनीतिक समाधान निकाला जाये तथा उन्हें राज्यवार स्थानीय स्तर पर अर्थात राज्यवार, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड आदि को हल किया जाये। इसके लिए राजनीतिक समाधान आवश्यक है।

दूसरे, जब भी हम गृह मंत्री से पूछते हैं कि क्या इसमें कोई विदेशी हाथ है तो वह कहते हैं, 'यह अदृश्य है, हम उसे देख नहीं पाते और यदि हम उसे देख भी लें तो उसका नाम नहीं

लेते।" यह अदृश्य तो हो नहीं सकता क्योंकि पूरे विभाग की सेवाएं उन्हें उपलब्ध हैं। वह उसे पूरी तरह देख सकते हैं। यदि वह उसका नाम नहीं लेना चाहते तो कम से कम उन्हें विदेशी हस्तक्षेप को स्थानीय लोगों से दूर करना चाहिए जिनके माध्यम से यह सभी बातें हो रही हैं। वास्तव में विदेशी शक्तियां पूरे देश को काबू में रखना चाहती हैं, और हमारे देश का अति संवेदनशील भाग पूर्वी भाग है। यदि हम समय पर कार्यवाही नहीं करते तो हम इसमें चूक जायेंगे। इसलिए मैं ज्ञानी जी को याद दिलाता हूं कि जबकि हम दो वर्ष से सत्ता में हैं, जनता हम पर ध्यान लगाये हुए है कि हम समझकर राजनीतिक कार्यवाही करें ताकि ऐसी घटनाएं फिर न हों। क्या मैं उनके मंत्रालय के इस दिशा में विचारों को जान सकता हूं तथा वे क्या कार्यवाही करना चाहते हैं।

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अच्छे सुझाव दिए हैं और मशविरा भी अच्छा दिया है। एक बात का तो मैं जवाब देने की जरूरत नहीं समझता। उसका जवाब उन्होंने खुद ही दे दिया। पहले शंका प्रकट की कि ये जो गुप्त हाथ हैं वह बताते नहीं और साथ-साथ कह दिया कि बताना भी नहीं चाहिए। इसलिए मैं उनका मशकूर हूं।

दूसरी बात उन्होंने यह कही कि काफी लम्बा समय निकल गया है, इन बातों का समाधान होना चहिए और कोई ऐक्शन होना चहिए। तो मैं आमरेबल मेम्बर से कहूंगा कि राजनीतिक मैदान में इनऐक्शन भी कभी-कभी ऐक्शन होता है। हमें स्ट्रेटेजी को देखना पड़ता है। यह जो लोकतंत्र की प्रणाली है इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार लोगों को ऐसी ताकतों के साथ जाने से रोके। रोकने के लिए हमें अपने ऐक्शन से यह बताना चाहिए कि हम दुरुस्त हैं। अगर हम यह साबित कर दें कि हम दुरुस्त हैं तो उनके साथ जो लोगों की हमदर्दी है वह खत्म हो जायेगी इसलिए कुछ मामलात में बातचीत से निपटाने में काफी देर लगी है लेकिन हमने अब भी दरवाजे बन्द नहीं किए हैं।

मिजोरम के सम्बन्ध में जो विचार यहां पर दिए हैं वहां मिजोरम के सम्बन्ध में भी हमारी फराखदिली, देशभक्ति और वेतन में रहने वाले लोगों को अंधाधुंध न मारने की नीति ने हमको प्रेरणा दी और लाल डेंगा से हमने बात शुरू की, यद्यपि जानते हुए भी कि लाल डेंगा ठीक तरह से रास्ते पर आने वाले नहीं हैं। लेकिन हमने उनसे लम्बी बात चलाई और उसमें हमने साबित किया कि हमारी तरफ से वहां के लोगों के साथ इन्साफ करना, वहां के लोगों की कल्चर, उनकी वे आफ लाइफ को बरकरार रखना, वहां के लोगों में देशभक्त जजबा पैदा करना और वहां के लोगों की बेहबूदी के लिए काम करना यही हमारी नीति है। लेकिन हम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई भी इलाका छोटी मोटी बात से इस बात के लिए तैयार हो जाए कि उसको अलाहिदा कर दो। अलाहिदगी बातें जो हैं उसके सम्बन्ध में गवर्नमैंट आफ इण्डिया बिल्कुल क्लियर है और वह इसलिए क्लियर है कि हिन्दुस्तान के तमाम लोग, तमाम नीतिवान नेता लोग इस बात पर दृढ़ विश्वास रखते हैं कि हिन्दुस्तान के किसी इलाके में कुछ लोग अलाहिदगी की बातें करते हैं तो उनको कुचल दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। इस मामले में गवर्नमैंट की जो डायरेक्शन हैं या जो काम हम आगे कर रहे हैं, मैं तसल्ली रखता हूं कि आप भी अगर चाहेंगे तो मेरे पास आकर डिटेल में बात करके कन्विन्स हो जायेंगे कि हमारा रास्ता दुरुस्त है, ठीक है।

मणिपुर के सम्बन्ध में एक मेम्बर ने यह भी कहा कि वहां पर कभी सरकार बन जाती है और कभी टूट जाती है। हमारा सिस्टम आफ गवर्नमैंट जो है वह इसके लिए जिम्मेवार है। जहां भी डिमोक्रैसी में ऐसा सिस्टम आफ गवर्नमैंट होगा जैसे कि हमारे देश में है उसमें खूबसूरती भी बहुत है, शोभा भी बहुत है, वह लोगों को आजादी भी बहुत देती है लेकिन साथ-साथ इसमें थोड़ी बुराईयां भी हैं जो कि उसके साथ-साथ ही आती हैं। लेकिन इसके बावजूद हमने एक रास्ता अपनाया है और इस डिमोक्रैटिक सेट-अप में हम कोई डिक्टेटराना कार्यवाही नहीं करते। वहां लोगों के नुमाइन्दे अपनी आजादी से अगर बदल भी जाते हैं तो हम इस बात पर भी शर्म खाते हैं कि कहीं खरीदे तो नहीं गए, हम खरीदना भी नहीं कहते क्योंकि वे भी नुमाइन्दे हैं। वहां की जो असेम्बली है वह अभी टूटनी है, तभी इरादा कर लेते हैं, चीफ मिनिस्टर को उठा लेते हैं तब गवर्नरी रूल करना पड़ता है। और फिर कभी इकट्ठे होकर आ जाते हैं, कहते हैं मिजारिटी हमारे पास है, हमारा लोकराज का सिस्टम कायम होना चहिए तो हम प्रैसीडेन्ट रूल को रिवोक कर देते हैं। इसमें हमारा कोई कुसूर नहीं है। कभी टूट जाएं, कभी बन जाए इसका कोई इलाज नहीं है। इसको बर्दाश्त करना चाहिए और इसके साथ-साथ चलना पड़ेगा। आदमी ऐक्टिव है तो उस पर धूल भी पड़ेगी, अगर बिस्तर पर ही लेटा रहेगा तो स्नान करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम ऐक्टिव हैं, ऐसी बुराइयां आती रही हैं और हम उनको मिटाते रहे हैं।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) राजस्थान में कोटा स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र के एककों के कार्यकरण को प्रभावी बनाने के उपाय

श्री बद्रिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के तहत निम्नलिखित विषय की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

केन्द्र सरकार परमाणु विभाग राजस्थान प्रान्त के कोटा की दो अणु बिजली घर इकाइयों को सुचारू रूप से चलाने में पूर्णत: असफल रहा है। यों तो प्रथम इकाई गत चार वर्षों में एक वर्ष में करीब 100 दिन औसतन बंद रहती थी, परन्तु दूसरी इकाई के निर्माण के बाद ये दोनों इकाइयां इस वर्ष यानि सन् 1981-82 में करीब 200 दिन बन्द रही जिसके कारण प्रान्त की कृषि एवं उद्योग पर बड़ा आघात पहुंचा है। काश्तकारों, उद्योगपतियों एवं राज्य को करोड़ों रुपयों की हानि पहुंची है। राजकीय एवं निजी उद्योगों का विशेषत: लघु उद्योगों का भविष्य अन्धकार में है। हजारों की संख्या में मजदूर बेकार हो गए हैं। रेगिस्तानी क्षेत्रों में बिजली के अभाव में पीने के पानी की समस्या ने गंभीर से गंभीरतम स्थिति पैदा कर दी है। परमाणु विभाग उक्त इकाइयों की मशीनरी एवं उसके पुर्जों को योग्य निपुण एवं दक्ष वैज्ञानिकों एवं अनुभवी विशेषज्ञों के अभाव में ठीक करने में पूर्णत: असफल रहा है। केन्द्र सरकार देश एवं विदेश के अनुभवी वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों की सलाह लेकर उक्त इकाइयों को सफलतापूर्वक चलाने में असमर्थ रही है।

यदि यही स्थिति चलती रही तो राजस्थान सन् 1981-82 के उत्पादन वर्ष में उत्पादन की दृष्टि से सबसे पीछे रहेगा और उक्त प्रान्त जो कि तीन-चार वर्षों से लगातार अकाल की चपेट में है। अकाल का सामना नहीं कर सकेगा और प्रान्त की जनता गरीबी की रेखा की ओर बढ़ेगी और रोगों से ग्रसित होकर मृत्यु की शिकार होगी।

अतः प्रधान मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि वे खुद इस समस्या को हल करने में विशेष दिलचस्पी से जिम्मेदारी लेकर दोनों अणु बिजली घर की इकाइयों को अनुभवी वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों द्वारा सुचारू रूप से चलाने में सक्रिय कदम उठाकर राजस्थान प्रान्त की जनता को इस संकटमय घड़ी में उबारकर अपने आवश्यक कर्तव्य को निभावें।

(दो) उत्तर प्रदेश में डाकुओं के साथ फर्जी मुठभेड़ों में निर्दोष व्यक्तियों के मारे जाने की घटनाओं की जांच करनें की आवश्यकता

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में शान्ति और व्यवस्था इतनी बिगड़ गई है कि लोग अपने को पूर्णतः असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। डाकुओं का सफाया करनें के नाम पर वहां की पुलिस डाकुओं से फर्जी मुठभेड़ का बहाना बनाकर सैंकड़ों की संख्या में गरीब और निर्दोष लोगों को पकड़कर गोली मार देती है और यह क्रम आज भी जारी है। पुलिस लोगों को उनके घरों से या रास्ते से पकड़कर ले जाती है और रात को किसी गांव के पास अथवा जंगल में ले जाकर उनको गोली मार देती है और इस बात का झूठा नाटक रचती है कि डाकुओं से मुठभेड़ में डाकू मारे गए है। ऐसे मारे जाने वालों में बड़ा बहुमत में पिछड़े वर्गों, हरिजन और मुसलमान, दूसरे वर्गों के कुछ गरीब लोग भी हैं। इस प्रकार का झूठी मुठभेड़ का बहाना बनाकर लोग मारे गए हैं। इससे पूरे प्रदेश में आतंक छाया हुआ है और भय का वातावरण बन गया है। किसी भी व्यक्ति को यदि वह अपराधी भी है तो उस पर मुकदमा चलाए बिना, उसको बगैर अपनी सफाई का मौका दिए बिना पकड़कर गोली मारना मानवीय अधिकारों के विपरीत है और ऐसी घटनायें केवल उसी देश और समाज में हो सकती हैं जहां कानून और व्यवस्था के लिए कोई आदर न हो और जंगली राज्य हो। दूसरी तरफ आधुनिक हथियारों से सुसज्जित डाकुओं के गिरोह उत्तर प्रदेश में लोगों को घरों में, रेल गाड़ी में, बसों में लूट रहे हैं और हत्या कर रहे हैं। किन्तु उत्तर प्रदेश का शासन इन डकैतों पर काबू पाने में पूरी तरह असमर्थ हो गया है।

मैं केन्द्रीय सरकार से यह मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश में होने वाली इस प्रकार की हत्याओं की उच्चतम न्यायालय के जज से जांच कराई जाए। इसके लिए जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उन्हें दंड दिया जाए और केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार को तत्काल इस बात का आदेश दे कि वह फर्जी मुठभेड़ के नाम पर लोगों की हत्याएं बन्द करें।

(तीन) उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में मिट्टी के तेल की कमी

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों जब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) का दौरा कर रहा था तो मुझे हर जगह यह शिकायतें मिलीं कि मिट्टी

का तेल उपलब्ध नहीं हो रहा है। ब्लैक में मिट्टी का तेल ढाई रुपए से लेकर पांच रुपए तक बिकता है जब कि उसका दाम दो रुपए से भी कम है।

मिट्टी का तेल न मिलने के कारण विशेषकर गांव के लोगों में बड़ा क्षोभ है। मैं समझता हूं कि मिट्टी का तेल आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध है और केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश की पूरी जरूरत को पूरा करती है, लेकिन फिर भी गाजीपुर में मिट्टी का तेल न मिलने से बड़ा आश्चर्य होता है। मिट्टी का तेल न मिलने की तथा उसको ब्लैक पर बेचे जाने की शिकायतें बहुत हैं जो कि मुझे पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से भी मिली हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार मिट्टी के तेल का वितरण सहकारी भण्डारों तथा कुछ लाइसेंस शुदा वितरकों से कराती है। अनेक स्थानों पर मैंने यह पाया कि ये वितरक और कोआपरेटिव भण्डार मिट्टी का तेल नहीं रख रहे हैं। कमी होने के कारण जो भी तेल उपलब्ध होता है वह ब्लैक में बिक जाता है।

मेरा पैट्रोलियम एवं रसायन मंत्री से आग्रह है कि वह गाजीपुर में अधिक मात्रा में मिट्टी का तेल पहुंचाने की व्यवस्था करें तथा उत्तर प्रदेश सरकार को सलाह दें कि इसे कंट्रोल से मुक्त किया जाए ताकि पहले की तरह गांव से लेकर शहर तक दुकानों पर मिट्टी का तेल उपलब्ध हो सके।

(चार) देश के उत्तरी क्षेत्र की सूती कपड़ा मिलों में संकट

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : मैं नियम 377 के अधीन निम्न मामले की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं।

देश की बहुत-सी सूती कपड़ा मिलें मंदी के कारण बंद होने वाली हैं। सूती कपड़े के भारी भंडार जमा होते जा रहे हैं तथा उन मिलों की वित्तीय स्थिति बिगड़ती जा रही है। बहुत-सी मिलें अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रही हैं। समय-समय पर होने वाली श्रमिक अशांति सूती मिलों, विशेष रूप से उत्तरी भारत की सूती मिलों में संकट का एक मेन कारण है। इस क्षेत्र की लगभग सभी मिलें रूई तथा अन्य कच्चे माल का मूल्य बहुत बढ़ने से हानि में चल रही हैं। कोयला सड़क द्वारा लाना पड़ता है तथा बिजली की कटौती के कारण डीजल सेटों का प्रयोग किया जा रहा है जिससे उत्पादन व्यय और भी बढ़ जाता है।

इस संकट के कारण कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण का कार्य पीछे पड़ गया है। यदि सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर उपचारात्मक उपाय नहीं किए गए तो कपड़ा मिलों के उद्योग का संकट और भी बढ़ जाएगा।

इसलिए सरकार को कपड़ा मिलों को कुछ राहत देने के लिए ऋण नियमों में ढील देनी चाहिए। यह आवश्यक है कि रूई तथा विस्कोस फाइबर स्थिर एवं उचित मूल्य पर सप्लाई किया जाए ताकि उत्पादन कम से कम हो सके। कपड़े के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए। उसके साथ ही सरकार को विस्कोस स्टेपल फाइबर पर आयात

शुल्क समाप्त करने के लिए शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए तथा प्रति संतुलनकारी उत्पादन शुल्क कम किया जाना चाहिए ताकि सूती कपड़ा मिलें लाभ से चल सकें और वे बन्द होने से बच सकें।

(पांच) पारादीप पत्तन पर मछली पकड़ने की बन्दरगाह स्थापित करने की आवश्यकता

श्री लक्ष्मण मलिक (जगतसिंहपुर) : उड़ीसा की पारादीप पत्तन पर मछली पकड़ने की बन्दरगाह के अभाव में पतन अधिकारी बहुत-सी नौकाओं को स्थान देने में बहुत कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। लगभग 500 पंजीकृत तथा गैर पंजीकृत नौकाएं पारादीप क्षेत्र में कार्य कर रही हैं तथा उन नौकाओं को अस्थायी तौर पर बहुत थोड़ी सी जगह में लकड़ी के घाटों पर मुख्य बन्दरगाह के मोड़ पर रखा जाता है। इन नौकाओं को स्थान देने के लिए सुविधाएं बहुत कम हैं।

पारादीप में एक मछली पकड़ने की बन्दरगाह स्थापित किए जाने का प्रस्ताव 1970 से सरकार के विचाराधीन है। प्रस्तावित मछली पकड़ने की बन्दरगाह की अनुमानित लागत को समय-समय पर अद्यतन किया गया है। उड़ीसा सरकार तथा पारादीप पतन अधिकरण ने पारादीप में शीघ्र मछली पकड़ने की बन्दरगाह के निर्माण कार्य को हाथ में लेने के लिए केन्द्र से निवेदन किया है।

मत्स्य नौकाओं की बहुत बड़ी संख्या ने पतन अधिकारियों के लिए उनको स्थान देने की समस्या पैदा कर दी है। अत: यह नितान्त आवश्यक है कि पारादीप में मछली पकड़ने की बन्दरगाह बनायी जाये।

अत: मैं इस भव्य सभा में मांग करता हूं कि भारत सरकार पूर्वोक्त मामले में शीघ्र निर्णय ले तथा उड़ीसा के पारादीप पतन में चालू वित्तीय वर्ष में मछली पकड़ने की बन्दरगाह की स्थापना करें।

(छः) कोयम्बटूर में एक 50 मेगावाट का तापीय बिजली घर स्थापित करने की आवश्यकता

श्री ईरा मोहन (कोयम्बटूर) : इस समय कोयम्बटूर जिले में 105 कपड़ा मिलें हैं जिनकी स्थापित क्षमता 25.35 लाख तकले और 4076 करघे जिनमें 64,000 व्यक्ति कार्यरत हैं। इन मिलों में धागे का वार्षिक उत्पादन लगभग 8 करोड़ 20 लाख किलोग्राम है, जिसका मूल्य 213 करोड़ रुपए है। इन मिलों में लगभग 490 लाख मीटर कपड़े का उत्पादन होता है जिसका मूल्य 40 करोड़ रुपए है। कोयम्बटूर जिले की मिलें विकेन्द्रित हथकरघों, बिजली के हथकरघों तथा बुनाई क्षेत्रों को धागे की सप्लाई का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इनमें लाखों लोगों को रोजगार मिलता है और ये मिलें उन पर निर्भर परिवारों को जीवन-यापन के साधन उपलब्ध करती हैं।

कोयम्बटूर में इन कपड़ा मिलों के अलावा वहां पर सैंकड़ों इन्जीनियरिंग फौन्डरियां तथा उनसे संबद्ध सहायक उद्योग हैं जिनके लिए काफी बिजली की आवश्यकता है। इन फौन्डरियों में हजारों लोग काम कर रहे हैं। इन कपड़ा मिलों तथा फौन्डरियों को मिलने वाली बिजली में वर्ष में लगभग 6-7 महीने 80% कटौती की जाती है, जिससे सर्वत्र उत्पादन क्षमता की क्षति के अलावा हजारों लोग बेरोजगार हो जाते हैं।

अनुमान लगाया है कि कोयम्बटूर जिले की वस्त्र मिलों को ही लगभग 1,11,500 के० वी० ए० बिजली की आवश्यकता है। उनकी मासिक आवश्यकता 1980 में 4 करोड़ यूनिट थी जबकि उनको तमिलनाडु बिजली बोर्ड द्वारा 2 करोड़ 80 लाख यूनिट बिजली दी गई। शेष आवश्यकता में से 90 लाख यूनिट की आंशिक आवश्यकता निजी जेनरेटरों से पूरी की गई। स्व-उत्पादित ऊर्जा की लागत 1.1 करोड़ रुपए पड़ती है। यदि इस राशि के कुछ भाग को कोयम्बटूर में 50 मेगावाट क्षमता वाले तापीय बिजली घर की स्थापना करने पर खर्च किया जाये तो कारखानों पर बिजली की कटौती को प्रभाव को कम करना, उत्पादन और रोजगार को बनाये रखना और इससे होने वाली हानि को कम करना सम्भव हो जायेगा। इससे राज्य ग्रिड पर पड़ने वाला प्रभाव भी कम होगा और तमिलनाडु राज्य बोर्ड अन्य बड़े तथा छोटे उद्योगों तथा कृषि क्षेत्र के लिए बिजली कटौती में कमी कर सकेगा।

50 मेगावाट वाले तापीय बिजली घर की पूंजीगत लागत 25 करोड़ के करीब होगी। जब कपड़ा कारखाने स्वयं इस प्रकार के तापीय बिजली घर के लिए आवश्यक सम्बन्धी शकर्वटी पूंजी में भागीदारी करने के लिए तैयार हैं तो इस अति आवश्यक ता ीय बिजली घर की, राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार की भागीदारी से तथा यदि जरूरी हो तो अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय सहायता से स्थापित किये जाने स्थापना करने के प्रयत्न किये जाने चाहिये। चूंकि अलियार और भवानी नदियों से पर्याप्त जल मिल सकता है, इसलिए इस स्टेशन को कोयम्बटूर जिले के घेलाच्ची अथवा मेटाप्लायन स्थानों पर स्थापित किया जा सकता है जहां से इन कपड़ा कारखानों को बिजली दी जा सकती है।

चूंकि लगभग एक लाख लोगों के रोजगार का इससे सम्बन्ध है, इसलिए यह मांग की जाती है कि सरकार इस सौदेश्यपूर्ण प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त कदम उठाए।

(सात) 19 जनवरी को औद्योगिक हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों को तंग करने के कारण उत्पन्न स्थिति

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : भारत के श्रमजीवी वर्ग ने सरकार की श्रम विरोधी तथा प्रजातंत्र विरोधी नीतियों तथा बढ़ते मूल्यों के प्रति मजदूर संघों की राष्ट्रीय अभियान समिति के आवाहन पर एक दिन की आंशिक हड़ताल मनाकर अपना विरोध प्रदर्शित किया। सरकार ने कर्मचारियों से वार्ता करने के बजाय अपने नियंत्रण में प्रचार माध्यमों के दुरुपयोग तथा दमनकारी उपायों का सहारा लिया। 19 जनवरी की एक दिन की हड़ताल से काफी पहले तथा उसके बाद कर्मचारियों का उत्पीड़न किया गया। इससे देश में एक गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है जिससे कर्मचारियों में भारी असंतोष पैदा हो गया है। आज के दिन को देश भर में हजारों कर्मचारी सामूहिक विरोध बैठकें आयोजित करके विरोध दिवस मना रहे हैं। दिल्ली में भी कर्मचारी विरोध दिवस मना रहे हैं। श्रम शक्ति भवन के सामने बहुत से कर्मचारी धरने पर बैठे हैं।

मैं सरकार का ध्यान इस स्थिति की ओर दिलाता हूं और सरकार से आग्रह करता हूं कि कर्मचारियों का उत्पीड़न बन्द किया जाए और सभी दण्डात्मक कार्यवाही समाप्त की जाये तथा

तालाबन्दी और छंटनी सम्बन्धी कार्यवाही वापिस ली जाये, तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत आरम्भ की जाये तथा देश भर में एक सुखद वातावरण पैदा किया जाये।

औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधान कार्य को लेंगे। श्री प्रणव मुखर्जी।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : यह कार्य कब समाप्त होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसे 4 बजकर 10 मिनट पर समाप्त करेंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : मेरे विचार में 4 बजकर 20 मिनट पर नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि आप यहां बैठे हैं। इसीलिए मैंने 4 बजकर 10 मिनट कहा है।

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

जैसे कि यह सभा जानती है 1 जुलाई 1948 को स्थापित भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित देश में एक पहला विकास बैंक था। निगम को भारत के औद्योगिक उपक्रमों को मध्य अवधि तथा दीर्घ अवधि ऋण सुविधायें प्रदान करना इस निगम का उद्देश्य था। औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 को पिछली बार 1976 में संशोधित किया गया। भारतीय औद्योगिक वित्त बैंक के एक शिखरीय विकास बैंक के रूप में स्थापित होने तथा मूल अधिनियम में 1964 में संशोधन होने के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार तथा रिजर्व बैंक के शेयरों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को हस्तांतरित किया गया जिनकी अब इस बैंक में 50 प्रतिशत शेयर पूंजी हैं, शेष शेयर राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य अनुसूचित बैंकों, सहकारी बैंकों, बीमा कम्पनियों तथा पूंजी निवेश न्यासों के हैं।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम रुपए तथा विदेशी मुद्रा ऋणों, जमानती ऋणों तथा/अथवा शेयरों ऋण पत्रों के लिए सीधे अंशदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह बैंक मध्यम तथा बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं की स्थगित अदायगियों और विदेशी मुद्राओं के लिए भी गारंटियां देता है। यह निगम नई औद्योगिक परियोजनायें स्थापित करने तथा वर्तमान परियोजनाओं के विस्तार विविधीकरण तथा आधुनिकीकरण के लिए भी वित्तीय सहायता देता आ रहा है।

इस बैंक ने पिछले 33 वर्षों के दौरान 1404 परियोजनाओं के लिए 30 जून, 1981 तक 1293.05 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। वर्ष 1980-81 के दौरान निगम की स्वीकृतियों तथा भुगतानों में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमश: 35.4 प्रतिशत तथा 34.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राष्ट्रीय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों तथा अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों ने पिछले लेखा वर्ष के दौरान स्वीकृत सहायता में से 83.4 प्रतिशत सहायता प्राप्त की।

विशेषरूप से बनी तकनीकी सलाहकार संगठन तथा रिस्क कैपिटल फाउंडेशन जैसी संवर्धनकारी योजनाओं द्वारा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम छोटे तथा मध्यम दर्जे के एककों तथा उद्यमियों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसने आधुनिक प्रबन्ध तकनीक में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रबन्ध विकास संस्थान तथा विकास बैंकिंग केन्द्र चलाया है और इस प्रकार उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में उद्यम तथा प्रबन्ध कुशलता के विकास हेतु सहायता प्रदान की है।

इस निगम ने पिछले वर्षों में काफी प्रगति की है और उद्योगों को सहायता देने सम्बन्धी उसके कामकाज भी काफी बढ़ गए हैं। निगम के कार्यकरण से प्राप्त अनुभव से कुछ संशोधन करना जरूरी हो गया है। इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य बढ़ती जरूरतों और विस्तार कार्यों के लिए निगम के संसाधनों में वृद्धि करना, निगम के कामकाज में प्रक्रिया तथा अन्य मामलों सम्बन्धी अनावश्यक तथा असंगत प्रतिबन्धों को हटाना, निगम कार्यसूची में विस्तार करना तथा ऐसे कार्य भी हाथ में लेना है जिससे अन्य बातों के साथ-साथ निगम ऋण देने वाली अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ प्रभावशाली ढंग से काम कर सके। एक उद्देश्य यह भी है कि निगम के संगठनात्मक ढांचे को अधिक मजबूत किया जाये।

निगम के संसाधन बढ़ाने की दृष्टि से उसकी प्राधिकृत पूंजी को 20 करोड़ रुपए से अधिकतम 100 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का विचार है। निगम द्वारा रुपया उधार लिए जाने की सभी कुल प्रदत्त पूंजी तथा आरक्षित पूंजी के दस गुना तक सीमित करने सम्बन्धी प्रावधान को हटाने का भी विचार है। इसके अतिरिक्त निगम के शेयर लेने के आधार को विस्तृत करने और निगम को विभिन्न स्वीकृत स्रोतों की जमा राशि को स्वीकार करने और स्वीकृत संस्थाओं से उधार लेने योग्य बनाने का भी विचार है।

निगम का संगठनात्मक ढांचा अधिक मजबूत करने के लिए यह विचार है कि ऐसे संशोधन लाये जायें जिससे निगम अपनी आवश्यकता के अनुसार अधिक ऊंचे स्तरों पर अफसर नियुक्त कर सके और आवश्यकता पड़ने पर अपनी नई शाखायें खोल सके।

अधिनियम में औद्योगिक संस्था की परिभाषा को उसी रूप में विस्तृत करने का विचार है जैसे कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में दी गई है जिससे निगम अधिक प्रभावशाली ढंग से औद्योगिक इकाइयों की सहायता कर सके। इसी प्रकार निगम के व्यापार सम्बन्धी औद्योगिक उपक्रमों द्वारा अन्य संस्थाओं से लिये गए ऋणों की गारंटी देने, स्टाक खरीदने, वर्तमान होल्डरों से शेयर तथा ऋण पत्र लेना और व्यापारिक बैंकिंग कार्य करना, जैसे कार्यों की सूची बढ़ाने का भी विचार है।

विधेयक के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रानधानों का ब्यौरा उद्देश्य और कारणों के कथन में दिया गया है और उनका यहां दोहराना जरूरी नहीं होगा। इन महत्वपूर्ण संशोधनों के अतिरिक्त, कुछ अन्य संशोधन भी हैं जो कम महत्व और बाद में परिणाम दिखाने वाले हैं और उनका जिक्र करने के लिए मैं सभा का अधिक समय न लूंगा।

इन शब्दों के साथ मैं सभा से इस विधेयक पर विचार करने की सिफारिश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अब श्री सुनील मैत्रा बोलें।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : औद्योगिक वित्त निगम, औद्योगिक विकास बैंक, औद्योगिक पुनर्वास निगम मिलकर सरकार के औद्योगिक नीति संकल्प या जो कुछ इसमें से रह गया है, को कार्यान्वित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ऐसी स्थिति में निस्संदेह यह बड़ी विचित्र बात है कि वित्त मन्त्री श्री प्रणव मुखर्जी ने इस विधेयक को संसद में इतनी जल्दी में प्रस्तुत किया कि आपने इतने महत्वपूर्ण विधेयक के लिए केवल एक घंटा रखा है। इस विधेयक में सरकार ने औद्योगिक वित्त निगम को भारी शक्तियां देने का प्रस्ताव किया है और यदि हम औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 में निहित शक्तियों की तुलना सभा में प्रस्तुत किए जा रहे संशोधन विधेयक में प्रस्तावित शक्तियों से करें तो आपको ज्ञात होगा कि वह कितने भारी परिवर्तन करने का प्रस्ताव सभा के समक्ष रख रहे हैं। यह आश्चर्यजनक है कि चर्चा के लिए निर्धारित किया गया समय केवल एक घंटा ही है। क्या यह औद्योगिक वित्त निगम के कार्य की पुनरीक्षा करने का अवसर है ? पिछले 34 वर्षों में इसने क्या किया ? इसने सफलता प्राप्त की या असफलता ? हमें जो समय दिया गया है उसमें इसके जीवन काल में औद्योगिक वित्त निगम की रूपरेखा तथा कार्यों पर भी विचार करना सम्भव नहीं है और औद्योगिक वित्त निगम को क्या शक्तियां प्रदान की जायें यह भी सम्भव नहीं है।

पिछले 34 वर्षों से यह सरकार देश में पूंजीवाद की संरचना करने की नीति अपना रही है। 1947 में जब देश स्वतन्त्र हुआ था तो 80 करोड़ हाथ थे परन्तु टाटा और बिरलाओं के पास थोड़ी बहुत पूंजी के अतिरिक्त कोई पूंजी नहीं थी। पिछले 34 वर्षों से वे केवल मात्र देश में पूंजी इकट्ठा करने के उद्देश्य से कुछ आर्थिक नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं। ऐसा करने में उन्होंने अप्रत्यक्ष करारोपण, घाटे का बजट तथा सार्वजनिक उधारों की नीतियों का सहारा लिया है और एकाधिकार गृहों को देशी बाजारों को लूटने और अत्यधिक लाभ उठाने का मौका दिया है। इस प्रकार जनता की लूटपाट करके एकत्र की गई पूंजी अब ऐसी संस्थाओं, औद्योगिक वित्त निगम, औद्योगिक विकास बैंक, औद्योगिक पुनर्वास निगम आदि के माध्यम से बहायी जा रही है।

वस्तुत: औद्योगिक वित्त निगम के मालिक कौन हैं ? मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं। भारतीय रिजर्व बैंक के 2000 इक्विटी शेयर हैं, बैंकों के 2500 शेयर तथा जीवन बीमा निगम, सामान्य

बीमा निगम तथा अन्य निवेष न्यासों, सहकारी बैंकों के 1000 शेयर हैं। अन्तिम विश्लेषण में औद्योगिक वित्त निगम में जनता का धन ही लगा हुआ है अन्ततः यह औद्योगिक वित्त निगम ही उद्योगपतियों को धन उधार देता है। वे लोगों के धन पर ही निर्भर करते हैं। श्री मुखर्जी औद्योगिक वित्त निगम को भारी शक्तियां देने का प्रस्ताव कर रहे हैं। उनकी प्राधिकृत पूंजी 20 करोड़ रु० से बढ़ाकर 100 करोड़ रु० करने का प्रस्ताव किया जा रहा है अब वे जमा करने के लिए असीमित राशि स्वीकार कर सकते हैं पहले इसकी सीमा केवल 10 करोड़ रु० थी। अब यह 10 करोड़ रुपए की सीमा समाप्त कर दी गयी है। अब यह औद्योगिक वित्त निगम इस संशोधन विधेयक के अनुसार कोई भी धनराशि स्वीकार कर सकता है। फिर यह उधार भी ले सकता है। पहले इसकी सीमा 3 करोड रुपए थी। अब इसको 15 करोड़ रु० करने का प्रयास किया जा रहा है। आपने औद्योगिक कम्पनियों की सहायता कैसे की है ? पिछले सत्र में श्री वेंकटरामन ने सभा को सूचित किया था कि 1000 करोड़ रु० से अधिक सार्वजनिक धन राशि एकाधिकार निर्बन्धकारी व्यापारिक व्यवहार गृहों से सम्बन्धित कम्पनियों में लगी हुई है। आज मुझे नहीं मालूम कि औद्योगिक वित्त निगम की कितनी राशि एकाधिकार तथा निर्बन्धकारी व्यापारिक व्यवहार गृहों में लगी हुई है अथवा उधार या सहायता के रूप में उनको दी गई है ? आज तक हमने सरकार को मध्यम तथा लघु स्तरीय कम्पनियों को सहायता देते हुए नहीं सुना। बैंकिंग कम्पनियों या औद्योगिक वित्त निगम या औद्योगिक विकास बैंक से आने वाले धन का अधिकतर भाग — 80 से 90% भाग एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार कम्पनियों या बड़े उद्योग गृहों को गया है। आज वित्तीय संस्थाओं जिनमें औद्योगिक वित्त निगम भी सम्मिलित है, की सम्पूर्ण शक्ति एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार व्यवहार कम्पनियों को और अधिक बड़ा बनाने में लगी है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से किए गए समझौते के प्रकाश में यह सोचना कठिन नहीं है कि आगे आने वाले समय में एकाधिकार तथा निबंन्धनकारी व्यापार व्यवहार कम्पनियों तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के सारे प्रतिबन्ध समाप्त हो जाने या लगभग समाप्त हो जाने पर मध्यम तथा लघुस्तरीय कम्पनियों को एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार व्यवहार के अन्तर्गत आने वाली बड़ी कम्पनियों से कड़ी प्रतियोगिता करनी पड़ रही है। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं ? क्या औद्योगिक वित्त निगम छोटी तथा मध्यम स्तर की कम्पनियों को उधार देने के लिए आगे आया है ? इसका इतिहास क्या है ? प्रथा क्या है ? किस प्रकार वे धन का निवेश किया जा रहा है ? मुझे नहीं मालूम, कि सरकारी धन के निवेश की योजना में जिसमें औद्योगिक वित्त निगम भी सम्मिलित है, वित्त मन्त्री इस बात की पुष्टि करने हेतु कि यह एक बड़े उद्योग गृहों की संस्था नहीं है तथा यह बड़े उद्योग गृहों की सरकार नहीं है, कितने उदाहरण उद्धृत कर सकते हैं। औद्योगिक वित्त निगम को और अधिक शक्तियां, इतनी अधिक शक्तियां देने का अर्थ लोगों को और अधिक शोषण करके और धन बड़े उद्योग गृहों को देना है।

आज इस सभा को यह जानने का अधिकार है कि औद्योगिक वित्त निगम का धन कैसे खर्च किया गया है ? इसका कितना भाग उन बड़े व्यापार गृहों की कम्पनियों में लगा है जो एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार व्यवहार अधिनियम की सीमाओं के अन्तर्गत आते हैं। इन बातों की वजह से, संशोधन अधिनियम में उद्देश्य तथा कारण चाहे कुछ भी लिखे हों हमारी यह राय है कि यह एक और कदम है जो भारत सरकार ने एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार

व्यवहार कम्पनियों, तथा बड़े उद्योग गृहों की सहायता के लिए उठाया है। अतः हम इस संशोधन विधेयक का विरोध करते हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के भाई अभी बोल रहे थे। उन्होंने···

उपाध्यक्ष महोदय : उनका नाम भी सुनील मैत्रा है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं तो इनको एल० आई० सी० के पैरोकार के हिसाब से ही जानता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने इसकी मल्टीनेशनल कम्पनीज की मदद करने वाला बिल बताया है। पर यह नहीं जानते हैं कि इस बिल के जरिये से वेस्ट बंगाल में किन किन लोगों ने इनकी पार्टी के पैसा प्राप्त किया जो कि आज सारा बैड डट होकर रह गया है। वित्त मंत्री जी बतायें कि वेस्ट बंगाल में राष्ट्रीयकृत बैंकों से मार्किस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कितने करोड़ रुपया उन बैंकों से प्राप्त किया है जिसमें से आज तक एक पैसा जमा नहीं कराया गया। अगर कोई मैनेजर बैंक का पैसा मांगता है तो गोली मार दी जाती है। तो इन बातों को मंत्री जी की देखना चाहिये कि यह लोग इसका किस प्रकार दुरुपयोग करते हैं। यहां आपकी निन्दा करते हैं कि पूंजीपतियों से आप मिले हुए हैं, जबकि वास्तव में पूंजीपति सी० पी० एम० वाले लोग बन रहे हैं। अतः आपको इनका निरंतर ध्यान रखना चाहिये। इनके नेता लोग मल्टी नेशनल्स से भी बड़े लोग हो गये हैं, उनकी सम्पत्ति के बारे में विशेष तौर से आपको जानकारी करनी चाहिये।

यह बिल जो आपने प्रस्तुत किया है जिसके जरिये इंडस्ट्रियल यूनिट्स को रिवाइव और आगे बढ़ने के लिये आर्थिक सहायता आप देंगे, वह ठीक लोग होने चाहिये। खराब नियत वाले लोग और जो इस पैसे का दुरुपयोग करें उनको इस बिल से लाभ नहीं मिलना चाहिये। इसके लिये आपने क्या प्रावधान किया है ताकि ऐसे गलत लोगों को पैसा न मिल सके ? मेरे यहां का एक पूंजीपति है जिसने मेवाड़ टैक्सटाइल्स मिल को, जब आप कामर्स मिनिस्टर थे मैंने उस समय भी कहा था, सिक मिल बना दिया, उसने करोड़ों रुपया वहां से निकालकर दूसरी इंडस्ट्री खड़ी कर दी और मेवाड़ टैक्सटाइल्स मिल को खत्म कर दिया। आज वह आपके इस इंस्टीट्यूशन से 1 करोड़ रु० लेने की कोशिश कर रहा है, और आपके अधिकारी लोग उससे मिले हुए हैं और वह 1 करोड़ रु० ले लेगा और 3,500 मजदूर बेकार हो जायेंगे और आपका 1 करोड़ रु० भी फंस जायेगा। इस प्रकार के लोग इन संस्थाओं से पैसा प्राप्त कर रहे हैं और आपका कोई नियंत्रण उन पर नहीं हो रहा है। इसलिये मैं सावधान करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से आप सावधान रहें। जो सफेद हाथी आपकी इस तरह की निगमों में बैठे हुए हैं उन पर जब तक आपका कंट्रोल नहीं होगा तब तक व्यवस्था ठीक से नहीं चल पायेगी। सरकार की नीयत ठीक है, हम चाहते हैं कि देश में उद्योग धंधे बढ़ें। मगर सरकारी अधिकारी सारी पूंजी का सर्वनाश कर रहे हैं और अपने आपको मल्टी नेशनल बना रहे हैं। इसलिये इनसे आप बचिये, इन पर अंकुश रखिये तभी यह व्यवस्था ठीक से चल सकेगी और तभी सरकार की योजनाओं को कार्यान्वित करने में हम ज्यादा योगदान कर सकेंगे।

आपने जो प्रावधान किया है उसमें बड़े-बड़े अधिकारियों के पदों के सृजन की बात है। यह बड़े अधिकारी तो चाहते हैं कि हर क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा पद बनें ताकि उनके रिश्तेदारों को वहां काम मिले और उस संस्था को कटआउट करने का अवसर मिले। आप भी इसी प्रकार की मनोवृत्ति में लग गये और इसीलिये इसमें प्रावधान किया है कि इतने उच्च अधिकारी रखे जायेंगे। इतने ज्यादा उच्च अधिकारी रखने का मतलब यह है कि वह संस्था उन अधिकारियों की संस्था रह जायेगी और जनता का उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा, देश आगे नहीं बढ़ सकेगा, और ऐसी व्यवस्थायें चलेंगी जिससे बड़े-बड़े हाथी निगमों में पलते रहेंगे। इसलिये ज्यादा पदों को कायम करना ठीक बात नहीं है, जितने पदों की आवश्यकता है उतने ही बनाने चाहिये। बड़े बड़े अधिकारी क्या कर रहे हैं। हमने राज्यों में देखा है कि जहां पहले 5 या 6 अधिकारी सुपर टाइम स्केल में होते थे आज वहां 70-80 होते हैं। छोटे सेक्रेटरी का पद भी सुपर टाइम स्केल में आ गया है। इस तरह से आप भी इन पदों का सृजन करके सारा कामकाज अधिकारियों के हाथ में दे देंगे और आप उन पर कोई अंकुश नहीं रख सकेंगे और वह हमारी व्यवस्थाओं को ठीक से नही चला सकेंगे। इसलिये ज्यादा अधिकारियों के पदों का सृजन करना ठीक नहीं है। जितनी आवश्यकता हो उतने ही आदमियों को रखा जाना चाहिये। यह तो आपको सुझाव देते रहेंगे कि डायरेक्टर जनरल बना दो, और ऊंचे अधिकारी बना दो, और इस प्रकार एक तांता चलता रहेगा। और अगर आपने इस प्रकार के निगमों में ऐसे लोगों को बैठा दिया तो वह ठीक से काम नहीं कर सकेंगे।

जहां पर भी आपने निगम बना रखे हैं वहीं करोड़ों रु० का घोटाला है। जैसे मैंने एक सवाल किया था खेतड़ी में कॉपर प्रोजेक्ट का कारपोरेशन बनाया, उसमें 32 करोड़ रु० के स्विट्स का घोटाला हुआ, जिसमें से सोना भी निकलता है, उस सारे पैसे को गड़बड़ कर दिया। उसके खिलाफ हमने शिकायत की, क्वैश्चन पूछा तो उसमें कहा कि इन्क्वायरी हो रही है, मगर आज तक कोई इन्क्वायरी नहीं हुई। जनता पार्टी के समय में वह सारा फैल चला था, 25 करोड़ रुपया एक मैनेजिंग डायरेक्टर लन्दन की फर्म से मिलकर खा गया, उसके बाद उसके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई। आपसे क्वैश्चन पूछा तो आपने कहा इन्क्वारी चल रही है, इसका जबाव नहीं दिया जा सकता।

ऐसे महाप्रबन्धक आपके नियुक्त हो जायेंगे, ऐसे अधिकारी नियुक्त हो जायें तो इन निगमों का निश्चित रूप से बंटाधार हो जायेगा। इसलिये इन के ऊपर अंकुश रखा जाना चाहिए। आपने 20 करोड़ से इसकी पूंजी 100 करोड़ बनाने की बात कही है। लेकिन इस 100 करोड़ पर किसी अंकुश लगाने की बात नहीं कही। किस तरह से आप इस 100 करोड़ की हिस्सा पूंजी बढ़ाकर इस पैसे को कौन-कौन सी इंडस्ट्री में देंगे ? जो इंडस्ट्री देश के उत्पादन को बढ़ाने में अपना योगदान दें या ऐसी सिक इंडस्ट्रीज को पैसा दिया जायेगा जो सारे का सारा पैसा ब्लाक कर देंगी और उसके बाद दिवाला निकालकर ये लोग उसे वैड-डैट्स में शामिल कर देंगे और देश को गड़बड़ी की व्यवस्था में पहुंचा देंगे ? इसलिये जब तक इसकी व्यवस्था नहीं करेंगे कि इतनी पूंजी आप बढ़ा रहे हैं, उसका कोई सदुपयोग होगा या नहीं, उस पूंजी से देश की आर्थिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने में योगदान कर सकेंगे या नहीं, तब जाकर इस पूंजी को बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर इन पर अंकुश नहीं लगा, ये निरंकुश हो गये तो निश्चित रूप से सारा पैसा,

जो आप दे रहे हैं, वह बर्बाद हो जायेगा। इस तरह से आपने जो नये प्रयोग में पैसा प्राप्त करने के लिये 3 करोड़ का प्रावधान किया अब 15 करोड़ उधार लगा सकें, उसकी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, सो पैसा कितना भी आप लगा दीजिये, मगर उसका सदुपयोग होना चाहिये, उसके जरिये देश की आर्थिक उन्नति का काम होना चाहिये और उस पैसे का ऐसे उपयोग हो जिससे हम हर क्षेत्र में आत्म-निर्भर बन सकें तब जाकर यह व्यवस्था ठीक प्रकार से बैठ सकेगी। इसलिये ऐसी व्यवस्था हमको निश्चित तरीके से आज करने की आवश्यकता है। निगम को ऐसे औद्योगिक संस्थानों को पैसा देना चाहिए, जो हमारे देश में उत्पादन बढ़ाने और उसे आत्म-निर्भर बनाने में योगदान दें। उन लोगों को पैसा नहीं देना चाहिए, जो उस पैसे का अपने पर्सनल फायदे के लिए दुरुपयोग करें और उन संस्थाओं को भी समाप्त कर दें। इस प्रकार के लोगों और संस्थाओं के बारे में सावधान रहने की आवश्यकता है। मैंने इस बारे में कई नजीरें दी हैं।

मेरी कांस्टीट्यूएन्सी में मेवाड़ टैक्सटाइल मिल, भीलवाड़ा ने बैंकों से करोड़ों रुपये ले रखे हैं। वह एक सिक मिल बन चुकी है और उसकी हालत खस्ता हो रही है। अब वह अपन पुनरुत्थान के लिए निगम से एक करोड़ रुपया प्राप्त करना चाहती है। अगर सरकार ऐसी कंपनियों और मिलों से सचेत नहीं रहेगी, तो उसका पैसा डूब जाएगा और सरकारी अधिकारी उसका दुरुपयोग करेंगे। मैंने पहले बताया है कि यह मिल मजदूरों का प्राविडेंट फंड का 22 लाख रुपया और ई० एस० आई० का मजदूरों का कांट्रिब्यूट किया हुआ 3 लाख रुपया खा गई हैं। अगर इस पूंजीपति को सरकारी कर्ज दिया जाएगा, तो सारा पैसा चोपट हो जाएगा।

मैं इस मिल का स्वागत करता हूं, लेकिन मैं मंत्री महोदय को चेतावनी देना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में ऐसे बहुत से पूंजीपति हैं, जो फर्जी कार्यवाहियां करते हैं और सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं। देश में जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स है, उनमें 90 परसेंट पैसा सरकार का है। उप पैसे का वे लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। मंत्री महोदय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस निगम की व्यवस्था ठीक प्रकार से चलती रहे ताकि देश का उत्पादन बढ़े और हम आत्म-निर्भरता की ओर आगे बढ़ें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बिल की भाषा प्रशंसनीय है। लेकिन जो पैसे वाले लोग इसके प्रावधानों का दुरुपयोग करेंगे, उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। मंत्री महोदय ऐसी व्यवस्था करें कि सरकार का पैसा सुरक्षित रहे और उसके द्वारा देश का उत्थान हो।

श्री सी० टी० दंडपाणि (पोल्लाची) : महोदय, इस छोटे से संशोधन का स्वागत करते हुए मैं दो या तीन बातें कहना चाहूंगा।

माननीय वित्त मंत्री ने अपने आरम्भिक भाषण में इस बैंक, वित्तीय संस्थान की विभिन्न गतिविधियों का वर्णन किया है।

सामान्यतया जो लोग बैंकिंग गतिविधियों के बारे में कुछ जानते हैं वे इसका विरोध नहीं करेंगे और जब वित्तीय संस्थाओं को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो वे आगे आते हैं या बैंकों के और अच्छे कार्य निष्पादन के लिये तथा व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिये कुछ संशोधन लाने का प्रयत्न करते हैं।

परन्तु भारतीय साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के मेरे माननीय मित्र ने इस विधेयक का विरोध किया है।

इस बात पर मुझे आश्चर्य हो रहा है कि 1972 में इसी सभा में उन्हींके दल के सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी ने मूल विधेयक का समर्थन किया था।

तथापि उद्देश्यों तथा कारणों के कथन में कहा गया है कि यह संशोधन निगम के संसाधनों को बढ़ाने लिए प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि विभिन्न भागों से प्राप्त विभिन्न मांगों को पूरा किया जा सके।

अब बैंकिंग उद्योग, वित्तीय संस्थाओं का विशेष प्रेस, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारी अर्थव्यवस्था का निर्माण करने में बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है।

अत: मैं इस उपाय का स्वागत करता हूं, क्योंकि आजकल बैंकिंग उद्योग विशेषरूप से वित्तीय संस्थाओं को, जो पूर्णरूप से सरकार के नियन्त्रण में है, अन्य जरूरतमन्द लोगों की सहायता करने के लिए अधिक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है।

परन्तु ऐसी संस्थाओं के कार्य निष्पादन में कुछ कमियां हो सकती हैं। सरकार ने सोच समझकर एक विशेष संगठन की स्थापना की है जिससे कमजोर वर्गों की सहायता की जा सके, आर्थिक विकास किया जा सके तथा नये उद्यमियों की सहायता की जा सके।

सरकार ऐसा अच्छे इरादे से करती है। परन्तु बाद में, कुछ नौकरशाही किसी न किसी कारण सारे इरादों को खराब कर देते हैं।

अब मैं वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह यह देखें कि न केवल यह औद्योगिक वित्त निगम तथा अन्य वित्तीय संस्थान बल्कि विशेषरूप से बैंकिंग उद्योग भी सरकार की सुस्थापित नीतियों के अनुसार कार्य करें।

यदि कहीं किसी प्रकार की कोई कमी है अथवा कोई व्यवधान है तो सरकार को गलतियों को दूर करने के लिए आगे आना चाहिये और और वित्तीय संस्थानों को निर्देश देने चाहिये। यहां यह बात कही गई है कि निगम अपना व्यवसाय बढ़ाने जा रहा है। इसलिए निगम को विशेषरूप से वरिष्ठ अधिकारियों की और अधिक आवश्यकता है।

मेरा अपना सन्देह यह है कि यदि आप कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करते हैं तो फिर चाहे वह उच्च स्तर पर हो या निम्न स्तर पर, यह स्वाभाविक है कि योग्यता में निश्चित रूप से गिरावट आयेगी। यदि कार्य भार कम कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से कार्य-क्षमता तथा अन्य कार्य-कलापों में गिरावट आयेगी।

अत:, इस सम्बन्ध में, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वह मुझे यह बताएं कि क्या वह शाखाओं की संख्या में वृद्धि करने जा रहे हैं। यदि हां तो आप कुछ अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं। यदि नहीं, और यदि आप विद्यमान कार्यालयों से ही अपने व्यवसाय को फैलाना चाहते हैं तो मैं नहीं समझता कि आपको इस स्तर पर उच्च अधिकारियों की आवश्यकता है।

इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि आपके वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार अर्थात् निगम में बहुत से वरिष्ठ अधिकारी हैं । अत: मैं यह नहीं समझता कि इसको निदेशक-बोर्ड, अध्यक्ष, महाप्रबन्धक, संयुक्त महाप्रबन्धक या संयुक्त महाप्रबन्धक-2 और उप-महाप्रबन्धक या इस प्रकार की और नियुक्तियों की आवश्यकता है । उच्चाधिकारियों की एक लम्बी सूची है । मेरी समझ से बाहर की बात है कि आपको और अधिक उच्चाधिकारियों की क्यों आवश्यकता है और हमें उनको भुगतान करने की क्या आवश्यकता आ पड़ी है । कारण से मैं अनभिज्ञ हूं । अत:, इस मुद्दे पर मन्त्री महोदय से मुझे स्पष्टीकरण चाहिये ।

एक अन्य मुख्य मुद्दा है शेयरों (अंशदानों) का हस्तान्तरण । खण्ड 4 में कहा गया है :

"यदि ऐसा कोई धारक इस प्रकार प्रस्थापित शेयरों को प्रतिगृहीत नहीं करता है या उसके लिए नियत समय के भीतर पूर्ववर्ती परन्तुक में निर्दिष्ट किसी संस्था के पक्ष में ऐसे किसी शेयरों की बाबत त्यागने के अधिकार का प्रयोग नहीं करता है, तो बोर्ड, विकास बैंक की सहमति से ऐसी किसी संस्था को ऐसे शेयरों को आवंटित कर सकेगा ।"

इस सम्बन्ध में, मेरा यह सुझाव है कि स्वयं निगम भी शेयरों का अधिग्रहण कर सकता है । यदि कोई व्यक्ति शेयर नहीं रखना चाहता है तो, शेयरों को किसी अन्य संस्थान को हस्तांतरण करने के बजाय, निगम स्वयं शेयरों का अधिग्रहण कर सकता है जिससे कि ऐसा करके यह अपनी अधिकृत पूंजी में वृद्धि कर सकता है और यदि आवश्यक हो तो वे अन्य हुंडियां भी प्राप्त कर सकते हैं । मैं यह मुद्दा भी रखना चाहता हूं ।

जहां तक जमा राशि का सम्बन्ध है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि यह निगम भारतीय रिजर्व बैंक और विकास बैंक के नियन्त्रण से मुक्त हो रहा है । उन दिनों, मूल विधेयक के अनुसार, निगम को, कार्यालय नई शाखायें खोलने के लिए बैंक से सलाह-मशविरा आदि करना पड़ता था । आमतौर से, रिजर्व बैंक अच्छे बैंकों को कई क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति नहीं देता है । उनकी स्वयं की अपनी अलग नीति है । अत: रिजर्व बैंक अच्छे बैंकों को सुचारू ढंग से कार्य करने की अनुमति कभी नहीं देता है । यह अच्छी बात है कि अब यह रिजर्व बैंक और इस विकास बैंक के नियन्त्रण से मुक्त हो रहा है ।

एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा जो मैं उठाना चाहता हूं वह जमा-राशि के बारे में है । निस्सन्देह, हुंडियों और बाण्डों से आपको धन मिलता है, परन्तु इसी के साथ ही साथ निगम की छोटी बचतों को बढ़ावा देना चाहिये जिससे कि जनता की साझेदारी भी उसमें हो जाये । बहुत से लोगों को इस वित्तीय निगम के कार्यकलापों का पता नहीं होगा । मैंने यहां कुछ टिप्पण देखे हैं, उन्होंने अनेक समाचार-अभिकरणों में अपने क्रियाकलापों को प्रकाशित करवाया है । परन्तु, इस मामले में, वे जनता से और अधिक धन जमा करने की मांग कर सकते हैं ।

जहां तक इस निगम के उद्देश्य का सम्बन्ध है, यह प्रशंसनीय है । इसकी चार विकासात्मक योजनाएं हैं जो लघु-उद्यमियों को सहायता देने, अनुषंगी और लघु उद्योगों का विकास करने, स्वदेशी प्रौद्योगिकी को ग्रहण करने और उद्योगों की स्थापना के लिए नये उद्यमियों

और प्रौद्योगिकीविदों को प्रोत्साहन देने से सम्बद्ध हैं। कुछ मामलों में निगम आर्थिक सहायता भी देता है। यह इसका उद्देश्य है। परन्तु यह कहते हुए मुझे बड़ा खेद हो रहा है कि लक्ष्य को ठीक ढंग से प्राप्त नहीं किया जा सका है। निस्सन्देह इस वार्षिक प्रतिवेदन में पूर्ण ब्यौरा प्रकाशित नहीं किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार अग्रिम प्रदान किया गया है। आरम्भ में, मूलत: सहकारी टेक्सटाइल उद्योग और सहकारी चीनी उद्योग की सहायता करना इसका लक्ष्य था। परन्तु जब मैं निगम के प्रतिवेदन को देखता हूं तो यह बड़ा ही चिन्ताजनक है, बड़ा वेदनामय है। वर्ष 1978-79 में निजी क्षेत्र को 66.3 प्रतिशत सहायता मिली, सरकारी क्षेत्र को 13.4%, संयुक्त क्षेत्र को 17.2 प्रतिशत और सहकारी क्षेत्र को 3.1 प्रतिशत अर्थात् 154.25 करोड़ रुपयों में से सहकारी-क्षेत्र को केवल 4.72 करोड़ रुपये मिले। जब इस निगम की स्थापना की गई थी तो सरकार का लक्ष्य यह था कि यह सहकारी क्षेत्र की सहायता करेगी, परन्तु अब सारा धन एकट्ठा करके निजी क्षेत्र को दे दिया गया है। मैं यह नहीं जानता यह किसको दिया गया है और मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता हूं कि आया बड़े उद्योगों ने या लघु-उद्योगों ने इसे हड़प लिया है। इस बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं है। इसी प्रकार 1979-80 में, निजी-क्षेत्र को 66.7 प्रतिशत मिला, सरकारी क्षेत्र को 16.8 प्रतिशत, संयुक्त क्षेत्र को 13.6 प्रतिशत और सहकारी क्षेत्र को 2.9 प्रतिशत मिला। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसकी गतिविधियों को लघु-उद्योगों और अन्य लघु-क्षेत्रों की ओर मोड़ दिया जाना चाहिये। सरकार ने 20-सूत्री कार्यक्रम के नाम से एक आर्थिक कार्यक्रम बनाया और घोषित किया है। मैं तो विशेषरूप से यह कहूंगा कि इस प्रकार के संस्थानों को इस 20-सूत्री कार्यक्रम के सहायतार्थ नयी योजनाएं विकसित करनी चाहिये, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के पद-दलितों की सहायता के लिए प्रमुख कार्यक्रम है। मुझे प्रसन्नता है कि यह निगम अन्य अनेक क्षेत्रों में अपने कार्यकलापों को फैला रहा है, विशेषरूप के उनके आई० पी० आई० आई० पी० जैसे कुछ कैम्प या वर्ग हैं अर्थात, औद्योगिक परियोजनाओं की पहचान, प्रगति और कार्यान्वयन और इसे इस निगम ने चलाया है तथा यह एक अच्छा कार्यक्रम है; और राज्य सरकारों को अपने आर्थिक कार्यकलापों में इससे सहायता मिल रही है। अत: इस प्रकार की गतिविधियों क स्वागत करते हुए, मैं कहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर वित्तीय क्रियाकलापों को बढ़ावा देने हेतु एक नवीन योजना तैयार करने के लिए इस निगम को आगे आना चाहिये।

अत: महोदय, अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं व्यक्तियों के बारे में और एक बात कहना चाहता हूं। इस निगम में बहुत से दोषी व्यक्ति हैं। वे ब्याज की बकाया राशि तक का भुगतान नहीं करते हैं। यह तो मुझे पता नहीं है कि उन लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है। मेरा तो यह कहना है कि केवल तीस से पैंतीस लोगों से ही पूछताछ की जा रही है, जबकि अन्यों से अब तक कोई पूछताछ नहीं की गई है। कारण मुझे पता नहीं है ? प्रतिवेदन में इसका जिक्र नहीं किया गया है। इस बात का भी मुझे पता नहीं है कि आया वे अलग से कार्यवाही कर रहे हैं। मैं अपने अधिकारियों पर आक्षेप नहीं करना चाहता हूं। परन्तु उन्हें कार्यवाही तो करनी चाहिये। दूसरी ओर, उन्हें यह देखना चाहिये कि यह आवंटन केवल कम विकसित क्षेत्रों में ही किया जाना चाहिये। यहां पर 'कम विकसित' की जो बात की गई उसकी किसी भी ढंग से व्याख्या की जा सकती है। कम विकसित क्षेत्रों से तात्पर्य है औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र। मैं यह कहना चाहूंगा कि आपको नागालैण्ड, असम जैसे तथा ऐसे अन्य क्षेत्रों की

सहायता करनी चाहिये जिससे कि पहाड़ी आदिवासी जातियों को लाभ मिल सके । जब मैं इस प्रतिवेदन पर दृष्टिपात करता हूं तो मैं इसे उत्साहवर्धक नहीं पाता हूं । उदाहरणस्वरूप, निम्नलिखित क्षेत्रों के बारे में प्रतिवेदन में जो आंकड़े दिए गये हैं उन्हें देखिए :

मेघालय	2.84 करोड़ रुपये (1,000 करोड़ रुपयों में से)
त्रिपुरा	0.80 करोड़ रुपये (,,)

इस प्रकार के भेदभाव या कमी को सुधारा जाना चाहिये ।

महोदय, श्री मैत्रा ने कहा है कि वित्त मन्त्री महोदय यह विधेयक लेकर आए हैं जिसमें शक्तियां आदि दी गई हैं । मुझे नये वित्त मन्त्री महोदय को मुबारकबाद देनी चाहिये, क्योंकि उन्होंने इसमें एक नवीन खण्ड जोड़ा है कि निगम संसद के प्रति उत्तरदायी होगा । उसे पृष्ठ 6 पर जोड़ा गया है । इसमें कहा गया है :

"(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक विनियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जायेगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो जायेगी··· आदि आदि ।"

उस स्थिति में, हम प्रतिवेदन पर चर्चा कर सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप विधेयक के उस भाग का स्वागत करते हैं ।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : जी हां, महोदय ।

श्री सुनील मैत्रा : आप कितनी बार चर्चा कर चुके हैं ?

श्री सी० टी० दण्डपाणि : इसलिए तो अब एक नवीन खण्ड जोड़ा गया है । पहले यह इसमें नहीं था । अत: मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जीवन बीमा निगम आदि आदि जैसे अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए भी इसी प्रकार के उपबन्ध जोड़े जाने चाहिये । मैं मन्त्री महोदय द्वारा प्रस्तुत किए गये विधेयक का स्वागत करता हूं । धन्यवाद ।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्तमान विधेयक का समर्थन करता हूं और मेरी ऐसी मान्यता है कि माननीय वित्त मंत्री जी को एक सुअवसर मिला है, जिसमें देश की पूंजी को उत्पादक और उत्पादकता के क्षेत्र में लगाने का एक अच्छा माध्यम है । इस विधेयक के माध्यम से यह उद्देश्य की पूर्ति आसानी से हो सकती है ।

अभी आपने जो पूंजी को लगाने के लिए क्षेत्र विस्तृत करने की योजना बनाई और जो व्याख्या विस्तार से की है, उसमें बहुत से कुछ क्षेत्र आपने बताए हैं ।

धारा 2 (ग) के अन्तर्गत आपने निम्नलिखित जोड़ा है :

"(iv) सड़क द्वारा, या जलमार्ग द्वारा या वायु-मार्ग द्वारा या रेलवे द्वारा या लिफ्ट द्वारा यात्रियों या माल का वहन;"

लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि अभी 15-20 दिन पहले दिल्ली के आसपास के किसानों का एक डैपुटेशन आपसे मिला था और उन्होंने आपसे निवेदन किया था कि कृषि के क्षेत्र में आपका जो रुपया है, वह किसानों को कम से कम मिलता है।

इसमें आपने जितनी व्यवस्थायें दी हैं उनमें एग्रीकल्चर को कहीं भी शामिल नहीं किया गया है। अगर आप एग्रीकल्चर को भी इसमें शामिल कर लेते तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। इसमें जो फर्स्ट डेफिनीशन दी गई है, "खाद्य पदार्थों का निर्माण, संरक्षण और तैयार करना" इनमें यदि आप एग्रीकल्चर प्रोडयूस, 'को भी शामिल कर लेते हैं तो उससे पूंजी-निवेश का क्षेत्र बढ़ जाता है और इससे देश की आबादी के 70-75 प्रतिशत भागों को जिनका व्यवसाय खेती या उससे सम्बन्धित विषय हैं, उनको भी सहायता मिलेगी। लेकिन आपके मौजूदा एक्ट तथा इस संशोधन से किसान को कोई फायदा नहीं मिल सकता है।

हर स्टेट में लैंड डवेलपमेंट कारपोरेशन या इरिगेशन या डवेलपमेंट कारपोरेशन बने हुए हैं उनके लिये आप इसमें से कितना पैसा लाजमी तौर से देंगे ? इस सम्बन्ध में कहीं कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। आप जानते हैं—15 जनवरी, 1982 को हमारी राष्ट्र नेता प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने जिस 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की है उसमें जो पहला विषय है वह यह है कि हम सिंचाई के साधनों का विकास करेंगे, लेकिन इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये इसमें से कितना पैसा दे सकेंगे इसका कहीं भी प्रावधान नहीं किया है।

आपने इस विधेयक में यह प्रावधान भी कहीं भी नहीं किया हैं कि एम० आर० टी० पी० एक्ट के अन्तर्गत आने वाले जो बड़े-बड़े इण्डस्ट्रीयल हाउसिज हैं वे कितना लोन इसके माध्यम से ले सकते हैं। आपको यह देखना चाहिये कि संविधान के डायरैक्टिव प्रिन्सिपल्ज में जो निर्धारित किया गया है कि देश की पूंजी के और संसोधन ऐसे लोगों के हाथों में इकट्ठे न हो जाएं जो समाज का अधिक से अधिक शोषण करते हैं। आपको इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिये थी कि जो इण्डस्ट्रीज एक करोड़ पूंजी की हैं या उससे अधिक पूंजी की हैं उनको इसके माध्यम से कोई लोन न दिया जाय, क्योंकि उनको तो पहले ही दूसरी फाइनेन्शल संस्थाओं से पैसा मिलता है, यदि इसके द्वारा भी उनको ही पैसा दिया जायगा तो वह पैसा कुछ चुने हुए व्यक्तियों के हाथों में एकत्रित हो जायगा और इस तरह से जो शोषण की दर आज चल रही है, उसमें और ज्यादा इजाफा हो जायगा।

इसमें आपने एक व्यवस्था यह रखी है कि कोई भी व्यक्ति चाहे जितने शेअर ले सकता है, जबकि आपको इसमें इस तरह की व्यवस्था रखनी चाहिये थी कि कोई भी इण्डस्ट्रीयल हाउस 1 लाख से या 10 लाख से ज्यादा के शेयर नहीं खरीद सकता है। आप स्टेट गवर्नमेंट्स, रिजर्व बैंक या शेडयूल्ड बैंक्स को चाहे जितनी रकम के शेयर दें लेकिन किसी इण्डिविजुअल व्यक्ति या इण्डीस्ट्रीयल इस्टेब्लिशमैन्ट को ज्यादा शेअर न दिये जाने की व्यवस्था इसमें कहीं नहीं है।

इस मौजूदा बिल में आपने ऐसी व्यवस्था की है कि अथोराइज्ड कैपिटल 100 करोड़ रुपये का होगा, लेकिन मैं आपको सुझाव दूंगा, यह राशि 100 करोड़ से अधिक न हो की जगह आप ये शब्द जोड़िये : "जो 100 करोड या इससे अधिक तक बढ़ सके" वर्ना जिस तरह से आप मौजूदा बिल को लाये हैं उसी तरह से फिर आपको अथाराइज्स कैपिटल को बढ़ाने के लिये बिल लाना पड़ेगा। मेरे सुझाव को मान लेने से इसमें बिस्तार की गुंजाइश बनी रह सकती है।

अभी जैसा मेरे पूर्ववक्ता ने कहा था कि जिनकी तरफ आपकी रिकवरी बाकी है आप उनसे वसूल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ कानूनी दिक्कतें हैं और आप उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर पाते हैं। उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये आपने इस बिल का जो सैक्शन 2 है उसमें क्लाज (बीए) द्वारा कोर्ट की डैफिनीशन और कोर्ट के एरियाज को बढ़ाने का प्रयास किया है, लेकिन मेरी दृष्टि में यह इन-कम्प्लीट प्रावधान है, आप इसमें सिविल प्रोसीजर कोड की धारा 16, 17, 18, 19, 20 और 21 को क्यों लागू नहीं करते हैं जिससे कोई भी आदमी बच नहीं सकता है। वर्तमान व्यवस्था से जहां उसकी फैक्टरी है, जहां तक बिजनेस करता है उस क्षेत्र में हाईकोर्ट में दावा कर सकते हैं, लेकिन यदि आप सिबिल प्रोसीजर कोड की इन धाराओं को लागू कर देते हैं तो कोई भी डफनल्टर किसी भी जगह बच नहीं सकता है, इसमें हाईकोर्ट का जूरिसडिक्शन बढ़ जाता है और आज जो दिक्कत इस इस दिशा में आपके सामने आ रही है, वह आगे नहीं आयेगी।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपने अभी तक यह तय नहीं किया है कि किस कन्सर्न को, किस व्यक्ति को आप कितना लोन देंगे। उसके ऊपर आप एक सीलिंग फिक्स कीजिए। आपने इसमें बहुत लिबरैलाइज कर दिया हैं कि पुरानी मशीन पर लोन देंगे और रिफेयर्स के लिए भी लोन देंगे। यह बड़ा एम्बीगुअस है। जब तक आप एक सीलिंग फिक्स नहीं करेंगे, तब तक यह होता रहेगा कि किसी मोनोपली हाउस को, किसी भी इन्डस्ट्रियल हाऊस को 5 करोड़ रुपये; 10 करोड़ रुपये लोन दिया जाता रहेगा। इसके लिए आपको एक सीलिंग फिक्स करनी पड़ेगी कि इससे ज्यादा लोन नही दिया जाएगा।

आपने परफार्मेंस की बात भी बताई हैं, इस इन्स्टीट्यूशन की जो परफार्मेंस हैं, वह यह हैं कि कोआपरेटिव सेक्टर की 2 परसेन्ट से ज्यादा लोन नहीं दिया गया है, एग्रीकल्चर सेक्टर या दूसरे जो प्रोडक्शन के सैक्टर्स हैं उनका 16 परसेन्ट से ज्यादा नहीं है जबकि व्यक्तिगत लोन जो दिये गये हैं, वे 66 परसेन्ट से ज्यादा हैं। अगर आप सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी को पसन्द करते हैं, सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी वाली बात को लागू करना चाहते हैं, तो इस एक्ट के माध्यम से आप इसको लागू कीजिए और इस एक्ट में आपको इस तरह का प्रावधान करना चाहिए कि इससे ज्यादा लोन इन लोगों को नहीं मिल सकेगा। अगर आप इस तरह से लीखु छूट देंगे, तो अब तक जो इन लोगों ने 66 परसेन्ट लोन लिया है, ये 80 परसेन्ट लोन भी ले सकते हैं। आपको इस एक्ट में इस तरह का प्रोविजन करना चाहिए कि कृषि क्षेत्र में 50 परसेन्ट लोन दिया जाएगा और इर्रीगेशन सेक्टर में इतना जाएगा, कोआपरेटिव सेक्टर में इतना जाएगा और इन्डिविजुअल सेक्टर में किसी भी सूरत में 25 और 30 परसेन्ट से ज्यादा लोन नहीं दिया जाएगा।

इस तरह के प्राविजन की आशा हम इस एक्ट में करते थे क्योंकि कृषि के क्षेत्र में और खास तौर से इस सेक्शन के क्षेत्र में ज्यादा पैसा लगाने के बारे में आपके स्टेटमेंट आए हैं। इससे हमको बहुत बड़ी आशा बंधी थी कि इसके लिए अधिक से अधिक किया जाएगा, जिससे उत्पादन बढ़ेगा। देश की आबादी का 70-75 प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है। उसके लिए आप 18 परसेन्ट या 20 परसेन्ट लोन दें और व्यक्तिगत रूप से लोगों को 80 प्रतिशत लोन दें, यह एक बहुत बड़ा कान्ट्राडिक्शन है। इस लेजिसलेशन के माध्यम से आपको इस चीज को दूर करना चाहिए था।

आप जो यह लेजिसलेशन बजट के टाइम पर लाए है, यह बहुत जल्दी में लाए हैं। मैं चाहूंगा कि आगे चलकर एक इन्टेग्रेटेड फार्म में आप एक बिल लाएं और उसमें ऐसे प्रावधान करें जिनसे गरीब आदमी, किसान और स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज में जो दूसरे लोग काम करते हैं, उनको इसका फायदा मिल सके।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री के० ए० राजन अन्तिम वक्ता होंगे। उनके बाद मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। मन्त्री महोदय ने पहले ही से बता दिया है कि किन कारणों ने उन्हें अधिनियम में संशोधन करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

जहां तक मैं समझता हूं, यह संस्थान हमारे देश के औद्योगीकरण से सम्बन्धित बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी भूमिका निभा सकता है बशर्ते कि उसके धन का उचित उपयोग हो रहा हो। हमने पिछले कई वर्षों के दौरान ऐसा ही देखा है कि इसकी कार्य-क्षमता में वृद्धि हुई है।

प्रस्तावित मुख्य संशोधन व औद्योगिक कम्पनी की परिभाषा तथा प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि के सम्बन्ध में है। इस अधिनियम में मन्त्री महोदय द्वारा सुझाए गए यह कुछ मुख्य संशोधन हैं।

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

महोदय, इस संस्थान के कार्यचालन के सम्बन्ध में मेरी आकांक्षा यह है। दुर्भाग्य से यह स्पष्ट करने के लिए मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं है कि पहले उनकी क्या गतिविधियां थीं और यह संस्था किस दिशा में जा रही थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि हम कुछ बहुत अच्छे कानून बनाते हैं किन्तु दुर्भाग्य से इन वित्तीय संस्थानों के सम्बन्ध में हमारा पिछले कई वर्षों में यह अनुभव आ रहा है कि इन कानूनों से प्राप्त होने वाले लाभ बड़े-बड़े व्यापारियों द्वारा ही हड़प लिये गये है। मेरा मंत्री महोदय से नम्र निवेदन है कि वह यह देखें कि इस तरह कि बातें न हों। इस संशोधन में जो किया जाना अभिप्रेत है उसे किया जाना चाहिए ताकि हम अपने देश में वांछनीय गति से औद्योगीकरण कर सकें। लाभ उन क्षेत्रों को मिलना चाहिए जिन्हें उच्च प्राथमिकता प्राप्त है। यह लाभ विशेषत: पिछड़े क्षेत्रों, सहकारी क्षेत्र तथा मध्यम वर्ग क्षेत्र को मिलना चाहिए। किन्तु इन सभी रक्षोपादों के बावजूद हम देखते हैं कि बड़े-बड़े व्यापारि

प्रकार की चालें चलते हैं और इन उपायों से प्राप्त होने वाले लाभ हड़प कर जाते हैं। जैसा कि मेरे माननीय दोस्त श्री सुनील मैत्रा ने बताया है इस तरह की बातों से देश को कोई लाभ नहीं होगा। मैं मन्त्री महोदय से आग्रह करता हूं कि इस संशोधन से, जिससे वह इस संस्थान के कार्य-क्षेत्र और गतिविधियों में वृद्धि करना चाहते हैं, वास्तव में आम लोगों को लाभ पहुंचना चाहिये न कि बड़े व्यापारियों को। यह मेरा अनुरोध है कि इस विधान से उन नए उद्यमकर्ताओं को लाभ पहुँचना चाहिये। इससे पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण, मध्यम दर्जे के उद्योगपतियों तथा उन व्यक्तियों को सहायता मिलनी चाहिये जिन पर हम निर्भर कर सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी): सभापति महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस विधेयक पर अपनी टीका-टिप्पणी की है। इस विधेयक का क्षेत्र इस अर्थ में सीमित है, कि जैसाकि मैंने पहले बिल पेश करते समय कहा था, हम औद्योगिक वित्त निगम के पूंजी आधार का विस्तार करना चाहते हैं तथा उसके कार्यों को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन उस संदर्भ में संस्था के कार्यों का भी कुछ पुनरीक्षण हुआ है। इस सैद्धान्तिक दृष्टिकोण के अलावा कि क्या किसी वित्तीय संस्थान को गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा प्रयोग में लाये जाने की अनुमति दी जाये। जैसा कि श्री मैत्रा ने बताया है, मैं यह कहना चाहता हूं कि 1948 में अस्तित्व में आने के बाद से औद्योगिक वित्त निगम जो देश का पहला विकास बैंक है, उद्योग निर्माण में महत्व-पूर्ण योगदान देता रहा है। हां, यह सच है कि कुछ आंकड़ों की उद्धृत किया गया है। लेकिन मेरे पास भी कुछ आंकड़े हैं, मैं उन्हें उद्धृत कर सकता हूं।

गैर-सरकारी क्षेत्र में, गैर-सरकारी नियमित क्षेत्र में दी गई सहातता 63.75 प्रतिशत तक है। क्योंकि मूलत: यह संस्थान गैर सरकारी क्षेत्रों के सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, कपडा उद्योग की जरूरतों को पूरा करता है तथा हमारी व्यवस्था में गैर सरकारी उद्योग चलाते रहने चाहिए तथा चल भी रहे हैं। श्री मैत्रा बड़ा अच्छा वक्तव्य दे सकते हैं और प्राय: उद्धृत किये जाने वाले शब्दों "डकैती" तथा लूटपाट का इस्तेमाल कर सकते हैं। किन्तु उनसे यह पूछा जा सकता है कि पिछले पांच वर्षों से उन्होंने पश्चिम बंगाल में क्या किया है। बहुत से अवसरों पर वे बहुत निडरता से कहते है कि वे भारतीय सरकार की नीतियों से सहमत नहीं है। लेकिन अभी तक एकाधिकारी विरोधी तथा विदेशी पूंजी निवेश-बिरोधी कदम उठाकर उन्होंने यह शुरूआत क्यों नहीं की। मैं इस तरफ नही जा रहा। मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि जब वे चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग अथवा जूट उद्योग में निवेश करते हैं, जो अधिकतर गैर सरकारी क्षेत्रों में हैं, तो नि:सन्देह ही गैर सरकारी क्षेत्र का शेयर बढ़ जायेगा। मैं इतना ही कहूंगा।

दूसरा प्रश्न यह उठाया गया है कि हमने इसमें कृषि को शामिल क्यों नही किया? महोदय, यह संस्था उद्योगों की सहायता के लिए बनी है। कृषि के लिए बहुत से संस्था हैं।

श्री राम सिंह यादव: श्री स्वामीनाथन् ने सुझाव दिया है...

श्री प्रणव मुखर्जी : उन्होंने सुझाव दिया होगा। लेकिन मैंने जो किया है वह यह है। मैं वह बता रहा हूं। बहुत से लोगों ने सुझाव दिये हैं। हमने इसके लिए एक पृथक संस्था 'राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक' की स्थापना की घोषणा पिछले वर्ष के बजट में की थी। कृषि। पुनर्वित्त तथा विकास निगम और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, वाणिज्यिक बैंकों की भी गांवों में शाखाएं हैं, और इसी उद्देश्य से बनाई गई हैं। हाल ही में बैंकों के अधिकारियों के साथ हुई मेरी बैठक में, मैंने यह बताया था कि कृषि को दिए जाने वाले 16 प्रतिशत ऋण में अप्रत्यक्ष वित्त को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। अपितु इसमें प्रत्यक्ष वित्त को शामिल किया जाना चाहिए। इसीलिए, 'मंत्र' की भांति उन्हें दोहराने का कोई फायदा नहीं कि प्रत्येक संस्था, उसकी प्रकृति और कार्य कुछ भी हो, कृषि के लिए है, किसानों के लिए है और उत्पादन के लिए है। इस प्रयोजन के लिए विशेष संस्थाएं हैं तथा लघु उद्योगों के लिए भी ऐसा ही है। लघु उद्योग निगम भी बनाए गए हैं; क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बने हैं। ये मूलतः इसी वर्ग—लघु उद्योगों तथा कमजोर वर्गों के लिए बने हैं। ये संस्थाएं उद्योगों की सहायता तथा पूंजी लगाने के लिए बनाई गई हैं। अतः हम काम को दोहराना नहीं चाहते और न ही कार्यस्थल को रोककर रखना चाहते हैं। इस संशोधन की आवश्यकता थी। यदि हम उस औद्योगिक वित्त निगम के कार्यों को बढ़ाना चाहते हैं और यदि चाहते है कि उसका जबरदस्त प्रभाव होना चाहिए तो यह निश्चित है कि इतनी कम आधारभूत पूंजी के साथ ऐसा करना संभव नहीं है। यही कारण है कि हमने आधार-भूत पूंजी बढ़ाने का सुझाव दिया है।

तीसरा जो प्रश्न उठाया गया, वह यह है कि अधिकारियों की क्या आवश्यकता है? हमने कुछ अधिकारियों की नियुक्ति का सुझाव दिया है। यही एक ऐसा क्षेत्र है जहां माननीय सदस्यों को प्रसंशा करनी चाहिए कि उचित निरीक्षण के अभाव में बहुत बड़ी धन राशि ऋण में डूबती जा रही है, और यह मेरा दायित्व है। मैंने कई बार बैंकरों को बताया कि एक दिन ऐसा भी आएगा जबकि स्वयं बैंक भी बीमार पड़ जाएंगे। जिस तरीके से वे पूंजी निवेश कर रहे हैं और पूंजी पुराने कर्ज में डूबी हुई है, एक दिन ऐसा आयेगा कि हमें बीमार बैंकों की देखभाल के लिए संस्था स्थापित करने की बात सोचनी पड़ेगी। अतः उसके लिए बेहतर निरीक्षण आवश्यक है कि क्या अधिक धन निवेश करके, अधिक सामग्री देकर और अधिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके एक औद्योगिक एकक अर्थक्षम बन जाएगा। यह स्पष्ट मूल्यांकन करना होगा कि क्या एक संस्था को अर्थक्षम बनाया जा सकता है अथवा नहीं और उसके बाद ही पूंजी निवेश करना होगा। आखिर यह बैंक कर्मचारियों या वित्तीय संस्थाओं के कर्मचारियों का धन नहीं है, यह जनता का धन है और हम यह देखना चाहते हैं कि लगाई गई पूंजी पर उचित लाभ हो। अतः उस विचार से विस्तृत निरीक्षण, विस्तृत परीक्षण, अथवा उचित मूल्यांकन आवश्यक है। और जहां तक इस संस्था का सवाल है, हमारे पास ऐसे अनुभवी व्यक्ति नहीं हैं। यही कारण है कि मैंने ऐसे अनुभवियों की व्यवस्था करने का सुझाव दिया है। जहां तक वास्तविक भर्ती तथा अन्य मामलों का सम्बन्ध है, वह आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा और इस बात के आधार पर किया जाएगा कि उनको किस प्रकार के विशेषज्ञों की आवश्यकता है। वे अपनी व्यवस्था के अनुसार नियम बनाकर ऐसा करेंगे।

यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या यह संस्था प्राथमिकता वाले क्षेत्र को सहायता दे रही है। इस क्षेत्र से लगभग 85% सहायता प्राथमिकता वाले क्षेत्र को दी जाती है। मेरे पास 31 दिसम्बर, 1981 के आंकड़े हैं। प्रतिशत के आधार पर सहकारी क्षेत्र को 14%, संयुक्त क्षेत्र को 10.6%, सरकारी क्षेत्र को 11.7% तथा गैर-सरकारी निगमित क्षेत्र को 63.7% है। उस सहायता में से पिछड़े हुए क्षेत्रों की परियोजनाओं को 42.2% मिलती है। ये गैर-सरकारी क्षेत्र को क्यों दी जाती है यह मैं कुछ समय पहले बता चुका हूं। अतः इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि इन संस्थाओं की सहायता करने की क्षमता बढ़ाई जाये।

श्री सुनील मैत्रा : क्या आप गैर-सरकारी क्षेत्र में लगी पूंजी का पृथक-पृथक ब्यौरा दे सकते हैं।

श्री प्रणव मुखर्जी : आपके साथ कठिनाई यह है कि आप अपनी बात कहकर तुरन्त सभा से उठकर चले जाते हैं। मैं औद्योगिक वित्त निगम का कार्य संचालन क्षेत्र पहले ही बता चुका हूं। औद्योगिक वित्त निगम का कार्य क्षेत्र सीमेंट उद्योग, वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, पटसन उद्योग है तथा इनमें से अधिकांश उद्योग गैर-सरकारी क्षेत्र के हैं। अतः स्वाभाविक रूप से गैर-सरकारी क्षेत्र में उनका भाग रहेगा। क्या आपका सुझाव यह है कि पटसन उद्योग को धन न दिया जाये ? मैं यह प्रश्न आपसे सीधे पूछ रहा हूं। क्या आप मुझे यह सुझाव देंगे कि मैं कपड़ा उद्योग को धन न दूं।

श्री सुनील मैत्रा : क्या आप यह कहने जा रहे हैं कि इस सहायता का अधिकांश भाग एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों को दिया जा रहा है।

श्री प्रणव मुखर्जी : आप उसके बारे में नहीं जानते, यही आपकी समस्या है। आप इस प्रकार के वाक्यांश उपयोग में लाते हैं जैसे एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम तथा विदेशी कम्पनियां। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन आने वाली कम्पनियों में कितनी पटसन मिलें हैं ? परन्तु प्रश्न यह नहीं है। जब गैर-सरकारी क्षेत्र कार्यरत है, तो उसका अस्तित्व रहेगा। संक्षेप में मैंने यही बात कही थी। इतना लम्बा भाषण देने के स्थान पर आपने यह क्यों नहीं बताया कि पिछले पांच वर्ष में पश्चिम बंगाल में आपने क्या किया ? आपकी सरकार यह कह सकती है कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम से सहमत नहीं अथवा वे आई० एस० एम० ए० को क्रियान्वित नहीं करेंगे। आप यह क्यों नहीं कहते कि आप भारत सरकार की औद्योगिक नीति से सहमत नहीं हैं तथा आप अपनी पृथक नीति अपनायेंगे ? (व्यवधान)। यह सब बातें कहने का कोई प्रयोजन नहीं है। गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योग कार्य कर ही रहे हैं। हमारी मिश्रित अर्थ-व्यवस्था है, यदि गैर-सरकारी क्षेत्र को अपना कर्तव्य निभाना है तो उसे पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यह सीधी और साफ बात है जिसका मैं सुझाव दे रहा हूं। यदि पटसन मिलें संकटग्रस्त हो जाएं तो आप हमसे कहेंगे कि हम उन्हें अपने अधिकार में ले लें। आप यह नहीं कहेंगे कि बैंक के धन को सुरक्षित रखा जाये; आप यह नहीं कहेंगे कि कानून हम बतायें।

वास्तव में एक मिल के बारे में मैंने यह कार्यवाही की थी। जब मैंने एक आर्थिक संकटग्रस्त मिल को अधिकार में लिया तब स्वस्थ मिल को भी अधिकार में ले लिया, परन्तु बाद में न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण मुझे स्वस्थ मिल को छोड़ना पड़ा।

इन वास्तविकताओं की ओर हमें ध्यान देना होगा। हमारा मुख्य दायित्व यही है कि लोगों को बेरोजगार न होना पड़े, अत: हम कभी-कभी बिलकुल खराब यंत्रों वाली मिलों को भी अधिकार में लेते हैं। आपकी सरकार के कहने पर मैंने मोहिनी मिल्स को अधिकार में लिया है। परन्तु उसे हमने अधिकार में क्यों लिया ? इसे हमने इसलिए अधिकार में लिया क्योंकि 2500 व्यक्तियों को बेरोजगार बनाना अच्छी बात नहीं है और क्योंकि इसके लिए हम समाज के प्रति रोजगार के लिए वचनबद्ध हैं। इसलिए यह कहना व्यर्थ है कि निजी क्षेत्र को कोई धन न दें। यदि हम ऐसी स्थिति पैदा कर पाते हैं कि निजी क्षेत्र ही न रहे, तब इसकी आवश्यकता नहीं होगी। आपके लिए यह बात कहना सरल है कि पिछले 34 वर्षों में हमने निजी क्षेत्र को बनाया है, परन्तु आप यह बात भूल जाते हैं कि आज हमारे औद्योगिक उत्पादन का 25% उत्पादन सरकारी क्षेत्र में होता है और उसका निर्माण भी हमने किया है। अत: हमें उस पहलू को नहीं लेना चाहिए। इन बातों पर चर्चा के लिए हमें पर्याप्त समय मिलेगा।

जैसा कि मैंने स्पष्ट किया है तथा कारण बताये हैं संशोधन का विषय अत्यन्त सरल है। मुझे उम्मीद है कि सभा इस पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा देगी। धन्यवाद।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि औद्योगिक वित्त अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करते हैं। खण्ड 2 से 5 पर कोई संशोधन नहीं हैं। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 5 तक विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिये गये

सभापति महोदय : अब खण्ड 6। श्री बालासाहिब विखे पाटिल उपस्थित नहीं हैं। अत: मैं खण्ड 6 और 7 से 10 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 से 10 तक विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 6 से 10 विधेयक में जोड़ दिये गये।

सभापति महोदय : खण्ड 11, श्री सुधीर गिरि। क्या आप अपना संशोधन रख रहे हैं ?

श्री सुधीर गिरि : जी हां। मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 4—

पंक्ति 28 के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये :

"परन्तु यह कि किसी व्यक्ति से निक्षेप प्रतिग्रहीत किए जाने की स्थिति में, निक्षेपकर्ता या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य की मृत्यु या गम्भीर बीमारी जैसी असाधारण परिस्थितियों में वे निक्षेप युक्तियुक्त कम समय के भीतर, जो तीन मास से अधिक नहीं होगा, लौटाए जा सकेंगे।" (2)

मूल विधेयक में व्यक्तियों द्वारा औद्योगिक वित्त निगम के पास धन जमा करने की व्यवस्था थी, परन्तु इस विधेयक में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया कि क्या व्यक्तियों को धन जमा करने दिया जायेगा। यदि व्यक्तियों को धन जमा करने दिया जाता है तब उन्हें अपने धन को अपने परिवार में किसी की मृत्यु अथवा बीमारी की हालात में निकलवाने की भी अनुमति होनी चाहिए। इसलिए मैंने इस संशोधन का सुझाव दिया है।

श्री प्रणव मुखर्जी : यह आवश्यक नहीं है क्योंकि जब निगम नियम तैयार करेगा तब वह इसका ध्यान रखेगा। यह सामान्य वित्तीय कार्य है तथा उन्हें नियमों में इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। इसे मुख्य अधिनियम में सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं है।

सभापति महोदय : अब मैं श्री सुधीर गिरि के संशोधन संख्या 2 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 2 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 11 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया

सभापति महोदय : खण्ड 12 से 19 तक कोई संशोधन नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 12 से 19 तक विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 12 से 19 विधेयक में जोड़ दिये गये

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

सभापति महोदय : अब मन्त्री महोदय ।

श्री प्रणव मुखर्जी : श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

सभापति महोदय : अब हम अगली मद को लेते हैं । प्रो० रंगा ।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये :

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 18 फरवरी, 1982 को संसद की एक साथ समवेत दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं ।"

कुछ ही मिनट पूर्व विपक्ष के मेरे माननीय एक सदस्य ने मुझसे प्रश्न पूछा था कि क्या मैं उसी आधार पर बोलूंगा जैसा कि मैंने संसद में भाषण दिया है अथवा पहले दिए गए भाषणों विशेषत: 28 दिन पूर्व दिए गए अपने भाषण के अनुरूप बोलूंगा । मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं कि इस भाषण में तथा अन्य भाषणों में कुछ अन्तर हो तो भी, जहां तक मेरा सम्बन्ध है; मेरे मन में कोई आशंका नहीं है । आश्वस्त होने के कारण मैं एक ही जैसी दृढ़ आवाज से बोलता हूं । हमने वास्तव में कुछ वर्ष लोकतन्त्र में व्यतीत किये हैं, यह मैं उस सरकार की नीति के बारे में कह सकता हूं जिसे जनता का भारी समर्थन प्राप्त हुआ है । यह इस कारण से है कि समाज के सभी वर्गों ने हमारे दल की नेता, श्रीमती इन्दिरा गांधी में विश्वास व्यक्त किया है और मैंने दस वर्ष पूर्व उनके साथ मिलकर काम करने का निश्चय किया । मैं उनके साथ उस प्रकार नहीं मिला जैसे कि मेरे मित्र कुछ समय पूर्व इनके विरुद्ध आपस में मिल गए । मैं उन्हें दोष नहीं देता । उनके लिए यह आवश्यक था । अपने लोकतंत्र को पूरी तरह सफल बनाने के लिए अब प्रधान मन्त्री के साथ मिलकर चलना आवश्यक है । मैं नहीं जानता कि वे मित्र कितने समय में एकजुट हो पाएंगे, एक परिवार के सदस्य बन पाएंगे, अर्थात सभी राजनीतिक नेता सर्व-सम्मति के आधार पर हमारे लोकतंत्र के लिए कार्य कर पायेंगे । (व्यवधान)

हां, मेरे मित्र ने उस दिन असम के बारे में वैसा ही सुझाव दिया। श्री वाजपेयी के असम के बारे में सुझाव से प्रसन्नता हुई—क्योंकि वह असम गये थे तथा उन्होंने देखा कि वर्तमान प्रणाली इन हालात में कार्य नहीं कर रही, न हमारे नेतृत्व में और न उनके नेतृत्व में। अत: विवशता से तथा यथार्थ रूप में उन्होंने उक्त सुझाव दिया। मैं वही सुझाव पिछले पन्द्रह वर्ष से दे रहा हूं, परन्तु कोई भी मानता नहीं। अत: इस प्रणाली के जारी रहने से मुझे सन्तोष है, क्योंकि इसमें एक पार्टी सत्ता में है तथा पार्टियों या ग्रुपों का एक समूह विपक्ष में है।

इन हालात में मेरे माननीय मित्रों ने अपने राजनीतिक दर्शन के प्रदर्शन के लिए 700 से अधिक संशोधन रखे हैं, कि किस प्रकार उनके विचार हमसे अलग हैं, कहां पर हम गलत हैं तथा केवल वे लोग ही सही हैं, तथा किस प्रकार वे लोग देश का प्रबन्ध इन्दिरा जी तथा उनके साथियों से बेहतर कर सकते हैं।

मैं इन सब बातों को देख चुका हूं। उनमें से एक और उनके अनुयायी/अनुनायियों ने लगभग 90 संशोधन दिए हैं। इसी प्रकार दूसरे ने 20 संशोधन दिए हैं। दोनों साम्यवादी दल के दो भागों में से हैं। मेरे मित्र श्री दंडवते ने भी कुछ संशोधन दिए हैं।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : लेकिन वे सब अस्वीकृत हो गए।

प्रो० एन० जी० रंगा : मुझे खुशी है कि उनका साथ उनकी सम्मानीय पत्नी ने दे दिया है। मुझे उस जोड़े का गर्व है क्योंकि वे हमारे देश में हमारे वैवाहिक जीवन के उदाहरण हैं। अत: यदि किसी समय मैं अपने आपको अपने मित्र, प्रो० मधु दंडवते की दूसरी ओर देखता हूं तो मुझे इस बात का बहुत दुख होता है। लेकिन मैं उनसे मतभेद रखना जरूरी समझता हूं। हमारा मतभेद कहां है ? क्या हम सब समाजवादी नहीं हैं ? मेरे मित्र श्री वाजपेयी ने अपने दल को समाजवाद के पक्ष में होने की घोषणा करने के लिए राजी कर लिया है (व्यवधान) जनता पार्टी, हमेशा समाजवादी रही है। साम्यवादी समझते हैं कि वे कुछ अधिक समाजवादी हैं, समाजवादियों की अपेक्षा कुछ अधिक बामपंथी हैं।

सभापति महोदय : यह गांधीवादी समाजवाद है।

प्रो० एन० जी० रंगा : लोकदल भी बहुत जल्दी जनता पार्टी में मिलने जा रहा है। यदि उनके बीच कोई संदेह भी हो तो उसे भी वे दूर कर लेंगे और वे भी समाजवादी बन जायेंगे। जब सभी समाजवादी हैं तो साम्यवादी दल क दो पक्षों के मेरे माननीय मित्र 90 संशोधनों के रूप में कौन-सी शानदार पुस्तक को हमारे सामने रखना चाहते हैं। मैं अपने मित्रों से पूछना चाहता हूं कि हमारा मतभेद कहां है ? मैं चाहता हूं कि वे इस प्रश्न को अपने आप से पूछे। क्या यह जनजातियों को दिए जाने वाले संरक्षण के बारे में है ? हम सब इस बारे में एक हैं। क्या यह अनुसूचित जातियों के लोगों, ग्रामीण लोगों, देश के सभी भागों में दलित महिलाओं, पिछड़े वर्गों तथा अन्य सुविधाहीन लोगों के संरक्षण से सम्बन्धित है ? हमारा इस बारे में मतभेद नहीं है। क्या यह मतभेद पूंजीवाद गैर-सरकारी उद्यम के बारे में है।

क्या वे उन $2\frac{1}{2}$ वर्षों के दौरान निजी उद्यमों के साथ शांति से नहीं रहे ? क्या उन्होंने किसी न किसी तरह उनसे सम्बन्ध ठीक नहीं बनाये रखा ? क्या उन्होंने इन पूंजीवादी उद्यमों,

निर्माताओं तथा अन्य लोगों को, बड़े गृहों के बड़े नाम वाले उन लोगों को जिनका नाम वे बार-बार दोहराते हैं, यथासम्भव अधिकाधिक प्रोत्साहन नहीं दिए ? क्या उन्होंने उनके साथ चलने का प्रयत्न नहीं किया ? केरल में उन्होंने क्या किया ? बंगाल में वे क्या कर रहे हैं ? उन्होंने और जगह क्या किया ? क्या उनके नेता पूंजीपतियों तथा उद्योगपतियों को केरल आने और वहां उद्योग लगाने तथा रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से राजी करने हेतु बम्बई नहीं जाते रहे ? अतः ये लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनका हमसे जो बुनियादी मतभेद है, वह उनके आपसी मतभेद की अपेक्षा अधिक है। यह बात सच है कि सत्ता प्राप्ति के, सत्ता का उपयोग करने के मामले में तथा सत्ता का आनन्द लेने के मामले में उनके बीच मतभेद है। लेकिन उन्होंने तीन वर्षों तक सत्ता का आनन्द लिया, उन्होंने इसका उपयोग किया। वे इन संसदीय शक्तियों की सीमाओं को जानते हैं। उन्हें इस ढंग से हमें ऐसे सुझाव देते हुए समझदारी से काम लेना चाहिए था।

अतः हमें एक होकर सीखने और काम करना सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। 28 दिन पहले राष्ट्र के नाम यही अपील की गयी थी, यह वही अपील थी जिसे हमारी प्रधान मन्त्री बार-बार राष्ट्र के नाम करती आ रही हैं। मैं अपने माननीय मित्रों से इस अपील पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। क्या यह एक अनुचित तथा असंगत अपील है ? निश्चय ही हम सबको इस बात का ध्यान रखने के लिए इकट्ठे होकर काम करना चाहिए कि सरकारी तथा गैर-सरकारी अर्थात सभी क्षेत्रों में अधिकाधिक उत्पादन हो। दूसरी ओर, हम दिन प्रतिदिन क्या देखते आ रहे हैं ? मेरे मित्र, 3-4 दिन पहले 'संसदीय प्रक्रिया' से हवाला दे रहे थे। उन्हें 'इंग्लिश प्रणाली' के बारे में भी सोचना चाहिए। जब लेबर दल सत्ता में था, तो क्या कनजर्वेतिव दल ने उनका साथ नहीं दिया था ? उन्होंने उनके रास्ते में रुकावट नहीं डाली थी और उनका काम करना असम्भव नहीं किया था ? जब वहां लेबर दल था; तो क्या कनजर्वेतिव दल ने उनका साथ नहीं दिया था ? लेबर पार्टी अल्पमत से सरकार चला रही थी, लिबरल पार्टी से कभी-कभी मिलने वाले समर्थन से सरकार चल रही थी और फिर भी उनकी $4\frac{1}{2}$ वर्षों तक चलती रही। उन्हें चुनाव का समय निश्चित करने की आजादी दी गई। लेकिन मेरे मित्र श्री वाजपेयी समय-समय पर प्रभावशाली तथा अच्छे तरीके से यह मांग करते आये हैं कि सरकार को त्यागपत्र देना चाहिए, केवल इसलिए कि देश के किसी भाग में कुछ अत्याचार हुए हैं अथवा हमारे राष्ट्र पर कोई और विपदा आयी है। एक प्रजातंत्र में लोगों से अपील करने का यह कोई तरीका नहीं है। लेकिन फिर भी ये एक समझदार आदमी हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान अब मंच पर ये समझदारी से बोलते हैं और ये बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। (व्यवधान) मैं इन्हें बहुत चाहता हूं और मैं इनके बहुत पक्ष में हूं। जब ये बोलते हैं तो मैं इन्हें देखने मात्र से आकर्षित हो जाता हूं। लेकिन फिर मैं क्या करूं ? मुझे अपनी अन्तरात्मा के प्रति अपना कर्तव्य निभाना है और मुझे इन्हें बताना है कि ये गलत रास्ते पर जा रहे हैं। मुझे वाकपटु होना चाहिए, कम से कम इनसे आधा तो वाकपटु तो होना ही चाहिए। मैं भी लाखों लोगों को उसी तरह से प्रभावित कर चुका हूं जैसे कि मेरे माननीय मित्र ने किया है और जिसका उन्हें गर्व भी है लेकिन मैं एक नेता भी रहा हूं, एक प्रधान नेता रहा हूं लेकिन मैं इस तरह से नहीं चला। सम्भवतः मैं गलत था और ये ठीक हैं, ये ऐसा कह सकते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : हो सकता है कि आप बुद्ध हैं और मैं युवा।

श्री एन० जी० रंगा : मैं चाहता हूं कि ये इस बात को समझें कि वे इस रंगा को नहीं बल्कि उस रंगा को प्रभावित करने पर विचार करें जिसके साथ इस प्रजातंत्र में और इसी सभा में वे रहे हैं। मैं यह भी नहीं चाहता कि वे इस प्रकार व्यवहार करें जैसे कि मैं करता आया हूं। इस प्रजातंत्र को चलाने के लिए सहायता प्रदान की जानी जरूरी है। हमें याद रखना चाहिए कि यदि इस देश में यह प्रजातंत्र विफल हो गया तो इसका विकल्प क्या है ? अधिनायकवाद, निरंकुशता, जो हमारी सीमाओं से बाहर है, अधिनायकवाद जो हमारे देश तथा उपमहाद्वीप के दायीं तथा बायीं ओर है। क्या हम वैसा चाहते हैं ? मुझे विश्वास है कि हम वे वैसा नहीं चाहते। मुझे यकीन है कि इनके गुरूजी भी इसे नहीं चाहते थे। अतः इन्हें यह अनुभव करना चाहिये कि इस प्रजातंत्र की चार दीवारों वाले मंच के कार्यकरण की सीमायें क्या हैं। इन्हें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि हम लोगों से उस प्रजातंत्र के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए अपील न करें।

अब इतना कहने के बाद, मुझे नौकरशाही के प्रश्न को उठाने दीजिए। यहां हमारे मित्रों तथा मन्त्रियों के लिए यह कहना सरल है कि वह सर्वशक्तिमान है। पर ऐसा नहीं है। मन्त्री केवल तभी शक्तिशाली हो सकता है जबकि वह नौकरशाही का सहयोग प्राप्त कर सके और उन्हें काम करने, सक्रिय और रचनात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित कर सके। नौकरशाही तथा मन्त्रियों को एक दूसरे से मिल-जुलकर तथा एक दूसरे से सहयोग करके काम करना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें अपनी नौकरशाही का आदर करना चाहिए। उन्हें अपनी ओर से मतदाताओं की इच्छाओं का आदर करना चाहिए और मंत्रियों का मतदाताओं को दिए गए उन चुनाव वायदों को पूरा करने में सहायता करनी चाहिए जिनसे उनकी जीत हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी नौकरशाही वैसा करना सीख लेगी।

लेकिन हम नौकरीशाही के साथ व्यवहार करने में ईमानदार नहीं रहे हैं। कई बार मुझे मंत्रियों पर दोष लगाने पड़े, क्योंकि वे उनके काम में अनावश्यक हस्ताक्षेप कर रहे थे। कई बार मुझे विपक्ष से, विपक्ष के मेरे अपने मित्रों से नौकरशाही के काम में हस्ताक्षेप करने तथा उनकी निष्ठा पर संदेह करने के कारण झगड़ा करना पड़ा। और कुछ समय के लिए नौकरशाही पर भारी दबाव बना रहा। मुझे खुशी है कि अभी हाल में प्रधान मन्त्री ने बार-बार नौकरशाही से मतदाताओं रथा मंत्रियों की इच्छा पूरी करने के लिए तथा मंत्रियों से नौकरशाही के साथ से मिल-जुलकर काम करने के लिए कहा है ताकि हम पार्टी के आदेश को प्रभावशाली, सच्चे और रचनात्मक ढंग से कार्यान्वित कर सकें।

मुझे सभा को इस बात के प्रति भी सावधान करना है कि नौकरशाही की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। यदि मेरे साम्यवादी मित्रों का बोलबाला हो तो यह संख्या और भी तेजी से बढ़ेगी। अतः हमें यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय ढूंढने हैं कि हम नौकरशाही के साथ कितनी अच्छी तरह से काम चला सकते हैं और कैसे उनसे अधिकाधिक लाभ उठा सकते हैं। हमें रूस और चीन से भी कुछ सीखना चाहिए क्योंकि वहां नौकरशाही ही है, कोई मंत्री नहीं। नौकरशाही से इस सीख तक लाभ पहुंचा है कि ये दो महान देश आज विश्व की महानतम आधिपत्यवादी शक्ति के लिए चुनौती बन गए हैं। उन्होंने इतनी ताकत कैसे प्राप्त की ? इसका कारण यही है कि ये अपना काम देश भक्ति की भावना से कर रहे हैं। जब स्टालिन लोगों को हिटलर के विरुद्ध संग-

ठित कर रहा था तो उनकी नौकरशाही ही ने उनका साथ दिया था। किसानों और श्रमिकों ने भी उनके साथ काम किया। किसान और श्रमिक हमारे अपने ही लोगों की तरह हैं। लेकिन नौकरशाही कुछ भिन्न है। यह एक भयानक तत्व है, एक राजनैतिक तत्व है, एक नया तत्व है जिसने बहुत शक्ति प्राप्त कर ली है। अतः मैं अपने दल की ओर से तथा, यदि सौभाग्य हो तो समूची सभा की ओर से नौकरशाही से अपील करता हूं कि वे हमारे साथ ठीक ढंग से व्यवहार करें। मैं अपने माननीय मित्रों से भी अनुरोध करूंगा कि वे नौकरशाही के काम में दखल न दें। मुझे कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन निश्चय ही इसकी एक बड़ी शर्त है। नौकरशाही की भर्ती किस प्रकार हो रही है ? क्या इस प्रकार की कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं कि उनकी किसी विशेष सामाजिक प्रणाली में आस्था है और जिसके कारण, जब कभी भी कोई साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं अथवा हरिजनों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुए हैं, उस समय इस सभा के सभी पक्षों के सदस्यों ने शिकायत की है कि पुलिस ने किस प्रकार व्यवहार किया है ? अतः हमारे बुजुर्गों ने, संविधान के रचनाकर्ताओं ने—जिनमें से मैं भी एक था तथा और भी थे जिन्हें महात्मा गांधी ने दूर से मार्गदर्शन दिया था और श्री जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल तथा मौलाना आजाद ने हमारा सीधा नेतृत्व किया था—हरिजनों, आदिवासियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण सम्बन्धी विशेष प्रावधान किया था। मेरे विचार में अभी हाल में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि ये आरक्षण बने रहें, इनका आदर किया जाना जाहिए, लेकिन साथ-साथ यदि किसी विशेष वर्ष में रिक्त स्थान हों तो समाज के इन तीन क्षेत्रों से सिविल सेवा में 50% तक भर्ती की जाएगी।

दो हरिजन मंत्रियों ने भी, एक इस ओर के और दूसरे उस ओर के, एक उपलब्धि प्राप्त की हैं। इनमें से एक जिंदा हैं और दूसरे मर गए हैं। उन्होंने पदोन्नति के सम्बन्ध में भी आरक्षण के सिद्धान्त को लागू किया। मेरे माननीय मित्र प्रो० मधु दंडवते को इस बात का श्रेय जाता है कि जनता शासन के दौरान जब वे सत्ता में थे, तो उन्होंने भी समूची जनता पार्टी के नाम पर पदोन्नति सम्बन्धी आरक्षण के इस सिद्धान्त का समर्थन किया था। हम भी उसका समर्थन करते हैं।

अब मैं चुनावों के सम्बन्ध में अपने मित्रों से कुछ निवेदन करूंगा। मेरे मित्र यह शिकायत करते रहे हैं कि हम चुनावों में हस्तक्षेप करते रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के विरुद्ध यह शिकायतें हैं कि मतदाता सूची में बहुत अधिक गड़बड़ी की गयी। अतः इसका पुनरीक्षण होना चाहिए। (व्यवधान) अब यह उन्हें बुरा लगता है, तो मैं क्या करूं (व्यवधान)

सभापति महोदय : जब कभी पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ कहा जाता है आप खड़े क्यों हो जाते हैं ?

प्रो० एन० जी० रंगा : मेरा कहने का यह अर्थ नहीं था कि अन्य दलों ने दुर्व्यवहार नहीं किया है। उन्होंने बहुत से अवसरों पर, बहुत बार ऐसा किया। लेकिन वे सुधर रहे हैं। उन्होंने आलोचना को बर्दाश्त किया। उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई शिकायत या गड़बड़ नहीं की। अब हम यह चाहते हैं कि मतदान सूची संशोधित की जाए। हम कब तक ऐसा कर सकते हैं ? देश के विभिन्न भागों में कई बार ऐसे अवसर आए हैं जबकि साम्राज्यवादियों, पूंजीवादियों, साम्यवादियों

तथा सम्प्रदायवादियों द्वारा गड़बड़ियां करके वोटें हथियाई गई हैं। सभी पर दोषारोपण किया जा सकता है। अतः चुनाव आयोग को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें कुछ आवश्यक कदम उठाने होंगे। ऐसे प्रस्ताव रखे गये थे कि चुनाव आयुक्त के पद पर एक ही व्यक्ति का होना काफी नहीं है, इसके लिए दो या तीन व्यक्ति होने चाहिए। लेकिन क्या हुआ ? जब तक कोई प्रतिपक्ष में रहता है तब तक वह चुनाव आयुक्तों की संख्या में वृद्धि के बारे में कहता है और जब वह सरकार में होता है तब कुछ नहीं कहता। जब हमारी सरकार ने इस बारे में कहा तो उन्होंने कहा कि उसके पीछे कोई कारण जरूर होना चाहिये। हमने तब प्रश्न नहीं उठाया। चुनाव आयोग को शक्तिशाली बनाना ही होगा। इसको सीजर की पत्नी, की तरह निष्पक्ष होना होगा जैसी कि सर्वोच्च न्यायालय से आशा की जाती है। हम कब तक चुनाव आयोग के कार्यों में सुधार कर पाएंगे ? मैं इसे सदन के दोनों पक्षों पर छोड़ता हूं। दोनों पक्ष साथ मिलकर विचार करें और किसी एक निर्णय पर पहुंचें ताकि हम अपने देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और सच्चे लोकतांत्रिक चुनाव करवा सकें। यदि हम ऐसा कर पाए तब ही हम स्वयं को लोकतन्त्री कह सकते है; अन्यथा हम सब केवल गुटबन्दीवादी ही हैं।

कुछ समय पूर्व दो भयानक दुर्घटननाएं हुईं। मेरा हृदय पीड़ा से जल उठा। जैसे ही मैंने अपने सामने एक कागज पड़ा हुआ देखा, उस समय मैं प्रधान मन्त्री के पास बैठा था—मैंने उनसे कहा कि यदि उनके पास समय हो तो उन्हें शीघ्र वहां जाना चाहिए। उन्होंने ऐसा ही किया। वे तुरन्त वहां गईं। हमारे दल के नहीं वरन दूसरे दल के कुछ लोगों को उनकी यह बात गलत लगी कि जब सदन की बैठक हो रही है तो वे क्यों चली गईं ? लेकिन वह वहां गईं, वह उनके साथ बैठी उनके साथ रोईं और उनके दुःख को महसूस किया। उनके दुःख भरे हृदय से कुछ ऐसे भाव निकले जिनकी मैंने सराहना की, अब वे दिन गए जब ये ऊंची जाति के लोग दलित वर्ग के लोगों को और दबाते जाते थे। कितनी सुन्दर बात है। मैं अपने विपक्षी दल के माननीय मदस्यों से यह चाहूंगा कि वे इस वाक्यांश का, इस प्रकार का अनुमोदन करने में मेरा साथ दें जो कि हमारी असंगत जीर्ण-शीर्ण सामाजिक प्रणाली के लिए चुनौती है। हम जाति बन्धन में बन्धे हुए लोग हैं। हमने अपने दिलों के अन्दर समाज का श्रेणियों में विभाजन कर रखा है। हमें अपने मन से यह बुराई दूर करनी होगी। महात्मा गांधी ने बहुत अच्छा किया। उन्होंने तीन बार व्रत रखा—पहली बार 21 दिन का, दूसरी बार अनिश्चितकालीन तथा तीसरी बार फिर 21 दिन का। उन्होंने हम कांग्रेसियों को लताड़ा। हम गांवों में हिन्दू जाति के लोगों को अपने कुएं, मंदिरों आदि सभी कुछ सबके लिये खोल देने के लिए समझाने गए। हमने अन्तर्जातीय भोज का तथा इसी तरह के अन्य आयोग किये। हमने सोचा कि हम अपना कर्त्तव्य पूरा कर रहे हैं, हमने कर्त्तव्य पूरा किया। लेकिन हमने जो किया उतना ही काफी नहीं था और यह अब भी काफी नहीं है। यह एक ऐसी बुराई है जिसे मेरे मित्र, जब भी और जहां भी वे सत्ता में थे, नियन्त्रित नहीं कर पाए। हम भी उस बुराई पर नियंत्रण नहीं पा सके, लेकिन हम अधिक से अधिक प्रयत्न कर रहे हैं।

यह हमारी नेता हैं, जिनमें हमारे देश में व्याप्त समाजिक दमन की भयानक बुराई को चुनौती देने का साहस है जो कि हमारे देश में हजारों वर्षों से चली आ रही है। मैं चाहता हूं कि आप सब इसमें शामिल हों जायें ताकि हम एक साथ मिलकर काम कर सकें, केवल तभी हम जातिवाद से छुटकारा पा सकेंगे। इसे अपने देश से पूर्वतः दूर करने में अभी बहुत समय लगेगा। इसकी बजाय कुछ और आना चाहिए।

मैं नही जानता कि क्या दूसरे बुद्ध का जन्म होगा और वह हमें जातिवाद से छुटकारा दिलाने के लिए महात्मा गांधी की शिक्षाओं को जीवन्त रूप देने के लिए तथा हमें जातिवाद से मुक्त कराने के लिए कब पुनः अवतीर्ण होंगे। लेकिन उस समय तक हमें इन हरिजनों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लोगों के उत्थान के लिये नहीं अपितु उन्हें नींद से जगाने के लिए, उन्हें उनकी असहाय स्थिति से उबारने के लिये, उनमें व्याप्त दमन की भावना को दूर करने के लिए कुछ कार्य करना होगा।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

हमारे गांवों के सवर्ण हिंदू नेता, जो कि स्वयं कट्टर-जातिपंथी हैं, यह नहीं चाहते कि ये मामूली लोग अपनी नींद से जागें, अपनी दयनीय स्थिति से उबरें। क्योंकि उन नेताओं को डर है कि वे ऊपर उठ रहें हैं, वे इन्दिरा जी का विरोध करते हैं, वे हमारा विरोध करते हैं तथा आप में से उन लोगों का विरोध करते हैं जो क्रांतिकारी हैं अथवा समाजवादी हैं अथवा सच्चे अर्थों में विवेकानन्द के विचारों वाले हैं। हमें ऐसे लोगों का मुकाबला करना है, और हमें लोगों का मुकाबला करने के लिए ही मैं अपनी संसद तथा साथ ही राष्ट्रपति के अभिभाषण के नाम पर यह अपील करता हूं।

महोदय, इन लोगों को अधिकार दिलाने के लिए इनकी सहायता करना आसान है। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे माननीय मित्रों ने इस पर इतना विचार ही नहीं किया है और न ही वे इन छोटी-छोटी बातों को अधिक महत्व देते हैं कि इस महिला अर्थात् हमारी प्रधान मन्त्री के नेतृत्व में हमारे लाखों-करोड़ों सामाजिक कार्यकर्त्ता हमारे पांच लाख से भी अधिक गांवों में यह अभियान चला रहे हैं कि इन हरिजनों को छोटे-छोटे भूखण्ड छोटा सा घर बनाने के लिए 200, 300, 400 या 500 वर्ग गज की थोड़ी सी जगह दिये जायें जिन पर ये हरिजन अपने घर बना सकें। वास्तव में यह एक बहुत बड़ा कार्य है। मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे उस वक्त कितना अधिक संतोष मिलता है जब मुझे मकानों के छोटे भूखण्डों के पट्टे इन लोगों को देने के लिए कहा जाता है। मेरे माननीय मित्र श्री दण्डपाणि जानते हैं कि तमिलनाडु में ऐसे गांव थे जहां कि स्थानीय जमींदार भूमि होती थी, वह मकान बनाने के लिये भूखण्ड हरिजनों को देता था। जहां वे अपने घर बना लेते थे और किसी क्षण भी जब जमींदार गुस्सा हो जाता था तो वह उनको वहां से बाहर निकाल देता था। वे 'मराठवाडा' में भी ऐसा ही करते थे। मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्य मन्त्री श्री रामलाल जी के साथ वहां गया। मैंने वहां देखा कि यह सवर्ण हिन्दू नेता किस तरह से आतंक फैलाने और अत्याचार करने में समर्थ हैं।

तो फिर हमारे दल पर हमारी सरकार पर और श्रीमती इन्दिरा गांधी पर ही यह आरोप क्यों लगाया जाता है कि इन लोगों के प्रति इतनी सहानुभूति दिखाई है। यह सहानुभूति सिर्फ श्रीमती इन्दिरा गांधी, सिर्फ हमारी प्रधान मन्त्री की ओर से नहीं आ रही वरन् समस्त भारत के उन लाखों करोड़ों लोगों की ओर से भी आ रही है जिन्होंने देश में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले कांग्रेसियों को मतदान किया था··· (व्यवधान) आप लोगों के निर्वाचन क्षेत्रों में भी लोगों ने मत दिया, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। यह बात आपको याद रखनी चाहिए।

महोदय, मेरे मित्र ऐसा समझते हैं कि इन्दिरा गांधी किसानों को भूल गई हैं। क्या सचमुच वे ऐसा विश्वास करते हैं ? एक समय ऐसा था जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि "इस सदन में किसानों को कैसे भुलाया जा सकता है जबकि प्रो० एन० जी० रंगा उनके लिए लड़ रहे हैं।" आज भी ठीक वही स्थिति है। मैं जवाहरलाल जी के साथ लड़ा, मैं इन प्रधान मंत्री महोदया के साथ भी लड़ा और जहां तक किसानों का सरकार के साथ व्यवहार का सम्बन्ध है, कोई बात गलत हो जाने पर मैं अभी भी अपने दल के अन्दर किसानों के लिए लड़ता रहता हूं। मैं विश्वास दिला सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि किसानों के बारे में मेरे विचार कमजोर होते जा रहे हैं। मैं आपको इस बात का विश्वास दिला सकता हूं कि जैसे ही इस बार श्रीमती इंदिरा गांधी स्वयं विजयी होकर पुनः सत्ता में आईं तो उन्होंने कृषक मूल्य आयोग सम्बन्धी अनुदेशों को बदल दिया। मैं हमेशा से यह शिकायत करता रहा हूं कि कृषि उत्पादों के मूल्य किसानों तथा उपभोक्ताओं के हितों को देखते हुए निश्चित नहीं किये गये हैं। अनुदेशों में यह कहा गया है कि आयोग के सदस्य उन मूल्यों को न भूलें जो हमारे किसानों को उर्वरकों के लिए देने पड़ते हैं। किसानों को जो लाभकारी मूल्य मिलना है उसमें जोखिम उठाने की बात, ऋण के भार तथा अन्य अनेक बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उसके अतिरिक्त, उन्हें प्रोत्साहन भी दिये जाने चाहिए। क्या यह अच्छा नहीं होगा ? क्या यह किसानों के पक्ष की नीति नहीं हैं ? मिठाई का मजा खाने में ही है। कुछ दिन पहले आयोग ने मूल्यों का सुझाव दिया था। कृषि मूल्य आयोग ने जिन मूल्यों का सुझाव दिया, यहां तक कि इन अनुदेशों के अनुसार भी जो मूल्य होने चाहिए थे, उनके अतिरिक्त सरकार ने किसानों के दुःख को समझा तथा राज्य सरकारों द्वारा किसानों के पक्ष में जो सुझाव दिये गये थे उन पर उदारतापूर्वक और समझदारी से विचार करते हुए अधिक मूल्य निर्धारित करके बुद्धिमता का परिचय दिया। मुझे नहीं मालूम कि पश्चिम बंगाल या केरल इसे भी निर्वाचित मेरे मित्रों ने इससे असहमति प्रकट की है या नहीं, परन्तु मुझे एक बात का पता है कि कांग्रेस सरकारों ने कुछ अधिक की मांग की और केन्द्रीय सरकार ने उनको अधिक ही दिया, राज्य सरकारों ने जो मांगा था उससे अधिक नहीं परन्तु कृषि मूल्य आयोग ने जो सुझाव दिये हैं या उनसे अधिक निर्धारित किये। मैं इससे भी सन्तुष्ट नहीं हूं। मैं एक बात और चाहता हूं और मैंने इसका प्रधान मन्त्री महोदय को सुझाव भी दिया है तथा वह इससे भी सम्मिलित है और वह यह है कि एक न्यूनतम मजूरी निर्धारित की जानी चाहिए तथा लागू भी की जानी चाहिए। कृषि श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजूरी निर्धारित करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उसे लागू भी किया जाना चाहिए। इसे हमारे नये 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है। कृपया इसको पढ़ दीजिए। जब तक किसानों के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित नहीं किया जाता तब तक कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजूरी कैसे हो सकती है, आखिर मजूरी का भुगतान तो किसानों को करना है और वे भुगतान तभी कर सकते हैं जब उनको अच्छा मूल्य मिले। अतः न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने से पहले इस न्यूनतम मजूरी को ध्यान में रखना होगा। न्यूनतम मजूरी का निर्धारण राज्यों में अच्छी प्रकार से, तत्परता से तथा संतोषजनक रूप से नहीं जा रहा है और इसीलिए प्रधान मन्त्री उनको फटकार रही हैं। मैं उनसे भी कह रहा हूं। एक समय था जब केवल एक ही किसान संगठन था परन्तु अब वे जितने राजनैतिक दल हैं उतने ही किसान संगठन हैं। किसानों को हर तरीके से संगठित होना चाहिए। परन्तु प्रतिद्वन्दी तत्व भी हैं। परन्तु जब उनकी तरफ से कुछ कहने की बात आती है तो

क्या कोई भी किसान संगठन ऐसा होगा जो लाभकारी मूल्य, एक अच्छे मूल्य, न्यूनतम मजूरी श्रमिकों के लिए आवश्यकताओं पर आधारित न्यूनतम मजूरी के लिए मांग न करे ? अत: मैं इन किसान संगठनों का स्वागत करता हूं। इन किसान संगठनों ने जो मांग की है श्रीमती इन्दिरा गांधी इसके लिए सहमत हो गयी हैं। क्या किसी को इसमें कोई गलती नजर आती है ? मुझे पूरा निश्चय है कि इसमें कोई कमी नहीं निकाल सकता। निर्धारित किये जाने वाले मूल्य की मात्रा के सम्बन्ध में मतभेद हो सकते हैं। आप इसमें गलती कर सकते हैं. वे इसमें गलती कर सकते हैं। वह अपना दृढ़ निश्चय करेंगी। वह कहां से देंगी ? जनता के पैसे से। वह आसमान से प्राप्त नहीं कर सकतीं और न वह इसे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ही ले सकती हैं, और नहीं यहां वहां से उस तरीके से कमी नहीं। यह हमारे देश में होने वाले उत्पादन से ही आना है जितना अधिक हम उत्पादन करेंगे उतना ही हम अपने किसानों तथा अपने श्रमिकों को देने में सफल होंगे, और यह लोक दल के मेरे उन मित्रों के लिये उत्तर है जो कि किसानों के लिए संघर्ष के लिए पूरी शक्ति से आगे आये हैं।

श्रमिक वर्ग है। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे कुछ साम्यवादी मित्र यह सोचते हैं कि उनका एकाधिकार है। मैं इससे सहमत होने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक व्यक्ति श्रमिक वर्ग के हित में पूर्ण रूप से संलग्न हो जायें। हम भी श्रमिक वर्ग के हितचिन्तक हैं। सरदार बल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि ये स्वयं संगठित हो जायें। उन्होंने इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पथ प्रदर्शन किया। अब यह कम उत्तरदायी किन्तु अधिक उत्साही युवा लोगों के हाथों में है। अत: वे आगे आ सकते हैं तथा नारे लगा सकते हैं जैसा कि मेरे माननीय मित्र करते हैं। फिर भी श्रमिकों के हित में खड़ा होना कांग्रेस के ही परिपाटी है। जब मैं स्वतंत्र पार्टी में था तो मैं देखा करता था कि मेरे मित्र श्रमिकों के अधिकारों के लिए सहमत हो जाते थे तथा वे इस बारे में बहुत ही उत्सुक रहते थे। मेरे तात्कालीन नेता राजाजी बुद्धिमान तथा बुजुर्ग थे तथा उन दिनों राष्ट्रीय कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथी थे, वह सबसे पहले यह कहते थे कि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। और आज मैं कांग्रेस के इन सामान्य कांग्रेसियों में शामिल उसी परिपाटी को निभाता आ रहा हूँ तथा इन्दिराजी भी उनके पक्ष में हैं। अत: कृपया कांग्रेस के लोगों के कृषि श्रमिकों तथा औद्योगिक श्रमिकों के लिए प्रयत्न करने तथा बोलने के अधिकार को नकारिये मत। परन्तु फिर भी साम्यवादी नेताओं के एक बात याद रखनी चाहिये। मैं साम्यवादी दल के अपने मित्रों को एक बात बताना चाहता हूं। उस दिन मेरे माननीय मित्र श्री ज्योतिर्मय बसु का निधन हो गया था। तब मुझे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का मौका नहीं मिला। मैं हमेशा उनकी प्रशंशा करता था, यद्यपि मैं उनसे सहमत नहीं होता था, कभी मैं उनको डांट भी देता था और वह कहा करते थे 'गुरुजी नाराज मत होइये, नाराज मत होइये।' वह इतने आश्चर्यजनक व्यक्ति थे। वह एक सांसद के रूप में आपको गाली दे सकते थे, परन्तु एक मित्र के रूप में आपको गले लगाते। वह ऐसे व्यक्ति थे। यह किसी ने नहीं कहा कि उन्होंने तम्बाकू उत्पादकों तथा जूट उत्पादकों के लिए कार्य किया। वह आन्ध्र प्रदेश के तम्बाकू उत्पादकों तथा जूट उत्पादकों के हित के लिये लड़ने वाले कितने अच्छे नेता थे। परतु शायद वे ऐसा सोचते हैं—सभी उत्पादक केवल श्रमिक होते हैं, उगाने वाले नहीं; केवल सर्वहारा वर्ग परन्तु किसान नहीं, क्योंकि साम्यवाद ने उनका गलत मार्गदर्शन किया। किसान हैं, कृषि

श्रमिक हैं—ये सर्वहारा नहीं हैं। वे सर्वहारा विचार वाले नहीं हैं। यदि वे सर्वहारा विचार वाले होते तो मेरे माननीय मित्र इस तरफ होते। नहीं, इस देश में वे श्रमिक वर्ग के हैं, इस देश में वे श्रमिक हैं। वे श्रमिक हैं तथा श्रमिकों का दल चाहते हैं। सौभाग्य से यह कांग्रेस ही अब श्रमिकों की पार्टी के रूप में विकसित हो गयी है। इसीलिए कुछ दिन पूर्व मेरे माननीय मित्र बेलची नहीं गये, जहां इन्दिरा जी हाथी पर बैठकर गयीं तथा घुटनों तक पानी में भीगकर वहां गयीं जहां पर हरिजन मारे गये थे। उस दिन हमने इस बात का स्वागत किया था ? मैंने इस विकास का स्वागत किया था, हालांकि समाचार पत्र इसका मजाक उड़ा रहे थे। मैं उनकी मजाक नहीं उड़ाता। विरोधी नेताओं ने जो भावना प्रकट की है मैं उसकी सराहना करता हूं। यद्यपि वे राजनीति में एक दूसरे से मतभेद रखते हैं, यद्यपि उन्होंने अभी तक एक साथ मिलने का निश्चय नहीं किया, फिर भी वे हरिजन पीड़ितों के प्रति अपनी सहानुभूति एक साथ प्रकट करना चाहते हैं।

यही तरीका है जिसमें हमें लोकतन्त्र में आगे बढ़ना है। यदि इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तभी हम उन लोगों का उत्थान करने में सफल होंगे। लोग ऐसा क्यों कहते हैं ? आज यदि आप कहीं जायें, चाहे आप अपने निर्वाचन क्षेत्र में ही जायें, तो वहां पर हरिजन तथा आदिवासी लोग होंगे तथा वे आपको बतलायेंगे कि इन्दिरा गांधी ही उनकी भावनाओं में बसी हैं। यदि आप मेरे बहुत ही अच्छे मित्र, जो राज्य सभा मे मेरे मित्र थे, श्रीकान्त वर्मा द्वारा संकलित की गयी आश्चर्यजनक पुस्तक को पढ़ें तो आपको ज्ञान होगा '700 दिन' इस शून्य को हटा दीजिए और इसका 5 बना दीजिए यह "750 दिन" हो जायेगा। मैं आपको बताऊंगा आपको ज्ञान हो जायेगा और आपको प्रेरणा महसूस होगी और आप यह सोचना शुरू कर देंगे कि इन्दिरा जी वह हैं जिनको आपने उनके प्रति अपने गुस्से की वजह से अब तक नहीं जाना था। वह ऐसी हैं जिनको गरीब लोग प्यार कर सकते हैं तथा जिनके ऊपर लोग विश्वास कर सकते हैं। इसीलिए लाखों व्यक्ति उनका अनुसरण करते हैं। आपका कहने का अर्थ है कि मुझे उनसे प्यार हो गया है, निश्चित रूप से मुझे अपने समय में यह करने का विशेषाधिकार है क्योंकि मैं कहता हूं कि मैं भीष्म हूं। वह अच्छा कार्य कर रही हैं। मुझे आपको बताने दीजिए कि वह अच्छा कार्य कर रही हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : भीष्म कौरवों की ओर थे।

प्रो० एन० जी० रंगा : प्रिय मित्र कौरवों की ओर नहीं। मैंने उनके सारे आघात सहे हैं। उसी जोर से मैं यहां आया हूं। भीष्म ने ही भगवान कृष्ण का आह्वान किया था, जब धर्म जी उनके पास गये थे भीष्म ने कहा था कि भगवान कृष्ण केवल यह चाहते थे कि भीष्म ही पांडवों को उनका संदेश देने के लिये उनका संदेशवाहक बनकर जावें और मेरे प्रिय मित्र, मैं भी उसी तरह कार्य कर रहा हूं।

जो व्यक्ति गांवों में रहते हैं वे प्रधान मन्त्री को प्यार करते हैं तथा उनपर विश्वास करते हैं। हमें इस भावना में विघ्न नहीं डालना चाहिए। यह हमारे लोकतन्त्र के लिए महान परिसम्पत्ति है। यदि आप सर्वहारा तानाशाही तरीका चाहते हैं तो वह दूसरी बात है। परन्तु यदि आप असली लोकतन्त्र चाहते हैं, पूर्णरूपेण तथा जीवन्त लोकतन्त्र चाहते हैं, तो जनसामान्य का यह

विश्वास जो अब उतना विकसित हो गया है जितना कि महात्मा गांधी के दिनों में होता था तो उसे डिगाया नहीं जाना चाहिये। परन्तु तब वे कृषि श्रमिक नहीं थे, वे गरीब किसान नहीं थे और वे पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति के लोग तथा आदिवासी नहीं थे। उस समय वे उतने जागरूक नहीं थे। वे पिछले 35 से 40 वर्षों के दौरान ही जागरूक हुए हैं। उस समय मध्यम वर्ग के लोग ही जागरूक थे। मैं भी उन्हीं में से हूं। परन्तु आज ये लोग ऊपर उठ रहे हैं। अतः हमें इस आशा से एक समान उद्देश्य बनाना चाहिए। मैं यह सब इन कारणों की वजह से कह रहा हूं।

आप मुझे इस अप्रसन्नता की भावना को व्यक्त करने के लिए क्षमा करें। जब कभी हम अपने नेता का नाम लेते हैं तो मुझे उतना अधिक स्नेह या स्नेहमय अभिवादन नहीं दिखाई पड़ता जितना कि कोई चाहता है। आखिरकार हम लोकतंत्र में रह रहे हैं और वह भारतीय लोकतन्त्र है। हम नफरत पसन्द नहीं करते यद्यपि बहुत से हिस्सों में नफरत व्याप्त है। मैं इसके बारे में इस प्रकार से सोचता हूं।

अब हम विदेशों से सम्बन्धित बात पर आते हैं। मेरे माननीय मित्र ऐसा सोचते लगते हैं कि केवल वे ही साम्राज्यवाद विरोधी हैं। हां, आप साम्राज्यवाद विरोधी थे। मैं भी था। हम सबने महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक साथ कार्य किया। परन्तु आज यह आधिपत्यवाद आ गया है। आज हमें अपनी पसन्द चुननी होगी। हमें कौन-सी पसन्द करें? काफी लम्बे समय तक हम विपक्ष में थे। मेरे माननीय मित्र श्री वाजपेयी तथा मैं सम्मिलित न होने के विरुद्ध निन्दा किया करते थे। आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैं उन चन्द व्यक्तियों में से एक था जिन्होंने प्रारम्भ में सम्मिलित न होने के विचार को रखा था। परन्तु कुछ समय बाद जब मुझे पता चला कि रूस की प्रतिक्रिया इतनी अच्छी नहीं थी जितनी कि उसकी होनी चाहिए थी तथा कैनेडी हमारी सहायता के लिए आगे आ रहे थे, तो मैंने अपना दृष्टिकोण बदलना प्रारम्भ कर दिया। मैंने अपने आप में सोचा "अमेरिका का मित्र क्यों न बना जाये? रूस पर निर्भर क्यों रहा जाये?" हमारे देश पर भयंकर चीनी आक्रमण के दौरान इन्होंने कहा था, "वे हमारे कामरेड हैं; भारतीय तो केवल हमारे मित्र हैं।" उसके बाद क्या हुआ? एक समय आया जब मेरे माननीय मित्र श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बात कही जिसने उस समय जब मैं गांव में था मुझे उत्साहित किया उन्होंने कहा, 'यहां वह दुर्ग है जिसने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।" तब उनसे मुझे स्नेह था।

एक माननीय सदस्य : अब नहीं!

प्रो० एन० जी० रंगा : उन्होंने यह सब किया। यदि हमारे देश के लिए उस समय संकट की उस घड़ी में सोवियत सहायता न मिलती तो क्या वह यह सब कर पातीं। क्या यहां ऐसा कोई व्यक्ति है जो एहसान की भावना को नकार दे और यह कह सके "इस सोवियत रूस को जाने दो।" मैं यह कहने के लिए तैयार नहीं हूं।

अमेरिका के बारे में क्या है? अमेरिका ने यह गलत राह क्यों अपनायी है। अब मैं कह रहा हूं वह कांग्रेस की ओर से कहा गया न माना जाए क्योंकि मैं नहीं जानता कि मेरे लिए ये सब

बातें कहना कूटनीतिक दृष्टि से ठीक होगा या नहीं। मैं अमेरिका से खुश नहीं हूं। अब भी अमेरिका में मेरे बहुत से मित्र हैं। उन दिनों मैं ट्रमैन से मिला था तथा उनसे सहायता मांगी थी। तत्पश्चात उसने सहायता की। मैंने यह सब एक मंत्री के रूप में नहीं किया बल्कि केवल किसानों के एक तुच्छ नेता के रूप में किया था जैसे कि अब बोल रहा हूं। अब वे पागल हो गए हैं। वहां पर लोकतंत्र बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है। सावधान हो जाइये। हमें नहीं पता कि कितनी जल्दी और कब एफ-16 विमान आग बरसाने जा रहे हैं। एक दिन में, कुछ घंटों में, इस देश को हजारों, करोड़ों रुपयों की हानि या क्षति पहुंचाई जा सकती है। और जब हमें अपने श्रमिकों, कामगारों को एक रुपया भी देना पड़ता है तो हम बड़ी ही अनिच्छा से देते हैं। यहां तक कि अपने ही सांसदों को भी हम सौ रुपये की बढ़ोतरी अनिच्छा से करते हैं। उस दिन जब श्री डांगा का विधेयक सभा में आया तो बेचारे मन्त्री महोदय कोई वायदा नहीं कर सके। हम इतने कंजूस हैं। फिर भी हम किसी न किसी प्रकार प्रत्येक रुपया अपने ही प्रतिष्ठानों के निर्माण हेतु बचाना और व्यय करना चाहते हैं।

अपने वैज्ञानिकों की मैं भरपूर सराहना करता हूं। मेरे उस ओर बैठे मित्रों भी, जब वे सत्तारूढ़ थे, हमारे वैज्ञानिकों की सहायता करते रहे थे। और उससे भी अधिक अब की जा रही है क्योंकि वे एक परम्परा से बंधे हुए हैं। हमारी प्रधान मन्त्री महोदया के हृदय में उनके प्रति विशिष्ट लगाव है। इसीलिए, वे पानी की तरह रुपया बहा रही हैं और स्वयं अपने देश में ही वैज्ञानिक उपकरणों के विभिन्न पहलुओं को विकसित कर रही हैं। यह सब हम निर्माण कर रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय पहले ही इसकी एक झलक प्रस्तुत कर चुके हैं। उस दिन प्रधान मन्त्री महोदया ने स्वयं सभा में एक वक्तव्य दिया था। परन्तु फिर भी कुछ ऐसी राक्षसी ताकतें हैं, या असद् शक्तियां हैं जो कि हमारे हर किये जाने वाले कार्य के पीछे कुछ न कुछ राजनीतिक उद्देश्य की गंध आती है। यह वैज्ञानिक खोज एक महान उपलब्धि है। उस प्राचीन समय में जिस प्रकार अगस्त्य ऋषि प्रकृति के रहस्यों की थाह लेने के लिए पर्वतों के आर-पार दर-दर भटका करते थे और भृगु सागरों को नापते थे, उसी प्रकार आज हमारे वैज्ञानिक दक्षिण-ध्रुव महासागर में गये हैं। क्या हमें इस पर गर्वानुभूति नहीं होनी चाहिए? मैं इस सरकार को बधाई देता हूं। ऐसी बात नहीं है कि केवल इस श्रेय के वे ही भागी हैं, अपितु यह समस्त श्रेय देश को जाता है। वहां पर भी, वे पुरोधा ही तो बने हैं, और इसलिए उन्होंने इसे हमें सौंप दिया है। यह तो हमारे वैज्ञानिकों की ही उपलब्धि है। जब हम यह सब प्राप्त कर रहे हैं तो, क्या अटलान्टिक के उस ओर से जय-जयकार नहीं होनी चाहिए? यह नहीं हुई। क्या यह प्रशान्त महासागर की पूर्वी-दिशा से नहीं आनी चाहिए थी। परन्तु नहीं आई। मैं इस बात को लेकर विक्षुब्ध हूं।

हम परमाणु संयंत्र तैयार कर रहे हैं। हर समय वे यह सन्देह प्रकट करते हैं कि हम कुछ करने जा रहे हैं। यदि हमने उस समय राजस्थान के रेगिस्तान में वह परीक्षण न किया होता तो क्या अपने वैज्ञानिकों पर विश्वास करना हमारे लिए कतई सम्भव होता? हमें उन पर विश्वास न रहा होता। हम तो यही समझते कि प्रधान मन्त्री महोदया तथा अन्य मन्त्रीगण यूं ही बेकार करोड़ों रुपए पानी में डाल रहे हैं। इसीलिए उन्होंने हमारी क्षमता का प्रदर्शन किया और वह सामर्थ्य युद्ध के लिए नहीं है। क्या हमने कभी किसी के विरुद्ध, यहां तक की स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी, युद्धनाद किया है। हमारी प्रधान मन्त्री महोदया ने यह बात बार-बार स्पष्ट की है कि

हमारा देश भारत एक ऐसा देश है जिस पर हमला हुआ है और आक्रमण किए गए हैं, परन्तु हमने किसी भी देश पर हमला नहीं किया है।

जब 'युद्ध वर्जन सन्धि' की बात चली तो वह कैसा प्रस्ताव था, वह किस प्रकार के समझौता की बात थी। यह कोई नई बात नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो बहुत पहले ही इस समझौते का प्रस्ताव रखा था। परन्तु उस समय, यह बड़ी ही विचित्र बात है कि, उन्होंने उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। मुझे आश्चर्य है यह बात फिर दृश्य पटल पर कैसे उभरी है। इस बार हमें इस प्रस्ताव पर अपना विचार प्रकट करना है। हमारे उदार विचार हैं। परन्तु वे भले मानुष तो हमसे कहीं आगे निकल गए हैं। हमारे विचार उनसे कहीं अधिक विस्तृत और स्वतन्त्र हैं। अत: हमें उनसे कहीं अधिक आगे आने में प्रसन्नता होगी। मैं ऐसे विचारों को प्रोत्साहन देता हूं और इस प्रकार के विचारों को बढ़ावा देने से मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी।

मैं चाहता हूं कि अमरीका यह विश्वास दिलाए कि उनके हथियारों, उनके गोला-बारूद और आयुधों की सप्लाई को हमारे विरुद्ध प्रयोग में नहीं लाया जायेगा। क्या इस तरह का कोई आश्वासन दिया गया है? ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। दूसरी ओर, उस दिन अमरीका के शीर्षस्थ प्रवक्ता ने कहा था कि हथियारों और आयुधों की यह सप्लाई भारत की ओर से होने वाले भय को देखकर की गई है। इससे बढ़कर और क्या ईश-निन्दा हो सकती है? हमारे उप-महाद्वीप के सद् इतिवृन्त और शान्तिपूर्ण इतिहास के विरुद्ध कैसी दुर्भावना है। अमरीकी प्रवक्ताओं को हमारे जैसे ऐतिहासिक रूप से शान्ति प्रिय राष्ट्र को हमला वॉर का रंग देने में किसी प्रकार की पाप शंका नहीं है। इस प्रकार के पाप में, धर्मनिन्दा में हाथ बटाने में केवल अमरीका के ही प्रवक्ता पारंगत हैं। वे किस प्रकार के राजनयिक हैं? अन्तराष्ट्रीय राजनीति क्षेत्र में वे सम्मान के अधिकारी नहीं हैं। ऐसे लोगों के प्रति मेरे मन में किस प्रकार सम्मान हो सकता है?

मेरी यह कितनी आकांक्षा है कि अपने देश को निरन्तर अधिकाधिक शक्तिशाली देखने और अपने लोगों को अधिकाधिक समृद्ध और खुशहाल देखने तथा गरीबी को अपने देश से मिटते हुए देखने के लिए मैं दीर्घायु होऊं! हमारी प्रधान मन्त्री महोदया की यह दृढ़ और पावन आकांक्षा है। प्रधान मन्त्री महोदया की इच्छा पूरी की जानी चाहिए।

इस लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयासों में हमें प्रधान मन्त्री महोदया के हाथ मजबूत करने चाहिये। हम किस प्रकार यह सब प्राप्त कर सकते हैं? युद्ध के संघर्ष के भयानक बादलों को आप देख सकते हैं। मुझे तो डर है और यह भय प्रतिदिन मुझे कोंचता है। परन्तु मैं जीवित रहना पसन्द करता हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरा प्रत्येक क्षण खुशी से गुजरे। परन्तु मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण युद्ध के इस विनाशकारी भय से आक्रान्त है जो कि मेरे देश को है, मेरे लोगों को है एक ऐसा भय जो सभी पिछड़े लोगों और सभी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को है।

हमारे मित्रगण शिकायत करते हैं कि असम समस्या का कोई हल नहीं निकाला गया है। वे समस्या से तंग आ चुके हैं। हमने तो विपक्ष का सहयोग भी मांगा था। हमने उन्हें आमन्त्रित भी किया था। परन्तु समस्या का कोई हल दृष्टिगोचर नहीं होता है। हमें क्या करना होगा या

हम क्या करें ? वे चाहते हैं कि हम चीन की तरह दीवार खींच दें। हमारी प्रधान मन्त्री महोदया ने इस दिशा में सम्भावित कदम उठाने आरम्भ कर दिए हैं। परन्तु दूसरी ओर से अड़चनें और विरोध पैदा किया जा रहा है। इस स्थिति में, क्या हमें शान्ति से, धीरे-धीरे काम नहीं निकालना चाहिए ? क्या हमें सावधानी नहीं बरतनी चाहिए ?

क्या हम अपने उस पड़ोसी से लड़ सकते हैं, जिसकी स्वतन्त्रता की आरती हमने उतारी और जिसकी हर सम्भव सहायता की तथा जिसके जन्म पर हमने दाई की भूमिका निभायी ? इसलिए हमें उनके साथ धीरज और शान्ति से काम निकालना होगा।

और यहां हमारे युवा असमिया लोग हैं जो दो वर्षों के लम्बे समय से बिगड़े बैठे हैं। सभी युवा लोगों की तरह, वे अपनी बात पर नहीं टिकते हैं। वे दिन प्रतिदिन अपनी बात बदलते जाते हैं।

अतः, हमारी प्रधान मन्त्री महोदया जो कि इतनी युवा नहीं हैं, जिनकी बुद्धि परिपक्कव है, अपरिपक्कव लोगों के साथ शान्ति से काम लेकर ठीक ही कर रही हैं और हमारे विचार-विमर्श और बातचीत का निरन्तर चलते रहना इस बात का प्रमाण है।

हम आसाम में अल्पसंख्यक सरकार क्यों बनाना चाहते हैं ? आसाम को शक्तिशाली बनाने के विचार से।

(व्यवधान)

मैं आपको बताता हूं कि केन्द्र में सत्ता हमारे हाथ में रहते हुए उसे शक्तिशाली बनाने के विचार से ही ऐसा किया जा रहा है।

मेरे प्रिय मित्रो, यह केवल व्यवहारिक राजनीति का विषय है और व्यवहारिक राजनीति की यह मांग है कि उस सरकार में रहकर कुछ लाभ पाने की अपेक्षा आपको हमारी सरकार का साथ देना चाहिए। उसमें रहना आपके लिए काफी नहीं होगा। वह आपके लिए गौरव की बात नहीं होगी। यदि आपने कभी सत्ता का आनन्द नहीं लिया होता तो उस कारण मुझे आप पर दया आती। लेकिन आपने तो सत्ता का आनन्द लिया है और आप उसकी सीमाओं से परिचित हैं। अतः सर्वोत्तम बात यही है कि केन्द्रीय सरकार को इसी भांति शक्तिशाली बनाये रखा जाये, वहां इसके प्रतिनिधि रखे जायें, कार्य चलते रखा जाये, तथा सरकार की सहायता के लिए उसके हाथ मजबूत किये जायें, ताकि समस्या का समाधान निकाला जा सके। वास्तव में समस्या का समाधान तो सामने ही है। आप उसे देख नहीं पा रहे हैं। वह सामने ही है। जब समस्या का समाधान हो जाएगा तो आप आश्चर्य से देखते ही रह जाएंगे कि किस तरह से समस्या का समाधान हो गया। इसका श्रेय हमारी प्रधान मन्त्री को जाता है इसीलिए आसाम के बारे में हमें चिंता और शीघ्रता करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

केरल, पश्चिम बंगाल आदि में अल्पसंख्यक सरकार सम्बन्धी बात मैं अपने मित्रों पर छोड़ता हूं, वे इस बारे में अपने साम्यवादी मित्रों को उत्तर देंगे।

अत: मित्रो, मेरा समय पूरा हुआ, मेरा समय समाप्त हो रहा है, मैं अब सिर्फ यही कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं विपक्षी दल में वे नेता बने रहें जो शालीनता से, शांतिपूर्ण ढंग से, संघर्षशील किंतु सहयोगपूर्ण ढंग से काम करते रहें जिस तरह से श्री दंडवते करते हैं, मेरे माननीय मित्र श्री वाजपेयी जी करते हैं और अनेक बार श्री पाखलेकर तथा चित्त बसु व श्री बनातवाला करते हैं। हमें नियमों को पालन करना चाहिए, हमें अध्यक्ष का सम्मान करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय सबके लिए हैं। क्योंकि वह सबके द्वारा चुने गए हैं, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि वह सिर्फ उस दल का ध्यान नहीं रखेंगे जिसने उन्हें पसन्द किया है, अत: वह हमारे सबके हैं। मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं, आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस सामाजिक क्रांति में जो कि इन्दिरा जी ने आरम्भ की है और आगे बढ़ाने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ है, इस सरकार को, इंदिराजी को, सहयोग देने का प्रयत्न करें। हम यह आशा करते हैं कि आने वाले समय में हम इस सामाजिक क्रांति को प्राप्त करने में और सब लोगों में सामाजिक समता लाने में, तथा पददलितों को सामाजिक न्याय दिलाने में सफल होंगे। धन्यवाद।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : स्पीकर साहब, माननीय रंगा जी के इतनी बातें कहने के बाद मैं नहीं समझता कि मैं कितनी बात और कह सकता हूं। लेकिन कुछ बातें मैं अवश्य कहूंगा। जो राष्ट्रपति जी का एड्रेस है इसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। राष्ट्रपति जी के इस ऐड्रस को देखा जाय तो इसमें पिछले मामलों में, 1-2 सालों में देश में क्या प्रगति हुई है उसकी एक काफी अच्छी झलक दी गई है। आज के जमाने में हमारी कठिनाइयां क्या हैं उसको हल करने के नक्से, प्रोग्राम और स्रोत क्या हैं, यह होता है। आने वाले जमाने में देश की क्या आवश्यकताएं और कठिनाइयां हो सकती हैं, उनके लिये बहुत पहले से सोच की झलक, उसकी तस्वीर उसमें हमें मिलती है। यह एड्रेस ऐसा है जैसा कि होना चाहिये था।

यह बहुत प्रेरणादायक एड्रैस है, आज के लिये नहीं, यह हमारे कल के जमाने के लिये, आज के जमाने के लिये और गुजरे हुए दिनों का भी जो इसमें जिक्र किया गया है, यह बात इस एड्रैस में, जैसे मैंने कहा, मौजूद है—यह सरकार की कुछ उपलब्धियों की सूची मात्र ही नहीं है। बहुत मौडेस्ट भाषा है। उसमें बातें बहुत सोच-समझकर, गंभीरता से, जिम्मेदारी से कही गई हैं, जैसे कि एक बड़े राष्ट्र के राष्ट्रपति को कहनी चाहिये थीं।

इसमें साफ-साफ कठिनाइयां भी देश के सामने रखी गई हैं। अगर मैं दो शब्दों में कहूं तो इसमें जहां एचीवमेंट्स का जिक्र है, वहां कठिनाइयों और चेलेन्जज का भी जिक्र है। इसके साथ-साथ किस भावना से, किस प्रोच से, किस नीति से इनका मुकाबला कर सकते हैं, इसमें उनका भी जिक्र है। इसलिये मैं खासतौर से राष्ट्रपति जी को बधाई देता हूं और इसका अनुमोदन करता हूं।

इसमें काफी फैक्ट्स और फिगर्स का जिक्र किया गया है। मैं उनको दोहराऊं और राष्ट्रपति जी के एड्रैस में लिखी गई हैं, उसका मैं कोई लाभ नहीं समझता और न उसकी जरूरत है। प्रगति हुई है और उसका भी चर्चा इसमें है। गौर से देखेंगे तो ज्यादातर चर्चा पिछले दो सालों का मुकाबला करके किया गया है। पिछले साल में क्या हुआ और उसके पिछले साल में क्या हुआ, ज्यादातर मुकाबला उन चीजों का किया गया है। इसमें खाली यह एप्रोच कि पहले गवर्नमेंट

और थी, दूसरी पार्टी की थी, उसके जमाने में क्या हुआ, हमने क्या किया, इसका एम्फैसिस इसमें नहीं है वैरी राइटली। इसमें एम्फैसिस यह है कि पिछले दो साल में क्या हुआ, आज यह होना चाहिये और कल हम क्या करने जा रहे हैं ?

जाहिर है, सबसे बड़ी खुराक खेती है। इसमें कितनी तरक्की हो रही है, आइन्दा तरक्की के नक्शे क्या हैं, कितनी आशा है। यह दुनिया में शायद पहली मिशाल होगी कि इसका जिक्र भी इस एड्रेस में है। एक साल में 3 मिलियन हैक्टर जमीन और इरिगेशन में नये सिरे से लाया गया है और पिछले साल ढाई मिलियन हैक्टर को इरिगेशन में लाया गया था। इसके अलावा एग्रीकल्चर की इसमें बहुत चर्चा है।

मेरी नियत किसी भाई को या किसी दल को चिढ़ाने की नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज मौका चिढ़ाने का नहीं है, मौका मिलने का है. देश की स्थिति की अच्छी तरह से समझने का है। मैं इसलिये नहीं कह रहा हूं कि इरिगेशन पर, एग्रीकल्चर पर, फूड प्रोडक्शन पर जो एम्फेसिस, जोर इस स्ट्रेस में दिया गया है, वह आज तक नहीं दिया गया और इरिगेशन पर तो शायद दुनिया के इतिहास में किसी देश ने नहीं दिया।

जब तक हमारी खुराक ठीक नहीं होगी, ज्यादा अच्छी न हो, हम सैल्फ सफीशियेंट न हों, आज भी हमें बाहर से मंगवाना पड़ रहा है, हमारे पास रिजर्व होना चाहिये बड़ा भारी, एग्रीकल्चर में हमें आगे बढ़ना है, लेकिन उसी तरफ एक बड़ी पौजीटिव इन्डीकेशन इस एड्रेस में दी गई है।

इसी तरह बिजली, कोल, दूसरी चीजें हमारी इन्डस्ट्री में हैं, स्टील है, आयल है, जितनी इम्पार्टेन्ट बातें हैं, उनमें प्रगति भी हुई है और आइन्दा और प्रगति करने के लिए इसमें नक्शे भी बनाये गये हैं, फंडज के प्रावीजन भी किये गये हैं, स्कीमें बनाई गई हैं कि कैसे देश बढ़ेगा।

जब तक हम पैदावार नहीं बढ़ायेंगे, जब तक हमारे पास चीजें ज्यादा नहीं होंगी, हम कैसे आगे बढ़ेंगे ? मेरे भाषण से, दूसरे के भाषण से या खाली नारेबाजी से जनता का पेट नहीं भरने वाला है। कुंआं खोदेंगे तो पानी मिलेगा खेत को और अनाज मिलेगा। इसलिये प्रोडक्शन पर जोर दिया गया है। जो प्रोडक्शन ईअर कहा है, दो साल में गवर्नमेंट को उठाया, खड़ा किया, अगले 2, 3 साल में आगे बढ़ने का और प्रोडक्शन बढ़ना चाहिये खेतों और फैक्टरियों में, हमारे देश का अधिकांश नागरिक, हालांकि गवर्नमेंट बुरा न माने, मैं गवर्नमेंट की निन्दा नहीं कर रहा हूं, न मिनिस्ट्री आफ इन्फार्मेशन और ब्राडकास्टिंग की कर रहा हूं और न अपनी पार्टी की निन्दा कर रहा हूं लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी पार्टी ने जो देश में दो सालों में इन्होंने किया है, विद् ड्यू रैस्पैक्ट टू दैम, कसूर हमारा है, मैं खुद इसमें जिम्मेदार हूं, वह सब बातें लोगों तक उतनी नहीं पहुंचाई गईं, जितनी पहुंचाई जानी चाहिये थी।

(श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए)

लेकिन इसके बावजूद हमारे देश का आम नागरिक इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि आज देश को प्रोडक्शन की जरूरत है, आम नागरिक कठिनाई में है, कीमतों में भी पिसता

है, अपनी जरूरतों को भी समझता है। जो मजदूर हैं, उनका आज भी शोषण होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वह अपनी जिम्मेदारी को, अपने देश के लिये समझता है।

इसलिये मेरे भाई नाराज हो जायेंगे जब मैं यह कहूंगा कि 19 तारीख को जब इन्होंने कहा कि देश में बन्द करना चाहिये। देश के इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमैंट, दिल्ली में जो हमारे देश का वर्किंग क्लास है, वह कठिनाई के होते हुए, दिक्कत और परेशानियों के होते हुए, अपनी जैन्विन शिकायतों के होते हुए भी उन्होंने फैक्टरी और कारखानों को मिलों को बन्द नहीं किया, चलने दिया। मैं यह बात किसी को नाराज करने के लिये नहीं कह रहा हूँ, मैं इस डिबेट को दिल्ली की डिबेट में नहीं बदल रहा हूँ, आज तक दिल्ली में कोई हड़ताल ऐसी नहीं हुई जिसमें दिल्ली की टैक्सटाइल मिलें न बन्द हो गई हों, लेकिन इस 19 तारीख को दिल्ली पूर्णतः खुली रही और टैक्सटाइल मिलें भी खुली रहीं।

मुझे मालूम है कि दिल्ली की एक मिल में अभी ऐसे कुछ बेसमझ अफसर हैं; मुझे इल्म है, उन्होंने मजदूरों को कुछ को नोटिस दिया, जिसमें उनको कहा कि 3 महीने की तनख्वाह देते हैं, निकल जाओ। वे लोग तीस साल से काम कर रहे हैं। उसके साथ इतना अन्याय किया गया है। एक साल का मामला मेरे इल्म में है। लेकिन इसके बावजूद उस मिल के कार्यकर्त्ताओं ने, जिन्हें नोटिस दिया गया है, कहा कि हड़ताल नहीं होगी, और नहीं हुई। सारे देश में 19 तारीख को हड़ताल का प्रयास फैला हुआ, क्योंकि वर्किंग क्लास यह यह समझती है कि इस समय देश को प्रोडक्शन की जरूरत है।

मुझे खुशी है कि सरकार ने कहा है कि हम एक ऐसा कानून ला रहे हैं, जिससे वर्किंग क्लास को कठिनाइयों का जल्दी से समाधान हो। ठीक है, सरकार वह कानून लाए। मैंने नहीं देखा है कि वह क्या कानून है। लेकिन मैं जोर से कहना चाहता हूँ कि सरकार ऐसा कानून जरूर लाए कि लेबर को मैनेजमेंट में इफेक्टिव पार्टिसिपेशन दिया जाए। इसके अलावा लेबर के साथ, वर्किंग क्लास के साथ, जहां अन्याय होता है, उसे दूर किया जाए। हमारी वर्किंग क्लास हमेशा पेट्रियाटिक रही है, देशभक्ति से ओत-प्रोत रही है। वह सरकार का साथ देगी।

उसने साथ दिया है और कल भी देगी—चाहे कोई कुछ कहे, वह सरकार का साथ देगी। लेकिन सरकार को भी उन लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे।

हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, इसमें दो राय नहीं हो सकतीं। मैं डिफरेंट सिस्टम्ज का मुकाबला नहीं करना चाहता। हमारे देश का अलग सिस्टम है सोवियत यूनियन का अलग सिस्टम है और चाइना का अलग सिस्टम है। लेकिन मुझे ताज्जुब होता है—सी० पी० आई० (एम) वाले बुरा मान जाएंगे—कहीं स्टेट गवर्नमेंट, रूलिंग पार्टी, सी० पी० आई (एम) खुद हड़ताल को आर्गनाइज करें। गवर्नमेंट का काम चलाना, न्याय देना। लेकिन वह खुद हड़ताल को आर्गनाइज करे! और वह भी किस समय? जब देश की स्थिति क्या है? इस बारे में लेफ्ट वाले भी मेरी राय से सहमत हैं। पता नहीं, श्री वाजपेयी यह बात

कहेंगे या नहीं। मैं मानता हूं कि श्री वाजपेयी सब बातें समझते हैं। वह बहुत समझदार हैं। वह हर एक बात को समझते हैं, लेकिन उन्हें जो सूट करता है, वह कहते हैं।

मैं साफ-साफ कहना चाहता हूँ कि एक तरफ हमारे देश को मिलिटेरिली एनसर्कल करने—मैं डिलिब्रेटली यह वर्ड यूज कर रहा हूँ—की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ हमारी आर्थिक प्रगति के रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश की जा रही है। तीसरी तरफ हमारे देश की पोलीटिकल स्टेबिलिटी को तोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। इन हालत में क्या ये हड़तालें और बंद देश के हित में हैं? क्या वे देश को कोई फायदा पहुंचाने वाले हैं? उनसे देश और वर्किन्ग क्लास का कितना नुकसान हुआ? वर्किन्ग क्लास ने इन लोगों की चाल को विफल करके साबित कर दिया है कि वे देश के और देश के हित के साथ हैं। यह बात इन लोगों ने नहीं समझी, लेकिन वर्किन्ग क्लास ने समझ ली है। इन प्रोडक्टिविटी ईअर में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम प्रोडक्शन को नहीं बढ़ायेंगे, तो हम आगे कैसे बढ़ सकेंगे?

मैंने अभी जिक्र किया कुछ एचीवमेंट्स का। मैं एक दो बातें ज्ञानी जी से कहना चाहता हूँ। पी० एम० चली गई हैं, ज्ञानीजी उनको बताएं। सरकार ने इनफ्लेशन को कंट्रोल किया, यह एक बड़ा भारी काम है। लेकिन सरकार खुद कहती है कि आम लोगों को प्राइसिज में उसका फायदा नहीं मिला। सरकार ने कई कदम उठाए हैं, छापे मारे हैं, डिस्ट्रब्यूशन सिस्टम को बढ़ाया है, लेकिन प्राइसिज के रिडक्शन नीचे के लेबल पर नहीं हुआ। इसलिए इस बारे में और कोशिश करनी चाहिए। मैं सफाई के साथ कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट यह न समझे कि उसने कुछ चीजों के दाम फिक्स कर दिए—वह दो चार पांच चीजों के दाम फिक्स कर सकती है, आखिर वह कितनी चीजों का स्टैचुटरी फिक्सेशन आफ प्राइसिज कर सकती है? और फिर अफसर सब कुछ ठीक कर देंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ है और न हिन्दुस्तान में होगा। इसके लिए यह जरूरी है कि प्राइसिज को मानिटर करने के लिए देश की जनता की शक्ति को इकट्ठा किया जाए। एक देश में वातावरण पैदा करना पड़ेगा कि प्राइसेज को वालंट्री चेक में रखा जाय एपार्ट फ्राम स्टेच्यूटरी कंट्रोल, जो जरूरी है। यह आपको कम से कम करना पड़ेगा और मैं मांग करता हूं गवर्नमेंट से कि वह नेशनल लेवेल पर एक हाई पावर कमेटी बनाए जिसमें कुछ मजदूरों के नुमाइंदे हों, कुछ ट्रेड और इन्डस्ट्री के हों, कुछ आफिशियल हों कुछ नान-आफिशियल हो और उस हाई पावर कमेटी का काम हो टू मानिटर प्राइसेज। आज प्राइसेज से हर मिनिस्ट्री एक न एक शकल में डील करती है। लेकिन प्राइसेज की जिम्मेदार एक एथारिटी प्राइसेज को देखने की नहीं है। देखते हैं कि सोप की प्राइसेज बढ़ा दी, किसी और चीज की बढ़ा दी, कार की बढ़ा दी, छोटी छोटी चीजों की बढ़ा दी। मेरा कहना यह है कि इसी तरह हर स्टेट में इस तरह की एक कमेटी होनी चाहिए और हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवेल की कमेटी होनी चाहिए। आपने 20 प्वाइंट प्रोग्राम में कहा कि आप कन्ज्यूमर मूवमेंट को बढ़ाएंगे। मेरा विश्वास है कि अगर इस तरह की कमेटी आप बनाएं और उनको चलाएं तो दाम रुक सकते हैं। कम भी हो सकते हैं या कम से कम रुक तो सकते ही हैं। गवर्नमेंट कान्क्रीट स्टेप्स इसके लिए उठाने चाहिए ताकि इन्फ्लेशन को रोककर जो लाभ नीचे तक पहुंचना चाहिए, वह पहुंच सके। यह मेरा गवर्नमेंट को सुझाव है।

अब मैं दिल्ली की बात ज्यादा नहीं करना चाहता । एमर्जेन्सी की बात कर दूंगा तो हमारे भाई गुस्से हो जाएंगे । लेकिन खुद उनके अपने नेता ने मेट्रोपालिटन कौंसिल में यह ऐडमिट किया था कि एमर्जेन्सी के जमाने में प्रोग्राम इम्पलीमेंटेशन कमेटी ने दिल्ली में प्राइसेज में भारी कमी की थी बाई इन्ड्यूसमेंट—यह वर्ड यूज किया था बाई इन्ड्यूसमेंट । आज मेरी राय है सरकार को कि आप वाजपेयी जी की मदद लीजिए, अपोजीशन की मदद लीजिए, ट्रेड के आस-नाइजेशंस की मदद लीजिए, इंडस्ट्रीज की मदद लीजिए और प्राइसेज को कम करने के लिए एक जनता का और सरकार का मिलकर आन्दोलन चलाइए ।

देश में ला ऐंड आर्डर की बात कही जाती है । एट्रासिटीज आन हरिजन्स की बात आती है । हरिजनों पर जुल्म हों, यह हमारे सबके लिए लानत और शर्म की बात है । हम सब यह कहते हैं कि नहीं होना चाहिए । जाहिर बात है, साधूपुर का जिक्र मैं कर रहा हूं कि साधूपुर में जाकर बेगुनाह लोगों को जिनका झगड़ा किसी से नहीं हुआ, कोई बात भी नहीं हुई, उनको जाकर मार दिया । यह कोई हमें जो रूलिंग पार्टी है, कांग्रेस है, उसको क्या यह सूट करता है कि हरिजनों पर हमले हों ? जाहिर बात है कि कहीं भी इस प्रकार का हमला किसी पर होता है तो वह बात हमारे खिलाफ जाती है । लोग उसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं । लोग इससे नाराज होंगे । आप भी इसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं । उसके पीछे हमला करने वालों की नीयत कोई हमारे प्रति हमदर्दी की तो हो नहीं सकती । अगर कोई इमीडिएट रीजन या एग्राक्सिमेंट काज नहीं है तो जाहिर है कि सरकार के खिलाफ ही यह चीज हो सकती है । अब आप जरा सोचें कि यह एक मामला ऐसा है कि जो सारे राष्ट्र का है । सब नेता गए, हमारे सरकार के लोग भी गए, दूसरे लोग भी गए । हरिजन पर एट्रासिटीज को रोकना चाहिए, सबकी यह राय है लेकिन उससे क्या हमें तिजारत करनी चाहिए । क्या उन गरीब लोगों की सेवाओं का जो सोहाग चला गया या जिन बच्चों का खून बह गया, क्या उस पर हमें कोई पोलिटिकल ट्रेडिंग करनी चाहिए ? करते हैं या नहीं करते हैं, जरा सोचें । एक साहब, हरिजनों के नेता, कहते हैं वहां गए और लोगों से जाकर क्या कहा ? अच्छी बात है आप मदद करिए उनकी, आप एक-एक लाख रुपया सबको दीजिए, स्वागत है । आपके पास बहुत पैसा है, करना चाहिए । कलेक्ट करके दीजिए । लेकिन उन्होंने क्या कहा कि सरकार ने दस-दस हजार रुपया दिया है इसको वापस दे दो, हम तुमको पचास पचास हजार रुपया देंगे । सोचिए, यह हरिजनों के खून के साथ पोलिटिकल ट्रेडिंग करने की बात के अलावा और क्या बात है ? पोलिटिकल एक्सप्लायटेशन के अलावा और क्या बात है ? मुझे अच्छी बात लगी, वाजपेयी जी वहां से लौट कर आए तो उन्होंने कहा कि सब पार्टियों को मिलकर इसको करना चाहिए । उन्होंने बहुत अच्छी बात कही । जो उन्होंने अच्छी बात कही मैं उसे अच्छी कहूंगा । लेकिन हरिजनों पर कोई वाकया हो जाय तो हमारे कुछ भाई समझते हैं कि अब तो मौका है इस सरकार को पीटने का । कहीं कोई ट्रेजेडी हो जाय, रेल गिर जाय तो कहते हैं कि एक और मौका आ गया, कहीं सैलाब आ जाय तो कहते हैं एक और मौका आ गया । मैंने पिछली दफा कहा था, पीछे जब काफी अनाज की तंगी थी तो एक नेता ने जो आज एम० पी० तो नहीं हैं लेकिन नेता तो हैं वाजपेयी जी के पार्टी के, इन्होंने मुझसे कहा कि अब तुम्हारे दिन थोड़े हैं । मैंने कहा कि क्यों तो कहने लगे कि अनाज नहीं है, अब तुम चले जाओगे, इन्द्र देवता भी इन्दिरा गांधी से नाराज हैं । अब

आप जरा सोचें, मैं बहुत ईमानदारी से, सच्चाई से, दिल को गहराई से कहना चाहता हूं कि हमें करना क्या चाहिए ? क्या भावना रखनी चाहिए ?

इसी तरह कम्यूनल रायट्स की बात है। कम्यूनल रायट बुरी चीज है, हम सब पार्टीज सेक्युलर हैं, हम कहते हैं हमारा विश्वास है सेक्युलरिज्म में। लेकिन हम लोग जाकर क्या काम करते हैं ? आयां भडकाने का काम करते हैं या क्या करते हैं ? यह मैं नहीं कहता कि हमारे गुण गाने लग जाओ। हमारे गुण गा नहीं सकते और आपकी कोई भावना हो पावर में आने की तो मुझे कोई शिकायत उससे नहीं। आप दोबारा आना चाहें कोई शिकायत नहीं, कोई बात नहीं। आपकी यूनिटी हो जाए तो हमें बड़ी खुशी होगी। एक बात मुझे याद आ गई। जब जनता पार्टी पावर में थी तब पावर में आने के एक साल बाद जनता पार्टी के एक नेता भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि जनता पार्टी एक नयी नवेली दुलहन है जो खूबसूरत और सुन्दर है। शायद करनाल में एक बार एलेक्शन की मीटिंग में वे बोल रहे थे। मैंने कहा कि बात तो ठीक है कि नयी नवेली दुलहन है, खूबसूरत भी है लेकिन मुश्किल यह है कि उसका खसम बूढ़ा है और उसने मार-मारकर बुरा हाल कर दिया है नयी नवेली दुलहन का। बूढ़ों को तो सपने ही आते हैं, बुढ़ापे में सपने में ही जिन्दा रहना पड़ता है। ज्ञानी जी हंस रहे हैं, मैं तो उनसे कम उम्र का हूं लेकिन हम सपनों पर ही जिन्दा रहते हैं (व्यवधान) मैं यह कह रहा हूं कि आप पावर के लिए एकता करिए, हमें उससे खुशी होगी बल्कि एकता के लिए अगर हमारी कोई मदद चाहिए तो उसके लिए हम तैयार हैं। मुझे याद है कि जब इनकी हुकूमत थी तब लोगों में एक आम चर्चा थी कि जब आपस में ये लड़ने लगते हैं तब एक नेता चुपके से श्रीमती इन्दिरा गांधी की तस्वीर दिखा देता है कि देखो लड़ोगे तो वह आ जाएगी। इस तरह से वे फिर इकट्ठा हो जाते थे। आप एकता करें, हमें खुशी होगी लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरह से रूलिंग पार्टी का इमेज एक ऐसेट होता है, उसी तरह से अपोजीशन का इमेज एक ऐसेट होता है, आज अपोजीशन के एक अच्छे इमेज की देश को जरूरत है। आपका इमेज अच्छा होना चाहिए, लेकिन आप तो यूनिटी के नाम पर एक्रोबैटिक्स कर रहे हैं। सर्कस में जो एक्रोबैट्स होते हैं उनका मतलब तो समझ में आता है, लेकिन आप जो एक्रोबैटिक-एक्सरसाइजेज करते हैं उससे आपका इमेज गिरता है, हमारा इमेज गिरता है, राष्ट्र का इमेज गिरता है। आप उससे बचिये और यूनिटी आपस में कीजिए। एक्रोबैटिक-एक्सरसाइजेज मत कीजिए।

अभी हमारे सीनियर लीडर रंगा जी ने ब्यूरोक्रेसी की चर्चा की। मैं भी इस सम्बन्ध में दो शब्द कहना चाहता हूं। उन्होंने अच्छी बातें कही हैं, मैं तो सिर्फ ऐड करना चाहता हूं कि ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी का एक अभिन्न अंग है। जो हमारा सिस्टम है उसमें ब्यूरोक्रेसी भी बहुत जरूरी है। वह एक्सीक्यूटिव अथारिटी है। ब्यूरोक्रेसी ने हमारे देश में बहुत अच्छे काम किए हैं, उसमें बहुत अच्छे-अच्छे आफिसर्ज हुए हैं, जिन्होंने इस देश की बुनियादों को पक्का किया है। आज भी वे मेहनत से काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी स्कीम्ज का इम्प्लीमैन्टेशन आफिसर्ज के हाथ में होता है और होना भी चाहिए लेकिन मैं देखता हूं कि कुछ ऐसा वातावरण बन रहा है कि अगर किसी आदमी को कोई काम करना हो तो वह शुरूआत "न" से करेंगे। उनका एटीचूड इनडिफरेंट होता है। उनमें वुडननेस होती है। मैं यह बात सबके लिए नहीं कह

रहा हूं, सिर्फ एक सैक्शन के लिए कह रहा हूं। लेकिन उससे देश का और हमारे प्रोग्राम्ज का नुकसान होता है। मैं एक साहब से बात कर रहा था, उन्होंने कहा—ठीक बात है, भगत जी। मैंने कहा—मुश्किल यह है कि आप लोगों की जाब तो परमानेन्ट है और हम पोलिटीशियन्ज हैं। उन्होंने कहा—आप जनता की बात ज्यादा जोर से कहते हैं। मैंने कहा—हम तो परमानेन्टली टेम्परेरी हैं, हमको फिर तीन साल बाद लोगों के पास जाना है। इसलिए स्वाभाविक है कि हम उनकी बात करें। हम इन्हीं लोगों की बात लेकर उनके पास जाते हैं तो वे "नो" से स्टार्ट करते हैं—यह एटीचूड गलत है। उनको कोशिश करनी चाहिए कि पाजिटिव-वे में रेस्पांस दें।

हमारी सरकार टैकनालाजिकल एडवांसमेन्ट पर बहुत ज्यादा जोर दे रही है जोकि हमारे लिये, बल्कि सभी के लिए गर्व की बात है। मुझे अफसोस हुआ जब रंगा जी ने "अनटार्कटिका" और बहुत सारी चीजों का जिक्र किया तो इधर से तालियां ज्यादा बजीं और उधर से नहीं बजीं। वाजपेयी जी भी ताली नहीं बजा रहे थे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं बार-बार ताली नहीं बजाता हूं।

श्री एच० के० एल० भगत : ये जितने एचीवमेंट्स हैं वे अकेले हमारे नहीं हैं, बल्कि सबके साझी हैं, सारे राष्ट्र के हैं। आज अपोजीशन की यूनिटी की जरूरत है, लेकिन राष्ट्र की यूनिटी की भी बहुत जरूरत है।

अभी यहां पर कुछ बिलों की चर्चा की गई कि वे आने वाले हैं जिनमें एक लैंड एक्वीजीशन बिल की भी चर्चा है। मैं उसके आने का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि उससे दूसरे लाभ होने के साथ-साथ किसानों को जो ठीक कम्पेन्सेशन नहीं जाता है, खासतौर से दिल्ली में, उनको फायदा होगा और जो पेण्डिंग केसेज हैं उन पर भी यह बिल लागू किया जाएगा।

इसके अलावा अभी हमारी कई कमेटीज, कई कमीशन्स बने हैं, जिसमें यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि पानी के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे हो, इकालाजिकल बैलेंस कैसे हो, ओशियन की स्टडी हो। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि अभी एक साइंस एडवाइजरी कमेटी कैबिनेट की बनी है।

पोलिटिकल स्टैबिलिटी के बारे में जिक्र किया जाता है कि हमारे देश की आज पोलिटिकल स्टैबिलिटी ऐसी-वैसी है, देखो, देश में क्या हो रहा है? एक व्यक्ति कह रहे थे, मैं उनका आदर करता हूं। वह मेरे सहयोगी और मित्र हैं। देखिए, तुम्हारी पार्टी का क्या हाल हो रहा है। मैंने कहा—क्या हो गया हमारी पार्टी को? उन्होंने कहा—कभी एक राज्य में, तो कभी दूसरे राज्य में एक चीफ मिनिस्टर बदला जा रहा है, तो फिर दूसरा चीफ मिनिस्टर बदला जा रहा है, चेयरमैन बदल दिया। मैंने कहा—डैमोक्रेसी में चीफ मिनिस्टर आते हैं और जाते हैं और बदले भी जाते हैं। लेकिन जरा आप सोचिए कि पोलिटिकल स्टैबिलिटी इस देश में है या नहीं है, मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम एक तो है, जिसकी बात सारा राष्ट्र सुनता है। कुछ पोलिटिकल लीडर्स हैं, जो कहते हैं कि इन्दिरा गांधी जी की साइकोफैंसी करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि लोग जानते हैं कि इन्दिरा गांधी लोगों की नेता हैं, अगर लोगों ने साथ नहीं दिया होता, तो वे फिर

शासन में कैसे आतीं। मैं यह नहीं कहता कि आपके पास बड़े नेता नहीं हैं, बड़े नेता हैं, अच्छे नेता हैं, लिखने वाले और पढ़ने वाले नेता हैं और यहां इस हाउस में बैठे हैं, लेकिन नेशनल लीडर देश का एसेट होता है, जिसकी चारों तरफ देश में आवाज लगे और उनकी वजह से ही इस देश में पोलिटिकल स्टैबिलिटी है।

असम की बात कही गई। ज्ञानी जी, प्रधान मन्त्री जी व अपोजीशन के लीडर्स को साथ लेकर इस सम्बन्ध में बातचीत की गई। इन्होंने खुद देख लिया कि यह कितना अन-रीजनेबिल है। आपको असम की जनता से कहना चाहिए कि यह गलत कह रहे हैं। हमें यह देखना चाहिए कि हमारे इर्द-गिर्द, एशिया में, यूरोप में और दुनिया में सिचुएशन क्या है, उसमें हमारी जिम्मेदारी क्या है। क्या हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी तरफ देखने के लिए है, पाकिस्तान से दोस्ती करने की है, लेकिन इन्दिरा जी ने कहा था कि नो-वार-पैक्ट हो या न हो, लेकिन हम हमला नहीं करेंगे। हमारी जिम्मेदारी शान्ति की तरफ है। महाप्रलय का जिक्र किया जाता है कि आने वाली है और 1982 में दुनिया में सिर्फ 60 लाख लोग बचेंगे। यह बात सारे अखबारों में लिखी है और बड़े-बड़े लोगों ने कही है। इस वक्त दुनिया में लोग बटन दबाए बैठे हैं कि थोड़ा-सा दबाया कि वहां नाश हुआ। एशिया में जंग हो सकती है, हमारे बार्डर पर आ सकती है, दुनिया में हो सकती है। हमारी जिम्मेदारी अपनी तरफ है, एशिया की तरफ है, डवेलपिंग नेशन्स की तरफ है, लोगों में मेलजोल की तरफ है और अपने हकूकों की तरफ है। उसका सबूत है कि साउथ-साउथ डायलाग हो रहे हैं।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। अभी मैलदार्न में एक कांफ्रेंस हुई थी, कामन वैल्थ हैड्स की। उसमें नान-एलाइंड कन्ट्री के एक नेता ने कहा था—

"हम यह पूछा करते थे भारत, तुम कहां हो। हमें प्रसन्नता है कि आप वापिस आ गए हैं और अब आपकी आवाज सुनी जाती है।"

गुट निरपेक्ष देशों के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक ने यह शब्द कहे थे। हमारी आवाज आज दुनिया में सुनी जाती है, आप जरा सोचिये, हमारी जिम्मेदारी कहां है? किस दुनिया और किस जमाने से हम गुजर रहे हैं, कठिनाइयां है, मुश्किलें हैं, क्या हमारी जिम्मेदारी मुश्किलों को चिल्लाकर और ज्यादा मुश्किलें पैदा करना हैं, मुसीबतों को दिखाकर और ज्यादा मुसीबतें पैदा करना है, लोगों को भड़काकर और ज्यादा हालत खराब करना है। हमारा नेशन साउण्ड है, हमारे पास नैचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारी नीतियां अच्छी हैं, अच्छे नेता हैं, एपोजीशन में भी हैं, लेकिन जरूरत है इस समय अच्छी भावना की। कम से कम आने वाले दो सालों में हम डिस्कार्ड को भूल जायें, डिराहार्गोनी को भूल जायें, डिफरेंसेज रखें लेकिन कोई ऐसा काम न करें जिससे नेशन की त्रिल कमजोर हो। राष्ट्रीय एकता मजबूत करें, मुश्किलों से लड़ते जायें, संघर्ष करते जायें तरीके से, शान्ति से, अकलमन्दी से, पाजिटिव-वे में, तो मुझे कोई शुब्हा नहीं है कि इण्डिया का फ्यूचर ब्राइट है, इण्डिया के फ्यूचर को कोई दबा नहीं सकता है, कोई झुका नहीं सकता है, कोई गिरा नहीं सकता है, हमारी गवर्नमेंट बहुत मजबूत है और हमारी अपोजीशन हमारे साथ मिलकर काम करे तो इण्डिया का फ्यूचर और ज्यादा ब्राइट हो सकता है—इसमें मुझे शक नहीं है।

मैंने कहा था कि मैं इस डिबेट में दिल्ली की बाबत नहीं कहूंगा । लेकिन वाजपेयी जी की पार्टी ने अभी हाल में कुछ मांगें रखी हैं कि जो री-सैटिलमेंट कालोनीज हैं उनके लोगों को मालिकाना अधिकार दिये जाएं । उनको मालूम होगा—मालिकाना अधिकार तो श्रीमती इन्दिरा गांधी उनको 1977 में दे चुकी थीं, हमारी सरकार ने वे अधिकार दिये थे, लेकिन जब इनकी गवर्नमेंट आई तो वह किताब बन्द कर दी गई । मैं खुद एक डेलीगेशन लेकर मोरारजी भाई से मिला था । उन्होंने कहा—नो, नो, मिस्टर भगत, नो, ये बेच जायेंगे । लेकिन हमने वे अधिकार दिये और अमल भी शुरू कर दिया, जबकि ये इस किस्म की मांग कर रहे हैं । 14 लाख लोगों को, चाहे 25 गज सही, इन्दिरा गांधी ने उनको मालिक बना दिया । जिस समय हम हारे थे, वाजपेयी जी का भाषण रामलीला मैदान में हुआ था, उस चुनाव में भी हम री-सैटिलमेंट कालोनीज में एक-एक पोलिंग स्टेशन से जीतकर आये थे—यह बात मैं 1977 की कर रहा हूं और अब फिर चुनाव होने वाले हैं, उसमें भी हम इनको देख लेंगे ।

इनकी पार्टी ने उस वक्त कहा था कि हम सेल्स टैक्स हटा देंगे । इन्होंने वायदा किया था लेकिन हमने कहा था कि हम एक्जामिन करेंगे । हमारा प्रामिज अन-डाइल्यूटेड नहीं था, लेकिन इनका फ्रासिज अन-डाइल्यूटेड था, ये कुछ नहीं कर सके, जबकि हमारी सरकार ने तय किया कि 5 चीजों पर से सेल्ज टैक्स प्रिन्सिपली हटाकर एक्साइज ड्यूटी में बदल दिया जाय, लेकिन इन्होंने अपने वायदे को एक इंच भी पूरा नहीं किया । इतना ही नहीं, हमने सुखाड़िया जी की चेयरमैनशिप में इस चीज पर गौर करने के लिये एक कमेटी बनाई थी, हालांकि वह अब नहीं रहे । मेरे कहने का मतलब यह है कि इनकी कहनी और कथनी में फर्क है । आज पोलिटिक्स में डुप्लीसिटी नहीं चलेगी ।

इन शब्दों के साथ राष्ट्रपति जी के भाषण का समर्थन करता हूं ।

सभापति महोदय : सदन में उपस्थित सदस्य, जिनके धन्यवाद प्रस्ताव संबंधी संशोधन परिचालित कर दिए गए हैं, यदि अपने संशोधनों को प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वे आज शाम 6 बजे तक सभा-पटल पर अपनी चिट भेज सकते हैं जिसमें उन संशोधनों की क्रम संख्यायें लिखी हों जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं । केवल उन संशोधनों को ही प्रस्तुत किया हुआ माना जाएगा ।*

जिन संशोधनों को पेश किया माना जायेगा उनकी क्रम संख्या की एक सूची शीघ्र ही सूचना पट्ट पर लगा दी जाएगी । यदि किसी सदस्य को सूची में कोई विसंगति मिले तो वह कृपया अविलम्ब उसकी सूचना सभा पटल के अधिकारी को दें ।

श्री राम जेठमलानी (बम्बई उत्तर पश्चिम) : सभापति महोदय, सत्तारूढ़ दल ने राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में अपने दो सर्वोत्तम वक्ता प्रस्तुत किये । प्रो० रंगा ने स्वयं यह दावा किया है कि किसी समय वह बहुत अच्छे वक्ता थे, और अपने भाषण से उन्होंने लाखों लोगों को प्रभावित किया है । मैं उनके इस दावे का निःसंकोच स्वीकार करता हूं, भले ही उन्होंने

*निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किये गये माने गये ।

लाखों लोगों को प्रभावित किया हो या नहीं, लेकिन मुझे निश्चय ही प्रभावित किया है। और मैं सोचता हूं कि मुझे श्री भगत के प्रति भी यही शुभकामना देनी चाहिए।

आज मैं उनके भाषण के विवादास्पद और जटिल भागों पर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। आज मैं सबसे पहले राजनयिज्ञता के उन तत्वों को करूंगा जो कि इन दोनों ने अपना भाषणों में प्रदर्शित किये हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि दोनों ने ही यह अपील की है कि अब समय आ गया है जबकि एक तरफ सत्तारूढ़ दल तथा दूसरी तरफ विपक्षी दलों के बीच दोस्ती और समझौते का सेतु बनाया जाए। और श्री रंगा ने सरकार को सहयोग देने का बहुत तीव्र अनुरोध किया है। मैं पहले इसकी चर्चा करूंगा। अपने दल की ओर से, अपने ओर से और शायद इस देश के सभी बुद्धिमान और ईमानदार लोगों की ओर से मैं यह कहने के लिए तैयार हूं कि प्रधान मन्त्री और उनकी सरकार को सहयोग दिया जाना चाहिये।

हम जानते हैं कि देश की समस्याएं बहुत विशाल हैं, हम जानते हैं कि समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रधान मन्त्री महोदय असीम प्रयत्न करती हैं; हम यह भी जानते हैं कि वह अत्यन्त कठोर परिश्रम करती हैं। हमें इस सबके प्रति सहानुभूति है। परन्तु मैं यह आशा करता हूं कि जिस सद्भावना से हम सहयोग देने के लिये तैयार हैं उसी तरह मेरे ये दोनों ख्याति प्राप्त मित्र शर्तों को भी सुनेंगे, और एक बार उन शर्तों को पूरा हो जाने दें फिर उन्हें इस बारे में कोई भी सन्देह नहीं रहेगा कि हमारा सहयोग सच्चा और बिना शर्तों के होगा।

हम इस देश की कुछ समस्याओं के बारे में चिंतित हैं, और जब तक वे समस्याएं उस रूप में नहीं सुलझ जातीं जिस तरह से कि अच्छे लोग सुलझाना चाहते हैं। मेरा विचार है कि तब तक सहयोग का प्रस्ताव तथा सहयोग की मांग करना कुछ अवास्तविक होगा। सबसे पहले, पिछले दो वर्षों से या लगभग तभी से जब से यह सरकार सत्ता में आई है, इस देश के संविधान पर, यहां की स्वतंत्रता और लोकतंत्र पर, भारत की राजनीतिक व्यवस्था के मूल आधारों पर घातक प्रहार हुए हैं। अपने सच्चे सहयोग के लिये जो पहली शर्त मैं रखना चाहता हूं वह यह है कि सरकार को सभी सन्देह दूर करने होंगे। सभी संदिग्धताओं को, सभी अस्पष्ट बातों को दूर करना होगा। राष्ट्रपतीय प्रणाली की सरकार बनाम संसदीय प्रणाली की सरकार केशवनंद भारती सुप्रीम कोर्ट का सम्बन्धी मुकदमे में निर्णय कि संविधान सभा अथवा भारतीय संसद को भारतीय संविधान की मूलभूत बातों को बदलने की शक्ति प्राप्त है—इन बातों के बारे में देश में जो चर्चा और विचार-विमर्श कराया जा रहा है उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिये और ये सब बातें अब पुरानी बातें मान ली जानी चाहिए। आप हमें निष्कपट भाव से और ईमानदारी से बताइए कि आप इस संसदीय सरकार का समर्थन करेंगे और संविधान की वर्तमान मौलिक विशिष्टताओं का समर्थन करेंगे और इससे हमारे सहयोग की पहली शर्त पूरी हो जायेगी। भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषता यह है न्यायपालिका सर्वोच्च है। न्यायपालिका को बदनाम करने के लिये बहुत कुछ किया गया है, इसकी स्वतन्त्रता और अखंडता में कई तरह से हस्तक्षेप किया गया है। जैसे ही आप हमसे सहयोग देने के लिये कहेंगे तभी हम आपसे कह देंगे कि न्यायिक नियुक्तियों तथा न्यायाधीशों के स्थानान्तरण सम्बन्धी पुरानी परम्पराओं को पुनः स्थापित करें। आखिर यह आपकी सरकार है। 1962-63 में इसी सदन में आपके ही दल की सरकार ने कानून मंत्री के माध्यम

से कहा था कि किसी भी जज की उस वक्त तक नियुक्ति नहीं की जाएगी जब तक कि न्याय-पालिका को उससे पूरी सन्तुष्टि न हो, और किसी भी जज को उसकी इच्छा के बिना स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में किसी मुकदमें में संविधान के किसी शब्द पर आप सर्वोच्च जीत गए होंगे लेकिन संविधान की भावना नष्ट कर दी गई है। उस भावना को पुनः स्थापित करो और हमसे कहो कि आपका न्यायपालिका में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है तथा आप इस देश में ईमानदार और सच्ची न्यायपालिका चाहते हैं और तब हम निश्चित ही आपको वह सहयोग देंगे जो आप हमसे चाहते हैं।

तीसरी शर्त यह है। प्रेस व्यवस्था पर भी घातक प्रहार किये गये हैं। कुछ दिन पहले प्रधान मंत्री ने यह बात कही थी कि इस देश के समाचार पत्र विपक्ष की तरह कार्य कर रहे हैं। यदि मुझे इस देश के समाचार पत्रों पर अभिमान है तो इसलिए है कि ये शक्तिशाली की चापलूसी के विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं, भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं और सच्ची बात कह सकते हैं। यह सम्पूर्ण समाचार पत्रों के बारे में तो सत्य नहीं है, परन्तु उनका कुछ हिस्सा ऐसा साहसी है जो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है; और यदि प्रेस ने विपक्ष की बात उठाना बन्द कर दिया तो देश के लिए यह बड़ा ही दुर्भाग्य होगा तथा प्रधान मन्त्री को प्रेस को विपक्ष की बात उठाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए और केवल उस कार्य के लिये जिसके कारण वह हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, उन्हें उसकी आलोचना या उस पर आक्रमण नहीं करना चाहिए।

चौथी शर्त यह है। कृपया इस देश में इस चापलूसी के शासन को रोकें। लोक तन्त्र का तात्पर्य है सबके लिए समानता। प्रधान मंत्री तथा देश में सबसे छोटे वर्ग का व्यक्ति सभी समान हैं। इस व्यक्ति पूजा को रोकिये जो कि बड़े परिश्रम से पाली पोषी तथा संजाये रखी जा रही है।

यदि मैं इस देश का प्रधान मंत्री होता और मेरा कोई मुख्य मन्त्री यह कहता कि प्रधान मन्त्री ममवान है तो मैं मुख्य मन्त्री को केवल ऐसी बेवकूफाना बात कहने के कारण ही बरखास्त कर देता। परन्तु महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने, जो सत्ताधारी दल ने नये नियुक्त किये हैं उस दिन यह कहा कि प्रधान मन्त्री देवी हैं, तो कम से कम देवी को तो इसका विरोध करना चाहिए था तथा मुख्य मन्त्री को डांटना चाहिए था। यह व्यक्ति पूजा समाप्त होनी चाहिए और यदि प्रधान मन्त्री को देश की समस्यायें सुलझाना असम्भव लगता है तो यह इसीलिए है क्योंकि उन्होंने व्यक्ति पूजा की भावना पैदा की है, क्योंकि उन्होंने उन सभी लोगों के व्यक्तित्व को छोटा कर दिया है जो उनकी मदद करना चाहते हैं। एक ऐसे देश में जहां सत्ताधारी दल अभी भी इस सिद्धांत को मानता हो कि प्रधान मन्त्री तथा राष्ट्र एक दूसरे से अभिन्न हैं, लोकतंत्र बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सकता। लोकतन्त्र का तात्पर्य है कि सरकार ऐसी हो जिसके द्वारा अधिकतम लोगों की अधिकतम भलाई ईमानदारी तथा पूरी शक्ति के साथ की जाये। यदि सत्ताधारी दल इस बात में विश्वास करता है? देश की प्रधान मन्त्री ही सबसे महान है और सब कुछ है तो देश में लोकतंत्र कभी भी फलफूल नहीं सकता। कृपया इस व्यक्ति पूजा को समाप्त कीजिए। तब हम आपको सहयोग देंगे।

और अन्तिम बात यह है कि जब आप विपक्ष का सहयोग चाहते हैं तो मेरा विचार है कि भ्रष्टाचार को, हमारे राजतंत्र को जकड़ लिया है, बनाये रखने में आप निश्चित रूप से हमारा सहयोग नहीं चाहेंगे। अभी उस दिन जब मैंने सभा में एक मुख्य मन्त्री के भ्रष्टाचार की बात की तो मेरे ऊपर सभा में ही लगभग आक्रमण कर दिया गया—मैं अपने ऊपर उस तरफ के अपने मित्रों द्वारा आक्रमण किये जाने को बुरा नहीं मानता हूं क्योंकि आखिर उन्हें भी तो अपने अर्न्तमन की इच्छाओं को सन्तुष्ट करना है—परन्तु यदि आप चाहते हैं कि विपक्ष कोई सार्थक भूमिका अदा न करे तथा आपको विपक्ष का सहयोग मिले तो निश्चित रूप से आपको ममझदारी की बातों को तथा विपक्षी दलों की दलीलों को सुनना चाहिए तथा उनको गालियां नही देनी चाहिए, उनपर हमला नहीं करना चाहिए तथा लोकतंत्र प्रणाली का मजाक नहीं बानाना चाहिए। हम अपना मित्रवत् सहयोग देने के लिए तैयार हैं परन्तु प्रो० रंगा को यह जानकर खुशी होगी कि—क्योंकि वह उन लोगों में एक है कि जब मेरे दिल में कोई बहुत ही जोरदार बात होती है जिसको मैं जोरदार शब्दों में किसी सत्तारूढ़ दल के किसी सदस्य के समक्ष व्यक्त करना चाहता हूं—मुझे वह मुनाफे बाहर मिल जाते हैं और मैं उनको अपने अन्तर्मन की भावनायें बता देता हूं। मुझे आशा है कि इससे उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। परन्तु मैं कोई गुप्त बात नहीं खोल रहा हूँ।

अभी उस दिन मैंने प्रधान मन्त्री को एक व्यक्तिगत पत्र लिख था। मैंने यह पत्र इसलिए लिखा क्योंकि मेरे अन्दर बहुत तीव्र वेदना की भावना थी, मेरे सामने की ओर बैठे मेरे मित्र मेरे यह कहने पर कि मेरे अन्दर तीव्र वेदना की भावना थी, मजाक उड़ायेंये। मैंने उनकी उस दिन की याद दिलाने के लिए लिखा जिस दिन उनके प्रतिष्ठित पिता की मृत्यु हुई थी। हमारे उनके पिता के साथ मतभेद थे—कम से कम व्यक्तिगत रूप से मेरे कुछ मतभेद थे क्योंकि उनके राजनैतिक जीवन के कुछ ऐसे पहलू थे जो मुझे पसन्द नहीं थे। जब उनका निधन हुआ तो मेरे परिवार के किसी भी व्यक्ति, वृद्ध अथवा जवान ने 48 घंटे तक न तो खाना खाया और न पानी पिया क्योंकि हमने ऐसा महसूस किया जैसे हमारे अपने पिता की मृत्यु हो गयी हो। और मैंने उनको लिखा "कृपया आप भी विपक्षियों से इस प्रकार प्यार तथा सद्भावना का सम्बन्ध नहीं स्थापित कर लेती ?" हमारे मतभेद—राजनैतिक मतभेद—लोकतन्त्र में हमेशा बने रहेंगे, परन्तु मैंने उनको लिखा कि हमारे बीच संसदीय लोकतंत्र के बारे में जो मतभेद हैं उनसे हमारी मित्रता व स्नेह में बाधा नहीं होनी चाहिए। यह बड़े दुख की बात है कि उन्होंने उस पत्र की प्रति की सूचना तक नहीं दी। और जब हमारे प्रो० रंगा सार्वजनिक रूप से सहयोग की मांग करते हैं तो मुझे कभी-कभी महसूस होता है कि यह ढोंग है—क्योंकि प्रो० रंगा का मैं इतना अधिक सम्मान करता हूं कि मैं उनके बारे में ऐसा नहीं सोच सकता—इस विषय में संदेह अवश्य हो सकता है कि हम प्रधान मन्त्री को सहयोग देने का प्रस्ताव करते हैं परन्तु प्रधान मन्त्री हमसे मिलने की इच्छुक नहीं हैं। मैंने उनको श्री अन्तुले के बारे में लिखा था और उनसे कहा था कि कृपया हमें बुलाया जावे मैंने उनको उस समय लिखा था जब तक तूफान नहीं उठा था। परन्तु उन्होंने मुझसे मिलने तक से मना कर दिया। उन्होंने हमसे मिलने के लिए इसलिए मना कर दिया क्योंकि जब वह हमसे आमने सामने मिलेंगे तो हमारी आंखों में उन्हें एक दर्पण दिखाई देगा जिसमें उन्हें अपनी चापलूसी रहित तस्वीर नजर आयेगी और ऐसी जोखिम वह नहीं लेना चाहती, क्योंकि हमारा सहयोग चापलूसों का सहयोग नहीं होगा, यह चमचों का सहयोग नहीं होगा। हम उन्हें सच बात स्पष्ट रूप

से बतलायेंगे तथा यह बतायेंगे तथा यह कि ईमानदारी तथा सक्षमता से देश की समस्याओं को कैसे सुलझाया जा सकता है।

इस विषय पर बात करने के बाद अब मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करूंगा। मैं राष्ट्रपति को धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने में असमर्थ हूँ। यदि यह राष्ट्रपति के लिए सहानुभूति का प्रस्ताव होता तो मैं इसका समर्थन करता, क्योंकि यह बहुत ही व्यथित कार्य रहा होगा...

सभापति महोदय : मैं जानना चाहता हूं कि आप अपना भाषण समाप्त करने के लिये अभी और कितना समय लेंगे।

श्री राम जेठमलानी : जितने की आप अनुमति दे दें, लगभग 10 से 15 मिनट। आज मैं बहुत सी कटु बातें नहीं कहना चाहता क्योंकि श्री रंगा तथा श्री भगत ने तारतम्य बिगाड़ दिया। मैंने अभी कहा कि राष्ट्रपति के प्रति सहानुभूति प्रकट की जानी चाहिए। हमें पता है कि आखिर ये राष्ट्रपति के अपने विचार नहीं हैं। उन्हें यह वेदना किसी पद की एक बन्द कठिनाई की तरह सहनी पड़ी। मैं इस दस्तावेज की अपनी आलोचना को संक्षिप्त कर सकता है। इस दस्तावेज में भूतकाल के बारे में झूठ बोला गया है, भविष्य के बारे में प्रवंचनापूर्ण बातें की गयी हैं तथा वर्तमान के बारे में सुविचारित तथा आपराधिक चुप्पी बनाये रखी गयी है। मेरी आलोचना का सार यह है जिसको अब मैं विस्तृत करना चाहता हूं।

राष्ट्रपति ने अपने भाषण के अन्तिम पैरा में शायद कुछ सच्ची बात कही है उन्होंने कहा है :

> "हमारी खुशकिस्तमी है कि हमारा एक ऐसा राष्ट्र है जिसके सामने भरपूर उद्देश्य है। हमारी जनता ने भी दिखा दिया है वह असीम धीरज से चुनौतियों का मिलकर, एकजुट होकर मुकाबला कर सकती है।"

यदि इस देश के सामने वह मूल उद्देश्य तथा वह मूल प्रेरणा न होती, जोकि उन महान नेताओं तथा भारतीय गणतन्त्र के महान प्रतिष्ठाताओं ने रखे थे, तो यह देश बहुत पहले ही नष्ट हो गया होता। परन्तु यह कुछ निराशाजनक बात है कि पिछले 30 वर्षों में वह उद्देश्य कहीं खो गया लगता है। अब मुझे उस राष्ट्रीय उद्देश्य का आभास नहीं होता। मुझे लगता है कि उस राष्ट्रीय उद्देश्य को व्यक्तिगत, दलगत, राजनैतिक तथा वंशगत उद्देश्यों से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इसी से मुक्ति पानी है भगवद्गीता में जो कहा गया है उसकी याद आ जाती है :

> "जब व्यक्ति इन्द्रियों के विषयों का चिन्तन करता है तो इससे आकर्षण पैदा हो जाता है। आकर्षण से इच्छा पैदा होती है। इच्छाओं से ज्वलंत वासनाओं की उत्पत्ति होती है। वासना से अविवेक उत्पन्न हो जाता है, स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, इससे महान उद्देश्य समाप्त हो जाता है तथा मस्तिष्क दुर्लभ हो जाता है और फिर मनुष्य, मस्तिष्क तथा उद्देश्य सभी नष्ट हो जाते हैं।"

इस देश में मनुष्य, मस्तिष्क तथा उद्देश्य सभी नष्ट हो गये हैं क्योंकि सत्तारूढ़ दल, प्रो० रंगा, श्री भगत तथा इस दयनीय दस्तावेज द्वारा भ्रष्टाचार के इस विकास को ध्यान में नहीं

रखा गया जिसने कि इस देश में ऊपर से लेकर नीचे तक सभी को जकड़ लिया है। देश भर में अभी हाल में जो बातें खोली गयीं—यह तथ्य मा० ज० पा० या जनता पार्टी या कम्यूनिस्ट पार्टी ने नहीं खोले बाकी उन्हीं के दल के कुछ ईमानदार व दलबदल लोगों द्वारा खोले गये हैं—उन्हें ध्यान में रखते हुए मुझे यह आशा थी कि राष्ट्रपति के भाषण में कम से कम इस भ्रष्टाचार का उल्लेख होना चाहिए था कि हमारे राजतन्त्र से इस विकार को कैसे हटाया जा सकता है। श्री भगत ने "अलाइस इन वन्डरलैंड" की भांति कहा "आंकड़ों को देखिये ; आंकड़ों से भारी उत्पादन प्रदर्शित होता है, ऊर्जा बढ़ रही हैं, पैट्रोलियम उत्पादन बढ़ रहे हैं, कृषि बढ़ रही है।" और फिर भी वह कहते हैं कि वस्तुएं गरीब लोगों तक नहीं पहुंची हैं। वह सामान्य बुद्धि से निकाला जाने वाला निष्कर्ष क्यों नहीं निकाल सके ? सामान्य बुद्धि का निष्कर्ष यह है कि गरीबों तथा उन लोगों में जो इस प्रकार के धन का उत्पादन करते हैं इन दोनों के बीच कोई चीज है और वह भ्रष्टाचार की दीवार है और वह देश में जो कुछ भी पैदा होता है सबको निगल जाता है और वह जिसके लिए होता है उस अन्तिम गन्तव्य तक नहीं पहुंच पाता। प्रतीत होता है कि आप इस सीधे सत्य को भी नहीं समझ पाये। सीधा सत्य यह है कि भ्रष्टाचार का मूल्य निश्चित रूप से वस्तुओं के मूल्य में जोड़ा जाना चाहिए आप कितना भी उत्पादन करिये आखिर कहीं न कहीं से भ्रष्टाचार को देना ही पड़ेगा। यदि महाराष्ट्र के चीनी मिल मालिकों ने भी अन्तुले के कोष में लाखों करोड़ रुपयों का योगदान कर दिया, तो धन समितियों से या उनके धनी निदेशकों से नहीं आया। अन्ततः उसे गन्ने के मूल्य में जोड़ दिया गया। अन्ततः यह चीनी के मूल्य में जुड़ गया। आप देश में यदि जितनी भी चीनी उत्पादन करें, चीनी घाटे में नहीं बिक सकती। घाटे को पूरा किया जाना चाहिये। घाटे को मूल्य बढ़ाकर ही पूरा किया जा सकता है। श्री अन्तुले की निधियां धन से ही निर्मित हुई, अतः भ्रष्टाचार मुख्य समस्या है तथा यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकार देश की इस महत्वपूर्ण समस्या का समाधान नहीं करना चाहती। यदि आप अन्य बातों की इस मुख्य रोग से तुलना करें तो शेष सभी कुछ महत्त्वहीन रह जायेगा।

अभिभाषण में देश की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति का उल्लेख किया गया है। मैं सभा का ध्यान अभिभाषण के पैरा 21 की ओर दिलाता हूं, यह अत्यन्त अनुचित एवं अत्यन्त निकृष्ट बात है, जो कि कही जा सके क्योंकि यदि आप रोग का सही निदान नहीं करेंगे तो आप कानून और व्यवस्था की समस्या का समाधान नहीं कर पायेंगे। राष्ट्रपति ने कहा है :

"अब मैं कानून और व्यवस्था से सम्बन्ध, रखने वाले कुछ मामलों को लूंगा। फिरका दाराना हितों द्वारा फैलाये गये आन्दोलनों में कौम की ताकत जाया नहीं की जानी चाहिए। आगे बढ़ने के लिए उसके अलावा और कोई अस्तित्व नहीं है।"

यदि इस देश में कानून और व्यवस्था की गिरती हुई वर्तमान स्थिति का एक मात्र कारण विपक्ष तथा विरोधी ग्रुपों, जो सरकार की नीतियों को पसंद नहीं करते, द्वारा चलाये जा रहे आन्दोलन समझा जाता है, तो आप कानून और व्यवस्था की समस्या का कभी भी समाधान नहीं कर पायेंगे। हमें इस पर काबू पाना चाहिए। आपको समस्या के मूल को पकड़ना चाहिए। ऐसा करने के लिए यह आवश्यक है कि डाकुओं तथा राजनीतिज्ञों के, तथा तस्करों तथा राजनीतिज्ञों के तथा चोर-बाजारी करने वालों तथा राजनीतिज्ञों के बीच गठजोड़ को समाप्त किया जाना चाहिए।

उसे पहले समाप्त किया जाना चाहिए। इस देश का जागरूक प्रेस जो स्थिति पेश करता है उस पर ध्यान देने का मेरे पास समय नहीं है। (व्यवधान) प्रतिदिन हमारे जागरूक समाचार पत्र ऐसे षड़यंत्रों को प्रकाशित करते हैं जिनसे प्रकट होता है कि इस देश की राजनीतिक सत्ता समाज के भ्रष्ट तत्वों से मिली हुई है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के इस भाग पर मेरी टिप्पणी है कि अपराधी कानून और व्यवस्था को लागू करने वाले बन गये हैं तथा कानून और व्यवस्था को लागू करने वाले अपराधी बन गये हैं। जब तक आप इस निराशापूर्ण स्थिति को बदलते नहीं तब तक आप देश की कानून और व्यवस्था की स्थिति का समाधान नहीं कर सकते।

असम का उल्लेख किया गया है। असम समस्या, जो कि पिछले 2 वर्ष से विकटतर होती जा रही है, को स्माल काजेज कोर्ट के एक मुकदमे के समान समझा जा रहा है जिसमें मामले को 15 मिनट के लिए सुना जाता है तथा फिर कोर्ट 3 महीने के लिए स्थगित हो जाती है। वे लोग गोहाटी से जहां पर आते हैं और जहां पर कोई पेट-दर्द के कारण कोई सिर-दर्द के कारण उपलब्ध नहीं होता और बातचीत तीन महीने के लिए स्थगित कर दी जाती है अथवा यह कह दिया जाता है कि हम अगले महीने मिलेंगे। राष्ट्रीय समस्याओं से इस प्रकार निपटा जाता है। यह हमारे देश की राष्ट्रीय एकता की समस्या है। यह समस्या उतनी ही गम्भीर है जितनी कि 1947 अथवा उससे पूर्व देश की समस्या थी। क्योंकि यदि असम के लोगों के वास्तविक तथा वैध अधिकारों को गैर-कानूनी तत्वों द्वारा कुचला जाता है तब उन्हें कुछ पुनर्विचार करना पड़ेगा। मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि निचले स्तर पर पुनर्विचार चल रहा है तथा इससे देश की एकता को खतरा हो सकता है। असम की समस्या तब तक हल नहीं की जा सकती जब तक आप विपक्ष का सहयोग न लें। विपक्ष का परामर्श यही है कि असम की समस्या एक ओर तो कानून और संविधान की है तथा दूसरी ओर उनकी है जो भारतीय कानूनों को तोड़ते हैं तथा संविधान की अवहेलना करते हैं। यदि आप अपने राजनीतिक उद्देश्यों के कारण कानून एवं कानून भंग की इस साधारण समस्या को, हिन्दू-मुसलमानों की समस्या तथा आसामी और बंगाली की समस्या में बदल देते हैं, तो इस प्रकार पूरी तरह गलत निदान से आप रोग का उपचार कैसे करेंगे? यदि आप हमारा सहयोग चाहते हैं, तो कृपया दृढ़ निश्चय कीजिए कि जो लोग असम से जहां आते हैं वे देश-भक्त हैं तथा उन्होंने आपको अपने उत्तर दायित्व के प्रति सजग कराया है। अभी उस दिन मैंने श्री जैल सिंह को उदारतापूर्वक यह कहते हुए सुना कि अब वह सीमाओं को बन्द करने को राजी हो गए हैं। यह अपराध की भावना का प्रमाण है। पिछले 30 वर्ष से आप देश की सीमा को बन्द करने से इनकार करते आ रहे थे। अब जबकि इन युवकों ने आपका ध्यान दिलाया है तब गृह मन्त्री ने यह बात स्वीकार की है कि वह सीमाबन्दी करने जा रहे हैं। मुझे यह पूछने का अधिकार कि पिछले 30 वर्ष में आप क्या कर रहे थे? आपकी देश-भक्ति को क्या हो गया है? हर समय आप अपने वोट बढ़ाने की चिन्ता में रहे। अपने मतों को तो आपने अवश्य बढ़ा लिया परन्तु असम को तथा देश को सदा के लिए क्षति पहुंचाई। अब आपको अपना रवैया बदलना होगा। यह परिवर्तन विस्तृत प्रक्रियाओं द्वारा नहीं होगा जिनके अन्तर्गत आप दूसरों पर दोषारोपण करते रहते हैं। क्योंकि आप समस्या का समाधान नहीं कर पाते इसलिए आप विपक्ष को बुलाते हैं ताकि विपक्ष आपके साथ बदनामी में भागीदार बने। हम बदनामी तो लेने को तैयार हैं परन्तु आप उचित रूप से तथा दयानतदारी से बर्ताव करें, तथा जो परामर्श हम आपको देते हैं उस पर ध्यान दें।

हम सरकार के लोकतंत्रीय स्वरूप पर किस प्रकार विश्वास करें। हम सरकार का लोकतंत्र का बहाना कैसे स्वीकार कर सकते हैं जबकि देश के पांच राज्यों में लोकतंत्र विलीन हो रहा है, वहां पर कोई लोकतंत्रीय सरकार नहीं है। एक ओर केरल में हम अत्यन्त निन्दनीय उपहासास्पद स्थिति देखते हैं जहां पर कि अध्यक्ष को सरकार को बचाने के लिए सात बार मत देना पड़ा। इस सरकार के लिए महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का नाम लेना शोभा नहीं देता। क्या श्री जवाहरलाल नेहरू तथा महात्मा गांधी ऐसे उस अध्यक्ष को एक पल के लिए भी सहन कर पाते ? आपकी राजनीति पर भद्दे धब्बे हैं जिन्हें समाप्त किया जाना चाहिए।

मेरे दल से मेरे माननीय साम्यवादी मित्रों को कोई भी शक्ति नहीं मिलती। हमारे उनसे गम्भीर मतभेद हैं। लेकिन जब सिद्धान्त का प्रश्न उठता है तो हम उनके साथ होंगे। आज पश्चिम बंगाल में कानूनी तथा संवैधानिक दृष्टि से अनुचित कारणों से चुनाव स्थगित किये जा रहे हैं और वे राजनैतिक दृष्टि से अनुचित हैं। मुझे उस बात को कहते हुए खेद है लेकिन मैं उस पर अधिक नहीं बोलना चाहता क्योंकि मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय के सामने निर्णयाधीन है और आज इस पर उच्चतम न्यायालय में बहस चल रही थी। अतः मैं इसके बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इसके राजनैतिक पहलू के बारे में मुझे यकीन है कि सत्तारूढ़ दल का उद्देश्य बंगाल में मतदाताओं का सामना करना नहीं है और आप किसी न किसी तरह मतदाताओं का सामना करने की स्थिति को टालना चाहते हैं।

आसाम में भी ऐसी ही स्थिति है। हरियाणा में भी लगभग ऐसी ही स्थिति है, जहां दलबदलुओं की आया की सरकार काफी समय से चल रही है। आप इस खेदजनक भद्दी स्थिति को समाप्त क्यों नहीं करते ? आप लोगों के पास जाएं। यदि आप 'देवी' हैं तो लोग आपको चाहेंगे; हर मुख्य मन्त्री कहता है कि आप देवी हैं। यदि आप देवी हैं तो लोग आपको फिर सत्ता में लायेंगे। यदि नहीं तो इस संघ के 5-6 राज्यों में किसी अन्य दल का शासन हो तो इससे क्या अन्तर पड़ता है ?

अंत में, पैरा 23 में बिगड़ती अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का जिक्र किया गया है इसमें कहा गया है कि हमारे इर्दगिर्द सेना के जमाव में वृद्धि हो गई है। सचमुच पिछले दो वर्षों के दौरान इसमें वृद्धि हुई है। इस सैनिक जमाव का सही अर्थ क्या है ? सही अर्थ यह है कि रूस की फौजों ने बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान पर हमला करके कब्जा कर दिया है; एशिया के एक तटस्थ मुस्लिम देश को रूस ने गुलाम बना दिया है, यही समकालीन इतिहास का दर्दनाक तथ्य है। श्रीमती गांधी सच्चाई को क्यों नहीं देखतीं ? महात्मा गांधी और अपने प्रतिष्ठित पिता को आध्यात्मिक उत्साह द्वारा सच क्यों नहीं बोलतीं और रूस से यह क्यों नहीं कहतीं कि उसे जाना पड़ेगा ? राष्ट्रपति ने पैरा 23 में ऐसा क्यों नहीं कहा कि रूस की सेना ने अफगानिस्तान पर हमला किया है और रूस में उनकी सेना की उपस्थिति से पड़ोस में सैनिक स्थिति में एक नया मोड़ पैदा हो गया है ? जब तक इस महान देश में सच बोलने का साहस नहीं होगा तो उस समय तक मैं प्रो० रंगा तथा श्री भगत के इस दावे को स्वीकार नहीं कर सकता कि देश के बाहर हमारा सम्मान है। देश से बाहर भी चाटुकार हैं जिनमें से कुछ का अपना ही उद्देश्य तथा प्रयोजन होता है। यदि आप समझते हैं कि उनके द्वारा कहे गए प्रशंसा के थोड़े से शब्द हमेशा के लिये उद्धरणीय है और आपके अच्छे आचार के लिए

पर्याप्त प्रमाण हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं लेकिन इस तरह आप विपक्ष का सहयोग प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

हम रूस की मित्रता की आवश्यकता को महत्वहीन नहीं समझते। हम रूस द्वारा अब तक दी गई सहायता के लिये कृतघ्न नहीं हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी आत्मा और जमीर खरीदी जा सकती है। हम सही गुटनिरपेक्षता का पालन करेंगे और सही गुटनिरपेक्षता का अर्थ सच बोलना होता है चाहे राजनैतिक परिस्थितियां कुछ भी क्यों न हों जो किसी अवसर पर सच बोलने से पैदा हुई हों। रूस द्वारा 1948 में की गयी हमारी सहायता का यह अर्थ नहीं है कि हम हमेशा के लिए अपनी आत्मा को उनके पास रहन रखें और उनकी गलतियों को नजरंदाज करते रहें और आक्रमण के लिए झूठे बहाने बनाते रहें और उस पुरानी घंवारू बोली द्वारा अमरीकियों को गाली देते रहें, जो हमने सीखी है और जिसे हम नियन्त्रित नहीं कर सकते।

वास्तव में इसी कारण मैं राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने में असमर्थ हूं। मैं कह चुका हूं कि यदि किसी को धन्यवाद देना है तो केवल भगवान ही है जिसे इस बात के लिए धन्यवाद दिया जाये कि राष्ट्र जिन्दा है और राष्ट्रपति भी इस दस्तावेज को सार्वजनिक रूप में पढ़कर जैसे के तैसे बने हुए हैं।

श्री फ्रेंक एन्थनी (नाम निर्देशित-आंग्ल भारती) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत के उच्चतम न्यायालय के पुनर्गठन, न कि उसके विभाजन, की अविलम्बनीय राष्ट्रीय आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।" (1)

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्र के बहुसंख्यक जनसाधारण के वास्तविक सामाजिक आर्थिक जीवन को सही रूप से प्रतिबिम्बित नहीं किया गया है और राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक सभी क्षेत्रों में बढ़ते हुए सर्वव्यापी संकट को रोकने के लिए किन्हीं समयबद्ध उपायों के कार्यक्रमों का उल्लेख नहीं किया गया है।" (2)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार को यूरोपीय आर्थिक समुदाय के मुलावे को चेतावनी नहीं दी गई है तथा न ही इसमें यह वादा किया गया है कि उचित सावधानी बरती जायेगी जिससे भारत यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सम्मुख घुटने न टेक दे।" (42)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हमारे व्यापार घाटे के बढ़ते जाने के बावजूद इस स्थिति से निपटने अथवा देश के विदेशी मुद्रा कोष को कम होने से रोकने के लिए किन्हीं उपायों का सुझाव नहीं दिया गया है।" (43)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जापान की विस्तारवादी आर्थिक नीति के परिणामस्वरूप उन्नत स्थिति के बारे में समयानुकूल उल्लेख नहीं किया गया है, जिसका उद्देश्य हमारे क्षेत्र में बाजार हथियाना है, जिससे भारत समेत इस क्षेत्र के विकासशील देशों के व्यापारिक सम्बन्धों और आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।" (44)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात पर चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है कि "समाजवाद" का ढोल पीटने के बावजूद सम्पत्ति और आर्थिक शक्ति कुछ हाथों में केन्द्रित होती जा रही है, जिससे देश में लोकतंत्र और इसकी प्रतिनिधि संस्थाओं में विकार पैदा हो रहा है तथा सार्वजनिक क्षेत्र में नैतिकता समाप्त हो रही है।" (45)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हमारे देश में एकाधिकारियों एवं विदेशी एकाधिकारियों द्वारा उठाये जाने वाले लाभ पर कड़ा नियंत्रण रखने की अविलम्ब आवश्यकता पर ध्यान नहीं दिया गया है, इसके विपरीत उन्हें अन्धाधुन्ध लाभ कमाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।" (46)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में एकाधिकारियों और उन अमीर व्यक्तियों से, जो देश के विकास के लिए धन प्रदान करने की स्थिति में हैं और जिन्होंने विभिन्न प्रकार से अपार सम्पत्ति एकत्र कर ली है, पर्याप्त सहायता लेकर साधन जुटाने की आवश्यकता पर बल नहीं दिया गया है।" (47)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बड़े व्यापार के सम्बन्ध में सरकार की वर्तमान नीतियों पर एकाधिकारियों तथा अन्य बड़े व्यापार क्षेत्रों में प्रसन्नता प्रकट किये जाने की ओर ध्यान नहीं दिया गया है और न ही इस बात को देखते हुए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित में सुधारात्मक उपाय किये गये हैं।" (48)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में एकाधिकारियों तथा अन्य निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय-अर्थव्यवस्था को योजनाबद्ध ढंग से अस्त-व्यस्त किये जाने की ओर ध्यान नहीं दिया गया है।" (49)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया है कि 'सामाजिक न्यायपूर्ण आर्थिक प्रगति' तब तक असम्भव है जब तक कि एकाधिकारी पूंजीपतियों तथा ऐसे ही अन्य निहित स्वार्थी तत्वों के विरुद्ध कठोर उपाय नहीं किये जाते और क्रान्तिकारी कृषि सुधारों सहित ढांचे में क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं लाये जाते।" (50)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया है कि एकाधिकारियों के व्यापारिक कदाचारों के कारण निजी क्षेत्र के छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगों को भी भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।" (51)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बड़े व्यापारिक क्षेत्रों और सत्ताधारियों के बीच बढ़ रहे गठ-जोड़ पर चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है जिसके कारण उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है।" (52)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बड़े पूंजीपतियों और सत्ता में ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के बीच हुए अनुचित लाभ वाले सौदों के सम्बन्ध में आने वाली खबरों और आरोपों की अन-देखी की गई है।" (53)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी विपक्षी दलों द्वारा इस मजबूत कदम का स्वागत नहीं किया गया है जिसमें उन्होंने वर्तमान संसदीय और मंत्रिमंडलीय पद्धति के स्थान पर राष्ट्रपति शासन प्रणाली वाली सरकार की स्थापना का विरोध किया, जबकि समय की आवश्यकता है कि वर्तमान पद्धति को सुधारा जाये और मजबूत बनाया जाये, निर्वाचनों में सुधार किए जायें तथा अन्य उपाय किये जायें जिससे इसे लोकतंत्र की आवश्यकताओं तथा मेहनतकश लोगों की आकांक्षाओं के अधिक निकट लाया जा सके।" (54)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सत्ताधारी लोगों द्वारा लोकतंत्र के कार्यकरण अथवा सामाजिक आर्थिक प्रश्नों के सम्बन्ध में संविधान के निदेशक सिद्धांतों को निष्ठा से लागू करने में असफलता को छिपाने के लिए संसदीय लोकतंत्र की निन्दा करने के प्रयास के सम्बन्ध में कोई चेतावनी नहीं दी गई हैं।" (55)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य से कोई शिक्षा ग्रहण किए जाने का उल्लेख नहीं किया गया है कि इतिहास इसका गवाह है कि बुर्जुआ शासक लोकतंत्र को चलाने और जनसाधारण की लोकतांत्रिक इच्छाओं के अनुसार कार्य करने में असफल रहने पर संसदीय लोकतंत्र के विरुद्ध हो जाते हैं और राष्ट्रपति शासन प्रणाली की सरकार की आड़ में तानाशाही शासन की स्थापना करते हैं।" (56)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कार्मिक अधिकारों पर चोट करने तथा अन्य दमनकारी उपायों की सरकार की कर्मचारी विरोधी नीति पर चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है।" (57)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पूर्व हस्ताक्षरित समझौते को लागू करने से समकार के मना करने के कारण देश भर में सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों में फैले असंतोष का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (58)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का आभास नहीं है कि जब तक सरकार ट्रेड यूनियन अधिकारों और मजदूरों और सामूहिक रूप से लाभ उठाने सम्बन्धी बातचीत के अधिकार को आदर नहीं करती है तब तक इस देश में औद्योगिक सम्बन्ध बनाये नहीं रखे जा जा सकते।" (59)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात पर चिन्ता नहीं प्रकट की गई है कि शैक्षणिक जगत में अव्यवस्था व्याप्त है क्योंकि सरकार की कोई जनतांत्रिक शिक्षा नीति नहीं है।" (60)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि महिलाओं के सम्मान की रक्षा के बारे में बड़ी-बड़ी बातों के बावजूद अपराधियों, समाज विरोधी तत्वों तथा पुलिस द्वारा भी महिलाओं पर किये गये अत्याचारों से उनकी रक्षा करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का कोई प्रस्ताव है।" (61)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में दिएगो गार्शिया में अमरीकी सैनिक अड्डों के विस्तार और वहां परमाणु हथियारों समेत शस्त्रों के जमा करने पर उचित चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है।" (62)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में साम्राज्यवादियों और उनके सहयोगियों की चालों के विरुद्ध चेतावनी नहीं दी गई है जो अमरीकी-चीनी धुरी के आक्रामक रवैयों को छिपाने के लिए अपना प्रभुत्व बढ़ाने हेतु तथाकथित 'बड़ी शक्तियों में संघर्ष' और 'बड़ी शक्तियों में शक्ति की होड़' का राग अलाप रहे हैं।" (63)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आक्रामक अमरीकी साम्राज्यवादियों तथा उनके चीनी तथा अन्य सहयोगियों, जिनसे हमारे देश की सुरक्षा को खतरा है, चालों के विरुद्ध राष्ट्र को चेतावनी नहीं दी गई है।" (64)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में 'एशियन' के देशों के प्रति, जो साम्राज्यवाद तथा अमरीका-चीन धुरी की चालों में अधिकाधिक फंस रहे हैं, किसी सही रीति का उल्लेख नहीं है।" (65)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अमरीकी साम्राज्यवादियों का, दियागो गार्शिया में ही नहीं बल्कि क्षेत्र के अन्य भागों में भी सैनिक जमाव करके हमारे देश की स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ाने में मुख्य हाथ होने का कोई उल्लेख नहीं है।" (66)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि एक नयी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के निर्णयों को क्रियान्वित करने हेतु भारत सरकार द्वारा क्या-क्या ठोस कदम उठाये जायेंगे और वह किस प्रकार पहल करेगी और इसमें इस बात का भी उल्लेख नहीं है कि देश में सही पग उठाकर विशेष रूप से बहुराष्ट्रिकों द्वारा किए जा रहे शोषण को समाप्त करने के लिए नव उपनिवेशवाद के विरुद्ध किस प्रकार से संघर्ष को तीव्र किया जाएगा।" (67)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि हाल के महीनों में बड़ी संख्या में अफगान लोकतंत्रात्मक गणराज्य के विरोधी अफगान हमारे देश में घुस आये हैं और वे अफगान गणराज्य के विरुद्ध तोड़फोड़ का प्रचार करने में संलग्न हैं।" (68)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत की विदेश नीति के साम्राज्यवाद-विरोधी पक्ष को सुदृढ़ बनाने की अविलम्बनीयता और महत्व पर जोर नहीं दिया गया है।" (69)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात पर जोर नहीं दिया गया है कि इस समय राष्ट्र को जिस स्थिरता की आवश्यकता है वह लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाकर और राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक सभी राष्ट्रीय गतिविधियों में जनता का स्वेच्छापूर्ण सहयोग प्राप्त करके ही प्राप्त की जा सकती है।" (70)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में धन-शक्ति की अत्यधिक वृद्धि पर जिससे सार्वजनिक जीवन के भिन्न-भिन्न पहलुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, कोई चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है।" (71)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है अभिभाषण में राज्यों को और अधिक व्यापक शक्तियां प्रदान करने की दृष्टि से केन्द्र-राज्यों के बीच सम्बन्धों का पुनर्विलोकन करने और उन्हें और अधिक वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (72)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि जब तक योजना के सम्बन्ध में सामाजिक व आर्थिक क्रांतिकारी दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाता, तब तक भारत में योजना सफल नहीं हो सकती अथवा अभीष्ठ उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकती है।" (73)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि एकाधिकारी तथा बहुराष्ट्रिक योजना के कट्टर दुश्मन हैं।" (74)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उद्योगों में काम की ठेका पद्धति को समाप्त करने का वादा नहीं किया गया है।" (75)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कर्मचारियों के लोकतांत्रिक संघर्ष को दबाने के लिए कार्मिक संघों और राजनीतिक विरोधियों अथवा अन्यों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रयोग किए जाने के प्रति कड़ी चेतावनी नहीं दी गई है।" (76)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि तालाबन्दी, कामबन्दी और जबरन छुट्टी पर प्रतिबन्ध लगाया जाएगा और ऐसी श्रमिक विरोधी कार्यवाहियों से श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी।" (77)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में व्याप्त बिजली संकट पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है और न ही इसमें उचित समेकित ऊर्जा नीति अपनाए जाने का संकेत दिया गया है।" (78)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हथकरघा बुनकरों तथा अन्य कारीगरों की कठिनाइयों और तकलीफों को ध्यान में नहीं रखा गया है और न ही उसमें उनकी समस्याओं को दूर करने अथवा उनका हल निकालने के लिए किसी उपाय का प्रस्ताव किया गया है।" (79)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि उर्दू भाषा के स्तर सम्बन्धी गुजराल समिति की सिफारिशों को तुरन्त कार्यान्वित किया जाएगा।" (80)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि जिस पक्षपातपूर्ण ढंग से सरकारी जनसंपर्क के साधनों—आकाशवाणी-टेलीविजन का प्रयोग किया जा रहा है उसके प्रति प्रतिपक्षी दल ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न वर्गों द्वारा भी प्रकट किए गए कड़े विरोध की ओर ध्यान नहीं दिया गया है।" (81)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया है कि श्रमजीवी वर्ग तथा अन्य लोकतांत्रिक मजदूर वर्गों के संघर्ष को सरकारी जन संपर्क साधनों द्वारा योजना-

बद्ध तरीके से कम महत्वहीन बनाया जा रहा है मानो कि उनके समाचार का कोई महत्व ही नहीं है।" (82)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया है कि सरकारी जन संपर्क के साधन सरकारी वक्तव्यों आदि का तो बहुत बढ़ा-चढ़ाकर प्रचार करते हैं किन्तु लोगों को धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के विचारों के बारे में तथा साम्प्रदायिक और पृथकतावादी प्रवृत्तियों के प्रति संघर्ष करने की शिक्षा देने और उन्हें उत्प्रेरित करने की अवहेलना करते हैं।" (83)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय विकास परिषद को कानूनी दर्जा देने और उसके कार्य का संसद के प्रति जवाबदेह बनाने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है।" (84)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सांप्रदायिक प्रचार और क्रियाकलाप की दुर्भाग्यपूर्ण वृद्धि पर कोई चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है और न ही उसमें उन पर प्रभावी प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव किया गया है।" (85)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

'किन्तु खेद है कि अभिभाषण में निगमन कर, सीमा-शुल्क और निर्यात शुल्क को राज्यों के साथ बांटने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है।" (86)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात पर बल नहीं दिया गया है कि गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के साम्राज्य-विरोधी तत्व पर, शांति, स्वतंत्रता और अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में उसके सिद्धांतों और भविष्य को ध्यान में रखते हुए निरन्तर बल प्रयोग किया जाना है।" (87)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में तारापुर संयंत्र के लिए अपेक्षित परिष्कृत यूरेनियम की सप्लाई के बारे में भारत के विरुद्ध अमरीकी दबाव और सरकारी तौर पर उत्प्रेरित प्रेस आन्दोलन पर समुचित रूप से ध्यान नहीं दिया गया है।" (88)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में खाद्य तेल के मूल्यों में तेजी से और निरन्तर हो रही वृद्धि से उत्पन्न गंभीर स्थिति पर ध्यान नहीं दिया गया है और न ही उसे दूर करने के लिए कोई उपाय सुझाया गया है।" (89)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण सरकार की असफलता को छिपाने के लिए सरकार की सफलताओं के दावों से आरम्भ किया गया है जैसे कि आंकड़ों के भुलावे से वास्तविकता को छिपाया जा सकता है।" (90)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आत्म-तुष्टि प्रदर्शित की गई है जबकि उसमें निष्पक्ष रूप से और ईमानदारी से अपनी आलोचना करने का प्रयास किया जाना चाहिए था जिससे इस बात का पता लगाया जा सकता कि सरकार कहां असफल रही है और उसे कैसे सफलता में परिवर्तित किया जा सकता है।" (91)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात को गंभीरतापूर्वक नहीं समझा गया है कि सी० आई० ए० तथा अन्य साम्राज्यवादी एजेंसियां हमारे देश में प्रतिक्रिया, अव्यवस्था और अखंडता की ताकतों को प्रोत्साहित करने के लिए सक्रिय हैं।" (92)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती हुई निरक्षरता को दूर करने के लिए उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (93)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि कृषि उत्पाद बहुत ही कम मूल्यों पर बिक रहे हैं।" (94)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ते हुए प्रादेशिक असंतुलन तथा उसके ठीक करने के लिए कार्यवाही के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (95)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी और अल्प रोजगार के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (96)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में खेतिहर मजदूरों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए न्यूनतम मजदूरी का उपबंध करने वाली विधियों की क्रियान्विति और समस्त देश के लिए समान कानून बनाने के लिए किसी कार्यक्रम का कोई उल्लेख नहीं है।" (97)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, उसे दूर करने के उपायों तथा शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (98)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में खाड़ी के देशों, श्रीलंका, यूनाइटिड किंगडम आदि में भारतीयों को हो रही कठीनाइयों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।" (99)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत सरकार के विरोध की अवहेलना करके खालिस्तान आन्दोलन के नेताओं को शरण देने में संयुक्त राज्य अमरीका की अमैत्रीपूर्ण कार्यवाही की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।" (100)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इन बात की ओर कोई ध्यान नही दिया गया हैं कि 'बम्बई हाई' में प्लेटफार्मों की स्थापना में भ्रष्ट आचरण के कारण अत्यधिक विलम्ब हुआ है जिसके फलस्वरूप तेल के उत्पादन में भारी कमी हुई है।" (101)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि पुलिस समाज विरोधी तत्वों और सत्तारूढ़ कुछ राजनीतिक व्यक्तियों के बीच अस्वास्थकर गठ-जोड के कारण लोगों के जीवन और उनकी सुरक्षा को खतरा है।" (102)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि काले धन का पता लगाने में सरकार असफल रही है।" (103)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से 'बाल बियरिंग' जैसी वस्तुओं के आयात को रोकने में असफलता की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जिसके फलस्वरूप देशी उद्योगों में संकट पैदा हो गया है।" (104)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि सरकार कार्मिक संघ की गतिविधियों में भाग लेने के कारण उत्पीड़ित सभी रेल कर्मचारियों को बहाल करने में असफल रही है।" (105)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हाल ही में मंहगाई भत्ता रोक कर मजदूरी न बढ़ाने की नीति के फलस्वरूप मजदूरों और कर्मचारियों पर बढ़ते हुए आघात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।" (106)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि सरकार ऋण-मुक्ति तथा अन्य सूदखोरी विरोधी अधिनियमों, अस्पृश्यता, निवारण अधिनियम, दहेज, प्रतिषेध अधिनियम और सामाजिक तथा आर्थिक उत्पीड़न के विरुद्ध ऐसी अन्य विधियों को क्रियान्वित करने में बिल्कुल असफल रही है।" (107)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में समृद्ध व्यक्तियों द्वारा सामाजिक और अन्य सार्वजनिक भूमियों का बड़े पैमाने पर अतिलंघन का कोई उल्लेख नहीं है।" (108)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि पाकिस्तान के सैनिक शासकों ने आधुनिकतम अमरीकी हथियार अर्जित कर लिये हैं जिसके फलस्वरूप भारत की सुरक्षा और अखंडता को भारी खतरा पैदा हो गया है।" (109)

श्री गदाधर साहा (वीरभूम): मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अविकसित तथा विकासशील देशों को हथियारों की सप्लाई के प्रश्न पर संयुक्त राज्य अमेरिका की साम्राज्यवादी भूमिका का कोई उल्लेख नहीं है।" (111)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विभिन्न देशों में लोकतंत्रात्मक आन्दोलनों को कुचलने में साम्राज्यवादी संयुक्त राज्य अमेरिका के हाथ होने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (112)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संयुक्त राज्य अमेरिका की रक्षा व्यय में भारी वृद्धि, जिसके परिणामस्वरूप विश्व शांति को खतरा उत्पन्न हो गया है, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (113)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अंगोला, इथोपिया, मोजाम्बिक और यमन जनवादी गणराज्य के संघर्षशील लोगों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (114)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है अभिभाषण में तनाव की कमी और शस्त्र-संधि के स्थान पर युद्ध के खतरे जो वर्तमान संकट से उत्पन्न स्थिति की नई विशेषता है, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (115)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में युद्ध भड़काने वालों के विरुद्ध यूरोप के अनेक नगरों में हुई विशाल युद्ध विरोधी रैली के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (116)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अमरीकी साम्राज्यवादियों द्वारा पालन की जा रही नीति के कारण परमाणु युद्ध के खतरे जिससे, मानवता जोखिम में पड़ गई है, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (117)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है अभिभाषण में आणविक विध्वंस से विश्व को बचाने के लिए परमाणु युद्ध के खतरे का सामना करने तथा लोगों के समक्ष साम्राज्यवादी योजनाओं का पर्दाफाश करने

हेतु मजदूरों तथा प्रगतिशील वर्गों के तात्कालिक कार्य संबन्धी आह्वान के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है।" (118)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में विभिन्न एजेंसियों का प्रयोग करके विश्वव्यापी प्रभुत्व स्थापित करने सम्बन्धी अमरीकी साम्राज्यवादी योजनाओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (119)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इराक के परमाणु रिएक्टर को बरबाद करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इजराइल को दिये गये प्रत्यक्ष निर्देश तथा उत्तेजना का कोई उल्लेख नहीं है।" (120)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में तीसरे विश्व के देशों द्वारा पालन की जा रही पूंजीवादी संकट तथा पूंजीवादी रास्ते की पृष्ठभूमि तथा साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा इन देशों का शोषण, जिसके परिणामस्वरूप उनके बीच अन्तर्विरोधों में वृद्धि हो रही है, का कोई उल्लेख नहीं है।" (121)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में साम्राज्यवादी विरोधी ताकतों जो एल साल्वाडोर, निकारगुवा, जिम्बाबवे, नामिबीया और दक्षिणी अफ्रीका में सक्रिय रूप से साम्राज्यवादियों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (122)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि मुद्रास्फीति अबोध गति से लगभग एक दशक से लगातार बढ़ रही है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थायी विशेषता हो गई है।" (123)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में तेल एकाधिकारवादियों द्वारा, तेल के मूल्यों में की गई वृद्धि का लाभ उठाकर, अधिक मूल्य लिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (124)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एजेंसियों, जो भारतीय सरकार पर कराधान स्तर को बढ़ाने, उर्वरकों तथा तेलों के मूल्यों में वृद्धि करने

और लोगों की उपभोग स्तर को कम करने के लिये दबाव डालकर मुद्रा स्फीति बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं, की भूमिका के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (125)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में निर्यात-आय में वृद्धि तथा अनिवार्य निर्यात और पश्चिमी देशों पर निर्भरता जिससे देश की अभूतपूर्व लूट हो रही हैं, के बावजूद ऋण सेवाओं के बोझ के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (126)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भारतीय अर्थ-व्यवस्था में हस्तक्षेप, जो अधिक सुस्पष्ट होता जा रहा है और यह कि विश्व बैंक खाद्य परिदानों को समाप्त करने की मांग कर रहा है और लोगों पर उपभोग स्तर कम करने के लिए दबाव डाल रहा है, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (127)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि विश्व बैंक भारत पर इस बात के लिए दबाव डाल रहा है कि वह अपनी योजनाओं के जिए धन की व्यवस्था हेतु व्यापारिक ऋण ले, आयात प्रतिस्थापन नीति को छोड़ दे और सक्रिय निर्यात संवर्धन नीति का पालन करे (एक ऐसी नीति जिसके अन्तर्गत माल को आन्तरिक बाजार से बाहरी बाजार में भेजा जाता है) के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (128)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्यों की संवैधानिक शक्तियों पर प्रहारों में हो रही वृद्धि और केन्द्र के हाथों में शक्तियों के केन्द्रीकरण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (147)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में न्यायपालिका पर प्रहार के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (148)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हरिजनों और अनुसूचित जनजातियों के वास्तविक उत्थान के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (149)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के आदिवासी क्षेत्रों में अलगाववादी प्रचार किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (150)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि आदिवासियों की प्राननीय अस्तित्व से वंचित रखा गया है, उन्हें बंधुआ मजदूरों के रूप में बेचा जा रहा है, उनकी नवयुवतियां वैश्या बाजारों में बेची जा रही हैं, और उन्हें देश के शेष समाज से और सामान्य जनतांत्रिक संघर्ष से अलग किया जा रहा है साथ ही साथ इस देश से अलग होने का सन्देश प्रसारित करने के लिए कतिपय विदेशी ईसाई मिशनों के लिए आदिवासी क्षेत्र आदर्श स्थल साबित हो रहे हैं।" (151)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में ईसाई मिशनों के कुकृत्यों, जिसके परिणामस्वरूप उस क्षेत्र में पृथकतावादी भावना फैल रही है, का कोई उल्लेख नहीं है।" (152)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विदेशी ईसाई मिशनों की चालों का पर्दाफाश करने तथा उनका मुकाबला करने में सरकार की विफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (153)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में इस्लामी धर्मान्धता, जो साम्राज्यवाद और अन्तर्राष्ट्रीय मुस्लिम प्रतिक्रिया के हितों की पूर्ति करती है, के विरुद्ध उठाए गये कदमों का कोई उल्लेख नहीं है।" (154)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस्लामी धर्मान्धतावादियों की अपील, जिसका उद्देश्य मुसलमानों में राष्ट्रीय एकता को कम करने हेतु पृथकतावादी राष्ट्रीयता की कोई भावना फैलाना है, के विरुद्ध सरकार द्वारा उठाए गये कदमों में विफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (155)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि सरकार अलगाववादियों तथा भारतीय एकता के विरोधियों का मुकाबला करने से डरती है क्योंकि वह कतिपय तेल उत्पादक देशों के प्रतिक्रियावादी शासकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहती।" (156)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अल्पसंख्यकों की समस्याओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (157)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारतीय वायुयान को अपहृत कर पाकिस्तान ले जाने में विदेशी हाथ होने का कोई उल्लेख नहीं है।" (158)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में खालिस्तान का नारा उठाने में विदेशी हाथ होने के बारे कोई उल्लेख नहीं है।" (159)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि भारतीय नारी दकियानूसी अर्ध-सामंती दृष्टिकोण की शिकार हैं और इसके बावजूद कि संविधान में लिंगों की समानता का उपबन्ध है उन्हें समान वेतन समेत समान व्यवहार से वंचित रखा जा रहा है।" (160)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में औरतों के साथ बलात्कार और छेड़खानी की बढ़ती हुई घटनाओं का कोई उल्लेख नहीं है।" (161)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देहातों में हरिजनों, आदिवासियों पर घातक हमलों और ऐसे अत्याचारों को रोकने में प्रशासन की असफलता का कोई उल्लेख नहीं हैं।" (162)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विदेशी बैंकों, एकाधिकार-घरानों तथा बहुराष्ट्रिकों की शाखाओं का राष्ट्रीयकरण करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (163)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि खाद्यान्न, खाद्य तेल, कपड़ा, चीनी आदि जैसी समस्त अत्यावश्यक वस्तुएं राज सहायता प्राप्त मूल्य पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खोली गई दुकानों के जरिये बेची जायेंगी और यह काम लोकप्रिय समितियों के नियंत्रण और देखरेख में होगा जो यह सुनिश्चित करेंगी कि इन वस्तुओं की पर्याप्त और अनवरत सप्लाई बनी रहे।" (164)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हमारे देश की वास्तविक संघीय विशिष्टता के महत्व का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (165)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कामिकों के निर्वाह मजदूरी देने वाली किसी मजदूरी नीति का उल्लेख नहीं किया गया है।" (166)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उन कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है जिनकी वजह से कृषि उत्पादों के मूल्यों में गिरावट आती है और जिसकी वजह से कृषक लोग बर्बाद होते हैं।" (167)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण बार-बार आने वाली बाढ़ों से होने वाली बर्बादी को रोकने के मार्गोपायों पर सरकार द्वारा विचार न किये जाने के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (168)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्यों की शक्तियों का विस्तार करने तथा उनकी स्थापना की गारन्टी देने सम्बन्धी नये संवैधानिक उपबन्धों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (169)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संविधान के अनुच्छेद 356-360 को समाप्त करने के बारे में एक विधेयक लाने के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (170)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में काम के अधिकार का संविधान में मूलभूत अधिकार के रूप में सम्मिलित करने के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (171)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बेदखली-विरोधी उपायों, किसानों के उत्पादकों के लिए गारन्टी कुछ उचित मूल्यों; आम किसानों को कम ब्याज दरों पर ऋण तथा राजसहायता

प्राप्त दरों पर खेती में काम आने वाला सामान देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (172)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विदेशी प्रभाव से मुक्त राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सुनियोजित तथा स्वतंत्र विकास के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है " (173)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक क्षेत्र की बढ़ी हुई भूमिका का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (174)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आम लोगों के लिए आवश्यकता पर आधारित आय जैसी न्यूनतम शर्तों पर आधारित उचित तथा समन्यायपूर्ण आय तथा मजदूरी नीति और बड़े-बड़े पूंजीपतियों तथा मकान मालिकों और आम जनता की आय के बीच भारी असमानता को कम करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (175)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मुद्रास्फीति, घाटे की अर्थव्यवस्था, भारी करों, अधिक मूल्यों को कम करने के लिये तथा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कमी करने तथा उनका सुचारु-रूप से वितरण करने तथा आवश्यक वस्तुओं के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (176)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है अभिभाषण में वृद्ध कृषि मजदूरों के लिये पेंशन के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (177)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि मजदूरों, गरीब किसानों, आम जनता के लिये निःशुल्क आवास स्थल के आवंटन तथा आसान शर्तों पर ऋण तथा उपभोक्ता ऋण देने का कोई उल्लेख नहीं है।" (178)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषक जनता के लिये शिक्षा की पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (179)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण बेरोजगारों को पूर्णकालिक रोजगार देने तथा बेरोजगारी राहत देने सम्बन्धी किसी व्यापक योजना का उल्लेख नहीं किया गया है।" (180)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मजदूर वर्ग के लिये आवश्यकता के आधार पर न्यूनतम मजदूरी के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (181)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मजदूरी सीमित कर देने, तालाबन्दी, जबरी छुट्टी और कामबन्दी के विरुद्ध उपायों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (182)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी बन्द मिलों तथा कम्पनियों का अधिग्रहण करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (183)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को पूर्ण कार्मिक संघ अधिकार और पूर्ण लोकतांत्रिक अधिकार देने तथा पुलिस जांच पद्धति को समाप्त करने के लिये कार्यवाही का कोई उल्लेख नहीं है।" (184)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कर्मचारियों-विरोधी सभी विधानों के विरुद्ध उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (185)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाय, अर्थात् :

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगारी बढ़ाने वाली स्वचालित मशीनों और अन्य उपायों को लागू करने के विरुद्ध उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (186)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी राज्यों में माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा तुरन्त आरम्भ करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (187)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"परन्तु खेद है अभिभाषण में सभी जरूरतमंद छात्रों के लिये छात्रावास सुविधाओं तथा पूर्ण छात्रवृत्तियों का उपलब्ध करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (188)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (189)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में व्यापक सुधारों के लिये शैक्षणिक निकायों में छात्रों को प्रतिनिधित्व का अधिकार देने का कोई उल्लेख नहीं है।" (190)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में शिक्षा को लोकतांत्रिक, धर्म निरपेक्ष तथा वैज्ञानिक बनाने के लिये क्रांतिकारी परिवर्तन करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (191)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के विरुद्ध किये जा रहे अत्याचारों में शामिल होने वाले लोगों के विरुद्ध कठोर कदम उठाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (192)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में जमीदारों और ठेकेदारों द्वरा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर किये जा रहे आर्थिक और सामाजिक अत्याचारों को समाप्त करने और उन लोगों द्वारा हथीयाई गई उनकी जमीनों को वापस दिलाने के लिये उठाये गये तत्कालिक कदमों का कोई उल्लेख नहीं है।" (193)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिये रोजगार आरक्षण और आर्थिक प्रगति के मामलों में विशेष सुविधायें देने का उल्लेख नहीं है।" (194)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के बारे में सरकारी सेवाओं तथा शैक्षिक संस्थानों में उनके प्रति भेदभाव तथा उर्दू के प्रति भेदभाव के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (195)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण महिलाओं के लिए समान मजदूरी, समान दर्जा और समान अवसर के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (196)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उन क्षेत्रों को, जिनमें आदिवासियों की बहुसंख्या है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के और ऐसे आदिवासी क्षेत्रों को क्षेत्रीय स्वायत्तता प्रदान करने के लिए सांविधानिक व्यवस्था करने ताकि सम्बद्ध राज्य के भीतर क्षेत्रीय सरकार हो जो आदिवासियों के आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और भाषायी विकास की तरफ ध्यान दे तथा आदिवासियों का पिछड़ापन दूर करने के लिए उन्हें पूर्ण आर्थिक सहायता देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (197)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नेपाली, मैथिली, मणिपुरी, डोगरी भाषाओं को संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (198)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नामिबिया और अफ्रीका के अन्य लोगों द्वारा साम्राज्यवाद, रंगभेदनीति और जातीय भेदभाव के विरुद्ध किये जा रहे स्वतंत्र्य संघर्ष को पूर्ण समर्थन देने का कोई उल्लेख नहीं है।" (199)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत के लोगों को 18 वर्ष की आयु होने पर मताधिकार का मूल अधिकार देने का कोई उल्लेख नहीं है।" (200)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में छोटे हथियार रखने के अधिकार को नागरिकों का मूलभूत अधिकार बनाने का उल्लेख नहीं है।" (201)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उन सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों का समान प्रतिनिधित्व देने, जिनकी जनसंख्या 30 लाख से अधिक है प्रत्येक को 26, और जिनकी जनसंख्या इससे कम है उन्हें प्रत्येक को 4, के लिए सांविधानिक संशोधन का कोई उल्लेख नहीं है।" (202)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारतीय नाविकों को पूरे वर्ष रोजगार देने की गारण्टी और दिहाड़ी पर रखने की पद्धति को समाप्त करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (203)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में काला बाजारियों, जमाखोरों, तस्करों और सट्टेबाजों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने में सरकार की विफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (204)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जीवन निर्वाह सूचकांक को ठीक करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (205)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में रेल कर्मचारियों के भार और काम के घंटों को कम करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (206)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पिछले 7 सालों से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन को सरकार द्वारा पुनरीक्षित न करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है जिसके फलस्वरूप गत 8 वर्षों के दौरान कर्मचारियों के वास्तविक वेतन में 7 से 37 प्रतिशत तक की कमी हुई है।" (207)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 272 प्वाइंटों से बढ़ जाने के बाद वेतन में संशोधन करने सम्बन्धी तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में सरकार की विफलता का कोई उल्लेख नहीं है," (208)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गोपनीय मतदान के द्वारा कार्मिक संघों को मान्यता प्रदान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (209)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में लगातार हुई अनेक रेल दुर्घटनाओं और उनमें हजारों लोगों की हुई मृत्यु के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (210)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि भारत के संविधान के निदेशक सिद्धांतों को पूरी तरह लागू करने में सरकार की विफलता के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (211)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि देश के अधिकांश भागों में चिकित्सा सुविधाओं और प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों की भारी कमी के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (212)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (213)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि देश में ठेका श्रम प्रणाली को समाप्त करने के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (214)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि देश में खेल-कूदों का स्तर ऊंचा करने में सरकार की विफलता के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (215)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में औषधि उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (216)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दिल्ली महानगर परिषद् के काफी अधिक समय से लम्बित चुनाव कराने के लिए एक निश्चित समय सारणी के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (217)

श्री सुनील मैत्र (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 5,200 करोड़ रुपये के ऋण की शर्तों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (129)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करार में भारत सरकार के बजट में कर प्रस्तावों के सम्बन्ध में हस्तक्षेप करने की भी मांग की गई है और वह भुगतान संतुलन की स्थिति पर अपना नियंत्रण चाहता है।" (130)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में औषधि निर्माताओं तथा बहु-राष्ट्रिय फर्मों द्वारा ईक्विटी शेयरों को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में सरकार के अनुदेशों की लगातार अवहेलना किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (131)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में क्रान्तिकारी भूमि सुधार लागू करने तथा कृषकों में भूमि वितरित करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (132)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में खेतीहर मजदूरों के शोषण तथा उनके मजदूरी मानों की रक्षा करने के लिए कोई समुचित विधान न होने का कोई उल्लेख नहीं है।" (133)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों को लाभप्रद मूल्य दिलाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (134)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कारीगरों और मजदूरी करने वाले लोगों के मजदूरी-मानों की रक्षा करने के लिए समुचित विधान बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (135)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गरीबों की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की प्रतिशतता का उल्लेख नहीं है।" (136)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बड़े पैमाने पर भूमि से बेदखली की प्रक्रिया का कोई उल्लेख नहीं है।" (137)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक संख्या में मकानों के गिरने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (138)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों की भारी संख्या का कोई उल्लेख नहीं है। (139)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंग राशि को रोक लेने के सरकार के निर्णय का जो एक प्रकार से मजदूर और आपात स्थिति के दिनों वाली अनिवार्य जमा योजना को पुनः द उल्लेख नहीं है।" (140)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कुछ लोगों के हाथों में बहुत अधिक सं उल्लेख नहीं है।" (141)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया मूल्यों के कारण सभी वर्गों के लोगों, विशेषकर असंगठित उद्योगों मजदूरों और किसानों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत-सोवियत संघ मैत्री और सहय नहीं है, जो साम्राज्यवादी सैनिक दबाव और आक्रमण को समाप्त कर यार है।" (143)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं कि कानून और व्यवस्था की स्थिति आम तौर पर बिगड़ गई है।" (1

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कार्मिक संघों की स्वतंत्रता और संगठ पर किए जा रहे प्रहार का कोई उल्लेख नहीं है।" (145)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पुराने ब्रिटिश अधिनियम के अन्तर्गत आ की जांच किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (146)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में कानून और व्यवस्था की बिगड़त में कोई उल्लेख नहीं है।" (725)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में समाचार पत्रों के प्रति सरकार के सहानुभूतिहीन रवैये के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (726)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि कुछ कट्टरपंथी लोगों की हिन्दू राष्ट्र सम्बन्धी धर्मांधतापूर्ण अपील मुसलमानों को धर्मान्धपंथी बना डालेगी।" (727)

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विशेषवर हिमालय से निकलने वाली कोसी, ब्रह्मपुत्र, कमला, बागमती और अन्य नदियों से, पनबिजली के पूर्ण उपयोग की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (218)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"खेद है कि अभिभाषण में बराह क्षेत्र में कोसी नदी पर प्रस्तावित बहुप्रयोजनीय बांध बनाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे 3 लाख किलोवाट पनबिजली पैदा की जा सकती है, उत्तर बिहार के अधिकांश भागों में बाढ़ को रोका जा सकता है और सूखे की संभावनाओं को समाप्त किया जा सकता है तथा कमी वाले महीनों में कलकत्ता बन्दरगाह में जल की अपेक्षित सप्लाई सुनिश्चित की जा सकती है तथा उत्तर बिहार में नदी, सड़क तथा रेल परिवहन की सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं।" (219)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिमी कोसी, गंडक और राजस्थान नहर परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (220)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मैथिली, संथाली, भोजपुरी, नेपाली और मणिपुरी भाषाओं को संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (221)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सीमेंट आदि जैसी नियंत्रित वस्तुओं के वितरण में उच्च प्राधिकार प्राप्त लोगों द्वारा किये गये भ्रष्टाचार का कोई उल्लेख नहीं है।" (278)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम में उपबन्धित उपायों को निष्ठापूर्वक लागू नहीं किया जाता है और बहुराष्ट्रिकों को उनका उल्लंघन करने दिया जा रहा है।" (279)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि पश्चिम द्वारा विशेषकर अमरीका और यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा अनुसरण की जा रही संरक्षणात्मक, भेदभावपूर्ण तथा अन्य नई उपनिवेशवादी नीतियों के फलस्वरूप विश्व व्यापार के कुल आवर्त में भारत का हिस्सा कई अन्य विकासशील देशों के साथ घटता जा रहा है।" (280)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि सरकार के त्रुटिपूर्ण कार्यकरण के कारण सत्ता धीरे-धीरे उच्च अधिकारियों के हाथों में केन्द्रित होती जा रही है।" (281)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार को यह सलाह नहीं दी गई है कि वह विपक्षी दलों को असहयोग का दोषी बताने और उनके विरुद्ध मनमाना कुप्रचार करने के बजाये विपक्ष को यह बताये कि वह वस्तुतः किन-किन मामलों में उनसे सहयोग की आशा करती है।" (282)

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बम्बई में 200,000 कपड़ा मिल कर्मचारियों की हड़ताल का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (232)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उच्च पदों पर बैठे लोगों में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कोई ठोस सुझाव नहीं दिए गए हैं।" (233)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में रेल दुर्घटनाओं की बढ़ती हुई संख्या को रोकने के लिए किए जाने वाले किन्हीं उपायों का उल्लेख नहीं किया गया है।" (234)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पिछड़ा वर्ग आयोग (मण्डल आयोग) के प्रतिवेदन तथा इसकी सिफारिशों को लागू किए जाने का उल्लेख नहीं किया गया है।" (235)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश, बिहार, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और अन्य स्थानों पर हुई तथाकथित मुठभेड़ों में मारे गए लोगों के प्रति कोई सहानुभूति प्रकट नहीं की गई है।" (236)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या के हल के लिए किसी निश्चित कार्यक्रम का उल्लेख नहीं किया गया है।" (237)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तरी बिहार की आर्थिक समस्याओं के हल के लिए किसी निश्चित कार्यक्रम का उल्लेख नहीं है।" (238)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के ग्रामीणों में ब्याज गरीबी को रोकने के लिए किसी ठोस योजना का उल्लेख नहीं किया गया है।" (239)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दिल्ली में एशियायी खेलों के आयोजन पर बड़ी मात्रा में सार्वजनिक धन को नष्ट किए जाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (240)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए किसी कार्यक्रम का उल्लेख नहीं किया गया है।" (241)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

'किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मजदूरी और बोनस में समानता के सम्बन्ध में रेल कर्मचारियों की लम्बे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (242)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण मे मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (243)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में समूचे देश में विश्वविद्यालयों के गैर-अध्यापक कर्मचारियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (244)

श्री रेणुपद दास (कृष्णनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों में हो रही गिरावट को रोकने में असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (245)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में धनवानों द्वारा उपभोग पर रोक लगाने में असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (246)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अधिष्ठापित क्षमता का बेहतर उपयोग करने में असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (247)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में ऐसी स्थिति पैदा करने में जो देश की राजनैतिक अस्थिरता की गारंटी दे सके, असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (248)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में हिंसा की बढ़ती प्रवृत्ति तथा समाज में व्याप्त स्वच्छंद व्यवहार को रोकने में असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (249)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों की दशा की ओर पर्याप्त ध्यान देने में असफलता और कृषि मजदूरों तथा छोटे किसानों की कठिनाइयों का कोई उल्लेख नहीं है।" (250)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी व्यक्तियों के लिए तेजी से पेयजल व ग्रामीण स्वास्थ्य तथा शिक्षा की व्यवस्था करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (251)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनेक आवश्यक वस्तुओं की प्रति व्यक्ति उपलब्धता, योजना के प्रारम्भिक वर्षों में सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य से बहुत कम होने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (252)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा पास किए गए बड़ी संख्या में विधेयक केन्द्रीय सरकार के पास राष्ट्रपति की सहमति के लिए लम्बी अवधि से लम्बित पड़े होने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (253)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राजधानी में अवैध शराब बेचने वाले कुख्यात व्यक्तियों की गतिविधियों को रोकने में सरकार की असफलता के बारे में उल्लेख नहीं है।" (254)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में खान दुर्घटनाओं, जिनके परिणामस्वरूप सैकड़ों खान मजदूरों की मृत्यु हो गई है, का कोई उल्लेख नहीं है।" (255)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में फालतू जमीन को प्राप्त करने और उसे भूमिहीन मजदूरों में बांटने में सरकार की राज्य सरकारों को निर्देश देने में असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (256)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में रेल दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (257)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कामगार लोगों के लिए न्यूनतम मजदूरी लागू करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (258)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अमरीका की भारी सैन्यीकरण की नीति से विश्व शांति और सुरक्षा को होने वाले खतरे का कोई उल्लेख नहीं है।" (259)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बहुराष्ट्रकों द्वारा अर्द्ध विकसित देशों पर अपनी मनमानी करने के बढ़ते हुए उस दबाव का कोई उल्लेख नहीं है जिससे वे चाहते हैं कि जो प्राचीन उपनिवेशवाद ने खोया था उससे नव उपनिवेशवाद द्वारा प्राप्त किया जा सके।" (260)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में समाजवादी देशों द्वारा उचित सहायता दिए जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (261)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि गैर-जरूरी प्रतिष्ठानों में पूंजी लगाने के लिए तेल-उत्पादक देशों से भारी मात्रा में पेट्रो-डालर आ रहे हैं।" (262)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हिन्द महासागर में दिएगो गार्शिया में अमरीकी नौसैनिक अड्डे का कोई उल्लेख नहीं है जबकि यह तटवर्ती राज्यों की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है।" (263)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में तेजी से बिगड़ती हुई अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति, साम्राज्यवादियों द्वारा हथियार जमा करने की नीति से युद्ध के खतरे, यूरोप में नई तथा शक्तिशाली मिसाइलें लगाने और परमाणु शक्ति से लैस दिएगो गार्शिया जैसे वर्तमान अड्डों के विस्तार तथा नए अड्डे स्थापित करने से खाड़ी के क्षेत्रों तथा हिन्द महासागर में बनाई गई तनावपूर्ण स्थिति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (264)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अमरीका द्वारा दिएगो गार्शिया अड्डे को परमाणु हथियारों के अड्डे में बदले जाने तथा उसके परिणामस्वरूप तटवर्ती देशों की शांति स्थिरता को खतरा उत्पन्न होने का कोई उल्लेख नहीं है।" (265)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अमरीका द्वारा पाकिस्तान को घातक हथियार देने से भारत की सुरक्षा को उत्पन्न खतरे के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (266)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अमरीका द्वारा पोलेण्ड की आन्तरिक समस्याओं के हस्तक्षेप करने का उल्लेख नहीं है।" (267)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अमरीका तथा पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान से शत्रुता बनाए रखने तथा उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (268)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अमरीका द्वारा युद्ध का वातावरण तैयार करने तथा इससे विश्व शांति तथा सुरक्षा को खतरा होने का कोई उल्लेख नहीं है।" (269)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में श्रीलंका में रहने वाले भारतीयों की दयनीय स्थिति का कोई उल्लेख नहीं है।" (270)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इसरायल द्वारा गोलान हाइट्स पर अवैध अधिकार करने तथा इसे अमरीकी समर्थन दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (271)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अमरीका द्वारा एक पृथकतावादी सिख नेता को बिना पासपोर्ट अपने देश में आने की अनुमति दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (272)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हमारे देश में सभी विदेशी परिसम्पत्तियों का राष्ट्रीयकरण करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (273)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हमारे देश के एकाधिकारी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने में सरकार की विफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (274)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण जनता की गरीबी बढ़ते जाने तथा उनके द्वारा सामूहिक रूप में रोष प्रकट करने के लिए संघर्ष का रास्ता अपनाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (275)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत ने आवश्यकता पर आधारित वेतन-नीति का उल्लेख नहीं है।" (276)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूमि सुधारों का कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि किसानों तथा कृषि मजदूरों के हित में व्यापक भूमि सुधारों के बिना अर्थव्यवस्था को इसकी वर्तमान प्रगतिहीन स्थिति से नहीं बचाया जा सकता।" (277)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है अभिभाषण में न्यायपालिका को कार्यपालिका के अधिनायकवादी प्रवृत्ति के अनुसार चलाने के लिए कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका पर बोले गये हमले के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है और इस प्रकार न्यायपालिका की स्वतन्त्रता तथा निष्पक्षता को कम किया गया है।" (283)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, इन दो सरकारों के लोगों की हितों सम्बन्धी कार्यवाहियों का तथा उस षड़यंत्र का कोई जिक्र नहीं है जो निहित स्वार्थों द्वारा अलोकतांत्रिक तरीके अपनाकर इन सरकारों को उखाड़ने के लिए कर रहे हैं।' (284)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों की शक्तियों पर किये गये कुठाराघात का कोई उल्लेख नहीं है।" (285)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है अभिभाषण में गैर-कांग्रेस (ई) राज्यों को धन के नियतन के सम्बन्ध में केन्द्र के भेदभावपूर्ण रवैये का कोई उल्लेख नहीं है।" (286)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत राजनीतिक दलों के मजदूर संघों के कार्यकर्ताओं को नजर बन्द करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (287)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में लोकप्रिय तथा लोकतांत्रिक आन्दोलनों को कुचलने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के दुरुपयोग का कोई उल्लेख नहीं किया है।" (288)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में निर्दोष नागरिकों पर उनके टेलीफोन टेप कर तथा उनके पत्र आदि सैंसर कर सी० बी० आई/आई० बी० द्वारा निगरानी की निन्दा नहीं की गई है।" (289)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्रीय सेवाओं के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा के लोगों के प्रति सरकार के भेदभावपूर्ण रवैये की निन्दा नहीं की गई है।" (290)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्र के सत्तारूढ़ दल द्वारा असम तथा केरल दोनों ही राज्यों में दल बदल किए जाने को प्रोत्साहन दिए जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (291)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में असम व केरल दोनों जगह अल्पसंख्यक सरकार लादे जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (292)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जनता के विभिन्न वर्गों के लोगों के मत की उपेक्षा कर आवश्यक सेवा-अनुरक्षण अधिनियम नामक श्रमजीवी वर्ग विरोधी काले अधिनियम को पास किये जाने के बारे में उल्लेख नहीं है।" (293)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में 19 जनवरी को राष्ट्रव्यापी औद्योगिक हड़ताल के अवसर पर आकाशवाणी जैसे सरकारी माध्यम के भीषण दुरुपयोग के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (294)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संसद के अधिकारों की उपेक्षा करने हेतु ऐसे समय जबकि बजट सत्र शुरू होने वाला था, डाक दरों में की गई भारी वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं है।" (295)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार द्वारा सभी तरह की भली सलाहों की उपेक्षा करते हुए, इन्टरनेशनल मानेटरी फंड का ऋण स्वीकार कर कर्ज के जाल में जानबूझकर फंसने का कोई उल्लेख नहीं है।" (296)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की बढ़ती हुई ऋण ग्रस्तता का कोई उल्लेख नहीं है।" (297)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में 19 जनवरी, 1982 को श्रमजीवी वर्ग द्वारा आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम तथा इसी तरह के अन्य काले अधिनियमों के अधिनियमन के विरुद्ध एक साथ उठाई गई आवाज का कोई उल्लेख नहीं है।" (298)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार द्वारा 16 सेवाओं/उद्योगों को आवश्यक घोषित किए जाने के लोकतन्त्र विरोधी कदम का कोई उल्लेख नहीं है।" (299)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विकास का फल अधिकांश लोगों की पहुंच के बाहर होने का कोई उल्लेख नहीं है।" (300)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हमारे देश में व्याप्त भारी निरक्षरता तथा देश से इस भारी निरक्षरता को दूर करने की सरकार द्वारा कोई नीति न बनाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (301)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की शैक्षिक संस्थाओं के अलोकतांत्रिक प्रबंध तथा शैक्षिक संस्थाओं के अलोकतांत्रिक निजी प्रबंध को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित उपायों का उल्लेख नहीं है।" (302)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विश्वविद्यालय अधिनियमों को लोकतांत्रिक बनाने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं । है ।" (303)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा शिक्षा के क्षेत्र में सभी अलगाववादी, साम्प्रदायिक तथा अलोकतांत्रिक विचारों को दूर करने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है ।" (304)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संविधान की आठवीं अनुसूची में नैपाली, मैथली, मणिपुरी तथा डोगरी भाषाओं को सम्मिलित करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है ।" (305)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध अल्प ग्रामीण स्वास्थ्य तथा शिक्षा सुविधाओं का उल्लेख नहीं है ।" (306)

प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में एकाधिकारी तथा विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर रोक लगाने में सरकार की विफलता का उल्लेख नहीं है ।" (351)

प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि सरकार एकाधिकारी तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को और रियातें दे रही है ।" (352)

प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में श्रमजीवी वर्ग, किसान और आम व्यक्ति पर बढ़ते हुए हमले के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (353)

प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि सरकार लोगों को दबाने के लिए दमनकारी शक्तियों को लगातार लेती जा रही है ।" (354)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार की आय तथा मजूरी नीति के बारे में छलपूर्ण योजना प्रस्ताव के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (355)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में गिरती हुई आर्थिक स्थिति के बारे में जहां मुद्रास्थिति की दर प्रतिदिन बढ़ रही है और लोगों के काम आने वाली आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है तथा इस सम्बन्ध में सरकार विफल रही है, कोई उल्लेख नहीं है।" (356)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बढ़े हुए करों द्वारा लोगों के जीवन स्तर पर सब ओर से हमले तथा श्रमिकों, कर्मचारियों आदि की मजूरी पर किए जा रहे हमले के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (357)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में ठेका मजदूर प्रथा को समाप्त करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (358)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में श्रमजीवी महिलाओं के लिए समान वेतन तथा सुविधाएं सुनिश्चित करने के बारे में सरकार की विफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (359)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मूल्यों में होने वाली भारी वृद्धि और लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर किए जा रहे मूल्य वृद्धि रोक के प्रयासों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (360)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रति व्यक्ति आय के लक्ष्य प्राप्त करने और देश में अधिकांश जनसंख्या को अनेक आवश्यक वस्तुओं की प्रति व्यक्ति उपलब्धता सुनिश्चित करने में सरकार की विफलता को कोई उल्लेख नहीं है।" (361)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में योजना के प्रारम्भिक वर्षों में लोगों को जो आशाएं हुई हैं उन्हें पूरा करने में सरकार की विफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (362)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में समृद्ध व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भारी उपभोग और अधिकांश आम लोगों द्वारा सादा और सरल जीवन न बिताये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (363)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ रही बेरोजगारी के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (364)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने वाले राज्यों को धन का विशेष आवंटन किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (365)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में अर्द्ध बेरोजगारी की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के बारे में कोई उल्लेख नहीं हैं।" (366)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की विकट समस्या का कोई उल्लेख नहीं है।" (367)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पंजीकृत बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने में सरकार की असमर्थता का कोई उल्लेख नहीं है।" (368)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कार्य करने के अधिकार को मूल अधिकार बनाने के लिए संविधान में संशोधन करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (369)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों की वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं है।" (370)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में हरिजनों, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों पर बढ़ते हुए अत्याचारों का कोई उल्लेख नहीं है।" (371)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले गैर-आदिवासियों द्वारा आदिवासियों पर किये जा रहे अत्याचारों का कोई उल्लेख नहीं है।" (372)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दहेज प्रथा और दहेज के कारण होने वाली मौतों के बढ़ते हुए खतरे का कोई उल्लेख नहीं है।" (373)

कि प्रस्ताव के अन्त में वह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पुलिसवालों तथा अन्य कानून के रखवालों द्वारा बलात्कार करने की बढ़ती हुई संख्या के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (374)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश और बिहार के सवर्ण हिन्दुओं द्वारा हरिजनों के सुव्यवस्थित ढंग से किये जाने वाले नरसंहार का कोई उल्लेख नहीं है।" (375)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बलात्कार की बढ़ती हुई घटनाओं और उनके बारे में पुलिस की उदासीनता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (376)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दहेज के कारण होने वाली मौतों में वृद्धि और पुलिस द्वारा इन मामलों में कार्यवाही करने से इन्कार करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (377)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बलात्कार, दहेज के कारण होने वाली मौतों, हरिजनों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों पर होने वाले अत्याचारों, श्रमिक कानूनों, जमाखोरों तथा मुनाफाखोरों के लिए बनाये गये कानूनों की खामियां दूर करने में सरकार की असमर्थता का कोई उल्लेख नहीं है।" (378)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अकुशल प्रबंध, नौकरशाही प्रवृत्ति और भ्रष्टाचार के कारण ठप्प हो गये उद्योग तथा प्रशासन में व्याप्त भीषण भ्रष्टाचार का कोई उल्लेख नहीं है।" (379)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार द्वारा जारी किये गये उन अनेक अध्यादेशों तथा अधिसूचनाओं का कोई उल्लेख नही है जिनसे कामकाजी लोगों के अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है तथा संसदीय लोकतन्त्र के मानदण्डों को खतरा उत्पन्न हुआ है।" (689)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भागलपुर तथा कुछ अन्य जगहों पर विचाराधीन कैदियों की आंखें फोड़ने जैसे भयानक अत्याचारों तथा इसी प्रकार के अपराध रोकने तथा अपराधियों को सजा देने में सरकार की विफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (690)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के सीमेन्ट घोटालों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (691)

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उर्दू सम्बन्धी गुजराल समिति की सिफारिशों और विभिन्न राज्यों में अतिरिक्त राज भाषा का दर्जा सहित उर्दू को उचित और न्यायोलित दर्जा दिये जाने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (317)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद हैं कि अभिभाषण में मुस्लिम अल्पसंख्यकोंद्वारा आर्थिक तथा शैक्षणिक न्याय प्राप्त करने और सरकार तथा अन्य सेवाओं में उचित रूप से भाग लेने के लिये किसी भी प्रस्ताव तथा समयबद्ध कार्यक्रम का उल्लेख नहीं है।" (318)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में डा० गोपाल सिंह की अध्यक्षता में गठित मुस्लिमों, अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों और उक्त सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए की गई कार्यवाहियों का कोई उल्लेख नहीं है।" (319)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि अल्पसंख्यक आयोग को शीघ्र ही पर्याप्त सांविधिक शक्तियां प्रदान की जायेंगी।" (320

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के विरुद्ध, विशेरूप से देश के अनेक भागों में कतिपय घृणित सांप्रदायिक संगठनों द्वारा जहरीले सांप्रदायिक प्रचार में तीव्र वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप महाराष्ट्र में पुणे, बारामती और शोलापुर में मुस्लिम विरोधी हिंसा हुई है और अभिभाषण में इस बात का भी उल्लेख नहीं किया गया है कि सरकार का कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाये रखने, हिंसा के शिकार व्यक्तियों का पुनर्वास करने और उन्हें मुआवजा देने, सांप्रदायिक प्रचार के विरुद्ध उदासीनता बरतने और कर्त्तव्य की अवहेलना करने के लिए जिम्मेदार नागरिक तथा पुलिस अधिकारियों को दंडित करने और सांप्रदायिक एकता तथा सद्भाव को बढ़ावा देने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है।" (321)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जमशेदपुर (बिहार) में सांप्रदायिक हिंसा संबंधी जांच आयोग के प्रतिवेदन और उसकी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये की गई कार्यवाही का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (322)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ऐसा कोइ आश्वासन नहीं दिया गया है कि सरकार किसी भी सामान्य सिविल संहिता के लागू किये जाने और व्यक्तिगत कानून में हस्तक्षेप किये जाने के विरुद्ध, विशेषरूप से मुस्लिमों के तीव्र विरोध को ध्यान में रखते हुए, संविधान से अनुच्छेद 44 को हटाने के लिये आवश्यक विधेयक पुर:स्थापित करेगी।" (323)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई अश्वासन नहीं दिया गया है कि सरकार इसराइल को पूर्णरूप से पृथक करने के लिए आह्वान करने वाले राष्ट्र संघ महासभा के संकल्प को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए।

(क) बम्बई स्थित इसराइल के वाणिज्य दूतावास को बन्द करने का आदेश देगी;

(ख) इसराइल के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक संबन्धों पर रोक लगायेगी;

(ग) इसराइल के लिये यात्रा पर रोक लगाने हेतु सभी पासपोर्टों पर पृष्ठांकन करेगी;

(घ) इसराइल द्वारा प्रदान की गई सभी डिग्रियों तथा व्यावसायिक अर्हताओं को दी गई मान्यता समाप्त करेगी ;

(ङ) यह सुनिश्चित करेगी कि भारत में आयोजित किये जाने वाले एशियाई खेलों में भाग लेने के लिये इसराइल को आमंत्रित नहीं किया जाता है; और

(च) इसराइल के विरुद्ध सभी प्रकार के प्रतिबन्ध लगायेगी।" (324)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बेरोजगारों को समाप्त करने और शिक्षित बेरोजगारों की बेरोजगारी भत्ता देने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (325)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केरल में कालीकट (करीप्पूर) हवाई अड्डे के निर्माण कार्य को शीघ्र प्रारम्भ करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (326)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पर्यटन के विकास की आवश्यकता का पर्याप्त रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।" (327)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि वर्तमान चुनाव प्रणाली को आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा बदले जाने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (328)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गम्भीर बिजली संकट को समाप्त करने के लिये किसी विशेष प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है।" (329)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रभावी और व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली प्राप्त करने की दिशा में किन्हीं ठोस उपायों का उल्लेख नहीं है।" (330)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विभिन्न राज्यों में विभाजनकारी शक्तियों के अत्यधिक प्रबल होने, जैसा कि आसाम में निरंतर रूप से चल रहे आंदोलनों तथा पंजाब के खालिस्तान आंदोलन से प्रकट है, पर पर्याप्त रूप से चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है।" (331)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में रेल यात्रा में बढ़ रहे खतरों, न केवल रेलगाड़ियों के पटरियों से उतरने और अन्य दुर्घटनाओं बल्कि डकैती तथा हत्याओं की घटनाओं का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (332)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हरिजनों, अल्पसंख्यकों और अन्य कमजोर वर्गों पर अपराधों, अत्याचारों में हो रही तीव्र वृद्धि और रक्त पिपासु डकैतों तथा समाज विरोधी तत्वों द्वारा लूट-पाट करने और सामूहिक हत्याकांड के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त नहीं की गई है।" (333)

श्री मुकुन्द मण्डल (मथुरापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्यों को और अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित करने पर बल नहीं दिया गया है जिससे कि सब राज्यों का सक्रिय या नैतिक समर्थन प्राप्त है।" (334)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (335)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हमारी कृषि अर्थव्यवस्था में कृषक कर्मकारों की महान् भूमिका और कृषि कर्मकारों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा नीति अपनाये जाने में विफलता का उल्लेख नहीं किया गया है।" (336)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता देने का कोई उल्लेख नहीं है क्योंकि वे देश के अधिकांश भागों में एक वर्ष में लगभग 9 महीने बेरोजगार रहते है।" (337)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नयी शिक्षा पद्धति अपनाने, जिससे देश में व्याप्त जाति पद्धति का उन्मूलन किया जा सके, का कोई उल्लेख नहीं है।" (338)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हरिजनों, आदिम जाति के लोगों और अन्य पिछड़े वर्गों पर अत्याचारों को रोकने के लिए कोई साहसिक कदम उठाने या नीति अपनाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (339)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश भर में सघन खेती आरम्भ करने का कोई संकेत नहीं है।" (340)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी भारतीय भाषाओं को समानता का दर्जा दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (341)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण जनता के लिए चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (342)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण जनता को परिवहन और संचार सुविधायें देने का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है।" (343)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सबके लिए निःशुल्क शिक्षा के उपबन्ध के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (344)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार द्वारा वृद्ध तथा विकलांग नागरिकों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने का कोई उल्लेख नहीं है।" (345)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि सरकार औषध उद्योग का अधिग्रहण करेगी।" (346)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्र के समुद्री संसाधनों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (347)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में तानाशाही शक्तियों के खतरे का कोई उल्लेख नहीं है।" (348)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का कोई उल्लेख नहीं है।" (349)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात कोई उल्लेख नहीं है कि कृषि वस्तुओं विशेषतया कपास, गन्ना, तम्बाकू, पटसन तथा आलू के मूल्यों में गिरावट आई है जिससे किसानों पर कुप्रभाव पड़ा है।" (350)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ठेका श्रमिक प्रणाली को समाप्त करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (420)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उर्वरकों और कृषि वस्तुओं के अन्य आदानों के अधिक मूल्यों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (421)

कि स्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बाढ़ नियंत्रण के लिए किसी व्यापक राष्ट्रीय योजना का उल्लेख नहीं है।" (422)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किन्हीं भी क्रान्तिकारी भूमि सुधार उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (423)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में खेतिहर मजदूरों की हालत (सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण सहित) की जांच किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (424)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पटसन, चाय और औषध उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (425)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संविधान की आठवीं अनुसूची में नेपाली भाषा के शामिल किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (426)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक सेवा अधिनियम के विरुद्ध, जिसे सम्पूर्ण श्रमिक वर्ग मजदूर वर्ग-विरोधी कानून मानता है, श्रमजीवी वर्ग के तीव्र विरोध के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (427)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चुनाव सुधार के एक उपाय के रूप में आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिए जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (428)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में तीव्र गति से बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए किसी भी ठोस उपाय का कोई उल्लेख नहीं है।" (429)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (430)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया गया है कि भूमि सुधारों को क्रियान्वित करने में सरकार की असफलता के कारण हरिजनों, आदिवासियों और अन्य अनुसूचित जातियों पर अधिकाधिक अत्याचार निरंतर हो रहे हैं।" (431)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जा , अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में निम्न आय वर्ग को आवास सुविधाएं उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण और अविलम्ब आवश्यकता के बारे में पर्याप्त बल नहीं दिया गया है।" (432)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण आवास स्थल योजना के अन्तर्गत राष्ट्रव्यापी आवास योजना बनाये जाने का कोई संकेत नहीं दिया गया है।" (433)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रिक निगमों द्वारा घुसपैठ किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (434)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में एक सुस्पष्ट साहसी और दूरदर्शी आर्थिक नीति का कोई संकेत नहीं है।" (435)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक अशांति और बेहतर औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए ठोस उपायों का कतई उल्लेख नहीं है।" (436)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में एकाधिकारी घरानों की आस्तियों में वृद्धि होने तथा धन के और अधिक संकेन्द्रण को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए ठोस उपायों का कोई निश्चित उल्लेख नहीं है।" (437)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को ऋण देने के लिए एक समान नीति बनाने में सरकार की सफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (571)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सीमान्त किसानों और बटाईदारों को दिये गये ऋणों पर ब्याज की दरों को कम करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (572)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस्पात और सीमेंट की कीमतों को कम रखने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (573)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश के हथकरघा बुनकरों को संरक्षण प्रदान करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (574)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विभिन्न राज्यों के बीच सिंचाई प्रयोजनों के लिए नदी जल के उचित वितरण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (575)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उच्च पदों पर भ्रष्टाचार और गरीबी उन्मूलन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (576)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ती हुई साम्प्रदायिक और जातिगत भावनाओं से देश की एकता की खतरों और इन खतरों का समाधान करने के लिए किये गये उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (577)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों को क्रियान्वित करने की विफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (578)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि वस्तुओं और औद्योगिक उत्पादों के मूल्यों के बीच अत्यधिक अन्तर को समाप्त करने की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (579)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हड़ताल सम्बन्धी गतिविधियों का दमन करने के विरुद्ध श्रमजीवी वर्ग में व्याप्त असन्तोष के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (580)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में खेतिहर मजदूरों के लिए केन्द्रीय कानून बनाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (581)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूमिहीन निर्धन व्यक्तियों को आवास स्थल उपलब्ध करने और मकान बनाने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (582)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के बारे में सरकार की सुस्पष्ट और निश्चित नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (583)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पेय जल स्रोतों के व्यापक प्रदूषण के बारे में, जिससे जन-स्वास्थ्य के लिये खतरा है, कोई उल्लेख नहीं है।" (584)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सुन्दर वन को एक पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (585)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में काफी समय से यह तर्क दिये जाने की प्रवृति जारी रहने के बारे में कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवार निम्न श्रेणी की कुछ सेवाओं को छोड़कर विभिन्न सरकारी विभागों और उपक्रमों में नियत कोटे को भरने के लिए न्यूनतम कार्यकुशलता या सक्षमता प्राप्त नहीं कर रहे हैं, कोई उल्लेख नहीं है।" (586)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का सम्बन्ध है, पिछली कमी को भरने के लिए और इसके लिए विशेष अभियान चलाने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों और उपक्रमों को परिपत्र जारी करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (587)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी आरक्षण आदेश का जानबूझकर उल्लंघन करने के बारे में किन्हीं ठोस उपायों का उल्लेख नहीं है।" (588)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में पनप रहे तानशाही रुख के कारण लोकतन्त्र को बढ़ते जा रहे खतरे के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (732)

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में होने वाली तीव्र वृद्धि को नियंत्रित करने के उपायों का उल्लेख नहीं है।" (395)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में रुपये के मूल्य को ध्यान में रखते हुए मुद्रा स्फीति को रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है।" (396)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या को हल करने के उपायों का उल्लेख नहीं है।" (397)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में कानून और व्यवस्था की गंभीर रूप से बिगती हुई स्थिति को रोकने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (398)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हाल के महीने में हरिजनों, गिरिजनों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों आदि की हत्याओं को रोकने के कारगर उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (39)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कच्चे रेशम के बढ़ते हुए मूल्यों को जिससे रेशम की बुनाई, कताई आदि करने वाले परिवारों तथा उपभोक्ताओं को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, रोकने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (400)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में 1982 को वास्तव में उत्पादिकता वर्ष बनाने के लिए उत्पादन वृद्धि का दावा करने पर भी बिजली, सीमेंट, एल० पी० जी० खाना पकाने की गैस, कोयले और कोक की भारी कमी को पूरा करने के लिये प्रभावी उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (401)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उपभोक्ताओं को गेहूं, दालें, खाद्य तेलों, चीनी आदि जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थों को उचित दर पर उपलब्ध कराने और उत्पादकों को लाभप्रद लागत दिखाने के लिये किये जाने वाले उपायों का उल्लेख नहीं है।" (402)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूमि सुधारों को सही अर्थों में सफल बनाने के कोई उपाय नहीं बताये गये हैं।" (403)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में वन सम्पदा में वृद्धि करके तथा वनों के काटने को रोक कर (संरक्षण) अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (404)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है अभिभाषण में सरकार द्वारा चलाये जा रहे सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के सभी कर्मचारियों को एक समान वेतन देने का कोई उल्लेख नहीं है।" (405)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कलकत्ता, बम्बई, बंगलौर आदि जैसे बड़े शहरों में गंदी बस्तियों को हटाने या उनमें सुधार करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (406)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जनसख्या में अत्यधिक वृद्धि को, जो देश की आर्थिक प्रगति में बहुत बड़ी बाधा है, रोकने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (407)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ते हुए कुष्ठ रोग, दिल की बीमारी-कैन्सर आदि रोगों की रोकथाम के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (408)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश से प्रतिभा पलायन को रोकने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (409)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारतीय रेलों की बढ़ती हुई दुर्घटनाओं और रेलों में डकैतियों को रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है।" (410)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में लोगों पर करों के भार (जिससे आर्थिक बुराइयां पैदा हो रही हैं) को कम करने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (411)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बहुत समय से चली आ रही असम समस्या को हल करने के किसी व्यावहारिक उपाय का कोई उल्लेख नहीं है।" (412)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पूर्वोत्तर राज्यों में लोगों के जान माल की रक्षा के प्रभारी उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (413)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनेक विश्वविद्यालयों के छात्रावासों में होने वाली रैगिंग को रोकने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (414)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाय, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में छात्र-अशांति को कम करने और छात्रों एवं अध्यापकों, दोनों ही स्तरों पर, स्कूलों और कालेजों में अनुशासन लाने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (415)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मादक पेयों और अवैध शराब की बुराई को रोकने के लिये मद्य निषेध और अन्य किन्हीं प्रभावी उपायों को लागू करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (416)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में व्याप्त अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार को रोकने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (417)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत को 'महान' और 'खुशहाल' बनाने तथा 'अहिंसा' के मार्ग पर अग्रसर करने के गांधीवादी रास्तों पर चलने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (418)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जातिवाद की सभी बुराइयों को रोकने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (419)

श्री रतनसिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को, और मूल्य वृद्धि को रोकने और लोगों को दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, सुधारने और उसका विस्तार करने में सरकार की विफलता को गंभीरता से नहीं लिया गया है।" (519)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में थोक मूल्य सूचकांक में अस्थायी और मौसमी गिरावट के आधार पर जबकि फुटकर मूल्य निरन्तर बढ़ रहे हैं जो ऐसे किसी अस्थायी गिरावट को नहीं दर्शाते हैं, तथाकथित 'मुद्रा स्फीति की घोषणा' को विज्ञापित करने के सरकारी प्रयास के विरुद्ध कोई चेतावनी नहीं दी गई है।" (520)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में असम और केरल में अल्पमत की सरकार थोपने का जिससे हमारे देश में संसदीय प्रथा के सभी मानदंड और संविधान के उपबन्धों का हनन हुआ है, कोई उल्लेख नहीं है।" (521)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में रेल दुर्घटनाओं, जो कुछ समय से आम हो गई हैं तथा अभी हाल में ऐसी दुर्घटना अगरा के निकट हुई है जिसमें सौ से अधिक व्यक्ति मारे गए, के प्रति गंभीर चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है।" (522)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के विभिन्न भागों में हरिजनों तथा समाज के अन्य शोषित तथा पिछड़े वर्गों के लोगों पर भीषण अत्याचार जारी रहने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, इसके प्रमुख ताजा उदाहरण साधूपुर (उ० प्र०) तथा मध्य प्रदेश के सतारा में घटी घटनाएं हैं।" (523)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में लोक सभा में रिक्त स्थानों को भरने के लिए चुनावों के बार-बार स्थगित करने तथा राज्य विधान मण्डलों के चुनाव बार-बार स्थगित करने से मतदान प्रणाली को समाप्त किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (524)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच 30 वर्ष से चले आ रहे सीमा विवाद का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (525)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दल-बदल की समस्या तथा दल-बदल विरोधी विधेयक लाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (526)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई जैसे महानगरों की सड़कों पर कोढ़ियों की संख्या में वृद्धि की समस्या का कोई उल्लेख नहीं है।" (527)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दहेज की बढ़ती हुई समस्या तथा महिलाओं की दुर्दशा तथा इस समस्या से निपटने के लिए परिवार न्यायालयों की स्थापना के बारे में कोई खास ध्यान नहीं दिया गया है।" (528)

श्री एम० एम० लारेंस (इदुक्की) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अमीर-गरीब के बीच असमानता में वृद्धि होने का कोई उल्लेख नहीं है।" (529)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में एकाधिकारी घरानों तथा बुनियादी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (530)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जमींदारी समाप्त करने तथा खेतिहर मजदूरों और भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (531)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभषण में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और अनिवार्य सेवा अधिनियम को रद्द करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (532)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मुख्य पत्तनों में जहाजी कुली प्रथा को समाप्त करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (533)

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सिक्किम सहित देश भर में व्याप्त भ्रष्टाचार, कुप्रशासन, श्रमजीवी वर्ग के उत्पीड़न और राजनैतिक कार्यकर्ताओं के दमन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (589)

श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार की श्रमजीवी वर्ग विरोधी नीति के बारे में जिसने मजदूर संघों के अधिकारों पर हमले किये हैं और अन्यथा उन्हें कुचलने के प्रयास भी किये हैं, कोई चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है।" (590)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मजदूर संघ आन्दोलन और राजनैतिक विरोधियों अथवा श्रमजीवी लोगों के लोकतांत्रिक संघर्षों को दबाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और आवश्यक सेवा अधिनियम के प्रयोग के विरुद्ध कोई सरुया चेतावनी नहीं दी गई है।" (591)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि तालाबन्दी, कामबंदी और जबरी छुट्टी पर प्रतिबन्ध लगाया जायेगा और कर्मकारों के अधिकारों को ऐसे कर्मकार-विरोधी कार्यवाहियों के विरुद्ध संरक्षण दिया जायेगा।" (592)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कोई आश्वासन नहीं बिया गया है कि उर्दू भाषा की स्थिति के बारे में गुजराल समिति की सिफारिशों को तुरन्त क्रियान्वित किया जायेगा।" (593)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी जन संचार माध्यमों तथा आकाशवाणी और दूरदर्शन को जिस पक्षपात पूर्ण ढंग से चलाया जा रहा है/प्रयोग किया जा रहा है, उसके विरुद्ध देश में जनता के विभिन्न वर्गों द्वारा विरोधी दलों का तो कहना ही क्या, जो कड़ा विरोध किया जा रहा है, उसका कोई उल्लेख नहीं है।" (594)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में तारापुर संयंत्र के लिए अपेक्षित परिष्कृत यूरेनियम की सप्लाई के बारे में भारत के विरुद्ध अमरीकी दबाव और सरकारी तौर पर उत्प्रेरित प्रेस आंदोलन पर समुचित रूप से ध्यान नहीं दिया गया है।" (595)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में खाद्य तेल, वनस्पती घी के मूल्यों में तेजी से और निरन्तर हो रही वृद्धि से उत्पन्न गंभीर स्थिति पर ध्यान नही दिया गया है और न ही उसे दूर करने के लिए कोई उपाय सुझाया गया है।" (596)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत सरकार के विरोध की अवहेलना करके खालिस्तान आंदोलन के नेताओं को शरण देने में संयुक्त राज्य अमरीका की अमैत्रीपूर्ण कार्यवाही की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।" (597)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हाल ही में महंगाई भत्ता रोक कर मजदूरी न बढ़ाने की नीति के फलस्वरूप मजदूरों और कर्मचारियों पर बढ़ते हुए आघात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।" (598)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि काले धन का पता लगाने में सरकार असफल रही है।" (599)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात को ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि पुलिस समाज विरोधी तत्वों और सत्तारूढ़ कुछ राजनैतिक व्यक्तियों के बीच अस्वास्थकर गठजोड़ के कारण लोगों के जीवन और उनकी सुरक्षा को खतरा है।" (600)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एजेंसियों, जो भारतीय सरकार पर कराधान स्तर को बढ़ाने, उर्वरकों तथा तेल के मूल्यों में वृद्धि करने और लोगों की उपभोग स्तर को कम करने के लिए दबाव डालकर मुद्रा स्फीति बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं, की भूमिका के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (601)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की बकाया राशि को रोक लेने के सरकार के निर्णय का जो एक प्रकार से मजदूरी में वृद्धि पर रोक लगाना है और अनिवार्य जमा योजना को पुनः लागू करना है, कोई उल्लेख नहीं है।" (602)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में विधि और व्यवस्था की स्थिति का आमतौर पर बिगड़ने और उत्तर प्रदेश के गांवों में हरिजनों की बड़े पैमाने पर हत्याओं का कोई उल्लेख नहीं है।" (603)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि खाद्यान्न, खाद्य तेल, कपड़ा और चीनी जैसी समस्त आवश्यक वस्तुएं राज सहायता प्राप्त मूल्य पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खोली गई दुकानों के जरिए बेची जाएंगी और यह काम लोकप्रिय समितियों के नियंत्रण और देखरेख में होगा जो यह सुनिश्चित करेंगी कि इन वस्तुओं की पर्याप्त और अनवरत सप्लाई बनी रहे।" (604)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पिछले 7 सालों से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन को सरकार द्वारा पुनरीक्षित न करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है जिसके फलस्वरूप गत 8 वर्षों के दौरान कर्मचारियों के वास्तविक वेतन में 7 से 37 प्रतिशत तक की कमी हुई है।" (605)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार को यह सलाह नहीं दी गई है कि वह विपक्षी दलों को असहयोग का दोषी बताने और उनके विरुद्ध मनमाना कुप्रचार करने के बजाये विपक्ष को यह बताये कि वह वस्तुतः किन-किन मामलों में उनसे सहयोग की आशा करती है।" (606)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिए जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (607)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध किए जा रहे अत्याचारों में शामिल होने वाले लोगों के विरुद्ध कठोर कदम उठाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (608)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए रोजगार में आरक्षण और शैक्षिक तथा आर्थिक प्रगति के मामलों में विशेष सुविधाएं देने का कोई उल्लेख नहीं है।" (609)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में महिलाओं के लिए समान मजदूरी, समान दर्जा और समान अवसर के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (610)

कि प्रस्ताव में अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सरकारी सेवाओं तथा शैक्षिक संस्थानों में उनके प्रति भेदभाव तथा उर्दू के प्रति भेदभाव को दूर करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (611)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उन क्षेत्रों को, जिनमें आदिवासियों की बहुसंख्या है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के और ऐसे आदिवासी क्षेत्रों को क्षेत्रीय स्वायत्तता प्रदान करने के लिए सांविधानिक व्यवस्था करने ताकि संबद्ध राज्य के भीतर क्षेत्रीय सरकार हो जो आदिवासियों के आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और भाषायी विकास की तरफ ध्यान दे तथा आदिवासियों का छिड़ापन दूर करने के लिए उन्हें पूर्ण आर्थिक सहायता देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (612)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में उच्च पदों पर आसीन लोगों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए किसी ठोस प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है।" (629)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ती हुई रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किसी उपाय का उल्लेख नहीं है।" (630)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र तथा अन्यत्र स्थानों में तथाकथित 'मुठभेड़ों' में मारे गए लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त नहीं की गई है।" (631)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दिल्ली में होने वाले एशियाई खेलों पर सार्वजनिक धन की बड़ी राशि के अपव्यय का कोई उल्लेख नहीं है।" (632)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनिवार्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए किसी स्पष्ट योजना का उल्लेख नहीं है।" (633)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हरिजनों तथा अनुसूचित जातियों के वास्तविक उत्थान किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (634)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आदिवासी क्षेत्रों में पृथकतावाद फैलाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (635)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है कि आदिवासियों को मानवीय अधिकारों से वंचित रखा गया है, बंधुआ मजदूरों के रूप में बेचा जाता है, उनकी युवा लड़कियों को वेश्यालयों में बेचा जाता है और उन्हें देश के अन्य भागों से पृथक रखा जाता है तथा आदिवासी क्षेत्रों में कुछ विदेशी ईसाई मिशन उन्हें देश से अलग करने के लिए भरसक प्रचार कर रहे हैं।" (636)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण के अल्पसंख्यकों की समस्याओं का कोई उल्लेख नहीं है।" (637)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में महिलाओं के साथ बलात्संग तथा उनकी बेइज्जती किये जाने की घटनाओं में वृद्धि होने का कोई उल्लेख नहीं है।" (638)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देहातों में हरिजनों तथा आदिवासियों पर किए जाने वाले भीषण हमलों तथा ऐसे अत्याचारों को रोकने में सरकार की पूर्ण विफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (639)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में एक ओर तो किसानों की मांगों तथा समस्याओं का सही मूल्यांकन तथा उचित उल्लेख नहीं है और दूसरी ओर इसमें ऐसा माहौल बनाने के प्रयासों की अनदेखी की गई है जैसे कि किसान सरकार द्वारा उन्हें किसी प्रकार की सहूलियतें न दिये जाने की नीति अपनाए जाने के पक्ष में हैं जबकि वे देश में बहुराष्ट्रिकों तथा एकाधिकारियों के कार्यों के परिणामस्वरूप सरकार की ऐसी नीति के शिकार हैं।" (640)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि कृषि-सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिए दी गई राशि मुख्यत: धनी व्यक्तियों के लाभार्थ चली जाती है जबकि निर्धन वर्गों को वास्तव में इनसे कोई लाभ नहीं मिलता।" (641)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि अधिकांश राज्यों में भूमि की सीमा निर्धारण करना और अतिरिक्त भूमि को जोतदार को देने सहित भूमि सुधार का कार्यान्वयन करीब-करीब ठप हो चुका है।" (642)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार तथा प्रशासन पर हावी जमीदारों के प्रभाव के परिणामस्वरूप अनेकों राज्यों में न्यूनतम कृषि मजदूरी से सम्बन्धित विद्यमान कानूनों का भी सही ढंग से क्रियान्वयन न किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (643)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में स्वतन्त्रता के 34 वर्ष बाद भी एक तिहाई से अधिक भारतीय ग्रामों को पेय जल/बिजली/पक्की सड़कें उपलब्ध न कराने का कोई उल्लेख नहीं है।" (644)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ऐसी अनुचित रियायतों की कोई आलोचना नहीं की गई है जो एधाधिकारियों को और बहुराष्ट्रिकों को उनकी अत्यधिक लाभ कमाने की अतृप्त वासना की पूर्ति के लिए 'प्रोत्साहनों' के नाम पर दी जा रही है।" (645)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संसदीय लोकतन्त्र को धब्बा लगाने के प्रयासों, सत्तारूढ़ को व्यक्तियों लोकतांत्रिक ढंग से कार्य करने अथवा सामाजिक आर्थिक मुद्दों विधायक संविधान के निदेशक सिद्धान्तों को सही ढंग से अमल में लाने में असफलता के विरुद्ध कोई चेतावनी नहीं दी गई है।". (646)

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि पाकिस्तान के "अनाक्रमण संधि" प्रस्ताव के विकल्प में हमारा "मैत्री संधि" प्रस्ताव किन अर्थों में भिन्न है और इस तरह हम अपने पक्ष में ठोस वैचारिक आधार प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं।" (613)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जोड़, अर्थात :

"किन्तु खेद है कि पाकिस्तान में पड़े हुए भारतीय युद्ध बन्दियों को खोजकर वापस लाने के विषय में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (614)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गन्दी बस्तियों को सुधारने की अपेक्षा विलासिता के लिए बहुमंजिला इमारतों के निर्माण में सीमित साधनों के अपव्यय को रोकने का कोई प्रस्ताव नहीं है।" (615)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश आम जनता का जीवन स्तर ऊपर उठाने के बजाय देशी अथवा विदेशी मुद्रा को विलासिता के सामान के उत्पादन में खर्च होने से रोकने के विषय में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (616)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात की कोई चर्चा नहीं है कि विधायक दल से बिना विचार-विमर्श किए अथवा उसकी औपचारिक बैठक में पारित सहमति प्रस्ताव के बिना ही

महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा स्वेच्छाचार से मुख्य मन्त्री नियुक्त करने से संविधान की मूल-भावना का हनन हुआ है तथा विश्व के लिए एक खतरनाक परम्परा कायम हुई है।" (617)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि केरल में पर्याप्त बहुमत न रहने पर भी सरकार बनाने देने से संविधान की मूल भावना का हनन हुआ है।" (618)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि असम में विदेशियों के मसलों का न्यायोचित संतोषप्रद हल खोजने में विलम्ब हुआ है तथा संसद में उनके प्रतिनिधित्व के अभाव से वहां की प्रजातांत्रिक शक्तियों को धक्का पहुँचा है।" (619)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि मिजोराम की बहुमत से निर्वाचित संवैधानिक सरकार को नजरअन्दाज कर विद्रोहियों से सीधे संवाद स्थापित करने के गृह मंत्रालय के कारनामे से मिजोरम राज्य में अस्थिरता का वातावरण बना है तथा बिखराव की शक्तियों को बल मिला है।" (620)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गोवा के डाक कर्मचारियों को सेवा में उपस्थिति के समय अपेक्षित सुरक्षा प्रदान न करने से कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना पैदा होने का कोई उल्लेख नहीं है।" (621)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि रेल दुर्घटना तथा असामाजिक तत्वों द्वारा लूटपाट की घटनाओं की अधिकता से जनजीवन असुरक्षित हो गया है।" (622)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि नौवें एशियाड के लिए लगभग एक हजार करोड़ रुपए की फिजूलखर्ची से खुदरा मूल सूचकांक में और बढ़ोतरी होगी।" (623)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि गृह मन्त्री के बार-बार आश्वासन देने के बावजूद "मंडल आयोग" का प्रतिवेदन सदन के पटल पर नहीं रखे जाने और उसकी सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं करने से पिछड़ी जातियों में गहरा असंतोष है।" (624)

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल राज्य के अन्तर्गत दार्जिलिंग जिले के तीन पहाड़ी सब-डिवीजनों में नेपाली भाषी लोगों को क्षेत्रीय स्वायत्तता प्रदान करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (663)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग स्थित टाइगर हिल में एक दूरदर्शन रिले ट्रांसमीटर स्थापित करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (664)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दार्जिलिंग जिले में पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए और अधिक केन्द्रीय सहायता देने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (665)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दार्जिलिंग जिले में, जो विश्व का एक सुन्दरतम पर्यटन स्थल है, पर्यटन का विकास करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (666)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चाय उत्पादक दार्जिलिंग जिले में चाय उद्योग को सुदृढ़ बनाने के लिए ठोस कार्यवाही करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (667)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल में लघु चाय उत्पादकों को उत्पाद-शुल्क में छूट देने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (668)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी चाय उत्पादक राज्यों में बन्द पड़े तथा रुग्ण चाय बागानों का प्रबन्ध ग्रहण करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (669)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पूरे देश में कृषक मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देने की व्यवस्था के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (670)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषक मजदूरों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन की व्यवस्था करने में सरकार की असफलता के बारे में उल्लेख नहीं है।" (671)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पूरे देश में निर्धन तथा सीमान्त किसानों, बटाईदारों और कृषक मजदूरों को कृषि तथा अन्य सरकारी ऋणों तथा सहकारी ऋणों पर ब्याज के भुगतान से छूट दिलाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (672)

डा० ए० यू० आजमी (जौनपुर) मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रशासन में अनियमितताओं, कदाचार, अकुशल प्रबन्ध और नौकरशाही रवैये के कारण उद्योगों की प्रगति ठप्प होने का कोई उल्लेख नहीं है। (673)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने में सरकार की विफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (674)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गई है और सरकार इसे सुधारने में विफल रही है।" (675)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ती हुई कीमतों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बुरी तरह विफल होने का कोई उल्लेख नहीं है।" (676)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को राहत देने और उनके मंहगाई भत्ते को राशि को रोककर उन्हें वित्तीय कठिनाइयों में डालने का कोई उल्लेख नहीं है।" (677)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में एशियाड के नाम पर करोड़ों रुपयों की बरबादी का कोई उल्लेख नहीं है।" (678)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से अरबों रुपयों के ऋण लेने के परिणामों का कोई उल्लेख नहीं है।" (679)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित वस्तुओं जैसे सीमेंट आदि के वितरण में कदाचार किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (680)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दैनिक उपयोग की अनिवार्य वस्तुओं को उचित दर पर उपलब्ध करवाने हेतु, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाने और उसका विस्तार करने में सरकार की विफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (681)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में रुपये के वास्तविक मूल्य की गिरावट की पूर्ति करने के लिये मंहगाई भत्ते को पूर्ण रूप से उस के बराबर करने को सुनिश्चित करने में सरकार की विफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (702)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी की नीति बनाने में सरकार की विफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (703)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है अभिभाषण में भारत उच्चतम न्यायालय को विभाजित करने में सरकार पर रोक लगाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (704)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का गम्भीरता के साथ उल्लेख नहीं किया गया है कि सरकार ने बजट सत्र के आरम्भ होने से पूर्व टेलीफोन, दूर संचार और डाक-शुल्कों, कोयला और सीमेंट आदि जैसी वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य और दरों को बढ़ाने की परिपाटी बना ली है।" (705)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में असम और केरल राज्यों में अल्पमत की सरकार थोपने, जिससे संसदीय प्रथा के मूल मापदंड और संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन होता है, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (706)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बार-बार होने वाली रेल दुर्घटनाओं के प्रति गंभीर चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है।" (707)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हरिजनों और समुदाय के दलित तथा पिछड़े वर्गों की गिरती स्थिति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (708)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में साढूपुर के स्टरा और देवली जैसे स्थानों में हरिजनों पर हो रहे नृशंस अत्याचारों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (709)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आम खपत की सभी आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों के कारण जनता को होने वाली कठिनाइयों और आम व्यक्ति का शोषण करने के बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों को सहायता देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (710)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ते हुये मूल्यों को रोकने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुधार करने तथा उसका विस्तार करने में सरकार की विफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (711)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कार्यपालिका के प्रति न्यायपालिका को प्रतिबद्ध करने के लिए जिसके परिणामस्वरूप न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा निष्पक्षता को आघात

पहुँचता है, कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका पर किए जा रहे लगातार हमले का कोई उल्लेख नहीं है।" (712)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में असम और केरल में दलबदल को दिए जा रहे प्रोत्साहन का कोई उल्लेख नहीं है।" (713)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उर्दू के लिए गुजराल आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन और अनेक राज्यों में उसे उचित स्थान देने तथा उसे अतिरिक्त सरकारी भाषा का दर्जा देने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (714)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को आर्थिक तथा शैक्षिक न्याय प्राप्त करने तथा सरकारी तथा अन्य सेवाओं में उचित हिस्सा दिलाने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (715)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में डा० गोपाल सिंह की अध्यक्षता में गठित मुस्लिम अल्पसंख्यकों तथा पिछड़ी जातियों संबंधी उच्च शक्ति प्राप्त पैनल की सिफारिशों तथा उन्हें लागू करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (716)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी शक्तियां देने का कोई उल्लेख नहीं है।" (717)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के कई भागों में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के विरुद्ध विषैले साम्प्रदायिक प्रचार के बारे में विशेषकर कुछ साम्प्रदायिक संगठनों द्वारा, जिसके कारण मुस्लिम विरोधी हिंसा भड़क रही है, और कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये उठाये गए कदमों, अहिंसा के शिकार व्यक्तियों को मुआवजा देने तथा उन्हें फिर से बसाने, साम्प्रदायिक प्रचार को रोकने के प्रति उदासीन रवैया अपनाने वाले तथा अपना काम ठीक से न करने वाले सिविल और पुलिस अधिकारियों को दण्ड देने और साम्प्रदायिक भाई-चारा तथा सद्भाव बढ़ाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (718)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में रेल यात्रा में न केवल रेलों के पटरी से उतरने तथा अन्य दुर्घटनाओं के खतरे बल्कि डाकुओं तथा हत्यारों से बढ़ते हुए खतरों का कोई उल्लेख नहीं है।" (719)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हरिजनों, अल्पसंख्यकों और अन्य कमजोर वर्ग के लोगों पर किये जाने वाले अपराधों, अत्याचारों में वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं है।" (720)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हरिजनों, आदिवासियों और अन्य पिछड़ी जातियों पर किये जाने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए उठाये जाने वाले सख्त कदम या नीति का कोई उल्लेख नहीं है।" (721)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में हरिजनों, अल्पसंख्यकों और अन्य कमजोर वर्गों पर किये जाने वाले अत्याचारों में वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं है।" (722)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दहेज के कारण होने वाली मौतों में वृद्धि तथा पुलिस द्वारा उन मामलों को हाथ में लेने से मना करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (723)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :

'किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दैनिक उपयोग की अनिवार्य वस्तुओं को उचित दरों पर उपलब्ध कराने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करने तथा उसे मजबूत बनाने में सरकार की विफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (724)

कार्य मंत्रणा समिति

25वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का 25वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

इसके बाद लोक सभा बुधवार, 24 फरवरी, 1982/5 फाल्गुन, 1903 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।